

वीर सेवा मन्दिर  
दिल्ली

★

क्रम संख्या 5029  
काल न० 258 (01) 57  
खण्ड -----



# बौद्ध संस्कृति का इतिहास

\*

लेखक

**डॉ० मागचन्द्र जैन भास्कर**

एम. ए. ( संस्कृत, पालि तथा प्राचीन भारतीय, इतिहास, संस्कृति  
एवं पुरातत्व ), साहित्याचार्य, पी-एच. डी. , सीलोन )

अध्यक्ष, पालि-प्राकृत विभाग  
नागपुर विश्वविद्यालय



**श्रीलोक प्रकाशन**

ना ग पु र

प्रकाशक  
बालीक प्रकाशन  
वाधी चौक, लखर,  
नामपुर

© लेखक का सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रथम संस्करण

१९७२

मूल्य — विद्यार्थी संस्करण २०-००

पुस्तकालय संस्करण २५-००

एजेंट

भारतीय विद्या प्रकाशन

पो० बा० १०८

कचौड़ी गली, वाराणसी

मुद्रक

शारदकुमार 'साधक'  
मानव मन्दिर मुद्रणालय  
नरहरपुरा, वाराणसी

Buddha Granthamala-3

# HISTORY OF BUDDHIST CULTURE

By

**Bhagchandra Jain Bhaskar**

M. A ( Sanskrit, Pali, Ancient Indian History and  
Culture and Archaeology )

Sahityācharya, Ph. D. ( Ceylon )

Head of the Department of Pali and Prakrit

NAGPUR UNIVERSITY.

**ALOK PRAKASHAN**

**NAGPUR**

**Publisher :**

**ALOK PRAKASHAN**

**Gandhi Chaur,  
Sadar, Nagpur.  
India.**

© *All rights reserved by the author*

**First Edition :**

**1978**

**Price : Student's Edition      20-00**

**Library Edition      ... 25-00**

**Agent : BHARATIYA VIDYA PRAKASHAN**

**P. B. No. 108 Kachaudigali,**

**VARANASI, India.**

**Subject : INDIAN CULTURE**

**Printer :**

**S. K. SADHAK**

**Manav Mandir Mudranalaya  
Narharpura, Varanasi  
India.**

मराठी साहित्य के प्रकाण्ड पण्डित  
एवं भारतीय इतिहास के चिन्तक  
डॉ० वि० मि० कोखते  
कुलगुरु  
नागपुर विश्वविद्यालय  
को

## उपस्थापना

बौद्ध संस्कृति भारतीय संस्कृति का अमोघ अंग है। अममं संस्कृति का अंगभूत होकर उसने अपने उत्पत्ति काल से ही मानव की आध्यात्मिक चिन्तन शक्ति को ज्ञान और तर्क की भूमिका पर सहे होकर विकसित किया है। श्रद्धा के सजग प्रहरी के रूप में निष्पक्ष विचार और अन्तःस्पर्शी तर्क का होना व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। आत्म तत्व की साधना भी ज्ञान और तर्क के बिना संभव नहीं। चारित्र्य की स्थिति इसके उपरान्त ही आती है। कालान्तर में दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य का समन्वित रूप स्वतन्त्र के विकास में मूलकारण सिद्ध होता है। बौद्धधर्म अपने मूल रूप में इसी भूमिका पर खड़ा हुआ था।

बौद्ध संस्कृति का इतिहास एक अत्यन्त समृद्ध क्षेत्र है। उसे सुधारवादी आन्दोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिया जा सकता है। सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की परिस्थलित अवस्था को सुबिन्तित ढंग से सुव्यवस्थित करना बौद्ध धर्म का मूल कर्तव्य था। उस पर वैदिक संस्कृति की अपेक्षा जैन संस्कृति का प्रभाव बहुत अधिक है, ऐसी मेरी धारणा है। वस्तुतः ऐसी कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती जो तत्कालीन जैनधर्म में न रही हो। कथन - प्रकार में अथवा शब्दावली में अन्तर अवश्य हुआ है जो स्वाभाविक भी है। इस दृष्टि से जैनधर्म और बौद्धधर्म का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाना अभी शेष है।

भारत के लिए यह बड़े गौरव की बात है कि बौद्ध धर्म अपनी मातृभूमि से भी बाहर जाकर दिग्-दिग्गत तक विश्व को आध्यात्मिक पिपासा को शान्त करने में सर्वाधिक सक्षम हुआ है। इतनी अधिक सफलता भारत के किसी भी अन्य धर्म को नहीं मिल सकी। इसमें जो भी कारण हैं, उनमें उसका व्यावहारिक दृष्टिकोण अत्रिक प्रबल है। यह पक्ष बौद्धधर्म के लिए एक चुम्बकीय शक्ति के रूप में सिद्ध हुआ है।



'बौद्ध संस्कृति का इतिहास' नामक यह पुस्तक बौद्ध धर्म की सर्वांगीण स्थिति को प्रस्तुत करने में किसी अंश तक सफल हो सकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिखने में मेरे समझ छात्र - समुदाय विशेष रूप से रहा है। तत्सो के उपयोग की दृष्टि से इसे तैयार किया गया है। यदि मैं अपने उद्देश्य में किसी भी सीमा तक सफल सिद्ध हुए बिना श्री संतोष की बात होगी।

इस पुस्तक के लिखने में मूल ग्रन्थों के अतिरिक्त मैंने आत्मार्य शंकर, बर्नार्ड देव, भरत सिंह उपाध्याय, बलदेव उपाध्याय, गोविन्द कर्ण पाण्डे, राहुल सांकृत्यायन आदि विद्वानों के ग्रन्थों का विशेष अध्ययन किया है। तदर्थ मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही अन्य सहयोगी बन्धुओं के प्रति भी आभार प्रदर्शित करता हूँ जिनके प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग से यह पुस्तक पूरी हो सकी।

ज्ञान्त में श्री पूज्या प्रातः स्मरणीय मातेस्वरी तुलसा देवी जैन के प्रति किन शब्दों में कृतज्ञता व्यक्त करूँ जिन्होंने अपने तन-मन-धन से सर्वस्व निछावर कर मुझे इस योग्य बनाया। साथ ही अपनी पत्नी पुष्पलता जैन, एम० ए० का भी आभार है जिसने पुस्तक को तैयारी में विविध प्रकार का हार्दिक सहयोग और अनुकूल परिवेष्ट दिया।

प्रस्तुत पुस्तक का मुद्रण पृ० २०४ तक विद्या मुद्रण स्वली में और शेष भाग मानव मन्दिर मुद्रणालय में हुआ है। तदर्थ मैं दोनों प्रेस वालों का भी आभार है।

बहिःसावकरण,  
कलकत्ता  
२६ मई, १९७२

—भामचन्द्र भास्कर

## अध्याय १

### भगवान बुद्ध और बौद्धधर्म का अविर्भाव

#### १--अमण संस्कृति और बौद्ध धर्म

भारतीय संस्कृति मूलतः दो संस्कृतियों का समन्वित रूप है - एक वैदिक संस्कृति और दूसरी अमण संस्कृति। वैदिक संस्कृति ब्रह्म की पृष्ठभूमि से उद्भूत हुई है जबकि अमण संस्कृति सभ शब्द के विविध रूपों अथवा धर्मों पर आधारित है। प्रथम में परतन्त्रता, ईश्वरावलम्बन और क्रियाकाण्ड की प्रवृत्ति देखी जाती है जबकि द्वितीय संस्कृति स्वार्तभ्य, स्वावलम्बन और आत्मा की सर्वोच्च शक्ति पर विश्वास करती है।

अमण शब्द अम धातु से निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है उद्योग करना, परिश्रम करना। पालि-प्राकृत भाषा में इसी शब्द को सम कहा गया है जो कम् (शान्ति) अथवा सम् (समानता) धातु से निर्मित है। अतः अमण संस्कृति अ, म, साम और सम के मूल सिद्धान्तों पर आधारित परम्परा है। वहाँ ईश्वर मार्ग-दृष्टा है, सृष्टिकर्ताधर्ता-हर्ता नहीं। अतः उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने धर्म व सत्कर्मों से ईश्वर स्वयं बन सकता है। वह ईश्वर के प्रसाद पर निर्भर नहीं, बल्कि उसके स्वयं का पुण्यार्थ उसे धर्म सत्यता पर पहुँचा देता है। उसकी मूल साधना है आत्मचिन्तन अथवा भेदविज्ञान। चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र, सभी को आत्मचिन्तन एवं मुक्ति प्राप्त करने का समान अधिकार है। कोई भी व्यक्ति मान गोन अथवा बनने श्रेष्ठ नहीं, उसकी श्रेष्ठता तो उसके उत्तम कर्म, विद्या, धर्म व शील से है।<sup>१</sup> आत्मा अथवा चित्त स्वस्वतः निर्मल और निर्विकार है। हमारे कर्म उसके मूल स्वरूप को आवृत कर लेते हैं। आत्मा के इस विकार भाव को दूर करने के लिए शुद्ध भाव पूर्वक अहिंसात्मक साधना अपेक्षित है। इस प्रकार समानता और अहिंसा अमण संस्कृति की मूलभूत विशेषताएँ हैं। भगवान बुद्ध इसी संस्कृति के पोषक थे।

१. कर्म्य विष्णो व कर्मो व शीलं जीवितपुण्यम् ।

एतेन कर्म्यं बुद्धकर्मिणं न जीतेन कलेन वा ॥ विमुक्तिमण्य

अस्य संस्कृति का उद्भव और उसकी प्राचीनता एक विवादास्पद विषय है। इस सम्बन्ध में यहाँ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। पर यह निश्चित है कि अमरा संस्कृति वैदिक संस्कृति से बाँध रखी नहीं। बौद्धबोधोद्गी और हड़प्पा के उत्खनन में प्राप्त कुछ यौगिक मुद्राएँ, वैदिक साहित्य के आस्य तथा वातरक्षना मुनिगदा, वेदों व पुराणों के ऋषभदेव तथा पालि साहित्य में प्राप्त सचमय बीबीसी वीन सीबीसी के नामोल्लेख यह कहने को बाध्य करते हैं कि अमरा संस्कृति वैदिक संस्कृति की अपेक्षा प्राचीनतर नहीं तो समकालीन तो वाक्य है।

व्यक्ति की तीन प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं, ( १ ) शौचिक वादी प्रवृत्ति, ( २ ) समानता और पुष्कार्थवादी प्रवृत्ति, एवं ( ३ ) किसी को सर्व सत्तावाद मान कर स्वयं को उसका दास मानने की प्रवृत्ति। प्रथम प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व बार्बाक दर्शन करता है, द्वितीय का अमरा दर्शन, और तृतीय प्रवृत्ति का परिचय वैदिक दर्शन से मिलता है। अतएव ये तीनों संस्कृतियाँ अपने आप में स्वतन्त्र और शौचिक हैं, समकालीन भी। अश्रियविरोध भादि जैसे तर्क अमरा संस्कृति के उद्भावक नहीं माने जा सकते। यह अधिक सम्भव है कि किसी कारणवश अमरा संस्कृति का कुछ ह्रास हो गया हो और अपनी मूल स्थिति में पहुँचने के लिए वैदिक संस्कृति ने समागत जातिवाद भादि जैसे कठोर दोषों का आभय लेकर क्षत्रिय वर्ग उसके विरोध में उठ खड़ा हुआ हो।<sup>१</sup>

पालि साहित्यमें अमरा के चार प्रकार बताये गये हैं—मग्गजिन, मग्गदेसिन, मग्गजीविन और मग्गहसिन।<sup>१</sup> इनमें पारस्परिक मतभेद उत्पन्न होने के फलस्वरूप अनेक दार्शनिक सम्प्रदाय उठ खड़े हुए जिन्हें बुद्ध ने विहित संज्ञा दी।<sup>२</sup> इन सभी विवादों का संकलन वासठ प्रकार की मिथ्या दृष्टियों (मिथ्यादिट्ठि) में किया गया है। जैन साहित्य में इन्हीं दृष्टियों को विस्तार से १६३ अष्टिचरों में विभक्तकर समझाने का प्रयत्न किया गया है। आर्यायुक्त में अमरा के पाँच भेद निश्चित हैं—निगयठ ( जैन ), सपक ( बौद्ध ), तावस केव्य और परिण्यजक।<sup>३</sup> सुत्तनिपाठ में इनके तीन भेद मिलते हैं—तिरिचय, आजीविक और निगयठ। इन्हें वादसील कहा गया है।<sup>४</sup> वर्तमान में इन

२. विज्ञान देखिये, मेरा प्रबन्ध "जैनिकम इन बुद्धिज्ञ सिद्धिचर" सप्र्याय प्रथम।

५. सुत्तनिपाठ १.१.११

३. सुत्तनिपाठ, १.५.२

६. आर्याय, ५. ६४६

४. वही, ४.१२.

७. सुत्तनिपाठ, २.३.६

जैसी है और और-बीड़ की सम्प्रदायों की विषय में लिखती है :

## २—बुद्ध के सम्प्रदायों की संक्षेप

बुद्धकालीन धार्मिक स्थिति की धारणाओं के लिए विभिन्न हैं वर्तमान सामग्री उपलब्ध है। ब्रह्मचालसुत में तत्कालीन प्रचलित ग्रन्थः सभी प्रकार का ब्रह्मचाल सिद्धान्तों और सम्प्रदायों को 'इन्द्रादि विष्टयविद्विमतानि' के अन्तर्गत आकाश कर दिया गया है। इस सम्प्रदायों में मुख्य सम्प्रदाय, बौद्ध सम्प्रदाय के अतिरिक्त, थे—पूरणकस्सप, मन्थाल गोसात्र, धर्मिकेयस्सज्जि, अनुककलावप, सम्प्रयवेकद्विपुत्र तथा निगखठनातपुत्र। विभिन्न में इन सभी धारणाओं की सङ्घी वेद मणी क, मयावरियो क, धातो, धनस्सा, तित्थकरो, साधुसम्पत्तो बहुजनस्स, रतम्भू चिरपम्भजितो, भद्रगतो, कयोनुपसो "कम्ह म्मय-है। इस उल्लेख से ऐसा प्रभाव होता है कि बुद्ध इन तीर्थक्षुरों में सबसे कम धारणा वाले थे। साम्प्रदायिकसुत में उक्त सभी तीर्थक्षुरों के सिद्धान्तों का वर्णन मिलता है परन्तु सभीसात्मक दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि संकल्प यिता का उन सिद्धान्तों का समुचित ज्ञान नहीं था। संक्षेप में हम उनका वर्णन देखेंगे जिससे यह कथन और स्पष्ट हो जायगा।

### क—पूरणकस्सप

इस तीर्थक्षुर के अनुसार हिंसा, परस्त्री गमन, चोरी आदि दुष्कर्मों में कोई पाप नहीं। इसलिए इसका मत अक्रियावाद की श्रेणी में आता है।<sup>१८</sup> बरसा ने इसे 'अविचसमुत्पन्निकवाद' कहा है।<sup>१९</sup> सुयमशाङ्ग के टीकाकार धार्वाय वीलम्ह इस मत की साक्ष्यता के समकक्ष रखते हैं।<sup>२०</sup> नलिनाकावत्तने भी यही स्वीकारा है।<sup>२१</sup> सब तो यह है कि यह दर्शन कुछ ऐसा वैचित्र्य लिये हुए है कि उर्ध्व

१८. विस्तार से देखिये, मेरा प्रबन्ध "जैनिकम इन बुद्धि सिद्धे-अर," प्रबन्ध अध्याय,

१९. वीचनिकाम, भाग १. पृ. ५२

२०. प्री बुद्धिद्विक फिलसिफी, पृ. २७९

२१. सुयमशाङ्ग, १. १३ टीका.

२२. धर्मी नीवास्तिक बुद्धिज्ज, भाग १ पृ. ३५

प्राचीन भारतीय दर्शनों के साथ संकल नहीं किया जा सकता । संतुल्य एवं अनुसृत निष्कर्षों में पूरुषकस्तप को 'अहेतुवादि' कहा गया है ।<sup>१३</sup> यह अहेतुवाद सामञ्जस्यसुक्त में मनस्वलि गोसाल के साथ संयोजित किया गया है ।

बुद्धबोध ने पूरण की जीवनी का कुछ अंश उद्धृत किया है । उन्होंने लिखा है कि किसी वार के वर हमने अपने जन्मसे लौ की संख्या को पूरा किया । अतः स्वप्न होने पर भी उसे दृष्टित नहीं किया जाता । फिर भी वह किसी कारण से अनन्त हो गया और वक्रादि त्यागकर नग्न विकरल करने लगा ।<sup>१४</sup> धम्मपद अष्टकथा के अनुसार भगवान् बुद्ध का प्रभाव असह्य हो जाने से पूरण ने तबी में डूबकर प्राणान्त कर लिया था ।<sup>१५</sup>

### ख—मन्स्वलि गोसाल

जैन साहित्य के अनुसार मन्स्वलि मूलतः पार्श्वनाथ और महावीर का अनुयायी था । मतभेद होने पर उसने अपना पृथक् सव स्थापित कर लिया ।<sup>१६</sup> सामञ्जस्यसुक्त के अनुसार वह विना हेतु और प्रत्यय के सभी सत्त्वों की श्रुति मानता था । इसलिए उसके सिद्धान्त की गणना नियतिवाद में कर दी गई । मन्स्वलिवाद<sup>१७</sup> में इसे "अहेतुवादि" अथवा "अकिरियादिदि" तथा दर्शनसार में "अज्ञानवाद" के नाम से अभिहित किया है । शीलांक ने "अक्रियावाद" के भेद-प्रभेदों में इसकी गणना की है ।

बुद्ध गोसाल को अत्यन्त खतरनाक समझते रहे ।<sup>१८</sup> 'मन्स्वलि' नामकरण के सन्दर्भमें बुद्धबोध ने एक घटनाका उल्लेख किया है । उन्होंने लिखा है कि मन्स्वलि एक दास था । उसके मालिक ने एक तेल भरा बर्तन देकर कहा "गिर नहीं जाना" ( मा खलि ) फिर भी असावधानता वश वह गिर गया । फलतः उसका नाम 'मन्स्वलि' हो गया । गीसाना में जन्म होने के कारण उसे गीसाल कहा

१३. संसुक्त. भाग ३. पृ. ६६; अनुसृत. भाग ५. पृ. १२६

१४. दीघ. अट्ट. भा. १. पृ. १४२

१५. श्रीर श्री देखिये, दिव्यावधान, प्रातिहार्यसूत्र

१६. भाव संग्रह, १७६-१७९.

१७. भा. १. पृ. ५१३. मित्रिन्दपत्र, पृ. ४-५

१८. अनुसृत. भा. १. पृ. २८६

जाता रहा।<sup>१९</sup> उसे पाणिनि ने मस्करिच् और उवाचवाचसांभो ने 'मन्त्राणि-  
'पुस्त' कहा है।

गोसायन के अनुयायी आधुनिक अथवा प्राचीनक कहलाते थे। उनका नियति-  
वाद श्रद्धा कर्मों पर निर्भर था। पुरुषार्थ की वहाँ अपेक्षा नहीं थी। पतञ्जलि  
ने उन्हीं को लक्ष्यकर लिखा है—मा कृत मा कर्मणि शान्तिर्वैः जेषी.....  
मस्करी परिवाचकः। इसके सिद्धान्तों के उल्लेख त्रिपिटक व जैन साहित्य में  
मिलते हैं। इस सम्प्रदाय का अस्तित्व लगभग १२वीं शती तक रहा है। बाद में  
सम्भवतः विगन्धर जैनों में अन्तर्भूत हो गया।

#### ग—अजिताकल्पकचरित

अजितकेसकम्बलि बुद्ध भौतिकवादी था। वह पुण्य, पाप, इहलोक, पर-  
लोक, माता-पिता आदि किसी को भी नहीं मानता था। प्राणि चार महाभूतों से  
मिलकर बना है। काल कबलित होने पर वे महाभूत विलीन हो जाते हैं। मृत्यु  
के बाद कोई नहीं रहता। इसलिए उसके मत को 'जड़वाद' अथवा 'उच्छेदवाद' की  
संज्ञा दी गई है।<sup>२०</sup>

अजित के दर्शन की तुलना चार्वाक से की जा सकती है। ब्रह्मजालसुत तथा  
सूयगडाग(१.११)में इसकी गणना "तं जोवं तं सरीरं" (तबीवतच्छरीराकारक-  
वादी) के रूप में की गई है। चार्वाक मात्र प्रत्यक्षवादी थे। उन्हें "लोकायत"  
और 'आन्वीजिकी' भी कहा गया है। अभी तक इस सम्प्रदाय का कोई मूल ग्रन्थ  
नहीं मिला। मात्र वैदिक, जैन एवं बौद्ध ग्रन्थों में प्राप्त उसके सिद्धान्तों से हम  
परिचित हो पाते हैं।

#### घ—पञ्चकण्वायन

इसके अनुसार सात तत्त्व—पृथ्वी, अप, तेज, वायु, सुख, दुःख और जीवन  
अकृत, अनिमित्त, अव्यय और कूटस्थ हैं।<sup>२१</sup> अतएव इसे "अकृततावाद"  
कहा गया है। शीसांकाचार्य ने इसकी भी गणना "अक्रियावाद" में की है।  
ब्रह्मजालसुत भी इसे "अक्रियावाद" अथवा 'उच्छेदवाद' कहता है। बुद्धबोध ने  
पञ्चक को उल्लेख का ही उपयोग करने वाला बताया है।<sup>२२</sup>

१९. वीचमट्ट. भा. १. पू. १६६

२०. वीच. भाग १. पू. ३५.

२१. वीच. भा. १. पू. ५६

२२. वीच. भा. १. पू. १४४

### ३—निगद्यत नातपुत्र

सामञ्जसनातपुत्र में निगद्यत नातपुत्र को "चातुर्यामर्षवरसंपुत्रो" कहा है। ये चार उंबर थे—सम्बवारिवारितो, सम्बवारिपुत्रो, सम्बवारिपुत्रो और सम्बवारि-पुत्रो।<sup>१</sup> निगद्यत शब्द जैनान्तों के पूर्ववैशेष्य से यह उद्भूत गन्त सिद्ध हो जाता है। चातुर्यामर्षवर के पुरस्कर्ता पार्श्वनाथ थे, महावीर नहीं। महावीर ( निगद्यनातपुत्र ) ने तो उसमें एक और यम बोड़कर पञ्चयामों का निर्माण किया था। फिर भी इस उल्लेख का मुख्य कम नहीं है। पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता सिद्ध करने में यह एक प्रकाशक प्रमाण है। अज्ञान में उनके द्वारा निर्दिष्ट चातुर्याम इस प्रकार है—<sup>२</sup>

१. सन्वातो पाण्डित्यायामो वेरमणं (अष्टाविंशति से बिककुल दूर रहना)
२. सन्वातो मुसावायामो वेरमणं ( मृषावाद से पूर्णतः दूर रहना ),
३. सन्वातो अविन्नादायामो वेरमणं ( चीर्ष से पूर्णतः दूर रहना) और
४. सन्वातो बहिद्धादायामो वेरमणं (परिग्रह से पूर्णतः दूर रहना )

मगवान् बुद्ध इन चातुर्यामों से प्रभावित रहे हैं। निगद्यत में वप्प निर्गन्ध आवक के उल्लेख से स्पष्ट है कि चातुर्याम धर्म शाक्य देश तक प्रचलित हो चुका था। अलारकालाम तथा उन्नकरामपुत्र की शिक्षाओं से अमन्तुष्ट होने के बाद बुद्ध राजगृह पहुँचे। वहाँ उन्हें निगन्ध अमणों का चातुर्याम धर्म अधिक अनुकूल दिखाई दिया। उनके द्वारा लोजे गये अष्टाङ्गिक मार्ग का समावेश चातुर्यामधर्म में ही जाता है।<sup>३</sup> दीघनिकाय से भी यह स्पष्ट हो जाता है। वहाँ कहा गया है कि प्राणिवच, चीर्ष, मृषावाद, पंचभोग सेवन ये चारों भोग निकृष्ट हैं। शाक्य भिक्षुओं पर इनका आरोपण नहीं किया जा सकता।<sup>४</sup> इन चारों भवों का त्याग पार्श्वनाथ के चातुर्याम धर्म पर आधारित है।

जैनान्तों में भी ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो चातुर्याम का समर्थन करते हैं। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को वहाँ 'पासावज्जिज्ज' कहा गया है।<sup>५</sup> आचारान्त में

२३. दी. भा. १. पृ. ५०

२४. सू. २६६

२५. कौशांबी, पार्श्वनाथ चातुर्याम, पृ. २४

२६. हमे चत्तारो सुजल्लिकानुयोणे अनुमुत्ता समणा सक्कपुत्तिया विहरन्ती' ति।

ते वो 'माहेवं' तिस्सु कच्चनीया। पासाविकमुत्त, पृ. १३१

२७. सूत्र. २-७, मगवती. १-६, आशांग, ६,

अथवा महावीर के शांति-निपात की ऊँची अनुपादियों में से थे।<sup>१८</sup> उत्तराधिकार का केही-नीतिम संसार तो प्रसिद्ध ही है।<sup>१९</sup>

अथवा पार्ष्णनाथ और महावीर के बीच लगभग २५० वर्ष का अन्तर था। इस बीच जैन संघ में आचार अविध्य बर कर गया। अथवा महावीर ने इसके मूल कारण को गम्भीरता पूर्वक विचार किया और पाया कि अथवा पार्ष्णनाथ ने बहिरा के अन्तर्मत परिग्रह और छोड़ेबन इन दोनों का अन्तर्भाव कर दिया है। महावीर ने उन दोनों को पृथक्कर अर्थों में-और भी स्पष्टता लाने की। इस प्रकार महावीर के अनुसार पञ्चमाम ही गये।<sup>१९</sup>

अ. पार्ष्णनाथ के चातुर्थाय और अ. महावीरके पंचमाम से विपिदक भी अपरिचित नहीं रहा। अ. बुद्ध के प्रश्नों के उत्तर में अस्तिमन्वकभुत्तमावधि ने कहा कि निगबन्नातपुत्त चार प्रकार के पापी की निन्दा करते हैं—पाण्य अतिपातेति (आणिषध), अविन्नि अदियति (वीर्य), कामेसु मिच्छाचरति (मैथुन) और मुसा भणति (मुसावाद)<sup>२०</sup>। यहाँ ये चार प्रकार भूल से महावीरके कह दिये गये हैं। वस्तुतः हैं ये पार्ष्णनाथ के। महावीर के अनुसार पापाध्य के पाँच कारण ये हैं।<sup>२१</sup>

१. पाणातिपाति होति । २. आविन्नादायी होति, ३. अमहाचारी होति,
४. मुसावादी होति, और ५. सुरामेरयमञ्जप्पमावद्दायी होति ।

यहाँ गणना के अनुसार पाँच कारण ठीक हैं, परन्तु क्रमहीनता के अति-रिक्त परिग्रह का स्पष्ट उल्लेख नहीं हो सका। परिग्रह के स्थान पर सुरामेरय-मञ्जप्पमावद्दान को स्थान दे दिया गया। इस उल्लेख से इतना तो स्पष्ट है ही कि बुद्ध चातुर्थाय और पञ्चमाम इन दोनों प्रकार के जनों से परिचित थे। संभव है यह सब महावीर द्वारा किये गये परिवर्तन के आसपास से सम्बद्ध हो और अधिक परिचय न होने के कारण यह भूल हुई हो। अथवा यह भी संभव है कि जबकि जैन मन्त्र मांसादिक सेवन का अत्यन्त विरोध करते हैं इसलिए वही बात मंगायन करते समय स्मृति-पत्र में बनी रही हो।

१८. महावीरस्त अम्मा पिपरी पासावकिन्ना, आवा. २, १५-१५

१९. उत्तरा. २३वाँ अध्याय.

२०. समवायांग, ५, २

२१. संशुत्त, भाग ४, पृ. ३१७-८

२२. संशुत्त, भाग ३, पृ. २७६-७



जैनधर्म की सही साहित्य का अत्यन्त ख़राब है। विपिटक में विगडनासपुस्त के अनेक सिद्धान्तों का उल्लेख आता है जो जैनधर्म की तत्कालीन स्थिति का परिचय कराते हैं।<sup>११</sup>

### ११—संजय वेत्सङ्गिपुस्त

यह तीर्थङ्कर अज्ञानवाद अथवा अनिश्चिततावाद का प्रवर्तक था। इसके अनुसार परलोक, अयोनिज प्राणी, शुभाशुभ कर्मों के फल आदि के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संजय के अनुसार अस्ति, नास्ति अस्ति-नास्ति, एवं अवयवव्य के रूप में दिया जा सकता है।<sup>१२</sup>

कहा जाता है, सारिपुस्त और मोग्गल्लान बौद्धधर्म में दीक्षित होने के पूर्व संजय के शिष्य थे।<sup>१३</sup> मोग्गल्लान और संजय को जैन साहित्य में जैन मुनि बताया गया है।<sup>१४</sup> कुछेक विद्वानों ने जैन सिद्धान्त के स्याद्वाद का मूलाधार संजय के अज्ञानवाद को माना है, पर यह उनकी भूल है। संजय के सिद्धान्त में अनिश्चितता बनी रहती है जबकि स्याद्वाद एक निश्चित दृष्टिकोण को उपस्थित करता है। जैनो ने इसीलिए उसके सिद्धान्त की कटु आलोचना की है।<sup>१५</sup> संजय के चतुष्कोटिनिर्मुक्तता के सिद्धान्त के पूर्व भी जैनो में स्याद्वाद के बीज दिखाई देते हैं।<sup>१६</sup> ब्रह्मजालसुत्त में संजय के सिद्धान्तको 'अमराविकल्पवाद' कहा गया है।

### अन्यप्रतस्सत्तर

नन्त छः शास्ताओं के अतिरिक्त कुछ छोटे-मोटे शास्ता और भी थे जो अपने मतों का प्रवर्तन समाज में कर रहे थे। ब्रह्मजालसुत्त के ६२ दार्शनिक मत इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैं। इन्हे भी गम्भीर, दुर्जेय आदि कहा गया है। ये मत इन प्रकार हैं—१. आदि सम्बन्धी १८ मत (पुब्बन्तानुदिट्ठि अट्टारसहि वत्थूहि)

३२. विशेष विवरण के लिए देखिये, लेखक का प्रबन्ध—

जैनधर्म इन बुद्धिस्ट लिटरेचर।

३४. वी. भाग १, पृ. ५१

३५. विनय. भा. १, पृ. ४२, १७१; चेरगाथा, १७. २.

३६. अमितगति आचकान्धार, ६

३७. अष्टसहस्री, पृ. १२६.

३८. देखिये, लेखक का लेख रयुहीमेन्टस आफ अनेकान्तवाद इन पालि लिटरेचर, नागपुर युनिवर्सिटी प्रेस, १९६८

१. सम्प्रदायवाद	—	३	)	
२. एकेश्वर सम्प्रदायवाद	—	४	)	१०
३. धर्मप्रामाण्यवाद	—	४	)	
४. धर्मप्रामाण्यवाद	—	४	)	
५. धर्मप्रामाण्यवाद	—	२	)	

२. आत्मसम्बन्धी मते ( अपरन्तानुबिद्धि अनुचत्तारीसामयतुद्धि )

१. उद्दमाभातनिका धर्मजीवादा	—	१६	)
२. उद्दमाभातनिका धर्मजीवादा	—	८	)
३. उद्दमाभातनिका नेबसम्बन्धीनासम्बन्धीवादा—	—	८	)
४. उच्छेदवाद	—	७	)
५. विद्वेषमनिष्ठावादा	—	५	)

सूत्रहस्तांग में बुद्धकालीन मतमत्तान्तरों की संख्या ३६३ बतायी गई है। इनके अतिरिक्त यज्ञ, भूत, प्रेत पशु आदिकी पूजा भी की जाती थी। परित्राजक भी एक पृथक् श्रयवा सामान्य सम्प्रदाय था। और भी अनेक सम्प्रदाय थे, पर वे उत्तरकाल में लुप्तप्राय हो चुके। ३६३ मत इस प्रकार हैं।

असियसयं किरियाणं अकिरियाणं च होईं बुलसीती ।

असाणिय सत्तट्ठी वेणइयाणं च बत्तीसा ॥ सू. नि. १. १२. ११६.

१. क्रियावादा—यह दर्शन जीव, आजीव, आश्रय, बन्ध, संबन्ध, निर्जरा मोक्ष, पुण्य और पाप ये नव पदार्थ मानता है। ये पदार्थ स्वतः और परतः के भेद से दो प्रकार के हैं। पुनः सभी पदार्थ नित्य और अनित्य होते हैं  $६ \times २ = १२ \times २ = २४$ । ये छत्तीस पदार्थ काल, स्वभाव, नियति, ईश्वर और आत्मा के भेदसे ५ प्रकार के हैं— $२४ \times ५ = १२०$ । इस प्रकार कुल भेद  $६ \times २ \times २ \times ५ = १२०$  हुए।

२. अक्रियावादा—इस दर्शन के अनुसार पुण्य और पाप का कोई स्थान नहीं। अतः कुल सात पदार्थ हुए। इनके दो भेद हैं स्वतः और परतः। पुनः काल, महच्छा, नियति, स्वभाव, ईश्वर और आत्मा ये ६ भेद हैं। इस प्रकार अक्रियावाद के कुल  $७ \times २ \times ६ = ८४$  भेद हुए।

कालमहच्छानियतिस्वभावेश्वरात्मतत्त्वानुरागीतिः ।

नास्ति कृत्वादिगण्यमस्ति च सन्धि भावा स्वपरसंस्थाः ॥

सू. १. १२. १५. सू. पू. २०६।२

३. आज्ञानवाद—इस दर्शन में बड़े पदार्थ स्वीकृत हैं । ये सभी पदार्थ सर्व, अस्त, सद्यस्त, अचरकृत्य, सद्यकृत्य, असद्यकृत्य सद्यसद्यकृत्य के भेद से ७ प्रकार के हैं । इनके अतिरिक्त, १—सती आबोत्पत्ति को वेत्ति किवाज्या ज्ञातया २. असती भोवोत्पत्ति को वेत्ति ? कि ज्ञानयो ज्ञातयो?, ३—सद्यसती आबोत्पत्ति: को वेत्ति कि वाज्या ज्ञातया? ४. अवस्तव्या आबोत्पत्ति: को वेत्ति कि वाज्या ज्ञातया ? भेद भी हैं । इति प्रकार ६ x ७ x ४—६७ भेदे अज्ञानवाद के हैं ।

अज्ञानकवादिसर्वत नव जीवादीन् सदाधिसतविधां ।

आबोत्पत्ति: सर्वसद्ब्रह्मा ज्याप्या च को वेत्ति ॥

सू-१. १२. १-५-६. पू. २०६।१

४. जैनयिकवाद—इस दर्शन में विनयसे ही मुक्ति मिलती है । यह विनय आठ व्यक्तियों में की जाती है—सुर, नृपति, यति, ज्ञाति, स्थाविर, अश्वम, माता और पिता । उनकी मन्त्र, वचन, काय और दान के भेद से बार-बार प्रकार की विनय होती है । अतः जैनयिकवाद के = x ४—३२ प्रकार हुए ।

जैनयिकमत विनयश्लोकावस्थानतः कार्यः ।

सुरनृपतियतिज्ञातिस्त्वाविराश्वममातृपितृषु सदा ॥ वही, वृ-२१०।१

### ३—बुद्ध का जीवन-वृत्तांत

बुद्ध का मूल व्यक्तित्व एक ऐतिहासिक महापुरुष का व्यक्तित्व था । उनके जीवन काल में किसी ने भी उनकी जीवन घटनाओं का आलेखन नहीं किया । पालि त्रिपिटक में जो भी घटनार्यो संकलित हुई हैं वे सुब्यवस्थित नहीं । अतएव बुद्ध का प्रामाणिक जीवनवृत्तान्त पाना सहज नहीं । उत्तर काल में उनके ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर लोकोत्तर व्यक्तित्व की सील जड़ दी गई और इस तरह रही-सही ऐतिहासिकता झूमिल काली चादर से आच्छादित हो गई । इसलिये बुद्ध की जीवन घटनाओं को सावधानता पूर्वक ग्रहण करना आवश्यक है ।

बुद्ध के जीवन-वृत्तान्त के उपादान पालि त्रिपिटक में खोजे जा सकते हैं । इन दृष्टिसे दीधनिकाय के महापरिनिम्बाराण और तेविज्ज सुत्त मज्झिम निकाय के बोधिविराज कुमार, सेल्ल और रट्टपाल सुत्त, संसुत्त निकाय के भम्मवक्कपवत्तन, बुद्ध और जरा सुत्त, अंगुत्तर निकाय का पजापति पम्ब्यासुत्त, सुद्धक निकाय में सुत्तनिवात्त, भम्मपद, बेर-येरी गाथा, निदान आदि, विनयपिटक में कुलवत्त और महावग्ग तथा अनुपिटक में महावंत्त

अधिक महत्वपूर्ण है। जबकि कार्तीयक तत्व पाणि-त्रिपिटक में भी लिखाई देने लगते हैं, पर उक्त पर लिखी गई अट्टकथाओं में ये तत्व और भी स्पष्ट हो जाते हैं। इसके बादभूद कृतनाओं को सम्बन्ध बनाने में उनका योगदान कम नहीं है। इसके अतिरिक्त उत्तर काल में कुछ चीकनी पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये। इस दृष्टि से महावस्तु, अक्षित विस्तार, अश्विनिष्कामसुख, चातकटुकथा, बुद्धचरित तथा जिन चरित मुख्य हैं। इन ग्रन्थों में ऐतिहासिक तत्व का स्थान कल्पना तत्व ने ले लिया। पाणि-त्रिपिटक में महाभिनियमसूत्र के पूर्व का जीवन-वृत्तान्त न के बराबर ही मिलता है। यही कारण है कि बाघ के ग्रन्थों में इस सम्बन्ध में मतभेद नहीं दिखाता। यहाँ हम ब. बुद्ध का संक्षिप्त जीवन प्रस्तुत कर रहे हैं। अन्त्य के अन्त में परिशिष्ट के रूप में कुछ विशेष रूप से दिया गया है।

### जन्म और यौवन

बुद्ध के जन्म और परिनिर्वाण के विषय में परम्परायें एकमत नहीं। इन परम्पराओं को साधारणतः दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वह श्रेणी जिस में विद्वान् बुद्ध का परिनिर्वाण ४८७ ई० पू० से लेकर ४७७ ई० पू० रखते हैं। चूँकि बुद्ध का परिनिर्वाण ८० वर्ष की अवस्था में हुआ था, इसलिए उक्त परम्पराओं के अनुसार उनका जन्म ५६७ ई० पू० से ५५७ ई० पू० के बीच होना चाहिए। दूसरी श्रेणी में श्रीलंका की परम्परा आती है जिसके अनुसार बुद्ध का परिनिर्वाण ५४४ ई० पू० और जन्म ६२४ ई० पू० में हुआ। श्रीलंका की परम्परा अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक है।<sup>१</sup>

बुद्ध का यह जन्म साक्य स्युतन्त्र कविलवस्तु ( वर्तमान तिलौरा कोट ) के निकट लुम्बिनी वन में हुआ। यहाँ अशोक सम्राट का एक अभिलेख भी पाया जाता है जिसमें उल्कीर्ण है—'हिंद बुधे जाते साक्यसुनीति हिंद भग्वा जातेति। बुद्ध के पिता क्षत्रिय राजवंशी एवं गौतम<sup>११</sup> गौत्री बुद्धादन<sup>१२</sup> थे और माता का नाम था माया अथवा महामाया जो कोलिय वंश की राजकुमारी थी।<sup>१३</sup> बुद्ध का नाम गौतम अथवा सिद्धार्थ रखा गया—समस्तो सलु भो गौतमो सक्यकुल पव्वजितो। सिद्धार्थ जन्मतः महापुरुष समस्तो से लाम्छित थे। इन लाम्छनों

३३. सुत्तनिपाट, ३१-१८-१८-

७०. महा वग्ग ( विनय ) सुत्त, ३.१.१८-२० पृ. ८६. बुद्धोदन के शुभलोदन, शाक्योदन, बोतीवन और अमितोवन इन ४ सहोदरों के भी नाम मिलते हैं ( मत्थकम. बूलदुक्खकखन्ध सुत्त अट्टकथा ) यहाँ तत्पापत्त के एक भाई का भी नाम मिलता है—नन्द।

४१. दीघ. भा. २, पृ. ८ ( ना० ).

को बंधकर व्योमिर्बिर्ही ने कट्ट दिया था—इमेंहि लक्ष्मणोहि लक्ष्मणमती भगार  
 लक्ष्मणसमानो राजा होति बकवती, पबकमानो बुद्धो।<sup>१२</sup> सात दिन के  
 बाद माया कालकवलित हो गई और पासन-पीषण का समुचा भार माता की  
 बहून महाप्रजापति गौतमी ने बहन किया ।

सिद्धार्थ की शिक्षा-शिक्षा के विषय में अधिक जानकारी नहीं मिलती ।  
 ललितविस्तर में उनके गुरु का नाम चिकवामित्र दिया है । बालक ने उनसे  
 पूछा कि ब्राह्मी, खरोड़ी, पुस्कर साकी, अङ्गलियि आदि ६४ प्रकार की  
 लिपियों में मुझे आप कौन-सी लिपि सिखावेंगे ? चिकवामित्र विस्मित हुए  
 बालक की बात सुनकर और कहा कि वे उसे सर्व लोकपरायण बनाने का  
 प्रयत्न करेंगे ।<sup>१३</sup> तब बोधिसत्व ने १० हजार बालकों के साथ पढ़ना प्रारम्भ  
 किया ।<sup>१४</sup>

१. अ = अनित्य शब्द, २. आ = आत्मसपरहित शब्द, ३. इ =  
 इन्द्रिय वेपुष्य शब्द, ४. ई = ईति बहुल शब्द, ५. ऊ = उपद्रव बहुल शब्द,  
 ६. ऊ = ऊन सख जगत शब्द, ७. ए = एषणासमुत्थान शब्द,  
 ८. ऐ = ऐर पथ श्रेयान शब्द, ९. ओ = ओषोत्तर शब्द, १०. औ =  
 ११. अं = अत्रोद्योत्पत्ति शब्द, १२. अः = अस्तंगमन शब्द, १३. क =  
 कर्म विधाकावतरण शब्द, १४. ख = खसम सबेधमे शब्द, १५. ग =  
 गम्भीरधर्मप्रतीत्यसमुत्पादावतारणशब्द, १६. घ = घनपटला विद्या  
 ओमान्धकारविधमनशब्द, १७. ङ = अङ्ग विशुद्ध शब्द, १८. च =  
 चतुरार्थ सत्य पथ शब्द, १९. छ = छन्द राग प्रहाण शब्द, २०. ज =  
 जराभरणसमतिक्रमणशब्द, २१. झ = मयध्वजवरनिषण्ण शब्द,

१२. सुत्त. ३. ७;

१३. ललित विस्तर, पृ. ८८

१४. ललित विस्तर, पृ. ८९

२२. व = वायव्य शब्द, २३. ड = दक्षिणकोण शब्द, २४. ङ = अक्ष-  
 तीव्र शब्द, २५. ङ = अक्षरमात्रनि शब्द, २६. ङ = मीठ-  
 विषयशब्द, २७. ङ = रेणुकोशशब्द, २८. ङ = संज्ञातासंबेधकशब्द,  
 २९. ङ = धामजलवेगधैरारण्य शब्द, ३०. व = दानवमसंयमसौरभ-  
 ३१. व = समविषयन शब्द, ३२. न = नाम रूप परिज्ञान शब्द,  
 ३३. व = परमार्थ शब्द, ३४. क = फलप्राप्तिसाक्षात्क्या शब्द,  
 ३५. व = बन्धनमोक्षशब्द, ३६. भ = भवति भवशब्द, ३७. स = नव-  
 मानोपशमनशब्द, ३८. व = अज्ञानममतिषेधशब्द, ३९. र = रत्य-  
 रतिपरमार्थ रति शब्द, ४०. व = वरदान शब्द, ४१. श = शर्मवीचिप-  
 र्यना शब्द, ४२. व = षडायतन निमहषडभिज्ञज्ञानावाप्ति शब्द,  
 ४३. स = सर्वज्ञानामिसं बोधन शब्द, ४४. इ = हतकोशविराम  
 शब्द, ४५. स = सत्यपर्यन्ताभिलाषसर्वधर्मशब्द ।

काल देवस आदि ऋषियों की मविष्य बाणियों से प्रेरित होकर बुद्धोदन  
 ने गीतम का ध्यान विषयोपभोग की ओर केन्द्रित करने का प्रयत्न किया ।  
 दण्डपाणि की पुत्री यशोधरा (गोपा या भद्रकृत्या भी कहा गया है) का स्वयंवर  
 हुआ जिसमें गीतमने १६ वर्ष की अवस्था में देवदत्त आदि अन्य आनय युवकों  
 को सरलता से पराजित कर उसका पाणिग्रहण किया । प्रतियोगिता के विषय  
 थे—(१) गज क्षव उत्क्षेपण, (२) लिपि ज्ञान, (३) गणित (४) धनुष बालन,  
 (५) मल्लयुद्ध (६) ल लत कलायें, (७) काव्य निर्माण, (८) सा.स्रज्ञान ।<sup>१५</sup>

यशोधरा के साथ द्वन्द्वयुद्ध भोगते हुए गीतम अपना काल भापन करने  
 लगे । यशोधरा राहुल - माता भी बन गई । इस सब के बावजूद गीतम का  
 मन विषय भोगों में नहीं लग सका । वे आध्यात्मिक सुख का चिन्तन करने लगे ।  
 राहुल को उन्होंने बन्धन माना । यह सुनकर जराजीर्ण, व्याधि-भस्त, मृत और  
 प्रकृतित व्यक्तियोंको बुद्धोदन ने गीतम से दूर रखनेका प्रयत्न किया ।<sup>१६</sup> आचार्य

१५. उत्तर प्रदेश में बौद्धधर्म का विकास' पृ० ३६

१६. जासकटुकथा, निदान कथा, पृ. ७२

श्रीकण्ठी ने इन शब्दोंकी अर्थवत्ति जाना, महाभिनियोगके लिए ।<sup>१०</sup> उनका समर्थन कण्ठीसिंह उल्लम्बाम<sup>११</sup> और बोधिसत्वके पक्ष<sup>१२</sup> ने भी किया है । पर वह अलम्बाम नहीं । अस्तुः यह ती चिन्तन का परिणाम है । जीव जाने, व्यक्ति का मन कब किस विधान पर चिन्तन करना प्रारंभ करे । यही चिन्तन वैराग्य का कारण बन जाता है । विजली का चमकना, उल्का का धिरना, बच्चों का विरोधित होना आदि कारण ऐसे ही हैं जिन पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चिन्तन किया गया और वे गृहनिष्कमण के कारण बन बैठे । इसका तात्पर्य यह नहीं कि उन मनीषियों ने ये कारण कभी देखे ही नहीं थे । वेले अवश्य थे, पर उस तरह का विचार उन पर नहीं किया क्या था । अस्तु, महाभिनियोगके कुछ अन्य कारणों का भी निर्देश मिलता है— (१) परस्पर विरोध में शब्द चारण '२) गृह प्रपञ्च तथा (३) संसार की असारता ।<sup>१३</sup>

गीतम को विषयासक्त बनाये रखने के लिए/ बुद्धोद्यन का प्रबन्ध अपनी चरम उन्नति पर था । सुन्दरियों की संख्या अर्हनिष्ठ बढ़ने लगी । एक दिन कृष्ण गीतमी ने उनके सौन्दर्य की देखकर प्रसन्नता पूर्वक कहा—

निम्बुता नून सा माता, निम्बुतो नून सो पिता ।

निम्बुता नून सा नारी यन्व यं इक्षिर्त्ता पति ॥<sup>१४</sup>

गीतम ने इस पद्य में 'निम्बुत' शब्द का अर्थ आत्मशान्ति किया । उन्हें एक नया मार्ग दर्शन हुआ । गणिकाओं के सौन्दर्य में उन्हें दुर्गन्ध आने लगी । प्रसाद में पहुँचकर चिदानन्दलीन हो गये । अन्तः कपाट आत्म चिन्तन से धीरे-धीरे खुलने लगे । उन्होंने अन्तिम बार राहुल और यशोधरा की ओर देखा । छन्दक से अपना प्रिय अश्व मंगाया और प्रस्थान किया वन की ओर । गीतम की आयु उस समय २९ वर्ष की थी । अनोमा नदी के किनारे पहुँचकर उन्होंने राजवेश छोड़ा और प्रव्रजित होकर राजगृह की ओर चल पड़े । यह घटना कलित विस्तर, बुद्ध चरित आदि ग्रन्थों में काव्यात्मक ढंग से वस्तुतः है । भरियपरियेसनसुत्त, महासञ्चक सुत्त, और बोधिराजकुमार सुत्त में भी इस गृहत्याग की घटना का वर्णन निम्न शब्दों में दिया है—

४७. मगवान् बुद्ध, पृ. १०६,

४८. बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, भाग १, पृ. २५८,

४९. बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, पृ. ४५,

५०. मगवान् बुद्ध, पृ. १११, : सुत्तनिपात, ६, १, २०,

५१. जातककुम्भा ( निदान कथा ), पृ. ७५.

श्री श्री. शं. गिजायने, मन्नेन .सकनेन शङ्करे न मन्नेने पुन्यमने की  
सहै व. श्री. शं. गिजायने, मन्नेन .सकनेन शङ्करे न मन्नेने पुन्यमने की  
सहै व. श्री. शं. गिजायने, मन्नेन .सकनेन शङ्करे न मन्नेने पुन्यमने की  
सहै व. श्री. शं. गिजायने, मन्नेन .सकनेन शङ्करे न मन्नेने पुन्यमने की

...सुन लक्ष्मी के स्पष्ट है कि प्रसन्नान् बुद्ध ने प्रसन्नान् अपने शरिचरित्र  
सम्बन्धों के प्रसन्न की । सुन महाविनिष्कम्भ उत्तरकालीन श्रमों के आचार का  
प्रसन्नित हुआ है ।

राजगृह के मार्ग में पूर्वसुत आचार का नाम का श्रमण मिस्र ।<sup>१२</sup> यह  
उन्होंने 'अकिचम्यायतन' समाधि की श्रिद्धा की । पूर्वसुत करने पर नीतय की  
यह समझ में आ गया कि "यह न निर्दोष के लिए है, न बिराग्य के लिए  
न निरोध के लिए, न उपसम के लिए, न शान्ति के लिए, न सम्बोध के लिए  
और न निर्वाण के लिए ।" सत्य की खोज में जाने बढ़ते हुए वे लूकरामपुत्र  
के पास पहुँचे । यहाँ उन्होंने "नैव संज्ञा नासंज्ञाप्रत्यय" नामक सन्नधि  
का अभ्यास किया । आचार कालाव के उपदेशों से समाधि के सत श्रेय से  
और उद्दक रामपुत्र समधि के प्राठ श्रमों का अभ्यास करते थे । सांख्य दर्शन में  
भी इनके सिद्धांतों का कुछ सामञ्जस्य बैठता है ।

राजगृह पहुँचकर विनिष्कार से भेंट हुई । राजगृह उस समय जमरा  
सम्प्रदाय का मुख्य केन्द्र था । निष्कम्भ नासुत एवं मन्नेनश्री सत के अनुया-  
यियों का यहाँ श्रमण प्रभाव था । बोधिसत्त्व ने विनिष् ही कुछ समय इनके बीच  
रहकर बिताया । विपिटक से प्राप्त श्रमों से भी यह स्पष्ट है । आचार देवसेन  
ने लिखा है कि बुद्ध ने पार्व नय सम्प्रदाय के पुनि विहितानय के पास भी  
वीक्षा ली थी और उनका नाम बुद्ध कीर्ति था । परन्तु मात्र श्रमण करने से  
बाद उन्होंने संघ से पृथक् होकर प्रपन्ना सतम श्रम स्थापित किया ।<sup>१३</sup>

ज्ञान की खोज में ही उन्होंने उल्लेख्य शरि स्वार्थों का भी प्रमण किया  
और कठोर उपश्रमों की । उन्होंने सोचा कि जैसे पीली शकटियों से धर्म का  
उत्पादन नहीं किया जा सकता उसी प्रकार श्रमों में आसक्त रहते हुए  
तपश्रमों के द्वारा सत्य-ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती । फलतः बोधिसत्त्व ने

१२. अकिचम निकाय, २.४.५ ( बोधिराजकुमार पुत्र ) ।  
१३. वही ।  
१४. विनिष्कम्भ में आचार का नाम का स्थान बुद्धादी प्रमण है ।  
१५. वही, १-६



आहार' आदि' छोड़कर उपर तपस्येचर्या की। हुँडयोग और उपवेश्य विद्या १  
 अथिभक्त ( जन्म ) रहते हुए देह धमन किया। इस तरह अहोभिनिस्कारण के  
 बाद बोधि-प्राप्ति के लिए तत्कालीन प्रचलित प्रायः सभी पन्थों में वे हीनित  
 हुए और छः वर्ष तक उनका अभ्यास करते रहे। अन्त में बोधिसत्व की इन  
 उच्च तपस्व्याओं से असन्तोष ही हाथ लगा। और तपस्या छोड़कर आहार  
 ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया। यह देह कौशिक्य आदि पाँच महापुरुष  
 परिश्रावकों ने बुद्ध की पथभङ्ग मानकर उनका साथ छोड़ दिया।

बोधिसत्व यथावत् समाधि में लवलीन रहें। एक दिन सेनानिग्राम क  
 कुवक कन्या सुजाता ने उन्हें वैसास पूर्णिमा के पुनीत प्रघात काल में  
 पायस दान देकर धमरत्व पाया। सुजाता के लिए यद्यपि यह दान एक बलि कर्म  
 का धर्म था पर गौतम के लिए तो उसने जीवन दान का काम किया। उसी  
 दिन सायंकाल में श्रोत्रिय नामक असियारे ने उन्हे भाठ मूट्टी घृण दान  
 दिया। इसके बाद गौतम सम्यक्सम्बेधि प्राप्त करने के हृद संकल्प को लेकर  
 बोधिवृक्ष (पीपल वृक्ष) के नीचे आसीन हो गये। बीड़ ग्रन्थो में इस स्थान को  
 ब्यासन कहा है।<sup>१५</sup>

समाधि काल में बोधिसत्व की मार से और संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष का  
 उल्लेख उत्तर कालीन पालि साहित्य और बीड़ संस्कृत साहित्य में मिलता है।  
 प्राचीनतम सन्दर्भों में अलम्ब होने के कारण यह विषय संक्षय-ग्रस्त हो गया।  
 आमत ने हृद घटना को मात्र कथात्मक विकास का (mythological  
 development) परिणाम माना<sup>१६</sup>। अरुडन बर्न<sup>१७</sup> और सेवार्टने<sup>१८</sup> भी उसके  
 किन्तारों का समर्थन किया। रिच डेविड्स के अनुसार यह अत्यन्तिक व्यापार  
 का बाह्य इतिवृत्तके रूप में विषय है। (a subjective experience  
 under the form of objective reality)<sup>१९</sup>।

वास्तविक बात यह है कि यह भार संघर्ष मानसिक इन्द्रो का प्रतीक है।  
 संसार क्लेश से दूर होने के लिए सांसारिक वासनाओं से असन्तुष्ट छोड़ना अत्या-  
 वश्यक है। मानसिक संघर्ष का जन्म इसी अवस्था में होता है। पाणि साहित्य में

१६. बोद्धर्म और विहार, पृ. ५१

१७. दी लाइफ आफ दी बुद्ध, पृ. ७४

१८. बुद्ध, पृ. १०१, १०७

१९. दी लाइफ आफ दी बुद्ध, पृ. २३०

१०. बोद्धर्म के विकास का इतिहास, पृ. ४८

मार नहीं कुछ (मनु) ११ और नहीं सांसारिक प्रतीभना ( कर्म ) के सम्बन्ध में प्रमुख सुख है + सुखनिपात ( १. ३. १६८ ) का मनुस्मृत्य तथा कर्मव्यव का मारकान्त ( १७ ) भी इस अर्थ में उल्लेखनीय है। अतएव स्पष्ट है कि मारकान्त का कर्मात्मक विषय इसी विचारमारा पर आधारित रहा ही। जैन साहित्य में भी इस प्रकार के उल्लेख कम नहीं हैं।

जिन दिन सुखात्ता का पायस-दान मिला उसी वैशाखी-पूणिमा के दिन भीतम ने मार (सांसारिक नाशनाशों) को पराजित कर अनुत्तरभेदविज्ञान प्राप्त किया (महावस्तु, पृ. ३७०)। रात्रि के प्रथम क्षण में पूर्वजन्त ज्ञान, मध्यम भाग में शिष्य ब्रह्म और अन्तिम भाग में प्रतीत्यसुखाय का ज्ञान प्राप्त किया। प्रथम बोधिसत्त्व गौतम तबामत कुछ कम गये और संसार परिग्रहण से तपस के लिए सुप्त हो गये। यही उनकी सर्वज्ञता और सर्वशक्ति थी। यह अविचार, सविचार से प्रादुर्भूत प्रीति सुख रूप प्रथम ध्यान तथा चित्त, प्रीति, और सुख के मलिक विरोध से प्राप्त द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ध्यान का परिणाम था (महा० पृ. ३६०-१०, ललित. २०<sup>११</sup>)। कुछत्व प्राप्ति के बाद इसी बोधि-सुख के नीचे भगवान् कुछ एक सप्ताह भर मोक्ष-सुख का ध्यान करते रहे।<sup>१२</sup> और इस समय वे प्रतीत्य समुत्पाद की अनुभोग-विमोक्ष मारापर विचार-मन्यन करते रहे। सम्बोधि के बाद बुद्धबोध के अनुसार भगवान् ने सर्वप्रथम निम्नलिखित उद्गार व्यक्त किये—

अनेक जाति संसारं संघाविस्सं अनिच्छिन्नं ।  
महकारकं गबेसन्तो दुक्खा जाति पुणप्पुनं ।  
महकारकं विट्ठोति पुन वेहं न काहसि ।  
सम्भा ते फलुका भग्मा महकूटं विसङ्खलं,  
विसंख्खारगतं चित्तं तण्हाणं अयमज्जमा ॥<sup>१३</sup>

११. संसुत, भा. १. पृ. १५६ सुखनिपात, ३. २. ८.

१२. हिस्ट्री आफ फिनासिफी : ईस्टर्न एण्ड वेस्टर्न, भा. १. पृ. १८६.

ओरीजन्त आफ बुद्धिज्म, पृ. ३८२. ललितविस्तर, मारकान्तपरिवर्त : महावस्तु, पृ. ३६३-४.

१३. वेदिक काण्डासुत्त (अनुत्तर. ८. १. २. १)

१४. अब जो भगवा बोधिसत्त्व के समस्त एकपहलकून विदीधि, विमुक्तिसुखं पटिभेदी, महावस्तु ( महावस्तु १. १. १.) विनय के अनुसार वह समय मार कर्मात्ता का रहा। नहीं कात सप्ताह का भी उल्लेख आता है। ललित-विस्तर (पृ. २६६) में इस सप्ताह का नाम प्रीत्याहारकूट किया है।

१५. कर्मव्य. १. ८. ६

ब्रह्मचर्य और ज्ञान में ये उच्चार इस प्रकार हैं—

‘मया ह्ये पाशुवर्षन्ति धम्मा, प्रावापिनो धम्मतो ब्राह्मणुस्स ।’

अथस्स कम्ह्वा वपयन्ति सत्त्वा, यतो पयानाति सहेतुधम्मं ॥

सलितविस्तर (पृ. २५३) में कुछ और ही वचन इस प्रसंग में उल्लिखित हैं—

छिन्नवर्त्तोपसान्तरथाः शुब्का भ्राजवा न पुनः अवन्ति ।

छिन्ने वर्त्तानि वर्तत दुःखस्पर्षोऽन्त उच्यते ॥ ११८

सम्बोधि-प्राप्ति के बाद भगवान् के मन में “इस दुरनुबोध धर्म को समझने में संतारी जीव समर्थ होंगे” इस विषय में सन्देह उत्पन्न हो गया—

किन्त्वेन मे अविगतं हं’ लं वानि पकासिणुं ।

रामबोसपरेतेहि नामं धम्मो मुसंभुषी ॥

अटितोत्तमानि निपुणं गम्भीरं दुहंसं अणुं ।

रागरस्ता न शकसन्ति समोखन्वेन आषटा ॥ ११९

ब्रह्मा ने भ. बुद्ध की इस विचारधारा को समझ लिया। उसने संतारी जीवों का पक्ष लिया और कहा कि आप धर्मप्रचार कीजिए, समझने वाले अवश्य मिलेंगे ( सलित. पृ. २८६ )।

उट्टेहि वीर विजितसंगाम सत्यवाह भनणु विवर लोके ।

देसेतु भगवा धम्मं, अञ्जातारो भविस्सन्ती ति ॥ १२०

ब्रह्मयाचना के प्रतिफलस्वरूप बुद्ध ने अखिल लोक पर एक दृष्टि डाली और पाया कि जैसे तालाब में कुछ कमल जल के अर्न्तगत रहते हैं, कुछ समोदक रहते हैं और कुछ अनुपलिप्त रहते हैं उसी प्रकार संसार में भी भिन्न-भिन्न प्रकार के प्राणी हैं और वे परलोक से भयभीत हैं । १२१ जीवों की इस स्थिति को

६६. बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ. ५२

६७. महावग्ग १.१.५; यहाँ सम्बोधि के अनन्तर तपुस्स और मल्लिक के उपासक बनने का उल्लेख है और बाद में ब्रह्मयाचना का। परन्तु अज्झमनिकाय में यह उल्लेख नहीं। मात्र ब्रह्मयाचना का वर्णन वहाँ उपलब्ध है।

६८. सलितविस्तर, २८६-२९०.

६९. सलित विस्तर ( पृ० २९२ ) में ये तीनों प्रकार के कमल निम्न-लिखित तीन प्रकार के संसारियों की ओर इङ्गित करते हैं-निष्काम-नियतराशि, अनियतराशि और अज्यकल्ब नियतराशि। इनकी तुलना जैनधर्म में वर्णित तीनों के तीन प्रकारों से की जा सकती है-दूरानप्रज्य, अमज्य और भज्य ।

देखकर बुद्ध ने धर्म देशना की स्वीकृति दी और कहा—

असकता तेसं अमरस्स द्वारा ये जोतवन्तो पञ्चवन्तु सद्धं ।

विहींससञ्जी पणुमं न भास जम्मं पशीसं मनुजेषु बह्म ॥

महावाचका के इस अभ्यास पर विद्वानों में मतभेद नहीं। श्रीमती रिच डेविड्स ने इसे आध्यात्मिक विकास का प्रेरक माना।<sup>७०</sup> नलिनासदत्त ने धर्मार्थ निर्वान के विषय में जैन धारण व भाग मानदेसना का सूचक कहा।<sup>७१</sup> योगिन्द्रचन्द्र पाण्डे ने इसे महायान का आध्यात्मिक जन्म स्वीकारा।<sup>७२</sup> इन सबके प्रतिरिक्त यदि इसे सांसारिक प्राणियों की चेतना और वाक का प्रवर्धन प्राप्त करने की मनःस्थिति का सूचक मान लिया जाय तो कहीं अधिक बुद्धि-संगत है। क्योंकि प्राणियों की प्रकृति जिन-भिन्न हुआ करती है और इसी भिन्नता को स्थूलतः यहाँ तीन वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। इसी के आधार पर भ. ने अपनी देशना दी है।

#### ४. प्रथम धर्म देशना

धर्मोपदेश करने का निश्चय करने के बाद प्रथम धर्मदेशना किस दि-  
जाय, इस सन्दर्भ में बुद्ध ने आलारकालाम और उद्दकरामपुत्र का स्मरण किया  
परन्तु इस समय तक वे काल कवलित हो चुके थे ( ललित पृ. २६५ )। उनके  
बाद उन्हें पञ्चवर्गीय भिक्षुओं का ध्यान धर्या जो उस समय ऋषिपत्तन  
मुगदाव ( सारनाथ में ) ठहरे हुए थे। बुद्ध उनसे मिलने ऋषिपत्तन आस-  
पास में उपक आजीविक मिला। उसने बुद्ध से कुछ प्रश्न किये जिन-धर्मों  
का उत्तर महावाक्य ने इस प्रकार दिया—

सञ्जाभिभू लोकविद्दुं हम्मस्मि सञ्जेसु सञ्जेसु अनूपलित्तो ।

सञ्जं जहो तसहककये विसुत्तो सयं धम्मिज्जाय कमुद्दिसेय्यं ॥ १ ॥

न मे आचरियो अत्थि सदिसो मे न विज्जति ।

सदेवकस्मि नत्थि मे परिपुष्णहो इति ॥ २ ॥<sup>७३</sup>

इसके बाद पञ्चवर्गीय भिक्षुओं से धाराणसी में भ. की जेंट हुई। एक सञ्जे  
निवाय के उपरान्त वे भिक्षु किसी तरह विश्वस्त हुए और उन्होंने धर्मदेशना ग्रहण  
की। इसी को धर्मचक्रप्रवर्तन कहा गया है। इसका उल्लेख भारहुत, सारनाथ

ललित पृ. २६३.

७०. श्रीरिचमस मास्विल इन बुद्धिज्म, पृ० १६

७१. श्री मोनास्टिक बुद्धिज्म, भाग १, पृ० १००.

७२. श्रीवाचकी के विकास का इतिहास, पृ० ५६

७३. महावाक्य, १, १, ६.

और नाकारुणीकोंवा के सिद्धांतों में के हुआ है।<sup>७४</sup>

४. **वैश्वामित्र-पञ्चपर्याय भिक्षुओं ने बुद्धदेवनासे अर्हत्व प्राप्त कर लिया।** वहीं से बौद्ध भिक्षु संघ का निर्मित प्रारम्भ हुआ। चारालसी में एक नामक श्रेष्ठि-पुत्र भी अपने ५४ मित्रों के साथ बौद्ध भिक्षु बन गया। बुद्ध ने इन सभी भिक्षुओं को धर्मप्रचार के लिए भिन्न-भिन्न दिशाओं में भेजा और स्वयं उद्वेला की ओर गये। मार्ग में उन्होंने तीस भ्रमवर्गीय कुमारों को दीक्षित किया। उद्वेला में पहुँचकर अपने प्रादिहार्य के बल पर उद्वेला काश्यप, नदी काश्यप और गया काश्यप को पराजित किया। फलतः अपने सिष्यों के साथ उन्होंने बुद्ध का शिष्यत्व ग्रहण किया। तदनन्तर राजगृह में जिम्बिसार को उपदेश दिया। उसने भिक्षु-संघ को केशुवन भेंट किया। तदनन्तर कपिलवस्तु गये और वहाँ अन्य शाक्यों के साथ राहुल कुमार को भी प्रवृत्त किया। कपिल-वस्तु से बुद्ध पुनः राजगृह आये। वहाँ पर अमरु संजय के संघ में सारिपुत्र और मीक्षत्वायन ये जिन्होंने बौद्ध भिक्षु धरवजित से गौतम के उपदेशों का सार सुनकर धर्म परिवर्तन कर लिया। ये दोनों बाद में अग्रजायक कहलाये। उद्वेलासमी गाथा यह थी—

ये कल्या हेतुप्पमवा हेतुं तेसं तथागतो भाह।

तेसं च यो निरोधो एवं वादी महासमनो।<sup>७५</sup>

क्रमशः संघ बढ़ता गया। अशुब्ध, अद्विय, उपालि, धानन्द आदि जैसे कर्मठ स्वस्वित्त्व भी इस संघ में प्रविष्ट हुए। महिलाओं को भी धानन्द की कृपा से भिक्षु-संघ में प्रवेश मिल गया। बुद्ध की अन्तिम अवस्था तक संघपर्याप्त समृद्ध हो चुका था। उनके सिद्धान्तों ने जनमानस के सन्तप्त हृदयों में अनुपम आन्तिलोत प्रवाहित कर दिया था। अमबाय बुद्ध की महाकल्याण का यह फल था। नियमित रूप से दिन की पाँच भागों में विभक्त कर उन्होंने धर्मप्रचार किया।<sup>७६</sup> गाँवों—गाँवों में जाकर एक तये धार्मिक और दार्शनिक अन्वेषण का सूत्रपात किया। इस आन्दोलन को धार्मिकानिक जनता के समीप लाने के लिए बुद्ध ने भिक्षुओं

७४. **श्रीं बुद्धिज्ज, पृ. ८. परवर्ती बौद्धधर्म के अनुसार बुद्ध ने तीन धर्म-धर्मप्रवर्तन किये थे। प्रथम सारनाथ में, द्वितीय बुद्धकूटपरवत पर, और तृतीय धान्यकटक में। तृतीय धर्मधर्मप्रवर्तन बौद्ध तन्त्रशास्त्र के उद्वेला के रूप में था।**

७५. महावज्ज. १.४.२; E, IX, p. 291ff

७६. पंचविमानि बुद्धकिष्मानि पुरेजतकिष्मं, पञ्जावपकिष्मं, धुरिमवायकिष्मं, मज्जिमवामकिष्मं, पञ्चममानकिष्मं, सुमंजसविजासिनी।

को सम्बोधित करते हुए कहा—मिथुनों ! जितने भी मानुष और दिव्य मन्वन हैं, मैं उन सभी से विमुक्त हूँ। तुम भी सभी दिव्य और मानुष भोगों से विमुक्त हो जाओ। मिथुनों ! बहुजन, हितार्थ बहुजन सुचारु, लोक पर अनुकम्पा करने के लिए, हित के लिए, सुख के लिए, विचरणा करो। एक साथ दो मत जाओ। मिथुनों ! यदि मैं कल्याण कारक, मध्य में कल्याण कारक, अन्त में कल्याण कारक इस वर्ग का उपदेश करो। अर्थ सहित, व्यवजन सहित, केवल परिपूर्ण परिशुद्ध महान्वय का प्रकाश करो।”

वर्षप्रकार के सन्दर्भ में महाप्रजापती कौत्सी ने संघ में धनुषाम (जियो) के प्रवेश का प्रश्न उपस्थित किया। प्रथमतः भगवान् सहमत नहीं हुए। परन्तु धानन्द की तर्कात्मक वाणी के फलस्वरूप उन्हें अपने विचार परिवर्तित करने पड़े। अनेक महिलाओं को उपसम्पदा प्राप्त हुई। मिथुनियों में चम्पा, पराबारा, सोणा, गीतमी, उत्पलवर्णा मुख्य थीं। बुद्ध के धनुषामियों में बृहस्पति पुरुष और महिला वर्ग भी था। इस प्रकार उनके संघ के चार भाग्यम हुए—मिथु, मिथुणी, उपासक और उपासिकाएँ।

## ६. वर्षावास—

महात्मा बुद्ध २६ वर्ष की अवस्था में सन्यासी हुए और लगभग ६ वर्ष के बाद बोधि प्राप्त की। ८० वर्ष की अवस्था में उनका परिनिर्वाण हुआ। इस बीच उनके वर्षावास और विहारस्थल निम्न प्रकार से रहे—

१. नारायणी, ऋषिपत्तन ( वर्षावास ),
२. गया, राजग्रह ( वर्षावास ),
३. राजग्रह ( वर्षावास ),
४. कपिलवस्तु, राजग्रह ( वर्षावास ),
५. वैशाली, आशस्ती, कपिलवस्तु, वैशाली ( वर्षावास ),
६. राजग्रह, अङ्गुलपर्यट ( वर्षावास ),
७. प्रायश्चित्त लोक ( वर्षावास ),
८. आशस्ती, राजग्रह, वैशाली, सुसुमारधिरि-कुवार ( वर्षावास ),
९. कोशांबी ( वर्षावास ),
१०. पारिलम्पक वन ( वर्षावास ),

११. श्रावस्ती, गाला-नालन्दा ( वर्षावास ),  
 १२. कुद-कलमाषदम्य, मधुरा, वेरञ्ज ( वर्षावास ),  
 १३. प्रयाग, काशी, वैशाली, चाण्डियपर्वत ( वर्षावास ),  
 १४. वैशाली, श्रावस्ती, साकेत, धापण श्रावस्ती ( वर्षावास ),  
 १५. कुसीनारा, कोसल, कपिलवस्तु, राजगृह, चम्पा,  
 कपिलवस्तु ( वर्षावास ),  
 १६. झलमी-झानपुर ( वर्षावास ),  
 १७. कौशाम्बी, राजगृह ( वर्षावास ),  
 १८-१९. चालिय पर्वत,  
 २०. चम्पा, सुन्देस ( हजारीबाग जिला ), राजगृह ( वर्षावास ),  
 २१. वैशाली, राजगृह, श्रावस्ती ( वर्षावास ),

२२-७५ वर्षावास श्रावस्ती में हुए । इस बीच बुद्ध कोसल, कुद, राजगृह, नालन्दा, सामगाव ( गाल्मादेश ), पावा, वैशाली, कुसीनारा आदि स्थानों पर विहार करते रहे ।

४६. वैशाली ( वर्षावास ) । यह वर्षावास युक्ति-संगत प्रतीत नहीं होता । २६ वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने महायनिष्क्रमण किया, ३५ वर्ष की अवस्था में उन्हें बोधिलाम हुआ और ८० वर्ष की अवस्था में वर्षावास से पूर्व वैशाली पूर्णिया को उनका परिनिर्वाण हुआ । इसलिए अंगुत्तर निकाय ( २.४५ ) का यह कथन कि बुद्ध का ४६वाँ वर्षावास वैशाली में हुआ, अंतिमपूर्ण प्रतीत होता है ।

### ७—परिनिर्वाण

अठारह बुद्ध लगभग ८० वर्ष की अवस्था तक अर्ध प्रचारार्थ विहार करते रहे । महापरिनिर्वाण सुत्त के अनुसार परिनिर्वाण के समय बुद्ध वैशाली के समीप बेलुचग्राम में वर्षावास कर रहे थे । उस समय वे अत्यन्त रोगग्रस्त हो गये । आनन्द चिन्तागुर हुए । बेलुचग्राम से बुद्ध किसी प्रकार पावा पहुँचे । वहाँ बुद्ध कमारपुत्त (स्वर्णकार) के घर 'सुक्कर मह्व' (सुकर का मांस) के खाने से उन्हें भरपूरान्तक वेदना हुई । रक्तासिंहार से वे पीड़ित हो गये । फिर भी उन्होंने कुशीनगर की ओर प्रस्थान किया । बीच में ही हिरण्यवती नदी पारकर झालवन में पहुँचते ही वे और अधिक अस्वस्थ हो गये । यह उनका अन्तिम समय था । आनन्द ने समय का उपयोग कर कर्म की भावी रीति-नीति के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न पूछे किन्तु समाधान भयचाम् ने अपने मुलके हुए ढंग से किया ।

भगवान् के अस्तित्व का प्रमाण है—

अर्थात् आधुनिक, या अतीत, या भविष्यत् । वस्तु एतत् आधुनिक भगवत्ता परिवर्तनेन अस्मात् सन्नेहि' व पिनेहि मनापेहि नानामात्रो विनामात्रो अस्मात्-मात्रो, तं कुते'त्य सन्ना ? वं तं ज्ञातं भूतं संवत्तं पलोक्कम्मं तं वत्ता वा पत्तुञ्जी ति वेत्तं ठानं विज्जति । देवता आधुनिको उच्यन्तीति । कर्मसुता पत्तुं ज्ञातवत्ता अन्वृद्धो देवता अन्वृद्धोति ति ? सन्ना'सुतो अन्वृद्ध देवता अन्वृद्धोति वत्त-सन्ना'सुतो केसे पत्तु'रियं अन्वृद्धि—अन्वृद्धिप्यं भगवत्ता अन्वृद्धोति... अन्वृद्धोति ति । या पत्तु देवता वीरराणा ता वत्ता संवत्तान् अन्वृद्धिप्यं—अन्वृद्ध संवत्ता, तं कुते'त्य सन्ना ति ।<sup>१६</sup>

इसके बाद भगवान् बुद्ध ने ध्यान की क्रमिक अवस्थाओं की धनुसूक्ति सेते हुए "वयधम्मा सरवारा अण्यमादेन सप्यादेव" कह कर परिनिर्वाण में प्रवेश किया ।

८. परिनिर्वाण काल—भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि आज जो विवादग्रस्त बनी हुई है । इस सम्बन्ध में विद्वानों में साधारणतः दो परम्परायें हैं—

१. एक परम्परा यह है जो ४८७-४७७ ई० पू० बुद्ध का परिनिर्वाण मानती है । और
२. द्वितीय परम्परा यह है जो ५४३-५४४ ई०पू० को बुद्ध का परिनिर्वाण काल मानने का प्राग्रह करती है ।

प्रथम परम्परा—बुद्ध के परिनिर्वाण को ४८७-४७७ ई०पू० के बीच ठहराने वाली प्रथम परम्पराको मानने वालों में कारपेण्डियर<sup>१७</sup>, मेक्समूलर<sup>१८</sup> और जमरल ए०कनिचम<sup>१९</sup> मुख्य हैं जो अलेक्जान्डर<sup>२०</sup> ने ४८१ ई०पू. और स्मिथ<sup>२१</sup> ने

७६. महापरिनिर्वाणसुत्त

८०. I A, १९१४, पृ. १२६

८१. इन्ट्रोडक्शन टू दै बम्मपव, SBE पृ. X ii-X vii.

८२. बुद्ध का काल इतिहास एराब, पृ. ३५

८३. विजय विठक, SBE. भाग XIII, पृ. २२

८४. दै बुद्धिज्ज, ii, पृ. ६३



४७६ ई०पू०, कर्नाट ४७६ ई० पू० और मुक्ति नगर<sup>५५</sup> में ५०२ ई०पू० इस बटमा को बदल बताया है। सिस्केन लेवी<sup>५६</sup> ने चीनी लेखों के आधार पर ४८३ ई० बताया है। इसके सिद्धान्त के पोषक विद्वानों ने बन्धुगुप्त का सिंहासनारोहण ३२१ ई०पू० स्वीकार किया है। प्रथम परम्परा में अन्य मतों की अपेक्षा यह मत अधिक मान्य प्रतीत होता है।

**द्वितीयः परम्परा**—इस परम्परा में सिंहल और बर्मा की परम्परा आती है जो बुद्ध का परिनिर्वाण ५४४-५४३ ई०पू० में हुआ मानती हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर भारतीय परम्परायें कुछ और ही हैं। कनिष्क ने लिखा है कि ह्यूनसांग (६३०-६४५ A.D.) के समय उत्तर भारत में बुद्ध के परिनिर्वाण के विषय में अनेक परम्परायें थीं। इन परम्पराओं में २५०, ३५०, ५५०, ६५० और ८५० ई०पू० में बुद्ध का परिनिर्वाण मानने वाली परम्परायें मुख्य हैं।<sup>५७</sup> काह्लान भी ७७०-७१६ ई. पू. मानता है। ऐसी कुछ और भी परम्परायें हैं जो ६५६-६३३ ई. पू. तथा ११५६ ई० अथवा ११८० ई० को बुद्ध का परिनिर्वाण काल ठहराती हैं।

इन परम्पराओं में सिंहल और बर्मा की परम्परा को छोड़कर अन्य कोई भी परम्परा विश्वसनीय नहीं है। महावंस के अनुसार पराक्रमबाहु प्रथम म. बुद्ध के परिनिर्वाण के १६६६ वर्ष बाद राज्यप्रतिष्ठा हुआ है। सिंहल परम्परा पराक्रमबाहु प्रथम का राज्यप्रवेश काल ११५३ ई० मानती है। अतएव बुद्ध का परिनिर्वाण ५४४ ई. पू. (१६६७-११५३) होना चाहिए।<sup>५८</sup> इस परम्परा का समर्थन बसिण भारतीय शिलालेखों से भी होता है। अनुराधापुर में प्राप्त शिलालेख भी इस परम्परा का समर्थन करता है।<sup>५९</sup>

यह भी यहाँ उल्लेखनीय है कि विक्रमसिंह<sup>६०</sup> व सेनारत्ने<sup>६१</sup> जैसे कुछ

५५. भगवान महावीर और बुद्ध की समसामयिकता, अनेकान्त, १९६३

५६. JAS. १९००, पृ. ३१६

५७. ह्यूनसांग, ३३५.

५८. नायडर, महावंस त्रुमिका पृ. XXIX

५९. UCK. भाग १८, नं० ३-४ पृ. १३१

६०. एशियाटिका जैलनिका भाग १, पृ. ७६-८०, १२२-१२४, १५५-१५७

६१. ग्रेट आफ बुद्धाज वेथ एंड सीलीन क्रोनोलॉजी, JIAS. भाग २३, नं० ६७, १९१४, पृ. १४३

विद्यार्थियों ने ४५३ ई. पू. को ही विद्वत् परम्परा विद्ध करने का प्रयत्न किया है। इनके श्रुतियों का उल्लेख Hultsch ने, 'मनीषाति वे विद्या है।' समयातिने ने न. महावीर के प्रथम शतिकाव इन्द्रभुक्ति शीतल की न. बुद्ध माककर उनका परिनिर्वाण ५४४ ई. पू. में बताया है।" यह प्रमाण उन्की प्रमाण है। इन्द्रभुक्ति शीतल गणेश्वर और महात्मा शीतलबुद्ध दोनों व्यक्तित्व पृथक्-पृथक् हैं।

उक्त दोनों परम्पराओं में विद्वत् और श्रुतियों की परम्परा पर किन्तु अधिक उल्लेख है। विपिठक, न. जैनधर्मों में आये हुए श्रुतियों के आधार पर भी बुद्ध का परिनिर्वाण ५४४-५४३ ई. पू. निश्चित किया जा सकता है। श्रुति वे श्रुती श्रुतियों की अवस्था तक ( श्रुतिश्रुतियों के श्रुतियों श्रुतियों ) श्रुतियों करते रहे इसलिए उनका जन्म ६२४-६२३ ई. पू. माना जाता श्रुति संभव है।

न. महावीर का परिनिर्वाण भी विवादास्पद है। पर अब अधिकतर विद्वत् इस मटना का काल ५२७ ई. पू. मानने को सहमत हो गये हैं। इस प्रकार महावीर बुद्ध से लगभग १६ वर्ष बाद परिनिर्वाण हुए। इस सम्बन्ध में विपिठक में महावीर के निर्वाण का उल्लेख या तो प्रकृत होना चाहिए अथवा उसे गोपाल का निर्वाण-प्रसंग माना जाना चाहिए। मुनि नवरत्न की का मत है कि बुद्ध का परिनिर्वाण ५०२ ई. पू. होना चाहिए। पर उसे श्रुतियोंगत नहीं माना जा सकता। उन्होंने सम्बद्ध उल्लेखों का भी विपिठक किना है वह बिलकुल समीचीन नहीं कहा जा सकता। श्रुतियों उस पर और भी चिन्तन आवश्यक है।

2021

- ६२, बही, पृ. २५३
- ६३, J.A. अन्व, ११ पृ. २४६
- ६४, भाष्य और विपिठक एक अनुवीक्षण, पृ. ४०-१२६

## परिवर्त - ३

### सम्प्रदाय, साहित्य और आचार्य

#### प्रथम संगीति

भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरान्त उनके प्रधान शिष्यों के समक्ष यह समस्या उठ खड़ी हुई कि बौद्धधर्म किस प्रकार जीवित रखा जाय। भानन्द के मुँहसे पर श्रीबुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसी की नहीं बनाया। उन्होंने अपने अनुवाचियों के लिए 'धम्मदायाद' होने की इच्छा अवश्य व्यक्त की थी। बुद्ध के न होने पर इस 'धम्म' की व्याख्या अपने अपने अनुकूल न होने लगे, यह संका पैदा ही गई थी। 'धर्मं आबुसो ! मा सोचित्थ ! मा परिदेवित्थ ! सुवुत्ता मयं तेन महा समसौण ! उपद्दुत्ता न होम । इदं वो कप्पति, इदं वो न कप्पतीति । इथानि पव मयं यं इच्छिंस्साम तं करिस्साम" । यं न इच्छिंस्साम तं न करिस्साम ।" जैसे कवन सुभद्र जैसे स्वच्छन्दतावादी भिक्षुओं द्वारा व्यक्त किये जाने लगे थे। इस स्थिति का परिज्ञान कर धर्म और विनय के संभावन के लिए एक संगीति बुलाने का निश्चय हुआ।

राजगृह से अधिक उपयुक्त स्थान और क्या हो सकता था। वैशाख पूर्णिमा की बुद्ध-परिनिर्वाण हुआ था। उसके बाद चतुर्थ माह में अर्थात् श्रावण माह में ५०० भिक्षु वैभार छिरि पर स्थित सप्तपर्णी गुफा में एकत्रित हुए।<sup>१</sup> भानन्द उसी समय अर्हत् अवस्था प्राप्त कर संगीति में सम्मिलित हुए और सुत्तपिटक के मुख्य संगायक बने। गवांपति और पुराण की घटनाओं—मत्त-नेदों से यह अधिक सम्भावित है कि इस संगीति के निर्णय एकमत से नहीं हुए होंगे। संघमेव का प्रारम्भिक सूत्र यही से प्रारम्भ हो जाता है।

प्रथम संगीति का उल्लेख पुल्लवग्ग, दीपवंस, महावंस, सुमंगलविलासिनी, महाबोधिवंस, महावस्तु, मञ्जुभीमूलकल्प, तारानाथ का बौद्धधर्म का इतिहास, तथा चीनी संस्कृत ग्रन्थों—महीसासक, धर्मगुप्त, महासाङ्घिक, सर्वास्तिवादिन, काश्यपसंगीतिसूत्र, अशोककावदान, महाप्रज्ञापारमितासाह, परिनिर्वाणसूत्र और ध्यानसाण के रिकार्ड—में मिलता है।

१. महापरिनिर्वाणसुत्त, पी. २. ३.

२. महावंस, २-२

३५

जहाँ तक इस संगीति की प्राचीनता का प्रश्न है सर्वप्रथम १५८७ में स्वीडिश विद्वान् मिन्येक (Minsyck) ने अष्टमशताब्दी प्रमाणाँ का परीक्षण कर इस कठना को ऐतिहासिक कठना के रूप में स्वीकार किया<sup>१</sup>। थोलेन, बर्न ने १८६८ में इसका वर्णन किया और कहा कि प्रथम संगीति याच कल्पनायाच है क्योंकि महापरिनिष्वाणसुत्त में सुमद्र प्रकरण का कोई उल्लेख नहीं<sup>२</sup>। राकहिए ने सिक्की सुत्तों से प्रथम संगीति की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न किया।<sup>३</sup> परन्तु रिच डेनिकल्स<sup>४</sup> जैसे, 'सुकुमारवत्त'<sup>५</sup> भाषि विद्वानों ने ओपेन-वर्ग के मत का ही समर्थन किया।

ये सभी मत सुमद्र का उल्लेख महापरिनिष्वाणसुत्त में न होने पर आधारित हैं। वस्तुतः महापरिनिष्वाणसुत्त का सम्बन्ध बुद्ध के परिनिर्वाण की कठना के वर्णन करने से है, न कि बौद्धसंघ के इतिहास का विकसित करने से। यद्यपि विनय संघ से सम्बद्ध है अतः उसका उल्लेख होना चाहिए परन्तु इन जैसे भाष्यकार बनाकर नहीं बैठ सकते। अथवा दीपवंत और सिक्की सुत्ता में निर्दिष्ट प्रथम संगीति का वर्णन सुमद्र का उल्लेख न होने के कारण अस्वीकार्य ही अशक्यः। फिनाट (Finot) ने कुलवण के ग्यारहवें और बारहवें अध्याय को प्रक्षिप्तक बताया और यह कहा कि महापरिनिष्वाणसुत्त और कुलवण के ये दोनों अध्याय परस्पर सम्बद्ध होना चाहिए। इसके समर्थन में उन्होंने बूल सर्वास्तिवायियों के विनय 'संयुक्त वस्तु' का उल्लेख किया जहाँ परिनिर्वाण और संगीति, दोनों का उल्लेख उपलब्ध है।<sup>६</sup> ओवरगिलर,<sup>७</sup> पूर्ण,<sup>८</sup> प्रिन्सिपल<sup>९</sup> और वाकोबी<sup>१०</sup> ने

१. दी रिसर्च सर से बौद्धिज्ने, १८८७, रसियन से क्रिश्च में अनुवित, १९२४।

२. बुद्धिस्तिस्केन्नुविपण, ZDMG., १८६८, पृ. ६१३-६२४। प्रस्तावना (विनयपिटक), भाग १, पृ. २५-२६।

३. दी लाइफ आफ् दी बुद्ध, पृ. ७

४. दी बुद्धिस्ते सुत्ताच्, प्रस्तावना, SBE. भाग. ४०. पृ. १३।

५. J.p.T.S., १९०८, पृ. १-८०।

६. दी बुद्ध एण्ड फाइव भाषर सेन्धुरीक्-पु. १०२

७. दस, एन., अर्बो मोनास्टिक बुद्धिज्ण, भाग १, पृ. ३३७; IHQ Vili. पृ. २४१-६.

८. IHQ भाग. ८, पृ. ७८१-४।

९. से वाचविन, वि. पृ. २१३, २२३; इण्डियन एरिटेन्वेरी में उसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित, १९०८।

१०. से कौटिल्य व राकहिए।

११. ZDMG. भा. ३४, संव १८८०, पृ. ३५४।

भी इतिहास सम्बन्धन किया ।

संस्कृत संगीतों के आधार पर प्रथम संगीति की ऐतिहासिकता को स्वीकार करने-का साहस हम में नहीं है । और फिर गवापति एवं पुराण के कथनों में बुद्धत्वमयी की ऐतिहासिकता स्वयंसिद्ध है ।<sup>१२</sup>

संस्कृत संगीति में धम्म और विनय तथा सुमंगलविकासिणी ( निदान-कथा ) के अनुसार धम्मिस्स का भी संगायन हुआ था, यह स्वीकार करना सम्भव नहीं । पूर्वी ने इस संगीति की पातिमोक्ख<sup>१३</sup> असेम्बली कहा और नलिनान्त दत्त ने इसे कुछ विनय नियमों ( बुद्धानुसुद्धकानि सिक्खापदानि ) को विविधित करने के लिए आहुत परिषद् माना । दीपवंस और स्पष्ट वर्णन प्रस्तुत करता है । उसके अनुसार धान-ध, उपासि और कुछ अन्य सिद्ध्यों ने इस संगीति को सम्पन्न किया और धम्म और विनय का संगायन किया । यहाँ धम्म और विनय का सम्बन्ध कुछ थोड़े से मूलसुत्तों से होना चाहिए, न कि समूचे पालि विपिटक से ।

### द्वितीयसंगीति

अगवाद् बुद्ध के परिनिर्वाण के लगभग १०० वर्ष बाद ( बहससतपरिनिव्वुते मज्झति ) द्वितीय संगीति बंगाली में हुई । इसे 'सप्तसतिका' भी कहा गया है । इसके आयोजन की पृष्ठभूमि में कुछ भिक्षुओं द्वारा विनय-विपरीत आचरण-मार्ग का अभ्यास था । यज्ञ ने देखा कि तथाकथित बौद्ध भिक्षु सिंगिलोककप्प, द्वंगुल-कप्प, मामान्तरकप्प, आवात्तकप्प, अनुमतिकप्प, अचिदणकप्प, अमायत्तकप्प, जलोमीयान, अइसक मिसिदन और चात्तपरअत्तग्रहण इन दस वस्तुओं को स्वीकार करने लगे हैं । यह नियमविरुद्ध आचरण संघ को दूषित कर देगा । इस प्रकार के अपने विचार व्यक्त करने पर उसे परिसारणीयकम्म का दण्ड दिया गया । यज्ञ के प्रयत्न से रेवत येर की अध्यक्षता में यह संगीति बुलायी गई । यहाँ भिक्षुओं में दो दल स्पष्टतः खिन्नाई देने लगे—एक पाचीनिक जो दस-वस्तुओं के ग्रहण करने के पक्ष में थे और दूसरा पाकेय्यक जो इनके विपरीत था । संगीति ने दस वस्तुओं को ग्रहण करके विनय विपरीत माना । फलस्वरूप एक पृथक् ही महासंगीति का निर्माण हो गया ।<sup>१४</sup> विनीतदेव के अनुसार इस

१२. उपाध्याय, भरतविद्, पालि साहित्य का इतिहास, पृ. ८७-८८

१३. दोब्बये, अर्ली मोनास्टिक बुद्धिज्म, भा. १, पृ. ३३६ ।

१४. अर्ली मोनास्टिक बुद्धिज्म, भा. १ पृ. ३३६,

१५. दीपवंस, ५-३० में महासंगीति नाम है और महावंस, पृ. ६-४ में इसे महासाधिक कहा गया है ।

संगीति का मूल कारण सहादेव ( १३७ बुद्धिज्म ) द्वारा मान्य और कल्पित थी—सर्दियों में भी राज हो सकता है, उनमें अज्ञान बने रहने की सम्भावना है, वे संशयापन भी हो सकते हैं, दूसरे के द्वारा वे ज्ञान, प्रज्ञा भी कर सकते हैं और अज्ञानक या अज्ञानोन्मत्त से मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। सम्भव है, ये सहादेव सामान्यतः तथाकथित सर्दियों के अन्तर्ग में उठावी गई हूँ<sup>११</sup>।

द्वितीय संगीति का उल्लेख हमें कुल्लवग्ग—विनयपिटक दीपवंस, महावंस, समन्तपासादिका, ह्यूनसाङ्ग के पश्चिमी देशों के रिकार्ड, तिग्बती दुल्पा भाषि में मिलता है। थोड़ा-बहुत अन्तर होने के बावजूब से सभी उल्लेख कुल्लवग्ग पर आधारित हैं।

इस संगीति की ऐतिहासिकता अब निर्विवाद रूप से स्वीकृत हो चुकी है। कर्न ने पहले बुद्धिस्टिक स्टडीज में इसे कल्पनाजन्य माना पर बाद में मेम्बुल-प्राङ्ग बुद्धिज्म में उनका सन्देह दूर हो गया। प्रोल्डेनबर्ग ने इसे सर्वाधिक सत्य घटना कहा ( विनय पिटक, भूमिका, पृ. २६ )। इस समय तक बौद्ध संघ के पास विनय का कोई प्राकृतिक अवयव रहा होगा जिसके आधार पर इस संगीति में निर्णय लिये गये।

### तृतीय संगीति

बुद्ध के समय तक प्रातः-प्राते बौद्धधर्म अपेक्षाकृत सरल हो गया था। अनेक नियु अपने ही नाम से उपदेश देने लगे थे और मठाधीश बन गये थे। इस स्थिति में विनय नियमों में शैथिल्य आना और उपोसथ एवं पारख्या न होना स्वाभाविक था। अशोक ने यह आधारयुक्त सिद्धिकता दूर करने का यथासंभव प्रयास किया। तृतीय संगीति इसी भूमिका के साथ पाटलिपुत्र में योग-लिपुततिस्स धेर की अध्यक्षता में हुई थी। इसका उल्लेख दीपवंस, महावंस, समन्तपासादिका, तिग्बती दुल्पा और कुछ चीनी साहित्य में मिलता है। परन्तु कुल्लवग्ग और अशोक के शिलालेख इन विषय में मौन हैं।

मिनयेक, कीच, क्रन्के आदि विद्वानों ने इस संगीति की ऐतिहासिकता के विषय में सन्देह व्यक्त किया है क्योंकि कुल्लवग्ग जैसे प्राचीन ग्रन्थ में इसका उल्लेख भी नहीं। पर यह विचार अब किसी को मान्य नहीं। सम्भव है स्वधिरवादा निम्बुधों ने इसे अपनी ही संगीति मानकर उल्लेख करना आवश्यक न समझा हो। जहाँ तक अशोक के शिलालेखों में इसका उल्लेख न होने का प्रश्न है यह सही नहीं। अशोक ने संघ से कुछ निम्बुधों के निष्कासन की बात

१६. पालसन, "फाइव प्योइल थाफ महादेव एवट वी कनाचत्तु", JRAS,

१९१०, पृ. ४९३-२०; अर्ली बुद्धिज्म पृ., २६-२.

अपने शिलालिख में की है।<sup>१७</sup> मोगलियुत्ततिस्स की शैबिक महत्व देने के लिए भी संभवतः ब्रह्मिक ने इस विषय में स्वयं को बाहर रखा हो। संगीति का मुख्य उद्देश्य तत्काल में प्रचलित १७ सम्प्रदायों का निराकरण और स्वधिरवाद का प्रस्थापन था। मोगलियुत्ततिस्स ने कथावस्तु की रचना कर बहू काम पूरा किया। सम्भवतः अभिषम्मापिटक का संकलन इसी संगीति का परिणाम रहा हो। विदेशों में बौद्धधर्म के प्रचार के लिए भिक्षुओं को भेजे जाने का निश्चय करना इस संगीति की बड़ी भारी देव बौद्ध संस्कृति की सिद्ध हुई है।

### अन्य संगीतियाँ

इन तीन संगीतियों के अतिरिक्त अग्नि-भिक्षु समय पर कुछ और संगीतियाँ हुईं। ई०स० १०० में चतुर्थ संगीति कनिष्क ने बुलाई थी। सिंहल परम्परानुसार श्री लंका में तीव संगीतियाँ हुईं—प्रथम संगीति अरिद्रु धेर की अध्यक्षता में वेदान्तियतिस्स के काल ( २४७-२०७ ई. पू. ) में हुई। द्वितीय संगीति महाधेर रक्षित के तत्त्वावधान में बट्टगामिनि समय ( १०१-७७ ई. पू. ) के काल में हुई और तृतीय संगीति महाधेर हिककडुवे सिरि सुमंगल के सम्पापित्व में १८६५ ई० में हुई। इसी प्रकार थाइलेण्ड और बर्मा की भी कुछ अपनी परम्परायें हैं। पञ्चम संगीति जो माण्डले ( श्रीलंका ) में हुई उसका विशेष महत्व इसलिए है कि स्थायित्व की दृष्टि से समूचा पालि त्रिपिटक संगमरमर पत्थर पर उकेरा गया। और छठवीं संगीति बर्मी १६५४ में रंगून में हुई थी। इन सभी का उद्देश्य पालि त्रिपिटक का संरक्षण करना था।

### संघ प्रकार

बुद्ध ने प्राचीन परम्परानुसार अपने संघ का निर्माण किया और उसके चार भेद किये—उपासक, उपासिकायें, भिक्षु और भिक्षुणियाँ। यद्यपि उन्होंने विशेष ध्यान भिक्षु और भिक्षुणियों के बनाने में लगाया पर उपासकों को भी वे उद्बोधित करते हुए दिखाई देते हैं। तपस्सु और मल्लिक ऐसे ही उपासकों में अग्रण्य थे। बुद्ध मूलतः अपने धर्म को साधारण जन तक पहुँचाने के पक्ष में नहीं थे परन्तु ब्रह्मयाचना के परिणामस्वरूप वे इसके लिए संघार हो गये। इसी प्रकार वे पांसुकूलधीवर, सुवस्समूल सेनासन, पूतिमुत्तभेसज और पिण्डियालोप भोजन जैसे नियमों के निर्माण तथा बुद्ध विहारादि को धावास रूप में स्वीकार करते


<sup>१७</sup> कार्पस इन्सक्रिप्सन इन्डिबकेरम, भाग १, अंकसप्तमेड, १६२५. पृ. १६०

के लिए संवार नहीं थे। परन्तु जैसे जैसे संघ के अनुविचारकारों में बुद्धि होती गई, आत्मसम्पत्ता तत्पुरुष बढ़ती गई। फलतः- वेसुचन जैसे उद्धानों की बहुरूप किया गया और लौघ, विहार, प्रासाद, पुष्पा उद्धान आदि को निरास एवं ध्यान योग्य माना गया। इस सन्दर्भ में देवदत्त का आग्रह कठोर चर्चा के निर्धारण के लिए न चल सका। धानन्द के प्रयत्नों से भिक्षुणी संघ की भी स्थापना हो गई। पर कौशाब्धी भिक्षुओं का नियमों के प्रति भापति और अनापति तथा देवदत्त की नियमों के प्रति अवहेलना संभेद का प्रमुख कारण बनी।

### सम्प्रदाय

मगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद हुई तृतीय संगीतिमें उनके द्वारा प्रवेदित मूल बौद्धधर्म के खोजने का प्रयत्न हुआ और भी खोजा गया-निर्धारित किया गया उसे येरवाद की संज्ञा प्रदान कर दी गई। वेद १७ सम्प्रदायों की येरवाद या स्वविरवाद परम्परा के विपरीत चले हुए अष्ट सम्प्रदाय मानकर उनका खण्डन किया गया। वस्तुतः यह संभेद द्वितीय संगीति से अधिक स्पष्ट हो गया था और तृतीय संगीति तक भाते-भाते उनका लगभग पृथक् अस्तित्व ही सिद्ध हो गया। उनमें महासांघिक सम्प्रदाय येरवाद के विरुद्ध उचित सम्प्रदायों में प्रधान था। कयावत्सु की भट्टकथा और महावंस ( ५-४-१० ) में तत्कालीनी


### बुद्ध धर्म





सम्प्रदायों के नाम इस प्रकार दिये गये हैं—

इसके अतिरिक्त महावंस और वीरवंस में कुछ और सम्प्रदायों का उल्लेख मिलता है—हैमवत, राजगिरिक, सिद्धात्मक, पुण्डरीक, अपरसेनिक और बौधिरिक। कदाचित् अष्टकथा में उत्तरायणक, हेतुवादी, एवं वेतुलक का भी नाम आता है। निकाय संग्रह के अनुधार तृतीय संगीति के फलस्वरूप पृथक् किये गये सम्प्रदाय महासांघिक सम्प्रदाय के नेतृत्व में एक ही गये और वीरे-वीरे इन सम्प्रदायों में विभक्त हो गये। इनमें वेतुलक, अत्यक, और अन्य महासांघिक और छुड़ गये।



महासांख्यिक<sup>११</sup> ( बसुमिह संश्लेष ) में भी ये ही नाम हैं । मात्र अन्तर यह है कि उक्त सरलिका में बाहुलिक नाम दिया है जबकि यहाँ लोकोत्तरवादी लिखा है । आरिपुत्रपद्मिपुत्रसूत्र के अनुसार बुद्ध के परिनिर्वाण से द्वितीय शताब्दी में महासांख्यिक सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई, एवं उनसे एकव्यावहारिक, लोकोत्तरवादी, कौमुलिक, बहुश्रुतिक एवं प्रकृतवादी सम्प्रदाय निकले । निर्वाण से तृतीय शताब्दी में वात्सीपुत्रीय एवं सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय उदित हुए । वात्सीपुत्रीयों से भर्षोपक, भ्रम्यानिक, सम्मतीय, एवं वराणगरिक सम्प्रदायों का जन्म हुआ । सर्वास्तिवाद से महीसासक, धर्मगुप्तक एवं सुशर्वक निकाय निकले । स्वकिरीं से ही काश्यपीय एवं सूत्रवादी उत्पन्न हुए । संश्लेषिकों की उत्पत्ति स्वशिरवस्य के क्रोध से ही निर्वाणकी चतुर्थ शताब्दी में हुई ।<sup>१२</sup>

अथ की द्वितीय सूची में महासांख्यिक सम्प्रदाय की उत्तरकालीन स्थिति पर प्रकाश पड़ता है ।

अथ की प्रथम सूची काश्मीरक सर्वास्तिवादियों की परम्परा को और तृतीय सूची, सम्मतीय परम्परा को सूचित करती है । इन तीनों सूचियों में पर्याप्त मतभेद दिखाई देते हैं । महाव्युत्पत्ति में एक अन्य प्रकार का ही विभाजन मिलता है—<sup>१३</sup>

दीपवंस-महार्षस के अनुसार मूलनिकाय धेरवाद से महासांख्यिक की उत्पत्ति हुई । महासांख्यिक से एकव्यावहारिक, लोकोत्तरवादी, बाहुलिक, धर्मचैत्यवादी हुए, और धेरवाद ने महीसासक, वात्सीपुत्रीय (बसुमुत्तक), सर्वास्तिवादी, काश्यपीय, सांक्रांति, लोकोत्तरवादी, धर्मगुप्तिक, धर्मोत्तरीय, छान्नाहारिक, भ्रम्यानिक और सम्मतीय निकायों की उत्पत्ति हुई ।


११. राहुल सांकृत्यायन, अधिधर्मकोश, भूमिका, पृ. १, विषयपिटक, हिन्दी अनुवाद, भूमिका, पृ. १-२. बौद्धधर्म तथा अन्य भारतीय धर्म, भाग १ पृ. ३११,

२०. पाण्डेय, गोविन्दचन्द्र, बौद्धधर्म के विकास का इतिहास; पृ. १७७

२१. महाव्युत्पत्ति ( बसुमिह द्वारा सम्पादित ) पृ. २३४- बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, पृ. १३०

( ३४ )

बीड़ संघ




महाविहारवासी

जैतवनीय

अभयगिरिवासी

किन्तु तदेव नै संब-सम्प्रदायभेद के लक्षण में सर्वास्तिवादी परम्परा का उल्लेख किया है—<sup>२२</sup>

बीड़ संघ



डा० मोविन्द चन्द्र शर्मण्डेय ने बीड़ निकायों की बशाबली को काश्मीर का निर्देशन करते हुए उपसंहार किया है। साधारणतः उनका उपसंहार सर्वसंघ माना जा सकता है। वह इस प्रकार है—<sup>२३</sup>


२२. काशे, पृ. २०

२३. बीड़ धर्म के विकास का इतिहास, पृ. १७८.

बुद्धवाक्य (देवदत्त का प्रवचन)

(परिनिर्वाण, राक्षसद्वय की संकीर्ण, पञ्चमपीठ एवं पुराणों का सतभेद, वैशाली की संकीर्ण)

स्वधिरों की पश्चिमी शाखा-बुद्धाब्द २००



काश्यपीय  
(देवदत्त ?)

इस प्रकार वीज संघ के प्रमुख निम्नलिखित धार थे-महासांघिक, वात्सी-पुर्णव, स्वधिवराधी और सर्वास्तिवादी। सिद्धांतियों में देवदत्त (विमलवर्ष), महीसासक, आवन्तवादी, काश्यपीय, सीमान्तिक, सर्वोत्तरीय, महासांघिक, वात्सीयुजीय, सम्प्रदायीय, देवदत्त, महासांघिक, बहुसुजीय, वीत्यवादी, राजधिरिक,

सिद्धांतक, पूर्वशील और अपरशील निकायों का उत्सव आता है। इनमें स्थविरवाद और महासंघ निकाय अधिक महत्वपूर्ण हैं<sup>१४</sup>।

**स्थविरवाद**—बौद्धधर्म का यह सूल सम्प्रदाय है। बुद्ध परिनिर्वाण के लगभग २०० वर्ष बाद इस सम्प्रदाय से पुद्गलवादी वज्जिपुस्तक (वात्सीपुत्रीय) नाम की शाखा स्थापित हुई जिससे कालान्तर में धर्मोत्तरीय, भद्रपात्तीय, अश्वघोषिक एवं सम्मितीय नामक अन्य प्रशाखाओं ने जन्म लिया। इनमें सम्मितीय प्रशाखा अधिक विद्युत हुई। इस सम्प्रदाय के मुख्य केन्द्र कौशाम्बी, मथुरा एवं धवन्ती थे।

**महासंघ**—स्थविरवाद से सर्वप्रथम पृथक् होने वाला यह सम्प्रदाय माना जाता है। वैशाली संघसिद्धि के फलस्वरूप इसका जन्म हुआ। वैशाली और पाटलिपुत्र में इसके प्रारम्भिक केन्द्र थे। बाद में धान्ध्र में इसका पल्लवन हुआ। कालान्तर में इस सम्प्रदाय से कौबकुटिक, चैत्यवादी आदि सम्प्रदाय खड़े हुए। चैत्यवादियों से पूर्वशील, अपरशील, वैतुल्यक राजगिरिक और सिद्धार्थिक शाखाएँ जन्मीं। चैत्य के सम्दर्भ में मतभेद इस विभाजन का कारण रहा होगा। महासंघ को एक व्यावहारिक अथवा लोकोत्तरवाद भी कहते हैं। बुद्ध की लोकोत्तरता बोधिसत्व की कल्पना और धर्मदेव के अनुसार अर्हन्तु का स्वरूप महासंघ के प्रधान सिद्धांत है। त्रिपिटक के अतिरिक्त संयुक्तपिटक और चारिखीपिटक को भी ये सम्प्रदाय मानते हैं। महावस्तु इनका प्रधान ग्रन्थ है। यही सम्प्रदाय महायान का जन्मदाता है। भगव और धान्ध्र इसके विशेष महत्वपूर्ण केन्द्र रहे हैं।

**वात्सीपुत्रीय**—स्थविरवाद का यह तृतीय मुख्य सम्प्रदाय था जो बुद्ध परिनिर्वाण के लगभग दो सौ वर्ष बाद आवर्जित हुआ। बाद में इसी से सम्मितीय निकले। और सम्मितीयों में से आवन्तक और क्रुसकुल्लक सम्प्रदायों का जन्म हुआ। वात्सीपुत्रीय सम्प्रदाय से ही धर्मोत्तरीय भद्रपात्तीय और अश्वघोषिक परम्पराओं का उद्भव हुआ। कथावस्तु में इन सब सम्प्रदायों के दार्शनिक मतभेद मिलने हैं।

**सर्वास्तिवाद**—स्थविरवाद की यह चतुर्थ शाखा थी जिसकी उत्पत्ति वात्सीपुत्रीयों के बाद हुई। परम्परानुसार कनिष्क के काल में सर्वास्तिवादियों की संगीति हुई थी जिसमें अग्निधर्म महाभाषा का प्रणयन किया गया। विभाषा के अनुयायी ही वैभाषिक कहलाये। कालान्तर में वैभाषिक भी दो क़ेदों में विभक्त हो गये—कश्मीर वैभाषिक और वात्स्यायन वैभाषिक। सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय अग्निधर्म पिटक को विशेष रूप से मानता था।

मुद्राधिकारों के मानके वास्तव सम्प्रदाय, सीमाधिकार कहलाया । प्राचीन शास्त्रों में हीनवादी सम्प्रदायों में वैश्विक और तीव्रतात्मक सम्प्रदायों की ही कहीं पायी हैं । क्रमशः और यक्षुरा के वैश्विकों में ये प्रदर्शित करने के लिए कामगरी वैश्विकों को मूल अवधिवादी भी कहा गया ।

**महायान**

महायानिक सम्प्रदाय से संक्रमित होता हुआ बौद्ध धर्म महायान की सीमा तक पहुँचा । मन्वान बुद्ध के कल्पान्तिक धार्मिक काम को महायानिकों ने विमुक्त मान्य और उनके व्यक्तित्व को अज्ञोत्तर स्वीकार किया । भक्ति के प्रवाह के साथ-साथ बुद्ध की अलौकिकता, महापुरुषत्ववादी की विशेष रूपता बुद्ध संख्या, प्रतिभा लक्षण, बोधिसत्व की महात्म्य बुद्धि, पारमिता, प्राप्ति निकाम सिद्धान्त, लौकिक धर्मों में प्रकृतिमानस धार्मिक तत्त्वों में विकास होने लगा । संकीर्णता के दायरे से हटकर महायान ने वैश्विक विस्तृत दृष्टिकोण अपनाया । फलतः वे स्वयं महायानी कहलाने लगे और दूसरे को हीनयानी नाम दे दिया । गाबिन्द चन्द्र पाण्डेय ने महायान के इतिहास को तीनयुगों में निर्धारित किया है—( १ ) बीषकाल-तथागत की ८५० व से बौद्धत्वों तक, ( २ ) सूत्रकाल-ई०पू० प्रथम शताब्दी से ई० तृतीय शताब्दी तक, और ( ३ ) शास्त्रकाल-वाचार्जुन ने परवर्ती ।<sup>१४</sup>

महायान की दो शाखाएँ हुई—मध्यमिक ( मध्यवाद ) और योगाचार ( विज्ञानवाद ) । मध्यमिक शाखा के पुरस्कर्ता हैं बौद्धवादी धार्मिक नागार्जुन और योगाचार के प्रवर्तक हैं धर्माचार्य मञ्जुश्री । बसुबन्धु के शिष्य विज्ञानाचार्य के द्वारा संस्थापित दार्शनिक योगाचार शाखा ने भी इसके विकास में पर्याप्त योगदान दिया ।

**ताम्रिक महायान—**

कालान्तर में प्राचीन बौद्ध धर्मों के आचार पर ही बौद्ध धर्म में और भी विकास हुआ । आठानाटीययुग का भवनम्बन कर लौकिक प्रवृत्तियों बढ़ने लगी । महायानिकों में ही धारणीयिक की कल्पना ने और धार्मिकता में तृतीय धर्म-वक्रप्रवर्तन की माध्यम ने इन प्रवृत्तियों को धार्मिक धर्म में और भी सहायता दी । मनेय और असंग को विचारधारा ने उन्हें पल्लवित किया । बौद्धधर्म की यह स्थिति बहुत ही तृती तक रही । सात्वतलावली ( महायानधर्मग्रन्थ ) के अनुसार महायान की दो शाखाएँ हुई—पारशितामय और मन्त्रय । बाद में मन्त्रय से पञ्चयान, अक्षययान और लक्ष्मण सम्प्रदायों का विकास हुआ । कुछ

२५, बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, पृ. ६३२,

लोग तन्त्रयान से नागार्जुन का सम्बन्ध जोड़ते हैं। गुरु-शिव्य-परम्परा से यह तान्त्रिक साधना धर्मकीर्ति तक चली आयी। अतः लगभग सातवीं शती तक यह तन्त्र-साधना अपने रूप में बनी रही। पारमिताओं की प्राप्ति के लिए मन्त्रों और धारणियों का उपयोग इस समय किया जाता था। डॉ० विनयतोष के अनुसार तन्त्रयान को बढ़ाने में भार्यदेव का भी हाथ था।<sup>२१</sup> डॉ० विनयतोष भट्टाचार्य ने तान्त्रिक बौद्धधर्म से तन्त्रयान, मन्त्रयान, भद्रयान आदियानों का भी सम्बन्ध जोड़ा है। काजी इवा समदुप ने मन्त्रतम से क्रियातन्त्रयान, चर्या-तन्त्रयान और योगतन्त्रयान तथा योगतन्त्रयान से महायोगतन्त्रयान, अनुस्तरयोग-तन्त्रयान और अतियोगतन्त्रयानों का उद्भव बताया।<sup>२०</sup>

राहुल सांकृत्यायन के अनुसार उत्तरवर्ती महावान बौद्धधर्म मन्त्रयान के विकास का ही परिणाम है। उन्होंने इसे मन्त्रयान काल' के नाम से अभिहित किया है। उनके अनुसार विकासक्रम इस प्रकार है—<sup>२२</sup>

सूत्ररूप में मन्त्र — ई० पू० ४००—१०० ई०पू०	}	नरम गरम
धारिणी मन्त्र — ई० पू० १००—४०० ई०		
यन्त्र-मन्त्र — ई० ४००—७००		
वज्रयान— ई० ८००—१२००		

मन्त्रयान में मन्त्रों और धारणियों के माध्यम से निर्वाण पाने का निर्धारण है। परन्तु वज्रयान में इसके अतिरिक्त यन्त्र, मांस, मद्य और मैथुन का भी परिगणन किया है। बौद्धधर्म का यह विकृत रूप अत्यन्त विचित्र सिद्ध हुआ। उसका शाश्वत उपदेश था—प्राणतिपात करना, चोरी करना, परस्त्रीसेवन करना, असत्य बोलना।<sup>२३</sup> वहाँ साधना के निमित्त शक्ति की आवश्यकता बतायी गई। सामकारिक सिद्धियों के लिए मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, प्राकर्षण, शक्तिक आदि कर्मों का विधान किया गया। शुद्धसमाजतन्त्र वज्रयान का प्रमुख ग्रन्थ है।

इसके बाद सहजयान और कालचक्रयान जैसे कुछ और बीभत्स सम्प्रदाय खड़े हुए। इनमें निर्वाण प्राप्ति को और भी सहज बना दिया गया। योग के नाम पर इन सम्प्रदायों में दुराचरण असीमित हो गया। भारतीय संस्कृति इस कुत्सित आचार-विचार को सहन न कर सकी और फलतः बौद्धधर्म को समाप्त-प्राय हो जाना पड़ा।

२६. जर्नेस आफ रायलएशियाटिक सोहनदरी आफ बंगाल, १९१८ ई० भाग १.

पार्ट २, पृ० १७५-१८४

२७. तान्त्रिक बौद्धसाधना और साहित्य, पृ० १०४

२८. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १११

२९. उपाध्याय, नगेन्द्रनाथ, तान्त्रिक बौद्धसाधना और साहित्य, पृ० १११भावि ।

## बौद्ध साहित्य और आचार्य

### पालि साहित्य

वर्तमान बौद्ध साहित्य पालि, प्राकृत, संस्कृत, लिङ्गवतन, भाषबीज, सिंहवी, बर्मी आदि भाषाओं में उपलब्ध होता है। परन्तु भगवान् बुद्ध के प्राथमिक और प्रमाणिक उपदेश भगवद् प्रदेश की तात्कालिक जनन वा भाषाओं में ही प्राप्त होते हैं। इसी भाषा को कालान्तर में पालि कहा जाने लगा। यही पालि भाषा प्राकृत भाषा की प्राथमिक सीढ़ी है। हिन्दी, मराठी आदि आधुनिक आर्य भाषाएँ संस्कृत की अपेक्षा पालि भाषा प्राकृत भाषा के निकट अधिक हैं।

पालि साहित्य का विकास भगवान् बुद्ध के समय से लेकर ब्राम्हुनिक काल तक होता आया है। इस समूचे साहित्य में पिटक साहित्य का विशेष महत्त्व है। इसका संगायन राजगृह, वंशाली और पाटलिपुत्र में हुई संघीतियों में श्रुति परम्परा के आधार पर किया गया था। इसी संगायन के आधार पर ई. पू. २६-१७<sup>१</sup> में श्रीलंका के राजा अट्टगामाणि, समय ने उसे लिपिबद्ध कराया। इस बीच निम्न ही पिटक के मूल रूप में कुछ न कुछ परिवर्तन-परिवर्धन हुआ होगा। इसलिये कतिपय विद्वानों ने उसकी सार्थकता प्रामाणिकता में सन्देह व्यक्त किया है। जो भी हो, लिपिबद्ध होने के बाद तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा।

पिटक साहित्य मूलतः थेरवादी परम्परा का प्रतिनिधित्व करता<sup>२</sup> है। वह तीन भागों में विभक्त है—सुत्तपिटक, विनयपिटक और अभिधम्मपिटक। पिटक का तात्पर्य है पिटारी या परम्परा और सुत्त का तात्पर्य है सूत्र या वाचा। अर्थात् सुत्तपिटक का तात्पर्य है कि जैसे सूत्र का गोला फेंकने पर दूसरे के हाथ में वह उलझना हुआ चला जाता है उसी प्रकार महात्मा बुद्ध का धर्मोपदेश श्रुति-परम्परा से उनके शिष्य-प्रशिष्यों के साथ चला आया है। बुद्धबोध ने भी 'पिटकं पिटकत्थविदु परियत्तिभाजनत्थतो आहु' कहकर इसी आशय की पुष्टि की है।<sup>३</sup> आचार्य असम ने सुत्त का अर्थ 'सूचनात् सूत्रम्' के रूप में किया है। यह

१. दीपवत्स, २०. २०-२१; महावत्स, ३३. १००-१०१

२. त्रैपिटक संग्रहित साट्टकर्म सर्व्वं थेरवाद

३. पिटकं पिटकत्थविदु परियत्तिभाजनत्थतो आहु।

तेव संबोधेत्वा तयो पि विनयादयो वेदा ॥ अट्टसाहिनी, पृ० १५.



व्याख्या भी बुद्धबोध के कथन का मर्मथन करती है। संस्कृत में 'सूत्र' शब्द संतात्पर्य संक्षिप्त कथन से है। परन्तु यह वास्तव में सुत्तपिटक के सन्दर्भ में उपयुक्त नहीं। क्योंकि वहाँ कथन का विस्तार भी मिलता है और उसकी पुनरुक्ति भी। यहाँ 'सुत्त' का अर्थ 'सूक्त' अर्थात् 'अच्छी तरह से कहा गया' ग्रहण किया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा।

सुत्तपिटक का विषय भगवान् के उपदेशों का संग्रह करना मात्र है। यहाँ भगवान् कहीं स्वयं उपदेश देते हैं, कहीं सारिपुत्र, मीद्गल्यायन या भानन्द जैसे बहिष्कृत शिष्यों को उपदेश देने का आदेश देते हैं और कहीं उपासक विषय का अनुमोदन करते हैं। इस प्रकार बुद्धत्व प्राप्ति से लेकर निर्वाण-प्राप्ति तक के ४५ वर्षों के भ्रमणकाल की जीवनवर्षा का विवरण सुत्तपिटक में मिलता है। इसी सन्दर्भ में तत्कालीन भारतीय संस्कृति का विवरण भी उपस्थित किया गया है।

सुत्तपिटक सुत्तों में विभक्त है। इसमें गद्य और पद्य दोनों मिलते हैं। इसलिये इस पारि साहित्य का चम्पू काव्य कहा जा सकता है। प्रायः अन्येक सुत्त यह स्पष्ट करता जाता है कि उपदेश कहाँ और किसके द्वारा किया गया है। उपदेश समाप्त होने के बाद श्रोता अथवा प्रश्नकर्ता अपने कृतज्ञतापूर्ण उक्त्यां व्यक्त करता है और साथ ही भगवान् बुद्ध की शरण में और उनके धर्म तथा संघ की शरण में जाने का भी संकल्प करता है।

भगवान् बुद्ध परम मनोवैज्ञानिक थे। वे उपदेश देने के प्रसंग में अपने श्रोता अथवा शिष्य की शक्ति का अवश्य ध्यान रखते थे। सुत्तपिटक के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध सबसे पहले दान, शील व सदाचार सम्बन्धी उपदेश देते थे और उसके बाद ही उपमा, उदाहरणपूर्वक चतुरार्यसत्य, प्रतीत्यसमुत्पाद व आत्मा आदि जैसे गम्भीर विषयों का विवेचन करते, बुद्धतर मठावलम्बी से संलाप करते समय पहले उनके सिद्धान्त को प्रस्तुत करते, बाद में उसकी समालोचना करते और फिर श्रोता की अभ्यर्थना पर उसे धर्मोपदेश देते। यह उनका उपदेश कीमत्य था।

इस प्रकार सुत्तपिटक में जहाँ पुनरुक्ति, संवाद और उपमाएँ मिलती हैं वहाँ संख्यात्मक परिगणन, इतिहास व संस्कृति तथा नाटकीय गतिशीलता का भी प्रयोग दिखाई देता है।

सुत्तपिटक पाँच भागों में विभक्त है—दोषनिकाय, मज्झिमनिकाय, संयुत्तनिकाय, अंगुत्तरनिकाय और बुद्धकनिकाय। सर्वास्तिवादी सुत्तपिटक में निकाय

के श्रमण पर आगम शब्द का अर्थ मिलता है। दीर्घनिकाय तीन भागों में विभक्त है—सीलकखम्ब, महावग्ग और पथेय या पाटिकखम्ब। इन तीनों भागों में कुल मिलाकर १४ सुत्त हैं। दीर्घनिकाय में अपेक्षाकृत सन्ने सुत्तों का चयन किया गया है परन्तु वहाँ कालक्रम का ध्यान नहीं रखा गया। सीलकखम्ब में सील, समाधि और ब्रह्मा सम्बन्धी उपदेश हैं। महावग्ग और पथिकखम्ब में भगवान् बुद्ध की जीवनकथा तथा उसके सिद्धान्तों का विस्तार है।

दीर्घनिकाय का ब्रह्मबालसुत्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें बुद्धकालीन वासठ प्रकार के दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है। इन सिद्धान्तों को वहाँ मिच्छादिट्ठि की संज्ञा दी गई है। जैनागमों में प्रायः इन्हीं सिद्धान्तों की संख्या ३६३ बताई गई है। इसी सुत्त में प्रसङ्गवश तात्कालिक सामाजिक जीवन का भी सुन्दर चित्रण किया गया है। जीवनयापन के साधन, धामोद-प्रमोद के प्रकार, सौन्दर्य सामग्री, युद्ध के प्रकार आदि विषयों का अच्छा वर्णन मिलता है। समञ्जफलसुत्त में बुद्धकालीन छह तीर्थंकरों के अनुसार पाप-पुण्य का रूप प्रस्तुत किया गया है। ये छह तीर्थंकर हैं— पूर्य काश्यप, मन्दिस्सलि गोसाल, अजितकेस कम्बलि, पकुघकम्भायन, निगण्ठनातपुत्त और संजय-बेलट्टिपुत्त। अम्भट्टसुत्त में जातिवाद के विरुद्ध भगवान् ने मन्तव्य रखा है। वहाँ कहा गया है कि जातिवाद, गोत्रवाद, मानववाद और भावाह विवाह के बन्धन छोड़कर ही अनुपम विद्या और आचरण की सम्पदा का साक्ष्यकार किया जाता है।

स्त्वियो सेट्ठी जनेतस्सि ये गोत्तपटिसारिनो ।

विद्याचरणसम्पन्नो सो सेट्ठो देवमानुसे ॥

सोण्डरंड और कूटदन्त आदि सुत्तों में ब्राह्मण वर्ग के आचार-विचार की आलोचना की गई है। सीहनाद, पाटिक, महापरिनिम्बाण, संघीति आदि सुत्तों में निगण्ठ नातपुत्त के सिद्धान्तों की पर्यालोचना मिलती है। पोट्टपाद, केवट्ट आदि सुत्त पञ्चस्कन्ध के विवेचन की दृष्टि से और महापरिनिम्बाण, महापदान आदि सुत्त भगवान् बुद्ध की जीवन घटनाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं। महा-गोविन्दसुत्त दार्शनिक भ्रूण की दिशा में अधिक महत्वपूर्ण है।

अधिकम निकाय में अष्टम आकार के सुत्त संग्रहीत हैं। यह निकाय सांस्कृतिक सामग्री के भरपूर है। बौद्ध सिद्धान्तों की दृष्टि से तो इसे महापञ्चित्यरत्न सांस्कृत्यायन के शब्दों में "बुद्धवचनानुत्त" कहा जा सकता है। इस निकाय में १५ वग्ग हैं, जिनमें कुल मिलाकर १५२ सुत्त हैं। इनमें बौद्धिक व जैन सिद्धान्तों की पर्यालोचना करते हुए बौद्ध सिद्धान्तों की अधिकधिक स्पष्ट करने

का प्रकाश किया गया है। इन्हीं प्रसङ्गों में भौगोलिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक सामग्री भी प्रस्तुत की गई है।

संयुक्त निकाय में छोटे-बड़े सभी प्रकार के सुतों का संकलन है। ये ५ वर्गों में विभक्त हैं—सगाधवग्ग, निदानवग्ग, खन्धवग्ग, सहायतनवग्ग और महावग्ग। इनमें कुल ५६ संयुक्त हैं। यहाँ कोसलराज प्रसेनजित् का मगधराज अजातशत्रु के साथ युद्ध, विवाह व भेंट प्रादि का वर्णन है। इसके अतिरिक्त लिच्छवि, कोलिय आदि राजाओं के भी प्रसङ्ग मिलते हैं। वैशाली, राजगृह, साकेत, चम्पा आदि नगरों तथा मगध, कोसल, काशी आदि प्रदेशों का भी पर्याप्त वर्णन मिलता है।

अनुत्तर निकाय संख्यात्मक शैली में संकलित है। इसमें ११ निपात हैं और १६९ वचन हैं। हर निपात किसी एक ही संख्या विशेष से सम्बन्धित रहता है। जैसे एकक या दुकनिपात में इन्हीं वस्तुओं का विवेचन किया जायगा जो एक या दो संख्या से ही सम्बन्धित होंगी। सांस्कृतिक सामग्री की दृष्टि से तो यह निकाय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। शैली की दृष्टि से इस निकाय की तुलना जैनो के ठाणांग नामक भागम से की जा सकती है।

खुद्क निकाय छोटे-छोटे ग्रन्थों की सामुदायिक संग्रह है। भाषा, शैली और विषय की दृष्टि से यहाँ विविधरूपता दिखाई देती है। इन निकाय में बुद्धबोध के अनुसार १५ ग्रन्थ सम्मिलित है—खुद्कपाठ, धम्मपद, उदान, इतिवृत्तक, सुत्तनिपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, निहंस, पटिसंभदाभग्ग, अपदान, बुद्धवंस और चरयापिटक। सुमङ्गलविलासिणी की निदानकथा में बुद्धबोध ने एक अन्य परम्परा का भी उल्लेख किया है जिसके अनुसार खुद्कनिकाय अग्निधम्मपिटक के अन्तर्गत माना गया है। इस प्रकार और पारस्परिक विराधी परम्पराएँ मिलती हैं जिनमें कुछ परम्पराएँ खुद्कनिकाय के कतिपय ग्रंथों को प्रामाणिक नहीं मानती।

इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि खुद्कनिकाय प्रथम चार निकायों के बाद का संग्रह है। भाषा, शैली और भावों की दृष्टि से भी वह बाद का ही सिद्ध होता है। विवेकवाद की अपेक्षा यहाँ काव्यात्मक तत्व अधिक हैं।

खुद्कनिकाय के कुछ ग्रन्थ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। जैसे धम्मपद नैतिक उपदेशों का इतना सुन्दर संग्रह है कि उसे बीड़ों की गीता कहकर पुकारा गया है। शायद इसीलिये प्रत्येक बीड़ भिक्षु को इसे कथ्यस्थ करना अनिवार्य बताया गया है। थेर गाथा एवं थेरीगाथा क्रमशः बीड़कावीन भिक्षु एवं भिक्षुणियों के जीवन की अनुसूतियों के पक्षबद्ध संस्मरण हैं। जातक अगवान् बुद्ध की बोधसत्त्व अत्रत्या सम्बन्धी अन्तकथाओं का संकलन है।

इस प्रकार सुस्तपिटक पाणि संहित्य का एक महत्त्वपूर्ण सामुदायिक ग्रन्थ है जिसमें बुद्धकाकीन धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौतिक और भाषावैज्ञानिक अथवा सामग्री विखरी पड़ी हुई है। इसके ग्रन्थों का अभी तक हिन्दी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में अनुवाद तो अवश्य हुआ है परन्तु विशेष अध्ययन की दृष्टि से अभी भी ये अछूने से ही हैं। यदि सांस्कृतिक परिवेश में इनका अध्ययन गम्भीरतापूर्वक किया जाय तो निःसन्देह उस क्षेत्र में कुछ नये मानदंड उपस्थित किये जा सकते हैं।

### विनय पिटक

सुस्तपिटक के समान ही विनयपिटक प्रथम-द्वितीय संगीतियों का परिणाम है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए यह एक संविधान है। महाकाव्यिक ने इसे निर्वाण साक्षात्कार के लिए एकाग्रता का मार्ग माना है। इसे धम्म और विनय का एक समन्वित रूप कहा जा सकता है। धारम में विनय की अधिक आवश्यकता प्रतीत नहीं की गई। परन्तु सच का जैसे-जैसे विकास हुआ, स्वच्छन्दवादी भिक्षुओं के आचरण की संयमित करने के लिए विनय का यथार्थ निर्धारण किया जाने लगा। सरभंग पूर्वकाल में सरकारों को कुटी निर्मित कर रहता था पर गौतम द्वारा नियमों का विधान किये जाने पर उसने यह काम बन्द कर दिया।<sup>४</sup> विनय के विकास का यह साक्षात् उदाहरण है। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद तो यही विनय भिक्षु वर्ग को दायद बन गया।

विनय पिटक का अभिधेय भिक्षु-भिक्षुणियों के नैतिक और आचारगत विधानों की संरचना करना है। प्रणय्या, प्रोषण, वर्षावास, प्रवारणा, उपोसथ, भोजन, चीवर, उपसम्पदा, विहारनिर्माण, प्रसासन, आदि विषयों पर प्रामाणिक विवेचन यहाँ उपलब्ध होता है।

विनयपिटक को तीन भागों में विभक्त किया गया है—सुस्तविभंग- (पाराजिक और पाचिस्थि), सन्धक (महावग्ग और चुल्लवग्ग), और परिवार। सुस्तविभंग में अपराध और उनके प्रायश्चित्त-प्रकारों का वर्णन है। अपराधों की संख्या २२७ बतायी गई है—चार पाराजिक, (मैथुन, चोरी, आत्महत्या और लामेच्छा), तेरह सँघादिसेस (कीर्यनास, स्त्री का स्पर्श-जातलाप; आकर्षण-विवाह करना, विहारनिर्माण, संभोगादि), दो अनियतधम्म, तीस्रनिर्णय पाचिस्थि धम्म (अपराध की स्वीकृति पूर्वक प्रायश्चित्त और वस्तु-परित्याग), चानवे पाचि-

४. न मटहं कम्पते अन्नं सरे हृत्वेहि अजिउत्तुं।

सिक्खापथा नो पञ्जसा, धोतमेन यसस्सिना ॥ केरयाथा, ४८८-६३.

स्तिय धम्म (प्रायश्चित्त), चार पटिदेसनिय धम्म (अतिदेसना), पचहत्तर सेक्किय-धम्म (बाह्यशिक्षाचार) और सात अम्बिकरसुसमयधम्म (संयुक्त विचार आन्ति के उपाय) ।

खम्बक के महावग्ग में बुद्ध की यात्रा, शिष्यउपाध्याय के कर्तव्य, उपसम्भवा, प्रवज्या, उपोसथ, वर्षावाम, प्रवारणा, भेषज्य, स्वेदकर्म, आहार, चीवर, उपासह आदि का वर्णन है और जुल्लवग्ग तर्जनीयकर्म, नियस्सकर्म, प्रजाजनीयकर्म, प्र तमारणीयकर्म, उल्लेपणीयकर्म, पारिवासिक कर्म, शुद्ध्यामदबुद्ध, विनय, बल्ल, बाह्यालंकार, विहार, आवास, प्रशासन, प्रातिमोक्ष और प्रथम-द्वितीय संगीति का मनोगम विवेचन प्रस्तुत करता है ।

परिवार विनयपिटक का अन्तिम भाग है जिसे इल्हेक्स कहा जा सकता है । १६ परिच्छेदों में सम्पूर्ण विनय पिटक की सामग्री समास रूप में संकलित करनेका यहाँ सफल प्रयास दिखाई देता है । भाषा और शैली से इसे प्रशंसित माना जाना चाहिए । प्रथम परिच्छेद में लिखित "विनयं दीपे पकासेतु पिटकं तम्भपरिणया" से भी यह स्पष्ट है कि परिवार का लेखन श्रीलङ्का में उत्तरकाल में हुआ होगा ।

उक्त समूचे विनय से यह स्पष्ट है कि भगवान् का उद्देश्य भिक्षु को एक अ दर्श साधक बनाना था और उस साधक की साधना मानवीय तत्त्व की प्रतिष्ठा में जुटी हुई थी । बुद्ध को यह भी परिज्ञान था कि समयानुसार परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा और भिक्षुवर्ग को उनसे संघर्ष कर जीवन-पथ का निर्माण करना पड़ेगा । शायद इसीलिए उन्होंने साधक को 'शुद्रानुशुद्र' नियम छोड़ देने का भी आदेश दे दिया था । इसका तात्पर्य यह नहीं कि भिक्षु असंयमित जीवन व्यतीत करे । उसका मानसिक और व्यावहारिक संयम तो सर्वैव जायत रहना ही चाहिए । साधु की मर्यादा उसका आभूषण है ।

विनयपिटक मात्र विनय का संग्रह नहीं । उसमें तत्कालीन भारतीय संस्कृति के अनेक मनोरंजन पहलू भी उपलब्ध होते हैं । विनय के विकास के साथ-साथ साधु-जीवन की विकृत स्थिति का परिचय तो मिलता ही है साथ ही इसमें बौद्धोत्तर सम्प्रदायों के विनय नियम, आभूषण, केश, कपी, दर्पण, बल्ल, विहार निर्माण, विविध रंग, उपासह आदि का भी सुन्दर वर्णन दिया गया है । इस प्रकार विनय पिटक वहीं बौद्ध संस्कृति का उद्घाटन करता है वहीं वह तत्सम्बन्धित भारतीय संस्कृति के अनेक अर्थ्याओं को भी प्रस्तुत करता चलता है ।

### अभिधम्मपिटक

अभिधम्मपिटक बौद्धपिटक का तृतीय भाग है जो जनसाधारण के लिए नहीं किन्तु एक विशिष्ट बुद्धिवादी वर्ग के लिए संग्राह्य है । परम्परानुसार अभिधम्म

के प्रमुख श्रोता सारिपुत्र थे। शायद इसीलिए उन्हें प्रधान शिष्य के रूप में भी स्वीकार किया गया है। धर्म और विनय का संग्रहण तो प्रथम-द्वितीय संगीति में ही हुआ था परन्तु अभिषम्भ तृतीय संगीति का ही परिणाम है, यह सुनिश्चित है। अतः इसकी रचनाकाल श्रमिक के समय से लेकर २१ ई०पू० में बट्टनामणिक के समय तक निर्धारित किया जाना चाहिए। बुद्धबोध ने निदान कथा में अभिषम्भ की वरम्परा का उल्लेख किया है।<sup>५</sup>

अभिषम्भ सात ग्रन्थों का समुदाय है—धम्मसंगणिक, विभंग, धातुकथा, पुग्गलपञ्चसत्ति, कथावत्थु, यमक और पट्टान। मिलिन्दपञ्च में भी यहाँ वर्गीकरण मिलता है। डॉ० लाहा के अनुसार इनका कालक्रम इस प्रकार होना चाहिए—पुग्गलपञ्चसत्ति, विभंग, धम्मसंगणिक, धातुकथा, यमक, पट्टान और कथावत्थु। पर डॉ० मेरत सिंह उपाध्याय इसमें कुछ परिवर्तन करने के पक्ष में हैं। वे धम्मसंगणिक को विभंग के पूर्व निर्मित ग्रन्थ मानते हैं।<sup>६</sup> यह सर्वसंगत भी लगता है। चूँकि विभंग का विस्तृत विवेचन धम्मसंगणिक में मिलता है। अतः उसे पूर्ववर्ती ग्रन्थ ही माना जाना चाहिए।

पुग्गलपञ्चसत्ति में पुग्गल अर्थात् व्यक्ति के विषय में विविध रूप से प्रज्ञप्ति प्रस्तुत की गई है। एक से लेकर दस प्रकार तक के व्यक्तियों का वर्गीकरण किया गया है। यह वर्णन अंगुत्तर निकाय से सम्बद्ध-सा प्रतीत होता है अतः पुग्गलपञ्चसत्ति का सम्बन्ध अभिषम्भ पिटक-से अधिक दिखलाई नहीं देता।

विभंग में धर्मों का विभाजन खन्ध आदि अठारह विशेष आचार्यों पर आधारित है—खन्ध, आयतन, धातु, सच्च, इन्द्रिय, पञ्चधाकार, सतिपट्टान, सम्मपधान, इन्द्रियाद, बोधक, मग्ग, भ्रान्त, अप्यमञ्ज, तिक्कापद, पटिसम्भवा, वाण, खुहकवत्थु और धम्महृदय। प्रायः इन सभी विभागों का प्रस्तुताकरण सुत्तापटक अभिषम्भ और पञ्चपुच्छक ( प्रश्नात्मक ) शैली के आधार पर किया गया है।

धम्मसंगणिक अभिषम्भपिटक का प्रतिष्ठापक ग्रन्थ कहा जा सकता है। उसमें नैतिक और मानसिक जगत् का सुन्दर विश्लेषण सन्निहित है। यह विश्लेषण निकाय और सुक्तों के १२२ वर्गों में वर्गीकृत है। यहाँ मूलतः चित्त के ८६ प्रकारों को कुशल, अकुशल और अव्याकृत इन तीन प्रकारों में गुम्फित किया है। शैली नैतिक और मनोवैज्ञानिक है। पारिभाषिक शब्दों का आधिक्य ही ज्ञान के कारण यह गणनात्मक पद्धति एक साधारण विद्यार्थी को हृदय-

५. हिन्दू आर्क पालि लिटरेचर, भाग १, पृ० २६

६. पालि साहित्य का इतिहास, पृ० ३८१

ग्राह्य अवश्य नहीं ही पाती पर भावों अवयव कर्मों का जो सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है वह मनोहारी अवश्य है। मातृकार्यें इसकी देन हैं।

**आत्मकथा** विभंग का विस्तरलीकरण है। उसमें विभंग के स्कन्ध, आयतन और वास्तु इन तीन विभंगों को लेकर ११४ कर्मों का विवेचन किया गया है— ५ स्कन्ध, १२ आयतन १८ वास्तु, ४ सत्य, २२ इन्द्रियां, प्रतीक्ष्य समुत्पाद, ४ स्मृति प्रस्थान, ४ सम्यक् प्रधान, ४ अह्निपाद, ४ ध्यान, ४ अपरिभ्राय, ५ इन्द्रिय, ५ बल, ७ बौध्यंग, = अष्टाङ्गिकमार्ग के अंग—स्पर्श, वेदना, संज्ञा, चेतना, चित्त, अभिभोक्ष और मनस्कार। ये धर्म कित्त विभंग में संगहित, असंगहित, सम्प्रयुक्त, विप्रयुक्त आदि रूप से गणित हैं। इसका विवरण १४ अध्यायों में किया गया है। शैली प्रवनात्मक है।

**यमक अभिधम्म** पिटक का एक पारिभाषिक शब्दकोश है। जैसा शब्द से स्पष्ट है, इस ग्रन्थ में प्रश्नों को युगल रूप से प्रस्तुत किया गया है। उदाहरणार्थ—क्या समस्त कुशल धर्म कुशल मूल हैं? क्या समस्त कुशल-मूल कुशल-धर्म हैं? इस प्रकार के प्रश्नों को १० अध्यायों में नियोजित किया गया है—मूल, गन्ध, आयतन, वास्तु, मज्ज, संसार, अनुसय, चित्त, धम्म इन्द्रिय और यमक। ये अध्याय प्रायः तीन बातों पर विचार करते हैं—पचन्ति पवन्ति और परिञ्जा। यह भी प्रवनात्मक शैली में रचा गया है।

**पट्टान अभिधम्म** पिटक का दुवैध कवच है। बौद्धदर्शन का मूल सिद्धान्त प्रतीत्यसमुत्पाद इसका विवेच्य विषय है। पट्टान शायद प्रत्यय के अर्थ में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। ये प्रत्यय २४ हैं—हेतु, धारंभण, अभिपत्ति, धनन्तर, समनन्तर, सहजात, अञ्जमञ्ज, निस्सय, उपनिस्सय, पुरेजात, पच्छाञ्जात, धसेवन, कम्म, विपाक, आहार, इन्द्रिय, ध्यान, मग, सम्पयुक्त, विप्ययुक्त, अत्थि, नत्थि, विगत और अविगत। बृहदाकार होने के कारण इसे महाप्रकरण भी कहा गया है। दार्शनिक दृष्टि से यह ग्रन्थ बहुत महत्त्वपूर्ण है।

**कथावत्थु**—असोक के संरक्षण में श्रीर मोग्गलिपुत्त तिस्स स्वविर के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में हुई तृतीय संगीति का परिणाम है। इसमें तत्कालीन प्रचलित बौद्धधर्म के अठारह सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का विवेचन मिलता है। भद्रयानिक, महाशासक, वास्तीपुत्रीय, सर्वास्तिवादी, सम्मितिय, बन्धिपुत्तक, महासांघिक, गोकुलिक, अम्बक, अपरशैलीय, पूर्वशैलीय, राजगिरिक, सिद्धार्थिक वंपुत्थ, उत्तरापथक और हेतुवाचियों के सिद्धान्तों को यहाँ पूर्वपक्ष के रूप में रखकर स्वविरवादी दृष्टिकोण से ऊपर विचार किया गया है। कथावत्थु के मूलभाग में इन सम्प्रदायों का नामोल्लेख नहीं मिलता। इस कमी की पूर्ति उसकी अट्टकथा ने कर दी है। बाईस अध्यायों में विभक्त २१६ मतवादी के

आधार पर डा० भरतसिंह उपाध्याय ने बौद्धदर्शन के ऐतिहासिक विकास की प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार यह क्रमिक विकास इस प्रकार हो सकता है—वज्रिपुस्तक, महिसासक, महासांघिक, गोकुलिक, सम्मत्ति-बादी, सम्मत्तिय, मज्झानिक, कस्सपिक, हेतुवादी, उत्तरापथक, अन्वक, पुञ्ज-सेलिय, अपरसेलिय, राजगिरिक, सिद्धत्तिक, वेतुल्यक, महाधम्मसावादी और वेतुल्यक।”

### त्रिपिटक का विकास—

मगधात् बुद्ध द्वारा प्रवेक्षित उपदेशों के सकलन का प्रथम प्रयास राजगृह की प्रथम संगीति में किया गया था। संभव है, इसमें मूलभूत सिद्धान्तों पर किसी तरह भिन्न एकमत हो गये हैं। परन्तु बुद्ध-परिनिर्वाण के लगभग १०० वर्ष बाद संवत्सेद स्पष्ट हो गया। द्वितीय संगीति में सुत्तपिटक और विनयपिटक का संग्रहण हुआ होगा। अभिधम्मपिटक तो निश्चित ही अशोक के काल का है। कुछ भाग उसके पश्चात् भी प्रसिद्धांश रूप में यदि जोड़ दिया गया हो तो कोई असम्भव नहीं। सिंहली परम्परा के अनुसार वज्रिपुस्तकी ने द्वितीय संगीति में अभिधम्मपिटक के साथ-साथ पटिसंविदा, निह्सेस, पञ्चमनिकाय का कुछ अंश और परिवार को अमान्य घोषित कर दिया था।<sup>७</sup> यह तथ्य है कि ये सभी ग्रन्थ उत्तरकालीन हैं। अशोक के शिलालेखों में भी पिटक के कुछ भागों का उल्लेख मिलता है। भास्कर अभिलेख में सात धम्मपल्लियायों की गणना उपलब्ध होती है—विनय समुत्तसे, अलिववसान, अनायतभ्यानि, मुनिमाणा, मानेयसुत्त, उपतिसपसने और लाधुलोवादि। सभी और भरहुत के अभिलेखों में भिक्षुओं के विशेषण के रूप में सुत्तन्तिक, पेटकी, धम्मकविक, पञ्चनेकायिक, भाणक आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। भरहुत स्तूप में विदु, भिग, हंस, विडल आदि जातक कथाओं के नाम भी मिलते हैं। ये सभी भाग पिटक में किसी न किसी रूप में संकलित हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि लगभग ई०पू० तृतीय शताब्दी में सुत्तपिटक और विनय पिटक के कुछ अंश स्थिर हो चुके होंगे और अभिधम्म पिटक निर्माण-पथ पर रहा होगा। ई० पू० प्रथम सदी में तो समूचा त्रिपिटक सिंहल में बट्टगामणि के शासन-काल में लिपिबद्ध हो चुका था। परम्परानुसार कुछ अट्टकथायें भी तबतक संकलित हो चुकी थी। अतः यह कहा जा सकता है कि इस समय तक त्रिपिटक उसी रूप में लिपिबद्ध हुआ था जिस रूप में आज उपलब्ध है। वर्धमान कुछ परस्पर-विरोधी और कालक्रम-

७. ज्ञानाशिलोकः पाण्डु मू दि अभिधम्मपिटक, पृ. ३८.

८. कौष, ए०वी०, बुद्धिस्ट किलोसांफ्री, पृ० २३



विरहित प्रसंग यहाँ दिखाई देते हैं पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि समूचा त्रिपिटक ही व्यर्थ है। यह सम्भव है कि ई०पू० प्रथम शती तक उसमें परिवर्तन-परिवर्धन होते रहे हों, जो स्वाभाविक है। पर एक बार लिपिबद्ध होने के बाद उसमें परिवर्तन का अवकाश नहीं मिलता। अतः जो त्रिपिटक आज हमारे पास है वह अधिकोश रूप में ई०पू० प्रथम शती का तो निश्चित ही है।

यह समूचा त्रिपिटक बेरवादा परम्परा में नव अङ्गों में श्री विम्बजित बा— मुत्त, गेय्य, बेग्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तक, आलक, अम्भुतधम्म और वेदल्ल'। बेरगाथा में एक अन्य प्रकार से भी पिटक के विभाजित का संकेत किया गया है। वहाँ बताया गया है कि आनन्द ने ८२०० हजार उपदेश भगवान् बुद्ध से सीखे और दो हजार उपदेश लंघ से सीखे।<sup>१०</sup> सम्भव है, यह गणना भू-बुद्ध के समस्त उपदेशों की संख्या की ओर इङ्कित करती हो।

त्रिपिटक के विकास के सन्दर्भ में अनेक विद्वानों ने अपने अभिमत प्रस्थापित किये हैं। उनमें डॉ० विमलाचरण ला का मत उल्लेखनीय है। उन्होंने त्रिपिटक को निम्नलिखित कालक्रम में व्यवस्थित किया है।<sup>११</sup>

१. प्रथम युग	—	४८३ ई पू० से ३८३ ई०पू०
२. द्वितीय युग	—	३८३ ई०पू० से २६५ ई०पू०
३. तृतीय युग	—	२६५ ई०पू० से २३० ई०पू०
४. चतुर्थ युग	—	२३० ई०पू० से ८० ई०पू०
५. पञ्चम युग	—	८० ई०पू० से २० ई०पू०

यह कालक्रम त्रिपिटक के लिपिबद्ध होने तक के साहित्य का है। डॉ० रायज डेविड्स ने यह विकास इस प्रकार दिखाया है—<sup>१२</sup>

१. समस्त त्रिपिटक में समान रूप से पाये जाने वाले बुद्धवचन
२. त्रिपिटक के दो-तीन ग्रन्थों में ही पाये जाने वाले बुद्धवचन
३. सील, पारायण, अट्टकवग्ग, पातिमोक्ख
४. दीघ, मज्झिम, अङ्गुत्तर और संयुक्त निकाय,
५. सुत्तनिपात, बेरगाथा, बेरीगाथा, उदान, बुद्धकपाठ,

६. मज्झिमनिकाय, अङ्गगद्दूम सुत्तन्त, मिलिन्दपञ्च, बहिरकथा; दीपवंस  
४.१५।

१०. बेरगाथा, १७.३-१०२७।

११. हिस्ट्री आफ पालि लिटरेचर, भाग १, पृ० १२-१३

१२. बुद्धिस्ट इन्डिया, पृ० १२१-२

६. सुतविभंग, अम्बक
७. चातक, अम्बपद
८. निहंस, इतिवृत्तक, पटिसम्भवा
९. पेतवत्थु, विमानवत्थु, अपदान, चरियापिटक, बुद्धवंश
१०. अभिमम्भपिटक के ग्रंथ जिनमें पुण्यसपञ्जति प्रथम और कथावत्थु अन्तिम हैं।

डॉ० विमलाचरण सा ने इस कालक्रम को कुछ परिवर्तित कर इस प्रकार प्रस्तुत किया है—

१. समस्त त्रिपिटक में समान रूप से पाये जानेवाले बुद्धवचन
२. दो-तीन ग्रंथों में ही पाये जानेवाले बुद्धवचन
३. सील, पारायण, अट्टकम्म, सिक्खापद
४. दीघनिकाय ( प्रथमस्कन्ध ), अज्झमनिकाय, संयुत्तनिकाय, अंगुत्तरनिकाय पातिमोक्ख जिसमें १५२ नियम हैं।
५. दीघनिकाय ( द्वितीय और तृतीय स्कन्ध ) बेरगाथा, बेरीगाथा, ५०० जातकों का संग्रह, सुतविभंग, पाटमम्भिवामग्ग, पुग्गसपञ्जति, विभंग,
६. महावग्ग, चुल्लवग्ग, पातिमोक्ख, ( २२७ नियमों का पूर्ण होना ) विमानवत्थु, पेतवत्थु, अम्बपद, कथावत्थु
७. चुल्लनिहंस, महानिहंस, उदान, इतिवृत्तक, सुतनिपात, धातुकथा, यवक, पट्टान
८. बुद्धवंश, चरियापिटक, अपदान
९. परिवार-पाठ
१०. बुद्धकपाठ

उपर्युक्त दोनों विद्वानों द्वारा निर्धारित कालक्रम सम्पूर्णतः समीचीन कथवा असमीचीन नहीं कहा जा सकता। तथ्य यह है कि वह विकासक्रम यदि भाषा के साथ-साथ संस्कृति और बुद्ध के वर्षावासों में विधे गये उपदेशों के आधार पर रखा जाता तो अधिक उपादेय था। ऐसा न होने के कारण ही यहाँ कुछ कथियाँ रह गई हैं। म० राहुल जी ने बुद्धवचन में इस प्रकार का प्रचलन किया था पर वह छात्र ही रह गये।

त्रिपिटक का प्रभाव बौद्धों के सम्प्रदायों के साहित्य पर भी दिखाई देता है। उदाहरणतः त्रैलोक्यरत्न द्वारा नामक साहित्य की भाषा और शैली

पालि त्रिपिटक से मिलती जुलती है। उत्तराध्ययन ( ६.४४ ) की यह गाथा—

मासे मासे उ जो बालो कुसग्गेणं तु भुञ्जे ।  
ए सो सुभक्खायधम्मस्स, कलं भग्गइ सोलसि ॥

धम्मपद की गाथा क्र० ७० के अन्त्यन्त समीप है—

मासे मासे कुसग्गेन बालो भुञ्जेय भोजनं ।  
ए सो संसत्तधम्मार्न कलं भग्गति सोलसं ॥

इसी प्रकार धम्मपद की गाथायें १०३, ४०५, ४०६ उत्तराध्ययन की गाथाओं ६.३४, २५.२२, २५.२४, में देखी जा सकती हैं। धम्मपद की अन्य गाथायें ४६, ६६, ३६२ दशवैकालिक की १.२, ४.१, १०.१२ गाथाओं में खोजी जा सकती है। इसी तरह सद्धर्मपुण्डरीक और मूलकृतांग का पुण्डरीक, अध्ययन, धवदानसतक और विपाकसूत्र, अंगुत्तरनिकाय और ठाणाङ्ग, जातक और उत्तराध्ययन आदि ग्रन्थ परस्पर सम्बद्ध अथवा प्रभावित प्रतीत होते हैं। त्रिपिटक के समान श्वेताम्बर जैन आगम भी अपने आगम का गणितपिटक कहते हैं। किन्तु आदि को देखत हुए यह भी असंभव नहीं कि जैनागमों से बौद्धागम प्रभावित न हुए हैं। जहाँ तक शैली का प्रश्न है, जैनागमों की अपेक्षा बौद्धागमों की शैली निःसन्देह मधुर, हृदयहारी प्रभावक और प्राचीनतर है।

### अनुपिटक साहित्य

पालि त्रिपिटक के आधार पर कुछ ग्रन्थ प्रथम शती ई. पू. से लेकर ४०० ई० तक रचे गये, जिनका विशेष महत्व होने के कारण उन्हें अनुपिटक की मंज्ञा दे दी गई। ऐसे ग्रन्थों में नेत्तिपकरण, पेटकोपदेश और मिलिन्दपञ्च प्रमुख माने जाते हैं। नेत्तिपकरण का आधार अभिधम्मपिटक है इसलिए वह अभिधम्म को हृदयंगम करने के लिए नेत्ति ( मार्गदर्शक ) कहा जा सकता है। उद्देश के अनन्तर निद्देश देने की परम्परा यहाँ भी मिलती है। पेटकोपदेश नेत्तिपकरण की शैली पर ही लिखा गया है। उसमें नेत्ति से अवशिष्ट दुर्लभ विषयों पर विवेचन है अतः उसे नेत्ति का पूरक ग्रन्थ कहा जा सकता है। इन दोनों ग्रन्थों के लेखक महाकच्चान माने जाते हैं। मिलिन्दपञ्च प्रायः प्रथम शताब्दी ई. पू. की रचना कही जाती है। मेगस्थनीस का शासनकाल प्रायः यही था। इसमें मेगस्थनीस और नागसेन के बीच हुए संवाद-विवाद को संयोजित किया गया है। बुद्धबोध के अनुसार इसके लेखक ब्रह्मन्त नागसेन थे, परन्तु रायब डेविड्स ने इसे माणव कृत बताया जो कल्पना-प्रसूत होना चाहिए। मिलिन्द-

पन्हे के प्रकाश कीन अन्त्याम मीशिक लपते हैं और कोष अंश अक्षित प्रतीत होता है ।

### पिटककेर साहित्य

( १ ) अट्टकथा साहित्य—पिटक के अतिरिक्त अट्टकथा, टीका, टिप्पणी, महाविहिस और पकरण साहित्य भी मिलता है । अट्टकथा की आवश्यकता ब्रह्मविहिस के स्पष्ट है । गम्बजस में 'पोराणाचरिया' और 'अट्टकथाचरिया' का उल्लेख है । बुद्धकोष ने अथनी अट्टकथाओं में कुछ प्राचीन अट्टकथाओं के नामों की ओर किता किया है—महा अट्टकथा, महापञ्चरिया, कुन्दी, अन्ध अट्टकथा, सञ्चिप अट्टकथा, भागअट्टकथा, आचरियाण समानअट्टकथा, जातकअट्टकथा प्रभृति । प्रायः सभी अट्टकथायें मूलतः सिन्धु नदी में थीं । भिक्षुओं ने उन्हें पालि में अनुदित किया । बुद्धकोष ऐसे अनुवादकों एवं लेखकों में प्रमुख हैं । उनकी निम्नलिखित अट्टकथायें उपलब्ध हैं—

१. समन्तासाविका—विनयपिटक की अट्टकथा
२. कंसावितरणी—पातिमोक्ख की अट्टकथा
३. सुमंगलविलासिनी—दीर्घनिकाय की अट्टकथा
४. पञ्चसूदनी—मज्झिमनिकाय की अट्टकथा
५. सारत्थपकासिनी—सयुक्त निकाय की अट्टकथा
६. मनोरथपूरणी—अगुत्तरनिकाय की अट्टकथा
७. परमत्थजोतिका—सुद्धकपाठ और सुत्तनिपात की अट्टकथा
८. अट्टसालिनी—धम्मसंगणि की अट्टकथा
९. सम्मोहविनोदनी—विमंग की अट्टकथा
- १०-१४. पञ्चपकरणअट्टकथा धम्मसंगणि और विमंग को छोड़कर कोष पाँच अजिधम्म-ग्रन्थों की अट्टकथायें ।
१५. जातकट्टवसरण—जातक की अट्टकथा
१६. धम्मपदअट्टकथा—धम्मपद की अट्टकथा

इनके अतिरिक्त बुद्धकोष की एक और रचना मिलती है—बिसुद्धिमग्न । स्वमिरजावका कोष कहा जा सकता है । सम्भव है इसे सर्वप्रथम लिखा हो । उनके ग्रन्थों का अनुमानित काल-क्रम उक्त लिखित ही प्रायः मान्य हो है । बुद्धकोष मूलतः ब्राह्मण थे । इनका काल पंचम शताब्दी माना जा ता है । इसी समय वे बौद्धधर्म में दीक्षित होकर भीलका पहुँचे और वहाँ उक्त साहित्य रचन किया । इनके पूर्व बुद्धदेव हुए जिन्होंने बुद्धवंश पर

‘मधुरत्य विसासिनी’ नामक अष्टकथा लिखी। तीसरे मुख्य अष्टकनाकार के धम्मपाल, जिन्होंने सुद्धकनिकाय के कुछ भाग पर अष्टकथायें लिखी थीं।

( २ ) टीका साहित्य—टीका अष्टकथा का संक्षिप्त रूप है। शायद धानन्द ने अभिषम्ममूलटीका लिखकर टीका साहित्य का बीजस्रोत किया था। तदनन्तर उनका अनुकरण धम्मपाल ने परमत्थमञ्जूसा ( विमुद्धिमम्म की महाटीका ), लीनत्थपकासिनी ( नेसियकरण-अष्टकथा की टीका ), लीनत्थपकासिनी ( प्रथम चार निकायों पर लिखी गई अष्टकथाओं की टीका ) जातककथा टीका और मधुरत्यविसासिनी की टीका लिखकर किया। इसी काल की वजिरबुद्धि की समन्तपासादिका पर वजिरबुद्धि नाम की टीका भी मिलती है।

श्री लंका के राजा पराक्रमबाहु ( ११५३-११८६ ) पकासिनी राज्यकाल में सारिपुत्त ने सारत्थदीपिनी ( समन्त.टीका ) पथमसारत्थमञ्जूसा ( सुमंगल.टीका ), दुतियसारत्थमञ्जूसा ( पपञ्च.टीका ), ततिय सारत्थमञ्जूसा ( सारत्थ . टीका ), चातुत्य सारत्थ पकासिनी ( मनोरथ टीका ), पथम परमत्थपकासिनी ( अट्टसा.टीका ), दुतिय परमत्थपकासिनी ( संभोह. टीका ), ततिय परमत्थपकासिनी ( पंचपक. टीका ) नामक टीकायें लिखीं। इनके प्रतिरिक्त सारिपुत्त के शिष्यों ने भी अनेक टीकायें लिखी हैं। इन शिष्यों में संगह रक्षित, महासेन, बुद्धनाग, वविसार और सुमंगल प्रमुख हैं। सद्धम्मजोतिपाल ( १२वीं शती ) ने विनयसमुत्थान-दीपनी, पातिमोक्खविसोधनी, विनयगुल्हहदीपनी, लीमालंकारसंगहटीका, मातिकट्ट-दीपनी, पट्टानवणानानय, नामचारदीप, अभिषम्मट्टसंयहसखेपटीका और गन्धसार नामक टीकाओं की रचना की। १५वीं शती में बर्मा में अभिषम्मपिटक का अध्ययन अत्यन्त लोकप्रिय हुआ गया। फलतः वहाँ पर आरियवंश की मणि-सारमञ्जूसा, मणिदीप एवं जातकविसोधनी, सद्धम्मपाल की नेत्तिभावनी और सद्धम्मलकार की पट्टनदीपनी नाम की टीकायें अधिक प्रसिद्ध हुईं।

( ३ ) टिप्पणियाँ या अनुटीकायें—टीका पर जो टीका लिखी जाती है उसे टिप्पणी अथवा अनुटीका कहते हैं। अनुटीकाओं में अभिषम्मत्यकथा पर धम्मपाल द्वारा लिखी गई अनुटीका सर्वाधिक प्राचीन है। इसके बाद सारिपुत्त ने लीनत्थपकासिनी, सारत्थपकासिनी और सारत्थमञ्जूसा तथा महात्थम ( १६ वीं शती ) ने मधुसारत्थदीपनी अनुटीकाओं का निर्माण किया। १७वीं शती में बर्मा में तिलकगुरु और महाकस्तप द्वारा अनेक अनुटीकायें लिखी गईं।

( ४ ) पकरखु—पकरण सिद्धान्ततः किसी धर्म विशेष से सम्बद्ध नहीं होते। परन्तु पालि भाषा में निबद्ध पकरखु कुछ अंश तक इसके अपवादात्मक

हैं। इन्होंने संज्ञा, वंश, व्याकरण, काव्य और कोश के रूप में विभक्त कर सकते हैं।

( i ) संज्ञा—संज्ञा ग्रन्थ नक्ष और पञ्च दोनों में विभक्त हैं। बुद्धबोध का विमुक्तिमन्त्र तो वैश्याद बौद्धधर्म का कोश ही मानना चाहिए। इसमें सील, समाधि और पञ्जा का विवेचन मूल विपटक के आचार पर किया गया है। इसके बाद बुद्धदत्त के विनय, विनच्छम, उत्तरविनिच्छय और अभिधम्मवत्तार, वाजिरबुद्धि का विनयगन्धि, धम्मसिरी की बुद्धकलिका और मूलकलिका अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। अभिधम्म दर्शन पर भी श्रीलंका और बर्मा में अनेक संज्ञा निकल चुके हैं।

( ii ) वंश—वस साहित्य दूसरे शब्दों में इतिहास साहित्य है। दीपवंश महासेन-काल ( ३२५-३५२ ई० ) तक का श्रीलंका का इतिहास प्रस्तुत करता है। इसका लेखक अज्ञात है। महानाम का 'महावंस' ( छठी सती ई० ) दीपवंश पर व्याख्यात्मक ग्रन्थ है। इसका मूल रूप ३७ वें परिच्छेद की ५०वीं गाथा तक ही दिखाई देता है। भागे के परिच्छेद 'मूलवंस' के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसके बाद भी प्रथिमांश उसमें जुड़ते ही गये। इनके अतिरिक्त अनागतवंस, बोधिवंस, दादानस, धूपवस, बुद्धबोधोत्पत्ति और सद्धम्मसंज्ञा गन्धवंस, सातनवंस आदि ग्रन्थ हैं जिन्हें वंस साहित्य के अन्तर्गत रखा जा सकता है।

( iii ) व्याकरण—पालि व्याकरण के तीन स्कूल हैं—कच्चायन, मोग्गलायन और सहनीति। गायगर के अनुसार कच्चायन बुद्धबोध के उत्तरवर्ती आचार्य हैं। उन्होंने कच्चायन व्याकरण लिखा है। मोग्गलायन का मोग्गलायन व्याकरण और मोग्गलायन पञ्जिका तथा अग्गवंस का सहनीति व्याकरण ( १२ वीं शती ) अपने अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। कच्चायन व्याकरण के आचार पर विमलबुद्धि ( ११वीं शती ) की मुक्कमसदीपनी, छपद ( १२वीं शती ) का न्यासप्रदीप, एवं सुत्तनिद्देस, संघगच्छित ( १२वीं शती ) की सम्बन्ध-विन्ता, बुद्धत्रिय की रूपसिद्धि, धम्मकित्ति का बालावतार, यातोन का कच्चायन-जेह आदि व्याकरणाँ का निर्माण हुआ है। मोग्गलायन व्याकरण के पीछे पियवहस्सी का पवसावन, वत्तरतन मेवंकर की पवोमसिद्धि, धातुपाठ आदि व्याकरण-ग्रन्थ लिखे गये। सहनीति व्याकरण सम्प्रदाय में वाचस्पदीपनी की छोटकर ग्रन्थ ग्रन्थ अज्ञात हैं। इनके अतिरिक्त पगान का कच्चायनक, मंवल का गन्धवि, अरिपवंस का गन्धामरणा, आदि और भी अनेक पालि व्याकरण उपलब्ध हैं।

( iv ) काव्य—संस्कृत भाषा के समान पालि भाषा में भी काव्यों का निर्माण हुआ है। बुद्धरचिञ्जल ( १२वीं शती ) का विचारवाक्य जो बुद्ध की-

सम्बन्धि प्राप्ति तक का वर्णन करता है, मेघनर का जिनवर्ति, वेदेह्येर का समस्तकूटवर्णना व रसवाहिनी ( १३वीं शती ) तथा बुद्धपिय का पञ्चमधु प्राप्ति साहित्य के प्रधान काव्य हैं। अलंकार, छन्दशास्त्र तथा पालि अभिलेख-इसी के अन्तर्गत रहे जा सकते हैं। संघरक्षित का सुजोषालंकार और उन्हीं का बुधोदय इसके सुन्दर उदाहरण हैं। तेलकटाहयम्बा सद्धम्मोपायन, पञ्चमति-दीपन, और लोकदीपस्वर भी रमणीय काव्य हैं।

( v ) कोश—मोगलायन ( १२वीं शती ) का अभिधानपदीपिका नामक ग्रन्थ सम्भवतः प्राचीनतम पालि कोश है। इस कोश के तीन विभाग हैं—सङ्ग-कण्ठ, शूकण्ठ और सामञ्जकण्ठ। अनेकार्थक शब्दों का भी इसमें संग्रह मिलता है। अमरकोश इसका आधारभूत ग्रन्थ रहा होगा। इसके बाद में बर्मा मिश्रु सद्धम्मफिलि ने ( १५वीं शती ) एकाक्षरकोस की रचना की। यहाँ एका क्ष-रात्मक शब्दों का संग्रह किया गया है।

अभी हमने पालि साहित्य की एक अत्यन्त संक्षिप्त रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत की है। उससे इतनी तो जानकारी होती ही है कि पालि भाषा में निबद्ध साहित्य मात्र त्रिपिटक नहीं, प्रत्युत संस्कृत भाषा में रचित साहित्य जैसा उसमें वैविध्य भी उपलब्ध होता है। आज भी पालि भाषा साहित्य-सृजन से बाहर नहीं हुई। शोधकों और लेखकों के लिए इस साहित्य में प्रबुर सामग्री मिल सकती है।

मध्यकालीन आर्यभाषाओं का अध्ययन पूर्ण करने के लिए पालि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन अत्यावश्यक है। उसने न केवल आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रभावित किया है, प्रत्युत सिंहल, बर्मा, थाईलैण्ड, चीन, जापान, तिब्बत, मंगोलिया आदि देशों की भाषाओं के विकास में भी उसका पर्याप्त योगदान है।

दार्शनिक दृष्टिकोण से अध्ययन करनेवालों को इसमें दर्शन की भी विपुल सामग्री मिलती है। स्वविरवाद और अन्य बौद्ध सम्प्रदायों के अतिरिक्त वैदिक और जैन दर्शनों का भी इसमें प्रसंगतः पर्याप्त विवेचन हुआ है जो उनके इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामग्री के लिए तो पालि साहित्य एक अजस्र स्रोत है। अट्टकयार्थें जो अभी तक समूचे रूप में नागरी लिपि में अप्रकाशित हैं, बिलकुल अछूती सी पड़ी हैं। प्राचीन इतिहास के कालक्रम को निश्चित करने में पालि साहित्य सर्वाधिक सहायक सिद्ध हुआ है। जैन सांस्कृतिक इतिहास के विकास को जानकारी के लिए तो पालि साहित्य सर्वत्र अविस्मरणीय रहेगा।<sup>१</sup>

१. इसके लिए देखिये, लेखक का ग्रन्थ "जैनधर्म इन बुद्धिस्ट लिटरेचर"।

## संस्कृत बौद्ध साहित्य

**सर्वास्तिवाद**—गालि साहित्य मात्र स्वविरवाद की परम्परा में उपलब्ध है परन्तु संस्कृत भाषा का उपयोग उत्तरकालीन प्रायः सभी बौद्ध सम्प्रदायों ने किया है। सर्वास्तिवाद उनमें अग्रगण्य है। भार्य कात्यायनीपुत्र रचित 'शान्तिप्रस्थानशास्त्र' सम्भवतः बौद्ध संस्कृत साहित्य का प्राञ्ज प्रन्थहोना। कनिष्क के अधिनायकत्व में वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर में ५०० भिक्षुओं की एक संगीति हुई थी जिसमें इस पर 'विभाषा' नाम की टीका लिखी गई। फलतः इसके अनुयायी वैभाषिक कहलाये। वसुमित्र ने कश्मीरी वैभाषिकों के अनुसार 'अभिधर्मकोश' लिखा। विभाषा में वसुमित्र के अतिरिक्त पार्श्व, बोधक, बुद्धदेव, धर्मत्रात, भदन्त, कुशवर्मा, बोधवर्मा, द्रव, धरदत्त, धरन्वी, धामिक, सुभ्रति, पूर्णसि, वक्कुल, वामक, श्रमदत्त, संभवसु और बुद्धरक्षित आदि भाषार्यों के नाम भी मिलते हैं। तारानाथ के अनुसार वैभाषिक सम्प्रदाय के धर्मत्रात, बोधक, वसुमित्र, और बुद्धदेव प्रधान भाषार्य थे। इन सभी ने संयुक्त रूप से महाविभाषा की रचना की थी।<sup>१</sup> धर्मत्रात का उदानवर्ग, बोधक का अभिधर्मामृत, वसुमित्र का प्रकरणपाद और धर्मत्री का अभिधर्मसार सर्वास्तिवाद के प्राचीन ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त अभिधर्म पर लिखित निम्नोक्त ग्रन्थों को श्रद्धापादशास्त्र भी कहा जाता है—(१) शारिपुत्र (महाकौष्ठिल) विरचित अभिधर्मसंगीतिययसि पादशास्त्र, (२) मद्दिगत्यायन विरचित अभिधर्मस्फुटपादशास्त्र, (३) स्वविर देवशर्मा-रचित अभिधर्म विज्ञानकायपादशास्त्र, (४) कात्यायनी पुत्र विरचित अभिधर्मप्रज्ञप्तिपादशास्त्र, (५) वसुमित्र विरचित अभिधर्मधातुनायपादशास्त्र, और (६) वसुमित्र द्वारा ही विरचित अभिधर्मप्रकरणपादशास्त्र। स्वविरवाद द्वारा मान्य अभिधर्म ग्रन्थों में इनकी क्रमशः इस प्रकार तुलना की जा सकती है—बमक, धम्मसंगणि, विमंग, पुग्गलपञ्चसि, धातुकथा, और भावत्पुष्पकरण।

उक्त ग्रन्थों से स्पष्ट है कि सर्वास्तिवाद में अभिधर्म का बहुत अधिक महत्त्व था। सर्वास्तिवादी अभिधर्म साहित्य में वसुमित्र का 'शान्तिप्रस्थानशास्त्र' सर्वप्रधान माना जाता है। उक्त श्रद्धापादशास्त्र इसी के 'पाद' कहे जाते हैं। इनका जन्मस्थान है—सोकुत्तरग्रन्थ, 'मान, पुग्गल, अहिंसिकनीतय, रूप, अनत्थ,

१. तारानाथ, पृ० ६७, बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, पृ० २६३



चेतना और वेमगारक का विवेचन करना। स्वविरवाद और सर्वास्तिवाद के बीच अभिधर्म ही विशेष रूप से विवादग्रस्त विषय था।

सुत्तपिटक के निकाय के स्थान में सर्वास्तिवादियों ने अग्निगम शब्द का प्रयोग किया है यहाँ भी स्वविरवाद के समान पाँचों निकाय माने गये हैं। अन्तर यह है कि स्वविरवादीय अंगुत्तर निकाय में पन्द्रह ग्रन्थ हैं जबकि सर्वास्तिवादियों ने धर्मपद, उदान, सूत्रनिपात, विमानवस्तु और बुद्धवंस को ही अपने बुद्धकागम की सीमा में रखा है। विनयपिटक में भी साधारणतः समानता दिखाई देती है। प्रातिमोक्ष सूत्र, सप्तधर्म, अष्टधर्म, क्षुद्रक-परिवर्त, एकोत्तरधर्म, उपालिपरिपृच्छा, भिक्षुणीविनय एवं कुलसपरिवर्त सर्वास्तिवादी विनय के प्रधान विभाग हैं। पारालिख, प्रायश्चित्तिक एवं धनदान के रूप में भी इसका विभाजन मिलता है। सर्वास्तिवादी त्रिपिटक अपने बुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं होता। पिथेल, रॉकहिल, पूसे, स्टेन, सेनार्ट, लुड्स, फ्रॉक आदि विद्वानों के सहयोग से इसका कुछ भाग प्रकाशित हुआ है। अधिकांश अंग तिब्बती और चीनी भाषाओं में मिलता है। जो भी मिलता है, उसके आधार पर यह निष्कर्ष अवश्य निकाला जा सकता है कि सर्वास्तिवादियों ने वेरवादी त्रिपिटक को कुछ परिवर्तनों के साथ संस्कृत में अनुवित कर लिया था।

जैसा अभी हमने देखा, ई० की १-२ शताब्दी में सम्राट् कनिष्क ने सर्वास्तिवाद को प्रथम दिया। इसी समय सर्वास्तिवादियों की एक संगीति भी हुई जिसमें उन्होंने अभिधर्म महाविभाषा की रचना की। इसके अनुयायी वैभाषिक कहलाये। इन वैभाषिकों के दो सम्प्रदाय थे—काश्मीर वैभाषिक और पाञ्चास्य वैभाषिक। वैभाषिक के अतिरिक्त एक और शाखा का जन्म हुआ जिसे सौत्रान्तिक कहा गया। सूत्रागम ( सुत्तपिटक ) को मानने के कारण इस सम्प्रदाय को सौत्रान्तिक माना गया ( ये सूत्र प्रामाणिका न तु शास्त्रप्रामाणिकाः, अभिधर्मकोश )।

सर्वास्तिवाद से उद्भूत सौत्रान्तिक के समान एक संक्रान्तिवाद का भी उदय हुआ जो स्कन्धों का संक्रमण जन्म-जन्मान्तर तक माना करता था। सौत्रान्तिक मत के प्रवर्तकों के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद नहीं। वसुमित्र आनन्द को, मध्य और तिब्बती परम्परा उत्तर को तथा स्वांशवांग कुमारलब्ध को सौत्रान्तिक शाखा का प्रवर्तक मानते हैं। कुमारलब्ध के दो शिष्य थे—श्रीसम्भ और हरिवर्मा। श्रीसम्भ का विष्णुशास्त्र अष्टावधि अनुपलब्ध है। हरिवर्मा का सत्त्वसिद्धिशास्त्र सर्वधर्मशून्यता का पोषक है। धर्मशात और बुद्धदेव भी इस सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य हुए हैं। वसुकिण्डु के 'अभिधर्मकोश' पर

‘स्तुदायी’ नायक टीका के लेखक यज्ञोपनिषद् की भी खैरान्तिक भाषाओं में गणना की जाती है ।

वैशाखिक सम्प्रदाय में, जैसा हम पीछे देख चुके हैं, अग्निधर्मविभाषाशास्त्र के अतिरिक्त बसुबन्धु का अग्निधर्मकोश बहुत लोकप्रिय हुआ । बाणों की काव्यकारी इस लोकप्रियता की साक्षी देती है—सुकरवि काव्यसासन कुशलैः कोला समुप-  
दिशद्भिः । द्वितीय बुद्ध कहे जाने वाले बसुबन्धु का समय निश्चित नहीं । तत्कालीन उन्हें पंचम सताब्दी का मानते हैं और काव्यसासन के अनुसार वे चतुर्थ सताब्दी में हुए । इस विवाद को दूर करने के लिए बसुबन्धु नाम के दो भाषाओं की बात सामने आई । पर यह ठीक नहीं ।

बसुबन्धु का जन्म पुरुवपुर ( पेशावर ) में हुआ था । उन्होंने ‘सांख्यसप्तति’ के अरुण में ‘परमार्थ सप्तति’ की रचना की । इसके अतिरिक्त अग्निधर्म कोश उनको अमर बनाने वाला अनुपमेय ग्रन्थ है । इसमें अठ कोशों में समाहित ६०० कारिकाओं में धातु, इन्द्रिय, लोकधातु, कर्म, अनुसय, धार्यपुष्पक, ज्ञान एवं ध्यान पर विवेचन किया गया है । बसुबन्धु द्वारा लिखित ग्रन्थ में तर्कशास्त्र और वादविधि का भी नाम लिया जाता है । बसुबन्धु के अतिरिक्त मनोरथ और संवभद्र भी इसी काल में हुए हैं । संवभद्र के ‘अग्निधर्म न्यायानुसार’ और ‘अग्निधर्म समय प्रदीपिका’ नाम के दो ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं जिनमें वैशाखिक सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया गया है ।

सर्वास्तिवाद के उक्त दोनों सम्प्रदाय के भाषाओं में संक्रमण होता रहा । अतः कौन किस शास्त्र का अनुयायी है, यह कहना कठिन हो जाता है । अश्व-  
घोष, धार्यशूर, दिङ्नाग आदि भाषाओं के विषय में यही समस्या है । सर्वास्ति-  
वाद के प्रधान भाषार्य के रूप में राहुलभद्र को भी माना जाता है । उनकी भाषा संस्कृत थी । उनके विद्वत् उत्पल, पथ, मणि और पर्यं थे । उनके नाम प्रायः प्रति, श्री, प्रभा, कीर्ति और अद्र में समाप्त होते थे । उनकी संघाटी में वैशिष्ट्य का उल्लेख मिलता है । उनके वस्त्र काले अथवा गाढ़े लाल रंग के होते थे । इ-वि के अनुसार उनकी संघाटी का निचला भाग एक सीधी रेखा में कटा होता था । वे निम्ना की सीधे हाथ में ले लेते थे ।’

इनके अतिरिक्त महासांखिक, लोकोत्तरवाद, एकव्यावहारिक, कौलजुटिक, बहुशुचीय, प्रकृतिवाद, पूर्वशीलीय, अपरशीलीय वैतुल्यक तथा वात्सीयुनीय,

सम्प्रदाय, बर्मोत्तरीय, भद्रयाणीय एवं धरणागरिक शाखाओं का साहित्य नों मिलता है, पर बहुत कम। कथावस्तु आदि कतिपय प्राचीन ग्रन्थों में उनके सिद्धांतों को पूर्वपक्ष के रूप में अवश्य प्रस्तुत किया गया है।

उक्त सम्प्रदायों में लोकोत्तरवाधियों का एक अनुपमेय ग्रन्थ मिलता है—**महावस्तु**। इसमें बुद्ध के जीवन को लोकोत्तरात्मक रूप देने का यथाशक्य प्रयत्न किया गया है। लोकोत्तरवादी महासाधियों का यह चिन्मन्त्र माना जाता है। इसके अनुसार बुद्ध प्रकृतिचर्या, प्रणिधानचर्या, अनुलोमचर्या और अनिवर्तनचर्या के अनुकरण से बुद्धत्व-प्राप्ति करते हैं। मिक्ष संस्कृत में लिखित इस ग्रन्थ का समय-निर्धारण कठिन है। इसके प्राचीन अंश ई. पू. लगभग द्वितीय शताब्दी के जान पड़ते हैं और हूण आदियों के उल्लेख से इसके कुछ भाग लगभग चतुर्थ शताब्दी के लगते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन और संस्कृति की दृष्टि से यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है। प्राकृत का प्रभाव अधिक होने से इसका भाषावैज्ञानिक महत्त्व भी कम नहीं। हीनयान और महायान के बीच सेतु के रूप में भी महावस्तु का अध्ययन अपेक्षित है।

इस काल में पिटक-परम्परा में मतभेद हो गया था। सर्वास्तिवादी वैभाषिक अभिधर्म पिटक को मानते थे। कौमकुटिक भी सूत्रपिटक और विनयपिटक की देवना को उपाय मात्र स्वीकार करते थे। वेहासाधिक परम्परामत त्रिपिटक के अतिरिक्त बोधिसत्त्वपिटक और संयुक्तपिटक को भी अङ्गीकार करते थे। बर्मगुप्तकों ने उक्त पाँच पिटकों के साथ ही धारणीपिटक और मन्त्रपिटक को और जोड़ दिया था। पूर्वशैलीय और अपरशैलीय सम्प्रदायों की प्रज्ञापारमिता प्राकृत भाषा में निबद्ध थी। हीनयानी संस्कृत साहित्य में इस प्रकार के और भी ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं जो निम्नित ही एक अग्रगण्य निधि के रूप में स्वीकार्य हैं।

## महायान का साहित्य

बौद्धधर्म के इतिहास से यह स्पष्ट है कि महायान का जन्म व्यक्ति की स्वाभाविक प्रक्रिया से निष्पन्न हुआ है। भाषाविज्ञान की तरह भाष्यात्मिक चिन्तन में भी सरलीकरण की प्रवृत्ति जाग्रत हुई। भगवान् बुद्ध के दुःखकीय व्यक्तित्व को एक और लोकोत्तर बनाने का उपक्रम प्रारम्भ हुआ तो दूसरी ओर उनके प्रति व्यक्त श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से निर्वाण प्राप्ति को अत्यन्त सुगम बना दिया। फलतः जनसाधारण और अधिक भाङ्गु होने लगा। इसी बीच विदेशी आक्रमण हुए और भारतीय संस्कृति से उनका परिचय हुआ। बौद्धधर्म के इस नवीन रूप ने उन्हें आकर्षित किया। परिणामस्वरूप तथाकथित महायान बौद्धधर्म भारतीय सीमा का अतिक्रमण कर देशान्तरों में सक्रिय हो गया। वहाँ भी पहुँचकर उसने तत्सम्बन्धीय संस्कृति को आत्मसाध करने का यथाशक्य प्रयत्न किया। यही कारण है कि महायान का विस्तार सम्प्रदाय और साहित्य के रूप में वही अधिक हुआ।

हीनयान और महायान शब्दों के पीछे जुगुप्सा का भाव भले ही नरा हो पर अपनी कतिपय विशिष्टताओं के कारण महायान अधिक लोकप्रिय धर्म बना इसमें कोई सन्देह नहीं। उसकी उदारता और सहजता उसे यहाँ तक ले आयी कि एक समय सन्देह व्यक्त किया जाने लगा कि यह धर्म वास्तविक बौद्धधर्म है या नहीं। वस्तुतः बौद्धधर्म के मूल रूप में ही यह निर्देश है कि बुद्ध ने प्रथमतः यह अनुभव किया कि उनके अनुमूल धर्म को साधारण जन समुदाय ग्रहण नहीं कर पावेगा पर अज्ञानता के फलस्वरूप उन्होंने 'भाषयानुभव' अथवा 'उपदेश कौशल' के आचार पर शिष्यों की योग्यतानुसार उन्हें अपना चिन्तन दिया। महायान का जन्म भी शायद यहीं से प्रारम्भ होता है। कालान्तर में वह विकृत रूप में भी हमारे क्षमता उपस्थित हुआ। इसका तात्पर्य यह नहीं कि महायान का सम्बन्ध मूल बौद्धधर्म से बिलकुल नहीं और हीनयान ही एकमात्र अथवा बुद्ध प्रेषित धर्म है। तथ्य यह है कि हीनयान विकास का प्राथमिक रूप है और महायान उसी लोगों पर चरण विक्षेपता हुआ आने वाला विकसित रूप है। इस प्रकार विकासवात्मक शीघ्री से उसे पहचाना जाना चाहिए।

महायानी संस्कृत साहित्य का क्षेत्र विविध और विस्तृत है। अतः क्रमिक अध्ययन की दृष्टि से उसे हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं—( १ ) सूत्र ग्रन्थ, ( २ ) अवदान साहित्य और ( ३ ) शार्थनिक साहित्य।

( १ ) सूत्र ग्रन्थ—महायानी सूत्र-साहित्य की परम्परा बहुत लम्बी है। गान्धर्वों की सूची में सूत्र काण्ड ( सूत्रपिटक ) के अन्तर्गत ५४१ महायान सूत्रों का उल्लेख मिलता है। इन सूत्रों को सात प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है—( १ ) प्रज्ञापारमिता, ( २ ) रत्नकूट जिसमें सुजायती सूत्र भी है, ( ३ ) महासन्धिपात ( चन्द्रगर्भ आदि ), ( ४ ) अवतंसक, ( ५ ) परिनिर्वाण, ( ६ ) विविध अनुसूचित सूत्र—महामैत्रुण्य आदि और ( ७ ) सकृद् अनुसूचित सूत्र महावैरोचन आदि। यहां दीर्घनिकाय के ब्रह्मजालसुत से मिल ब्रह्मजालसूत्र और अग्निवर्म पिटक के अन्तर्गत नागार्जुन आदि आचार्यों के ग्रन्थों का भी उल्लेख आता है।

शिक्षा ससुच्छय में १८ सूत्र-ग्रन्थों की सूची उपलब्ध है—प्रज्ञायमति, अङ्गुलिमालिक, अम्बाशयमंथोदन, अमन्तमुक्कनिर्हारधारणी, अपूर्वसमुद्गतपरिवर्त, अपरराजावादक, अवलोकना, अवलोकितेश्वरविमोक्ष, आकाशगर्भ, आर्यसत्यक-परिवर्त, उग्रपरिपृच्छा, उदयनवत्सराज परिपृच्छा, उपायकौशल्य, उपालिपरि-पृच्छा, कर्मावरणविबुद्धि, कामाक्षवादक, काश्यपपरिवर्त, क्षितिगर्भ, गगनगज, गण्डव्यूह, गोचरपरिमुद्ध, जपुर्मर्मक, चन्द्रप्रदीप, चन्द्रोत्तराधारिकापरिपृच्छा, कुन्दाधारणी, लम्बलस्तोत्र, ज्ञानवतीपरिवर्त, ज्ञानवैपुल्य, तथागतकोश, तथागत-गुह्य, तथागतविम्बपरिवर्त, त्रिसमयराज, त्रिदशक, दशधर्म, दशभूमिक, दिव्या-वदान, धर्म संघीति, नारायण परिपृच्छा, नियतानियतावतारमुद्रा, निर्वण, पितापुत्रसमागम, पुण्यकूटधारणी, प्रज्ञापारमिता—प्रष्टसाहस्रिका, प्रज्ञयान्तराय, प्रज्ञान्तविनिम्बप्रातिहार्य, प्रातिमोक्ष, कुह्लसागरनागराजपरिपृच्छा, बोधिसत्व-वतार, बोधिसत्वपिटक, बोधिसत्वप्रातिमोक्ष, बुद्धपरिपृच्छा, जयवती, मद्रकल्पिक, भद्रचरीप्रेणधानराज, भिक्षुप्रकार्णिक, मेषजम्बुद्वीपप्रभ, मञ्जुव्रीहिसुक्षेत्रगुरा-व्यूहालंकार, मञ्जुव्रीहिकीर्तित, महाकल्प्यापुशुचरीक, महामेघ, महावस्तु, मारीचि, माकारसिंहनाद, मर्षेयविविमोक्ष, रत्नकरण्ड, रत्नकूट, रत्नकूट, रत्नमेष, रत्नराशि, रत्नलोका, राजायवादक, राष्ट्रपालपरिपृच्छा, सच्छावतार, सलितविस्तर, लोकनाय-व्याकरण, लोकोत्तरपरिवर्त, सञ्जयेविका सञ्जयेवपरिणामना, बाधनेपासिकादि-मोक्ष, विद्याधरपिटक, विमलकीर्ति निर्देश, वीरवत्परिपृच्छा, शालिस्त्वम्, शूरङ्गम,

महासाधारणतत्त्वज्ञान, भावकविवेक, श्रीमन्नान्तर्निहोद, सद्धर्मपुण्डरीक, सद्धर्म-  
सङ्घपुण्डरीक, ललितविस्तार, समाधिपराज (सत्त्वप्रदीप), सर्वधर्म वैपुल्यसंग्रह, सर्व-  
धर्माप्रवृत्तिनिर्देश, सर्वव्यवहारमन्त्र, सागरवतिपरिपृच्छा, सिन्धुपरिपृच्छा, सुवर्ण-  
प्रभासोत्तम और हस्तिकाद्यसूत्र ।

महाव्युत्पत्ति में १०५ सूत्रों के नामोद्धरण मिलते हैं जिनमें कुछेक हीनयानी  
ग्रन्थों को छोड़कर शेष महायानी सूत्रों से सम्बद्ध हैं । उपर्युक्त सिद्धा सन्मुख्य  
में समागत सूची में उद्धृत ग्रन्थों के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रन्थों का और  
उल्लेख महाव्युत्पत्ति में मिलता है—शतसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता, पञ्चविंशति-  
साहस्रिका प्रज्ञापारमिता, सप्तशतिकाप्रज्ञा०, पञ्चशतिकाप्रज्ञा०, त्रिंशतिकाप्रज्ञा०,  
वनव्यूह, सुविक्रान्तविक्रामी, रत्नकेतु, तथागतमहाकल्यानिर्देश, द्रुमकिन्नराज-  
परिपृच्छा, सूर्यधर्म, बुद्धभूमि, तथागतचिन्त्यगुह्यनिर्देश, सागरनाभराजपरिपृच्छा,  
मजासकनु-कौस्तुभ-विनोदम, संघनिर्मोचन, बुद्धसंगीति, महायानप्रज्ञापारमिता,  
महायानोपदेश, धर्मब्रह्मविशेषचिन्तापरिपृच्छा, परमार्थसङ्घटिसस्वनिर्देश, जङ्घु-  
श्रीविहार, महापरिनिर्वाण, धर्मवर्तचक्र, कर्मविभंग, तथागतोत्पत्तिसंभवनिर्देश,  
भवसंक्रान्ति, परमार्थधर्मविजय, बोधिपदानिर्देश, सर्ववैदल्यसंग्रह, संघाटमूत्र, तथा-  
गतज्ञानमुद्रासमाधि, वज्रमेवशास्त्रर कूटामारधारणी, अनवततनागराजपरिपृच्छा,  
सर्वबुद्धविषयावतारज्ञानालोकालंकार, व्यासपरिपृच्छा, सुबाहुपरिपृच्छा, महासा-  
हस्रमर्दन, महास्मृत्युपस्थान, मंत्रीव्याकरण, धर्मविनिश्चय, महाबलसूत्र, विकुर्वा-  
राजपरिपृच्छा एवं श्वजाप्रकेयूर ।

इन ग्रन्थों में विशेषतः ये नव सूत्र प्रचलित हैं—शतसाहस्रिकाप्रज्ञापारमिता,  
गण्डव्यूह, वज्रभूमिश्वर, समाधिपराज, लंकावतार, सद्धर्मपुण्डरीक, तथागतगुह्यक,  
ललितविस्तर तथा सुवर्णप्रभास । इन्हें वैपुल्यसूत्र भी कहा जाता है । इनमें  
सद्धर्मपुण्डरीक, ललितविस्तर आदि सूत्रों में बुद्ध, बोधिसत्व, बुद्धयान आदि का  
माहात्म्य प्रवर्णित है और प्रज्ञापारमिता आदि सूत्रों में शून्यता तथा महाकल्या  
का प्रतिपादन है । प्रज्ञापारमिता सूत्रों में शतसाहस्रिका प्राचीनतम सूत्र होगा ।  
जसकी भाषा और शैली भी इस कथन का समर्थक है । यहाँ मात्र स्वकथय  
और धर्मकथय का उल्लेख मिलता है । संभोषकथय बाद में जोड़ा गया है ।  
नामःकुंन का शून्यवाद प्रज्ञापारमिताओं पर ही आधारित है । विज्ञानवादी  
आचार्यों ने भी अपने सिद्धान्तों की प्रस्थापना में इनका उपयोग किया है । ये  
सभी सूत्र प्रायः द्वितीय से चतुर्थ सती के मध्य विरचित हैं । लंकावतार योगाचार  
सिद्धान्तों का समर्थक है । सद्धर्मपुण्डरीक महायान और हीनयान के बीच एक  
केतु विशेष है । ललितविस्तर बुद्ध की जति-निश्चित परम्परा का पोषक है ।

इन्हें 'अष्टाध्याय सूत्र' भी कहा गया है। पूर्वशीलीय परम्परा में प्राकृत भाषा में लिखे हुए अष्टाध्यायपरिमता का उल्लेख है। चीनी क्रिष्टिक में विभिन्न धारमिताओं का संनिवेश किया गया है। कंबूद में शतसाहसिका, पंचविंशति शतहसिका अष्टादश साहसिका, दशसाहसिका, अष्टशतिका, सप्तशतिका, पंचशतिका, त्रयशतिका, अल्पाक्षरा एवं एकाक्षरी पारमिता का संग्रह है<sup>१</sup>।

( २ ) अवदान साहित्य—अवदान ( पालि 'अपदान' ) का तात्पर्य है लोककथाओं के माध्यम से धार्मिक सिद्धान्तों को अभिव्यक्त करने वाला साहित्य। इस विस्तृत सीमा में पारमिताओं का अभ्यास भी समाहित हो जाता है। पालि साहित्य में जो स्थान जातक कथाओं का है वही स्थान बौद्ध संस्कृत साहित्य में अवदान साहित्य का है। उनका मुख्य उद्देश्य है कर्म और उसके फल की व्याख्या करना। कथाओं का विभाजन प्रायः तीन प्रकार से मिलता है—प्रतीत, धनामत और प्रत्युत्पन्न। हीनयान और महायान के सम्मिश्रित रूपों को प्रस्तुत करना अवदान साहित्य की विशेषता है।

अवदान साहित्य में प्राचीनतम ग्रन्थ सम्भवतः अवदानशतक होगा जिसका अनुवाद चीनी भाषा में २२३-२५३ ई० के मध्य हुआ। दस अध्यायों में विभक्त अवदानशतक में कुछ कथाएँ हीनयान से सम्बद्ध हैं और कुछ कथाएँ महायान की व्याख्या करती हैं। दिव्यावदान भी इसी प्रकार महत्वपूर्ण अवदान ग्रन्थ माना जाता है। भाषा, शैली और विषय की असम्बद्धता उसे उत्तरवर्ती सिद्ध करती है। वस्तुतः इसका सम्बन्ध मूल सर्वास्तिवादियों के विनयपिटक से रहा है। इनके अतिरिक्त कल्पद्रुमावदान, अशौकावदान, द्वाविंशत्यवदान, बोधिसत्वावदान, मद्रकल्याणवदान, विचित्रकणिकावदान, अवदानकल्पलता आदि अवदान भी उपलब्ध होते हैं जिनमें अधिकांश अवदान अवदानशतक पर आधारित हैं।

बुनियादी नैजियों ने कुछ महायानी विनय सूत्रों का उल्लेख किया है—बोधिसत्वावदान, बोधिसत्त्व प्रातिमोक्षसूत्र, भिक्षुविनय, प्राकाशगर्भसूत्र, उपालिपरिपुच्छा, उपवत्तपरिपुच्छा, रत्नमेघसूत्र, और रत्नराशिसूत्र। इन सूत्रों के देखने यह स्पष्ट हो जाता है कि हीनयानी और महायानी विनय में बहुत अधिक अन्तर नहीं। महायान सिद्धान्तों का सुन्दर संग्रह नागार्जुन (?) के धर्मसंग्रह ( सप्तम-स्कन्धि ) में मिलता है। महाव्युत्पत्ति ( नवीं शती ) भी इसी दिशा का ग्रन्थ है। इसके लेखक का नाम अज्ञात है।

१. बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, अध्याय ८

### (३) दार्शनिक साहित्य

योगाचार और विज्ञानवाद—महामान के दार्शनिक साहित्य की श्रुतिका में प्रज्ञापारमिता सूत्रों का असूत्र्य योगदान है। संप्रेष में कहा जाय तो उन्हें इस प्रस्तापक मन्थ कह सकते हैं। इन सूत्रों के अनुसार बोधिसत्व की समस्त धर्मों में वैरात्म्य अथवा धर्मशून्यता को देखना चाहिए। इस सिद्धान्त ने शून्यवाद तथा योगाचार और विज्ञानवाद की श्रुतिका खड़ी कर दी। इससे एक ओर जहाँ यह बात स्पष्ट होती है कि सकल धर्मों का स्वरूप शून्यतारमक है वहाँ दूसरी ओर यह भी उचित होता है कि इसमें चित्त का प्राधान्य है। प्रथम विकल्प से शून्यवाद को सिद्ध की गई और द्वितीय विकल्प से योगाचार तथा विज्ञानवाद का उन्म हुआ।

योगाचार योग और आचार शब्द का मिश्रित रूप है। शमथ और विपश्यना को प्राप्त कराने वाले मार्ग का योग कहते हैं। और उस योग के मार्ग का आचरण 'योगाचार' है। और विज्ञानवाद वह है जो सकल मध्यातुक को चित्तमात्र अथवा विज्ञानमात्र प्रदर्शित करे। इनके पूर्व सौत्रान्तिकों ने 'सूक्ष्म विज्ञान' और प्रज्ञप्तिवादियों ने 'मूल विज्ञान' की कल्पना कर ली थी। इसके बाद तिब्बती सूत्रों का योगदान है जिनका समय ई. पू. प्रथम शताब्दी से ई. तृतीय शताब्दी तक निर्धारित किया जाता है। तिब्बती जं-यं शब्द-प-के सिद्धान्त के अनुसार योगाचार के तीन मूल सूत्र हैं—सन्धि निर्मोचन, लकावतार तथा धनव्यूह। सन्धिनिरमोचन के अनुसार भगवाम् बुद्ध तीन धर्म-चक्रों के प्रवर्तक थे—(१) चतुस्सत्य धर्मचक्रप्रवर्तन जो हीनयान में प्रचलित है, (२) अलक्षणत्व धर्मचक्रप्रवर्तन जिसे प्रज्ञापारमिताधर्मों में अभिव्यक्त किया गया है, और (३) परमार्थविनिश्चय धर्मचक्रप्रवर्तन जो उक्त सूत्रों में सन्निहित है तथा योगाचार का प्रतिपादक है। तिब्बती सूत्रों के बाद शास्त्रीय युग में योगाचार विज्ञानवाद का प्रवेश हुआ जिसे मंत्रेय, असंग और वसुवन्दु आदि आचार्यों ने पुष्पत और फलिता किया। इनके बाद और भी भेद-प्रभेद दिखाई देते हैं।

मैत्रेयनाथ और अस्त्रंग-योगाचार-विज्ञानवाद के प्रस्तापक के रूप में मंत्रेय नाथ का स्मरण किया जाता है। श्र्यां च्यां के अनुसार मैत्रेय ने योगाचारशास्त्र,

- 
१. शमथविपश्यनायुगान्तवाही मार्गो योग इति योग लक्षणम् । शमथ इति समाधिच्यते । विपश्यना सम्यग्दर्शन लक्षणम् । यथा युगान्तदीवनीवदी वह वस्तुता यो मार्गः सम्यग्दर्शनवाही स योगः । तेनाचरतीति योगाचार उच्यते ।  
ब्रह्मसूत्र, २. २. २८ पर भाष्य ।



महायान सूत्रालंकार, मध्यान्त विभंगशास्त्र आदि ग्रन्थ असंग को सुश्रुत लोको-  
चित्ये । अतः ये रचनायें असंग के कुछ मंत्रेयनाथ को होनी चाहिए । सरला  
श्रीर कुचोन परम्परा के अनुसार मंत्रेय ने असंग को निम्नलिखित पाँच रूप  
दिये—अभिसमयालंकार, सूत्रालंकार, मध्यान्तविभंग, धर्मवर्तताविभंग तथा  
महायानोत्तरतन्त्र । मंत्रेयनाथ और असंग का समय तुल्य-व्युत्पन्न माना जाता है ।

मंत्रेय के ग्रन्थ प्रज्ञापारमिताओं पर आधारित हैं । अभिसमयालंकार  
देखने से यह लगता है कि मंत्रेय माध्यमिक मत पर भी किञ्चित् दृष्टि रखते  
शायद इसीलिए उसे योगाचार-माध्यमिक-स्वातन्त्रिक कहा गया है ।<sup>१</sup> महाया  
सूत्रालंकार २१ अधिकारों में विभक्त है—महायानसिद्धि, शरणागमन, गोप  
चित्तोत्पाद, प्रतिभक्ति, तत्त्व, प्रभाव, परिपाक, बोधि, अधिभुक्ति, धर्मपर्यो  
देशना, प्रतिपत्ति, अवयवशासन, सोपायकर्म, पारमिता, पुत्रा-सेवा-प्रभार  
बोधिसत्त्व, गुण और चर्याधिकार । उत्तरतन्त्र माध्यमिक-प्रासंगिक ग्रन्थ है  
इसमें बुद्ध, धर्म, संघ, गोत्र, बोधि आदि का विवेचन किया गया है । असंग  
हरिभद्र, वसुबन्धु तथा विमुक्तसेन ने इस पर टीकायें लिखी हैं । अभिसम  
का तात्पर्य है तत्त्व का संदर्शन करना—साक्षात्कार करना । यही इसका  
योगाचारानुसार प्रतिपाद्य विषय है । इसके अतिरिक्त असंग को प्रज्ञापारमि  
साधना,<sup>२</sup> गुणसमाज<sup>३</sup>, मध्यान्तानुगमशास्त्र<sup>४</sup> आदि ग्रन्थों का भी प्रयोग माना  
गया है ।

असंग मंत्रेयनाथ के शिष्य थे । मूलतः वे कौशिक गोत्रीय ब्राह्मणकुली  
परिवार के थे । पुरुषपुर उनका मूल निवासस्थान था । उनके दो सहोदर भी  
थे—वसुबन्धु और विरिञ्चिबत्स । ये सभी प्रारम्भ में सर्वास्तित्वादी थे, बाद  
असंग के प्रयत्न से वे महायान में दीक्षित हो गये । कहा जाता है कि असंग  
ने कुक्कुटपाद पर्वत पर कठोर तपस्या कर मंत्रेयनाथ का दर्शन प्राप्त किया ।

१. ऐक्या ओरियन्टेलिया, १९३१, पृ. ८३, बौद्धधर्म के विकास का इतिहास  
पृ. ४०७.

२. साधनशास्त्र, भाग १, पृ. ३२१

३. गुणसमाजतन्त्र भूमिका—डॉ० भट्टाचार्य, पृ. XXXIV

४. तुषी, जी अभिमतरेसाइन्स इण्डिये, II JASB. भाग, २६, १९२४  
पृ. १२६.

और उनके पाँच ग्रन्थ भी मिले थे। बाद में असंग ने अभिधर्मसमुच्चय लिखा। तत्त्वविनिश्चय, उत्तरतन्त्र और संबिनिर्मलनसूत्रों पर टोकार्यो भी लिखी। असंग की ग्रन्थ रचनाओं में महायानसम्परिग्रह, अभिधर्मसमुच्चय एवं योगाचार भूमिसास्त्र योगा-चार-विज्ञानवाद की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं। महायान संग्रह का चीनी अनुवाद बुद्ध-ज्ञान ने ई. ५३१ में तथा परमार्थ ने ई. ५३३ में प्रस्तुत किया था। योगाचारभूमिसास्त्र के ५ विभाग हैं—बहुभूमिकवस्तु, विनिश्चयसंग्रह, वस्तुसंग्रह, पर्यायसंग्रह तथा विचरणसंग्रह। अभिधर्म की दृष्टि से यह ग्रन्थ मननीय है।

वसुबन्धु—वसुबन्धु असंग के अनुज थे। उनका समय ई० को पंचम शताब्दी ( ई० ४२०-५०० ) मानी जाती है। एक ग्रन्थ परम्परा उन्हें ई० ३५० का भी बताती है। समय की तरह वसुबन्धु के दीक्षा गुरु के विषय में भा मतक्य नहीं। बुद्धोत्त, परमार्थ और श्रान्वांग की परम्परार्यो क्रमशः संब-मद्र, बुद्धमित्र और मनोरथ को असंग का दीक्षा गुरु बताती हैं। कहा जाता है कि बुद्धमित्र को साध्याचार्य विन्धवास ने शास्त्रार्थ में पराजित किया था। इस पराजय का प्रतिकार करने के लिए असंग ने परमार्थसप्तति नामक ग्रन्थ लिखा। जैसा हम जानते हैं, प्रारम्भ में वसुबन्धु मौत्रान्तिक वैभाषिक मतानुयायी थे, परन्तु बाद में असंग के अनुरोध से वे महायानी परम्परा में योगाचार-विज्ञान-वाद में दीक्षित हो गये। अभिधर्मकोष उनकी प्रथम परम्परा का ग्रन्थ है और मध्यान्त विभागसूत्रभाष्य, त्रिह्वभावनिर्देश, विज्ञप्तिमात्रताविशतिका, त्रिशिका पंचस्कन्ध प्रकरण, व्याख्यायुक्ति, कर्मसिद्धिप्रकरण, सद्धर्मपुण्डरीकोपदेश, वज्रच्छेदिका, प्रज्ञापारमिताशास्त्र तथा आयदेव के शतशास्त्र की व्याख्या आदि ग्रन्थ द्वितीय परम्परा से सम्बद्ध हैं।

वसुबन्धु के सभी ग्रन्थ सर्वास्तिकवादी सिद्धान्तों से अप्रभावित नहीं रहे। फिर भी वे विज्ञानवाद के प्रस्थापक आचार्य कहे जा सकते हैं। विज्ञप्तिमात्रता, धर्मधानु और शून्यता समानार्थक शब्द हैं। धर्मों का विज्ञान-संसर्ग अभिधर्म का विज्ञानवाद है। यह विज्ञप्तिमात्रता नित्य है। ध्वस्तसक, लंकावतार आदि सूत्रों में विज्ञानवाद के बीज मिलते हैं जिन्हें मैत्रेय, असंग ने पुष्पित किया है पर उन्हें फलित करने का श्रेय निश्चित ही वसुबन्धु को दिया जायगा।

वसुबन्धु के प्रधान शिष्य चार थे—स्थिरमति, विमुक्तसेन, गुणप्रभ तथा दिङ्नाग। स्थिरमति ने त्रिशिकाभाष्य, मध्यान्त विभंगसूत्रभाष्य टीका, अभिधर्मकोषव्याख्या, अभिधर्मसमुच्चय, काश्यपपरिवर्त व्याख्या तथा वसुबन्धु

की अन्य रचनाओं पर व्याख्याएँ लिखी हैं। स्थिरमति के सिद्धों में पूर्णवर्धन, जिनमित्र तथा शशिनद्रबोधि के नाम उल्लेखनीय हैं। विमुक्तिरेन की अभिसमयालंकार पर व्याख्या प्रसिद्ध है। स्थिरमति माध्यमिक और विज्ञानवाद के मध्यगामी पथिक थे।

**दिङ्नाग**—वसुबन्धु के शिष्य दिङ्नाग मध्यकालीन भारतीय तर्कशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। वे दाक्षिण के काजीपुरम् के समीपवर्ती सिंहवक्र ग्राम में एक ब्रह्मण परिवार में जन्मे थे। उनका समय ई. ४४५ से ५७५ के बीच रखा जा सकता है। उनके प्रमुख ग्रन्थ ये हैं—अभिधर्मकोषमर्मप्रदीप, अष्टसहस्रिका-पिण्डः, त्रिकाल परीक्षा, अलम्बन परीक्षा, हेतुचक्रममर्धन, न्यायमुख, प्रमाण-समुच्चय आदि। इनमें प्रमाणसमुच्चय सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त दार्शनिक ग्रन्थ माना गया है। दिङ्नाग के योगदान को हम निम्न विशेषताओं में देख सकते हैं।

( १ ) ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का त्रिविध भेद।

( २ ) सभी (प्रमाणों का अन्तर्भाव प्रत्यक्ष एवं अनुमान) में क्रिया-ज्ञान।

( ३ ) पञ्च अवयवों प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण उपनय तथा निगमन में अन्तिम दो अवयवों का निरर्थक सिद्ध करना। उन्हीं अनुमान को अधिक महत्त्व दिया।

**ईश्वरसेन और शंकरस्वामी**—दिङ्नाग के शिष्यों में ईश्वरसेन और शंकर स्वामी प्रधान शिष्य थे। शंकर स्वामी ने हेतुविद्या न्यायशास्त्र और न्याय-प्रवेशतर्कशास्त्र नामक दो ग्रन्थों की रचना की। चीनी भाषा में उनका अनुवाद भी हुआ है।

**धर्मपाल**—वसुबन्धु के शिष्य थे। इनके प्रमुख ग्रन्थ हैं—अलम्बन प्रत्यय-ध्यान शास्त्र व्याख्या, विज्ञानमात्रतासिद्धिव्याख्या, और शतशास्त्रव्याख्या। उनका समय सप्तम शती है।

**धर्मकीर्ति**—बौद्धन्याय को समालोचिक करने का श्रेय धर्मकीर्ति को है। उनकी अग्रगण्य विद्वत्ता और तीक्ष्ण तर्कशीलता स्पृहणीय है। उनका जन्म क्षत्रियवर्ती त्रिमलय में हुआ था। पिता का नाम कोहनन्द था। वे धर्मपाल के शिष्य थे। धर्मपाल ई० ६४२ तक रहे अतः धर्मकीर्ति का समय सप्तम शताब्दी माना जाना चाहिए। डॉ० महेन्द्र कुमार न्यायाचार्य ने यह समय ई० ६२६-

६८५ तक रखा है।<sup>१</sup> धर्मकीर्ति के प्रधान ग्रंथ हैं—प्रमाणवार्तिक ( स्ववृत्ति सहित ), न्यायबिन्दु, प्रमाणविनिश्चय, संतानांतरसिद्धि, वादन्याय, हेतुबिन्दु, सम्बन्धपरीक्षा एवं जोदना प्रकरण । इन ग्रंथों में प्रमाणवार्तिक अधिक अध्ययन का विषय बना । इस पर देवेन्द्रबुद्धि, शाक्यबुद्धि, धर्मोत्तर, ध्यानदवर्धन ज्ञानश्री, प्रज्ञाकरगुप्त आदि आचार्यों ने टीकाएँ लिखीं हैं ।

धर्मकीर्ति का प्रभाव जैनाचार्य अकलंक पर अधिक पड़ा । उन्होंने धर्मकीर्ति के ग्रन्थों का उद्धरण देते हुए उनका तर्कपूर्वक खण्डन किया । उद्योतकर आदि आचार्यों की भी आलोचना के वे पात्र बने । विद्वत्ति मात्रता को उन्होंने और भी व्यवस्थित किया । प्रमाण लक्षण में अत्रान्त पद का सश्लेष किया । स्वसंवेदेन का समर्थन किया ।<sup>२</sup> बौद्धदर्शन में उनका यह योगदान नितान्त मौलिक था ।

प्रज्ञाकरगुप्त—आचार्य प्रज्ञाकरगुप्त का समय अष्टम शताब्दी का प्रथम चरण माना जाना चाहिए । विद्यानन्द, अनन्तवीर्य, प्रभाचन्द, वादिराज, वादिदेव सूरि आदि जैनाचार्यों ने प्रज्ञाकरगुप्त को उद्धृत किया है । वे धर्मकीर्ति के उत्तरवर्ती काल के समकालीन आचार्य थे । अकलंक ने भी उनके ग्रन्थों का आलोचन किया था । प्रमाणवार्तिकालङ्कार प्रज्ञाकरगुप्त का प्रथम ग्रन्थ है । विनीतदेव प्रज्ञाकरगुप्त के शिष्य माने जाते हैं । बुदोन परम्परानुसार विनीतदेव के ग्रन्थ निम्नलिखित हैं—ममयभेदोपरचनाचक्र, ध्यायबिन्दुटीका, हेतुबिन्दुटीका, वादन्याय व्याख्या, सम्बन्धपरीक्षा टीका, आलम्बनपरीक्षा टीका और सन्तानन्तरसिद्धिटीका । यमारि ( नवमी शताब्दी ) की प्रमाणवार्तिकानकारटीका भी यहाँ उल्लेखनीय है ।

इनके अतिरिक्त कुछ आचार्य और उनके ग्रन्थ और उल्लेखनीय हैं । उदाहरणार्थ देवेन्द्रबुद्धि अथवा देवेन्द्रमति ( सप्तम-अष्टम शताब्दी ) की प्रमाणवार्तिकटीका, शंकरानन्द की प्रतिबन्धसिद्धि, अरोहसिद्धि, सम्बन्धपरीक्षानुसार और प्रमाणवार्तिकटीका, जितेन्द्र बुद्धि अथवा जितेन्द्रबोधि की प्रमाणसमुच्चयटीका, कल्याणरक्षित ( अष्टम-नवम शताब्दी ) का अन्यापोहसिद्धि, ईश्वरभङ्गकारिका, सर्वज्ञासिद्धिकारिका, श्रुतिपरीक्षाकारिका और बाह्यार्थसिद्धिकारिका, रविगुप्त ( अष्टम शताब्दी ) की प्रमाणवार्तिकवृत्ति, अर्चट ( धर्माकरदत्त ) ( अष्टम शताब्दी प्रथम चरण ) की हेतुबिन्दुटीका, क्षणभङ्गसिद्धि, और प्रमाण-

१. सिद्धिविनिश्चय टीका, भाग १, भूमिका पृ. २७.

२. वही, पृ. २७-८

द्वैतसिद्धि, शान्तभद्र ( ७२५ ई. ) की न्यायबिन्दुटीका, दुर्वेकभिक्षु को न्याय-बिन्दुटीका टिप्पण, कर्णकमोमिन् ( अष्टम सदी का प्रथम चरण ) को प्रमाण-वार्तिक वृत्ति, धर्मोत्तर ( सप्तम सदी का अन्तिम चरण ) की प्रमाण परीक्षा, अपोहप्रकरण, परलोकसिद्धि और क्षणभङ्गसिद्धि, हरिभद्र ( दशम सदी ) का अभिसमयालङ्कारालोक, प्रज्ञापारमिताटीका आदि । इन ग्रन्थों और उनके प्रणेताओं के योगदान ने विज्ञानवादीय शाखा को अत्यन्त समृद्ध किया है । दार्शनिक सिद्धान्तों के विकास की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हैं । जैन और जैनोत्तर आचार्यों पर भी इनका प्रभाव दिखाई देता है । उसका अध्ययन अपेक्षित है ।

### शून्यवाद अथवा माध्यमिक साहित्य

माध्यमिक सम्प्रदाय की विशेषता है कि वह हीनयान द्वारा मान्य सत् और असत् के बाद एक अनिर्बचनीय तत्त्व को भी स्वीकार करने हैं । उनके अनुसार समस्त पदार्थ जगत् स्वभावतः शून्य है । जो कुछ दृष्टिगोचर होता है वह माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं । इस सिद्धान्त को बौद्ध साहित्य में पुद्गलनैरात्म्य, धर्मनैरात्म्य अथवा स्वभावशून्यता कहा जाता है । प्रज्ञापारमितामूर्तों का यही अभिधेय है । इसे बोधिमत्त्व सिद्धान्त भी कहा जाता था ।

**नागार्जुन**—नागार्जुन शून्यवाद-माध्यमिक सम्प्रदाय के प्रस्थापक और व्यवस्थापक आचार्य थे । उनका जन्म-स्थान कुमारजीव ( ई० ४०५ ) के अनुसार विदर्भ और मुद्गल-ज्वांग के अनुसार दक्षिण कोल था । चीनी परम्परा, महामेघसूत्र और बुदान परम्परा में नागार्जुन का जन्म क्रमशः बुद्ध परिनिर्वाण के ७००, ४०० और ४०० वर्ष बाद हुआ । आचार्य जन्मजात प्रतिभा सम्पन्न थे । दार्क्षणात्य ब्राह्मण होने के कारण वे वेदों के मार्मिक अध्येता तो थे ही, साथ ही कालान्तर में बौद्धभिक्षु बनने पर उन्होंने तीन माह में ही समूचा त्रिपिटक हृदयस्थ कर लिया था । एक कुशल चिकित्सक और रसायनशास्त्रज्ञ होने के कारण बौद्धधर्म के मर्म को समझने में उन्हें द्रविड़-आणायाम नहीं करना पड़ा । विद्याधारी होने से उन्हें महायान सूत्र उपलब्ध हुआ । उनकी शायद यही शून्यवाद की प्रस्थापना की भूमिका होगी ।

नागार्जुन का कार्यक्षेत्र दक्षिण भारत अधिक रहा है । धान्यकटक-ओपवंत ( नागार्जुनीकॉड, गुन्टूर ) उनकी प्रचार-भूमि रही है । इनके समय के विषय में विद्वानों में मतभेद नहीं । तारानाथ के अनुसार वे कनिष्क के समकालीन थे । सिम्बली परम्परा इनका समय २१२-४८२ ई० मानती है । परन्तु उनकी

समसामयिकता यज्ञमी गंतमीपुत्र ( १९६-१९९ ई० ) के साथ प्रथम युक्तिसंगत है। सातबाहून राजाओं का भी नागार्जुन के माहिल्य में उल्लेख मिलता है। अतः उनका समय द्वितीय-तृतीय शताब्दी माना जा सकता है। प्रभावधिक्य और लोकप्रियता होने के कारण ही शायद नागार्जुन का जीवनकाल विविध परम्पराओं में ३०० और ६०० वर्षों तक रहा हो। समस्त परम्पराओं के देखने से यह स्पष्ट है कि नागार्जुन का जीवन महायान के 'आतरेक्य' वैशिष्ट्य से आपूर है। तान्त्रिक आचार्यों के रूप में भी वे प्रसिद्ध हैं। सत्य है कि वे बहुमुखी व्यक्तित्व के घनी आचार्य्य थे।

नागार्जुन एक कुशल लेखक और विद्वज्जनप्रेमी व्यक्ति थे। आर्यदेव को शिष्यत्व प्रदान करने के लिए उनकी परीक्षा का प्रकार बेजोड़ था। नागार्जुन के लगभग २० ग्रन्थों में उस व्यक्तित्व की विद्वत्ता और गहन तर्कप्रवीणता दृष्ट्य है। चीनी अनुवाद में उनके २० ग्रन्थ मुरजित हैं। बुनियो नाजियो ने कुछ ग्रन्थों का उल्लेख किया है—माध्यमिक कारिका ( माध्यमिक शास्त्र ), दश-भूमिभिभाषाशास्त्र, महाप्रज्ञापारमिताशास्त्र, उपायकौशल्य, प्रमाणविध्वंसन, विग्रहध्यावर्तनी, चतुःस्तव, युक्तिवष्टिका, शून्यता सप्तति, प्रतीत्यसमुत्पाद हृदय, महायानविशक और सुहृल्लेख। प्रायः इन सभी ग्रन्थों पर चीनी अनुवाद उपलब्ध होता है। ये सभी रचनायें शून्यतावाद की प्रतिष्ठापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इनमें मुख्य रचनायें हैं—महाप्रज्ञापारमिताशास्त्र, माध्यमिक-कारिका और विग्रहध्यावर्तनी। यहाँ संबुतिसत्य और परमार्थसत्य के आचार पर जगत को शून्यात्मक बताने का मफल प्रयत्न किया है।

नागार्जुन का नाम चीरामी सिद्धों में गिना जाता है। महा० राहुल सांक्रुत्यायन ने उन्हें सोलहवां सिद्ध कहा है और काञ्ची का ब्राह्मण तथा सगह-पाद का शिष्य बताया है। ब्लू एनल्स में उन्हें दक्षिण में गुह्यसमाज का संस्थापक माना गया है ( २, पृ. ७५३ )। कुमारजीव ने चीनी भाषा में ई० ४०५ में नागार्जुन की जीवनी का अनुवाद किया है। अतएव नागार्जुन का समय इसके पूर्व ही माना जाना चाहिए। इस दृष्टि से चीरामी सिद्धों में उल्लिखित नागार्जुन कोई और ही होंगे।

### आर्यदेव और उनके ग्रन्थ

आचार्य्य आर्यदेव शून्यवाद के अन्यतम आचार्य्य हैं। उनके विषय में देश देशान्तरों में अनेक परम्परायें प्रसिद्ध हैं। बुदोन परम्परा के अनुसार आर्यदेव का जन्म सिंहल में हुआ था। चन्द्रकोर्ति की भी यही मान्यता है। तत्कालीन

राजा के साक्षिण्य में आर्यदेव तरुण हुए, प्रव्रजित हुए और वहीं से दक्षिण भारत में आकर नागार्जुन से दीक्षा ग्रहण की। इस प्रसंग में एक घटना उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि नागार्जुन ने शिष्यत्व दीक्षा देने के पूर्व आर्यदेव की परीक्षा लेनी चाही। उन्होंने आर्यदेव के समक्ष भापूर जलपात्र भेजा। आर्यदेव ने जलमं सूचिका (सुई) डालकर उसे वापिस कर दिया। भापूर जलपात्र नागार्जुन के ज्ञानोदधि का प्रतीक है और सूचिका-भेद आर्यदेव द्वारा उसमें किये गये भवगाहन का द्योतक है। यह प्रतीकात्मक पद्धति दोनों आचार्यों के व्यक्तित्व का सददर्शन है।

इसी प्रकार एक अन्य घटना विश्रुत है। दक्षिण में आर्यदेव के समय में माहेश्वर की एक रमणीक स्वरूप-प्रतिमा थी। उसके विषय में यह जनश्रुति थी कि उसके समक्ष अभिव्यक्त कामना फलदायी होती थी। इस जनश्रुति को मात्र ब्रह्मक सिद्ध करने के उद्देश्य से उन्होंने उनका एक नेत्र भंग कर दिया और अहंकाराभाव की अभिव्यक्ति की दृष्टि से स्वतः अपना नेत्र भा विलुप्त कर लिया। इसी घटना से सम्बद्ध एक अन्य परम्परा भी प्रसिद्ध है। बुदोन के अनुसार आर्यदेव नालन्दा गये। वहाँ मातृचेत नामक माहेश्वर से शास्त्राथ किया और सद्धर्म की रक्षा की। श्रीपर्वत से नालन्दा जाते हुए आर्यदेव ने वृक्ष-देवता को अपना एक नेत्र समर्पित कर दिया। एक नेत्र न होने कारण उन्हें 'काणदेव' कहा जाता था।

कहा जाता है कि नेत्र-विहीन होने पर भी वे सदसनेत्रवान् से अधिक जानी थे। श्वान्-ध्यांग के अनुसार परवर्ती बौद्धधर्म में नागार्जुन, अश्वघोष, आर्यदेव और कुमारलब्ध अथवा कुमारलात ऐसे चार प्रतिभाशील आचार्य हुए हैं जिन्हें "संसार को आलोकित करने वाले चार मूर्य" कहा जा सकता है। आर्यदेव निश्चित ही कुशल तार्किक और प्रतिभा सम्पन्न आचार्य थे। चतुःशतक आदि ग्रन्थों में उनकी विद्वत्ता का दर्शन होता ही है।

आर्यदेव नागार्जुन के प्रधान शिष्य थे। पीछे हम आचार्य नागार्जुन का समय चतुर्थ शताब्दी के पूर्व निश्चित कर चुके हैं। आर्यदेव नागार्जुन के साक्षात् शिष्य थे। अतः उनका समय भी लगभग यही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ और प्रमाण इसके पक्ष में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

१—तारानाथ, मुम्पा, ब्लू एनल्स एवं चतुरशीतिसिद्धप्रवृत्ति ने चौरासी सिद्धों का विवरण प्रस्तुत किया है। उसमें नागार्जुन को सोलहवां और आर्यदेव (कर्णारिपा) को अठारहवां सिद्ध बताया है। साधारणतः इन सिद्धों का काल ८ से १२वीं शताब्दी माना जाता है। परन्तु इस प्रकार समय का निर्धारण

सम्भव नहीं। यह शकिक सम्भव है कि परवर्ती बौद्ध साहित्य और दर्शन के विकास में जिन भाषायों का योगदान अधिकाधिक हुआ होगा उनकी गणना सिद्धों में कर ली गई होगी। अतएव चौरासी सिद्धों की रचना एक समूह विकास का परिणाम है, एक काल का नहीं। नागार्जुन और आर्यदेव की जीवितियों का अनुबाब कुमारजीव ने ई० ४०५ में किया है। अतएव इनका समय तृतीय शताब्दी का द्वितीय-तृतीय चरण होता चाहिए।

२—आर्यदेव के चतुःशतक को देखने से यह स्पष्ट है कि उसकी भाषा और शैली उपरोक्त काल से उत्तरवर्ती नहीं। भाषा की सरलता और महजता ई० सन् की प्रारम्भिक शताब्दियों की विशेषता है। यह विशेषता वहाँ दृश्य है।

३—माध्य, जैनादि दर्शनों की खण्डन परम्परा में आर्यदेव का योगदान भी उक्त काल के बाद का नहीं दिखाई देता है।

इन सभी कारणों से आर्यदेव को तृतीय शताब्दी का दार्शनिक मना जाना चाहिए। डॉ० लालमणि जोशी ने उनको आठवीं शताब्दी का दार्शनिक स्वीकार किया है।<sup>१</sup> परन्तु उक्त तर्कों के आधार पर उनका मत तर्क संगत नहीं लगता। और न ही चौरासी सिद्धों के आर्यदेव और चतुःशतक के लेखक आर्यदेव के बीच अपृथगत्व दिखाई देता है।

आर्यदेव के नाम पर अनेक ग्रन्थों का उल्लेख आया है—माध्यमिक चतुःशतिका, माध्यमिक हस्तबालप्रकरण, स्थलितप्रमथन युक्तहेतुसिद्धि तथा ज्ञानमारममुचय। डॉ० हरप्रसादशास्त्री ने नेपाल से आर्यदेव के एक अन्य ग्रन्थ की खोज की है। चूँकि इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में लेखक का नामालेख नहीं है फिर भी उन्होंने उसे आर्यदेव का ग्रन्थ माना है। उनके मतानुसार, ऐसा लगता है, वे शून्यवादा आर्यदेव एव तान्त्रिक आर्यदेव को अपृथक् मानते हैं। परन्तु यह उचित नहीं। नागार्जुन के शिष्य आर्यदेव को तान्त्रिक आर्यदेव से नितांत भिन्न होना चाहिए। शून्यवादी आर्यदेव के चतुःशतक, चित्तविशुद्धिप्रकरण तथा हस्तबालप्रकरण नाम के ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। अन्तिम दो ग्रन्थों के विषय में मतभेद नहीं, परन्तु हमारे मत से उनका लेखक नागार्जुन का शिष्य आर्यदेव ही होना चाहिए। चतुःशतक को बौद्धमतव्य योगाचारशास्त्र भी कहा गया है। जो इस बान का सूत्रक है कि यह ग्रन्थ बौद्धमत सिद्धान्त और शून्यतावाद के बीच समन्वय-प्रस्थापन की मुद्दा भूमिका रहो है।

१. स्टीविस इन दी बुद्धिस्ट कल्चर आफ इन्डिया, पृ० ३३६

२. बौद्धगानधो बोहा



( १ ) चतुःशतक—जैसा ग्रन्थनाम से स्पष्ट है, इसमें चार सौ कारिकाएँ हैं जो सोलह प्रकरणों में विभाजित की गई हैं। प्रत्येक प्रकरण पञ्चोस कारिकाओं का है। ग्रन्थ के दो भाग हैं। स्वमतस्थापन एवं परमतक्षयन। दोनों भागों में आठ-आठ प्रकरण संनिधोजित हैं। इन प्रकरणों परचन्द्रकीर्ति की व्याख्या भी उपलब्ध है। व्याख्या सहित अष्टम प्रकरण से सोलहवें प्रकरण तक के भाग का सम्पादन महा० डॉ० विद्युदोखर भट्टाचार्य ने द्वितीय भाग के रूप में किया था जो १९३१ में विश्व भारती से प्रकाशित हुआ था। इसके पूर्व डॉ० परशुराम वैद्य एवं महा० हरप्रसाद शास्त्री ने भी इसी ग्रन्थ पर कार्य किया था। चतुःशतक के सोलह प्रकरणों के नाम एवं विषय इस प्रकार हैं—१. नित्यप्राहप्रहाणोपाय-सन्दर्शन, २. सुखप्राहप्रहाणोपाय; ३. बुधियाहप्रहाणोपाय; ४. आत्मप्राह भ्रष्टवा अहंकारप्रहाणोपाय; ५. बोधिसत्वचर्या; ६. वलेशप्रहाणोपाय; ७. मनुमेष्टिसंभोग-विनिषेधप्रहोणोपाय; ८. शिष्यचर्या; ९. नित्यार्थप्रतिषेधभावनासंदर्शन; १०. आत्म-प्रतिषेध भावना; ११. कालप्रतिषेधभावना; १२. दृष्टिप्रतिषेधभावना; १३. इन्द्रि-यार्थप्रतिषेधभावना; १४. अन्तप्राहप्रतिषेधभावना; १५. संसृज्जार्थप्रतिषेधभावना, एवं १६. गुह्यशयविनिश्चय भावना संदर्शन। उत्तर भाग पर धर्मपाल ने भी व्याख्या लखी थी। उसके अनुसार चतुःशतक के विषय को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—धर्मशासन एवं विग्रहशतक। धर्मदास ने प्रत्येक कारिका के साथ दृष्टान्तों का संयोजन किया था।

## ( २ ) हस्तबालप्रकरण अथवा मुष्टिप्रकरण

बुनियों नान्जियों की सूची Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist Tripitaka ) में एक प्रति का उल्लेख है जिसका नाम है मुष्टिप्रकरण (?) शास्त्र (तालान्तरक शास्त्र)। इसका अंग्रेजी में अनुवाद "Shastra on the explanation of the first" नामक शीर्षक से किया गया है। इसे चीनी साहित्य में दिग्नाग (Gina) का कार्य बताया गया है और तिब्बती साहित्य में आर्यदेव का। Sir M.A. stem के द्वारा Tun-huang से लायी गई प्रतियों में इस ग्रन्थ की भी तीन प्रतियाँ थीं जिन्हें आर्यदेव द्वारा रचित बताया गया है। चीनी प्रतियाँ परमार्थ (५५७-५६६ ई०) और ईस्लिंग (७०३ ई०) के समय की हैं। दोनों प्रतियों के अध्ययन से समझता है कि चीनी प्रतियों में उल्लिखित दिग्नाग शायद व्याख्याकार रहा

हीमा ।<sup>१</sup> इस ग्रन्थ में कुल छः कारिकायें हैं । प्रथम पाँच कारिकाओं में संसार के मायावी स्वरूप का वर्णन और अन्तिम कारिका में परमार्थ का निरूपण है ।

### ( ३ ) चित्ताविशुद्धिप्रकरण

इस ग्रन्थ में वैदिक क्रियाकाण्ड का विरोध किया गया है और तान्त्रिक बातों की प्रस्थापना की गई है । इसमें चार और राशियों के भी नाम मिलते हैं । इन आशारों पर कुछ विद्वान उसे आर्यदेव का ग्रन्थ नहीं मानते । परन्तु यह ठीक नहीं । चतुःशतक में भी ये बातें किता सीमा तक प्राप्त होती हैं । अतः यह ग्रन्थ चतुःशतक के लेखक आर्यदेव का ही होना चाहिए । बुस्तोन ने इसे "चित्तावरणविशोधन" नाम से उल्लिखित किया है ।<sup>२</sup>

### प्रासंगिक और स्वातन्त्रिक शास्त्रार्थ

नागार्जुन और आर्यदेव के प्रबल तर्कों ने शून्यवाद की स्थापना हो चुकी थी फिर भी इसका विषय जनसाधारण को हृदयग्राह्य नहीं था । लगभग पञ्चम-षष्ठ शताब्दी में माध्यमिक सम्प्रदाय में मतभेद हुआ और फलतः प्रासङ्गिक और स्वातन्त्रिक शास्त्रार्थों का जन्म हुआ । बुद्धपालित और भावविवेक इन दोनों शास्त्रार्थों के क्रमशः संस्थापक माने गये हैं ।

प्रासङ्गिक मत के अनुसार सभी पदार्थ स्वभावतः शून्य हैं । वहाँ दृष्टान्त का कोई तात्पर्य नहीं, तथा अनुमान का कोई अर्थ नहीं । अतः स्वभावशून्यता के सिद्धान्त की पुष्टि हो जाती है । चन्द्रकीर्ति संबुत्ति सत्य को लोकसंबुत्ति और अलोकसंबुत्ति के भेद से दो प्रकार का मानते हैं । प्रासंगिकमत की दृष्टि में प्रमाण-प्रमेय व्यवहार संबुत्तिसत्य है परन्तु सापेक्षता के कारण वह स्वभावशून्य है । इस सिद्धान्त के विरोध में अनेक तर्क प्रस्तुत किये गये जिनके समाधान के लिए स्वातन्त्रिक शास्त्रा की स्थापना हुई । यह शास्त्रा विज्ञानवाद से प्रभावित थी । इसमें परमार्थ पर विशेष ध्यान दिया गया । उसके दो भेद माने गये— पर्याय परमार्थ ( अभिसंस्कृत ) और अपर्याय परमार्थ ( अनभिसंस्कृत ) । संबुत्ति के भी तथ्यसंबुत्ति और मिथ्यासंबुत्ति के भेद से दो भेद कर दिये गये । ज्ञान भी परोक्ष और अपरोक्ष है । अपरोक्षज्ञान के माध्यम से ही परमार्थ का

१. थामस, एफ. डब्ल्यू. दी हेन्ड ट्रीटाईज, ए वर्क ऑफ आर्यदेव J.R.A.S. (१६१८), पृ. २६७ ।

२. शास्त्री, हरप्रसाद, J.A.S.B. (१८६८) पृ. १७४

साक्षात्कार करना सम्भव होता है। झूल-धवांग ने स्वातन्त्रिकों पर सांख्य का प्रभाव माना और तिब्बती आचार्यों ने उन्हें माध्यमिक सौत्रान्तिक कह दिया।<sup>१</sup>

बुद्धपालित के विषय में हमें अधिक ज्ञात नहीं। उन्होंने लगभग पञ्चम शताब्दी में नागार्जुन की माध्यमिक कारिका पर एक वृत्ति लिखी थी जो तिब्बती साहित्य में उपलब्ध है। उन्होंने चन्द्रकीर्ति के सप्तम शती की प्रथम-द्वितीय चरण में माध्यमिक कारिका पर 'प्रसन्नपदा' नाम की वृत्ति लिखी। उनके माध्यमिकवतार और चतुःशतक वृत्ति ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं। बुद्धपालित ने भावविवेक को खण्डित करने का यथाशक्य प्रयत्न किया। नागार्जुन के ये सफल व्याख्याकार सिद्ध हुए। चन्द्रकीर्ति धर्मपाल के शिष्य थे तथा भव्य और कमलसिद्धि के शान्तिध्व में उन्होंने नागार्जुन का अध्ययन किया था। बुद्धो ने परम्परा उन्हें दक्षिणवासी तथा भ्रूलौकिक शक्तियों का पुञ्ज मानती है। चित्रलिखित गाय का दोहन और विना स्पर्श किये पापाण को स्वर्ण बना देना उनकी शक्तियों के विशेष रूप हैं। नागार्जुन, धार्यदेव, बुद्धपालित और चन्द्रकीर्ति प्रामाणिक सम्प्रदाय के प्रधान आचार्य थे। इस सम्प्रदाय को "लोकप्रसिद्धि वर्गाचारि माध्यमिक" भी कहा गया है।

स्वातन्त्रिक शाखा के प्रधान आचार्य है भव्य अथवा भावविवेक। उन्होंने बुद्धपालित के सिद्धांतों का सूक्ष्म तर्कों से खण्डनक रत्न का प्रयत्न किया। ये धर्मपाल के समसामयिक और शीलभद्र के आचार्य हैं। अतः उनका समय छोटी शताब्दी माना जा सकता है। महायान करतल रत्नशास्त्र, माध्यमिक हृदयकारिका, मध्यमार्थ संग्रह, तथा माध्यमिक कारिकाओं पर प्रज्ञापदीप नाम की उनकी वृत्ति मिलनी है। भावविवेक के बाद ज्ञानगर्भ ने माध्यमिक सत्यद्वय अथवा सत्यद्वयविभंग नामक ग्रन्थ लिखा। बुद्धो ने परम्परा भावविवेक को योगाचार माध्यमिक सम्प्रदाय का आचार्य मानती है। तदनन्तर अवलोकित ने माध्यमिकशास्त्र पर भव्य द्वारा लिखित टीका पर प्रज्ञापदीपटीका नामक अनुटीका लिखी। ज्ञानगर्भ और अवलोकित का समय आठवीं शताब्दी होना चाहिए।

**शान्तिध्व**—सून्यतावाद के अत्यन्त मूर्धन्य समर्थक आचार्य शान्तिध्व का समय सप्तम शताब्दी माना जाता है। तारानाथ के अनुसार सीराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। वे श्रीहर्ष के पुत्र शील के समसामयिक थे। धर्मपाल के वे शिष्य थे। बुद्धो ने परम्परा में भिक्षु होने के पूर्व उन्हें शान्तिवर्मन् कहा जाता

१. जोशी, लालमण्डि, स्टडीज इन दी बुद्धिस्ट कल्चर आफ इण्डिया, पृ. २२१।

था। सौराष्ट्र के कल्याणवर्मन् के वे सुपुत्र थे। दक्षिण भारत भी उनका कार्य-क्षेत्र रहा है। मञ्जुषी उनके आराध्यदेव थे। बुद्धों और सुम्पाखान्यों परम्परायें शान्तिदेव की एवं भू-भू-भू को एक ही व्यक्तित्व मानती हैं। उन्होंने शिक्षासमुच्चय, सूत्रसमुच्चय और बोधिवर्यावतार ग्रन्थों का निर्माण किया। कुछ तन्त्रग्रंथ भी उनके नाम पर हैं। डॉ० हरप्रसाद शास्त्री भी भू-भू-भू को शान्तिदेव ही मानते हैं। शान्तिदेव का शिक्षा समुच्चय और बोधिवर्यावतार मध्यमिक सम्प्रदाय के प्रमुख ग्रन्थ हैं।

प्रज्ञाकरमति ( सातवीं-आठवीं शताब्दी ) ने शान्तिदेव के बोधिवर्यावतार पर पञ्जिका लिखी। शिक्षा समुच्चय में उल्लिखित ग्रन्थों के प्रतिरिक्त इसमें अनेक ग्रन्थों और आचार्यों के नामों का उल्लेख है। इस दृष्टि से यह ग्रन्थ विशेष महत्वपूर्ण है। शील भद्र ( सातवीं शताब्दी ) ने आर्षबुद्धभूमि व्याख्यान नामक ग्रन्थ लिखा जो तिब्बती भाषा में सुरक्षित है। सिहराश्रम ( षट्शताब्दी और प्रज्ञामूलशास्त्र के रचयिता ) जयसेन, प्रज्ञागुप्त, भृगुहरि ( ? ) चन्द्र, चन्द्रगोमिनि आदि आचार्यों का भी योगदान अविस्मरणीय है।

शान्तरक्षित का समय अष्टम शताब्दी माना जाता है। वे नालन्दा विद्या-पीठ के अधिष्ठाता और बौद्धदर्शन के प्रमुख व्याख्याता रहे। उनका तत्त्वसंग्रह नाम का संस्कृत में लिखित ग्रन्थ सर्वत्र विद्यमान है। वेदान्त, मांख्य, जैन, बौद्धिक आदि सभी दर्शनों की समानोचना इस ग्रन्थ में की गई है। बौद्धदर्शन का यह महनीय ग्रन्थ है। तारानाथ के अनुसार शान्तरक्षित के ग्रन्थ ग्रन्थ हैं— मध्यमिकालच्छास्त्रकारिकावृत्ति, वादन्यायवृत्तिवपञ्जितार्थ, हेतुचक्रडमाह, तत्त्व-सिद्धि आदि।

शान्तरक्षित की कृपा से कमलशील को तिब्बत पहुँचने का निमन्त्रण मिला। वहाँ उन्होंने नागार्जुन-दर्शन का प्रचार-प्रसार किया। कहा जाता है कि उनके व्यक्तित्व से ईर्ष्या करने वाले कुछ लोगों ने उनकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। उनके प्रमुख ग्रन्थ हैं—तत्त्वसंग्रह पाञ्जिका, न्यायविन्दुपूर्वपक्षसंक्षेप, माध्यमिकालोक और भाव-ताक्रम। उन्हें आर्यसप्तशतिका प्रज्ञापारमिता टीका, आर्यवज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता-टीका, प्रज्ञापारमिता हृदयनामटीका, दक्षिणीचञ्जगुह्यगीतिनाम महोपदेश एवं तद्गुह्योपदेश वज्रगुह्यगीति नामक ग्रन्थों के भी लेखक के रूप में तिब्बती परम्परा में स्मरण किया जाते हैं। शान्तरक्षित और कमलशील के ग्रन्थों में माध्यमिक योगचार के और तत्त्व उपलब्ध होते हैं। इस दृष्टि से शान्तरक्षित का महत्व और अधिक सिद्ध हो जाता है।

## तान्त्रिक बौद्ध साहित्य

तन्त्र शब्द की निष्पत्ति तद् धातु से विस्तार अर्थ में हुई है। कालान्तर में इसी शब्द का प्रयोग बुनने के अर्थ में होने लगा। प्रतीकात्मक रूप से पुस्तक अथवा संग्रह के अर्थ में भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है। बाद में इस शब्द का प्रवेश अध्यात्मिक क्षेत्र में भी हुआ। अध्यात्म मानवीय और ईश्वरीय शक्ति से सम्बन्ध रहता है। मानव ईश्वरीय कृपा-प्राप्ति के उद्देश्य से इष्टदेव की विविध उपासना करता है। शक्ति विशेष को समन्वित करने के लिए उपासना की पद्धतियों में क्रमिक विकास होता जाता है। इस सन्दर्भ में ज्ञान की अपेक्षा क्रिया का महत्व अधिक बढ़ जाता है।

शक्ति की उपासना व्यक्ति की दुर्बलता की अनुभूति पर निर्भर करती है। उपासना दुर्बलताजन्य भावों को उद्दीप्त करने का मात्र आयास है। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति स्वयं को ईश्वर विशेष से हीन समझता है। फलतः उसकी उपासनाकर वह अपनी विपत्तियों को दूर करने का प्रयत्न करता है। तन्त्र का जन्म यहीं होता है। सिन्धु सभ्यता के उत्खनन में मातृशक्ति का दर्शन, वैदिक साहित्य में ऋचायें और स्तोत्र, गीता-मनुस्मृति का जप-तप तथा योग एवं उपनिषद्, संहिता आदि की मन्त्रात्मक प्रवृत्ति, जैन एवं बौद्ध संस्कृति के विविध स्तोत्र और मन्त्रप्रकर, मानवीय प्रकृति का प्रस्तुत करने के उत्तम उदाहरण है। उपासना का सम्बन्ध कर्मों की निर्जरा करने से है। अतः तन्त्र का उपयोग कर्म के कठोर जाल से मुक्त होने के लिए किया गया। इस प्रक्रिया के मुख्य लक्षण है—ज्ञान और कर्म का समुच्चय, शक्ति की उपासना, प्रतीकप्राचुर्य, गोपनीयता, अलौकिक सिद्धि चमत्कार, गुह्य का महत्त्व, मुद्रा-मण्डल-यन्त्र-मन्त्र आदि का प्रयोग, सांसारिक भागों का सम्मान एवं उनका अध्यात्मिक उपयोग<sup>१</sup>।

बौद्धधर्म में तन्त्र की यह समूची पृष्ठभूमि उपलब्ध होती है। वहाँ मूलरूप में भैरविक क्रियाओं का अभियोग स्मृति और साधना के सन्दर्भ में दिखाई देता है। तन्त्र का विकास होने पर उसे प्राचीन परम्परा से सम्बन्ध करन की दिशा में प्रयत्न प्रारम्भ हुए। फलतः सेकोद्देसटोका ( पृ. ३-४ ) में कालचक्र-

१. बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, पृ. ४५७.

तन्त्र की व्याख्या के प्रसंग में मन्त्रयान को दीपकर बुद्ध द्वारा सञ्चालित, माना । बाद में शाक्य बुद्धि गौतम बुद्ध ने उसे स्वीकार कर धान्यकटक पर्वत पर मन्त्र-यान का उपदेश दिया । लिम्बती परम्परा भी इसे स्वीकार करती है । उसमें भगवान् बुद्ध के तीन धर्मचक्रप्रवर्तनों का उल्लेख हुआ है—शुचिपतन, प्रप्रकृत और धान्यपिटक । इसी प्रकार की ग्रन्थ परम्परायें भी मिलती हैं । तथा—साधनमाला में यह कहा गया है कि जांगुलि का नाशन बुद्ध द्वारा किया गया, तथा वषट्तरस्वती का साधन बुद्ध के अनुसार कराया गया । ये सभी परम्परायें इतिहास संगत नहीं मानी जा सकतीं । भगवान् बुद्ध ने इस प्रकार के साधन कभी नहीं अपनाये । घाटानाटीयसुत्त जैसे कुछ सुत्त ग्रन्थग्रन्थ लिपिटक में उपलब्ध होते हैं परन्तु उन्हें या तो प्रक्षिप्त माना जाना चाहिए अथवा अधिक से अधिक हम उन सुत्तों में तन्त्रयान के बीज पाने का उपक्रम कर सकते हैं ।

तन्त्रयान का वास्तविक प्रारम्भ महासांघिक सम्प्रदाय से हुआ है । उसमें एक पृथक् रूप से निबद्ध 'धारणीपिटक' इस बात का प्रमाण है कि तन्त्र-परम्परा महासांघिक सम्प्रदाय में अधिक लोकप्रिय थी । ललितविस्तार, समाधिराज, लंकावतार आदि सूत्रों में भी यह परम्परा दिखाई देती है । धाम्प्रक, वैतुल्यक आदि शाखाओं में 'मिथुन' को ग्रन्थात्म से सम्बद्ध किया गया है । करणव्यूह में एक धारणी बुद्ध के विषय में भी निबद्ध की गई है । अष्टसाहसिक प्रज्ञापारमिता, प्रज्ञापारमिताहृदय, प्रज्ञापारमिता एकाक्षरी आदि ग्रन्थ भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं ।

प्रज्ञापारमिता एक देवी का रूप माना गया । नाग, यक्ष, गन्धर्व आदि के समान प्रज्ञा की भी उपासना की जाने लगी । नागार्जुन के धर्मसंग्रह में पाँच बुद्ध, चार देवियाँ, अठारह लोकपाल और छः योगिनियों के नाम मिलते हैं । सुखावती व्यूह में अमिताभ और अमितायु का उल्लेख मिलता है । करणव्यूह में उन्हें महेश्वर कहा है । स्वर्णप्रभास में चार ध्यानीबुद्ध और श्रीमहादेवी एवं सरस्वती के उल्लेख प्राये हैं । मंत्रेयनाथ का महायानसूत्रालंकार भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है ।

महायान के तत्त्वों का विकास अज्ज्ञान में हुआ । महायान के धारणी तन्त्रयान में मन्त्र बन गये । अवलोकितेश्वर एक महिमाशाली देवता के रूप में उपस्थित हुए । मंत्रेय और अलंग के 'परावृत्ति' सिद्धास्त ने तन्त्रयान की भूमिका का कार्य किया । तन्त्रयान के मुख्य तत्व हैं - कुम्भलिनीयोग, मंत्र, ध्यान, षट्कर्म, सिद्धियाँ, पंचमकार अधिकारभेद, हठयोग, गुर्हाशष्ययोग आदि । नागार्जुन लिम्बती परम्परा के अनुसार तन्त्रयान के प्रतिष्ठापक थे । ये नागार्जुन साध्याभिक

अन्वयार्थ नागार्जुन से भिन्न होना चाहिए। इसी तरह आर्यदेव को भी इससे सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। क्योंकि वज्रयान के ग्रन्थ मञ्जुश्रीमूलकल्प और गुह्यसामजतन्त्र में तन्त्र साधना का प्रारम्भिक रूप तो रहा है पर उसका विकसित रूप सप्तम शताब्दी के बाद ही मिलता है। आर्यदेव को सप्तम-अष्टम शताब्दी का आचार्य नहीं माना जा सकता। जैसा कि पहले हम देख चुके हैं, चीराली सिद्धों में शून्यवादी आर्यदेव का सम्मिलन उनकी पूर्व लोक प्रियता का कारण रहा होगा।

वज्रयान के तान्त्रिक ग्रन्थों को चार वर्गों में विभक्त किया जाता है— क्रियातन्त्र, चर्यातन्त्र, योगतंत्र और अनुत्तर योगतंत्र। आदि कर्मभदीप, अष्टमी व्रतविधान, साधनमाला, साधनसमुच्चय आदि ग्रन्थ वज्रयान के प्रधान ग्रंथ हैं। यहां गुह्यसाधना का महत्व अधिक बढ़ा। तत्त्वरत्नावली, अद्वयवज्रसंग्रह भी इसी कोटि के ग्रंथ हैं। वज्रयान से सहजयान की उत्पत्ति हुई।

नारानाथ के अनुवार सरह और कम्पल ने हेनफ्तंत्र और अनुत्तरयोगतंत्र लिखे। ये दोनों तंत्र गुह्यसमाज के थे। इंद्रभूति की ज्ञानसिद्धि और पद्मवज्र की गुह्यसिद्धि भी गुह्य समाज से सम्बद्ध ग्रंथ हैं। सरह के ग्रंथों में बुद्धकपाल-तंत्र पञ्जिका, बुद्धकपालसाधन, बुद्धकपालमण्डलविधि, त्रैलोक्यत्रयशंकरालोकेश्वर-साधन, दोहाकोशगीति, दोहाकोशनामचर्यागीति, काव्यकोशामृतवज्रगीति आदि प्रमुख हैं। मिद्ध नागार्जुन के व्रजतारासाधन और एकचटासाधन ग्रंथ मिलते हैं। उनके अन्य ग्रंथ हैं—मंत्रालंकारसाधन, कक्षपुटपिण्डीकृतसाधन, गुह्यममाज-मण्डलविधि, सेकचतुरप्रकरण, स्वभावमिद्धयुपदेश, वज्रयानस्थूलपति, प्रज्ञापारमिताहृदयसाधन, लोकेश्वरसाधन, नीलाम्बरोपसिद्धि, वज्रपाणिमण्डलविधि, हयग्रीव-साधन, धर्मघातुस्तोत्र, कालत्रयत्रयस्तोत्र, सत्काराधनस्तव, प्रज्ञापारमितास्तोत्र, नरकांडार समाधिभाषाटीका आदि। इसी प्रकार अन्य सिद्धों का भी विपुल साहित्य मिलता है।<sup>१</sup> वह अधिकांश रूप में तिब्बती भाषा में सुरक्षित है।

सहजयान के बाद कालचक्रयान का उद्भव हुआ। यह समय लगभग दसवीं शताब्दी माना जा सकता है। कालचक्रतंत्र और उमकी टीका विमलप्रभा काल-चक्रयान के प्रमुख ग्रंथ हैं। मञ्जुश्री और सुचंद्र इसके विशिष्ट आचार्य हैं।

हमने तांत्रिक साधना का यह अत्यंत संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया है। उसका साहित्य संस्कृत और अपभ्रंश में अधिक है। नगरी रुंतांतर अभी कम ही सका है। फिर भी, जो जानकारी उपलब्ध है उससे बौद्ध-तंत्र-साहित्य निश्चित ही प्रभावक मिद्ध होता है।

## परिवर्त ४

### बौद्धदर्शन तथा उसका विकासक्रम

#### १. विकासक्रम

भगवान् बुद्ध अपने धर्म की स्थापना करने के उपरान्त आचार और विचार से उस कोमल पीथे को अविरत सिद्धित करते रहे। उन्होंने अपने जीवनकाल में ही उस पीथे को वृक्षाकार में बढ़ने ही देख लिया। तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के मन्दर्भ में बौद्धधर्म की स्थापना ने निश्चित ही जनसमुदाय को एक नया दृष्टिकोण दिया। फलतः उसे लोकप्रिय बनने में अधिक देर नहीं लगी। वैदिक, जैन एवं जैनेतर विचार - धाराओं का आलम्बन लेकर सम्भ्रमबुद्ध आगे बढ़े और खराडन-मराडन की परम्परा में उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया।

गति और विकास जीवन का लक्षण है। जिन धर्मों में गति और विकास बना रहा, वे धर्म तो बचे रहे और जिन धर्मों ने तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुकूल रूप को इस परिवर्तन से दूर रखा वे कालान्तर में नामशेष हो गये। बौद्धधर्म एवं दर्शन का विकास, जैसा हम अभी देख चुके हैं, जीवन के इस चिरन्तन तथ्य का अपने अंक में समेटे हुए चलना रहा। हीनयान और महायान जैसी शाखायें इसी विकास के ज्वलन्त परिणाम हैं।

'यान' शब्द मार्ग और बाहन का पर्यायार्थक है। मार्ग और बाहन प्रगति के प्रतीक हैं। प्रतीकात्मक रूप में यान शब्द का उपयोग वैदिक, जैन एवं बौद्ध परम्पराओं में देखा जाता है। ब्रह्मयान और धर्मयान जैसे शब्द संयुक्त निकाय में प्रयुक्त हैं। मम्भवतः उन्हीं का आश्रय लेकर उत्तरवर्ती बौद्धधर्म की शाखाओं ने स्वयं को मूल धर्म से विभक्त करने के लिए उद्देश्य के आचार पर हीनयान एवं महायान की संज्ञा दी हो। महायानी आचार्यों ने अपनी परम्परा को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से समीक्षा की परिभाषा में मूल बौद्धधर्म और उसकी शाखाओं को हीनयान की संज्ञा दी तथा स्वयं को महायानी कहना-कहलाना स्वीकार किया। अन्य संज्ञाओं की अपेक्षा ये दो नाम अधिक प्रचलित हुए हैं। एकयान, अग्रयान, बोधिसत्वयान तथा बुद्धयान महायान के पर्यायवाची शब्द हैं और श्रावकयान तथा प्रत्येकबुद्धयान हीनयान के नामान्तर हैं। तीन यान होने



हूए भी वास्तविक यान एक ही है और वह है महायान सद्धर्मपुण्डरीक । भगवान् बुद्ध उपाय कौशल के माध्यम से उपदेश दिया करते थे, हीन सत्त्वों को दिया गया उपदेश हीनयान कहलाता और महसत्त्वों को दिया गया उपदेश महायान कहलाता हीनयान और महायान दर्शन में कुछ मूलभूत अन्तर है :—

( i ) अरुंग ने आशय, उपदेश, प्रयोग, उपस्तम्भ एवं काल के रूप में उक्त दोनों सम्प्रदायों में यह भेद व्यवस्थित किया है ।

( ii ) हीनयान में पुद्गलनैरात्म्य के चिन्तन के माध्यम से क्लेशावरण का विनाश किया जाता है परन्तु महायान में धर्मनैरात्म्य के ज्ञान से ज्ञेयावरण का विनाश होता है ।

( iii ) हीनयान का उपदेश प्रथमतः पञ्चवर्गीय भिक्षुओं के सम्मुख दिया गया और महायान का उपदेश अनन्त बोधिसत्त्वों के समझ गृह्यकृत पर्वत पर दिया गया ।

( iv ) महायान में बोधिसत्त्व समस्त संसार के निर्वाण प्राप्त होने के बाद ही स्वयं निर्वाण-प्राप्ति स्वीकार करते हैं, परं यह विचार हीनयान में नहीं ।

( v ) महायान के अनुसार बुद्धदेशना दो प्रकार की है—गूढ एवं व्यक्त ।

( vi ) महायानी साहित्य में कल्पना का आधिक्य अधिक है ।

( vii ) महायानी बुद्ध अधिक लोकोत्तर है ।

( viii ) बुद्ध ने साधारण और सरल उपदेश हीनयानियों को तथा कठिन उपदेश महायानियों को दिया है ।

( x ) परमार्थतः यानों में भेद नहीं । एकात्मक होकर वे एक यान में ही समाहित हो जाता है ।

( x ) परावृत्ति योग महायान की विशेषता है ।

( xi ) महायान में दो प्रकार के सत्त्वों का आधार अधिक लिया गया है—संबुत्तिसत्त्व और परमार्थसत्त्व ।

( xii ) मूलतः दो काय वे—रूपकाय ( भौतिक शरीर ) तथा धर्मकाय ( अध्यात्मिक शरीर ) । महायान में सम्भोग अथवा निर्माणकाय (भवतारवाद) पर अधिक जोर दिया गया ।

( xiii ) स्वविरवाद का आदर्श अर्हत्व प्राप्ति था पर महायानी आदर्श बोधिसत्त्व ही गया । तथा अष्टाङ्गिकमार्ग के स्थान पर बोधिसत्त्वचर्या का विकास हुआ ।

हीनयान और महायान के बीच यह सामान्य अन्तर हमने देखा। अब हम बौद्धदर्शन के मुख्य सिद्धान्तों का विकासात्मक अन्वय पर अध्ययन करेंगे। और यह देखेंगे कि धार्मिक का उक्त विकास में क्या योगदान रहा। यहाँ हम यह भी देखने का प्रयत्न करेंगे कि बौद्धतर, विशेषतः जैन, साहित्य में बौद्ध सिद्धान्तों को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है।

बौद्ध दर्शन का प्रारम्भ विभिन्न धर्मों की समालोचना करते हुए मानव को नैतिक भूमिका पर प्रस्तुत करने से हुआ है। यहाँ कुशल-अकुशल कर्मों की व्याख्या तथा सांकेतिक और व्यावधानिक धर्मों का प्रस्तुतीकरण किया गया। धर्म की इस कुशल-अकुशलमयी कर्मों की व्याख्या के सन्दर्भ में सनात्मवाद को उपस्थित किया गया। इसके बाद तब कुछ अशुभ है, कुछ भी स्वाधी नहीं, यह सिद्धान्त रखा गया। तदनन्तर क्षणभङ्गर तत्वों को धर्मोत्प-समुत्पन्न मानकर संस्कृत धर्मों के साथ हेतु-प्रत्ययजन्य प्रतीत्यसमुत्पन्न माना गया। बौद्धदर्शन की दृष्टि में संसार में रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्पर्श स्वरूप धारणन और वेदना, संज्ञा व संस्कार स्वरूप विज्ञान के दो मूलतत्व हैं जिनमें मूलतः आत्मा जैसा कोई स्थायी क्रियाशील तत्त्व विद्यमान नहीं। शेरवात्स्की के अनुसार यह सम्पूर्ण मतवाद चार धार्मिकत्यों में विभाजित है (१) जीवन एक अशान्त संघर्ष है, (२) उसकी उत्पत्ति पाप पूर्ण वासनाओं से होती है, (३) चिरन्तन शान्ति ही चरम धर्मोत्प है, और (४) एक ऐसा मार्ग है जहाँ जीवन के निर्माण में सहायक समस्त संस्कार क्रमशः लुप्त हो जाते हैं। धर्मचक्र के प्रथम प्रवर्तन का यही उद्देश्य है। अर्हत् - प्राप्ति एवं व्यक्तिगत निर्वाण को उपलब्धि को इस काल में चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया।

द्वितीयकाल में बौद्धधर्म बहुस्ववाद से हटकर मौलिक एकतत्वाद की ओर परिवर्तित हुआ। धारमिक वादों को सनात्मवाद अथवा निःस्वभाववाद (पुद्गलबून्यता) नाम दिया गया जबकि बौद्ध दर्शन को नैरात्मवाद से सम्बन्धित किया गया। पुरातन बौद्ध दर्शन में सभी धर्म परस्पर अनेक्य और वास्तविक हैं जबकि नवीन बौद्ध दर्शन में समस्त धर्म परस्पर अनेक्य न होने के कारण अवास्तविक हैं। यहाँ वास्तविक हेतुवाद का सर्वथा निराकरण किया गया है। अनुभूत वास्तविकता का सर्वथा प्रतिवाद न कर उसे धार्मिकत्व के स्थान पर संवृत्तित्व और परमार्थसत्त्व के रूप में विभाजित कर दिया गया।

इसके बाद आरम्भिक बौद्ध दर्शन में धिन धर्मों को केवल निर्वाण में प्रसृत और आचारण जीवन में सक्रिय माना गया था, यहाँ चिरप्रसृत और उनकी सक्रियता को मात्र भ्रमात्मक प्रतीति माना गया ।

हीनयान के आदर्श को स्वार्थपरक बताकर वैयक्तिक भुक्ति के स्थान पर अखिल प्राणि जगत की भुक्ति की परिकल्पना, पारमिता व महाकरुणा के आभ्यासपूर्वक अर्पण का स्थापना की पृष्ठभूमि में धमला प्रज्ञा के स्थान पर प्रज्ञाभारमिता के रूप में ज्ञानकाय का समीकरण, बुद्ध के मानवीय व्यक्तित्व के स्थान पर उनके सम्भोग काय के रूप में ईश्वर कल्पना, परन्तुजन्तुदृष्टा के रूप में नही, एकत्ववाद की प्रतिस्थापना, तार्त्रिक संस्कारों का उद्दह्य व भूति-पूजा का प्रचलन, तथा सून्यवाद का स्थापन ये विशेषतायें इस काल की रहीं ।

बौद्धदर्शन के ऐतरीयकाल की विशेषता-न्यायशास्त्र में महान् अभिरुचि से स्पष्ट हुई । फलस्वरूप इसमें स्वसंवेदना की वैधता की स्वीकृति, प्रत्येक अस्तित्व की मानसिक कल्पनात्मक स्वीकृति और बौद्धधर्म का आदर्शवादी रूप, ईश्वर-भुक्ति के स्थान पर आलय-विज्ञान को एवं ईश्वरेच्छा के स्थान पर अनादिवासना को स्थापित किया गया ।

जैन साहित्य में बौद्धदर्शन के उक्त तीनों कालों के रूप दिखाई दे जाते हैं । जनाचार्यों ने बौद्ध दर्शन की शाखाओं को स्थूलतः चार भागों में विभाजित किया है—वैभाषिक और सौत्रान्तिक तथा योगाचार और माध्यमिक । प्रथम दो शाखायें हीनयान से सम्बद्ध हैं और बाद की दो शाखायें महायानी हैं ।

वैभाषिक के अनुसार जैसा अम्यन्तर ज्ञान प्रतीत होता है, वंसा ही बाह्य पदार्थ भी सत् है, क्योंकि बाह्य पदार्थ की शुद्धि के बिना ज्ञान मात्र से ज्ञान-पान, ग्रहण-त्याग इत्यादि व्यवहार नहीं हो सकता सौत्रान्तिकों का मत है कि बाह्य पदार्थ हैं अदृश्य परन्तु वे अतीन्द्रिय हैं । वैभाषिक अक्षय करते हैं कि बाह्य पदार्थ प्रत्यक्षज्ञानगम्य नहीं क्योंकि अक्षयिक होने के कारण उनका इन्द्रिय - सम्पर्क होते ही प्रत्यक्षज्ञान की उत्पत्ति होने के पुरुष ही वे गृह्य हो जाते हैं । इस स्थिति में वे प्रत्यक्ष-ज्ञानगम्य नहीं हो सकते । वे तो ज्ञान के संवेदन पद कल्पनीय अदृश्य अतुल्यक होते हैं । योगाचार के अनुसार बाह्यपदार्थ जैसा कोई वस्तु

नहीं, क्योंकि व्यवस्था के समकाल में ही वे दृष्टिगोचर होते हैं। उपलब्धि बिना कोई भी प्रवर्ध नहीं दिखाई देता। अतः विज्ञान मात्र ही सत् है और सृष्टि अर्थात् उसका-आत्मर मात्र है। योग्यचार सत ज्ञान को सम्पन्न मानता है। प्राकृतिक सम्प्रदायी यह मानते हैं कि एक मात्र बुद्ध, स्वच्छ, विराकर ज्ञान ही सत् है और सभी दृश्यमान् साकार ज्ञान एवं वाङ्मय प्रवर्ध असत् हैं। क्योंकि उनके सत् होने में अनेक विरोध, और अनुस-पत्तियां हैं—

अर्थो ज्ञान समन्वितो मतिमता वैभाषिकेणोच्यते,

प्रत्यक्षो न हि बाह्यवस्तुविस्तरः सूत्रान्तिकीराभितः ॥

योगाचारमतानुशीरनिहिता साकारबुद्धिः परा,

मन्यन्ते वत् मध्यमाः कृतचिद्यः स्वच्छां परां संविदम् ॥

बौद्धदर्शन के विकास का चतुर्थकाल है तान्त्रिक साधना का काल। इस काल में बौद्ध विचारों का उतना अधिक विकास नहीं हुआ जितना अधिक बौद्ध आचार का। तान्त्रिक विचार द्वारा अपनी चरम स्थिति पर इसी काल में पहुंची। बौद्धधर्म का यह चरम विकास एक अष्ट रूप में सामने आया और यही रूप उसके ह्रास का प्रमुख कारण बन गया। अतएव बौद्धधर्म के ह्रास की पृथक् काल निर्धारित नकर इसी में उसे गमित मान लिया गया।

## २ बौद्धदर्शन के प्रमुखतत्त्व और उनकी व्याख्या

### १. अव्याकृततावाद

बुद्ध कालीन समाज धार्मिक क्रान्ति के कगारों पर था। प्रचीन परम्पराओं से उन्मुक्त होकर चिन्तन करने का उसने बीड़ा उठा लिया था। बुद्ध और महावीर का पंचदर्शन यज्ञवाद की आचारशिला से विद्रोह करने की और विशेष था जिसे समाज ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था।

बुद्धकालीन समाज की एक विशेष प्रवृत्ति थी कि वह तीर्थंकर, धर्मप्रवर्तक अथवा धर्मोपदेशक से आत्मा, ईश्वर और लोक के सन्दर्भ में प्रश्न पूछकर स्पष्ट उत्तर चाहता था। भगवान् बुद्ध को ऐसे अनेक प्रश्नों का सामना करना पड़ा। विधेयात्मक अथवा निधेयात्मक रूप से उन प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत कर उन प्रश्नों में और अधिक उसम्मा ही था। और फिर ऐसे प्रश्नों का उपयोग भी कोई विशेष अधिक नहीं था। अतएव भगवान् बुद्ध ने उनका कोई उत्तर न देना ही उचित समझा और कहा कि तर्क की कसौटी पर कसकर ही मेरे बचनों का मूल्यांकन किया जाय\* ।

ऐसे उक्त प्रश्नों को भगवान् बुद्ध ने अभ्याकृत कहा है। इन अभ्याकृत प्रश्नों की संख्या मूलतः दस है—

( १ ) सस्सतो लोको, ( २ ) अतस्सतो लोको, ( ३ ) अन्तवा लोको, ( ४ ) अनन्तवा लोको, ( ५ ) तं जीवं तं सरीरं, ( ६ ) अञ्जं जीवं अञ्जं सरीरं, ( ७ ) होति तथागतो परं मरणा, ( ८ ) न होवीं तथागतो परं मरणा, ( ९ ) होति च न च होति तथागतो परं मरणा, और ( १० ) नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' । महायानी साहित्य में इनकी संख्या चौदह बतायी गई है। वहां लोक के सन्दर्भ में चार के स्थान पर आठ प्रश्न उपस्थित किये गये हैं\* । आश्वतथवाद, अशाश्वतवाद और उच्छेदवाद से बचने के लिए ही अभ्याकृत प्रश्नों की स्थापना की गई थी† ।

एक अन्य प्रकार से भी बुद्ध ने प्रश्नों को समाधानित करने का मार्ग खोजा और वह मार्ग चार प्रकार का बताया—(१) एकस वाकरणीय,

१. न हेतं, पोट्टपाद, अत्थसंहितं, न धम्म संहितं, नादि ब्रह्मचरियकं, न निम्बिदाय, न विरागाय, न निरोधाय, न उपसमाय, न अग्निम्भाय, न सज्जोषाय, न निम्बानाय संवत्तति, तस्मा तं मया अभ्याकृतं, दी. ६.३.१६

२. तापाच्छेदाच्च निकवाद् सुवर्णमिव पशुच्छुः ।

परीक्ष्य निम्बो ब्राह्मणं, महत्तो न तु गौरवाद् ॥ ज्ञानसारसमुच्चय, ३६

३. दी. ६.३.१६

४. दि बोधिसत्त्व डाक्खिं इन बुद्धिस्तं संहकृतं लिट्तेवर, पृ. १३६.

५. अविम्मनिकाय, असाग्द्वमसुत्त

(२) पटिपुच्छा वाकरखीय, (३) ठापनीय, और (४) विमज्ज वाकरखीय<sup>१</sup>। इस आचार पर उन्होंने विमज्जवाकिय् भी अपने आपको कह दिया इसी प्रकार बुद्ध ने अनेकांशिक आचार पर भी प्रश्नों का उत्तर दिया है (अनेकसिका पि मया वग्गमा देसिता पग्गता)<sup>२</sup>। सम्भव है, उत्तर देने के दो प्रकार रहे हों—एकांशिक और अनेकांशिक। अन्तिम तीन भेद अनेकांशिक के होंगे।

मगवान् बुद्ध का यह बौद्धिक चिन्तन दार्शनिक क्षेत्र में नितान्त व्यावहारिक था। आचार क्षेत्र में इसी चिन्तन को उन्होंने 'मज्झिम पटिपत्था' के रूप में प्रयुक्त किया। विचार और आचार क्षेत्र में उक्त दोनों सिद्धान्तों ने पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त की। समूचा बौद्ध साहित्य इसका प्रमाण है। उसमें परमार्थ तत्त्व को वाचाऽवाच्यम्<sup>३</sup> और अनक्षर धर्मश्रुति कहा गया है। चन्द्रकोटि ने इसी परमार्थ को 'अर्थाणां तूष्णीभावः' लिखा है<sup>४</sup> और लंकावतार ने तो तथागत को सदैव मौन बता दिया है।

तथागत का अव्याकृततावाद निःसन्देह विवादग्रस्त दार्शनिक प्रश्नों से दूर रहकर अध्यात्मिक चिन्तन शान्ति की प्राप्ति की दृष्टि में महत्वपूर्ण था। परन्तु उत्तर काल में उनका मौन भंग कर दिया गया और मूल बौद्ध सिद्धान्तों को सममानुकूल विकसित, परिवर्तित एवं परिवर्धित स्वरूप में उपस्थित किया गया।

## २. आर्यसंत्य

आर्यसंत्य बौद्ध चिन्तन की मूल श्रमिका है। इसी की प्राप्ति हो जाने पर ही गीतम को बुद्ध और सम्यक् सम्बुद्ध कहा गया।<sup>५</sup> आर्यसंत्यों की ज्ञान-प्राप्ति के बाद साधक अष्टम जन्म ग्रहण नहीं करता। उस

१. एकसवचनं एकं विमज्जवचनापरे।

ततिष्ठं पटिपुच्छेय्य, चतुत्थं पन ठापये ॥ अंगुत्तर, ४.५२

२. वी. ६.४.१६

३. माध्यमिक श्रुति, पृ. ६६

४. विबुद्धिमत्ता, १६. २१. ७. २६

साधक को सब का उसम रत्न ( रत्नं पर्योतं ) कहा गया है । दर्शन प्राप्ति के साथ-साथ उसके तीन संयोजन ( बन्धन ) नष्ट हो जाते हैं—सत्कथं दृष्टि ( नित्य ध्यात्वा का विश्वास ), विविचिन्ता ( संशय ) तथा क्षीयन्नतपरामर्श ( विविध प्रकार के कर्तों के कर्म काष्ण से चित्तवृद्धि की प्राप्ति में विश्वास ) । वह चार दुर्वासियों और छः भोर पापों से निर्मुक्त हो जाता है<sup>१</sup> ।

आर्गसत्त्वों की संख्या भ० बुद्ध ने चार बताई है—दुःखसत्य, दुःख समुदयसत्य, दुःखनिरोध सत्य और दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा सत्य । ये सत्य किसी से प्रच्छन्न नहीं हैं । नामरूप दुःखात्मक हैं । समूचा अर्गसारिक जीवन दुःखमय है । जन्म सं मरण तक कहीं भी सुख नहीं । सम्पत्ति अदि का जो सुख है भी, वह मात्र सुखाभास है<sup>२</sup> । वैदिक, जैन और बौद्ध साहित्य में लगभग समान रूप से दुःख के सन्दर्भ में विचार किया गया है । दुःख-समुदय में दुःख की उत्पत्ति के कारण बताये गये हैं । मुख्य कारण है तृष्णा । उसके तीन भेद हैं—कामतृष्णा, भवतृष्णा, और विभवतृष्णा । इसके अन्तर्गत प्रतीत्य-समुत्पाद अथवा निदान को परिगणित किया गया है । विभज्य-वादी परम्परा में भवतृष्णा को समुदय और शेष अन्य तृष्णाओं को सालव हेतु माना गया है । दुःखनिरोधसत्य में तृष्णा का पूर्णतः नाश और निर्वाण की प्राप्ति का उल्लेख है । विभज्यवादी मात्र तृष्णा के क्षय को निरोधसत्य मानते हैं और शेष ज्यों को केवल निरोधात्मक स्वीकार करते हैं । अतुर्थ सत्य में दुःख निरोध अथवा निर्वाण-प्राप्ति का मार्ग निदिष्ट है । इसके अन्तर्गत शमय और विपर्ययना तथा बोधिपाक्षिक धर्मों का परिगणन होता है । आर्यसत्य के विकास का यह द्वितीय चरण है ।

३. बोधिपाक्षिक धर्म —भ० बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण के समय भिक्षुओं से निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए बोधिपक्षीय धर्मों का पालन करना अवश्यक बताया था । ये धर्म संख्या में सैंतीस हैं<sup>३</sup> ।

१. चार स्मृति स्थान—साधक को काव, वेदना, चित्त और कर्म में अनुपशयना करनी चाहिए । पालि साहित्य में कहा गया है कि भिक्षु को "सतो सम्पजानो समाहितो" होना चाहिए" । इसका तात्पर्य है कि भिक्षु अपने प्रत्येक कार्य में सजग रहे ।

१. सुत्तनिकाय, २. ९. ८-१०. २. वही, ३-८. धम्मचककप्रवचन सुत्त, ( संयुत्त. )

३. बोधिनिकाय, महापरिनिर्वाणसुत्त । ४. इतिवृत्तक, जामरिधसुत्त ।

२. चार सम्यक् प्रदान—सत्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना ।  
 ) अंगुलम अक्षुण्ण धर्मों की अनुत्पत्ति के लिए सम्यक् प्रयत्न करना,  
 ) उत्पन्न अक्षुण्ण धर्मों के विनाश के लिए प्रयत्न करना, ( ii ) अनुत्पन्न  
 ण धर्मों की प्राप्ति के लिए उत्तरोत्तर प्रयत्न करना, और ( v ) उत्पन्न  
 ण धर्मों की स्थिति के लिए प्रयत्न करना ।

३. चार श्रद्धिपाद्—छन्द, वीर्य, वित्त और विमर्श ।

४. पांच इन्द्रियाँ—अज्ञा, वीर्य, स्मृति, समाधि, और प्रज्ञा । इन्हें आध्या-  
 णिक विकास की सोपाल भारी जा सकती हैं ।

५. पांच बल—उक्त पांचों ही बल हैं । अंगुत्तर निकाय में स्मृति,  
 , अपनाप्य, वीर्य और प्रज्ञा को पंचबल कहा गया है । अज्ञा एवं  
 णि को जोड़कर सात बल भी उल्लिखित हैं ।

६. सात बोध्याङ्ग—स्मृति, धर्म-विचय, वीर्य, प्रीति, प्रवृत्ति, समाधि,  
 ण उपेक्षा सम्बोधि प्राप्ति में सहायक हैं । पांच नीवरणों के प्रतिकार के लिए  
 की विशेष उपयोगिता है ।

७. आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग—सम्यक् दृष्टि, संकल्प, वार्षी, कर्मान्त, भावीव,  
 णियम, स्मृति और समाधि । ये आठों सम्यक् मार्ग प्रज्ञा, शील और समाधि  
 णों में विभाजित हैं । प्रथम तीन प्रज्ञा स्कन्ध में, चतुर्थ और पञ्चम  
 ल स्कन्ध में तथा शेष समाधि स्कन्ध में अन्तर्भूत हैं ।

संयुक्त निकाय में इन बोधिपक्षीय धर्मों का उक्त क्रम नहीं मिलता ।  
 ण अष्टाङ्गिक मार्ग का उल्लेख सर्व प्रथम किया गया है । शीमती  
 ण वेविहुस ने अष्टाङ्गिक मार्ग को बुद्ध की मूल देशना का अंग मान्य  
 । परन्तु डॉ. पाण्डेय ने अंगुत्तर निकाय के अष्टक निपात में तथा  
 णनिकाय के संगीत सुत्त में उनका उल्लेख न होने से इस मान्यता पर  
 न विश्व सङ्का कर दिया है<sup>२</sup> । किन्तु इतने से ही अष्टाङ्गिक मार्ग को  
 न देशना से बहिर्भूत नहीं किया जा सकता । तथ्य यह है कि श्रुति उसका  
 तर्जनी-आर्यसत्य के अन्तर्गत हुआ है अतः उक्त स्थानों पर उसका

कास्यस्कन्द, अग्निध्या व्यायाद, सत्यानमुद, बौद्धत्व-कीकल्प, एवं विधि-किस्ता ।

१. शाक्य, पृ. ८६.

३. बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, पृ. ११७



परिवर्तन आवश्यक नहीं था। अम्मपद में इसी को निर्वाण प्राप्ति का मर्ग कहा है, अन्य को नहीं<sup>१</sup>। इस स्थिति में अष्टाङ्गिक मार्ग को धर्मदेशना का मूल भाग स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पालि साहित्य में प्रायः अष्टाङ्गिक मार्ग के अम पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। सम्भव है इसका कारण उसकी अधिकाधिक लोकप्रियता और उपयोगिता रही हो।

### ३. अनात्मवाद अथवा निरात्मवाद

निरात्मवाद बुद्ध का एक सफल शान्तिकारी प्रयोग है। जिस युग में आत्मा आदि के अस्तित्व अथवा नास्तित्व के सन्दर्भ में व्यक्तित्व को परखा जाता था उस युग में ऐसे ज्वलन्त प्रश्नों पर मीन हो जाना अथवा अनस कहकर उसका विश्लेषण करना निश्चिन्त ही एक नया चिन्तन था। तीर्थिक आत्मवाद को लेकर परस्पर अवगुणित और विवाद ग्रस्त हो रहे थे। तथा सारा जन समुदाय भी उनके इस बौद्धिक कलह से संक्रान्त और विपथगामी हो रहा था<sup>२</sup>। इन कटुता जन्य परिस्थिति का सूक्ष्मान्वेषण कर बुद्ध ने आत्मा की सर्वप्रथम यह व्याख्या की कि चूँकि यह समूचा जगत अनित्य, भयावह और दुःखकारी है अतएव इसे अनात्म (अपना नहीं है) मानो। ज्ञान-प्राप्ति का यही साधन है<sup>३</sup>। अज्झतविन्ती, अज्झत्तं सुखं अनुयुञ्जथ्य, अत्तकाम, अत्तानं गवेसे पयाथ, अन्धकारेण भोनद्धा पदीयं न गवेस्सथ, अत्तदीपा विहरथ आदि उपदेशों में बुद्ध ने यही उपदेश दिया है। इसके बाद अत्तभाव की परवर्ती व्याख्या अहं भाव भी है जिसका परिस्थाय निर्वाणोन्मुख भिक्षु के लिए अपरिहार्य बताया गया है। इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि बुद्ध ने संसार से वैराग्य जागृत करने के लिए दुःखसमुदयनिरोध की भावना से अनात्मवाद की स्थापना की थी। इसीलिए दुःखसमुदय का मूल कारण तृष्णा का निरोध हो जाने से प्रतिसंख्या ज्ञान की उत्पत्ति बतायी है। ५ स्कन्ध, १२ आयतन, और १८ बातु इन ३६ धर्मों

१. ऐसो व मग्गो नत्थञ्जो हस्सन्सस्स विसुद्धिया ..... २०. २-३

२. बीषनिकाम-अहाजाल दुत्तं, सामञ्जसफलसुत्त आदि, सुयगंडय, प्रथम अध्याय।

३. अनिज्जतो दुक्खतो अनत्ततो मनसिकरोतो ब्राह्मं उप्पज्जति पटि-  
सम्भिसारमय, २. १००-१०१.

४. उच्चान, ४.१

को लयागत ने अनात्मा माना और उनसे आसक्ति तथा मोहाच्छाया को दूर करने का आदेश दिया है<sup>१</sup> । अनात्मत्व के विकास का यह प्रथम चरण है ।

जब समुदाय को अस्मत्वाद की ओर ले किमुत्कर भ्रमवाद् बुद्ध का उसे व्यावहारिक दृष्टिकोण की ओर आकर्षित करने का यह सफल प्रयत्न था । मूलतः विवादास्पद और अप्रत्यक्ष वस्तु के अस्तित्व के प्रति व्यक्ति के इस आत्मास्तित्वाद् को उसके दुराग्रह का प्रतीक बनाया गया । जनता को सच्चः आकर्षित करने का भी यह श्लाघ्य उपाय था कि मूलमूल समस्या के अनुमान गम्य बाह्य पक्ष को तटस्थ भाव से अवलोकन कराया जाय एवं अदृश्य पदार्थ की ओर परम्परागत बंधी दृष्टि को झकझोरकर अपनी ओर उसे खींच लिया जाय । इसी दृष्टि से भगवाद् बुद्ध ने आत्मवाद की जड़ों को हिलाकर उससे ममत्व बुद्धि को हटाने का सचिन्तित अभिमत व्यक्त किया । बुद्ध ने इसके परिपोषण के लिए यहां तक कह दिया कि "जो यह मानता है कि यह मेरा आत्मा अनुभव कर्ता है, अनुभवगम्य है, दुष्कर्मों का फलभोक्ता है, नित्य, ध्रुव, शाश्वत तथा अपरिवर्तनशील है, यह उसका बालधर्म है ( अयं भिक्खवे, केवलो परिपूरो बालधम्मो )"<sup>२</sup> । अपने विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अनेक आकर्षक उपमाओं भी प्रस्तुत की हैं । उदाहरणार्थ—हे पोट्टपाद ! जो व्यक्ति जनपद कस्याणी को तो चाहता है पर उसके रूप, रंग, वर्ण, कद, निवास, नाम आदि को नहीं जानता, उसका आचरण जिस प्रकार प्रभाव रहित और उपहासास्पद है उसी प्रकार आत्मा के गुण धर्म से अपरिचित यज्ञ यागादि करने वाले व्यक्ति का कथन भी निन्दास्पद होता है । अतः परिपूर्ण जानकारी के बिना किसी पदार्थ के विषय में कहना उचित नहीं<sup>३</sup> ।

इन उपमाओं आदि के विप्लेषण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बुद्ध ने आत्मा के स्वरूप से परिचित हो जाने के बाद ही उसके विषय में अयम-अयम व्यक्त करने का उपदेश दिया था । यह कथन इससे और प्रमाणित हो जाता है जब वे तथागत ( आत्मा ) के अस्तित्व, अनस्तित्व, जन्म-मरण आदि को अनर्काशिक धर्म कहते हैं ।

१. मञ्जिमनिकाय, ३.५.६

२. मञ्जिमनिकाय, १.१,२

३. दीर्घनिकाय, पोट्टपादसुत्त

साथ ही यह भी कहते हैं कि यह मान्यता न सार्थक है, न कर्म उपयोगी है, न निर्वेद के लिए है और न वैराग्य के लिए है। अपरिचित स्थिति के ये सब परिणाम हैं। बुद्ध द्वारा पुनर्जन्म और कर्म की स्थिति स्वीकार किये जाने से आत्मा की असत् स्थिति स्वतः कमजोर हो जाती है। अनात्मवाद के विकास का यह द्वितीय चरण है।

उक्त कथनों से यह तथ्य निकलता है कि भगवान् बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को मूलतः अस्वीकार नहीं किया था प्रस्तुत अनात्मक भाव को उद्घोषित करने के निमित्त अनन्त अथवा अनात्म शब्द का प्रयोग किया था। इस लक्ष्य में और दृढ़ता लाने के लिए उन्होंने अभ्याङ्गता एवं मञ्जिमा पटिपदा के आश्रय पर आत्मा के अस्तित्व को न तो स्वीकार किया था और न ही उसका प्रतिषेध किया था<sup>१</sup>। शाश्वतवाद और उच्छेदवाद में दूर रहकर आत्मा का यह चिन्तन अमण संस्कृति की परम्परा के विपरीत नहीं था।

इसके बाद का विकास रहा आत्मा के अस्तित्व को व्यावहारिक दृष्टिकोण से तो स्वीकार करना परन्तु पारमार्थिक दृष्टिकोण से उसका निषेध करना। पोट्टपाद से बुद्ध ने यही विचार व्यक्त किया<sup>२</sup>। अनत्तलक्षण सुत्त<sup>३</sup> में आत्मा को पञ्चस्कन्ध (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान) स्वरूप माना। संयुत्तनिकाय में पञ्चस्कन्धों के समवायात्मक रूप को सम्मुत्तिमक्ख की दृष्टि से आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया परन्तु परमत्थसक्ख से उसको अस्तित्वहीन माना<sup>४</sup>। अर्थात् प्रकृति सत् से उसका अस्तित्व है और द्रव्यसत् से उसका नास्तित्व है। इस सन्दर्भ में मिलिन्दपञ्च में श्रीक राजा मिलिन्द (मेनान्दर) और नागसेन का संवाद भी दृष्टव्य है। यहाँ नागसेन ने अनात्मवाद को पुद्गल नैरात्म्य के रूप में प्रस्तुत किया है—परमत्थतो पनेत्थ पुग्गलो नूपलब्धमिति। वास्तीपुत्रीय भी इसी प्रकार पुद्गलवादी हैं। उनकी दृष्टि से आत्मा पुद्गल स्कन्धों से न किता है

१. संयुत्त. ( २०. ) भा. ४, पृ. ४००; सुत्तनिपात का अट्टकवग्ग.

२. दीर्घनिकाय, पोट्टपादसुत्त.

३. विनय पिटक, महावग्ग.

४. यथा हि अंगसंभारा होति सद्दो रथो इति ।

एवं खन्धेषु सन्तेसु होति सत्तो ति सम्मुत्ति ॥ मिलिन्दपञ्च,

पञ्चम त्रयसंयुत्त.

धीरे न प्रकिया है। यदि निम्न अवस्था प्रकिया होता तो आत्मतत्वाद् धीरे उच्छेदवाद का प्रथम उपस्थित होता। परन्तु वह सिद्धान्त सर्वमान्य नहीं हो सका। पुद्गलवादी आत्मवाद की स्वीकृति को सर्वमान्य बन के साथ संभव नहीं कर सके। अनात्मवाद के विकास का यह द्वितीय चरण है।

बौद्धधर्म में आत्मा के स्थान पर 'सन्तान' शब्द का भी प्रयोग मिलता है। यह सन्तान चित्त चैतसिक धर्मों के उत्पन्न होकर 'प्राप्ति' नामक संस्कार विधेय है परस्पर सम्बन्ध हो जाता है। नागार्जुन ने एवं महाकवि धर्मबोधो ने इसे 'धीपक्षिणा' के उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। पुनर्जन्म के प्रश्न का समाधान भी इस दृष्टान्त से किया गया है। अनात्मवाद के स्थान पर निरात्मवाद शब्द का जन्म भी इसी काल की देन है। इस सिद्धान्त के विकास का यह तृतीय चरण है।

पञ्चस्कन्ध बाद धर्मवा सन्ततिवाद की स्थापना करने पर धर्मिक प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। स्थिर आत्मा के अभाव में कर्मफल का कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अन्मान्तरप्राप्ति, जातिस्मरण आदि का होना क्या, कहाँ और कैसे बनेगा? ये गूढ़ एवं स्वाभाविक प्रश्न बौद्धधर्म के अनात्मवाद धर्मवा निरात्मवाद को धीरे धीरे जटिल बना देते हैं। प्रतीत्यसमुत्पाद धीरे मध्यम प्रतिपदा के माध्यम से इन प्रश्नों का समाधान खोजने का प्रयत्न अवश्य हुआ है परन्तु उसमें सन्तोषप्रद सफलता दिखाई नहीं देती।

फलतः विज्ञानवाद की उत्पत्ति हुई धीरे उसने अज्ञानविज्ञान की स्थापनाकर चिन्तसन्तति को ही संसार का कारण मान लिया। आत्मा के स्थान पर चित्त की स्थापना करते से निरात्मवाद के विपरीत उपस्थित प्रश्नों को समाधानित करने का पुनः प्रयत्न किया गया। कर्म से विनिर्मुक्त होने पर चित्त में सम्बोधि रूप आत्म ज्ञान की उत्पत्ति धीरे तदनन्तर निर्वाण की प्राप्ति स्वीकार की गई। चित्त की उस अवस्था को अनिर्वचनीय कहा गया है। विकास का यह पञ्चम चरण है।

इस सन्दर्भ में वसुबन्धु वात्सीयपत्रीय के पञ्चस्कन्धवाद का संश्लेष करते हैं। उनका मत है कि यदि आत्मा समुदाय मात्र है, भावान्तर नहीं तो वह आत्मा नहीं है धीरे यदि वह सांख्यों के पुरुष के समान है तो उसका कोई प्रयोजन नहीं। यदि पुद्गल अज्ञान से बना जाता है तो वह मज्ञा मात्र है, वस्तु तत् नहीं। धीरे बुद्धि पुद्गल

विज्ञान का अग्रसम्बन्ध प्रत्यय नहीं, इसलिए उसका अस्तित्व भी नहीं। वास्तवा तब मात्र हेतु-प्रत्यय अनित्य बर्ष है। वात्सीयुषीय का प्रश्न है कि इस अवस्था में बुद्ध को सर्वज्ञ कैसे माना जायगा? वसुबन्धु इसका उत्तर देते हैं कि सभी पदार्थों को जानने वाले के अर्थ में हम बुद्ध को सर्वज्ञ नहीं मानते। बुद्ध तो ज्ञान की सन्तति विशेष का सूचक है और वही सर्वज्ञ है। वात्सीयुषीय पुनः प्रश्न करते हैं कि यदि अव्यक्तव्य पुद्गल नहीं तो बुद्ध भगवान् आत्मा के अस्तित्व के विषय में विधेयात्मक अथवा निधेयात्मक उत्तर स्पष्टतः क्यों नहीं देते? संसरण करने वाला कौन होगा? जातिस्मरण अथवा प्रत्यभिज्ञान कैसे होगा? वसुबन्धु इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए सन्तानवाद का सहारा लेते हैं। वैभाषिक सत्त्वभाववादी और बहुधर्मवादी हैं। वे किसी भी पदार्थ को शाश्वत नहीं मानते सन्तान से उनका तात्पर्य रूपी-अरूपी स्कन्धों से है जो अविच्छिन्न रूप से एक सन्तान में उत्तरोत्तर प्रवर्तमान होते हैं और जिस सन्तान का पूर्ण हेतु कर्म है। बीज-सन्तान के पारणाम के अति प्रकृत क्षण से फल की उत्पत्ति होती है<sup>१</sup>।

वसुबन्धु ने विशतिका में "चित्तमात्रं भो जितपुत्र यदुत त्रैधातुकम्" कहकर महायान में त्रैधातुक को विकृतिमात्र स्वीकार किया है। इससे बाह्यार्थ का प्रतिषेध हो जाता है। वस्तुतः अर्थ अमत् है। अर्थ के रूप में दिखाई देने वाला यह विज्ञान ही है। शुभानन्दांग ने शिक्षिका पर 'एक सिद्धि' नाम की मौलिक टीका लिखी है। उसमें भी उन्होंने आत्मग्राह और धर्मग्रह की परीक्षा की है।

नागार्जुन की माध्यमिक कारिका और धार्यदेव का चतुःशतक तथा इन दोनों पर चन्द्रकोटि की टीकायें शून्यवाद (माध्यमिक सम्प्रदाय) की प्रस्थापना करती हैं। उन्होंने आत्मा के प्रतिषेध में स्वतन्त्र प्रकरण लिखे हैं। माध्यमिक कारिका में नागार्जुन ने यह फलितार्थ प्रस्तुत किया है कि भगवान् बुद्ध ने न आत्मा का उपदेश दिया और न अनात्मा का—

आत्मेत्यपि प्रकथित मनात्मेत्यपि देशितम् ।

बुद्धं नात्मा न अनात्मा कश्चिदित्यपि देशितम्<sup>२</sup> ।।

अनात्मवाद के विकास का यह षष्ठ चरण है ।

१. बौद्धधर्म-दर्शन, पृ २४३-२४६

२. माध्यमिक कारिका, १८.६

## ४. प्रतीत्यसमुत्पाद

प्रतीत्यसमुत्पाद (वालि-पटिच्चसमुत्पाद) बौद्धधर्म और दर्शन का मूल सिद्धान्त है। इसकी गहनता, व्यापकता और सूक्ष्मता समूचे बौद्ध सङ्घिक में दृष्टव्य है। मगधान् बुद्ध ने अभिसम्बोधि प्राप्ति के प्रथम याम में पूर्वजन्मज्ञान, मध्यमयाम में दिव्य कञ्चुत्व और अन्तिम याम में प्रतीत्यसमुत्पाद का साक्षात्कार किया<sup>१</sup>। अनन्तर विभुक्ति सुख के अनुभूत-काल की अन्तिम रात्रि के प्रथम याम में उन्हें "इसके होने से यह उत्पन्न होता है, इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न होता है" यह ज्ञान, मध्यमयाम में "इसके असद्भाव से यह नहीं होता, इसके निरुद्ध होने से यह निरुद्ध हो जाता है" यह अनुलोमात्मक और प्रति लोमात्मक अभिज्ञान उत्पन्न हुआ था<sup>२</sup>। इससे स्पष्ट है कि प्रतीत्यसमुत्पाद का तात्पर्य है—कारण के सद्भाव में उत्पत्ति और कारण के असद्भाव में उत्पत्ति का अभाव—इमस्मि सति इदं होति, इमस्स उप्पादा इदं उप्पज्जाति, इमस्मि असति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं निरुज्जति<sup>३</sup>।

प्रतीत्य (प्रति + इ गती × त्यप्) अर्थात् कारण पूर्वक समुत्पाद (उत्पत्ति) होना प्रतीत्य समुत्पाद है—हेतु प्रत्यय सापेक्षो भावानामुत्पादः प्रतीत्य समुत्पादार्थः। इसी प्रकार "वच्चय साम्मिग पटिच्च समं सह व पञ्चयुप्पन्नधम्मो उप्पादेतीति पटिच्च समुत्पादां" भी कहा गया है। अस्मिन् मति इदं भवति, अस्योत्पादादयमुत्प सते इति इदं प्रत्ययार्थः प्रतीत्य समुत्पादार्थः<sup>४</sup>। इसे बौद्ध दर्शन का एक गम्भीर सिद्धान्त माना गया है। धर्म, बुद्ध और प्रतीत्यसमुत्पाद की एकाकारता से भी इस सिद्धान्त का महत्व स्पष्ट हो जाता है।

कुछ विद्वान् प्रतीत्यसमुत्पाद को बुद्ध की मूल देशना में सम्मिलित नहीं करते। आदेर एवं फ्रांके ने इसे उत्तर कासीन प्रज्ञितानि बतलाया है<sup>५</sup> जबकि श्रीमती रिज डेविड्स इसके प्रस्थापक का नाम कल्पित मानती हैं<sup>६</sup>।

१. विनय पिटक, महावग्ग

२. विनय पिटक, महावग्ग, १.१.३. विसुद्धिमग्ग, १७-६, जलितविस्तर,

-धृ. २८६, इस सन्दर्भ में प्रतीत्य समुत्पाद का नाम नहीं है। परन्तु वहाँ उसके स्थान पर सून्यतानुपसन्न निर्वान, शब्द दिया गया है। इसी से स्पष्ट है कि यहाँ प्रतीत्यसमुत्पाद और निर्वान को पृथक् नहीं माना गया।

३. मज्झिमनिकाय, ३.२.५

४. माध्यमिक दृष्टि, पृ. ६

५. श्रीरिचल्स आक बुद्धिज्म, पृ. ४०६

६. आप्तवत्, पृ. १३८-४८

परन्तु ये मत स्वीकार्य नहीं हो सकते क्योंकि तथागत ने सम्बोधिकाएँ इसका साक्षात्कार किया था। तबुपरास्त बुद्ध ने इसे मूल देशना में सम्मिलितकर 'चतुरार्यसत्य' के अन्तर्गत इसकी गणना की थी और मच्चिम्मपटिपदा के नाम से इसे परिचित कराया था।

बुद्ध का यह प्रतीत्यसमुत्पाद शाश्वतवाद, अहेतुवाद, विषमहेतुवाद, नियतिवाद, उच्छेदवाद, प्रक्रियावाद, नास्तिकवाद आदि सिद्धान्तों के सम्मेलन का प्रतीक है। हेतुर्था पर निर्भरता, ईश्वर-निर्माण अथवा अवितम्बता की अस्वीकृति एवं दुःख परम्परा का निरोध-प्रदर्शन इस सिद्धान्त का मूल अर्थ है। "जो धर्म (पदार्थ) हैं। उनके हेतु को तथागत ने कहा है और उनके निरोध को भी उन्होंने बताया है। महाभयण का यही मत है।" यह कथन प्रतीत्यसमुत्पाद की सुन्दर व्याख्या उपस्थित करता है।<sup>१</sup> यही इसका प्रथम चरण है।

प्रतीत्यसमुत्पाद में परतन्त्रता विवक्षित है। माध्यमिकों के धृन्वता पक्ष का यह आचार स्तम्भ रहा है। डॉ० पाण्डेय के अनुसार प्रतीत्यसमुत्पाद और माध्यमा प्रतिपदा में विवर्तवाद का विकसित रूप देखा जाता है। उनका यह भी मत है कि प्रतीत्यसमुत्पाद का एक पारमाधिक पक्ष है जो पुद्गल को सत् और असत् से परे बताता है और एक व्यवहारिक पक्ष है जो संसार में कार्यकारण नियम का विधिष्ठ प्रतिपादन करता है। इससे एक ओर यह विदित होता है कि दुःख का मूल कारण संसार को सत् अथवा असत् समझ लेना है। यही अविद्या है। दूसरी ओर अविद्या प्रस्त चित्त के लिए दुःखात्मक संसार चक्र निरन्तर कर्म, तृष्णा आदि का सहारा लेकर चलता रहता है।<sup>२</sup>

प्रतीत्यसमुत्पाद द्वादश निदानों पर आधारित है अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, पञ्चयत्न, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, और जरा-मरण-शोक-परिदेव-दुःख-दीर्घमनस्व-उपायास। उदान और विसुद्धिमग्न में भी इन्हीं बारह कारणों-निदानों-का उल्लेख मिलता है। ये बारह निदान अनुलोम और प्रतिलोम के माध्यम से क्रमशः दुःखसमुदय और दुःखनिरोध का निरूपण करते हैं। इन धर्मों का निरूपण अनेक प्रकार से मिलता है—

१. ये धम्मा हेतुप्पभवा हेतुं तेषं तथागतो भाह ।

तेसं च यो निरोधो, एवं वादी महासक्खी ॥ विनय० महावज्ज ।

ये किञ्चि ससुवयधम्मं सर्वं तं निरोधधम्मं, वही ।

२. धीद्वेषर्ष के विकास का इतिहास, पृ० ८३. १-१०

कहीं संक्षिप्त और कहीं विस्तृत, कहीं एक से बारह<sup>१</sup>, कहीं सप्त से बारह<sup>१</sup>, कहीं बारह से एक<sup>२</sup>, कहीं आठ से एक, कहीं तीन से बारह, और कहीं पाँच से आठ निदानों का वर्णन किया गया है।<sup>३</sup> इन उद्धरणों से ऐसा लगता है कि तथागत ने विभिन्न समयों में दुःखोत्पत्ति के कारणों को विविध रूप से प्रस्तुत किया था और उन सभी उपवेशों में से उक्त बारह निदानों को संकलित कर दिया गया। यह समूचा संकलन महानिदान पुस्तक में उपलब्ध होता है। प्रतीत्यसमुत्पाद के विकास का यह द्वितीय चरण है।

प्रतीत्य समुत्पादवाद के अर्थ के उद्घाटक मूलतः तीन सूत्र हैं—(१) इसकी होने पर यह होता है ( अस्मिन् सति इदं होति ), (२) कोई भी पदार्थ यथार्थ उत्पन्नत्व नहीं है, केवल प्रतीत्यसमुत्पन्नत्व होता है, और (३) समस्त धर्म निष्कारण होते हैं। अर्थात् समस्त संस्कृत पदार्थ हेतु-प्रत्यय जनित होते हैं।

हेतु कथन, अवयव, कारण, मूल का नाम है और जो धर्म जिस धर्म की स्थिति अथवा उत्पत्ति का कारक होता है वह उसका प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय, हेतु, कारण, निदान, मग्गव, प्रभव आदि शब्द अर्थ से एक हैं और व्यञ्जन से भिन्न हैं।<sup>४</sup> स्थविरवाद में ( राग, द्वेष, और स्नेह ) हेतु की अवस्थाओं को विकृत करते हैं और प्रत्यय की धर्म उत्पत्ति अथवा निर्वृत्ति में उपकारक होता है।

स्थविरवाद में राग, द्वेष और स्नेह ये तीन हेतु हैं जो चित्त की अवस्थाओं को विकृत करते हैं और चौबीस प्रत्यय हैं जो धर्म की उत्पत्ति अथवा निर्वृत्ति में उपकारक होते हैं। चौबीस प्रत्यय हैं—हेतु, आरम्भण, अधिपति, भनन्तर, समनन्तर, सहजात, अज्जमज्ज, निस्सय, उपनिस्सय, पुरेजात, पच्छाजात, भासेवण, कम्म, विपाक, आहार, इन्द्रिय, भान, मग्ग, सम्प्रयुक्त, अत्थि, विगत, और अधिगत। सर्वास्तिवाद में चार प्रत्यय ( आलम्बन, समनन्तर, अधिपति, और सहकारी ), छः हेतु ( कारण, सहभू, सम्प्रयुक्त, सभाग, विपाक, और सर्वत्रय ), तथा चार फल ( निष्पन्द, पुरुषकार, अधिपति, और विसंयोगफल ), स्वीकार किये गये हैं।

१. विस्तृतिका, पृ० ३६६-३७

२. उदाह और विस्तृतिका,

३. निदानसंयुक्त,

४. निदानसंयुक्त और उदान

५. बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, भाग १; पृ० ३६०

६. विस्तृतिका, परिच्छेद १७



१. बौद्धधर्म में दुःख प्राप्ति का मूल कारण कर्म माना गया है, यद्यपि वहाँ अन्य कारणों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे पिता, श्लेष्म, वात, सन्निपात, ऋतु, और विषम ।<sup>१</sup> यहाँ भी प्रतीत्य-समुत्पाद का अनिष्ट सम्बन्ध है । जन्म-मरु हेतु-प्रत्यय के द्वादश निदानों पर आधारित है । इसका प्रथम कारण अनुरार्यसत्य सम्बन्धी अज्ञान ( अविद्या ) है ।<sup>२</sup> बौद्ध दर्शन में अविद्या से जन्म तथा विद्या से मोक्ष माना जाता है । अनित्य, अनात्मक, अशुचि और दुःख रूप सभी पदार्थों को नित्य, सात्मक, शुचि, और सुख रूप मानना अविद्या है । इस अविद्या से रागादिक संस्कार उत्पन्न होते हैं । संस्कार तीन प्रकार के हैं—पुण्योपग ( शुभ ), अपुण्योपग ( अशुभ ) और अज्ञानोपग ( अनुभव-रूप ) । वस्तु की प्रतिबिम्बित को विज्ञान कहते हैं । इन संस्कारों के कारण वस्तु में दृष्ट, अनिष्ट प्रतिबिम्बित होती है, इसीलिए संस्कार विज्ञान में प्रत्यय अर्थात् कारण माना जाता है । इस विज्ञान से नाम अर्थात् चार रूपी स्कन्ध वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, तथा रूप अर्थात् रूपस्कन्ध-शुचिबी, जल, अग्नि, और वायु उत्पन्न होता है । इस पञ्चस्कन्ध को नामरूप कहते हैं । विज्ञान से ही नाम और रूप को नामरूप संज्ञायें मिलती है । अतः इन्हें विज्ञान-सम्भूत कहा गया है । इस नामरूप से ही चक्षु आदि पाँच इन्द्रियाँ और मन ये षडायतन होते हैं । अतः षडायतन को नामरूप प्रत्यय कहा है । विषय, इन्द्रिय और विज्ञान के सन्निपात को स्पर्श कहते हैं । छह आयतन-द्वारों का विषयानिमुख होकर प्रथम ज्ञान-तन्तुओं को प्राप्त करना स्पर्श है । स्पर्श के अनुसार वेदना अर्थात् अनुभव होता है । वेदना के बाद उसमें होने वाली प्रासक्ति तृष्णा कहलाती है । उन-उन अनुभवों में रस लेना, उनका अभिनन्दन करना, उनमें लीन रहना तृष्णा है । तृष्णा की वृद्धि से उपादान होता है । यह इच्छा होती है कि मेरी यह प्रिया मेरे साथ सदा बनी रहे, मुझमें सानुराग रहे और इसीलिए तृष्णातुर व्यक्ति उपादान करता है । इस उपादान से ही पुनर्भव अर्थात् परलोक को उत्पन्न करने वाला कर्म होता है । इसे भव कहते हैं । यह कर्म मन, वचन और काम इन तीनों से उत्पन्न होता है । इससे परलोक में नये शरीर आदि का उत्पन्न होना जाति है । शरीर स्कन्ध का एक जाना जरा है और उस स्कन्ध का विनाश मरण कहलाता है । इसीलिए जरा और मरण को जाति प्रत्यय बताया है । इस प्रकार यह द्वादशार्क

१. अनुत्तर निकम्ब (रोमन) भाग ३, पृ० १८६

२. मज्झिमनिकाय, १, १, ६

वाला चक्र परस्परहेतुक है। इसे प्रतीत्य-समुत्पाद कहते हैं। प्रतीत्य अर्थात् एक को निमित्त बनाकर अन्ध का समुत्पाद अर्थात् उत्पन्न होना। इसके कारण यह भवचक्र बराबर चलता रहता है। जब सब पदार्थों में अनित्य, निरात्मक, अशुचि और दुःख रूप तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। फिर अविद्या के विनाश से क्रमशः संस्कार आदि त्रष्ट हृदिकर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बौद्ध दर्शन में अविद्या से बन्ध और विद्या से मोक्ष माना गया है।<sup>१</sup>

इन द्वादश निदानों में प्रथम दो निदान अतीत भव से, तीन से कुछ तक निदान वर्तमान भव से और शेष अन्तिम दो निदान अनागत भव से सम्बद्ध हैं। इस तरह ये सभी प्रत्यय अन्योन्याश्रित हैं। योगाचारवाक्यों ने बारह निदानों का सम्बन्ध केवल दो जन्मों के साथ माना है। प्रथम से दस तक के निदानों का सम्बन्ध एक जन्म से और शेष दो निदानों का सम्बन्ध द्वितीय जन्म से स्वीकार किया गया है। उन्होंने निदानों के चार विभेद किये हैं<sup>२</sup>—

वर्तमान		१. बीज उत्पादक शक्ति — अविद्या, संस्कार
		२. बाध — विज्ञान-वेदना
अविद्य		३. बीजोत्पादन सामग्री — तृष्णा, उपादान तथा भव
		४. व्यक्त कार्य — जाति, जरा मरण

प्रतीत्य समुत्पाद के विकास का यह तृतीय चरण है।

उत्तर बालीन बौद्ध अचार्यों ने प्रतीत्य समुत्पादवाद का सैद्धांतिक पक्ष दार्शनिक रूप से विकसित किया। आचार्य बुद्धघोष ने इसकी विविध प्रकार से मीमांसा करते हुए शून्यता रूपी अनात्मवाद की सिद्धि का आधार माना है।<sup>३</sup> सर्वास्तिवाद के अनुसार प्रतीत्य-समुत्पाद के चार भेद हैं—अणिक, प्राकार्षिक (अनेक जन्मिक), सांबन्धिक (हेतु-फल सम्बन्ध युक्त) और आषस्विक (पंचस्कन्धिक बारह अवस्थायों)। विज्ञानवाद में प्रतीत्यसमुत्पादको आर्य विज्ञान के माध्यम से व्यक्त किया गया है। वहाँ अलयविज्ञान सांक्षेपिक बीजों का संग्रह स्थान, मूलविज्ञान, कर्मस्वभाव अथवा कारण-

- 
१. तत्त्वार्थ वाकिक, १.४६, हिन्दी सार, पृ० २७१-२, तुलनार्थ देखिये—  
विसुद्धिमग्ग, १७ वां परिच्छेद, शिक्षा समुच्चय, पृ० २१६,  
बोधिवर्षावतार पं० पृ० ३६८, माध्यमिक का० पृ० ५६४,
  २. उपाध्याय, बलदेव-बौद्धदर्शनमीमांसा, पृ० ७७
  ३. विसुद्धिमग्ग, परिच्छेद १७

स्वीकार भी है। उसे न शक्यत्व और न उच्छिन्न प्रस्तुत सन्तति-युक्त स्वीकार किया गया है। प्रधानतया ने प्रतीत्यसमुत्पाद को आलयविज्ञान का स्वभाव होने के कारण सस्वभावी ( हेतु-फल की निरन्तर प्रवृत्ति रूप ) माना है। यहाँ प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थ बतिसौल विभव माना गया है।<sup>१</sup> प्रतीत्य समुत्पाद के विकास का यह अस्तुर्ब अरग्य है।

हीनयान में प्रतीत्य समुत्पाद के व्यावहारिक पक्ष को उद्घाटित किया गया परन्तु महायान ने उसके पारमार्थिक पक्ष को प्रभावता दी। ज्ञानार्जुन ने शून्यता की सिद्धि में प्रतीत्य समुत्पाद को ही आधार माना है। उनके अनुसार प्रतीत्यसमुत्पाद का तात्पर्य नित्य एकान्तवाद अथवा अनित्य-एकान्तवाद से नहीं प्रत्युत नित्यानित्य-विनियुक्त शुद्ध शून्यवाद मानने में है। यह शून्यवाद ही मध्यमा प्रतिपदा है। इस प्रकार प्रतीत्यसमुत्पाद असा-म्यत्त-अनुच्छेदवाद को प्रस्तुत करता है।<sup>२</sup>

आर्यदेव ने भी स्वभावशून्यता की सिद्धि प्रतीत्यसमुत्पाद के माध्यम से की। चन्द्रकीर्ति ने कहा है कि जो प्रतीत्यसमुत्पन्न होता है वह अज्ञात है क्योंकि उसकी उत्पत्ति स्वभावतः नहीं होती। जो प्रत्यय के आधीन होता है वह शून्य कहा जाता है। संसार को दुःखों से मुक्त करना महाकारणिक बुद्ध का उद्देश्य है जिसकी सिद्धि प्रतीत्यसमुत्पाद के अविच्छेद पदार्थों के निःस्वभावत्व को दिखाने से होती है।<sup>३</sup> यहाँ प्रतीत्य समुत्पाद के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त करते हुए कहा गया है कि जैसे सूर्य की किरणों से निरस्त ताम्र द्वारा चिरकाल में भी आकाश काला नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार शम्भू, उद्धार, और अचिन्त्य प्रतीत्यसमुत्पाद रूपी सूर्य-किरण द्वारा नभस्त वादियों के समय ( सिद्धान्त ) रूपी अन्धकार क्षणित हो जाते हैं।<sup>४</sup>

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि माध्यमिक वृत्ति में चन्द्रकीर्ति ने 'प्रतीत्य' शब्द के 'इत्य' शब्द में समुत्पाद के साथ बोधार्थक ( प्रति-प्रति इत्यानां समुत्पादः = पुनः पुनः विनाशशील = भावो का उत्पाद ) समास स्वीकार नहीं किया। उनका तर्क है कि जहाँ देशना में अर्थ को स्वीकार

१. बौद्धधर्म दर्शन, पृ० ४४६ शिक्षिका विज्ञानमात्रासिद्धिकारिका २, ५, ८, १५; विशेष देखिये—अभिधर्मकोशा, तृतीय कोश।
२. माध्यमिक कारिका, १५-१०, २४.१८; बौद्धधर्मार्थ संग्रह, पृ० १६४
३. अस्तु-शतक, १६.२३ वृत्ति
४. वही, १६.२५ वृत्ति

किया गया है और उस अर्थ का ज्ञान ऐकेन्द्रिय से, ज्ञेया बताया गया है वहाँ यह वीक्षार्थता असंगत ही जायगी ; जैसे "बधुः प्रतीत्य क्वापि च उत्पद्यते बहुविज्ञानं" में बहुरिन्द्रिय हेतुक ज्ञान है और वह एकार्थक है अतः वहाँ वीक्षार्थ की धीनपुष्यता कीसे संभव होगी ! इसके विपरीत चन्द्रकीर्ति ने प्रतीत्यसमुत्पाद को प्रात्यर्थक माना है । इस मान्यता में अर्थ विशेष अङ्गीकृत हो या न हो, दोनों अवस्थाओं में प्रतीत्य की प्रात्यर्थता सम्भव है । यहाँ यह ही दृष्टव्य है कि चन्द्रकीर्ति ने प्रतीत्यसमुत्पाद को सकारणता और परिवर्तनशीलता के साथ ही सापेक्षता का भी प्रतीक माना है—हेतुप्रत्ययसापेक्षो भावानामुत्पादः ( पृ० ५ ) । नागार्जुन की दृष्टि में यही प्रतीत्यसमुत्पाद शून्यवाद है—अः प्रतीत्यसमुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्षते ( भाष्यात्मिक कारिका ) ।

प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थ चन्द्रकीर्ति की दृष्टि से "इदं प्रत्ययता" नहीं क्योंकि इसमें 'प्रतीत्य' और 'समुत्पाद' में समित अर्थ का अन्वयान नहीं है । उनके अनुसार प्रतीत्यसमुत्पाद में उत्पाद और निरोध का सन्दर्भ अवश्य है पर वहाँ नेयार्थता ( मोक्ष साधन ) और नीतार्थता ( फल रूप मोक्ष ) कराते हुए उन्होंने निःस्वभावता को सिद्ध किया है । समूचे माध्यमिक शास्त्रों ने इसी सन्दर्भ में प्रतीत्यसमुत्पाद का विश्लेषण किया है । पदार्थों को तीनों कालों में निःस्वभाव बताते हुए उन्हें उत्पाद और निरोध से रहित अतएव मृषार्थक प्रदर्शित किया है । उनकी दृष्टि में प्रतीत्य समुत्पाद का तात्पर्य ही निःस्वभाव हो गया । निःस्वभावका अर्थ है स्वभाव से अनुत्पन्न पदार्थ । ऐसा पदार्थ स्वप्न सहस्र, शून्यतात्मक, और अनात्मक होता है । जिसकी उत्पत्ति कारण पूर्वक होती है वह स्वतन्त्र रूप से नहीं होता । चूँकि स्वरूप स्वतन्त्र नहीं होता इसलिए उसके स्वयं का अस्तित्व नहीं होता । पदार्थ को शून्यतात्मक मानने का यही कारण मुख्य है । परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि सभी पदार्थों का अभाव है । प्रतीत्य समुत्पन्न वस्तु तो माया केस मान है । निःस्वभाव होने से भाव दर्शन भी विपरीत हो जाता है । इसलिए भाव स्वभावत्व वादियों की दृष्टि में प्रतीत्य समुत्पादाभाव और शास्वतोच्छेद दृष्टिदोष उपस्थित हो जाते हैं ।

भाव स्वभावत्व वादियों के मन में प्रतीत्य—समुत्पाद विषयक मान्यता होते हुए भी वस्तुतः उसका यथार्थ रूप उसमें नहीं चिन्तित । जिस प्रकार व्यवहार से अनभिज्ञ बालक प्रतिबिम्ब में सत्यता के अभ्यासोप

से यथावत् अवस्थित स्वभाव शून्यता के क्षयजन से सत्स्वभावत्व प्रतीति में प्रतिबिम्ब की कल्पना को नहीं जानता उसी प्रकार भावस्वभावत्व वाद में प्रतीत्य समुत्पाद को स्वीकार किये जाने पर भी स्वभावतः शून्यात्मक पदार्थ के निःस्वभावत्व को ग्रहण न करने के कारण और असत् स्वरूप को सत्स्वरूप रूप से ग्रहण करने के कारण शून्यात्मक पदार्थ की स्वीकार नहीं करते ।<sup>१</sup>

प्रतीत्यसमुत्पाद के माध्यम से पदार्थ के निःस्वभावत्व की सिद्धि प्रतीत्य समुत्पाद के विकास का पञ्चम चरण है । यहाँ प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थ ही निःस्वभावत्व स्वीकारकर लिया गया है<sup>२</sup> । निःस्वभावत्व के ज्ञान से राग का कारण, संसार का बीज रूप विज्ञान सर्वथा निवृत्त हो जाता है । इसी रीति से भावकों की, अनुत्पन्न धर्म के कथन करने की सामर्थ्य वाले बुद्धों की तथा बीजित्त्वों की संसार से निवृत्त होने की व्यवस्था की गई है । प्रतीत्य समुत्पाद और निर्वाण का यह पारस्परिक सम्बन्ध विशेष महत्त्वपूर्ण है । प्रतीत्यसमुत्पाद इदमप्रत्ययता एवं सापेक्षता का सूचक है परन्तु निर्वाण का अध्यात्मिक लक्ष्य संसारण के कारणों का निरोधकर परमार्थ की प्रति का संकेत करना है ।

इसी प्रतीत्यसमुत्पाद अथवा शून्यता का उपयोग उत्तरकाल में गुह्य साधना के क्षेत्र में बहुत अधिक हुआ । वज्रमत्त्व, वज्रधर, वज्रपाणि तथागत आदि सभी इस शून्यता के प्रतीक हैं । वज्र शब्द को भी शून्यताार्थक माना गया । प्रतीत्यसमुत्पाद के विकास का यह षष्ठ चरण है ।

## ५. मध्यम मार्ग

प्रतीत्यसमुत्पाद की व्याख्या को और अधिक स्पष्ट करने के लिए भगवान् बुद्ध ने मध्यम मार्ग ( मज्झिम पटिपदा ) का अन्वेषण किया । यह साश्वतवाद और उच्छेदवाद अथवा कामसुखस्विकानुयोग और अस्तकलमयानुयोग के बीच का पथ है जिसका उपदेश बुद्ध ने भिन्न-

१. वही, पृ० ४६०

२. वस्तुशतक. १४. २३ वृत्ति.

भिन्न अवसरों पर अपने अनुयायियों को दिया था।<sup>१</sup> बन्धकीर्ति की दृष्टि में मध्यमा प्रतिपद् दूनों अन्तों का मध्य है—अरुण्य, अनिदर्शन, अप्रतिष्ठ, अनायात, अनिकेतन और अविज्ञप्तक”<sup>२</sup> । श्री मती रिज डेविड्स ने मज्झिम पटिपदा को अनित्यता और परिवर्तन का उपदेश माना है।<sup>३</sup> परन्तु यह तथ्यसंगत प्रतीत नहीं होता। बुद्ध ने पदार्थ जगत् का अस्तित्व “हे भी और नहीं भी है” ऐसा स्वीकार नहीं किया प्रत्युत उसे “न सत् एवं न असत्” माना है। प्रतीत्य समुत्पाद में इसी सूत्र को हम विकसित अवस्था में पाते हैं।

## ६. कर्मवाद

बौद्धधर्म एक मनोवैज्ञानिक धर्म है। मनोविज्ञान की आधार शिला पर वह प्राणि-जगत् को कम्मदायाद, कम्मयोनि, और कम्मपटिसरण कहता है।<sup>४</sup> कर्म ही पुनर्जन्म का मूल कारण है। सदगति और असदगति का आधार कर्म को माना गया है। यही उसका विपाक है—

कम्मा विपाका वत्तन्ति विपाको कम्मसम्भवो ।

कम्मा पुनम्भवो होति एवं लोको पवत्तनी ॥

कर्म मूलतः दो प्रकार के हैं—चित्तकर्म ( मानसिक कर्म ) और चेतनिक कर्म ( काम और वचन से उत्पन्न कर्म )।<sup>५</sup> इनमें चित्तकर्म प्रधान हैं।<sup>६</sup> कर्म पहले ‘कृत’ होते हैं और फिर ‘उपचित’ होने हैं। कर्म करने की पृष्ठभूमि में चित्त भावना का आधार हुआ करता है अर्थात् भावों की शुद्धि-अशुद्धि पर कर्म-प्रकृति निर्भर रहती है। संकल्प ( प्रयोग ), संकल्प

१. मयुक्त निकाय, २, १, १५-१७; बम्मचक्कपवत्तलसुत्त

२. प्रसन्नपदा मा० का०, पृ० २६९

३. बुकम्म, पृ० ६४

४. कम्मस्सका माणव सत्ता कम्मदत्त्वादा कम्मयोनी कम्मबन्धु कम्मपटि सरणा कम्मं सत्ते विमच्चति यच्चिर्ब हीनपणीतताया ति, मज्झिम. ३.४५

५. चेतनाहं भिक्खवे कम्मं ति वदामि । चेतयित्वा हि कम्मं कराति कायेन वाचाय मनसा वा—अङ्कुर निकाय

६. मनी पुब्बंममा धम्मा मनी सेट्ठा मनोमया-धम्मपद

के अनुसार सामग्री का एकत्रीकरण ( मूल प्रयोग ), संकल्प को काय रूप में परिणत करना ( मूल कर्म पथ ), और अनुवर्तन ( पृष्ठ ) कर्म की परिपूर्यता के चार सोपान दृष्टव्य हैं । सर्वास्तित्वाधिक्यो के अनुसार जैनना चित्तसहगत धर्म हैं । हमारा ध्यान कभी अनित्य और अशुभ को अशुभ समझता है ( धोनिशो मनसिकारो ) और कभी इसके विपरीत भी हो जाता है ( अघोनिशो मनसिकारो ) । कुशल और अकुशल कर्म का सम्बन्ध इन दोनों प्रकार के ध्यानों से होता है । लोभ, द्वेष और मोह ये तीन अकुशल मूल हैं तथा अलोभ, अद्वेष, अमोह, निर्वेद, विराग आदि कुशल मूल हैं । पिटक में कहीं कृष्ण, शुक्ल, कृष्ण-शुक्ल भी अकृष्ण-अशुक्ल के भेद से कर्मों का विभाजन मिलता है और कहीं कृष्ण नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल के रूप में षडभिजातियों अथवा लेश्याओं का वर्णन मिलता है । यह लेश्या-प्रकार जैन एवं अजीवि से सम्बन्ध होना चाहिए । कर्मवाद का यह प्रारम्भिक रूप है ।

बुद्ध की दृष्टि में कर्म एक प्रकार का चित्त संकल्प है जिसे उन्होंने 'चेतना' शब्द कहकर व्यवहृत किया है । उसे वे न तो वैदिक सिद्धान्त के समान अदृष्ट शक्ति मानते हैं और न जनों के समान पीदगलि मानते हैं । बल्कि वे उसे अनादि और अविच्छिन्न परम्परा में घटित ए घटना मात्र मानते हैं । उनके अनुसार स्वकृत कर्मों के फल का भोग प्राणी स्वयं होता है, अन्य नहीं । यह कर्मफल पांच प्रकार का है—अधिपतिफ ( कारण हेतु से निश्चित फल ), निष्पन्दफल ( सास्रव कर्मों का फल ), विसंयोग फल ( मोह एवं बलेश का उच्छेदक और पुखकर्मफल ( सहभू और सम्प्रयुक्त हेतु अन्य ) । कर्म विपाक दुर्विज्ञेय और दुर्लभ्य है । तृष्णा से अभिध्यन्ति होकर कर्म विपाक देते हैं । कर्मवाद के विकास का द्वितीय चरण है

सर्वास्तित्वाद् ( वैभाषिक ) परम्परा में अतीत, अनागत और प्रत्युत्पन्न । अस्तित्व है अतः कर्म अपने विपाक फल को क्रियाकाल में भाक्षित कर है और कर्म के अतीत होने पर विपाक का दान करता है । चन्द्रकीर्ति । अस्वीकार करते हैं और कर्म को क्रिया काल में निश्चय बताकर कर्ता

१. चेतना चेतयित्वा च कर्मोक्तं पदमधिक्या ।

तस्यानेकविधो भेदः कर्मणा परिकीर्तितः ॥

एव च चेतनेत्युक्तं कर्म तन्मानसं स्मृतं ।

चेतयित्वा च कर्तृकं तत्तु कथयित्वाधिक्यम् ॥ मध्यमक, १७.२-३.

वित्तसन्तान में 'अविप्रशास' नामक ग्रन्थ का उत्पाद बताया है<sup>१</sup>। सौमित्रान्तिक प्रतीत धीर ब्रह्मणी संस्कृत ( प्राति ) नामक कर्मों के अस्तित्व को नहीं मानते । वे बाह्यार्थ धीर वित्त सन्तान का विशेष नहीं करते किन्तु कर्म धीर कर्म विपाक को वित्त में अहित होना बताते हैं । वे विज्ञानवादी रूप के अस्तित्व को नहीं मानते । कर्मवाद के विकास का यह तृतीय चरण है ।

कर्म संस्करण का मूल कारण होता है<sup>२</sup> धीर संस्करण का अर्थ है संसार में जन्म-मरण ग्रहण करना । भगवान् बुद्ध को अपने शिष्यों के पुनर्जन्म के विषय में ज्ञान था । उनका यह ज्ञान उनके स्वसंवेद्य अनुभव का परिणाम था ।<sup>३</sup> भिक्षुणी श्रुतिदासी, जैसी महाकाश्यप धीर सारिपुत्र जैसे भिक्षु भी पूर्वजन्म सम्बन्धी ज्ञान से परिपूर्ण थे । धम्मपद का "ग्रहकारक दिट्ठोसि पुन मेहं न क्हासि" कथन पुनर्जन्म से ही सम्बन्धित है । वर्णवाद भी कर्म पर आधारीत है । इसलिए भगवान् ने कर्म प्रतिशरण होने के लिए कहा है । बुद्ध, धम्म धीर कम्म में कोई अन्तर नहीं । तथागत तो मात्र मार्ग दर्शक हैं ।<sup>४</sup> उत्तम कार्य करते हुए उन्होंने सदैव आत्संयमो होने का उपदेश दिया ।<sup>५</sup> आर्यदेव ने भी यह स्पष्ट किया है कि संसार से मोह होना दुःख का मूल कारण है ।<sup>६</sup> उत्तम गति में भी अनिष्ट कर्म फल से दरिद्रता, दुर्बलता आदि जैसी विकम्बनायें बनी रहती हैं ।<sup>७</sup> वहाँ सम्पत्ति से मान धीर उससे अश्वपत्तन होता है ।<sup>८</sup> यही सब पुनर्जन्म का कारण धीर फल है ।

आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करना धीर पुनर्जन्म को स्वीकार करना ये दोनों परस्पर विपरीत तत्व प्रतीत होते हैं । सति केवल पुत्र नामक भिक्षु के मन में भी इसी प्रकार की अनेक शङ्कायें रही होंगी ।<sup>९</sup> भगवान् ने उनका समाधान किया था धीर बताया था कि विज्ञान प्रतीत्य-समुत्पन्न है । प्रथम का अन्तिम विज्ञान निलीन होता है धीर द्वितीय धम्म का प्रथम विज्ञान उत्पन्न होता है । अत एव न तो वही जीव बना रहता है धीर

१. माध्यमिक बुद्धि, १७२३; बौद्धधर्म दर्शन, पृ० ३७२

२. चतुःशतक, ७.४

३. विनयपिटक, महात्रय्या; मज्झिमनिकाय, १.३.१

४. तुम्हेहि किञ्चं धातप्पं अक्खालारी तथागता, धम्मपद, २०.४.

५. दीर्घनिकाय, महात्परि निम्बाराणसुत्त,

६. चतुःशतक, ८.१३

७. वही, ७.७.

८. वही, ७-१६

९. संकुल निकाय, १२-७



न अन्ध भीक ही उत्पन्न होता है। मिलिन्दपञ्च में नागसेन और मिलिन्द के बीच हुए संवाद में भी यही बात कही गई है। मिलिन्द के प्रश्न पर नागसेन ने कहा कि जिस प्रकार शीशवावस्था से बढ़ता हुआ वही व्यक्ति बुढ़ावस्था तक पहुँचता है। हम दोनों अवस्थाओं में रहने वाले व्यक्ति को एक दूसरे से भिन्न अथवा अभिन्न नहीं कर सकते। उसी प्रकार पुनर्जन्म में जन्मा व्यक्ति न पूर्व-जन्म से भिन्न है और न अभिन्न ( न च सो न च यज्ञो )। धर्मों के निर्वाण प्रवाह से, उनके संघात रूप में आ जाने से एक उत्पन्न होता है, दूसरा निरुद्ध होता है। यह उत्पाद और निरोध युगवत्त्व प्रतीत होता है। अतएव न तो वह वही है और न उससे भिन्न ही है। यह नाम-रूप के द्वारा कुशल-अकुशल कर्म करता है और उन कर्मों के द्वारा एक अन्य नाम-रूप उत्पन्न होता है। वही संसरण करता है और कर्म के निःशेष हो जाने पर यह संसरण बन्द हो जाता है।<sup>१</sup>

बौद्धधर्म में साधारणतः आत्माका प्रतिषेध किया गया है। उसके विपरीत उत्पन्न प्रश्नों का समाधान दो प्रकार से हुआ है। प्रथमतः पुद्गलवादी हैं जिन्होंने पुद्गल (आत्मा) को स्कन्धों से न भिन्न माना है और न अभिन्न है प्रत्युत उसकी उपलब्धि पंच-विज्ञान काय और मनोविज्ञान में स्वीकार की है। उनकी दृष्टि में पुद्गल एक वस्तु-सत् है, एक द्रव्य है, किन्तु स्कन्धों से उसका सम्बन्ध अनिर्वचनीय है। इसी प्रकार वह न नित्य है और न अनित्य है। दूसरा समाधान यह है कि जिसे लोक में आत्मा प्रादि कहते हैं, वह एक मन्तान ( सन्तति ) है जिसके अंगों का हेतु-फल-सम्बन्ध है। मृत्यु से इसका उपच्छेद नहीं होता। मृत्यु केवल उस क्षण को सूचित करती है, जब नई परिस्थितियों में नवीन कर्म समूह का विपाक प्रारम्भ होता है। इसमें वाक्चानुरी है, किन्तु एक पहेली है। जिस सन्तति की कल्पना बौद्ध करते हैं, उसमें आत्मा के सब सामर्थ्य पाये जाते हैं।<sup>२</sup>

नागजुन ने कर्म को भी निःस्वभाव मान लिया है। उनका मन्तव्य है कि यदि कर्म स्वभावतः होता तो वह शाश्वत और अकृत होता। पर वह शाश्वत और अकृत होता नहीं, अन्यथा अकृताभ्यामम दोष की प्रसक्ति होगी। सिद्धान्त में हड़ता लाने के लिए कर्म के कारण क्लेश को भी नागजुन ने

१. मिलिन्द पञ्च, लक्षणापञ्च

२. आचार्य नरेन्द्रदेव, बौद्धधर्म-दर्शन, पृ. ३८५-६.

निःस्वभाव मान लिया। अश्वेत ने भी नांवाकुंन के मन्तव्य का समर्थन किया है।<sup>१</sup> इसे कर्मबाध के विक्रान्तका हम चतुर्थ चरण कह सकते हैं।

## ७. निर्वाण

निर्वाण धार्मिक साधना की वह चरम सीमा है जहाँ समस्त कर्माक्षरों का क्षय हो जाता है। वह स्थिति अतीन्द्रिय परम सुखकारी है<sup>२</sup>। इतिवृत्तक (सुत्त. ४३) में निर्वाण को अतर्कान्तर ध्रुव, अजात, असमुत्पन्न, अशोक और विरज पद माना है। त्रिपिटक में प्रायः सर्वत्र उल्लेख स्वसंवेद्य स्वीकार दिया गया है। थेर-थेरी गाथा में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के मनोहारी अनुभव संकलित हैं। भगवान् बुद्ध ने अभिसम्बोध काल में उसका स्वयं साक्षात्कार किया था। थेर गाथा में विविध स्थलों में निर्वाण को अमव, शान्त और अमृत पद माना गया है। यह अमृत पदरूपा निर्वाण, राग, द्वेष और मोह के क्षय से प्राप्त होता है।<sup>३</sup> तृष्णा के क्षय को भी निर्वाण कहा है।<sup>४</sup> निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त होता है। इसी को सोपविशेष निर्वाण कहा गया है। इस निर्वाण पद को अच्युत भी कहा गया है।<sup>५</sup> अर्थात् एक बार निर्वाण प्राप्त होने पर वहाँ से च्युत होने का प्रश्न ही नहीं। सोपविशेष निर्वाण प्राप्ति के लिए साधक को लोभ, ईर्ष्या, मोह, मान, दृष्टि, विचिकित्सा, स्वप्न, ओदृत्य, अही तथा अनुत्ताप इन दस क्लेशों का आत्यन्तिक विनाश करना पड़ता है। इस प्राप्ति के चार सोपान हैं— खोतापत्ति, सकदापामि, अनापामि और अर्हत्त्व। यह एहिपस्सक धम्म है और इसका सम्बन्ध जीवन की अवस्था से निर्वृत्त होना है। निरुपविशेष निर्वाण जीवन की उस निर्वृत्त अवस्था के बाद की अवस्था का नाम है। प्रथम अनुभूति से सम्बन्धित और स्कन्ध सहगत निर्वाण है और द्वितीय अतीत से सम्बन्धित स्कन्ध विनिर्मुक्त निर्वाण है।

१. चतुःशतक, ७.१८-२३.

२. निब्बाणं परमं सुखं, मज्झिम; २. ३. ५

३. रागक्खयो, दोसक्खयो, मोहक्खयो, इदं बुद्धति निब्बाणं,—संयुक्त, जन्म, संयुक्त.

४. तथहाय विप्यहानेव निब्बाणं इति बुद्धति—सुत्तनिपात, पारायण वग्ग,

५. दिट्ठवम्मामिनिब्बुता—उदान, पाटिकिप्पामियवग्ग।

६. अर्हस्सं विरजं निब्बाणं परमं च्युतं—थेरीगाथा, ६७.

परमपद निर्वाण की प्राप्ति संस्कारों के पूर्ण क्षय से होती है। वह एक ऐसा अद्यतन है जहाँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आकिञ्चन्य, लोक, परलोक चन्द्र, सूर्य, च्युति, स्थिति, आहार प्रादि नहीं हैं।<sup>१</sup> उसे असंस्कृत, सत्य, पार अजर, ध्रुव, निष्प्रपञ्च, असृत, शिव, क्षेम, अद्वय, विद्युद्, द्वीप और तृण रूप माना है।<sup>२</sup> निर्वाण को अजस्त, असृत, अकृत और असंस्कृत भी कहा गया है।<sup>३</sup> दूधरी और बुद्धघोष ने निर्वाण को निषेधात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है कि यहाँ मात्र दुःख है, दुःखित कोई नहीं, मात्र क्रिया है, कारक कोई नहीं मात्र निर्वाण है, निर्धृत कोई नहीं, मात्र मार्ग है, मार्गानुगामी कोई नहीं। निर्वाण पदमञ्जुतमञ्जन्तं असङ्गतमनुत्तरं। निम्बानमिति भासन्ति वानमुत्ता महेशयो। दर्शन के विकास का यह प्रथम चरण होगा।

दुःखमेव हि न च कोपि दुःखितो  
न कारको किरिया च विजति।  
अस्थि निम्बुति न निम्बुतां पुन  
मर्गं अस्थि गमको न विजति॥

निर्वाण की उक्त परिभाषाओं एवं स्वरूपों से यह स्पष्ट है कि सामान्यतः स्वविरवाद में निर्वाण सकल दुःखों का अभाव रूप है। उसे चित्त-वैतसिक क्रियाओं का चरण निरोध तथा अभावात्मक स्वीकार किया गया है। निर्गुण उसे एवं, अनिर्वचनीय विशेषण भी दिये जाते हैं। साधक इसे प्रज्ञा के द्वारा प्राप्त करता है।<sup>४</sup> निर्वाण की प्रज्ञा और अभाव रूप स्थिति में उसे प्रतीत्य समुत्पन्न कैसे कहा जाय और अनात्मवाद का समर्थन कैसे होगा, ऐसे प्रश्न दार्शनिकों और चिन्तकों के मन में प्रायः उठते रहे हैं। अश्वघोष ने इन प्रश्नों का समाधान बड़ी कुशलता पूर्वक किया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार बुद्धा हृषा दीपक न तो पृथ्वी में जाता है, न अन्तरिक्ष में, न किसी दिशा में, न किसी विदिशा में, प्रत्युत तैलक्षय से वह केवल शान्ति को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार प्रज्ञावान् व्यक्तित्व कहीं नहीं जाता, मात्र क्लेशक्षय हो जाने पर शान्ति प्राप्त कर लेता है।

१. द्दोषान्, पाटलिपुत्र बण्ण

२. विमुद्धिमग्ग, ८, २४८.

३. इतिवृत्तक, अञ्जात सुत्त। अभिषम्मत्य संगहो ( ६.६८ ) में कहा है—  
पदमञ्जु तमञ्जन्तं असङ्गतमनुत्तरं।  
निम्बानमिति भासन्ति वानमुत्ता महेशयो॥

४. मिलिन्दपञ्च, पृष्ठ ३२६-३३

दीर्घा यथा निर्बुद्धिमभ्युपेती, नैवाश्रयि गच्छति नाप्तरिक्तम् ।  
 दिशं न काञ्चिद् विदिशं न काञ्चिद्, स्नेहकथाद् केवलमेति ज्ञान्तिम्” ॥  
 तथा कृती निर्बुद्धिमभ्युपेती, नैवाश्रयि गच्छति नाप्तरिक्तम् ।  
 दिशं न काञ्चिद् विदिशं न काञ्चिद् क्लेशजयाद् केवलमेति ज्ञान्तिम् ॥<sup>१</sup>

अकलकृ ने भी बीड़ों के निर्वाण की परिभाषा का उल्लेख किया है । उन्होंने एक स्थान पर रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान इन पांच स्कन्धों के विरोध को मोक्ष कहा है—रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानपञ्चस्कन्धविरोधाद्भावो मोक्षः ।<sup>२</sup> और दूसरे स्थान पर निर्वाण को सर्वथा अभाववात्मक बताते हैं । मोक्ष की इस परिभाषा के लक्षण के प्रसंग में उन्होंने कहा कि प्रवीण का निरन्वय विनाश असिद्ध है । दीपक रूप से परिणत पुद्गल द्रव्य का भी मुक्त जीवों की तरह विनाश नहीं होता । उनकी पुद्गल जाति बनी रहती है । जैसे हथकड़ी-बेड़ी आदि से मुक्त देवदत्त का स्वरूपावस्थान देखा जाता है उसी तरह कर्मबन्ध के अभाव से आत्मा का स्वरूपावस्थान होता है, इसमें कोई विरोध नहीं ।<sup>३</sup> निर्वाण विचार के विकास का यह द्वितीय चरण है ।

पुंसे के अनुसार धारम्भ में बौद्धधर्म आत्मा, पुनर्जन्म और निर्वाण में विश्वास करता था । वह दर्शन न था । बाद में धर्म नैरात्म्य की भावना और मद-निर्मदन के लिए नैरात्म्यवाद की स्थापना हुई । इसके दो रूप हुए—पुद्गलवाद और सन्ततिवाद । किन्तु पुनर्जन्म में जो विश्वास था, वह नष्ट नहीं हो सका । जो सन्ततिवाद के मानने वाले हैं उनमें कोई निर्वाण को वस्तु-सत् मानते हैं । यह दूसरे सौकान्तिक और पुब्बसेलिय हैं । इनमें हम स्वविरों को भी सम्मिलित कर सकते हैं । पहली कोटि में विभज्जवादी, सर्वास्तिवादी, और वंभाषिक हैं अर्थात् आभिषान्तिक प्रायः पहले मत के हैं । ‘पुब्बसेलिय’ निर्वाण को वस्तु-सत् नहीं मानते ( बुद्धधोष के अनुसार ) । स्वविरों का भी मत है कि निर्वाण का अस्तित्व नहीं है । प्रकृतिमात्र होने के कारण उन्होंने निर्वाण को स्थापनीय प्रवृत्तों में समाहित किया है<sup>४</sup> । वंभाषिक इसे स्वीकार नहीं करते ।

१. सौन्दरानन्द, १६. २७-२९

२. तत्त्वार्थशास्त्रिक, १, १, ८

३. बही, १७, ४, १७

४. आचार्य नरेन्द्रदेव, बौद्धधर्म-दर्शन, पृ० २६३

पुद्गलवादियों के अनुसार निर्भूत स्थिति में भी पुद्गल ( आत्मा ) का अस्तित्व है। वात्सीयुत्रीय इन स्फुटों से न सम्बद्ध मानते हैं और न पृथक्। विज्ञानवाद ने पुद्गल के स्थान पर एक विशुद्ध 'प्रभास्वर चित्त' की कल्पना की है। पाँच अथवा आठ पुद्गलवादी, चार महासंघिक निकाय एवं विभज्जवादी निर्वाण के इस स्वरूप को स्वीकार करते हैं। इसके विकास का यह तृतीय चरण है।

सौत्रान्तिक निर्वाण को क्लेश-जन्म का अभाव रूप मानते हैं पर वैभाषिक उसे प्रतिसंख्या-निरोध कहते हैं। वैभाषिकों के अनुसार निर्वाण एक नित्य, असंस्कृत धर्म एक पृथक् भूत सत् है और वह अचेतन तथा प्रतिसंख्या-निरोध ( सांसारिक आश्रयों का क्षय रूप ) है।<sup>१</sup> सौत्रान्तिक वैभाषिकों के उक्त मत से सहमत नहीं। वे निर्वाण को क्लेश क्षय रूप तो मानते हैं परन्तु अचेतन अवस्था नहीं मानते। वे भगवान् का धर्मकाय स्वीकार करते हैं और निर्वाण को एक अभावात्मक स्थिति स्वीकार करते हैं। इस प्रकार हीनयान की ये दोनों शाखायें—वैभाषिक और सौत्रान्तिक-निर्वाण को नितान्त अभावात्मक मानती हैं।<sup>२</sup> निर्वाण-दर्शन के विकास का यह चतुर्थ चरण है।

महायानी परम्परा में निर्वाण का कुछ और विकास हुआ। हीनयान दर्शन में मात्र पुद्गलनैरात्म्य की कल्पना थी जिसमें क्लेशावरण का उच्छेद होना है पर महायान दर्शन में उसके अतिरिक्त धर्मनैरात्म्य की भी कल्पना की गई जिसके ज्ञान से ज्ञेयावरण दूर होता है। सत्काय दृष्टि ( आत्मदृष्टि ) राग-द्वेष का कारण है<sup>३</sup> अतः उसे दूर करने के लिए पुद्गलनैरात्म्य की भावना आवश्यक है। तथा सर्वज्ञता की प्राप्ति के लिए ज्ञेयावरण को दूर करना अपेक्षित है जो शून्यता ज्ञान ( धर्मनैरात्म्य ) से सम्भव है। दोनों आवरणों के दूर होने से ही सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। यह निर्वाण शब्दतः अनिर्वचनीय है। कल्पना का अपनयन हो जाने पर ही निर्वाण प्रप्य है। महायान में बुद्ध का धर्मकाय स्वीकार किया गया और मानव जीवन का धर्म लक्ष्य अर्हत् प्राप्ति न मानकर बुद्धत्व प्राप्ति स्वीकार किया गया। योगाचार बाह्य जगत् का आभान मात्र

१. द्रव्यसत् प्रतिसंख्याननिरोधः—सत्यचनुष्टयनिर्देशनिर्दिष्टत्वात् मार्गसत्यवत् इति वैभाषिकः—अभिधर्मकोश, व्याख्या, पृ० १७।

२. सत्यकायदृष्टि प्रभवानशेषान्, क्लेशांश्च बोधांश्च चिया विपश्चाम्।  
आत्मानमस्या विषमम्ब बुद्ध्वा योगी करोत्पात्म निबोधमेव॥

माध्यमिकावतार ६.१२०, मा० बुद्धि, पृ० ३४०

मानकर वस्तुसत्ता का प्रतिबंध करता है वह एक आलयविज्ञान को मानता है जो सर्वधर्मों में बीजवत् सांख्येयिक कारण रूप से प्राचीन रहता है। उसे बिपाक विज्ञान भी कहते हैं। वह ज्ञेय पदार्थों का धारण है। आचार्य नरेन्द्रदेव के शब्दों में आलयविज्ञान का वही स्थान है जो आत्मा और जीवितेन्द्रिय दोनों का मिलकर ग्रन्थ धारण में है।<sup>१</sup> इसे हम निर्वाण के स्वरूप के विकास का पञ्चम चरण कह सकते हैं।

हीनयान और महायान दर्शन में निर्वाण के स्वरूप में कुछ सामान्य विशेषतायें दृष्टिगोचर होती हैं और कुछ विशिष्ट विशेषतायें। सामान्य विशेषतायें इस प्रकार हैं—

१. निर्वाण निरूपपञ्च और अनिर्वचनीय है। असंस्कृत धर्म होने के कारण वह उत्पाद, विनाश एवं परिवर्तन से दूर है।

२. निर्वाण स्वसंवेद्य है।

३. अष्टाङ्गिक मार्ग का परिपालन निर्वाण-प्राप्ति का साधन है।

४. व्यक्तित्व का सर्वथा निरोध होता है।

५. अर्हत् निर्वाण निम्न कोटि का है और बुद्ध का ज्ञान तथा शक्ति लोकोत्तर है।

६. त्रिकालवर्ती बुद्धों के लिए यह एक और समान है।

दोनों दर्शनों में सम्मत निर्वाण के स्वरूप की तुलनात्मक विशेषताओं की दृष्टि से उनका विचार वैमिथ्य इस प्रकार देखा जा सकता है—

हीनयान	महायान
१. बहुधर्मवादी	१. अद्वयवादी
२. संस्कृत धर्म वस्तु-सत् हैं।	२. धर्म संस्कृत ( परपक्ष ) होने के कारण स्वभावशून्य हैं।
३. राशि अवयवी प्रकृति सत् हैं और केवल धर्म वस्तु है।	३. धर्म शून्य है और केवल धर्मता ( धर्मकाय ) वस्तु सत् है।
४. पुद्गल नैरात्म्य है। केवल संस्कार सहस्रू हैं।	४. धर्मनैरात्म्य है और धर्मकाय है।
५. धर्म संस्कृत एवं असंस्कृत में विभक्त हैं और दोनों वस्तु सत् हैं।	५. वस्तु सत् कोई नहीं। दोनों शून्यता के प्राचीन हैं।

३. संस्कृत वस्तु प्रतीत्य समुत्पन्न है ।

७. प्रतीत्यसमुत्पादवाद

८. परिनिर्मुक्त तथागत नित्य और अचेतन वस्तु है ।

९. निर्वाण सत्त्व, नित्य, दुःखाभाव तथा पवित्र है ।

१०. निर्वाण प्राप्त (उपलभ्य) है ।

११. निर्वाण लोकोत्तर दशा है ।

१२. विमुक्ति काय प्राप्त करते हैं ।

१३. सोपधिशेष ( प्रति संख्या-निरोध ) और निरूपधिशेष ( अप्रति-संख्यानिरोध ) ये दो रूप हैं ।

१४. निर्वाण और संसार में धर्म-समता नहीं ।

१५. पदार्थ सत् है ।

१६. क्लेशावरण से ही निर्वाण मिलता है ।

६. निरपेक्षही वस्तु है, अप्रापेक्ष नहीं

७. क्षून्यता धर्म सत्यानार्थक है ।

८. तथागत स्वभावतः नहीं, धर्मतः है ।

९. सुखात्मक तथा धर्मिर्बन्धीय है ।

१०. निर्वाण अप्राप्त (अनुपलभ्य) है ।

११. निर्वाण लोकोत्तरतमदशा है ।

१२. धर्म काय और सर्वज्ञत्व प्राप्त करते हैं ।

१३. इनके अतिरिक्त प्रकृतिशुद्ध और अप्रतिष्ठित ये निर्वाण के दो भेद और हैं ।

१४. निर्वाण और संसार में धर्म समता है ।

१५. पदार्थ का प्रपञ्च मायिक तथा मिथ्या है ।

१६. निर्वाण के लिए क्लेशावरण तथा क्लेशावरण दोनों से मुक्त होना अपेक्षित है ।

क्षून्यवाद के संस्थापक आचार्य नागाज्जुन ने निर्वाण को न भाव माना, न अभाव और न भाव-अभाव । उन्होंने उसे अप्रवृत्तिमान स्विकार किया है । निर्वाण को भाव मानने पर उसका उद-भरण, संस्कृतत्व तथा हेतु-प्रतीत्यजन्य मानना पड़ेगा परन्तु निर्वाण में ये विशेषताएँ नहीं हैं । अभाव

यदि मानते हैं तो उसे अनित्य मानना होगा। यदि उभय है तो संस्कारों का आत्मजाप तथा उनका नाश दोनों की ही निर्वाण कहा जाता है।

आर्यदेव और चन्द्रकोर्षि ने भी निर्वाण को अभावात्मक माना है। उन्होंने कहा है कि जैसे दुःख, दुःख समुदय, और दुःखनिरोध ये तीनों आर्यसत्य हैं वैसे ही क्लेशक्षय लक्षण स्वरूप मोक्ष नहीं है। क्योंकि उससे कुछ भी लाभ नहीं। बन्ध्य और मोक्ष इन दोनों का भी अवयव स्वभाव नहीं मिलता यदि इसका कुछ उपयोग मान भी लिया तो उससे अनुमित सत्व ही होगा और यह है नहीं। अतएव इसका सद्भाव नहीं है।

“समस्त स्कन्धों का नाश, जन्म-मरण का अय, विराग, निरोध निर्वाण है।” इस प्रकार के आगम प्रमाण से निर्वाण में स्कन्ध सर्वथा नहीं होते। पुद्गल भी नहीं होता। यदि निर्वाण में स्कन्ध होते तो पुद्गल भी होता। तब उनके होने पर निर्वाण की प्राप्ति में सूत्र-विरोध होगा और निर्वाण संसार से बाहर नहीं होगा। इस कारण उस निर्वाण में निर्वाणभूत कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए कहा है—‘यत्र दृष्टं हि निर्वाणं निर्वाणं तत्र किं भवेत् ।’ यहाँ निर्वाण को न आशार माना गया और न आशेय। निराशार आशेय के अभाव से निर्वाण का अभाव सिद्ध हो जाता है।

मुक्त अवस्था में ज्ञान के अस्तित्व की कल्पना करना भी निरर्थक है। भव-हीन व्यक्ति के लिए ज्ञान के सद्भाव का कोई तात्पर्य नहीं। वह कोई भी पदार्थ अच्छी तरह से अनुभूति में नहीं ला पाता। क्योंकि उसके हेतुफलात्मक सारे विकार समूह प्रशान्त हो चुके। इसलिए मुक्त आत्मा में मोक्ष ज्ञान युक्त नहीं।

मुक्तावस्था में आत्मा का भी अस्तित्व नहीं, अन्वया आत्माभिन्न ज्ञान-शक्ति का भी अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा और ज्ञानशक्ति ज्ञान सत्ता रूप है। आत्मा के अभाव में ज्ञान शक्ति निराश्रित हो जाती है। ज्ञान शक्ति निराश्रित हो जाने से भव भावना भी निवृत्त हो जाती है।<sup>१</sup> बौद्ध दर्शन में निर्वाण का यह विशेष स्वरूप है। इसे हम निर्वाण के विकास का अष्ट चरण कह सकते हैं।



## ८. ईश्वर कल्पना

दार्शनिक क्षेत्र में ईश्वरका स्वरूप प्राप्त भी विवाद-ग्रस्त प्रश्नके रूपमें लड़ते हैं। सृष्टिके प्रारम्भ से ही दार्शनिकों ने प्रस्तुत प्रश्न को अपने ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया है। ये प्रयत्न स्थूल रूपसे दो ढंगोंमें विभाजित किये जा सकते हैं—भ्रमण प्रयत्न और भ्रमणोत्तर प्रयत्न। भ्रमण संस्कृति के आचार्यों ने ईश्वर को ईश्वर रूपमें न मानकर उसे पथप्रदर्शक के रूप में स्वीकार किया है। ईश्वर का कार्य यहाँ स्वयंकृत कर्म करते हैं। भ्रमणोत्तर संस्कृति में ईश्वर को सृष्टिकर्ता-हर्ता और साथही सुखदुःखदाता के रूप में भङ्गीकार किया गया है। बौद्धधर्म-दर्शन भ्रमण संस्कृति की अन्ततम शाखा है। उसमें ईश्वरवाद को बन्धव-द के रूप में उपस्थित किया गया है।

१ ईश्वर-कल्पना की उत्पत्ति—पश्चिमुत्त में ईश्वर निर्माणवाद का खण्डन करते हुए भगवान् बुद्ध ने ईश्वर-कल्पना की उत्पत्ति बताया है—

बहुत समय के बाद इस लोक का प्रलय होता है। प्रलयके बाद आभास्वर ब्रह्मलोकवासी वहाँ दीर्घकाल तक रहते हैं। तदनन्तर पुनः प्रलय होता है और एक क्षण (सुष्ण) ब्रह्म विमान प्रकट होता है। आभास्वर ब्रह्मलोक से कोई प्राणी आयु अथवा पुराण-अथ हो जाने के कारण च्युत होकर ब्रह्मविमान में उत्पन्न होता है। कुछ समय बाद दूसरे प्राणी भी इसी प्रकार वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। जो प्राणी वहाँ सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उसके मनमें यह विचार आता है—मैं ब्रह्मा, महाब्रह्मा, अभिभू, अनभिभूत, सर्वज्ञ, वशवर्ती, ईश्वर, कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ, स्वामी और भूत तथा भविष्य मे उत्पन्न होने वाले प्राणियों का पिता हूँ। मैंने ही इन प्राणियों को उत्पन्न किया है। मेरे ही मन में सर्व प्रथम यह विचार आया था अहो, दूसरे प्राणी यहाँ आँवें। अतः मेरे ही मनसे उत्पन्न होकर ये प्राणी यहाँ उत्पन्न हुए हैं। और जो प्राणी पीछे उत्पन्न हुए उनके भी मनमें यह विचार उत्पन्न होता है कि यह ईश्वर कर्ता, पिता, ब्रह्मा, महाब्रह्मा है, इसने ही हम लोगों को उत्पन्न किया है।

जो प्राणी पहले उत्पन्न होता है वह अधिक आयुवान् और अधिक सम्मानित होता है। और जो पश्चात् उत्पन्न होता है वह अल्पायुवान् और अपेक्षाकृत कम सम्मानित होता है। यही कारण है कि पश्चात् उत्पन्न होने वाला प्राणी उस काया को छोड़कर इस लोक में आता है। यहाँ आकर प्रव्रजित हो जाता

हैं। और बिना समाधि प्राप्त करने पर अपने असाहित चित्त में अस्वप्न-वत् करती हैं—जो यह ब्रह्मा है। जिस ब्रह्मा ने हमें उत्पन्न किया है वह भिन्न भ्रुव और साश्वत, निर्विकार है तथा जो हम लोग उस ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किं गये हैं, अनित्य-अग्रज, अल्पायु और वरणाश्रय हैं।

जो जो सो भवं ब्रह्मा महाब्रह्मा०, तेन मयं भोता ब्रह्मना निम्मिता, स निम्बां बुवो सस्सतो अविपरिणामवम्भो सस्सतिसमं तवेव ठस्सति, ये पण भ भट्टभ्हा, तेन भोता । ब्रह्मना निम्मिता, ते मयं अनित्था, अद्भुवा, अल्पायुक् चवनवम्भा तवता भागता ति ।<sup>१</sup>

बासठ मिथ्याहृदियों के प्रसंग में भगवान् बुद्ध ने आत्मा की लोक को भ्रंशतः अनित्य माननेवाले इस सिद्धान्त को एकव्यसस्सतवाव कहू है।<sup>२</sup> वहां पर भी लगभग इन्हीं शब्दों में ईश्वर की उत्पत्ति का कथन किया गया है। इस कथन से निष्कर्ष निकलता है कि भगवान् बुद्ध की दृष्टि से ईश्वर की सत्ता मानसिक सत्ता है। यद्यपि उसका दृष्टिकर्ता के रूप में कोई अस्तित्व नहीं है।

२. ईश्वर का स्वरूप अवक्तव्य है—प्रारम्भिक बौद्ध दर्शन में ईश्वर का स्वरूप अधिक स्पष्ट नहीं हो सका। उसने थोड़ा-बहुत अवक्तव्य का स्थान ले लिया है। जूल सकुलदायी सुत्तन्त में उदायी लोक के पूर्वान्त विषय में अपने आचार्य के विचार भगवान् बुद्ध के समक्ष उपस्थित करता है—जिस वर्ण से प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं, वह परम वर्ण है—यस्मा भन्ते, वरणां अञ्जो वरणो उत्तरितरो वा पणीतत्तरो वा नत्थि सो परमो वरणो ति। भगवान् से “वह कौन-सा वर्ण है जिससे प्रणीततर वर्ण दूसरा नहीं” उदायी ने अपना पूर्व कथन ही दुहराया। भगवान् ने तब कहा—तुम कितना ही प्रयत्न करो, उस वर्ण को, नहीं बतला सकते—तं व वरणं न पञ्जोपेसि ।<sup>३</sup>

यहां जो परमवर्ण कहा है और जिसके स्वरूप का वर्णन सामर्थ्य के बाहर समझा गया है वह ईश्वर के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। इससे लजता है भगवान् बुद्ध ने ईश्वर का स्वरूप भी अवक्तव्य मानने का संकेत किया है, यद्यपि अध्याहृत प्रश्नों में इसका कोई स्थान नहीं है।

१. वही ३, १, ८, ३६-४०

२. वही १, ३, ३८

३. अजिम्म. २, २६, ३

ईश्वर का स्वरूप अन्वयेयी के समान है—वस्तुतः ईश्वर का यथार्थ स्वरूप कोई जाब नहीं सका। परम्परा से जिसे हमने ईश्वर की गद्दीवर बासीम कर विस्तार उसी को ईश्वर मानते बसे -भाये। प्रत्यक्ष वर्णन किसी ने नहीं किया। भगवान् बुद्ध इसलिये पूछते हैं—बशिशु, त्रैविद्य ब्रह्मणों में क्या एक भी ब्राह्मण है जिसने ब्रह्म का स्वयं साक्षात्कार किया हो—“किं पुन वासेट्टु, नत्थि कोचि तेविज्जानं ब्राह्मणान एको ब्राह्मणो पि येन ब्रह्मा सम्बिच्चदिट्ठो !” ज्ञाययीका उत्तर नकारात्मक होता है। बुद्ध पुनः प्रश्न करते हैं—बशिशु, क्या त्रैविद्य ब्राह्मणों के पूर्वज मन्त्रकर्ता, और मन्त्रप्रवक्ता ऋषि थे जिनके कि भीत, प्राक्त, समीहित पुराने मन्त्र को आजकल त्रैविद्य ब्राह्मण अनुगान-अनुभाषण करते हैं, भाषित का अनुभाषण करते हैं, वाचे का अनुवाचन करते हैं, जैसे कि अट्टक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, धर्मदत्त, अंगिरा, भारद्वाज, बशिशु, कश्यप, ऋगु। उन्होंने भी क्या यह स्वीकार किया है—जहाँ ब्रह्मा है, जिसके साथ ब्रह्मा है, जिस विषय में ब्रह्मा है, हम उसे जानते है, हम उसे देखते हैं ? बुद्ध ने इसका निष्कर्ष निकालकर कहा कि त्रैविद्य ब्राह्मणों में एक भी ऐसा ब्राह्मण नहीं जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया हो। इति फिर वासेट्टु, नत्थि कोचि तेविज्जानं ब्रह्मणानं एको ब्राह्मणो पि येन ब्रह्मा सम्बिच्चदिट्ठो। जिसन जिनका स्वयम् साक्षात्कार न किया हो अथवा कोई भी उसे नहीं पा सका हो उसके अस्तित्व को प्रामाणिक कैसे माना जा सकता है !

इस प्रकार बुद्ध ने त्रैविद्य ब्राह्मणों के कथन को अप्रामाणिक घोषितकर ईश्वर एवं ईश्वर द्वारा प्रकृत वेद को अमान्य किया है। वे ईश्वर मानने वालों की परम्परा को अन्वयेयी के समान समझते हैं। जैसे अन्वों की पंक्ति एक दूसरे से सम्बद्ध रहती है पहले वाला भी नहीं देखता, बीच वाला भी नहीं देखता और पीछे वाला भी नहीं देखता। उसी प्रकार ईश्वरवादी भी अदृष्ट स्वभावी ईश्वर का अस्तित्व साक्षात्कार किये बिना ही परम्परावशात् स्वीकार करते हैं। बौद्ध दर्शन में ईश्वर कल्पना का यह प्रारम्भिक रूप रहा होगा।

सुख, दुःख आदि ईश्वरकर्तृक नहीं—तित्थायतन सुत्त में भगवान् बुद्ध ने ईश्वर के प्रति कुछ और सुलभे हुए विचार प्रस्तुत किये हैं। वहाँ वे कहते हैं कि सुख दुःख आदि ईश्वरकर्तृक नहीं हो सकते अन्यथा प्राणवित्पात, अदिग्नादान, अन्नहार्थ, सुसावाद, पिण्डुनवाचा, पत्थवाचा, आदि सभी को ईश्वरकर्तृक मानना पड़ेगा। और इन सबको ईश्वरकर्तृक मानना एक छल हो

हीन । यह हमें अकर्मव्यय बना देता ।

तब, निम्नान्वे, ये ते समस्त प्राणिया एव वायिनो एवं विहितानो मं कि  
 वार्यं पुरिसपुग्गलो पट्टिबिदेसि सुखं वा दुःखं वा धनुवचनपुखं वा धम्मं तं  
 इत्सर निम्मानहेतु त्याह एवं ववासि-तेवा हायस्सन्तो पाखातिपासिनो इत्सर  
 निम्मावहेतु इत्सरनिम्मानं खो पन निम्नान्वे, सारतो मच्छगच्छत न ह्वेति खन्वो  
 वा वपामो वा इदं वा करणीयं इदं वा अकरणीयं ति । इति करणीया-  
 करणीये खो पन सच्चजो पेत्ततो धनुपलब्धिमाने पुट्टस्सतीनं विहरतं न होसि  
 पच्चतं महघम्मको समणवाधो ।<sup>१</sup>

**कर्मदाद और ईश्वर-कल्पना**—कर्म वाद बौद्ध धर्म की विशेषता है ।  
 जिस कर्म का भगवान् न गृहकारक माना है ( यहकारक विद्वोसि पुन नेहं न  
 काहसि )<sup>२</sup> उसे ही सुख-दुःख का कारण भी स्वीकार किया है । संसारमें  
 गरीबी और भ्रमरी के बीच जो खाई बनी हुई है ऊंच-नीच दरिद्र-  
 धनवान, मे जो दो किनारे निर्मित हैं उन सभीका मूल कारण हमारे कर्म  
 है ।<sup>३</sup> इसीलिये माणवक को भगवान् ने कहा था कि प्राणी कर्मस्वक है,  
 कर्मदायाद, कर्मधीनि, कर्मबन्धु और कर्मप्रतिस्वरण है—

कम्मस्सका माणव सत्ता कम्मदायादा कम्मधीनी कम्मबन्धु कम्मपटिसरणा,  
 वम्मं सत्ते विभजति यदिदं हीन-वर्णात्तताया' ति ।<sup>४</sup>

जहाँ प्राणियों को कर्मदायाद और कम्मदायाद बनने के लिये कहा गया  
 है वही यह भी कहा है कि संभारकरी भ्रगाव अनुद्वमे परिभ्रमण करानेवाला  
 प्रतीत्यनमुत्पाद भी कर्मचक्र ही है । कर्मसे विपाक ( फल ) उत्पन्न होता है  
 और विपाक कर्म से उत्पन्न होना है । कर्मसे पुनर्जन्म हाता है और यही  
 भव-भ्रमण कराने में कारण है ।

कम्मा विपाका वत्तन्ति विपाको कम्मसम्मवो ।

कम्मा पुनग्भवो ह्वेति एवं लोको पवत्तती ॥<sup>५</sup>

कर्म को संसारका कारण स्वीकार करने पर ईश्वरकी सृष्टिकर्ता-हृता अथवा  
 सुख दुःखदि के दाता रूपमें माननेकी आवश्यकता नहीं रह जाती इसलिये  
 भगवान् ने स्वर्गका न सर्वज्ञ माना है<sup>६</sup> और न ईश्वर । उन्होंने तो अपने

१ धम्मसुत्तरनिकाय, भाग १, ३. ७. १.

२ धम्मपद ११. ६

३ मज्झिमनिकाय, बूलकम्मविभंग-पुत्तन्त.

४ वही

५ विजङ्ग, पृष्ठ ४२६.

६, मज्झिमनिकाय, तेविज्जवज्जगोत्त ।

आपकी पञ्चप्रदलक अथवा दीपक के रूपमें स्वीकार किया है। बाकी परिष्कृत ली आरणी को स्वयमेव करना पड़ेगा। स्वयंभूत परिष्कृतके बिना और कोई ताक नहीं हो सकता। १” अतः दीपो भव” भी इसीलिये कहा गया है।

यहां यह दृष्टव्य है कि बौद्धदर्शन में सभी दुःखों का कारण पूर्व कर्म नहीं माना गया। कुछ लौकिक कारण भी होते हैं जिनसे दुःख-प्राप्ति होती है। नागसेन ने दुःख के आठ कारण बताये हैं—वात, पित्त, कफ, संनिपात, ऋतु परिवर्तन, विषमाहार, उपक्रम और कर्म विपाक। वात का प्रकोप दस कारणों से होता है—मर्दों, गर्मी, भूख, प्यास, अति भोजन, बहुत देर तक खड़े रहना, अधिक श्रम करना और दौड़ना। कर्म फल से भी वात होता है। पर वात के उक्त नौ कारण इहलौकिक हैं। उनसे पूर्वजन्म का कोई सम्बन्ध नहीं। इसी लिए नागसेन ने कहा—न सञ्जा वेदना कम्मविपाकजा अप्पं कम्म-विपाकजं, बहुतरं भवसेसं। सयुत्त निक्काय में भी कहा गया है—ये ते समण ब्राह्मणा एवं वादिनो य कि चार्यं पुरिसपुग्गलो पटिसवेदेत्त सुखं वा दुक्खं वा भदुक्खमसुखं वा सञ्चं तं पुब्बकतहेतुहं। यं सारं तं अतिषावन्ति तस्मा तेमं समणब्राह्मणानं मिच्छाति वदामि।<sup>१</sup> इसके बावजूद कर्म को संसार का कारण तो माना ही गया है। इस मान्यता से किसी को विरोध नहीं। कर्मवाद की यह नयी व्याख्या है। बौद्ध दर्शन में ईश्वर कल्पना के विकास का यह तृतीय चरण है।

प्रतीत्य समुत्पाद और ईश्वर कल्पना—प्रतीत्यसमुत्पाद अथवा हेतु प्रत्यय सापेक्षता भव भ्रमण करने के कारणों की अत्यन्त स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का साधन है। परन्तु सून्यवाद तक आते-आते बौद्ध दर्शन ने पदार्थों की सृष्टि में इस नियम को मिथ्या कह दिया। नागार्जुन इस मत के प्रस्थापक आचार्य कहे जा सकते हैं। उनके अनुसार उत्पन्न—नष्ट होने वाले पदार्थों में कार्यकारण भाव की स्थापना करना संभव नहीं है। वस्तुतः कहीं कोई पदार्थ न स्वतः उत्पन्न होता है, न पतः ( दूरसे से ), न स्वतः और अहेतु से उत्पन्न होता है। इसे हम अजातिवाद कह सकते हैं।

न स्वतो, नापि परतो, न द्वाभ्यां, नाप्य हेतुतः ।

उत्तरन्ना जातु विद्यन्ते सावाः स्वचन केचन ॥<sup>२</sup>

शान्तिदेव ने ईश्वरवाद की आलोचना करते हुए बौद्धेतर दर्शनियों के मन्त्रियों का खण्डन किया है। नैयायिकों के अनुसार जगत् का कारण ईश्वर

१. सुव्हेहिं किञ्चं आसप्यं अकलातारो तथागता । धम्मपद २०. ४.

२. मिलिन्दपञ्च, पृ-१३५-६

३. माध्यमिक कारिका, १.१.

हे । पर प्रश्न है कि वह ईश्वर है क्या ? यदि पृथिवी आदि महाभूत ईश्वर हैं तो ईश्वर के स्थाव पर महाभूतों को ही ईश्वर क्यों नहीं मानते ? महाभूत ईश्वर हो नहीं सकते क्योंकि महाभूत अनेक अनित्य, अचेतन, अदेवता, अंध और अशुचि रूप हैं जबकि ईश्वर एक, नित्य, चेतन, देवता, अखंड और शुचि रूप है । फिर ईश्वर किसकी सृष्टि करना चाहता है ? यदि, आत्मा की सृष्टि करना चाहता है तो यह ठीक नहीं क्योंकि आत्मा और ईश्वर दोनों नित्य हैं । नित्य ईश्वर द्वारा नित्य आत्मा की सृष्टि करना तर्क संगत नहीं । पृथ्वी आदि का स्थाव नैमायिक वर्णन में नित्य माना जाता है । ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न होता है और अनादि है । आदिमात्तुल्य-दुःख कर्म ने उत्पन्न होते हैं । तब सृष्टि के लिए ईश्वर का क्या किया ? यदि सृष्टि करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति अथवा सामग्री की अपेक्षा है तो फिर उसे ईश्वर नहीं कहा जा सकता । यदि ईश्वर बिना इच्छा से सृष्टि करता है तो वह पराधीन है और अपनी इच्छा से करता है तो इच्छाधीन है । इन्हीं प्रसंग में शान्तिदेव ने श्रीमहात्मियों और सांख्यो के सिद्धान्तों की भी आलोचना की है ।'

अजातिवाद के प्रतिपक्षी त्रैकाल्यवादी मर्वास्तिवादियों के अनुसार पदार्थ हेतु-प्रत्यय द्वारा अनागत से वर्तमान में और वर्तमान से अतीत में बना जाता है । काल-परिवर्तन का नाम ही उद्गाह, स्थिति और भ्रम है । वस्तुतः पदार्थ की सत्ता रहती है । वह परमार्थ सत् ही है ।<sup>२</sup> यह मर्वास्तिवादी सिद्धान्त ईश्वर कल्पना के विकास का चतुर्थ चरण है ।

परन्तु दून्यवाद की दृष्टि में यह मन ठीक नहीं क्योंकि पदार्थ किसी दूसरी जगह से न आता है, न ठहरता है, और न कहीं अन्यत्र चला जाता है । जिसे परमार्थ सत् कहा गया है वह वस्तुतः माया और भ्रम है । यही दून्यवाद है ।<sup>३</sup> ईश्वर कल्पना के विकास में दून्यवाद के इस सिद्धान्त को हम एकचम चरण के रूप में नियोजित कर सकते हैं ।

त्रिपिटकने ईश्वर सम्बन्धी इस मन्तव्यको मर्वास्तिवादी और महायानी आचार्यों ने बौद्ध संस्कृत दार्शनिक माहित्यमें अधिक विकसित और गंभीरता से प्रस्तुत किया है । वसुबन्धुने अभिधर्मकोश<sup>४</sup> और स्फुटार्थ में<sup>५</sup>, शान्तिदेवने वाधि-

१. बोधिज्जयवितार, ६, ११७-१४३.

२. अभिधर्मकोश, ५-२५-६;

४. अभिधर्मकोश-५, =.

३. बोधिज्जयवितार, ६-१४३-१५२

५. स्फुटार्थ, पृष्ठ ४४५-६

बर्खास्तारमें ' और शास्त्ररहित ने सत्यसंग्रहमें ' जमीर तर्क उपस्थित कर ईश्वर का सृष्टिकर्तृत्व और शुद्ध - शुद्ध-वास्तव्य कर्मित का अरूप अखण्ड किया है ।

इसके अतिरिक्त ईश्वरवाद के अखण्ड में बौद्ध अर्थानों के निम्नलिखित कुछ और प्रबल तर्क उद्धरणिय हैं ।<sup>३</sup>

१. पृथ्वी आदि कर्म्य षट की तरह किसी बुद्धिमान् कर्ता के द्वारा निर्मित हैं, यह ठीक नहीं । क्योंकि समस्त जगत् का कर्ता सर्वज्ञ, निश्चय ज्ञान-इच्छा-प्रयत्नवाला, अक्षरीरी, बुद्धिमान् माना जाता है, पर अज्ञान का कर्ता अल्पज्ञ और अक्षरीरी होता है । प्राचीन महल आदि के कर्ता का स्मरण तो होता है परन्तु पृथ्वी आदि का नहीं । वस्तुतः समस्त जगत् तो कारण सामग्री से स्वतः उत्पन्न होता है ।

२. ईश्वर तो अत्यन्त व्याप्त और परोपकारी माना जाता है । यदि वह जगत् का कर्ता होता तो दुःखदायक शरीरादि की रचना नहीं करता । कर्म-अर्थ से उसके ये कर्म्य माने जावें तो ईश्वर-कल्पना से ही क्या लाभ ?

३. ईश्वर का सद्भाव किसी प्रामाण्य से भी सिद्ध नहीं । ज्ञानादि की प्रतीति नित्यता रूप से भी कहीं भी नहीं होती । ज्ञानादि को शरीर के द्वारा ही सम्पाद्य माना जाता है ।

भारतीय दर्शनों में न्याय-वैशेषिक और वेदान्ती ईश्वरवादियों में प्रमुख हैं । तथा सांख्य, जैन, बौद्ध और चार्वाक ईश्वरवाद के विरोधी हैं । पक्ष और प्रतिपक्ष में इनके तर्क लगभग समान दिखाई देने हैं ।

बौद्धदर्शन के उक्त तर्क जैन दर्शन के बहुत समीप हैं । यद्यपि जैन दर्शन ने ईश्वर के सृष्टि कर्तृत्व आदि रूपों के अखण्ड में और भी तीखे और गहन तर्कों का उपयोग किया है परन्तु दोनों का लक्ष्य एक होने के कारण चिन्तन में समानता दिखाई देती है । व्यञ्जितस्व के विकास के लिए यह आवश्यक भी था ।

१. बोधिचर्यावतार, ६, ११७-१५५

२. सत्यसंग्रह, ईश्वरपरीक्षा ७२-८७ पुरुष परीक्षा १५५, १६०.

३. न्या. कृ. अ. पृ. ६७ आदि; प्रमेयक. मा. पृ. २६६ आदि । न्या-वा-ता-टी; पृ-५६८ आदि; जैन न्याय पृ. १७७-१८८.

## ६ त्रिकायवाद

त्रिकायवाद बौद्ध दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। स्वविरवादी चारवारा के अनुसार भगवान् बुद्ध पूर्णतः मानव थे। उनमें मानवीय हीन-त्व भी था। जन्म, मरण, उनके व्यक्तित्व एवं कृति-त्व की मानवीय-स्वभाव था। त्रिकायवाद इसी का विवर्तक है।

पालि साहित्य में बुद्ध के दो कर्मों का उल्लेख मिलता है—रूप काय तथा र्म काय। रूप काय बुद्ध का भौतिक शरीर था तथा धर्म काय उनके द्वारा शिवित उपदेश की संज्ञा थी। धर्म काय का ही विशेष महत्व था और उसे वास्तविक काय का स्वरूप प्रदान किया गया।

काय-रूपवाद का विकास महासांख्यिक सम्प्रदाय से प्रारम्भ हुआ। महासांख्यिक प्रजापरमिता महायान का अन्तर्गम्य अंग है। इसमें उक्त कायों का ही विशेष उल्लेख है। प्रथम काय में बुद्ध के रूप का स्वरूप रीर गभित है। विज्ञानवादियों ने इसी विचार को विकास कल्पना के प में विकसित किया। उसी स्थूल रूप काय को निर्माण काय तथा सूक्ष्म काय को संभोग काय नाम दिया गया। सर्वास्तिकवादी सम्प्रदाय में बुद्ध के अस्तित्व को अमरकाल रूप अन्वय प्रदान किया गया परन्तु वहाँ पूर्ण दार्शनिक विकास दिखाई नहीं देता। ललित विस्तर और धर्मिधर्मकोश इसके माण है।

१. रूपकाय—स्वविरवादी में रूपकाय मानवीय व्यक्तित्व से धापूर है। संयुक्त काय में इसी को पूतिकाय कहा गया है। सर्वास्तिकवादी साहित्य में यही अर्थ और महासांख्यिक तथा सौत्रान्तिक में अनात्म के रूप में निर्दिष्ट है। अलांतर में रूपकाय ही निर्माण काय कहा जाने लगा। इसमें बुद्ध का वतार मात्र उपाय कौशल प्रदर्शन के निमित्त था। वैतुल्यकों की मान्यता कि बुद्ध संसार में जन्म ग्रहण नहीं करते, वे सुचित लोक में निवास करते हैं और अनहित के लिए संसार में आते हैं। प्रातिहार्य प्रदर्शन इस त काय का वैशिष्ट्य है। असंग के अनुसार शिल्प, जन्म, धर्मिधर्मोधि तथा निर्माण दर्शन और परार्थ सिद्धि निर्माण काय की मुख्य विशेषतायें हैं—

शिल्पजन्मवहाश्रोधि सदा निर्माण दर्शनीः ।

बुद्ध निर्माण कायोऽयं महापायो विमोक्षने ॥ महायान सूत्रा, ६-६४

२. धर्मकाय—धर्मकाय सूत्रतः बुद्ध के उपदेश से सम्बद्ध है। महापरि-  
न्यायसुत्त में कहा गया है कि अ. बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण के समय धामन्द  
कहा कि आत्मत्वं मेरे द्वारा उपविष्ट धर्म ही मेरे वाच्य पुनर्जात-सास्त्य होगा



( जो जो ध्यानमय भया धम्मो च किनयो च देसितो पञ्चतो सो वो मज्झमयेन सत्त्वा )<sup>१</sup> । वक्कलिन का सन्दर्भ भी इस ग्रन्थ में श्वरस्वीय है । बुद्ध ने वक्कलिन से कहा कि “जो धर्म को देखता है, वह मुझे देखता है, जो मुझे देखता है, वह धर्म को देखता है ( जो जो वक्कलिन धम्मं पस्सति, सो मं पस्सति, यो मं पस्सति सो धम्मं पस्सति ) ।<sup>२</sup> यही धर्म और बुद्ध की एकाकारता धर्मकाय की विशेषता है ।

धर्म काय की प्राप्ति आश्रयण का परिणाम है । इससे चार सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं—ज्ञान संपत्, प्रहाणसंपत्, प्रभावसंपत् और रूपकाय संपत् । महायान में धर्म काय को ही वास्तविक काय स्वीकार किया गया है । यह धर्मता प्रतीत्य-समुत्पाद का ज्ञान है भी बुद्ध है ।<sup>३</sup> इसलिए इसे प्रपञ्चहीन और शुद्ध काय कहा गया है । महायान मूलालंकार में इसका उल्लेख स्वभावाकाय के रूप में किया गया है । इसे सम, सूक्ष्म तथा निर्माणिकाय और संमोलाकाय का हेतु भी कहा गया है ।<sup>४</sup> धर्मकाय वचन-भगोवर है और उसके निश्चय में प्रज्ञापारमिता भी एक आधारभूत कारण है ।

माध्यमिक ( शून्यवादी ) परम्परा में संसार की सिद्धि तथागत की सिद्धि पर निर्भर है । चूँकि तथागत निःस्वभाव है अतः संसार भी निःस्वभाव है । इस तरह समूचा जगत् उनकी दृष्टि में निःस्वभाव और मायोपम बन जाता है ।<sup>५</sup>

विज्ञानवाद ( योगाचार ) में शून्यता को ‘वस्तुमात्र’ माना है, जिसे ‘चित्तविज्ञान’ और ‘आलयविज्ञान’ की संज्ञा दी गई है । यह आलय विज्ञान प्रवृत्ति रूप साश्रव धर्मों तथा निर्बुत्ति रूप अनाश्रव धर्मों के कारणों का भण्डार है । यह सब चित्त की प्रतिकृति है । अतः धर्मकाय आलय विज्ञान का अन्वय है । यही तथता, भूततथता, धर्मभातु आदि नामों से भी अभिहित है ।<sup>६</sup>

१. दीर्घ, २-३.

२. संयुक्त निकाय

३. धर्म तो बुद्ध द्रष्टव्या धर्मकाया हि नायकाः ।

धर्मता चाप्य विशेषेण न सा शक्या विजानितुम् ॥ चतुःशतक, ३०६

४. धमः सूक्ष्मस्य तन्निष्ठः कायः स्वाम्भिको मतः ।

सौमोर्ध्वविभुताहेतु मयिष्टं भोयदधने ॥ २, ६२.

५. माध्यमिक सूत्र, २२, १६

६. त्रिशिका, ३०, पृ. ४३

संभोगकाय—स्वस्तिरचाव में मुख्यतः संभोगकाय की कल्पना नहीं मिलती । बुद्ध के श्लोकोत्तरवादी व्यक्तित्व के साथ संभोगकाय की विचार-धारा प्रबल होती जाती है । महायाना साहित्य के प्रायः सभी ग्रन्थ बुद्ध के भास्वर शरीर का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया करते हैं । महाकल्पना इसका आकार है । संसारी प्राणियों को असह्यक देखकर बोधिसत्व यह प्रस्थान करता है कि जब तक वह मकसद संसारियों को मुक्त नहीं कर देता तब तक वह स्वयं मुक्त नहीं होगा । शृङ्खल पर्वत पर बुद्ध का यह संभोगकाय प्रारम्भ हुआ । उनके मलाट से अर्धस्थ किल्लें निकलती हैं विभिन्न धारा जगत् प्रकाशित हो जाता है । अग्निप्रथम ज्ञानिक बुद्धों की यही विशेषता है । पर संभोगकाय बोधिसत्वों का शरीर है और स्वसंभोगकाय बुद्ध से सम्बन्धित है । स्वसंभोग काय में चार प्रकार के ज्ञान होते हैं—अधिष्ठान, समता, प्रत्यवेक्षण और कृत्यानुष्ठान । संभोगकाय बोधिसत्वों का सूक्ष्म शरीर माना गया है ।

दार्शनिक दृष्टि से धर्म काय शून्यता है । इसे अलक्षण विज्ञान भी कहा गया है । संभोगकाय धर्म काय का सत्, चित्त, ध्यानन्द या कल्याण के रूप में विकास मान है । यही चित्त जब दूषित होकर पुषण् जन के रूप में विकसित होता है तब वह निर्माण काय कहलाता है ।<sup>१</sup>

### १०. बोधिसत्वचर्चा

अर्हत् का धार्मिक बुद्धत्व अथवा सम्यक् संबोधित्व से पीछे रह गया । बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए बोधिसत्व स्वयं को तथा सारे जगत् को परमार्थ सत्य में प्रतिष्ठित करने का महाकारणिक प्रयत्न करता है । बोधिपाक्षिक धर्मों की प्रवृत्ति, पारमिता की प्राप्ति और बोधिचित्त को उत्पत्ति करता है । तदर्थ वह अनुत्तर पूजा ( वन्दना, पूजन, पापक्षमा, पुण्यानुमादन, अध्येषणा, बोधिचित्तोत्पाद और परिणामना ) और निश्चरण-समन करता है ।<sup>२</sup>

### ११. त्रिबान

यान शब्द भारतीय साहित्य में बहुत प्राचीन है । उसका प्रयोग विभिन्न प्रसंगों पर मार्ग और बाह्य के अर्थ में होता रहा है । बौद्ध ग्रंथों में भी इन्हीं अर्थों में वह प्रयुक्त हुआ है । स्थूल रूप से हीनयान और महायान इसके दो भेद हैं । इनकी विशेषताओं में से तीन यानों का उद्भव हुआ—आशकयान, प्रत्येक बुद्धयान और सम्यक्सम्बुद्धयान । आशकयान हीनयान है । आशक का अर्थ उद्देश्य अर्हत् की प्राप्ति करना है । मोक्षायति, लक्ष्यायामि,

१. बौद्ध-धर्म-दर्शन, —आचार्य नरेन्द्रदेव, पृ. १२१

२. देखिये बोधिचर्यावतार

अनागामि और अर्हत् के बार भूमियां साधक को बार करनी पड़ती हैं १/ होवा-  
विभक्ति उसके हीनयान में कारण है ।<sup>१</sup> प्रत्येकबुद्ध वह जो विवा विच्छे-  
बुद्ध की सहायका के और अणु को उपदेश दिये बिना ही निर्वाण प्राप्त करता  
है । सम्मत्कम्बुद्धयान अथवा बोधिसत्त्वबाल में बोधिसत्त्व सकल संसार को  
मुक्त करने के प्रयत्न में रहता है उसे स्वयं की चिन्ता नहीं रहती । अरोक्काय  
वृत्ति की वह चरम साधना है । उपायकीकल्प इसका भाष्यम है ।<sup>२</sup> माओं की  
संख्या यहाँ तीन होते हुए भी उसे मूलतः एक ही माना गया है ।<sup>३</sup> अतः महायान  
को एकत्र बार अत्रयान भी कहा गया है ।

### १२. आबेष्टिकधर्म

बुद्ध के वैश्विक को आबेष्टिक कहा जाता है । ऐसे आबेष्टिक धर्म  
अठारह माने गये हैं—१० बल, ४ वंशारथ, ३ स्मृत्युपस्थान एवं  
महाकल्याण । कालान्तर में महायान में इनकी संख्या १४० तक पहुँच गई—  
३२ लक्षण, ८० अनुलक्षण, ४ सर्वाकार विशुद्धि, १० बल, ४ वंशारथ,  
३ स्मृत्युपस्थान, ३ धारण, महाकल्याण, अक्षयमूर्धनीधर्मता, वासना समुदात,  
तथा सर्वाकारवरज्ञान ।<sup>४</sup>

### १३. भूमियां

भूमियां साधक की आध्यात्मिक जाग्रति की प्रतीक हैं । स्थविरवाद  
में ऐसी बार भूमियां स्वीकार की गई हैं—सोतापत्ति, सकदागामि, अनागामि  
और अर्हत् । सोतापत्ति में साधक अष्टाङ्गिकमार्ग की साधना करता है । इस साधना  
से यह निश्चित हो जाता है कि साधक सम्बोधि को अवश्य प्राप्त करेगा ।  
इसके लिए उसे अधिकाधिक सात जन्म और ग्रहण करना पड़ेगा । सकदागामि  
में छः प्रकार के कामावचर-क्लेशों का ग्रहाण होता है और मात्र एक बार  
कामधातु ( पृथ्वी ) में जन्मग्रहण सेव रहता है । अनागामि तीसरी अवस्था  
है जहाँ साधक ती प्रकाश के क्षेत्रों को दूर करता है और कामधातु में पुनः  
उत्पन्न नहीं होता । अतुर्ष और अन्तिम अवस्था है अर्हदावस्था की प्राप्ति । इस  
अवस्था में साधक समस्त आशयों का क्षय कर लेता है ।

उत्तरकाल में महायान दर्शन में दश भूमियां स्वीकार की गईं—प्रमुदित्वा,

१. सद्धर्मपुस्तकटीक, पृ० ३२

२. सद्धर्म पुस्तक पृ० २६३

३. एकं हि यानं द्वितीयं न विच्छते तृतीयं हि त्रैवास्ति कदापि लोके ।

अन्धनुपपत्त्या पुस्तोत्तमानां अन्ध-यजमानात्पददर्शयन्ति ॥ बही २.५४

बौद्धस्य ज्ञानस्य प्रकाशमार्गं लोके समुत्पद्यति लोकनाथः ।

एकं हि कार्यं द्वितीयं न विच्छते न हीनमानेन नयन्ति बुद्धाः ॥ पृ० ४६

४. बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, पृ० ३४५

विमला, प्रभाकरी, अश्विनी, सुदुर्वा, अश्विनी, दूरवता, अश्वला, साधुमती और अश्विनी। इन भूमियों में बोधिसत्वधर्मों की अधिकाधिक परिशुद्ध किया जाता है। त्याग, कष्ट, समता आदि इन्द्रधनुषों की प्राप्ति, शत्रु, मृत्यु, धर्म आदि दस विताशयों का विकास, संशोधनों का अर्थ, तथा बोधिसत्विक धर्मों का विकास होता है। फलतः बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्ति कर लेता है।

स्वधरवाद में पारमिताओं को "पारमिता" कहा गया है। बोधिसत्व पूर्णत्व प्राप्ति के लिए उनको साधना करता है। मूलतः पारमिताओं की संख्या दस मिलती है—दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा, चिरिय, अन्ति, लक्ष्म, अश्विनी, मेला और अश्विनी। समूचा अन्तक अश्विनी-पारमिताओं पर आधारित है। महासाधक सम्प्रदाय ने इसे और अधिक महत्व दिया। फलतः महायान ने भी इसे अङ्गीकार कर लिया। वहाँ संख्या कुल छः रह गई—दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा। इस परम्परा में अन्ति विस्तार, दिव्यावदान बोधिसत्ववितार आदि अन्य आते हैं। महायान में ही एक और अन्य परम्परा मिलती है। वहाँ उक्त छः पारमिताओं के साथ उपायकील्य, प्रणिधान, बल और ज्ञान जोड़कर दस की संख्या भी पूरी कर दी गई है। इस परम्परा में दशभूमिकसूत्र आदि ग्रंथ आते हैं। पारमिता-प्राप्ति पुण्यसंभार का परिणाम बताया गया है।

## परिवर्त ५

# बौद्ध दर्शन के प्रमुख सम्प्रदाय और उनके सिद्धान्त

## १-वैभाषिक ( सर्वास्तित्वादी ) दर्शन

साधारणतः बौद्ध दर्शन को चार शाखायें हैं—वैभाषिक और सौत्रान्तिक, तथा माध्यमिक और विज्ञानवाद। इनमें प्रथम दो हीनयानी दर्शन हैं और दोष दो महायान से सम्बद्ध हैं। कनिष्क कालीन ( ७८ ई० ) यह वैभाषिक ग्रन्थवा सर्वास्तित्वादि सम्प्रदाय त्रैकात्म्यवादी और आभिधानिक के नामों से भी जाना जाता है। यह, सिद्धान्त, अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न, आकाश, प्राणसंज्ञा, निरोध, अप्रतिसंख्याननिरोध आदि के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इसके चार भेद हैं—भावान्मयिक, लक्षणान्मयिक, और अवस्थान्मयिक। इनके क्रमशः चार प्रधान आचार्य हैं—भवन् धर्मत्रात, घोषक, वसुभिन्न, एवं बुद्धदेव।

भवन्त धर्मत्रात अतीत, प्रत्युत्पन्न तथा अनागत कालवर्ती एक ही पदार्थ में भावों की विविधता के साथ मूल भाव को अपरिवर्तनीय मानते हैं। घोषक एक ही धर्म में तीनों कालों के लक्षणों का स्थायित्व मानते हैं। वसुभिन्न अवस्था अथवा कर्म के आघार पर तीनों कालों में विभेद स्थापित करते हैं तथा बुद्धदेव एक ही समय में तीनों कालों की प्रस्तुति निवारित करते हैं। इन सिद्धान्तों में बुद्धदेव का मत वैभाषिकों में विशेष लोकप्रिय हुआ।

धर्म—धर्म का तात्पर्य है—भाव, सत् अथवा वस्तु। वैभाषिकों ने धर्म के अस्तित्व को स्वीकार किया है। इसीलिए वे सर्वास्तित्वादी कहलाये। उनके मत में सभी धर्मों की सत्ता यद्यपि पृथक् है परन्तु उनके संघात से जगत् के निर्माण को कल्पना की गई है। धर्म की सूक्ष्मतम व्याख्या निम्नलिखित अमिद्ध पद्य में दृष्टव्य है—

ये धर्मा हेतुमत्वा हेतुं तर्था तथागती सुखवत् ।

अपहृष्य भो निरोधो एवंबाधी महा-मन्थः ॥

धर्मात् प्रत्येक धर्म प्रतीत्यं समुत्पन्न होता है और उसका निरोध होता है। डॉ० शेरवास्की ने धर्मता के स्वरूप के विश्लेषण में उसकी प्रमुख विशेषताओं का अंकन किया है—धर्मता। नैरात्म्य, क्षणिकत्व, संस्कृतत्व, साध्य—अनाद्यत्व, सङ्कलेश-व्यवदानत्व, दुःखनिरोध और निर्वाण।<sup>१</sup> वैभाषिक सम्प्रदाय में धर्म का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है—संस्कृत धर्म और असंस्कृत धर्म।

१. संस्कृत धर्म—परस्पर सापेक्ष भाव से उत्पन्न हों ( सापेक्ष कृत संस्कृतम् )। ये प्रतीत्यसमुत्पन्न होने के कारण विनाश शील अतएव दुःख और दुःख समुचित है। ससंस्कृत के मूल कारण भी यही है। इन्हें अणु, कषावस्तु, सनिःसार और मवस्तुक भी कहा है।

संस्कृत धर्म के मूलतः चार लक्षण है—जाति, अणु, स्थिति और अनित्यता। इन लक्षणों के कारण इन धर्मों का हेतु-प्रत्यय अन्य उत्पाद, स्थिति, अन्यथात्व और व्यय होता है। अतएव पर्यायान्तर से जाति-जाति, स्थिति-स्थिति आदि रूप से उन मूल धर्मों के चार अनुलक्षण होते हैं। सौत्रान्तिक इन लक्षणों को पृथक् पृथक् न मानकर उन्हें प्रकृति सत् स्वीकार करते हैं। संस्कृत धर्म तीन प्रकार के होते हैं—स्कन्ध, मायतन और धातु।

( १ ) स्कन्ध—नाम और रूप के भेद से स्कन्ध भी प्रकार के है। ये क्रमशः मानसिक और भौतिक अवस्थाओं के संसृचक है। नाम के अन्तर्गत संज्ञा, वेदना, एवं 'संस्कार आते हैं तथा रूप के अन्तर्गत रूप और विज्ञान समाहित होते हैं। इनके समुच्चय को सत्त्व अथवा आत्मा कहा जाता है जो मान प्रकृतिसत्त्व है, द्रव्यसत् नहीं। ये अनित्य, दुःख और अनात्म हैं—यदनिच्छं तं दुःखं, यं दुःखं तदनिच्छं। अस्वभाववादी वैभाषिक बहुधर्मवादो होने के कारण शास्त्रत वादी नहीं हैं। इसलिए जगत् की उत्पत्ति में वे ईश्वर को कारण नहीं स्वीकार करते।

( ११ ) मायतन—मायतन का अर्थ है—प्रवेश द्वार ( भायं प्रवेशं तनो-

१. सेन्द्रल कन्सेपसन आफ बुद्धिम्, पृ ७४-५; उपाध्याय, बलदेव बौद्धदर्शन बीमोसा, पृ- १२२,

सीति धायतन्म् ) । इन्द्रिय तथा इन्द्रिय जगत् से सम्बन्ध विषय को धायतन संज्ञा दी गई है । वस्तु के ज्ञान के लिए धायतन का बहुयोग अपेक्षित है । इन धायतनों की संख्या चारह है—बन्धु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, स्पर्श से पांच इन्द्रियाँ तथा बुद्धि और उनके विषय रूप, शब्द, गन्ध, रस स्पृष्टव्य तथा बाह्य ऐन्द्रिय ग्राह्य विषय ।

( iii ) धातु—उत्पत्ति के धामय अथवा उपकरण को धातु कहा जाता है । ये धातु १८ हैं—पूर्वोत्सिद्धित छः इन्द्रियाँ और उनके छः विषय तथा छः विज्ञान—बाष्पुष, श्रावण, घ्राणज, रसन, स्पर्शज और मनोविज्ञान । धातु शब्द का प्रयोग बौद्धधर्म में लोक के धर्म में भी हुआ है । यह लोक दो प्रकार का है—भौतिक और अभौतिक । भौतिक के दो भेद हैं—कामधातु और रूप धातु । कामधातु में उक्त १८ धातु, रूपधातु में गन्ध, रस, घ्राण, और जिह्वा को छोड़कर १४ धातु, और अरूप धातु में मात्र मन, धर्म तथा मनो-विज्ञान धातुयें ही विद्यमान रहती हैं । स्कन्ध, धातु एवं धायतन को वैभाषिक द्रव्य-सत् कहते हैं परन्तु सौत्रान्तिक धातु को द्रव्य सत् एवं स्कन्ध तथा धायतन को प्रकृति सत् स्वीकारते हैं । वसुबन्धु इन दोनों से भिन्न विचार वाले हैं । वे स्कन्धों को प्रकृति सत् एवं धायतन और धातु को द्रव्य सत् मानते हैं ।

( i ) रूप—संस्कृत धर्मों के चार अवान्तर भेद हैं—रूप, चित्त, चैतन्यिक, और चित्त विप्रयुक्त । रूप के ११ भेद हैं—घ्रात्र, घ्राण, जिह्वा, काय, रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पृष्टव्य, विषय और अविज्ञप्ति । रूप का स्वभाव धन्य पदार्थों का प्रतिघात करना है । परमाणु शब्द का प्रयोग स्वविरवाही परम्परा में उपलब्ध नहीं होता । वहाँ 'कलाप' शब्द अवश्य मिलता है जिसे हम सर्वास्तिवाही परम्परा में प्राप्त संज्ञा-परमाणु के समकक्ष उपस्थित कर सकते हैं । सर्वास्तिवाद के अनुसार परमाणु के १४ भेद हैं—५ विज्ञानेन्द्रिय, ५ विषय, और ४ महाभूत । उपचय, संतति, जरता तथा अनित्यता उनके प्रधान लक्षण हैं । वस्तु त्रिका-लवर्ती होने के कारण नित्य है और उसकी विभिन्न अवस्थायें ही अनित्य तथा अस्थिर हैं । इस सम्बन्ध में सर्वास्तिवाद में रूप परमाणु नित्य माना गया । और उसमें पृथ्वी, अप, तेज और वायु रूप होने की सामान्य भी स्वीकार की गई ।<sup>१</sup> जैन और सांख्य भी यही मानते हैं । सर्वास्तिवाद का बहु परमाणु-समुद्भववाद सांख्यों के प्रकृति-परिणामवाद से, जैनो के द्रव्य-पर्यायवाद से और

नीतिशास्त्रों के अन्वय-प्रवचनानुसार से निकलना अधिक कठिन है जल्दा ही अधिक दूर वह योगानुसार के अतिरिक्तानुभव से है। परन्तु सन्तुष्टि की अखण्डता की योगानुसार ने तर्क की भूमिका पर ले जाकर अतिरिक्तानुभव के क्षेत्र में रखा दिया और परमाणु की वास्तविक नित्यता की काल्पनिक सन्तान में सम्मिलित कर दिया। परिणाम यह हुआ कि सर्वात्मितवाद और योगानुसार का मार्ग अत्यन्त विच्छेद हो गया। भगवान् बुद्ध के एक ही अनित्यता के अन्वय को एक ने सन्तुष्टि में बढ़ाया तो दूसरों ने सर्व वस्तुओं में स्थापित किया। अश्वघोष ने इसी को भूत तत्त्ववाद के रूप में प्रतिपादित किया और उसके दो रूप बताये—पारमार्थिक और सांस्कृतिक। पारमार्थिक रूप विषय का परम तत्त्व कहा गया और व्यावहारिक भूतत्ववाद संसार के रूप बताये गये है यह रूप सिद्धान्त जैन धर्म के नैमित्तिक धात्मा के समान है। कुम्भकुम्भार्य का 'सत्' सिद्धान्त भी भूत तत्त्ववाद के अतिरिक्त निकल है।

इन्द्रियां चादि भी वैभाषिक मतानुसार परमाणु संघात जन्य हैं। जन्म चक्षु, श्रोत्र, और मन अप्राप्त धर्मग्राही हैं तथा घ्राण, जिह्वा, और काय प्राप्त विषयग्राही हैं। चक्षु आदि इन्द्रियां विषय को स्पर्श कर नहीं जानती। यदि चक्षु स्पर्शकर जानती तो उन्हें आँसू में लगे अंजन का भी दर्शन-ज्ञान होता। परन्तु दर्पण में दंश बिना उसका दर्शन नहीं हो पाता। अतः चक्षु अप्राप्यवादी है। चक्षु को प्राप्यकारी सिद्ध करने के लिए जहा जाता है कि चक्षु आकृत वस्तु को नहीं देख सकती, इसलिए प्राप्यकारी है। वस्तुतः यह कथन उचित नहीं। काँच, अभ्रक, और स्फटिक से आकृत पदार्थों को भी चक्षु देख लेती है। कुम्भक दूर से ही लोहे को खींच लेता है। फिर भी वह किसी चीज से डके हुए लोहे को नहीं खींचता। इसलिए जो आकृत वस्तु को ग्रहण न कर सके वह प्राप्यवादी होता है, ऐसा नियम बनाना ठीक नहीं। इसी प्रकार श्रोत्र और मन भी अप्राप्त विषयी हैं।

इन्द्रियों की संख्या २२ बतायी गई है—चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, मन, पुच्छ, स्त्री, जीवित, सुख, दुःख, सोमनस्य, दीर्घनस्य, उपेक्षा, अज्ञा, वीर्य, स्मृति, समधि, प्रज्ञा, भाज्ञातमाज्ञातस्यामीन्द्रिय, भाज्ञेन्द्रिय और भाज्ञातामीन्द्रिय। रूप में वर्ण के १२ और संस्थान के ८ भेद होते हैं। शब्द के ८, गन्ध के ४,

१. न्यायावतार ( टिप्प. पृ. २६२-२३ ) ; बौद्धधर्म दर्शन

२. तत्त्वार्थ राज वातिक; पृ-४८, न्या. कु. च. पृ-७५-८२, प्रमेयकर्मल अर्थशास्त्र, पृ. २२०, २६. जैन न्याय, पृ-५६



रस के ६ और स्मृत्युक्त के ११ प्रकार हैं। अविज्ञान एक विशिष्ट कर्म प्रकार है। बोधाचार के अनुसार रूप ११ ही है पर स्वविरवाद में उनकी संख्या २० बानी गई है।

( ii ) चित्त...बौद्ध दर्शन में चित्त और जीव (आत्मा) लगभग समानार्थक माने जाते हैं। स्वविरवाद, सर्वास्तिवाद और योगाचार उसे अनित्य, अस्थावी और अस्वतन्त्र पदार्थ ही मानते हैं। आलम्बनों के भेद से चित्त के ७ प्रकार हैं—मनस्, चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, घ्राणविज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान और मनोविज्ञान।

( iii ) चैतन्य अथवा चैतसिक धर्म—चित्त और चेत धर्म अभ्योप्याभित है। ये मुख्यतः ६ प्रकार के हैं और अवान्तर भेद से ४६ प्रकार के हैं।

(क) चित्तमहाभूमिक धर्म—१० = वेदना, संज्ञा, चेतना, छन्द, स्पर्श, प्रज्ञा, स्मृति, मनमिकार, अविमोक्ष और समाधि। स्वविरवाद और विज्ञानवाद में इन धर्मों को सामान्य और विशेष धर्मों के रूप में विभाजित किया गया है।

(क) अकुशल महाभूमिक धर्म—१० = अज्ञा, अप्रमाद, प्रसन्न, अपेक्षा, ह्री, अपवत्रा, अलोभ, अद्वेष, अहिंसा और वीर्य। स्वविरवाद ने इसके २५ और विज्ञानवाद ने १० धर्म माने हैं।

(क) क्लेश महाभूमिक धर्म—६ = मोह, प्रमाद, कीर्त्तिय, अत्रादय, स्थान और धोदस्य। स्वविरवाद में १४ अकुशल चैतसिक है जो क्लेश महाभूमिक धर्म की भावना से सम्बन्ध है।

(घ) अकुशल महाभूमिक धर्म—२ = आह्नीक्य और अनपत्रता

(ङ) उपक्लेशभूमिक धर्म—१० = क्रोध, अज्ञ, मात्सर्य, ईर्ष्या, प्रदास, विहिंसा, उपनाह, माया, शाठ्य और मद। विज्ञानवाद में मूल क्लेशों की सूचियाँ मिलती हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि सर्वास्तिवाद में मूल क्लेश नहीं माने गये हैं।

(vi) अनियतभूमिक धर्म—८ = कौकृत्य, मिद, वितर्क, विचार, राग, द्वेष मान और विचिकित्सा।

४. चित्तविश्रयुक्त धर्म—इसके १४ भेद हैं—प्राप्ति, अप्राप्ति, निकाय, समागता, आसन्निक, असंज्ञी-समापत्ति, निरोध-समापत्ति, जीवित, जाति, स्थिति, जरा, अनित्यता, नाम काय, पदकाय और व्यञ्जन काय। स्वविरवादियों ने इन धर्मों का उल्लेख ही नहीं किया।

सौत्रान्तिकों ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया। बौद्धाचार में भी स्थिति जगज्ज्वल वैसे ही है। वहाँ बिल विप्रयुक्तधर्मों को स्वतन्त्र न मानकर मानव व्यापार के अन्तर्गत मान लिया गया है। विप्रयुक्त धर्मों की कुल संख्या २४ स्वीकार की गई है।

२. असंस्कृत धर्म—जिन धर्मों में संस्कृत धर्मों के पूर्वोक्त लक्षण न पाये जय वे असंस्कृत धर्म कहलाते हैं। ये स्थायी, नित्य विशुद्ध और सत्य धर्म माने जाते हैं। स्वविरवाद में मात्र निर्वाण को असंस्कृत धर्म स्वीकार किया गया है। परन्तु सर्वास्तिवाद में उनकी संख्या तीन दी गई है—आकाश, प्रतिसंख्यानिरोध, और अप्रतिसंख्यानिरोध।

आकाश वह है जो न किसी से आवृत हो और न किसी को आवृत करे। स्वविरवादियों के अनुसार आकाश महाभूतों से उत्पन्न एक नित्य और अपरिवर्तन शील धर्म है। परन्तु सर्वास्तिवाद में उसे दिक् तथा वायु का पर्यायिक माना गया है। प्रतिसंख्यानिरोध का अर्थ है प्रज्ञा के द्वारा उत्पन्न सास्त्र धर्मों से पृथक् पृथक् विसंयोग। साधक जब अपनी सम्यग् दृष्टि से सास्त्र को उत्पन्न करने वाले किसी धर्म को परित्याग कर देता है तब उसे प्रतिसंख्यानिरोध धर्म की अर्थात् निर्वाण की उपलब्धि होती है। परन्तु जब बिना प्रज्ञा के ही सास्त्र धर्म का निरोध होता है तब अप्रतिसंख्यानिरोध कहा जाता है। इस निरोध का फल अनुत्पाद ज्ञान है यह ज्ञान अभ्युत्पाती होता है। ये तीनों धर्म स्वतन्त्र और नित्य हैं। अतः हेतु-प्रत्यय के बिना ही पदार्थों की सत्ता मानने के कारण वैभाषिकों को नानार्थवादी कहा जा सकता है।

सर्वास्तिवाद में काल के तीनों भागों का भी अस्तित्व माना गया है परन्तु सौत्रान्तिक मात्र वर्तमान काल को ही सत्य स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त विभज्यवादी वर्तमान और अतीत को सत्य मानते हैं। परन्तु शून्यवादी आचार्य काल का बिलकुल प्रतिषेध करते हैं।

## परमाणुवाद

परमाणुवाद की मूलतः स्थापना सर्वास्तिवादियों के द्वारा हुई जिसे उत्तर काल में स्वविरवादियों ने भी स्वीकार की सर्वास्तिवाद में पांच विज्ञानेन्द्रियां

प्रायः विषय, तथा चार महाभूत ये परमाणु के बौद्ध भेद संघात-परमाणु कहलाते हैं। स्वविरवाद में इन्हीं को 'कलाप' संज्ञा दी गई है। उपक्रम, संतति, वरता और अनित्यता ये चार लक्षण कलापों के माने गये हैं।

सौत्रान्तिकों की दृष्टि में परमाणु रूप, गन्ध, रस और स्पृष्टव्य माना गया है। वैभाषिक इसे विनाशी स्वीकार करते हैं। शून्यवादी धार्यदेव ने भी परमाणु को अनित्य माना है। चन्द्रकीर्ति ने भी जगत् की उत्पत्ति का क्षणभंग करते हुए कहा कि भ्रवयव परमाणु से बने भ्रवयवी संसार भी परमाणु के ही परिमाण के न हों इसलिए कारणों में रहने वाले परमाणु को कार्य में नहीं माना जावेगा। अतएव परमाणुओं में सर्वात्मना संयोग न होकर उसके किसी एक अंश से संयोग नहीं होगा, वह हेतु नहीं होगा। इस तरह वह नाना रूप होने से चित्र के समान अनित्य हो जायगा। इसलिए कहा है— 'नाना नित्यो न जायते।' परमाणु का सर्वात्मना संयोग मानने पर सारा संसार परमाणुमात्र होने से ब्रह्म (अतीन्द्रिय) हो जायगा। परमाणु को निरवयव भी नहीं माना जा सकता अन्यथा उसमें गति नहीं हो सकेगी और फलतः परमाणुओं का पस्पर संयोग नहीं हो सकेगा। फिर घटादि कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी? अतः परमाणु कोई द्रव्य है यह कहना उचित नहीं। निरवयवी होने के कारण परमाणु योगों द्वारा प्रत्यक्षगम्य भी नहीं है। परमाणु हेतु रूप भी नहीं अन्यथा बीज के समान द्वेषयुकादिक द्रव्यों द्वारा विनष्ट माना जायगा। परमाणु की अनित्यता में यह भी एक कारण है कि जगत् में एक परमाणु में दूसरा परमाणु सर्वात्मना नहीं रहता। परमाणु का संश्लेष (संयोग) होने पर संश्लिष्ट घटों के समान वह नित्य भी नहीं होता। इस प्रकार परमाणु की उत्पत्ति, स्थिति और निरोध क्रमशः और युगपत् नहीं होते। उत्पत्ति आदि के न होने पर परमाणु का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता।<sup>१</sup>

## २. सौत्रान्तिक दर्शन

सौत्रान्तिकों को दार्शनिक भी कहा गया है। संभव है उन्हें यह नाम इस शाला के प्रस्थापक आचार्य कुमारलात के ग्रन्थ "कल्पनामंडलिका दृष्टा-

स्तर्पक' के आकार पर दिया गया हो। यह सर्वोक्तिवादियों की ही एक योजना थी। इसका अपना कोई स्वतन्त्र साहित्य प्रायः उपलब्ध नहीं भूतः हम बौद्ध-बौद्धतर साहित्य में प्राप्त तत्सम्बन्धी सामग्री पर ही निर्भर हैं। इसके विशिष्ट सिद्धान्त इस प्रकार हैं :—

१. बाह्यार्थ की सत्ता—सौत्रान्तिक बाह्य पदार्थों की सत्ता स्वीकार करते हैं। उनकी सत्ता अनुमानगम्य है, प्रत्यक्षगम्य नहीं।

२. ज्ञान स्वसंवेदी है। विज्ञानवादी भी यही मानते हैं।

३. बाह्य वस्तु का अस्तित्व है पर उसके आकार के विषय में एक मत नहीं।

४. परमाणुओं में परस्पर स्पर्श नहीं होता। क्योंकि वे निरवयव हैं।

५. प्रत्येक वस्तु अनित्य, क्षणिक और विनाशशील है।

६. रूप का अर्थ वर्ण ही है। संस्थान को उसमें निबोधित नहीं किया जा सकता।

७. अमंस्कृत पदार्थ द्रव्य सत् नहीं।

८. चित्त विप्रयुक्त धर्मों का अस्तित्व नहीं। वे प्रकृतिमात्र हैं।

९. आयु को द्रव्य नहीं मानते।

१०. संस्कृत लक्षण पृथक् नहीं, प्रज्ञात होते हैं।

११. अतीत-अनागत वस्तु-सत् नहीं।

१२. अविज्ञप्ति का भी अस्तित्व नहीं।

१३. चित्त, विचार, समाधि और अध्यात्म संप्रसाद परस्पर भिन्न नहीं।

१४. न कोई इन्द्रिय दर्शक है, न कोई रूप हरम है, न कोई दर्शन क्रिया है, न कोई कर्ता है। हेतुफल-मात्र है।

१५. केवल ४३ धर्म हैं—

(i) रूप—८ = चार उपादान और चार उपादाय।

(ii) वेदना—३ = सुख, दुःख, न सुख न दुःख।

(iii) संज्ञा—६ = पांच इन्द्रियां तथा एक चित्त।

(iv) विज्ञान—६ = चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन, काय, तथा मन।

(v) संस्कार—२० = दस कुशल, दस अकुशल।

१६. समाधि एकालम्बन चित्त-सन्तति है।

१७. चेतना मानस कर्म नहीं है।

१८. अणुवाद—प्रायः प्रत्येक भारतीय दर्शन में किसी न किसी रूप में संसार और सांसारिक पदार्थों को अनित्य अथवा क्षणभङ्गुर माना गया

है। बुद्ध ने "सब्बे धम्मा अनिच्छा, सब्बे भवा अनिच्छा, बुक्खा विपरिखास-धम्मा",<sup>१</sup> तथा "यथा बुब्बलकं पस्से यथा पस्से मरीचिकं । एवं लोकमवेकवन्तं मच्चु राजा न पस्सति"<sup>२</sup> जैसे कथनों में इसी दर्शन की भूमिका को प्रस्थापित करने का प्रयत्न किया था। परन्तु यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि भगवान् का यह उपदेश सत्त्व को संसार के मोह जाल से पृथक्कर उसे एक शान्त, अमृत और अविनाशी पद की प्राप्ति कराना था।<sup>३</sup> इन भावों में बौद्धधर्म की पूर्णतः अनित्यात्मक एवं क्षणिकात्मक प्रकृति का दर्शन नहीं होता।

तथागत के उक्त वचनों के माध्यम में उत्तरकाल में क्षणिकवाद का अत्यधिक दार्शनिक विकास हुआ। इसी की लगभग ६वीं शताब्दी से ११ वीं शताब्दी तक यह विकास स्पष्टः दृष्टिगत होता है। यद्यपि क्षणिकवाद बौद्धदर्शन की चारों शाखाओं को मान्य है परन्तु दिङ्नाग, धर्मकीर्ति, शान्तरक्षित, कमलशील आदि आचार्यों ने इसे परमार्थ तक पहुँचा दिया।

स्थविरवादी मात्र चित्त-चैतसिकों की क्षणिकता को स्वीकार करते थे। सर्वास्तित्वादी—वैभाषक बाह्य जगत् को भी किञ्चित् क्षणिक मानने लगे।<sup>४</sup> परन्तु सौत्रान्तिक पूर्ण क्षणिकवाद पर विश्वास करने लगे। इसलिए बहु पदार्थवादी बौद्धदर्शन कालान्तर में क्षयाभंगवादी दर्शन बन गया।

क्षयाभंगवाद के अनुसार समस्त स्वलक्षण पदार्थ क्षणिक एवं परमाणुरूप हैं। वे अपने स्वभावानुसार जिन क्षण में उत्पन्न होते हैं उसी क्षण में विनष्ट हो जाते हैं।<sup>५</sup> इस तरह पूर्वक्षणा विनष्ट होकर उत्तर क्षण को उत्पन्न करता और वर्तमान क्षण अस्तित्व में रहकर क्रमबद्धता बनाये रखता है। इस विनाश और उत्पत्ति में किसी अन्य कारणा की अपेक्षा नहीं रहती। अतः निर्हेतुक कहा गया है। इस स्थिति में सन्ततिपरम्परा बनी रहती है और कार्यकारण-भाव, अर्थक्रियाकारित्व, बन्ध-भोक्ष आदि व्यवस्थाओं में व्यवधान नहीं आता।

१. अङ्गुत्तरनिकाय, ४. १६-५.

२. धम्मपद, १३. ४

३. वही, २०. ५

४. 'संस्कृतं क्षणिकं यतः'—अभिधर्मकोश, ४. ४

५. यो यत्रैव स तत्रैव यो यद्वैव तद्वैव सः ।

न देशकालयोर्ब्यप्लिर्भावानानिह विद्यते ॥ प्रमेयरत्नमाला में उद्धृत, ४. १

परमार्थसत् के परीक्षण में अर्थक्रिया का विशेष महत्त्व है। वह क्रमशः अथवा बुगपद होती है। नित्य पदार्थों में ये दोनों प्रकार की क्रियाएँ सम्भव नहीं। पदार्थ में स्थिरता और स्थूलता का अभास हमारी मानसिक कल्पना और विभ्रम का फल है। चित्तक्षण भी इसी प्रकार वासना के आघारपर क्रामकता बनाये ग्खता है। सभी पदार्थ प्रतीत्यसमुत्पन्न होते हैं। उनमें शाश्वतता का मात्र भान होता है, वास्तविक प्रतीति नहीं। निर्वाण अवस्था में चित्तसन्तानि निरास्रवत हो जाती है।

बौद्धों का यह क्षणिकवाद दार्शनिकों में अत्यन्त विवाद का विषय बना। बौद्धोत्तर विद्वानों ने इसकी कटु आलोचना की। जैन उन आलोचकों में प्रमुख है। जैन सिद्धान्त के अनुसार परमाणुओं का पारस्परिक सम्बन्ध स्निग्धता और कृत्ता के कारण गुणात्मक परिवर्तन के रूप में होता है। वे ही परमाणु अपनी सूक्ष्मता छोड़कर स्थूलरूपता धारण कर लेते हैं। पदार्थ प्रतिक्षण पर्याय-नय से विनाशी होकर भी अपनी अविच्छिन्न संस्कृति की दृष्टि से कश्चित् ध्रुव भी है। यह सन्तति कार्यकारणपरम्परा पर निर्भर रहती है। सर्वथा क्षणिक पदार्थों में अर्थक्रिया भी सम्भव नहीं तब उनका निर्हेतुक होना कैसे सम्भव है ?

बुद्धन संसार की अनित्यता का प्रदर्शन करने की दृष्टि से इस क्षणवाद-की प्रतिष्ठा को भी परन्तु उत्तरकाल में उनकी इस मान्यता को दार्शनिक क्षेत्र में लाकर क्षणिकवाद, शून्यवाद, नैरात्म्यवाद जैसे वादों की प्रस्थापना कर दी गई।

## वैभाषिक और सौत्रान्तिक सम्प्रदायों में प्रमुख भेद

### वैभाषिक (सर्वास्तिकवाद)

### सौत्रान्तिक

१. वर्ण और संस्थान के भेद से रूप दो प्रकार का है।

२. बुद्धवचन वाक् स्वभाव और नाम स्वभाव दोनों हैं।

१. संस्थान का सन्निवेश वर्ण में ही हो जाता है।

२. बुद्धवचन वाक् स्वभाव मात्र हैं।

३. असंस्कृत ( निर्वाण ) द्रव्य-  
है सत्, अवाच्य है, विसंयोगफल है ।

४. चित्तविप्रयुक्त धर्मों ( १४ )  
का स्वतन्त्र अस्तित्व है ।

५. संस्कृतधर्म के लक्षण जाति,  
जरा, स्थिति और अनित्यता पृथक्-  
पृथक् हैं ।

६. आयु द्रव्य है ।

७. अतीत और अनागत द्रव्य-  
सत् है ।

८. अविज्ञप्ति का अस्तित्व है ।

९. तृतीय ध्यान का 'सुख' प्रथम  
और द्वितीय ध्यान के 'सुख' से  
द्रव्यान्तर है ।

१०. समाग अवस्था में बसु रूप  
देखता है । दृष्टा तथाश्रित विज्ञान नहीं ।

११. सर्वास्तित्वादी भी क्षणिकवादी  
हैं परन्तु उसका क्षण काल का अल्प-  
तम गृहभाग है ।

१२. स्कन्ध, आयतन और धातु  
ये तीनों द्रव्यसत् हैं ।

१३. बसु देखता है जब वह  
समाग है ।

१४. बाह्यार्थ की यथावत् प्रतीति  
होती है ।

३. असंस्कृत ( आकाश, अप्रति-  
संख्यानिरोध, और प्रतिसंख्यानिरोध )  
द्रव्य-सत् नहीं, अभाव मात्र है, कारण-  
हेतु है ।

४. चित्त विप्रयुक्त धर्म वस्तु-सत्  
नहीं, प्रज्ञप्तिमात्र हैं ।

५. संस्कृत लक्षण पृथक् नहीं,  
प्रज्ञात होते हैं ।

६. आयु द्रव्य नहीं ।

७. अतीत और अनागत वस्तु-  
सत् नहीं ।

८. अविज्ञप्ति का अस्तित्व नहीं ।

९. प्रथम तीन ध्यानों में कायिक  
सुखेन्द्रिय होती है, चैतसिक सुखेन्द्रिय  
नहीं । अतः तृतीय ध्यान का 'सुख'  
द्रव्यान्तर नहीं ।

१०. न दृष्टा इन्द्रिय है, न दृश्य  
रूप है । न दर्शन-क्रिया है और न कोई  
दर्शक कर्ता है प्रत्युत हेतुफल-मात्र है ।

११. धर्मों का विनाश उत्पाद के  
समनन्तर होता है । धर्मों की कोई  
स्थिति नहीं ।

१२. स्कन्ध तथा आयतनों को प्रज्ञ-  
तिसत् और धातुओं को द्रव्यसत्  
मानते हैं ।

१३. बसु और रूप के कारण  
बसुविज्ञान उत्पन्न होता है । इन्द्रिय,  
रूप, दर्शन, कर्ता, हेतु-फल आदि का  
अस्तित्व नहीं । व्यवहारतः उनका  
उपचार किया जाता है ।

१४. बाह्यार्थ अनुमानगम्य है,  
प्रत्यक्षगम्य नहीं ।

## ३. शून्यवाद ( माध्यमिक ) दर्शन

शून्यवाद माध्यमिक बौद्ध दर्शन का एक विशिष्ट प्रभावक सिद्धान्त है। संयुक्त निकाय के भारहा सुत्त में इसके बीज उपलब्ध होते हैं। हीनयान सम्प्रदाय में प्रथमतः पुद्गल नैरात्म्य के रूप में इसके बीज मिलते हैं। शूनैः शूनैः उत्तर काल में इस सिद्धान्त का विकास होता गया। महायान तक पहुंचते-पहुंचते पुद्गल नैरात्म्य के अतिरिक्त धर्म नैरात्म्य की कल्पना का विस्तार हुआ और फलतः शून्यवाद की स्थापना हुई। सौत्रांतिक दर्शन में बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्षतः ज्ञेय नहीं माना गया। विज्ञानवाद में उनकी चित्तमात्र के रूप में सत्ता स्वीकृत हुई—“चित्तमात्रं भो जिनपुत्र यदुत त्रैधातुकम् ।” पर माध्यमिक में बाह्य और आन्तरिक दोनों पदार्थों के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने पदार्थ को न सत् माना, न असत् माना, और न अनुभव माना बल्कि इन चतुष्कोटियों से विनिर्मुक्त तत्त्व माना।<sup>१</sup> इसलिए उसे अभावात्मक नहीं कहा जा सकता किन्तु निरपेक्ष होने के कारण शून्यात्मक माना जाता है। सत्-असत् के बीच का यह आध्यात्मिक मध्यम मार्ग है—

अस्तीति नास्तोति उभेऽपि अन्ता, शुद्धी अशुःीति उभेऽपि अन्ता ।  
तस्माद्दुभे अन्त विवर्जयित्वा, मध्ये हि स्थानं प्रकरोति पश्चित्तः ॥<sup>२</sup>

नागार्जुन ने शून्यवाद को प्रतीत्यसमुत्पाद की व्याख्या के रूप में प्रतिपादित किया है।<sup>३</sup> पदार्थों के स्वरूप का विश्लेषण जैसे-जैसे करते हुए वे आगे बढ़ते गये, उन्हें वे विगोर्ण होकर नीचे गिरते हुए दिखाई दिये—‘यथा यथा विचार्यन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा’। इसलिए शून्यता का स्वरूप उन्होंने निःस्वभाव होना बताया। आर्यदेव ने इसी को निर्वाण माना—

धर्म समासतोऽहिंसा वर्णयन्ति तथागताः ।

शून्यतामेव निर्वाणं केवलं तदिहो भयम् ॥ चतुःशतक, १२, १३

लंकावतार में इसी शून्यता को कदलीसम, स्वप्नोपम जैसे शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। इसी को धर्म नैरात्म्य कहा है। इस धर्म नैरात्म्य

१. न सन् नासन् न सदसन्न चाप्यनुमयात्मकम् ।

चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः ॥ मा० का० १७

२. समाधिराजसूत्र, उद्धृत—बौद्धदर्शनमीमांस, पृ-३००

३. यः प्रतीत्यसमुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवम् ।

देशयाभास सम्मुद्धस्तं वन्दे वदतां वरम् ॥ मा-का-१



की भावना का दार्शनिक आधार दो प्रकार का है—प्रथम सभी बसों की निःप्रारता और द्वितीय चित्त की प्रधानता । प्रथम पक्ष ( शून्यवाद ) का आरूपान नागार्जुन, आर्यदेव और चन्द्रकीर्ति आदि ने किया और द्वितीय पक्ष ( योगाचार-विज्ञानवाद ) का विस्तार मैत्रेयनाथ ने किया । शून्यवाद तथा योगाचार—विज्ञानवाद को संयुक्त रूप माना गया है । इर्मालिए शायद आर्यदेव ने अनुशतक को 'बोधसत्त्व योगाचारशास्त्र' कहा है ।<sup>१</sup>

**शून्य का लक्षण**—नागार्जुन ने शून्यता को प्रत्ययजन्य मानने के कारण भावात्मक माना है, अभावात्मक नहीं । अतः उसे पर परमार्थ और प्रपञ्चोपशम कहा है ! उनके अनुसार शून्य का स्वरूप है—अपर प्रत्यय ( प्रत्यात्मवेद्य ), शान्त ( निःस्वभाव ), अप्रपञ्चित ( निःशब्द, अनक्षरतत्त्व ) निविकल्प ( चित्त व्यापार से दूर ), अनानार्थ ( मात्र अर्थों से विरहित ) ।

“अपर प्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चो प्रपञ्चितम् ।”<sup>२</sup>

“निविकल्पमनानार्थं मेतत् तत्त्वस्य लक्षणम्”

**शून्यता के प्रकार**—महाप्रज्ञापारमिता में शून्यता के १८ प्रकार हैं— १. अघ्यात्म शून्यता ( अन्तः वस्तुओं की शून्यता ) २. बद्धिर्घा शून्यता ( बाह्य वस्तुओं की शून्यता ), ३. अक्षयत्वबहिर्घाशून्यता ( अन्तः बाह्य पदार्थ भेद रहित हैं ) ४. शून्यता-शून्यता ( शून्यता ही यर्थाथ तत्त्व नहीं, परम तत्त्व है ), ५. महाशून्यता ( उत्पाद, स्थिति और विनाश-रूप पदार्थ शून्यता ), ६. असंस्कृत शून्यता—( पदार्थ प्रज्ञप्तिमात्र हैं ), ७. अत्यन्त शून्यता ( पूर्णतः शून्यता ), ८. अनवरागशून्यता ( पदार्थ के आदि अन्त रूप की शून्यता ), ९. अनवकार शून्यता ( निरुपधिशेष निर्वाण शून्यता ), १०. प्रकृति शून्यता ( स्वभाव शून्यता ) ११. सर्वधर्मशून्यता ( सर्व पदार्थ स्वभाव शून्यता ), १२. स्वलक्षण शून्यता ( पदार्थ की स्व स्वरूप-शून्यता ), १३. अनुपलम्भ शून्यता ( काल शून्यता ), १४. अभाव शून्यता ( आकाश, प्रतिमंश्या, अप्रति संख्या का निरांघ ), १५. सर्वभाव शून्यता ( पञ्चस्कन्ध शून्यता ), १६. अभाव और स्वभाव शून्यता ( संयोगोत्पन्न पदार्थ शून्यता ) । 'पञ्चविंशतिसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता' में इन शून्यताओं

१. बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, पृ० ३६७-८

२. ( आ. मा. १८. ६. )

के अतिरिक्त दो और शून्यताओं का उल्लेख है—१. स्वभाव शून्यता ( सत्ता रहित पदार्थ और २. परभाव शून्यता ( पर पदार्थों द्वारा उत्पत्तिहीनता ) । शून्यवाद की विस्तृत कल्पना, इन प्रकारों में देखी जा सकती है ।

## आर्यदेव का चतुःशतक और शून्यवाद

आर्यदेव शून्यवाद के प्रतिष्ठापक आचार्यों में से अन्यतम माने जाते हैं । उन्होंने चतुःशतक में शून्यवाद की प्रतिस्थापनाको मली भांति पूरा किया है और प्रसिद्ध वृत्तिकार चन्द्रकीर्तिने उनके विचारोंको यथाशक्य स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । निःस्वभाववाद एवं शून्यवाद की स्थापना के सम्दर्भ में इन दोनों आचार्यों के विचार हम संक्षेप में उद्धृत कर रहे हैं । ये विचार नित्यार्थ प्रतिषेध, आत्मप्रतिषेध, कालप्रतिषेध, दृष्टिप्रतिषेध, इन्द्रियार्थप्रतिषेध, अन्तर्ग्राहप्रतिषेध और संस्कृतार्थ प्रतिषेध, नामक अध्यायों में मिलते हैं । अन्तिम अध्याय “गुरुशिष्यभावना सम्दर्शन” में आर्यदेव ने शून्यवाद का और भी विस्लेषण कर उपसंहार प्रस्तुत किया है ।

### १. नियार्थ प्रतिषेध

लोक में प्रवृत्ति कार्यार्थी होती है, स्वाभाविकी नहीं । और भूत-भीतिक, चित्त-वृत्त, लक्ष्य-लक्षण आदि संस्कृत वस्तु की पृथक्-पृथक् उत्पत्ति न होने के कारण यथासंभव समूह-रूप की ही उत्पत्ति होती है । समूह-रूप परस्पर कार्यकारणावस्था पर निर्भर है । इसलिए जिसके होनेपर जो होता है और जिसके न होनेपर जो नहीं होता वह उसका कारण है और दूसरा उसका कार्य है । पृथ्वी के बिना भूतन्त्रय का अभाव होता है और पृथ्वी के रहने पर भूतन्त्रयका सद्भाव होता है । इय प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति कार्यार्थी होती है । और कहा जा सकता है कि सभी संस्कृत पदार्थ कार्यार्थ उत्पन्न होते हैं । जो कार्यार्थ उत्पन्न नहीं होता वह नित्य नहीं है । नित्य शब्द के स्वभाव, सत्य, सार, वस्तु, द्रव्य शब्द पर्यायार्थक हैं । नित्यत्व के अभाव से निःस्वभाव, असत्य, असार, अवस्तु और अद्रव्य को संस्कृत कहा जाता है ।

भाव, स्वभाव, आत्मा पर्यायार्थक शब्द हैं । वह आत्मा बिना कारण उत्पन्न नहीं होता । इसका अकारणत्व दूसरे द्वारा ही जाना गया है । जो

निर्हेतुक होता है वह अर-विषाण के समान अस्तित्वहीन होता है। आकाशादिक के साथ धनीकान्तिक दोष हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनका अस्तित्व भी आत्मा के समान निविध्यमान है। इस प्रकार दोष को छोड़ने की इच्छा से उक्त कथन के विरुद्ध भी हेतुमान् स्वीकार किया जाता है। इससे भी इसका नित्यत्व दूर हो जाता है। अतएव हेतुमान होने से आत्मा भी सुखादि के समान अनित्य है। ( २०३ )

**आकाश**—रूपका अभाव मात्र ही आकाश है। आकाश इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। रूपान्तर का अभाव होने पर तो रूमी पदार्थों की उत्पत्ति में कोई प्रतिबन्ध देखा नहीं जाता। वही रूपान्तरा भाव पदार्थों को अवकाश देता है, इसलिए आकाश कहा जाता है। उम अवस्तुमान् अकिञ्चन पदार्थ का विमोहितों ने 'वस्तुमान्' नाम रखा है। वह युक्तियुक्त नहीं। पदार्थ—स्वभाव के जानकार 'आकाश' नाम में लौकिक ज्ञान से भी कोई अभिवेय स्वरूप नहीं देखते, जैसे पृथिवी आदि नामों में काठिन्यादिक। और तो क्या पदार्थ-स्वभावज्ञ समस्त बाह्य और आध्यात्मिक वस्तु को बिना प्राप्त किये उसके स्वरूप को जान लेते हैं। इसी प्रकार अप्रतिसंख्यानिरोध और प्रतिसंख्यानिरोध के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए ( २०५ )। आकाश के जो अवयव हैं वे ही इसके प्रदेश हैं। उनके द्वाग ही आकाश प्रदेशी है। उसमें जो अन्यसंयोगी प्रदेश है वह उससे अन्य संयोगी प्रदेश में रहता है। यदि रहता है तो उससे अभिन्न देशवर्ती घटका भी सर्वगतत्व सिद्ध हो जावेगा। अर्थात् व्यापक वह वस्तु है जो सर्वत्र हो, पर आकाश के सभी अवयव सर्वत्र व्याप्त नहीं। जैसे जो आकाश प्रदेश यहाँ है वह दूर देश में नहीं है, अतः आकाश व्यापक नहीं हो सकता, अन्यथा घट आदि पदार्थ जो एक देश में रहते हैं वे भी व्यापक हो जावेंगे। परन्तु वे व्यापक है नहीं इसलिए नित्य भी नहीं हैं।

**काल**—कालवाद के अनुसार संसार की उत्पत्ति और लय का कारण काल है। बीजादि कारणों के होने पर भी अक्षुरादि की उत्पत्ति सर्वत्र नहीं होती, कभी उत्पत्ति होती है और कभी विरोधी काल के आनेपर नहीं होती। अतएव काल का सद्भाव स्वीकार किया गया है। इसके खण्डन में कहा गया है—काल के नित्य होने पर उसके आश्रित रहने वाली अक्षुरादि की उत्पत्ति और वृद्धि सर्वत्र प्राप्त होनी चाहिए। पर ऐसा होता नहीं। कभी बिना बीज के ही अक्षुरों की उत्पत्ति होती है और कभी बीज-वपन करने पर भी अक्षुर नहीं होते। इसी प्रकार ही बीजादि के समान काल भी जब कभी

ही होता है। अतएव नित्य नहीं है। जिसके सद्भाव होने पर अंकुरादि की उत्पत्ति होती है और असद्भाव होने पर उसका विनाश होता है। ऐसा कोई दूसरा ही है। इस प्रकार कार्यभूत अंकुरादि के समान काल अनित्य ही है ( २०७ )। निष्क्रिय पदार्थ का हेतुत्व संभव नहीं, इसलिए हेतु नामक कोई पदार्थ अपने से भिन्न नहीं है। फलोदय का हेतु होने पर फलत्व कैसे नहीं होगा? फलत्व होने पर अंकुरादि के समान इसकी नित्यत्व-दृष्टि कैसे हो सकती है? इसलिए हेतु और फलकी व्यवस्था न होने से दोनों की स्वरूप-सिद्धि नहीं हो सकती। कारण होने पर जिसकी उत्पत्ति हो, वह फल है। जैसे बीज के होने पर अंकुर होता है। अंकुर के होने पर बीज नहीं होता। इसलिए हेतु फलत्व में कारण नहीं होता। जिससे जो बीज होता है उसकी अंकुरोत्पत्ति के पूर्व की कल्पना में तृतीय विकल्प नहीं रहता, दो ही विकल्प होते हैं—हेतुभूत या अहेतुभूत। वहाँ अग्नि आदि से जल जाने के समान हेतुभूत से उसकी उत्पत्ति नहीं होती। हेतु ही फल के रूप में परिणत होता है। इसलिए उत्पत्ति के पूर्व फल दिखाई नहीं देता। और उत्पन्न होने वाले फल के बिना भी कोई फल-प्रतीति नहीं होती। अतएव सभी की फलवत्ता हो यह सिद्ध नहीं होता। सारांश यह है कि यदि हेतुओं में फल के बिना हेतुता ही नहीं तो इस तरह सभी हेतुओं में फलवत्ता प्रसक्त हो जावेगी। परन्तु ऐसा नहीं है। अग्नि से जले बीज में अंकुर ( फल ) नहीं होता। अतः काल फलात्मक हेतु नहीं माना जा सकता—

बिना फलेन यद्धेतो ह्येतुमावो न विद्यते ।

हेतुना तेन सर्वेषां फलभावः प्रसज्यते ॥ २०८ ॥

यदि कालवादियों का यह काल विचित्र जगत् का कारण है तो उससे नियत पूर्ववस्थावर्ती नानारूप विकार से कार्य की उत्पत्ति होनी चाहिए। परन्तु वह नहीं होती। मूल कारण बीज स्वयं विकृत रूप धारण करने के बाद ही अंकुर का कारण बनता है, पूर्वस्था के परित्याग के बिना नहीं। वैसे ही काल भी जब विचित्र जगत् का कारण होगा तो उसे कार्योत्पादन के पूर्व अपनी नियत पूर्ववस्था को छोड़ना पड़ेगा। अन्यथा कार्योत्पादन में समर्थ नहीं हो सकेगा। परन्तु जब विकृत रूप धारण करेगा तो उसमें विकार अवश्य होगा। वह बीजादि की तरह नित्य नहीं हो सकता ( २०९ )।

विकृत बीज से अंकुर की उत्पत्ति होती है। अन्य बीज की असंभवता से बीज का अनुविभागी होने से और सहानवस्थान होने से और कुछ ही

उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं मानना चाहिए ; एक साथ रहने वाले असदृश पदार्थों के हेतुत्व की असंभावना से और काल की नित्यता रूप हेतु के फल से 'अन्यत्व' ही होता है । इस कारण असदृश के साथ अवस्थान भी संभव है । फल के उत्पन्न होने पर भी काल में कोई विकार नहीं आता । इय काल से जो फल उत्पन्न होता है वह बिना विकार के ही होता है अर्थात् हेतु-प्रत्यय की अपेक्षा किये बिना ही स्वयमेव उत्पन्न होता है । अथवा हेतु प्रत्यय की अभावना में उत्पन्न होने पर फल बिना उत्पन्न हुए उत्पन्न होता है, यह भी ठीक नहीं । सर्वात्मना अभाव होने पर पदार्थ उत्पन्न नहीं होता । जिसका सर्वात्मना सद्भाव नहीं, उसका खर-विषाण के समान हेतुप्रत्यय से उत्पन्न होना संभव नहीं । अतएव जिसके हेतु दृष्ट है, वह अर्थात् नित्य पदार्थ विकृत न होकर भी उत्पन्न होता है । यह निहंतुक ही उत्पन्न होता है । अर्थात् स्वयं ही उत्पन्न होता है । इसलिए इसकी निरर्थक हेतुत्व-कल्पना से क्या प्रयोजन ! तार्क्य यह है कि विकृत बीज से ही अंकुरादि उत्पन्न होता है, पर काल का विकृत रूप अंकुरादि है, ऐसी बात बुद्धि-संगत नहीं । जगत् स्वतः सिद्ध है । उसकी सिद्धि के लिए काल को कारण मानने की आवश्यकता नहीं ( २१० ) ।

**परमाणु**—हेतुत्व, परिमाण्डल्य और अप्रदेशत्व ये परमाणु द्रव्य के लक्षण हैं । यदि परमाणु सर्वात्मना दूसरे परमाणु से युक्त है, प्रदेश से नहीं, तो हेतु है । हेतुभूत एक परमाणु का दूसरे परमाणु में सर्वात्मना संयोग मानने से परमाणु के अणु परिमाण का कार्य द्विधरणुका द्विधरणु में भी संयोग मानने का प्रसंग आयागा । सारा संसार परमाणु मात्र होने से अदृश्य (अतीन्द्रिय) हो जायगा । पर संसार दृश्य है । अतः परमाणु का परमाणु में सर्वात्मना योग नहीं मानना चाहिए ( २१३ ) ।

संसार में अदृश्यत्वापत्तिवारण के लिए यदि एक परमाणु का दूसरे परमाणु से योग न माना जाय तो परमाणु का परमाणु से जो संयोग होता है वह किसी अंश में होता है । अंश जिस अंश का जिस अंश से संयोग होता है वह परमाणु का अंश परमाणु का अवयव हुआ । जिसका संयोग से पहले अवयव है वह उसका अवयवी हुआ । अणु के भी अवयव होंगे । इस स्थिति में वह अणु नहीं कहा जा सकता । परमाणु भी घटादि की तरह अनित्य है । अतः वह परमाणु नहीं कहा जा सकता । अर्थात् परमाणु भी अनित्य है—

यस्य पूर्वः प्रदेशोऽस्ति पूर्वाशस्तस्य विद्यते ।

अणोर्येन प्रदेशोऽस्ति तेनाणुनस्तिस्युच्यते ॥ २१५ ॥

गमन करने वाला व्यक्ति गमन करने में अपने आगे के पैर से आगे के स्थान को ग्रहण करता है और पीछे के पैर से पीछे के स्थान को छोड़ता है। इन दोनों क्रियाओं से गमन करने वाले को गमनत्व ममका जाता है। अर्थात् होने के कारण जिस परमाणु के अग्रिम भाग से ग्रहण और प्रत्यात् ( पीछे के ) भाग से वर्जन नहीं होता वह "गमता" नहीं कहा जाता है। इस प्रकार यदि परमाणु भी निरवयव होगा तो संयोगादि क्रिया के न होने से घटादि कार्य की उत्पत्ति भी न हो सकेगी। अतः परमाणु कोई द्रव्य है, यह कहना उचित नहीं ॥ २१६ ॥

अवयवहीन परमाणु का न आगे का भाग है और न पीछे का। इसलिये वह अव्यक्त है। व्यक्त का तात्पर्य स्पष्ट, ज्ञात और दृश्य है। इसी का विपरीतरूप अव्यक्त है। जो दृश्य नहीं है वह किसी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। योगी भी अव्यक्त होने से उसे देखने में समर्थ नहीं हैं। इस कारण परमाणु नित्य नहीं है ॥ २१७ ॥

परमाणु यदि हेतुरूप हों तो अंकुर से बीज के समान वे परमाणु द्विपरणु-कादिक अवयवी द्रव्यों द्वारा विनष्ट हो जावें। अतएव उस फल में सहानवस्थान से परमाणु बीजके समान नित्य नहीं हैं। यदि इस तरह का हेतुत्व सम्भव नहीं तो परमाणु की नित्यत्व-परीक्षा निरर्थक ही है। तब उनसे क्या प्रयोजन ? अतः परमाणु नित्य नहीं है ॥ २१८ ॥

परमाणु के नित्य न होने में एक और प्रमाण आचार्य आर्यदेव प्रस्तुत करते हैं। जगत् में एक परमाणु में दूसरा परमाणु सर्वात्मना नहीं रहता। परमाणु का संश्लेष (संयोग) होने पर संश्लेष बटों के समान वह नित्य भी नहीं होता। इसलिए वैशेषिक दर्शन की तरह यौग्य दर्शन में भी परमाणु द्रव्य (नित्य) नहीं है। बुद्ध ने इसी कारण परमाणु के नित्यत्व का प्रतिपादन नहीं किया। स्वयं ही अप्रत्यक्ष है, यह भी कारण है। इस प्रकार परमाणु की उत्पत्ति, स्थिति और निरोध क्रमशः और युगपद् नहीं होते। उत्पत्ति आदि के न होने पर परमाणु का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। अतएव जैसे लौकिक भाव साधारण लौकिक विचार में ही रहते हैं, लोकोत्तर दर्शन परीक्षा में नहीं। उसी प्रकार न्याय सिद्धान्त का परमाणु भी साधारण दर्शन में लोक में व्यवहृत हातों हुए भी परमार्थ विचार में सिद्ध नहीं हो सकता। अतः बौद्धदर्शन में परमाणुवाद स्वीकार्य नहीं ॥ २१९ ॥

**निर्वाण**—यहाँ पर आलोचक कहते हैं—बुद्धने परमात्माओं की नित्यताकी स्वीकार नहीं किया, यह सत्य ही है। परन्तु उन्होंने जिसे नित्य माना है उसे तो नित्य मानना ही पड़ेगा। जैसे भगवान् ने कहा है निर्वाण के प्रसंग में कि “मिच्छुषो ! वह अज्ञात अभूत और असंस्कृत धर्म है”। इसके अनुसार असंस्कृत धर्म नित्य गया माना है। अतएव निर्वाण नित्य है। दुःखसत्य, समुदयसत्य, और दुःखनिरोधसत्य शासन (उपदेश) भी नहीं है, ऐसा भगवान् का उपदेश नहीं है। परन्तु यह कथन युक्तियुक्त नहीं। उपाय, बन्धन और बन्ध्य इन तीनों से यदि मोक्ष भिन्न हो तो उससे कुछ भी नहीं होगा और फलतः उसे मोक्ष नहीं कहा जा सकता—

उपायाद् बन्धनाद् बन्ध्यादन्यो मोक्षो भवेद् यदि ।  
न तस्मात्प्रायते किञ्चिद् मोक्षः स इति नीच्यते ॥२२०॥

इसमें बन्धन समुदयसत्य है। बन्ध्य के स्वतन्त्र न रहने से बन्धन होता है। बन्ध्य दुःखसत्य है क्योंकि वह क्लेश के परतन्त्र है। बन्ध्य से दूर होने का उपाय मार्ग सत्य है, दुःख-निवारक होने से। बन्धन और बन्ध्य के बिना बन्धन कार्य सम्भव नहीं। बन्ध्य-बन्धन का अस्तित्व बन्धन कार्य के अस्तित्व का हेतु है। तथा निवर्त्य और निवर्तक के बिना निवृत्ति नहीं हो सकती। निवृत्ति होने के कारण निवर्तक का अस्तित्व है। निवर्त्य संक्लेश है और निवर्तक मार्ग है, अन्धकार में दीपक के समान। जैसे दुःख-सत्य, दुःख समुदय सत्य और दुःखनिरोधसत्य ये तीनों धार्यसत्य अनुमित सत्य हैं वैसे ही क्लेशसम लक्षण स्वरूप मोक्ष नहीं है। क्योंकि उससे कुछ भी लाभ नहीं। बन्ध्य और मोक्ष इन दोनों का भी अन्वय स्वभाव नहीं मिलता। यदि उसका कुछ उपयोग मान भी लिया जाय तो वह अनुमित सत्य ही होगा और यह है नहीं अतएव इसका सद्भाव नहीं। इसलिए जाति और क्लेश इन दोनों की उत्पत्ति न होना मोक्ष प्राप्ति से संभव है, यह ठीक नहीं। हेतु, प्रत्यय और सामग्री से उद्भूत पदार्थों के अभाव से, बीजाभाव से अंकुरादि के समान जाति (जन्म) कभी नहीं होता। इसलिए उसके लिए अर्थान्तर परीक्षाधर्म युक्तियुक्त नहीं।

तृतीय दुःखनिरोधसत्य भी विरुद्ध नहीं। क्योंकि जाति और क्लेश दोनोंका पुनः उद्भव नहीं होना तृतीय सत्यका बाध्य है। अभावभूत की संख्या से परिसंधान नहीं होता, ऐसा नहीं है। भगवान् बुद्ध ने कहा है हे मिच्छुषो ! तृतीय मार्ग, अनागतमार्ग, आकाश, निर्वाण और पुद्गल ये नाम मात्र, प्रतिज्ञामात्र

आवहारमात्र और संवृत्तिमात्र हैं। तात्पर्य यह है कि उपाय, बन्धन और बन्धन हन तीनों से यदि मोक्ष भिन्न होती उससे कुछ भी न होगा। अतएव इसे मोक्ष कहना युक्तिसंगत नहीं ॥२२०॥

आयदेव ने इस सन्दर्भ में और भी मन्थन किया है और कहा है कि निर्वाणमें स्कन्ध नहीं होते। पुद्गल की भी उत्पत्ति नहीं होती। जहाँ निर्वाण दिखाई नहीं देता वहाँ निर्वाणसे तात्पर्य क्या !

स्कन्धाः सन्ति न निर्वाणे पुद्गलस्य न सम्भवः ।

यत्र दृष्टं न निर्वाणं निर्वाणं तत्र किं भवेत् ॥२२१॥

भगवान् बुद्ध ने कहा है—“यह दुःख पूर्णतः निरवशेष हो गया है। इसे क्षय, विराग, निराश, उपशम, अस्तंगम, अयुक्तान्य सन्धिक, निरुपादान, और शान्त कहा है।” इस प्रकार “समस्त स्कन्धों का नाश, जन्म मरणका क्षय, विराग, और निरोध निर्वाण है।” इस प्रकार के आगम प्रमाण से निर्वाण में स्कन्ध ह्रांत तो पुद्गल भी होता। तब उनके होने पर निर्वाण की प्राप्ति में सूत्र-विरोध होगा और निर्वाण संसार से बाहर नहीं होगा। इस कारण उस निर्वाण में निर्वाणभूत कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए कहा है—“यत्र दृष्टं हि निर्वाणं निर्वाणं तत्र किं भवेत्।” निर्वाण का नाम निर्वास है। वह भावरूप होने का आधार है। इसका आधार निर्वाणभूत है। वह निर्वाणभूत स्कन्ध या पुद्गल है। उसके अभाव होनेपर आधार का अभाव हो जावेगा। तब उसके पक्ष में निर्वाण का स्वरूप क्या होगा ? आधारभूत अथवा आधेयभूत? आधारभूत तो हो नहीं सकता क्योंकि निर्वाण में स्कन्ध होते नहीं और पुद्गल की भी उत्पत्ति नहीं होती। स्कन्ध और पुद्गल के अभाव में जब निर्वाण होता है और कुछ प्राप्ति होती नहीं तो निर्वाण से क्या तात्पर्य ! अतएव निर्वाण आधारभूत नहीं है।

निर्वाण आधेयभूत भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें भी वही पूर्वोक्त दोषोपत्ति है। निराधार के आधेयके अभावसे निर्वाण कैसा ! निर्वाण के न होने पर नित्यत्व नहीं जाना जाता। अतएव पदार्थ नित्य नहीं हैं ॥ २२१ ॥

मुक्तभूत पुरुष की मोक्षावस्थामें ज्ञानके अस्तित्व की कल्पना करना युक्त नहीं है क्योंकि संस्कारों के दर्शन में पुरुष बुद्धि के अख्यबसाय के लिए जानता है। अग्नि में उष्णता के समान बुद्धि का स्वरूप ज्ञान है। उसका यथोपपत्तित विषयों का ज्ञान कराना स्वभाव है। प्रकृति विषयसंयोग काम से ज्ञात पुरुष



की अभेद-प्रतीति के क्रम से इन्द्रिय समूह की उत्पत्ति में पुरुष के विषय संज्ञा का कारण होती है। जब पुरुष के मन से विषय संभोग की इच्छा दूर हो जाती है, तभी संसार ( जन्म-मरण ) का उच्छेद होता है। भवहीन व्यक्ति के ज्ञान के सद्भाव का कोई तात्पर्य-लाभ नहीं। वह कोई भी पदार्थ अच्छी तरह अनुभूति में नहीं ला पाता। क्योंकि उनके हेतुफलसामक सारे विकारसमूह प्रसक्त हो चुके। इसलिए मुक्त आत्मा के मोक्ष ज्ञानयुक्त नहीं।

यदि मोक्षकाल में अज्ञान माने तो ज्ञान सद्भाव में अचिन्त स्वभाव व पुरुष की अज्ञान-रूपना बन्ध्यापुत्र की तरह स्पष्टतः अस्तित्वहीन होगी ॥२२॥ यदि मोक्ष में आत्मा रहती है तो ज्ञान-बीज की भी उत्पत्ति होगी। यदि ज्ञान बीजका अभाव माना जाय तो भव-भावना भी अस्तित्वहीन हो जावेगी ॥२२॥

दुःख से मुक्त व्यक्ति के दुःख होता नहीं। दुःख उत्पाद, निरोध धर्मः संसार-कर्म के क्लेश से उत्पन्न होता है। उसी कारण से पुद्गल बंधता है और वही आत्मा है। दुःखनिरोध होने पर उसके साथ सिद्धि-मुक्त की प्राप्ति होने से सर्वथा पश्चात् आत्मा का अभूतात्मकत्व से जो क्षय है, वही श्रेय है मुक्त आत्मा नहीं। वह आत्मा बन्ध्यापुत्र के समान बिलकुल अकारणत्व रूप स्वयं विद्यमान नहीं है और उसके स्वरूप-सद्भाव में अनित्यता के कारण अविद्यमान होने से बन्ध और मोक्ष दोनों का विशेष अभाव है और इसलिए पहले के सम संसार से निवृत्ति नहीं है। अर्थात् दुःख से मुक्त हो जाने पर निश्चय ही कुछ भी नहीं बच जाता। जो आत्मा का क्षय है, वस्तुतः वही श्रेय है, मुक्त आत्मा नहीं। विशेष रूप से विकार के होने से अनित्य है। जो अनित्य होता वह सकारण होता है। फिर दुःख-सन्तान के समान ही स्ववादत्याग जायगा। अतएव आत्मा नहीं है। अर्थात् यदि मोक्ष में भी आत्मा मानें तो पि वह नित्य और अविकारी भी है। ऐसा मानने पर बन्ध, मोक्षव्यवस्था, संसार निवृत्ति ये सभी असंगत हो जावेंगे। यदि बन्ध-मोक्ष के लिए विकारी आत्मा मानें तो विकारी न होने से अनित्यतापत्ति हो जावेगी। अतः मुक्तावस्था आत्मवाद अयुक्त है ॥ २२५ ॥

## २. आत्मप्रतिषेध

आचार्य आर्यभट्ट ने "आत्मप्रतिषेधभावनासन्दर्शनम्" नामक प्रकरण में आत्म का यथाशक्य प्रतिषेध किया है। और चन्द्रकीर्ति ने उन तर्कों को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है।

आत्मा नामक कोई पदार्थ स्वरूपतः नहीं है। यदि है तो वह नियत रूप से स्त्रीरूपसे है अथवा पुरुषरूपसे अथवा नपुंसकरूपसे ? इनके अतिरिक्त अन्य कल्पना संभव नहीं। तीर्थकों ने आत्मा दो प्रकार का माना है—अन्तरात्मा और बहिरात्मा। उनमें जो अन्तरात्मा है वह शरीर रूप धर के भीतर व्यवस्थित, शरीर तथा इन्द्रिय समूह को कार्य में प्रवृत्त कराने वाला व्यापार पुरुष, जगत् का अहङ्कार उत्पन्न करने वाला, कुशलादि कर्मफल का उपभोक्ता और अनेक भेषों को भिन्न ( नष्ट ) करने वाला है। और बहिरात्मा शरीर, इन्द्रिय समूह रूप में अन्तरात्मा का उपकारक है। आत्मा के इन दोनों भेदों में जो अन्तरात्मा है वह यदि स्त्रीरूपसे परिकल्पित किया जाय तो रूप और लिङ्ग नहीं छोड़ने के कारण जन्मान्तर में भी वह नित्य ही स्त्री रूप रहेगा। परन्तु ऐसा होता नहीं। लिंग में परिवर्तन भी होता है और स्त्रीत्वादि आत्मा के गुण भी नहीं। ये ही दोष आत्मा के पुल्लिग और नपुंसक मानने में उत्पन्न होते ॥ २२६ ॥

इस प्रकार यदि अन्तरात्मा की जो स्त्रीत्वादि की परिकल्पना है वह भ्रान्ति-मूलक है तो ये लिंग स्त्री, पुमान् और नपुंसक बहिरात्मा के माने जायें और बहिरात्मा के संयोग से ही अन्तरात्मा में भी स्त्रीत्वादि की प्रतीति की कल्पना करे। परन्तु यह युक्तियुक्त नहीं। बौद्धदर्शन में आकाश को अस्वीकार कर चार ही महाभूत माने गये हैं। जिसके दर्शन में पाँच महाभूत मान्य है, वहाँ भी देहादि के निर्माण में आकाश का योग न होने से चार महाभूत ( पृथ्वी, जल, तेज और वायु ) ही कारण-भाव को प्राप्त होते हैं। उन कारणभूत पृथिव्यादि महाभूतों में लिंग स्वरूपतः विद्यमान नहीं। यदि उनमें लिंग होते तो उनके स्वाभावानुसार समस्त देहों की लिङ्गता निश्चित हो जाती और भ्रूण में भी लिङ्गता पायी जाती। परन्तु ऐसा होता नहीं।

इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा स्वरूपतः नहीं है। यदि आत्मा स्वरूपतः होता तो वह आत्मा जैसे एक के अहंकार का आलम्बन होता है, उसी प्रकार सभी के अहङ्कार का आलम्बन होना चाहिए। लोक में अग्नि की उज्ज्वला स्वभावतः सभी के लिए होती है, अनुषण्य किसी को नहीं। उसी प्रकार आत्मा को भी सभी के के अहंकार का आधार ( विषय ) होना चाहिये, यदि आत्मा स्वरूपतः है। परन्तु ऐसा है नहीं ॥ २२७ ॥

यदि यह कहा जाय कि जब आत्मा नहीं तो अहङ्कार और आत्मस्नेह कहाँ रहेंगे तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि ये अहङ्कार और आत्मस्नेह स्वभावतः नहीं प्रत्युत

आत्मा में कल्पनामूलक हैं। जैसे ईंधन में अग्नि की कल्पना कल्पनामात्र है उसी प्रकार रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान रूप अनित्य स्कन्धों में आत्मा, सत्त्व, जीव, जन्तु आदि की परिकल्पना प्रभूतार्थ का आरोपण मात्र है। जैसे ईंधन के उपादान से अग्नि होती है उसी प्रकार स्कन्धों के उपादान से आत्मा जानी जाती है। और वह स्कन्ध दत्तों से पांच प्रकार का निकृष्ट होता हुआ स्वभावतः नहीं है। परन्तु उसकी परिकल्पना अनित्य संस्कारों में होती है।

यस्तवात्मा ममात्मा तेनात्मा नियमान्न सः ।

नन्वनित्येषु भावेषु कल्पना नाम जायते ॥ २२८ ॥

आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि के लिए पुनः तर्क प्रस्तुत किया जाता है। आत्मा स्वभावतः है क्योंकि वह प्रवृत्ति-निवृत्ति का कारण है। यदि आत्मा नहीं होता तो शुभाशुभ कर्म का कर्ता और भोक्ता कौन होता? व्यक्ति वही शुभाशुभ कर्म करके जाति, गति, योगि आदि भेद से भिन्न श्रृंखला में अपने कर्म के अनुरूप जन्म लेता है और अनन्त सुख-दुःख फलों का कारण होता है। वही अभिसंस्कर्ता है। और वही प्रत्यनुभविता है। वही अघर्म से मारा जाता है और स्पर्श किया जाता है और छोड़ा जाता है। अतएव आत्मा स्वरूपतः है।

इस संकापर अर्थार्थ प्रश्न करते हैं कि यह आत्मा जन्मान्तर परिवर्तन में दैहिक भेद के विकारों का अनुरोध करता है अथवा नहीं? यदि दैहिक भेद के विकारों का अनुरोध नहीं करता तो आत्मा की कल्पना निरर्थक है। यदि देह-भेद के विकार का अनुरोध करता है तो देह से आत्मा की अभिन्नता तथा नित्यता युक्त नहीं ( २२९ )। आत्मा के न होने पर देह की चेष्टा, संकोच, प्रसरण आदि का प्रेरक कौन होगा, यह प्रश्न भी तर्कसंगत नहीं। रथ किसी स्पर्शरहित पदार्थ से सञ्चालित नहीं किया जा सकता। वह सञ्चालन स्पर्शवान् ही कर सकता है। आत्मा भी कालके समान अप्रदेशी होने से स्पर्शवान् नहीं है। अस्पर्शवान् पदार्थ से देहकी चेष्टा आदि के कारण से आत्मा के सद्भाव का अनुमान और अस्पर्शवान् की प्रेरणा कैसे सम्भव है! प्रदेशाभाव से यह आत्मा स्पर्शवान् है नहीं। जो अप्रदेशी है उसका संयोग नहीं होता। संयोग से विरहित वस्तु की प्रेरणा नहीं होती। अतएव दैहिक चेष्टा का कर्ता होने से भी जीवन ( आत्मा ) के अस्तित्व को स्वीकार करना संभव नहीं ( २३० )

यदि यह आत्मा नित्य होता तो उसके रक्षण करने की आवश्यकता नहीं रहती और आकाश के समान अहिंसात्मक धर्मोपदेश की अपेक्षा न होती। अग्नि, वायु, जल, अन्न आदि से भी इस पर कोई भ्रम नहीं होता ( २३१ )।

आत्मा नित्य ही है क्योंकि जातिस्मरण का सद्भाग देखा जाता है। संस्कारों के उत्पन्न होने पर और बाध में क्षीय-भंग होने पर जातिस्मरण नहीं देखा गया। जन्मान्तर संस्कार जहाँ उत्पन्न होते हैं वहाँ नष्ट हो जाते हैं। वर्तमान जन्म में दूसरे ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए आत्मा अतीत काल में ऐसी हो थी, यह स्मरण नहीं होता। अर्थात् जन्मान्तर के संस्कार जिस देह में उत्पन्न होते हैं उसी में नष्ट हो जाते हैं। फिर देहान्तर में उनकी स्मृति तभी होगी जब अनुभागकर्ता आत्मा को नित्य माना जाय। अतः आत्मा नित्य है। इस तर्क के अराजक के प्रसंग में कहा गया है कि।

जात्यन्तरो में भूलादि के अघात से उत्पन्न घात होते हैं। उनसे उपलक्षित कुछ शरीर बिनष्ट हो जाते हैं और कुछ शरीर उत्पन्न हो जाते हैं। यथासमय जातिस्मरण का अनुभव होने से जिस तरह जातिस्मरण के सद्भाव को उत्पन्न करने वाले आत्मा के नित्यत्व की परिकल्पना करते हो वैसे ही शरीर की नित्यता को भी स्वीकार करना चाहिए। परन्तु स्वीकार कहाँ करते हैं? अतएव जातिस्मरण मात्र से आत्मा को नित्य नहीं माना जा सकता। अन्यथा कार्य को भी नित्य मानने का प्रसंग उपस्थित होगा।

जातिस्मरणसद्भावात्आत्मा ते यदि शाश्वतः।

कार्तै पूर्वकृत् दृष्ट्वा कायस्ते किमशाश्वतः॥२३२॥

भावार्थ पुनः पूर्वपक्ष स्थापित कर आत्मा की नित्यता का खण्डन करते हैं—यह आत्मा जातिस्मरण कैसे करता है? यदि स्वभाव से करता है तो उचित नहीं क्योंकि कल्पना करना उसका स्वभाव नहीं। सचित्त होने से यदि कल्पक माना जाय तब भी ठीक नहीं। क्योंकि स्वभाव-स्थाय का प्रसंग आयेगा ( २३३ )।

यहाँ अब करण भूत बधु भावियों की प्रवृत्तियाँ रूपादि पदार्थों पर गिरती हैं तो रूपादि का ज्ञान तद्रूप ही हो जाता है और बुद्धि द्वारा किये गये व्यवसाय से उस अर्थ को आत्मा जानता है। पदार्थ के अनुसार चैतन्य कल्पित हो जाता है। अतएव आत्मा अग्निसं स्वस्व और नित्य हुआ। क्योंकि

चैतन्य सर्वैव प्राप्त रहता है। अतएव इसका क्वचु आदि करण निष्प्रयोजन होनेसे निरर्थक हैं। ( २३४ )। जिसके दर्शन में इन्धन के अभाव में अग्नि नहीं होती और सद्भाव में होती है उसके दर्शन में इन्धनन्याययुक्त है। परन्तु जिसके दर्शन में अग्नि नित्य है उसके यहाँ इन्धनोपार्जन निरर्थक होगा। उसी प्रकार यह है। तब इस महद्वादि विकारों के समूह की प्रकृति व्यर्थ ही है। और शास्त्र निर्माणाका अम भी व्यर्थ हुआ। तात्पर्य यह है कि पुरुष (आत्मा) चैतन्य स्वरूप और नित्य है तो नेत्रादि ज्ञान के करण (साधन) इन्द्रियाँ निरर्थक हो जायगीं। परन्तु इन्द्रियाँ निरर्थक नहीं हैं। अतः आत्मा चैतन्य स्वरूप और नित्य नहीं है। ( २३५ )।

जैसे वृक्षादिक चलन क्रिया के प्रारम्भ से पूर्व की अवस्था में द्रव्य रूप से विद्यमान हैं वैसे पुरुष (आत्मा) नहीं। क्योंकि आत्मा चैतन्य रूप मात्र होनेसे चैतन्यशक्ति से पृथक् है नहीं। और द्रव्य रूप के अभाव से चैतन्य रहित होने पर भी उसका अस्तित्व है ऐसी कल्पना की नहीं जा सकती। अतएव आत्मा है परन्तु चैतन्य नहीं ऐसा मानना युक्ति संगत नहीं। और जो चैतन्य शक्ति के सद्भाव से पुरुष के अस्तित्व की कल्पना की जाती है वह भी युक्त नहीं। क्योंकि निराधार शक्ति का सद्भाव नहीं होता ( ३३६ )। यदि पुरुष चैतन्य-व्यक्ति के पूर्व चैतन्य शक्ति रूप हो तो भी ठाँक नहीं।

चैतन्य की द्वैरूप्य कल्पना में अन्यत्र पृथक्ता से चेतना की चेतनाधातु, चेतना बीज, चेतनाशक्ति आपने देखी है और चेतना शक्ति से चेतना पृथक् भी देखी है। इसलिए चेतनाधातु से प्रवर्तमान चेतना चेतना-धातु के समान देश वाली होगी। जिस प्रकार लोहा द्रवत्व को प्राप्त हुआ भी लोहे के स्थान से अभिन्न स्थान ( एक स्थान ) में रहने वाला होता है उसी प्रकार चेतना शक्ति से पुरुष अभिन्न है ऐसी अभिव्यक्ति नहीं होती। क्योंकि दोनों पुरुष और चैतन्य शक्ति अभिन्न हैं। अतः यह पुरुष शक्ति को प्राप्त होता हुआ अभिव्यक्ति को प्राप्त होता है। बीज और प्रकुर का आविर्भाव और तिरोभाव दिखाने से समानदेशता नहीं। पुरुष का भी आविर्भाव और तिरोभाव दिखाई देता है। इसलिए समानदेशता नहीं। अतः आचार्य ने लोहे के द्रवत्व का दृष्टान्त दिया है। चैतन्य शक्ति से पुरुष पृथक् नहीं है। वह शक्ति रूप से सम्पन्न व्यक्ति रूपता को प्राप्त होता है और विक्रियमरण होने से लोहे के समान आत्मा की नित्यता सिद्ध नहीं ( २२७ )।

चेतनाभासुरन्ध्र

दृश्यतेऽन्यचेतना ।

इदमिव लोहस्य विकृतिं यात्यतः पुमान् ॥२३७॥

प्रत्येक प्राणी के शरीर में आत्मा आकाश के समान व्यापक है। उसकी मनोमात्र से संयुक्त चेतना सर्वव्यापिनी चेतना नहीं होती। और मन आत्मा के परमाणु मात्र देश से संयुक्त है। उस मन से संयुक्त होकर पुरुष मन से अभिन्न देशवाले चैतन्य को प्राप्त करता है यह तर्क भी ठीक नहीं।

आकाश के समान अत्यन्त महात् इस पुरुष के मनोमात्र में चैतन्य पाया जाता है। ऐसा मानने पर पुरुष अचेतन ही है। क्योंकि परमाणु मात्र प्रदेश में चेतन का सम्बन्ध न होने से पुरुष को संचेतन कहना संभव नहीं। अतः जैसे परमाणु मात्र नमक के संयोग से गंगा जल नमक वाला है ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार आत्मा को भी मनके संयोग मात्र से चेतन नहीं कहा जा सकता। आत्मा द्रव्य है। चैतन्य गुण है। अतएव इन दोनों के परस्पर भिन्न पदार्थ होने से पुरुष अचेतन है। अतः अचेतन धर की तरह आत्मत्व की कल्पना युक्त नहीं (२३८)

आत्माको प्रत्येक प्राणी में सर्वव्यापी भी नहीं माना जा सकता। यदि मैं आकाश की तरह सर्वव्यापी हूँ तो मेरी ही आत्मा के सद्भाव से दूसरे प्राणी में भी यह मेरा है 'ऐसा अहङ्कार क्यों नहीं उत्पन्न होता? यदि ऐसा होता तो मेरा सर्वव्यापकत्व उचित होता। परन्तु अन्य प्राणियों में 'मेरा है' यह अहङ्कार उत्पन्न नहीं होता। इस मेरे पर शरीर में दूसरे आत्मा द्वारा आवरण युक्त नहीं। और न दूसरे के आत्मदेशमें मेरी आत्मा का सद्भाव है क्योंकि समस्त प्राणी एक दूसरे में व्याप्त है। और जब समान देशता है तब उसके द्वारा उसका आवरण सम्भव नहीं। तेजवावरणं नाम न तस्यैवोपपद्यते। समान देश होने से कोई भी वस्तु अपने से अपने का आवरण नहीं हो सकता। इसलिए परात्मा के भी अहङ्कार-विषय होने की प्रसक्ति होगी। परन्तु ऐसा होता नहीं अतएव आत्मा सर्वगत नहीं है। (२३९)

सांख्यवादियों के अनुसार सत्, रज और तम के तीन गुण हैं। उन तीनों गुणोंकी साम्यावस्था प्रधान और प्रसथावस्था प्रकृति है। वह त्रिगुणात्मक प्रकृति अचेतन होते हुए भी पुरुष के विहित विषयोपभोगकी उत्सुकता से पुरुष के साथ अभिन्न रूप से मिलकर समस्त विकार समूह जगत को उत्पन्न करती है। उत्पत्ति क्रम यह है—प्रकृति से महात् (बुद्धि), महात् से अहङ्कार, अहङ्कार

से पञ्च-तन्मात्रा और इन्द्रिय, पञ्चतन्मात्रा से पञ्चभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, और आकाश । इस प्रकार जिन वादियों के मत में सुष्ठों को कर्ता और भवेत्तन माना गया है उन वादियों और उन्मत्तों में कोई अन्तर नहीं । उन्मत्त वस्तुका विपरीत ज्ञान कराते हैं । सांख्यों का यह असदर्थ प्रलाप है । (२४०) । सांख्य दर्शन के सत् रज और तम गुण गृहादि का निर्माण कर सकते हैं परन्तु उनका उपभोग नहीं कर सकते । इससे अधिक अयुक्त और क्या हो सकता है (२४१) ।

जिसमें क्रिया हो उसे कर्ता कहते हैं । बिना कुछ करता हुआ निर्हेतुक कोई कर्ता नहीं होता । क्रियावान् होने पर निश्चित ही क्रिया की पूर्व अवस्था विशेष ज्ञातव्य है । पूर्वापर अवस्थाओं में निविशेष आत्मा पूर्वावस्था के समान क्रियावान् नहीं होता । और स्पर्शवान् क्रियावाला वायु, अग्नि आदि की तरह नित्य हो नहीं सकता । उसी प्रकार आत्मा की भी नित्यता सिद्ध नहीं होती । और आत्मा का क्रियावान् होना युक्त भी नहीं है । क्योंकि आत्मा व्यापक है और व्यापक से क्रिया हो नहीं सकती । इसलिए कि चलन आदि क्रिया में कर्ता पूर्व स्थान का त्याग करता है और आगे स्थान से संयोग । सर्व व्यापी आत्मा में यदि गमनादि क्रिया माने तो उसका कहीं त्याग और कहीं संयोग मानना पड़ेगा, जो संयोग-वियोग व्यापकत्व का बाधक है । अतः सर्वव्यापी आत्मा में क्रिया नहीं हो सकती । क्रिया कर्ता और कर्म दोनों के आश्रित रहती है । और वह क्रिया दो प्रकार की है ध्यापार रूपा और भावरूपा । कर्ता के आश्रित व्यापाररूपा क्रिया होती है । जैसे गमन क्रिया के आश्रित देवदत्त जाता है । और वह सर्वगत नहीं होता । क्योंकि याद के उत्खेगण व अवक्षेपण लक्षण रूप क्रिया से पूर्व देश का त्याग और अपर देश का ग्रहण होता है । इसीलिए क्रियावान् कहलाता है । यदि इसे सर्वगत मानते तो वह कहाँ जाता और कहाँ अनुपस्थित रहता । इसलिए कहा है—नास्ति सर्गगते क्रिया—सर्वव्यापी में क्रिया नहीं होती । अतएव आत्मा निष्क्रिय है । कर्माश्रिता क्रिया जो किसी बाह्य रूपके संयोग से कम्पन आदि प्रगट करती है और जो पाकादि है वह कम्पन प्रकट नहीं करती और वह भी कर्ता में स्थित व्यापारिक भाव से दोनों से सम्प्रयुक्त जानी जाना चाहिए । इसलिए कहा है—क्रियावान् नित्य नहीं है और सर्वव्यापी पदार्थ में क्रिया होती नहीं । अतएव आत्मा क्रियरहित है इसलिए भी निष्क्रियवाद और नास्तिकवाद समान है । क्योंकि निष्क्रिय पदार्थ आकाशकुसुम के समान सत नहीं है । और सर्गात् अस्त होने से आत्मा निष्क्रिय है । इसकिए यदि आत्मा नित्य नहीं है तो नेरात्म्यवाद सुद्धे

प्रिय क्यों नहीं ? समस्त भस्व दृष्टियों से निवृत्ति पाने के लिए नैरात्म्यवाद आवश्यक प्रिय होना चाहिए ।

क्रियावाञ्छाशक्तो नास्ति नास्ति सर्वमते क्रिया ।

निस्क्रियो नास्ति ता तुल्यो नैरात्म्यं किं न ते प्रियम् ॥२४२॥

यदि आत्मा अग्नि की उष्णता के समान स्वरूपतः सर्वदा उपलब्ध होता है ऐसा माना जाय तो भी ठीक नहीं । क्योंकि आत्मा का स्वरूप वादियों ने भिन्न भिन्न स्वीकार किया है । कोई प्रत्येक देह में अग्नि रूप से आत्मा की व्यापक स्वीकार करते हैं । दूर समस्त जगत की आत्मा की चन्द्र के समान एक ही मानते हैं । और उसका भेद देह के भेद से औपचारिक उसी प्रकार है जिस प्रकार तेल, घी, जल आदि पात्र-भेद से चन्द्र प्रतिबिम्ब है । वह सर्वागत है । इसलिए दृश्यते सर्वगः कश्चित्कौश्लकायमितः पुमान् 'कहा है । इसी प्रकार कोई मानने हैं कि अमर, सारस, चीटी, हस्ती आदि का आत्मा उनके शरीर बराबर है और उसका संकोच और विस्तार शरीर के अनुसार होता है । दूसरे लोग आत्मा के संकोच विस्तार को अनृचित मानने हुए उसे परमाणु मात्र ही मानते हैं । परन्तु तथागतों की उक्ति के आधार पर प्रतीत्य समुत्पाद धर्म का पूर्ण ज्ञान रखने वाले सम्यग्ज्ञानी "आत्मा नहीं है" ऐसा मानते हैं । यदि आत्मा स्वरूपतः होता तो निश्चित रूप से सत्य दर्शन वाले बुद्धों को भी आत्मा की उपलब्धि अवश्य होती । परन्तु तीर्थकों को आत्मा की उपलब्धि नहीं होती । अतएव यह फलित हुआ कि स्वभाव रूप से आत्मा नहीं है ॥२४३॥

नित्य आत्माकी बाधा कौसी और बाधा ( उपकार, अपकार आदि ) के बिना मोक्ष कैसे ? अर्थात् नित्य आत्मामें बाधा नहीं हो सकती और बाधा रहित कब मोक्ष भी कहना असंगत होगा । अतः जिसके मतमें आत्मा नित्य है उसके मत में मोक्ष की कल्पना युक्त न होगी ( २४४ )

यदि आत्मा स्वरूपतः होता तो स्वरूपतः निवृत्ति के अभाव से मोक्षावस्था में भी उस आत्मा का सद्भाव होता । उस स्थिति में नैरात्म्य चिन्तन की कल्पना युक्त नहीं । अतएव आत्म तत्त्व-ज्ञान से नियमतः निर्वाण होता है वह भी असत्य है । क्योंकि वही भी आत्मवाहक सद्भाव होता ( २४५ ) ।



सम्बन्धित धर्म से असंयुक्त, स्वरूप विशेष मात्र से अवस्थित भाव मात्रा का जो अंश प्राप्त होता है वह उसका स्वभाव है यह व्यवस्था समझनी चाहिए। क्योंकि अन्य धर्मों का मिश्रण नहीं होता। जैसे छोटे स्वर्ण में से लोहा आदि धातुके नष्ट हो जाने पर स्वर्ण पूर्णतः विद्युत् हो जाता है और यही विद्युत् स्वर्ण की यथार्थ प्रकृति है। वैसे ही मुक्ततात्मा का विद्युत् ज्ञानावस्था में ज्ञानका जो विशेष स्वरूप होता है वही उसका स्वरूप है। उससे आत्मा का योग कुछ भी नहीं होता। यदि आत्मा का योग रहे तो अहंकार होने की भी प्रसक्ति उपस्थित होगी। अतएव मोक्ष की पूर्वावस्था में भी वह उसका स्वभाव होता है यही युक्त है। इसलिए आत्मा स्वरूपतः सिद्ध नहीं ( २४६ )।

लोक में अनित्य पदार्थों के उच्छेद की कल्पना नहीं की जाती, अन्यथा सृष्टि के प्रारम्भ से जो बीज, अंकुर, वृक्ष आदि का हेतु और फलका सम्बन्ध अविच्छिन्न रूप से आज भी उपलब्ध होता है वह नहीं होता। यदि अनित्य का उच्छेद होता तो परम्परा की अप्रवृत्ति रूप विनाश होता। तो फिर ये बीजादिक आज भी क्यों उपलब्ध होते। परन्तु बीजादिक प्राप्त होते हैं। इसलिए अनित्य पदार्थ का उच्छेद नहीं होता ऐसा समझना चाहिए। यदि अनित्य वस्तुका सर्वथा उच्छेद होता है ऐसा माना जाय तो किसी भी प्राणी को मोहाविष्ट नहीं होना चाहिए।

अनित्यका उच्छेद स्वीकार करने पर अविद्या की प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए संसार विपर्यास के आवरणके बिना ही साध्य होता और समस्त लोककी अविद्याका विनाश होने से कोई भी तत्त्व अदृष्ट नहीं रहता। अतएव अनित्य वस्तुका उच्छेद नहीं होता ( २४७ )।

समस्त भावों की उत्पत्ति में कारणभूत आत्मा की नित्यता सिद्ध है। इस कारण से प्रवृत्त बीजादिकों का उच्छेद नहीं देखा जाता। ऐसा कहना भी उचित नहीं। क्योंकि हेतु प्रत्यय को जन्म देने वाले भाव नित्य नहीं रहते। और असत् का जब कोई अस्तित्व नहीं तो क्षरविषय के समान जगत्सृष्टि में वह कारण कैसे हो सकता है ? ( २४८ )।

यदि भाव आत्महेतुक हैं तो आत्मा के पृथक् होने से दूसरे भाव उत्पन्न नहीं होंगे। सूर्यकान्तमणि, इन्धन तथा सूर्य के संयोग से अग्नि उत्पन्न होती

है चन्द्रमा के समागम होने पर चन्द्रकान्तमणिके संयोगसे बलबारा बहती है । बीजादिकों से अंकुरादि उत्पन्न होते हैं । महाभूतोंसे यद्यु आदि इन्द्रिया उत्पन्न होती हैं । रूपादि भी दूसरे कारण से ही होता है । यह सब जो आत्मकर्तृक ही हैं इस रूपकी प्रवृत्ति उसी कारणसे ही उपलब्ध होती है । हेतुसे ही जगत्प्रवृत्ति हो जाती है । तब फिर आत्मकर्तृत्व-परीक्षा निरर्थक हो होगी । जब नित्यसे उत्पत्ति नहीं होती तो लोकमें जैसे हेतु-प्रत्ययोंसे उत्पन्न हुए स्वभावसे असिद्ध बीजरूप प्रतीत्यसमुत्पादसे अनित्य अंकुर उत्पन्न होता है जो स्वयं ही अव्यवस्थित, निःस्वभाव तथा प्रकृतिसून्य है वैसे ही इस दृष्टान्त द्वारा अन्य भावोंके अन्वकारसे भावूत, सूक्ष्म, हेतु-फलमें अवस्थित अरूपी वेदनादि, भीर हेतु-कर्मके क्लेशसे अतीत, भनास्रव और संस्कार निःस्वभाव हेतुसे निःस्वभावी उत्पन्न होते हैं ऐसा समझना चाहिए ।

यथा हि कृतकाद् बीजाज्जायते कृतकोऽङ्कुरः ।

अनित्येभ्यस्तथा सर्वमनित्यमेव जायते ॥ २४९ ॥

इसी प्रकार जहाँ वज्रादिके कारण संस्कारोंके सम्बन्धका उन्मूलन हो जाता उसे भी विद्युज्जन प्रतीत्यसमुत्पादज्ञानसे वारण करते हैं । भाव अर्थात् फल अंकुरादि बीजसे उत्पन्न होते हैं अतः बीजका उच्छेद नहीं होता । और जब अग्न्यादिसंयोग के समान भाव बीजादिहेतुक अंकुरादि सन्तानको उत्पन्न नहीं करते तब बीजमें उच्छेद दृष्टि होता है । परंतु सृष्टिके आरम्भसे अब तक अंकुरादि प्रवृत्ति अविच्छिन्न रूपसे देखी जा रही है । अतः बीजमें उच्छेद-दृष्टि ( अनित्यता ) समभव नहीं । यदि अंकुर रूप फलके प्रवृत्त होनेपर भी अपने स्वभावमें अवस्थित रहनेसे बीज निर्वातित नहीं होता तो बीजमें निकार न हानेसे वह नित्य हो जाता है । परन्तु ऐसा होता नहीं । अंकुर हो जानेपर बीज नष्ट हुआ दिखाई पड़ता है । यदि वह अंकुर होने पर भी नष्ट न होता तो उस बीजसे दूसरे भी अंकुर होते । परन्तु अंकुर दूसरे होते नहीं । अतः ये बीज तथा अंकुर ये दोनों अनित्य हैं और भावों का निःस्वभावत्व स्पष्ट है ( २५० ) ।

३. कालप्रतिषेध—साधारणतः सभी भारतीय दर्शन कालका अस्तित्व स्वीकार करते हैं । वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उगनिषदों में संवत्सर, सूर्य चन्द्र आदि का वर्णन अथवा उनके प्रति भक्ति का प्रदर्शन उल्लिखित है । इह-लोक, परलोक, अतीत, वर्तमान, भविष्य, क्षण, पल आदि काल के ही विभाजक तत्त्व हैं । भीमांसक और वैशेषिक काल और आकाश के सामान्यतः चार

सबसे मानते हैं— सूक्ष्मत्व, विस्तृतत्व, नित्यत्व और एकरूप । जैन दर्शन काल को अनर्वास्तिकात्मिक द्रव्य मानते हैं । सांख्य काल को उपाधि मात्र मानते हैं फिर भी उसे शाश्वत प्रकृति का एक गुण विशेष माना है । बौद्धधर्म ने कालको बिलकुल धरवीकार कर दिया ।

प्राचीन बौद्धधर्म में उपनिषदों के समान केवल रूप को ही अनित्य माना जाता था और चित्त, विज्ञान जैसे अन्य सूक्ष्म धर्म इस अनित्यता के परे थे । काल से धीमाधिक द्रव्यों की उत्पत्ति हीती है । इस कल्पना का समर्थन बौद्ध साहित्य से भी होता है । महाभाषा में किसी मिथ्यादृष्टि के अनुसार काल को नित्य और संस्कृत पदार्थ को अनित्य माना गया है । अभिधर्मकोश में एक ऐसे त्रैकाल्यवाद का स्वरूप मिलता है जिसमें भविष्य में उत्पन्न होने वाले कार्य का वर्तमानीकरण देवान्तर कर्षण से होता है । संबन्ध के न्यायानुसार ग्रन्थ में प्रतिपक्षी के एक अन्य मत का उल्लेख है जो त्रैकाल्यवाद को नहीं मानता ।

वैभाषिक में रूप और चित्त को अनित्य माना है । वहां ७५ धर्मों में काल को कोई स्थान नहीं दिया गया । अप्रत्यक्ष रूप से इसका ताद.त्म्य समुत्पत्तु से अवश्य किया जा सकता है । इसमें धीमाधिक काल, जाति, जरा, स्थिति एवं अनित्यता रूप संस्कृत लक्षण त्रिकालात्मक है । उत्तरकाल में मात्र एक विभु संस्कृत द्रव्य रह गया जिसमें धर्म भवस्थित हैं । धर्म स्वलक्षणवान, होता है और यही उसकी स्वक्रिया ( वृत्ति कारित्र, और स्वभाव ) हैं । कारित्र्य का समाप्ति क्षण वर्तमान है, अनभिव्यक्त काल भविष्यत है, और व्यक्त काल भूत है । वास्तविक कारित्र्य तां वह हैं जो भविष्यत धर्मों को अपनी स्वक्रिया अभिव्यक्त करने के लिए विवश करे । हीनयान अभिधर्म में इसके ६ प्रकार हैं— सहसू, समनन्तर, सभाग, सर्वमग, विपाक और अधिपति । इनमें धर्म का कारित्र्य स्वकारित्र नहीं, परन्तु उसका हेतु भावावस्थान उसका फलोत्पादन सागर्भ्य हो जाता है । अभिधर्मकोश ( २. पृ० २६३ ) में यह कहा गया है कि धर्म चाहे भविष्यत, वर्तमान अथवा भूत हो, सदैव रहता है । यह उस क्षण में फलग्रहण या फलाक्षेप करता है जिस क्षण में वर्तमान होकर यह एक फल का हेतु अथवा बीज होता है । कारित्र और स्वभाव का सम्बन्ध न भिन्न है और न अभिन्न । वह तो अनिर्वचनीय है । सौमन्तिकों ने इस सिद्धान्त का उपहास करते हुए इसे देवविशेष्यित कहा है ( अभिधर्म-कोश, ५-५७ ) परन्तु संबन्ध ने इसका प्रतिवाच करते हुए कहा है कि इस स्थिति

में फिर कुछ को भी उपहास का पात्र बनाना पड़ेगा 'क्योंकि वे लोकेतर हैं भी और नहीं भी हैं। अर्थात् वैभाषिक भेदासेही हैं।'<sup>१</sup>

सौत्रान्तिकों के अनुसार भूत भी अविस्थित काल का अस्तित्व निरान्त काल्पनिक एवं आभासबिहीन है। उनकी दृष्टि में वर्तमान काल की सत्ता कवस्य वास्तविक कही जा सकती है। सर्वास्तिवाद में फल, विषय आदि के के कारण त्रिकाल का अस्तित्व माना गया है।<sup>२</sup>

आर्यदेव ने ऋतुःशतक में कालवाद के तर्क उपस्थित किये हैं। जिनमें प्रमुख हैं—संसार की उत्पत्ति और लय का कारण एवं बीजादि हेतु का जगत की प्रवृत्ति में फलरूप में परिणामन। इन तर्कों का उत्तर देकर उन्होंने काल के अस्तित्व का खण्डन किया है। उनका कहना है कि यदि काल को नित्य माना जाय तो अंकुरादि की उत्पत्ति सर्वैव होनी चाहिए। कालको फलात्मक हेतु भी नहीं माना जा सकता, अन्यथा अग्नि से दग्ध बीज में अहङ्कुर ( फल ) की फलवत्ता प्रसक्त हो जावेगी। काल विभिन्न जगत का कारण होता तो उससे नियत पूर्वविस्थावर्ती नाना रूप विकार से कार्य की उत्पत्ति होनी चाहिए पर होती नहीं। काल को नित्यता स्वीकार करने पर हेतु भाव परिकल्पना भी व्यर्थ हो जाती है। इसके अतिरिक्त काल के प्रतिषेध में एक यह भी कारण है कि नित्य पदार्थ से नित्य पदार्थ की ही उत्पत्ति होनी चाहिए पर उससे जगत रूप अनित्य पदार्थ की उत्पत्ति होती है। अतः यह सिद्ध है कि काल का अस्तित्व नहीं है।<sup>३</sup>

आर्यदेव ने काल का प्रतिषेध करने के लिए एक पृथक् अध्याय लिखा है जिसका सारांश इस प्रकार है—

कालवादियोंके पूर्वपक्ष के सन्दर्भ में आर्यदेव ने कहा है कि काल का सद्भाव स्पष्टतः सिद्ध है। संसार में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, बीज आदि कारणों-के रहने पर भी कदाचित् पुष्प और अंकुर आदि की उत्पत्ति और नाश होता है। अतः काल नाम का पदार्थ सिद्ध होता है। और वह क्षण, पल, मुहुर्त आदि

१. बौद्धधर्मदर्शन, पृ० ५७४-८

२. अष्टाङ्गहस्तौ तदुक्तं इत्यात् सद्बिषयात् फलात् तदस्तिवादात् सर्वास्तिवादी  
अतः—अनिकर्म कोष, ४-३५

३. ऋतुःशतक, २०७-२१२

से अकिञ्चक होता है। अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न इन तीनों कालोंमें व्यवस्थित रहता है और भाव से भिन्न हैं। अतः नित्य है। कालवादियों की इस भाग्यता का खण्डन करते हुए अचार्य आर्यदेव ने कहा है कि यदि काल भाव ( पदार्थ ) से भिन्न और ज्ञान से सिद्ध हो तो वह उत्पाद और भङ्ग का कारण होगा। परन्तु ऐसा है नहीं। भाव से भिन्न होनेके कारण उसके ग्रहण करनेका प्रसंग उपस्थित होगा।

जो तीनों काल कालके स्वभाव विशेषसे अवस्थित हैं वे भी अपूर्त होनेसे स्वरूपतः निर्णय करनेमें असमर्थ होते हैं और स्वभावतः व्यवस्था करनेमें समर्थ नहीं होते। घटादि द्वारा उनकी व्यवस्था करना संभव है। वे काल तो पदार्थसे भिन्न स्वरूप वाले हैं, वेदनादिके समान अनुभवाकार हैं और रूप, शब्द आदिके समान इन्द्रिय द्वारा नहीं जाते जाते। अतएव घटादि द्वारा ही वे विशेष रूपसे ज्ञातव्य हैं। इस प्रकार तीनों कालोंका निषेध करनेसे कालका प्रतिषेध स्पष्टतः हो जाता है। आर्यदेव और चन्द्रकीर्ति ने इस कथन को घट के उदाहरण के माध्यम से समझाया है। उन्होंने कहा है कि—

जो अनागत घट है उसमें न वर्तमान घट है और न अतीत घट। लक्षणके भेदसे परस्परमें यह असंभव है। इस प्रकार जब अनागत घटमें वर्तमान और अतीत दोनों घट विद्यमान नहीं हैं तब वर्तमान और अतीत दोनों भी अनागत होनेके कारण अनागतमें अनागत कहलाये। जिस प्रकार अनागत वर्तमानमें अनागत होनेके कारण अनागत है उसी प्रकार वर्तमान और अतीत दोनों भी अनागत होनेके कारण अनागतमें अनागत हुए। यदि वर्तमानमें अनागतत्व होनेके कारण अनागत ने अनागतत्व से अनागत नहीं ऐसा कहा तो भी युक्त नहीं। अनागतको सिद्ध होनेपर वर्तमान और अतीत दोनोंकी सिद्धि होगी। यदि अनागत ही सिद्ध नहीं तो अतीत और प्रत्युत्पन्न ( वर्तमान ) की सिद्धि कैसे हो सकेगी। इसी अभिप्रायसे अनागतका अभाव प्रतिपादन करनेकी इच्छासे आचार्य ने कहा है—“यस्मादनागतो तौ द्वौ नास्ति तस्मादनागतः।” जब दोनों अनागत हुए तो तीनों भी अनागत होंगे ही। तीनोंके अनागतत्व होने पर अतीत और प्रत्युत्पन्न दोनों के असम्भ होने से अनागतत्वसे अनागतकी व्यवस्था कैसे संभव है। अतएव अनागत काल नहीं है।

अनागते घटे वर्तमानोऽतीतश्च नो घटः।

यस्मादनागतो तौ द्वौ नास्ति तस्मादनागतः ॥२५१॥

यदि अतीतत्व और अनागतत्व ये दोनों स्वभाव अनागत घटमें विद्यमान हैं तो अतीतत्व युक्त नहीं क्योंकि अनागत स्वभावके समान अनागतका सद्भाव भी

सिद्ध हो जायगा । अतएव अनागत अतीत नहीं हो सकता । अतीत के सिद्ध न होने से अनागत भी सिद्ध न हो सकेगा ( २५२ ) ।

तथा, जो अनागत भाव है वह सत् है या असत् । अनागत स्वभाव के होने पर सत् होगा नहीं, यह ऊपर कहा जा चुका है । जैसे ही अनागत भी न होगा । जिसका जो स्वभाव रहता है उसकी स्थिति तदान्मक और वर्तमान रहती है । नीलात्मकत्व के सद्भाव से ही नीम वर्तमान [ विद्यमान ] है, पीतात्मकत्व के कारण नहीं । उसी प्रकार अनागत भी अनागतत्वभाव से वर्तमान में ही रहता है, अनागत में नहीं । जब अनागत सिद्ध नहीं होगा तो इसी के आश्रित सिद्ध होनेवाला न वर्तमान ही है और न अतीत ही है । इस इस प्रकार तीनों कालों का सद्भाव सिद्ध नहीं होता ( २५३ ) ।

जो अतीतकाल है वह अतीत स्वरूप से अतीत है या अनतीत स्वरूप से । अतीत स्वरूप से अतीत हो नहीं सकता अन्यथा वह अतीत नहीं कहला पावेगा अतिक्रान्त व्यापार का ही नाम अतीत है । जो इस समय है वह अतीत अतिक्रान्त कैसे कहा जायगा । जैसे दुग्ध भाव से अतीत दही दुग्ध नहीं हो सकता और बालभाव से अतीत युवा बाल नहीं हो सकता । इसी प्रकार अतीतकाल से उत्पन्न होनेवाला अतीत अतीत नहीं कहा जा सकता ( २५४ ) । उक्त दोष को वारण करने के लिए यदि यह कहा जाय कि अतीतकाल उसे कहते हैं जो अतीत से अनतीत हो तो ऐसा मानने में भी अतीतकाल से उत्पन्न होनेवाला अनतीत अतीत वा उलंघन नहीं करता । इस प्रकार जो अतीत के व्यापार से शून्य होगा वह अतीत कैसे कहा जा सकता है ! अतएव अतीतकाल का अस्तित्व सम्भव नहीं और जब अतीतकाल नहीं है तो उससे अनर्पणित अनतीत (वर्तमान, भविष्यत्) भी नहीं है । इस प्रकार स्वरूपतः तीनों काल नहीं हैं ।

स्यादतीतादतीतश्चेदतीतो जायते कुतः ।

अतीतादनतीतश्चेदतीतो जायते कुतः ॥२५५॥

जो वैभाषिक सर्वकाल के सद्भाव को कहने के लिए सर्वास्तिवाद की ही प्रशंसा करता है उसके दृष्टिकोण के पुनर्परीक्षण के सन्दर्भ में प्रश्न है कि जिस अनागत अर्थ के अस्तित्व की कल्पना की जाती है, उसकी कल्पना उत्पन्न होने पर की जाती है अथवा अनुत्पन्न होने पर । यदि अनागत भाव भी उत्पन्न है तो वह उत्पन्न होने से वर्तमान होगा, अनागत कैसे ! यदि अनागत भाव अजात (अनुत्पन्न) है तो अनागत भी दुग्धा और विद्यमान भी । तब निर्वाण की तरह इसको भी अनिश्च मानना पड़ेगा । ( २५६ )

यद्यपि अनागत अल्पव्यय है तथापि वह अस्तित्व के समान अविनाशी है हेतु और प्रत्ययों से अनागतीय अनागतत्व के नश हो जाने से वर्तमानता न जाती है। इस तरह अनागत अनित्य है (२५७)।

जो यह वर्तमान पदार्थ है वह अनित्य ही है। क्योंकि स्वभावतः अस्तित्व रहने से वर्तमानत्व के सम्बन्ध से वर्तमान कहा जाता है और जिसकी अनित्यता है वह वर्तमान में अभाव के कारण विद्यमान ही नहीं होता। इस प्रकार वर्तमानत्व के साथ वर्तमानत्वाभाव भी मानना पड़ेगा। परन्तु एक पदार्थ : सद्भाव और असद्भाव ये दोनों विरोधी तत्व रह नहीं सकते। इसलिए वर्तमान अतीत नहीं है, नित्य है। इसी प्रकार अतीतकाल की भी अनित्यता सम्भव नहीं। क्योंकि जो विनष्ट हो जाता है उसे अतीत कहते हैं। तब तं अतीत के अनित्य मानने पर विनष्ट का पुनः विनाश मानना पड़ेगा जो अयुक्त और निष्प्रयोजन है। इससे आश्रयाभाव और अनवस्था दोष भी आ जाते हैं। अतः वर्तमान और अतीत ये दोनों नित्य हैं। इसके अतिरिक्त उसकी तीसरी गति भी नहीं होती। यदि वर्तमान और अतीत इन दोनों से अन्य अनागत को अनित्य मानें तो यह भी युक्त नहीं क्योंकि उत्पन्न हुआ वर्तमान और अतीत अनित्य है। जब वे अनित्य सिद्ध नहीं हो सके तो उत्पत्ति रहित आकाशादि की तरह अनागत की अनित्यता तो अत्यन्त असंगत होगी। आश्रयाभाव और अनवस्था दोष से विनष्ट वस्तु की पुनरुत्पत्ति संभव नहीं। अतः जैसे नित्य आकाश में अनित्य वर्तमान और अतीत की कल्पना निरर्थक है वैसे ही स्वभाववादी की काल के अतीत वर्तमान और अनागत की कल्पना भी असंगत है (२५८)।

अनागत भाव का अस्तित्व है। तन्तु में पट, कपाल में घट, बीज में अंकुर आदि अनागत भाव पहले से विद्यमान रहते हैं और वे हेतु-प्रत्यय-सामग्रियों के पश्चात् उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जो पहले से जिसमें विद्यमान नहीं रहते वे पीछे भी उत्पन्न नहीं होते। जैसे कन्या स्त्री को पुत्र उत्पन्न नहीं होता। अतएव जन्म देखने से अनागत भावों का अस्तित्व ज्ञात होता है। ऐसा कल्पना पर आर्यदेव ने कहा है कि

यः पश्चाज्जायते भावः स पूर्वं विद्यते यदि  
त मिथ्या जायते पक्षस्तस्माभिनयतिवाचिनाम् ॥२५९॥

उत्पत्ति से पूर्व अवस्थित जो भाव हेतु-प्रत्ययों से पीछे उत्पन्न होता है। उसका यदि उत्पत्ति से पूर्व स्वरूपतः अस्तित्व है ऐसा माना जाय तो अनगत का

बर्तान करनेवाले नियतिवादियों का प्रतिनिधित्व स्वभाव, निर्हेतुक, पुस्वकार-  
शून्य, उपपत्तिरहित पक्ष मिथ्या नहीं होना अर्थात् अनागत भाव के यथार्थ  
मानने पर नियतिवाद पक्ष भी यथार्थ हो जायगा। यदि नियतिवाद पक्ष सत्य  
माना जाय तो इसमें दृष्टादृष्ट विरोध आता है। और जगत के पुस्वार्थ की  
भी कोई अपेक्षा नहीं रहती तथा प्रतीत्य समुत्पाद का अभाव हो जाता है।  
उसके अभाव होने पर अरविषाण के समान समस्त जगत अप्राप्त हो जावेगा।  
अतएव नियतिवाद अयुक्त है। इसलिए अतागतसद्भाववाद भी अयुक्त  
है (२५४)।

जिस पदार्थ का हेतु-प्रत्ययों से उत्पादन किया जाता है वह जन्म के पूर्व है  
ऐसा मानना युक्त नहीं। यदि उसका अस्तित्व होता तो विद्यमान ( सत् )  
वस्तु का पुनरुत्पादन होता। परन्तु सत् का पुनरुत्पादन होता नहीं क्योंकि ऐसा  
मानना निष्प्रयोजक है ( २६० )। यदि अनागत नहीं मानेंगे तो अनागत पदार्थों  
का अवलम्बन करनेवाला योगियों का प्रणिबिज्ञान भी यथार्थ न होगा। परन्तु  
योगियों का ज्ञान यथार्थ है क्योंकि उनकी भविष्यवाणी यथार्थ ( सत्य ) रहती  
है। असत् ब्रह्मापुत्रादि में यह संभव नहीं। अतएव अनागत यथार्थ है। ऐसी  
कल्पना किये जान पर अर्थात् आर्यदेव ने कहा है कि—

दृश्यतेऽनागतो भावः केनाभावो न दृश्यते ।

विद्यतेऽनारातं यस्य दूरं तस्य न विद्यते ( २६१ )

उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था में अनागत पदार्थ नहीं है। यदि अविद्यमान  
पदार्थ योगियों द्वारा देखा जाता है तो ब्रह्मापुत्रादि भी देखे जाने चाहिए।  
परन्तु अविद्यमान पदार्थ तो योगियों द्वारा देखे जाते हैं, ब्रह्मापुत्रादि नहीं।  
स्वभावतः दोनों असत् हैं। उनमें एक दिखाई देता है, दूसरा नहीं, ऐसा कहना  
युक्तसंगत नहीं। जिसके मत में अनागत पदार्थ स्वरूपतः है उसके मन में वह  
दूर नहीं होगा। परन्तु दूर होता अवश्य है। ये दूरधर्म अतीत और अनागत  
है। अन्तिम धर्म है—प्रत्युत्पन्न पदार्थ। इस प्रकार अनागत धर्म उससे दूर हुआ  
जो अयुक्त है क्योंकि जिसके मत में अनागत भी विद्यमान ही है उसके लिए  
अनागत दूर नहीं हो सकता ( २६१ )।

जिसके लिए काय, बचन और मनका संयम है वह आनादि धर्म यदि अकृत  
( निश्च ) ही है तो उसकी प्राप्ति के लिए यम, नियमादिक अम व्यर्थ होंगे।  
उस अम के बिना भी धर्म की प्राप्ति संभव, होने लयेगी। अतः धर्म की निस्पता



होते हुए भी नियम से धर्म की कुछ विशेषता सम्पादन करते हैं। वही अंश पहले अविद्यमान होने से पीछे किये जाते हैं। इस प्रकार अनागत प्रयुक्त है ( २६२ )।

अनित्यत्ववाद और सत्कार्यवाद इन दोनों के परस्पर विरोधी हो एक वस्तु में दोनों कैसे सम्भव हैं ? इस आशंका पर अचार्य कहते 'आद्यन्ती यस्य विद्येते तल्लोकेऽनित्यमुच्यते' । अर्थात् अनित्य जिसका आदि और अन्त दोनों हों। जिसके पूर्व भावान्तर नहीं वह लोक है और जिसके पश्चात् भावान्तर नहीं वह अन्त लोक है, अनित्य है। पदार्थ का आदि और अन्त दोनों हैं वह लोक है; अनित्य है। इ अद्यन्त के सम्भाव से लोकको नित्य नहीं कहा जा सकता। और नः सत्कार्यवाद भी कहा जा सकता है ( २६३ )।

यदि अनागत नहीं है तो अनागामि क्लेश और जन्म के अभाव से प्रयत्न के ही मोक्ष हो जायेगा। आर्य मार्ग के फल से मुक्तों के अनागत जन्म न होने के कारण अनागत न होगा। जैसे अनागत के बिना युक्त प्रयत्न सिद्ध हो जाता है उसी प्रकार इस अनागतफलाभाववाद में प्रयत्न के मोक्ष प्राप्त हो जायगा। परन्तु होता नहीं। अतएव असत्कार्यवाद युक्त अनागत के मानने में केवल मुक्ति-प्राप्ति में ही दोष नहीं आया हमारे अहेतुक उत्पाद भी होने लगेंगे। ऐसी स्थिति में यह भी कह सकता है कि लोहित वर्ण के बिना लोहित वर्ण की उत्पत्ति होती यदि लोहित वर्ण के बिना लोहित वर्ण की उत्पत्ति मानी जाय तो अहेतुक ही होगी। परन्तु अहेतुक उत्पत्ति होती नहीं। यदि ऐसी सम्मानें तो अर्हत् में भी रागका प्रसंग मानना पड़ेगा। अतएव अहेतुक सम्भव नहीं। जब अहेतुक उत्पाद नहीं होगा तो अनागतका भी न होना ही है ( २६४ )।

सांख्य और वैशेषिक ये दोनों दर्शन सत्कार्यवादी ही हैं। सांख्य व जो सत् है वही है, जो असत् हैं वह नहीं ही है। असत् की उत्पत्ति नहीं और सत्का विनाश नहीं होता। असत् कारणसे, उपादान-ग्रहणसे और शक्य-कारण आदि होनेसे सत् ही कार्य होता है। यदि असत्कार्यवाद जायगा तो सभी पदार्थोंसे सभी पदार्थोंकी उत्पत्ति होनी चाहिए, परन्तु नहीं। अतएव सत् ही कार्य होता है। वैशेषिक दर्शन भी स्वभावतः उत्पत्ति होनेसे उत्पत्तिके भयसे तीनों कालोंमें सत्की ही कल्पना करता है। वैशेषिक

सौत्रान्तिक और विज्ञानवादी असत्कार्यवादी हैं। सत् कार्यकी उत्पत्तिके निरोध होनेसे असत् ही कार्य उत्पन्न होते हैं ऐसा मानते हैं। अतएव सत्कार्यवाधियों और असत्कार्यवाधियोंमें सत्कार्यवादीके मनमें बटके लिए जो स्तम्भधार, कपाट आदिका बन्दर, पक्षी आदिकी रचना रूप भ्रलंकार युक्त नहीं है। क्योंकि वह भ्रलंकार रूप कार्य तो गृहमें सत्कार्यवादीके मनमें पहलेसे ही विद्यमान है। अन्यथा भ्रमत्कार्यवादका प्रसंग उपस्थित हो जाता है।

भ्रमत्कार्यवादी के मन में भी स्तम्भादि भ्रलंकार निरर्थक होंगे। क्योंकि भ्रलंकार रूप कार्य तो असत्कार्यवादी के मत में असत् है। जैसे असत् होने से बन्ध्यापुत्र किसी के द्वारा भी पैदा नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार गृह के लिए स्तम्भादि भ्रलंकार को असत्कार्य वाद के भी मत में कोई पैदा नहीं कर सकता।

स्तम्भादीनामलङ्कारो गृहस्यार्थे निरर्थकः।

सत्कार्यं मेव यस्येष्टं यस्यासत्कार्यमेव च ॥२६५॥

यदि अनागत धर्म का परिणाम वर्तमान माना जाय तो इस स्थिति में दो अवस्थायें सम्भव हैं—स्वरूप के विनाश से कल्पना की जाय अथवा स्वरूप स्थिति से। यदि स्वरूप के विनाश से परिणाम मानें तो एक नष्ट होगा और दूसरा उत्पन्न होगा। इस प्रकार परिणाम से उत्पत्ति और विनाश दोनों होंगे। स्थिति से परिणाम माना जाय तो एक द्रव्य का दूसरे धर्म में वृत्ति का उदय होने से धर्मान्तर का उद्भव होगा न कि परिणाम का। यही हमारा परिणाम है। इसी को स्पष्ट करते हैं। जैसे गोरस द्रव्य में रहने वाले धर्मान्तर दुग्धभाव की निवृत्ति और दधिभाव की उत्पत्ति परिणाम है। उसी प्रकार सत, रज, तम इन तीनों गुणों की अनागतावस्था को निवृत्त और वर्तमान अवस्था की उत्पत्ति ही परिणाम है। परन्तु इस परिणाम के अस्तित्व की स्थापना करना सम्भव नहीं है। क्योंकि लोक को अनागत आदि तीनों गुणों के अस्तित्व का तो ज्ञान है परन्तु परिणाम का नहीं। दधि दुग्ध का विकार है ऐसा कहना सम्भव नहीं क्योंकि दुग्धावस्था में ही दुग्ध में दुग्धत्व है, दुग्धावस्था में ही वर्तमान दुग्ध दधि-भावको प्राप्त नहीं होता। यदि दुग्ध ही दधि भाव में हो जाता तो दुग्ध ही दधि हो जायगा। परन्तु यह उचित नहीं। अतएव यह दुग्ध का दधिभाव नहीं है। जब दुग्ध का दधिभाव होता तो अन्य किसी का भी हो जाता। अतएव परिणाम नहीं है। दधि में दुग्धावस्था से भिन्न गोरस द्रव्य मात्र की कुछ भी उपलब्धि नहीं होती। इसलिए आचार्य ने कहा है तथापि वर्तमानोऽस्ति कल्पयन्त्यविचक्षणा (२६६)।

संसार में एक क्षण में उत्पत्ति और भङ्ग वाले पदार्थों की किसी भी प्रकार की स्थिति नहीं है। स्थिति के अभाव से काल का हेतुभाव नहीं है। इसलिए पदार्थों के नित्य न होने से भाव रूप संसार की स्थिति सम्भव नहीं। यदि स्थिति होती तो फिर जीर्णता नहीं आती। क्योंकि जरा जीर्णता स्थिति के विरुद्ध होती है। अन्त की जीर्णता को टटाने के लिए ही स्थिति का अभाव समझना चाहिए ( २६७ )।

यदि भाव की स्थिति होती तो भाव क्रम से अनेक विज्ञानों द्वारा ज्ञेय होते इसकी सम्भावना भी नहीं। क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय दोनों क्षणिक होते हैं। जो एक से ग्रहण ( जाना ) किया जाय वह दूसरे से ग्रहण नहीं किया जा सकता। अतएव भाव स्थितिमान् नहीं है। स्थिति के न होने से न भाव ही सिद्ध है और न काल ही ( २६८ )।

यदि पदार्थ से अनित्यता पृथक् ही है तो अनित्यत्व के लक्षण-भेद से पदार्थ नित्य हो जाता है। परन्तु भावपदार्थ नित्य नहीं है। अतएव अनित्यत्व का अन्यत्व भाव युक्तिसंगत नहीं। यदि अनित्यत्व भाव त एक है तो भी वह भाव एकत्व से पृथक् रह नहीं सकता और जो अनित्यत्व है, वह भाव में ही रहता है। इसलिए अनित्यत्वात्मक होने के कारण पदार्थ की स्थिति सदैव संभव नहीं। इसलिए भाव की स्थिति नहीं है। स्थिति के अभाव से अनित्यत्व नहीं। स्थिति और अनित्यत्व इन दोनों के अभाव से पदार्थ नहीं है और पदार्थ के न रहने से काल भी न नहीं होगा ( २७० )।

यदि स्थितिकाल में अनित्यता दुर्बल है तो धर्मकी समानता होने पर वह स्थिति किसके द्वारा नष्ट की जायगी ? उसके बाद बलवत्ता कैसे प्रायगी। अर्थात् नहीं आ सकती। अतएव स्थिति पहले ही अथवा पश्चात् ही बलवान नहीं होगी। इसलिए पदार्थ नित्य अथवा स्थितिहीन होगा। परन्तु यह युक्त नहीं। अतएव भाव की स्थिति नहीं है ( २७१ )।

यदि अनित्यता दुर्बल नहीं होती, बलवती होती तो सभी पदार्थों में रहती। यह वह पदार्थों के एकांश में व्याप्त होकर रहे तो सभी में भी नहीं रहेगी। जब सभी पदार्थों में वह अनित्यता नहीं रहेगी तो सभी पदार्थ अनित्य भी न होंगे। जहाँ स्थिति बलवती होगी वहाँ कोई अंश नित्य होगा और जहाँ अनित्यता बलवती होगी वहाँ कोई अंश अनित्य होगा। इस प्रकार न सभी अनित्य होंगे और न सभी नित्य होंगे ( २७२ )।

यदि अनित्यता लक्ष्य के साथ नित्य रूप से सम्बद्ध है तो स्थिति नित्य नहीं होगी क्योंकि लक्ष्य और लक्षण व्यभिचरित नहीं होते । यदि अनित्यता नित्यता नित्य रूप से सम्बद्ध नहीं है तो स्थिति नित्य होगी क्योंकि अनित्यत्व का वही अनुबन्धन हो जाता है । यदि स्थिति की नित्यता की रक्षा के लिए अनित्यता को लक्ष्य के साथ उत्पन्न न मानकर पश्चात् काल में माने तो भाव पहले नित्य होकर पश्चात् अनित्य होगा । इस प्रकार एक ही भाव को नित्य और अनित्य दोनों मानना पड़ेगा, परन्तु यह युक्त नहीं ( २७३ ) ।

यदि उस पदार्थ का अस्तित्व है तो उसकी अनित्यता असत्य होगी और यदि वह नष्ट होता है तो उसका अस्तित्व असत्य होगा । अर्थात् स्थिति को मानना युक्त नहीं । और उसकी स्थिति के न होने से पदार्थ भी नहीं होगा । पदार्थ के न होने से उसके अस्तित्व रहनेवाला काल भी स्वभावतः सिद्ध नहीं होगा ( २७४ ) । काल अतीत संस्कारों की स्मृति का कारण है यह भी ठीक नहीं क्योंकि वर्तमान में स्थित पदार्थ का जो स्वरूप माक्षात् करने वाले पुरुष के वर्तमान ज्ञान द्वारा देखा गया है वह पुनः वर्तमान ज्ञान का विषय नहीं हो सकता क्योंकि एक पदार्थ का दो विज्ञानों द्वारा ज्ञेय होना पहले ही निषिद्ध कर दिया गया है । इसी न्याय से देखा हुआ पदार्थ पुनः नहीं देखा जाता । अतएव तद्विषयक स्मृति भी पुनः नहीं होती ।

इसलिए स्मृति का भालम्बन अतीत भाव हुआ न कि वर्तमान । वह अतीत भाव यदि स्वरूपतः हाता तो वह स्मृति विद्यमान भाव का भालम्बन करने के कारण स्वरूपतः सिद्ध होनी । परन्तु जब वह अतीत भाव स्वरूपतः नहीं है तब उसका भालम्बन करनेवाली स्मृति भी नहीं है । अतः वह स्मृति मिथ्या है । मिथ्या इस स्वभाव से अभाव और प्रतीत्यसमुत्पाद में कोई अन्तर नहीं । भाव और अभाव दोनों पदार्थ मिथ्या नहीं हैं । अतीत पदार्थ भी सर्वथा है नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका स्मरण होता है और फल भी देखा जाता है । स्वरूप से होने पर भी वह नहीं है । नित्यत्व का प्रसंग होने पर वस्तुग्रहण का भी प्रसंग उपस्थित होगा । उस प्रकार के भाव से स्मृति भी वैसी ही होगी । अतः वह स्मृति भी मिथ्या है उसी तरह जिस तर स्वप्नावस्था में देखे गये अनुभव विषयक स्वप्नों की स्मृति जाग्रत अवस्था में मिथ्या होती है ।

न दृष्टो दृश्यते भावश्चित्तं न जायते पुनः ।

तेन मिथ्या स्मृतिर्नामाधोऽस्या मिथ्यैव जायते ( २७५ ) ।

**दृष्टिप्रतिषेध**—सभी पदार्थ प्रत्यक्षज्ञानगम्य नहीं होते । कुछ (परोक्ष पदार्थ) अनुमानगम्य भी होते हैं । स्वभावशून्यता के विषय में दृष्टान्त के होने से अनुमान भी कर सकते हैं : यहाँ सर्वत्याग का उपाय सर्वधर्म स्वभाव शून्यता है । उस सर्वधर्मस्वभावशून्यताको कोई विपरीत नहीं कर सकता । प्रीर यह सर्वधर्मस्वभावशून्यता सूक्ष्म भी है । क्योंकि सभी के समीप सर्वदा होते हुए भी वह सभी के समक्ष नहीं है । युक्तियों द्वारा सर्वधर्मस्वभावता का खण्डन करके निःस्वभावता का प्रतिपादन किया गया है । यही निश्चय करना चाहिए । निश्चय करने में दो विकल्प उठ सकते हैं—यह ऐसा ही है या अन्यथा । यदि अनिश्चय का कोई कारण है तो उसे उपस्थित कीजिए । यदि नहीं हैं तो उक्त प्रकार से खण्डन हो ही चुका । और थोड़ा भी अनिश्चय का कारण कहना संभव नहीं, ऐसा इसी दृष्टान्त से सिद्ध है । अतः यदि बुद्धोक्त उपदेशों की सत्यता में कुछ सन्देह है तो शून्यता के उपदेश की सत्यता से ही अन्य उपदेशों की भी सत्यता का निश्चय कर लेना चाहिए । इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों में कहीं भी सन्देह नहीं रहता (२८०) ।

शास्त्रसंकेत को न जानने वाले गोपालक आदि सैकड़ों बार उपदिष्ट होने पर भी शून्यता के ज्ञान में उनका प्रवेश नहीं हुआ । इसीलिए उन्हें भय होता है । शून्यता का ज्ञान होने पर ही परिश्रुतों का भय सर्वथा दूर हो जाता है । क्योंकि भय के कारण अहंकार और ममता के अभिनिवेश शून्यता के ज्ञान से उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह रस्सी में सर्पका विपरीत ज्ञान होने के बाद रस्सी के देखने पर सर्प का भय दूर हो जाता है । परन्तु जो अल्पज्ञानी है उसे नियम में ही होता है ॥२८३॥

संसार में प्रवृत्ति कराने में अनुकूल धर्म प्रवर्तक कहलाता है और अज्ञानियों का अभ्यास इसी प्रवर्तक धर्म में होता है । पदार्थों की स्वभावशून्यता रूप धर्म तो निवर्तक है क्योंकि वह संसार से निवृत्ति कराने में अनुकूल होता है । उस स्वभावशून्यता के अभ्यास का बाधक आत्मस्नेह है । उस आत्मस्नेह में चित्त लगा रहने से साधारण जन निवर्तक शून्यता धर्म से अत्यन्त भयभीत हो जाते हैं । और स्वभावशून्यता को प्रपात का तरह मानते हुए उसे यथार्थ रूप से समझने का प्रयत्न ही नहीं करते ॥२८४॥

इस प्रकार अज्ञानान्धकार से अशुद्धित पदार्थ तत्त्व में एवं अप्राप्य अन्तर्वाले संसार रूपी महावन में प्रणष्ट सन्मार्ग वाले किसी व्यक्ति की भक्ति यदि स्वभावशून्यता में हो जाती है । तो उस भक्ति के अनुकूल कारणों में वृद्धि हो

जाती है। और उससे उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता शून्यतासिद्धान्त के उपदेश में हो जाती है। ऐसे ही व्यक्तियों को उपदेश दिया जाना चाहिए। परन्तु जो किसी ईर्ष्या, मात्सर्य, भय श्रोता के द्वेष प्रावि मोह के कारण तत्त्वधर्म (स्वभावशून्यता) के पात्रजन के उपदेश सुनने में विघ्न उपस्थित करता है उसे देव और मनुष्यात्मक सुगति भी नहीं मिलती क्योंकि वह निश्चित रूप से दुर्गति में जाता है तो फिर मोक्ष-प्राप्ति की बात तो कोसों दूर रही ॥२८५॥

इस प्रकार दूसरे का अत्यन्त उपकार करने वाले के सन्दर्भ में कहा गया है कि शील से पतित व्यक्ति अच्छा है परन्तु दर्शन (स्वभावशून्यता रूप बौद्ध दर्शन) से पतित व्यक्ति अच्छा नहीं। शील से स्वर्ग प्राप्त होता है। परन्तु बौद्धदर्शन से निर्वाणपद प्राप्त होता है।

शीलादपि परं र्सो न तु हृदः कथञ्चन ।

शीलेन गम्यते स्वर्गो दृष्ट्या याति परं पदम् ॥ २८६ ॥

इस तत्त्वदर्शन के रहस्य को जानने के लिए विद्वान को प्रयत्न करना चाहिए। बौद्ध दर्शन के विघात के भय से सर्वत्र पात्र विशेष को निश्चित किये बिना अपात्रों में इस नैरात्म्यदर्शन का उपदेश नहीं देना चाहिए। क्योंकि अपात्रों में दिया गया उपदेश निरर्थक ही होता है।

जो अद्वितीय मोक्षद्वार है वह नैरात्म्य है। कुत्सित मत्तावलम्बियों को जो भयंकर है वह नैरात्म्य है। समस्त बुद्धों के ज्ञान का जो विषय है वह नैरात्म्य है। आत्मा नाम है स्वभाव का। उस आत्माके अभावको नैरात्म्य कहते हैं। वह नैरात्म्य धर्मनैरात्म्य और पुद्गलनैरात्म्य के भेदसे दो प्रकार का है। यहाँ जो पुद्गल नैरात्म्य है वह स्कन्धों से जाना जाता है। और वह स्कन्ध में पांच प्रकार से खोजते हुए उत्पन्न नहीं होता। परन्तु धर्मस्कन्ध, आयतन धातु सूचक पदार्थ हैं। इन धर्मों का और पुद्गल का अपने हेतु और प्रत्यय के प्राचीन जन्म होता है और वे उपादानों से जाने जाते हैं। इस लिए उनका स्वायत्त व अपरायत्त अपना आवृतक (नित्य) रूप नहीं है। इस प्रकार पुद्गल की और धर्मों की निःस्वभावता व्यवस्थित की गई है। जिस पदार्थ की स्वरूपतः सिद्धि नहीं है उसकी अन्य किस आत्मा से सिद्धि होगी? अतएव सर्वथा असिद्ध लक्षण स्वरूप ही पदार्थ मूर्ख व्यक्ति के विसंवादक आत्मा द्वारा जाने जाते हैं और इसी कारण अज्ञानी उनसे समत्व करने लगते हैं। सम्यग्दर्शनों द्वारा पदार्थ के यथार्थ स्वभाव को जानने के बाद धर्मनैरात्म्य और पुद्गलनैरात्म्य दोनों का समत्व छूट जाता है और यही निर्वाण प्राप्ति का कारण है। नैरात्म्य का ज्ञान होने पर

समस्त पदार्थों में समत्व का त्याग हो जाता है और फिर कहीं पर कोई की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए नैरात्म्य एक अद्वितीय मोक्षान यह नैरात्म्यदर्शन कुत्सिन मतावलम्बियों को भयङ्कर है। क्योंकि दर्शन में वस्तुका सर्वथा अभाव माना जाता है जो अन्य मत वालों द्वारा रित वस्तु के स्वरूप से पूर्णतः विपरीत है। इसलिए उन्हें नैरात्म्य द कर प्रतीत होता है। समस्त बुद्धों के ज्ञानका विषय नैरात्म्य है समस्त आवक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध और सम्यक्सम्बुद्ध तीनों सम्मिलित है। ज का विषय रहने से इसे समस्त बुद्धों का विषय कहा गया है। अ नैरात्म्यधर्म की महत्ता को व्यक्त करते दृष्टे कहा है कि जो इग धर्म को है उसकी अन्य धर्म में प्राप्ति नहीं होती। इसलिए यह नैरात्म्यधर्म क नाश के द्वार के समान देखा जाता है (२६१)

सद्धर्मतत्त्वदर्शन रूपी अमृतरसास्वाद से अन्य दर्शनों का रस अस हो जाता है। अतः वह अमृतरस अन्य सभी दर्शनों में नहीं मिलता। आचार्य ने आस्वादन सद्धर्ममृतरस के समान बुद्धिमान व्यक्ति के सन्तोषकारक वचन कहा है—“धर्मोऽयमात्मनस्तेन नाशद्वारमवेक्ष्यते नैरात्म्यधर्म आत्मा के नाशद्वार के समान देखा जाता है (२६२)

बहुत से कुशल मनुष्य भी अन्य तीर्थिकों के मतों का आत्मन्वन दिखलाई देते हैं, भगवान बुद्ध का नहीं। इसका मुख्य कारण है—बौद्ध अत्यन्त सूक्ष्मता। बौद्धधर्म की सूक्ष्मता और अन्य धर्मों की अयुक्तता पावन करते हुए आचार्य ने कहा है—शाक्य धर्म चित्त से, अचेलक धर्म और ब्राह्मण धर्म कर्णोन्द्रिय से जाना जाता है। इनमें भगवान बुद्ध सूक्ष्म है—

शाक्यैरचेलकैर्विप्रेस्त्रिभिश्चत्तेन चक्षुषा।

कर्णेन गृह्यते धर्मः सूक्ष्मस्तत्समयो मुनिः ॥ २६४ ॥

ब्राह्मणों का सार पाठ है। वही उनके कर्णों का विषय है। अचेलक चार रहित होने के कारण बढ़ती हुई शरीर की दुर्गन्ध और पङ्क से वस्त्र, स्नान और शाटिका से रहित होने से शीत, धूप, वायु, सूर्य, वष ज्ञनादि दुःखों के कारण भूत होते हैं। उनका आचार और धर्म चक्षु जाता है। परन्तु शाक्य ( बौद्ध ) समस्त पदार्थों को निःस्वभावत्व रूप उद्भासित चित्त की मन्तान वाले, समस्त असद् दर्शनों को भयभीत क गहन अज्ञान तिमिर को दूर करने वाले और संस्कृत, पदार्थ की स्वप्न, ।

माया नारी और प्रतिबिम्ब निर्माण के समान देखते हुए समस्त क्लेशमल की दूर करने से निर्मल चित्त वाले होते हैं। इस कारण उनकी कुशल भावना मनो-विज्ञान से जानी जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान् बुद्ध का धर्म सूक्ष्म है। इस धर्म की सूक्ष्मता के ही कारण पुण्य की भावना होते हुए भी लोग बुद्ध-धर्म में प्रवृत्त नहीं होते। बाह्य उपासना का विधान बौद्धधर्म में नहीं है।

ब्राह्मण मन्त्र, जप, दान, होम मङ्गल, प्रायश्चित्त आदि कार्यों से ग्रन्थ लोगों से लाभ सत्कार आदि की इच्छा से बाह्य धर्म चाहते हैं। उनका यह बाह्य प्रधान धर्म मोक्षेच्छुकों को निषिद्ध है क्योंकि वह संसार के अननुकूल (प्रतिकूल) है। इसी प्रकार नग्नकों का धर्म भी चित्त की जड़ की तरह बना देने के कारण जड़ धर्म कहा गया है।

ब्राह्मणानां यथा धर्मः प्रायेण बाह्य उच्यते ।

नग्नकानां तथा धर्मः प्रायेण जड़ उच्यते ॥ २१५ ॥

बाह्यधर्म होने के कारण ही ब्राह्मणों और नग्नकों में लोगों की श्रद्धा होती है, यह प्रतिपादन करते हुए आचार्य आर्यदेव कहते हैं कि जैसे विद्याध्ययन मात्र से ब्राह्मणों में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही क्लेशादि ग्रहण से नग्नों (जनों) पर लोग कृपा करने लगते हैं (२१६)। इन नग्नकों (जनों) को शरीर, क्लेश और दुःखों का अनुभव धर्म के निमित्त होता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं। क्योंकि उनका आचरण दुश्चरित का फल है। जैसे भ्रूचेलकों का चरित्र दुःखानुभव पूर्वक नरक दुःखानुभव के समान कर्म का परिणाम होने के कारण धर्म नहीं है वैसे ही ब्राह्मणों का जन्म भी पूर्वोपाजित कर्मों का फल है। अतएव वह भी धर्म नहीं कहला सकता ॥ २२ ॥

यदि कर्म विपाक से चक्षु आदि के समान दुःख और जन्म धर्म नहीं हैं तो धर्म क्या है ? आर्यदेव ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि भगवान् बुद्ध ने संक्षेप रूप से अहिंसा को धर्म कहा है और केवल स्वभावशून्यता को ही निर्वाण कहा है। यहाँ दोनों धर्म हैं। किसी प्राणी के अपकार की चिन्ता और अपकार के लिए किये गये शारीरिक और वाचिक कर्म हिंसा कहलाती है। उसके विपरीत अहिंसा है। दक्ष कुशल कर्म ही उसके पथ हैं। थोड़ा भी परोपकार अहिंसा के अन्तर्गत आ जाता है। तथागतों ने संक्षेपतः धर्म और अहिंसा का ही प्रतिपादन किया है। जो स्वभावशून्यता कही गई है उसे तथागतों ने निर्वाण रूप से वर्णित किया है। अहिंसा से स्वर्ण प्राप्ति होती है और शून्यता से निर्वाण मिलता है। इसलिए 'केवलं तद्धिहोभयम्' कहा है। तथागत द्वारा प्रतिपादित दोनों धर्म इसी



में एतियुद्धि ( केवल ) को प्राप्त होते हैं, अन्यत्र नहीं। इसी में स्व-पर की स्वर्ण और मोक्ष की कल्याण सिद्धि है।

धर्म समासतोऽर्हसां वर्णयन्ति तथागतः ।

धून्यतामेव निर्वाणं केवलं तदिहोभयम् ॥ २६८ ॥

बौद्धदर्शन की इतनी अधिक उपयोगिता समझते हुए भी बाह्य धर्मावलम्बी इन दोनों धर्मों को क्यों स्वीकार नहीं करते ? इसका वास्तविक कारण धार्मिक-देव की दृष्टि में स्वपक्षप्रेम है। अपने पक्ष के प्रति अनुराग भ्रनादि संसार से बला भाया है। वह अपने जन्मस्थान के समान छोड़ा नहीं जा सकता। इसी कारण से भ्रजानी अपने दर्शन पक्ष के राग को छोड़ नहीं पाते। फलतः तथागत धर्म ( बौद्धधर्म ) में वे प्रवृत्त नहीं होते। परन्तु पण्डितगण अपनी जन्मभूमि को भी दुःखों का कारण जानकर, उससे भाशा छोड़कर वैभवशाली अन्य देशों का आश्रय लेते हैं। उसी प्रकार उन्हें अपने पक्ष को छोड़कर गुणवान् बौद्धधर्म का ही आश्रय अवश्य लेना चाहिए ( २६९ )। इसलिए कहा है—

ग्राह्यतोऽन्यतोऽपि युक्तार्थः श्रेयस्कामेन धीमता ।

ऊर्ध्वमकों नेत्रवतां सर्वसाधारणो ननु ॥ ३०० ॥

अर्थात् कल्याण चाहने वाले बुद्धिमान को उपयुक्त पदार्थ जहाँ कहीं भी मिले ग्रहण करना चाहिए। जैसे मूर्ख नेत्रवान् प्राणियों के लिए है और मर्ब साधारण के लिए भी ॥ २५ ॥

## ५. इन्द्रियार्थ-प्रतिषेध

चक्षुःसन्निकर्षत्व—चार महाभूतों और चार उत्पदानभूतों से उत्पन्न होने वाला घट चक्षु द्वारा सम्पूर्यतः दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार अन्य पदार्थों के प्रत्यक्षीकरण का भी यहाँ निषेध किया गया है। यह वस्तु सुगन्धित है, इस तरह नासिका द्वारा ज्ञातव्य जातिपुष्प, पद्म कमल, चन्दनादिक सभी पदार्थ नासिका इन्द्रिय के विषयभूत हैं, क्योंकि रूपादि देखे बिना कीठरी में बन्द उसकी गन्धमान ग्रहण की जा सकती है। इसी प्रकार यह पदार्थ मीठा है, इस तरह के शक्कर, नमक, नीम आदि सभी पदार्थ रसना-इन्द्रिय के विषयभूत हैं। यह कोमल हैं, इस तरह के लकड़ी, कम्बल, धूल, पाषाण आदिक सभी पदार्थ स्पर्श-इन्द्रिय के विषय हैं। वे सभी पदार्थ चारों महाभूत और चार उपादानभूत, कुल मिलाकर आठ द्रव्यों से बनते हैं, इसलिए एक एक इन्द्रिय द्वारा उनका एक एक विषय ही ग्रहण किया जाता है, सभी एक साथ नहीं। अतएव जातिपुष्प,

त्पकर, लकड़ी, कम्बल आदि आत्मा या स्वयं के प्रत्यक्ष हैं, ऐसा कौन तत्त्वज्ञानी  
 लहेगा ? ( ३०२ ) यदि रूप मात्र के देखने से सम्पूर्ण द्रष्टृ घट देखा जा  
 सकता है तो द्रष्टृ घट से दृष्ट रूप क्या द्रष्टृ नहीं हो सकता ? भाट द्रव्यों का  
 आत्मान स्वरूप होने पर भी घट विषय में यदि एक द्रव्य रूप देखने से सम्पूर्ण  
 घट ) को देखे जाने की कल्पना की जा सकती है तो एक रूप में अवस्थित  
 वह रूप अवशिष्ट सात द्रव्यों के द्वारा क्या द्रष्टृ नहीं कहा जा सकता । इसलिये  
 रूप का ही नहीं, घट का भी प्रत्यक्षत्व नहीं होता ( ३०३ ) । क्योंकि उस  
 रूपका पर, अपर और मध्यम अंश होता है । अनीरिसत गन्धादि से सम्बन्धित  
 तल रूप का प्रत्यक्षत्व उसके पर, अपर और मध्यम अंश के देखने मात्र से नहीं  
 हो जा सकता । क्योंकि उन पर, अपर और मध्यम अंशों के भी पर, अपर  
 और मध्यम अंश होंगे । फिर उनके भी अन्य अंश होंगे, और उन अंशों के भी  
 अन्य अंश होंगे । इस प्रकार रूप परमाणु के अन्तिम भाग तक रहेगा ( ३०४ ) ।  
 यदि आप रूप मात्र के देखने से घट का प्रत्यक्षत्व मान बैठेंगे तो अणु का भी  
 उसके पहले, पीछे और दिग्गंश भेद ने तथा पर, अपर और मध्यम अंश भेद से  
 अंश मानना पड़ेगा । पर अणु के अंश माने नहीं जाते । यदि पहले, पीछे के  
 अंश भेद से अणु अंशवान माना जाय तो घट के समान उसकी भी परमाणुत्व  
 मानि हो जायगी अर्थात् अणु को फिर अणु नहीं कहा जा सकेगा । अतएव  
 घटका प्रत्यक्षत्व सम्भव नहीं है । द्रव्याष्टक के साथ में निश्चित रूप से रहने वाले  
 तत्त्वमहाभूत से निर्मुक्त रूप उपलब्ध नहीं होता । रूपायतन से निर्मुक्त रूप हेतु  
 ही होता । रूपायतन अणु इन्द्रिय द्वारा ग्रहण है परन्तु रूपहेतु शरीरेन्द्रिय द्वारा  
 प्राप्त है । इसलिए यदि 'रूप हेतु है' यह किसी स्वरूप से सिद्ध होता है तो रूप  
 ही स्वरूपतः सिद्ध हो जायगा । रूपहेतु का रूपादि सिद्ध होने पर उसका भेद  
 होना भी संभव नहीं । इसलिए रूपहेतु के अभाव होने पर निर्हेतुक रूप भी सिद्ध  
 ही होता । यदि अभेदरूप में अवस्थित होने के कारण रूप हेतु के रूप का  
 माना माना जाय तो भी संभव नहीं क्योंकि ऐसा मानने पर रूपहेतु और उसका  
 तल दोनों का ग्रहण अणु इन्द्रिय द्वारा होना चाहिए । पर यह संभव नहीं,  
 क्योंकि प्रत्येक इन्द्रिय के विषय और लक्षण भिन्न होते हैं ( ३०८ ) । यदि द्रष्टव्यत्व  
 योजन निरर्थक है तो यहाँ द्रष्टृ पदार्थ को देखकर उसके द्रष्टव्य स्वरूप की  
 कल्पना की जाती है या द्रष्टव्य स्वरूप की । यदि द्रष्टव्य स्वरूप की कल्पना की  
 जाती है तो उस कल्पना से लाभ क्या ? जिम दर्शन रूप प्रयोजन से वह कल्पना  
 की जाती है उसके बिना भी उसका सम्भाव है ही तब फिर कल्पना का प्रयोजन  
 या ? यदि द्रष्टव्यभूत स्वरूप की कल्पना की जाती है, तो वह भी युक्त नहीं ।

क्योंकि द्रष्टव्यत्व प्रसंग से उत्पन्न होने वाले द्रष्टव्यत्व स्वरूप के साथ इस अद्रष्टव्यत्व स्वरूप का विरोध होता है और यह विरोध होने से पदार्थ का द्रष्टव्यत्व बन नहीं सकता। अतएव जिस तरह द्रष्टव्य और अद्रष्टव्य घट का सर्वाथा द्रष्टव्यत्व हो जाना युक्त नहीं और जाति की सम्भावना समाप्त हो जाती है, उसी तरह अद्रष्टव्यभूत (असदरूप) घट की कल्पना करना ठीक नहीं है ( ३१० )। रूपादिक अर्थों को तभी प्रत्यक्ष माना जा सकता है जब उनमें इन्द्रियों को जानने की शक्ति हो। परन्तु यह शक्ति उनमें नहीं है। क्योंकि चक्षुरादिक पाँचों इन्द्रियाँ सामान्यतः भौतिक मानी जाती हैं। और उनका कार्य विषय भेद से पृथक् है। जैसे चक्षु से रूप ही देखा जा सकता है, शब्द नहीं सुना जा सकता। कान से भी शब्द सुना जा सकता है, रूप नहीं देखा जा सकता है, अतएव आर्यदेव ने कहा है उपपत्ति विरुद्ध कार्य होने से चक्षुरादिक इन्द्रियों की स्वरूप कल्पना कैसे की जा सकती है? भौतिकत्व के ममान होने पर भी विषय ग्रहण भेद मानना ठीक नहीं। चक्षुरादिक इन्द्रियों का सद्भाव विषयग्रहण से अनुमानित होता है। इसलिए इन्द्रियों का सद्भाव होने से विषयों का प्रत्यक्षत्व कहना ठीक नहीं। यदि इस तरह से चक्षुरादिक इन्द्रियाँ न हों तो इन इन्द्रियों की कर्मविपाक स्वरूप की व्यवस्था कैसे हो? क्या हम लोगों के द्वारा इन इन्द्रियों का विपाकस्वरूप रोका जा सकता है?

भौतिकमसि कर्णश्च दृश्यतेऽक्षया परेण न।

नूनं कर्मविपाकं तदचिन्त्यमुक्तवान्मुनि ॥ चतुःशतक ३११।

दर्शन से पहले चक्षुर्विज्ञान नहीं होता क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय के दर्शनाधिपति प्रत्यय का अभाव होता है। यदि दर्शन के बाद वह ज्ञान माना जाय तो ज्ञान निरर्थक हो जायगा। यदि ज्ञान के बिना ही चक्षु से पदार्थ का दर्शन होने लगे तो विज्ञान की कल्पना करना अर्थहीन होगा। ज्ञान और दर्शन दोनों का एक साथ उद्भव होता है, इस तरह की तीसरी कल्पना करना भी ठीक नहीं, क्योंकि इस प्रकार के दर्शन से दर्शन क्रिया निरर्थक हो जायगी। विज्ञान और दर्शन के एक साथ होने पर जिस दर्शन के साथ विज्ञान समान काल में होता है, उस दर्शन के अधीन वह विज्ञान होता है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं। एक साथ उत्पन्न होने वाले गाय के बायें, दायें सींग एक दूसरे के अधीन माने जायें, यह सम्भव नहीं। उसी तरह दर्शन के साथ उत्पन्न होने वाला विज्ञान दर्शन के अधीन नहीं होता। अतएव दर्शन निरर्थक ही है। इस प्रकार जब विज्ञान का होना सम्भव नहीं तो उसके होने से चक्षुरादिक इन्द्रियों का सद्भाव कैसे सम्भव है? उनका सद्भाव नहीं हो सकता ( ३१२ )। यदि चक्षु प्राप्तकारी (सन्निकर्ष)

होकर विषय को जानना है तो पलक मात्र गिराने के भीतर चन्द्र तारे भादि पदार्थों को नहीं ग्रहण किया जा सकता । गतिमान् के अर्ध देश का उपग्रहण और समान काल में उत्पन्न होने वाले विप्रकृष्ट ( दूरवर्ती ) विषय का ग्रहण ठीक नहीं । क्योंकि वहाँ गति काल की भिन्नता है । पलक मात्र गिराने से समीपवर्ती पदार्थ के समान विदूरवर्ती पदार्थ भी देखे जाने चाहिए, ऐसा मानना असुक्त है । यदि चक्षु प्राप्तकारी होता तो अत्यन्त अभ्यास करने पर भी आँखों में लगा हुआ काजल दिख जाना चाहिए, पर यह सम्भव नहीं । अतएव चक्षु प्राप्तकारी नहीं ( ३१३ ) । यदि चक्षु जाकर रूप को देखता है तो क्या देखकर उस स्थान तक जाता है या बिना देखकर ? यदि चक्षु रूप को देखकर उस रूप के स्थान पर जाता है तो गये हुए उस चक्षु के गमन से क्या लाभ ? विषय ( पदार्थ ) को देखने के लिए चक्षु का गमन हुआ था और वह विषय पहले ही पूर्व स्थान से देख लिया गया है तब उस गमन से कोई प्रयोजन नहीं । यदि बिना देखे ही चक्षु गमन करता है तो नियम से द्रष्ट विषय का दर्शन नहीं प्राप्त होता । अन्धा भी बिना देखकर द्रष्ट स्थान पर जाता है । उसे अदृष्टव्य पदार्थ का दर्शन निश्चित रूप से नहीं होता ( ३१४ ) ।

पश्येच्चक्षुश्चिराद्दूरे गतिमद्यदि तद्भवेत् ।

अत्यभ्यासे च दूरं च रूपं व्यक्तं न तच्च किम् ॥ ३१३ ॥

गतेन न गुणः कश्चिद्रूपं दृष्ट्वाक्षि याति चेत् ।

द्रष्टव्यं नियमेनेष्टमिति वा जायते वृथा ॥ ३१४ ॥

जो चक्षु, श्रोत्र ( कान ) और मन को अप्राप्तविषयी मानते हैं, उनके प्रति आर्यदेव कहते हैं कि प्राप्तकारिता मात्र प्रतिषेधपरक होने से आगम का कोई विरोध नहीं । जहाँ कहीं विधि की प्रधानता होती है, उसका विरोध नहीं होता । जहाँ कहीं प्रतिषेध की प्रधानता होती है, वहाँ निरोध नहीं होता । इसलिए यहाँ पर विधि के असम्भव होने पर प्राप्तकारिता प्रतिषेध मात्र से अप्राप्तविषयपन की व्यवस्था की जाती है । विधिमुख से तो अप्राप्तविषय में कल्पना करने वाला चक्षु यहीं स्थित होकर सम्पूर्ण जगत को दे ले । जिसकी गति नहीं, उसके लिए दूर से क्या मतलब ? इससे समीपवर्ती पदार्थ भी गमन किए बिना ही द्रष्टव्य है और दूरवर्ती पदार्थ भी । इस प्रकार से दूर होने पर भी कोई विशेषता नहीं । जब गमन किये बिना ही देख लिया जाता है तो समीपवर्ती के समान दूरवर्ती पदार्थ भी देख लेना चाहिए । आवृत्त ( ठके हुए ) पदार्थ पर जाने से गमन का प्रतिबन्धक होने के कारण आवृत्त पदार्थ नहीं देखा जाता, यह ठीक

है। पर अब बिना गये ही पदार्थ देखा जा सकता है तो गमन का प्रतिबन्ध न होनेपर अनाद्युत के समान आद्युत पदार्थ का भी दर्शन हो जाना चाहिए (३१५)। जैसा अम्पक, मल्लिकादि फूलों में सुगन्धि पहले उन्हीं में रहती है, बाद में उनके सम्पर्क से तेलादि में वह सुगन्धि पहुँचती है। जैसे अग्निमें उष्णता स्वतः प्रवर्धित है, उसके सम्पर्क से बाद में दूसरे में पहुँचती है। इसी प्रकार यदि चक्षु का देखना ही स्वभाव है तो उसका स्वयं में देखना पहले होना चाहिए। फिर चक्षु का ग्रहण चक्षु से ही क्यों नहीं होता? पदार्थों के स्वभाव का मूलतः स्वयं में रहने से चक्षु का ही ग्रहण हो जाना न्यायसंगत है, परन्तु चक्षु अपने प्राप को नहीं देखता, तब फिर परस्पर आदि के समान दूसरे पदार्थ का भी दर्शन होना इसे संभव नहीं है (३१६)। चक्षु का विज्ञान नहीं होता क्योंकि वह (चक्षु) पदार्थको जानता नहीं। जानता इसलिए नहीं, कि उसका जानना स्वभाव नहीं। क्योंकि चक्षु भौतिक है। उसके जड़ होने से पदार्थ के जानने की संभावना ही नहीं होती। इस प्रकार से चक्षु का ज्ञान नहीं। और न विज्ञान का दर्शन होता है, क्योंकि विज्ञान का काम जानना है न कि देखना। यदि विज्ञान का काम देखना हो तो विज्ञान का सद्भाव रहने से उसका भी रूपदर्शन होना चाहिए। पर होता नहीं है। रूप का न विज्ञान होता है और न दर्शन होता है। विज्ञान इसलिए नहीं होता कि रूप का स्वरूप विज्ञान नहीं है। दर्शन इसलिए नहीं होता कि उसके रूप को देखा नहीं जा सकता। और जब ये परस्पर एक दूसरे से भिन्न हैं तो उसकी सामग्रो होने पर भी रूप नहीं देखा जाता। पदार्थ देखने के कारण स्वरूप आँखों के न होने से जिम तरह अंधा व्यक्ति पदार्थ नहीं देख पाता उसी तरह इन्द्रिय रूप और विज्ञान परस्पर में विकल होने से पदार्थ का देखा जाना नहीं बनता। इस प्रकार जब पदार्थ देखा नहीं जाता तो कौन तत्त्व-ज्ञानी यह कहेगा कि पदार्थ देखा जाता है? अर्थात् कोई नहीं (३१७)।

जैसे तत्त्वज्ञानी रूप नहीं देखते उसी तरह शब्द भी नहीं सुनते। रूपदर्शन के समान शब्दध्वन भी असम्भव है। यदि शब्द सुना जाता है तो वह कान को (श्रवणदेशको) स्पर्श कर सुना जाता है या बिना स्पर्श किये ही? यदि स्पर्शकर (श्रवण) सुना जाता है तो वह कान के पास जाकर शब्द करता है या नहीं। यदि शब्द करता है तो वक्तव्य होने से देवदत्त के समान यह शब्द भी नहीं होता। यदि न बोलते हुए जाता है तो निःशब्द होने के कारण 'यह शब्द है' ऐसा विश्वास किसे होगा। शब्द का जब ग्रहण नहीं होगा तो उसका अस्तित्व भी मानना ठीक नहीं (३१८)।

**शब्दसन्निकर्षत्व**—यदि श्रोत्रेन्द्रिय के स्थान को प्राप्त होकर शब्द ग्रहण किया जाता तो उसका भावि भाग किसके द्वारा ग्रहण किया जाता। प्राप्तिप्राप्ति होने से शब्द के भावि भाग का ग्रहण नहीं होता। दूसरी इन्द्रियाँ भी उसे ग्रहण करने में समर्थ नहीं हैं। इस प्रकार किसी के द्वारा भी इसका भावि भाग ग्रहण नहीं किया जाता। और फिर अप्राप्त्यमाण होने के कारण 'यह शब्द ही नहीं होता' ऐसा समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रथम तो शब्द का ग्रहण नहीं होना चाहिए। आगे यदि शब्द का ग्रहण होता है तो गन्धादि का भी ग्रहण होना चाहिए। परन्तु गन्धादि का ग्रहण होता नहीं, इसलिए शब्द प्राप्तकार नहीं है ॥ १६ ॥

**मानस सन्निकर्षत्व**—यदि चित्त विषयदेश ( पदार्थ स्थान ) को जाकर विषय को जानता है, ऐसी कल्पना की जाय तो यह भी उचित नहीं। यह चित्त विषयदेश को इन्द्रियसहित जाता है या अकेला जाता है ? इन्द्रियसहित तो जाना नहीं, क्योंकि इन्द्रियाँ सदा देह में ही रहती हैं। उनके चले जाने पर देह के निरिन्द्रिय हो जाने का प्रसङ्ग बपस्थित हो जायगा। यदि अकेला जाता है तो इन्द्रियों से वियुक्त होकर चित्त जाकर भी क्या करेगा। इन्द्रियों से वियुक्त हो जाने पर चित्त में रूपादि दर्शन की सामर्थ्य नहीं रह जाती। अन्यथा अन्तों को भी दर्शन का प्रसंग उपस्थित हो जायेगा। इसके बाद भी कोई किसी प्रकार विषयदेश के गमन से अर्थोपलब्धि की कल्पना करें तो भी अर्थज्ञान का अन्त न होने से पूर्व दोष दूर नहीं किया जा सकता। ऐसा होने पर यह जीव क्या सदा अभनस्क नहीं रह सकता ? हर समय अचिन्तक ही आत्मा प्राप्त होती है। अचिन्तक के आत्मत्व होना संभव है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अन्यथा स्तम्भ आदि के भी आत्मा होने का प्रसङ्ग आ जायगा। इस तरह से विचारवानों के इन्द्रियविषय और विज्ञानों का सद् रूप होना असम्भव है, अतएव उनकी स्वरूप सिद्धि होती तो स्पष्टतः यथास्थित स्वरूप से उसकी प्राप्ति होती। पर असिद्ध है। यदि इनकी स्वरूप सिद्धि प्राप्ति उसकी होती नहीं। इसलिए स्वरूप-सून्यता की सिद्धि हो जाती है ॥३२१॥

यहाँ बहु रूप के कारण बहुविज्ञान को उत्पन्न कर वह इन्द्रिय पदार्थों के साथ निरुद्ध हो जाता है। उसके निरुद्ध हो जाने पर जो पहले देखा गया पदार्थ है, वही बाद में मन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। असन्निकर्षित पदार्थ का ग्रहण मरीचिका के समान होता है। यद्यपि मरीचिका में थोड़ा-सा भी अन्न नहीं होता तो भी हेतु-प्रत्यय होने पर अज्ञाकार संज्ञा प्रवर्तित हो ही जाती है। इसी प्रकार अविद्यमान स्वरूप के हान

पर भी पहले ग्रहण किये गये पदार्थ में मरीचिका के समान जो विज्ञान उत्पन्न होता है वही सभी पदार्थों की व्यवस्था में कारणभूत हो जाता है। सभी पदार्थों की व्यवस्था में कारण भूत होने से ही उसे संज्ञास्क्न्ध कहा गया है। क्योंकि संज्ञाविशेष का प्रयोग इसी तरह से किया जाना है। इसी संज्ञा में सभी पदार्थों की व्यवस्था जाननी चाहिए। स्वभाव का पदार्थस्वरूप निबन्धन सर्वथा युक्तियुक्त नहीं है ॥ ३२२ ॥

कायेन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य होने के कारण महाभूत अथवा बाह्य हैं। उनसे चक्षु से उत्पन्न होने वाला रूप और श्रवण से उत्पन्न होने वाला शब्द उत्पन्न होता है। यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार ध्राण,दि के विषय में और चक्षु आदि के विषय में भी समझना चाहिए। अथवा इन्द्रियों की यह अर्थगति आश्चर्य उत्पन्न करने वाली नहीं है। यदि केवल इन्द्रियों की ही अर्थगति में वह वैचित्र्य होता तो यह आश्चर्यास्पद है। परन्तु जब यथोक्त न्याय से संसार के विद्वानों को इन्द्रजाल के समान विस्मय उत्पन्न करने वाला हो तब यह अश्चर्य नहीं, क्योंकि किसी असम्भव पदार्थ के उत्पन्न होने पर आश्चर्य होता है। सभी जगह उसका समान रूप नहीं होता। अग्नि की उष्णता अश्चर्य उत्पन्न करने के लिए नहीं होती ॥ ३२४ ॥

अतएव अग्निश्चत स्वरूप होने के कारण जैसा प्रत्यय ( कारण ) हुआ वैसा-वैसा विपरिवर्तमान होने के कारण विद्वानों का अलातचक्र, निर्वाण, स्वप्न, माया, जल, चन्द्र, घूमिका, प्रतिध्वनि, मरीचिका और मेघ के समान संसार को निःस्वभाव समझना चाहिए।

अलातचक्रनिवर्माणस्वप्नमायाम्बुचन्द्रकैः ।

धूमकान्तःप्रतिभुक्तामरीच्यर्चः समो भवः ॥ ३२५ ॥

अन्तर्ग्राह्य प्रतिषेध—प्रतीत्यसमुत्पन्न और परस्पराश्रित भाव निःस्वभाव है। यदि किसी पदार्थ के उदरान्न होने पर कहीं किसी प्रकार की पराधीनता नहीं होती तो इस अपराधीन—स्वतन्त्र पदार्थ के स्वयं ही व्यवस्थित होने के कारण अस्तित्वकी कल्पना स्वभावतः युक्तिसंगत है। परन्तु ऐसा संभव नहीं कि जिसका हेतु-प्रत्ययोंसे जन्म हो और उसको पराधीनता न हो। यदि ऐसा नहीं मानते तो फिर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई पदार्थ अहेतुक भी उत्पन्न होता है। और इस प्रकार निर्हेतुक के प्रसंग से किसी पदार्थ का कोई स्वरूप नहीं। अतएव यह भी मानना होगा कि किसी का कोई स्वभाव नहीं ॥ ३२६ ॥

घट भी स्वभावतः सिद्ध नहीं होता । यदि घट नामका कोई पदार्थ होता तो वह नेत्र द्वारा ग्रहण होने से रूप से अभिन्न माना जाता परन्तु रूप और घट दोनों में एकता नहीं । रूप और घट दोनों में एकता होनी तो जहाँ रूप होता वहीं घट होता । इस तरह सर्वत्र रूप में घट हो जाता । पाकज गुणकी उत्पत्ति होने पर रूपका विनाश होनेपर घटका विनाश हो जाता । परन्तु ऐसा होता नहीं । इसलिए रूप ही घट है ऐसी एकता नहीं कही जा सकती ।

इस दोष को दूर करने के लिए यदि यह माना जाय कि घट रूप से पृथक् होकर रूपवान् है । जैसे अर्थान्तरभूत गायों से देवदत्त गायों वाला माना जाता है तो यह भी अयुक्त है क्योंकि रूपवान् घट रूप से पृथक् नहीं है । यदि घट रूप से पृथक् होता तो वह रूप के बिना ग्रहण किया जाता । गायों से पृथक् हांकर देवदत्त ग्रहण नहीं किया जाता । इसी प्रकार घट भी रूप बिना ग्रहण नहीं किया जाता । इसलिए रूप के बिना घट नहीं है । जब रूप के बिना घट नहीं है तो अविद्यमान होने पर रूप सहित कैसे ग्रहण किया जाता है ? अविद्यमान बन्ध्यापुत्र गोमान नहीं कटा जा सकता । इस प्रकार घट रूपवान् है ऐसा भी कहना युक्त नहीं, अन्यत्व के असम्भव होने से ही रूप और घट दोनों की आधार आधेयकी कल्पना की भी सिद्धि नहीं होती । इसलिए कहा है—घट में रूप नहीं और रूप में घट नहीं ।

रूप और घट में अन्यत्व होने पर घट में रूप है, ऐसा कथन कुण्ड में दधि के समान होगा । रूपमें भी घट है ऐसा कथन कट में देवदत्त के समान होगा । परन्तु यह संभव नहीं । अतएव घट स्वभावतः नहीं है । जिसका स्वभाव नहीं होता वह भ्रालातचक्र के समान स्वभावसे शून्य होता है । जिस प्रकार घट स्वभावतः नहीं है उसी प्रकार समस्त पदार्थ भी स्वभावतः शून्य हैं ऐसा स्वीकार करना चाहिए ।

रूपमेव घटो नैक्यं घटो नान्योऽस्ति रूपवान् ।

न विद्यते घटे रूपं न रूपे विद्यते घटः । ३२७ ॥

भाव घट में सत्ता के योग से द्रव्य सत् कहना भी ठीक नहीं क्योंकि घटादि द्रव्यों में अनुप्रवृत्तिलक्षण होने से भाव समामान्य है और व्यवृत्तिलक्षण होने से घट विशेष है । यदि उन दोनों की विलक्षणता से भाव और घट में देखकर भाव से घट पृथक् माना जाता है तो इसी प्रकार विलक्षणता से भाव भी घट से पृथक् क्यों नहीं हो जायगा । और फिर अन्यबुद्धिध्वनि प्रवृत्तिनिमित्तक अन्यत्व और अनुप्रवृत्तिलक्षण की कल्पना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विलक्षणता से ही अन्य बुद्धिध्वनि प्रवृत्ति की सिद्धि हो जाती है ।



यदि दूसरे अन्यत्वकी कल्पना की जाय तो फिर भाव और घटमें विलक्षणता की अपेक्षा से अन्यत्व नहीं होगा। इसीलिए कहा है—दोनों में विलक्षणता देखकर भाव से घट पृथक् माना जाना चाहिए। परन्तु यह ठीक नहीं। जिस प्रकार भाव अनुप्रवृत्तिलक्षणक होनेसे घट से पृथक् है उसी प्रकार से अन्यत्व भी अनुप्रवृत्तिलक्षणक होने से घट से पृथक है। उस अन्यत्व की अन्यबुद्धिध्वनि की प्रवृत्ति का कारण दूसरा है नहीं। यदि होता तो अन्यत्वों में अपर्यवसान बोध हो जाता। तभी अन्यत्व के बिना अन्यबुद्धि अन्यत्व में होती है। इसी प्रकार अन्यत्र भी सम्भावना कर ली जानी चाहिए। अतएव अन्यत्व की अकिञ्चित्कर कल्पना व्यर्थ है। अन्यत्व के न होने पर कहीं से किसी का भी अन्यत्व नहीं होता। और भी ऐसा विचार किया जाता है कि किस प्रकार की सत्ता का अन्यत्व के साथ योग हो। वह योग अन्यभूता का है अथवा अनन्यभूता का। यदि अन्यभूता का है तो अन्यत्व के साथ योग (सम्बन्ध) व्यर्थ हुआ। और यदि अनन्यभूता का है तो विरुद्ध अन्यत्व के योगसे योग प्राप्त नहीं होता। अन्यत्वके अभाव से घट से भाव पृथक् है यह युक्तियुक्त नहीं। फिर लोक में विपर्यास को प्रमाणित कर घटत्व रूप ही सदबुद्धिध्वनि प्रवृत्तिनिमित्तक होने से भाव है ऐसी पदार्थ के भेद से यदि एक घट नहीं होता तो घट भी एक नहीं होता। जैसे एकत्व रूप एक संख्या घट नहीं है वैसे ही द्रव्यत्व रूप से अनेक संख्या के पृथक्भूत होने से घट भी एक नहीं होता, क्योंकि वह द्वित्वमय रहता है। और इस घट के एक रूप की एक संख्या परिकल्पित होती है अथवा अनेक रूप की ? यदि एक रूप की एक संख्या परिकल्पित होती है तो एकत्व कल्पना व्यर्थ ही है। और यदि अनेक रूप की एक संख्या परिकल्पित होती है तो भां विरुद्ध होने से अयुक्त ही है। अतएव लोक में घट स्वरूप की ही अविद्यमानता रहते हुए निहितार्थान्तर की एकत्व कल्पना जाननी चाहिए। फिर गुण द्रव्याद्यपी हैं ऐसा मानकर एकत्व के योग से घट ही एक होता है न कि एकत्व घट होता है।

पदार्थ की जो लम्बाई और विस्तार होगा, रूप भी उसी लम्बाई और विस्तार वाला होगा। ऐसा प्रतिवादी यदि स्वीकार करते हैं तो पदार्थ के छोटे बड़े आकार के अनुसार रूप भी छोटा बड़ा होना चाहिए। तब फिर द्रव्य के समान रूप को भी छोटा बड़ा स्वीकार करने में क्या बाधा है ? रूप और गुण दोनों एक हैं। रूप का अणुत्व और महत्व दोनों गुण में ही है। और गुण में गुण का सर्वावेष ही नहीं सकता ऐसा हमारा सिद्धान्त है। यद्यपि द्रव्य और रूप का परिमाण एक होगा फिर भी सिद्धान्तविरोध के भय से रूप का अणुत्व

महन्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। सिद्ध नहीं होती। व्यावृत्ति मात्रसे वस्तुस्वरूप का निर्धारण करना संभव नहीं है। गुण मात्र रहने से घट नहीं कहा जाता। घट तो तभी है जब उसमें गुण के साथ छोटे बड़े रूपादिक भी हों। सत्ता भी द्रव्य गुण कर्म में सामान्य होने से घट नहीं होता। संख्या अणु, महत् रूपादिनों से यह पृथक् है और यह इसका स्वभाव है ऐसी व्यवस्था करना संभव नहीं। इस प्रकार जहाँ प्रतिपक्ष में लक्षण से भी लक्ष्य रूप घट स्वरूप की सिद्धि नहीं होती वहाँ पक्षान्तर में संख्यादि से पृथक् सिद्ध स्वरूपसे घट भाव का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। अतएव घट की स्वभावशून्यता सिद्ध हो जाती है। शरीरेन्द्रिय की ग्राह्यता स्पर्श है। जिसे स्पर्श होगा वह स्पर्शवान् है। स्पृष्टव्य ही कायेन्द्रिय से ग्रहण किया जाता है। इसलिए स्पर्शवान् है। उस स्पर्शवान् से अस्पर्शवान् (स्पर्शहीन) रूप, रस, गन्धों का संयोग सम्भव नहीं। यह वैसे ही संभव नहीं जैसे घट का सम्बन्ध आकाश से नहीं हो सकता। जब रूपादिकों का सम्बन्ध नहीं हो सकता तो परस्पर स्पर्श करने वाले रूपादिकों से विशेष समुदाय रूप जो घट का है वह युक्तिसंगत नहीं (३३३)।

रूपादिक समुदाय रूप घट का प्रत्येक रूपादिक अवयवभूत होने के कारण घट संज्ञा नहीं होते। घट अवयवी है और रूपादिक अवयव हैं। अवयव होने के कारण रूप को घट नहीं कहा जा सकता। और जैसा रूप है वैसे ही गन्धादिक है।

रूप चूँकि अवयव है इसलिये उसरा आधागुभा कोई अवयवी भी होगा क्योंकि अवयवी के बिना अवयव नहीं हो सकता। इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि घटत्व के अभाव में रूपादिकों का कहीं से कौन अवयवी होगा। रूपादि के बिना अवयवी जाना ही नहीं जा सकता। जिसका स्वरूप अज्ञेय है उसे असत् होने के कारण अवयवी नहीं कह सकते। जब अवयवी नहीं तब अवयवत्व होने पर भी रूप के होने की सम्भावना नहीं। इस प्रकार अवयव और अवयवी दोनों नहीं हैं।

रूपादिकों का समुदाय रूप घट नहीं है। क्योंकि समस्त रूप रूपरन्ध्र का समूह मात्र है। अतएव रूप, गन्धादिक भी रूप कहे जाते हैं। वे रूप घट के समान पटादिकों में भी हैं। घटादिका भेद होने पर भी वे स्वलक्षण में व्यभिचरित नहीं होते। क्योंकि सभी जगह समान लक्षण हैं। तब एक रूप का जैसे घटत्व रूप में अवस्थान है वैसे ही पटादि सम्बन्धित अन्य रूपका भी घटत्व के साथ सम्बन्ध क्यों नहीं होगा? घट में अवस्थित रूपादि के समान लक्षण के अभेद से उस रूप का भी घटत्व के रूप में अवस्थान युक्तिसंगत ही है।

यदि कपालों के कारण घट की सिद्धि होती है तो इन कपालों की सिद्धि किस कारण से होगी । वे स्वभावतः सिद्ध तो कहे नहीं जा सकते अन्वया निर्हेतुकत्व का प्रसंग उपस्थित हो जायगा । यदि उनकी सिद्धि में अन्य कोई कारण मानते हैं तो कपालों की स्वरूपतः सिद्धि नहीं हो सकती । क्योंकि उनका भी अन्य शर्करिका ( भूलि आदि ) आदि के कारण अस्तित्व दिखाई देता है । इस प्रकार जिन कपालों की सिद्धि स्वतः नहीं है वे और दूसरे की निद्रि में कैसे सहायक हो सकते हैं । अतएव घट अस्तित्व विहीन है । यह जो घट प्रतिषेधक विधि है यही सभी कार्यों की असिद्धि ( अस्तित्व विहीनता ) को सिद्ध करने में उपयोगी है ।

घटः कारणतः सिद्धः सिद्धं कारणमन्यतः ।

सिद्धिर्यस्य स्वतो नास्ति तदन्यज्जनयेत्कथम् ॥ ३३८ ॥

समुद्भूत रूपादिक समुदाय रूपमें अवस्थित होने पर भी अपने-अपने स्वरूपका परित्याग नहीं करते । तब जिस प्रकार रूप की समुदायावस्था में स्वरूप का परित्याग न होने से गम्भ की उत्पत्ति नहीं होती उसी प्रकार अनेकाश्रित समूह का एकत्व भी सिद्ध नहीं होता । क्योंकि वह समुदाय रूपादिकों से पृथक् नहीं है और वे रूपादिक परस्पर में ही विभक्त होत रहते हैं । रूपादिकोंसे अव्यतिरिक्त समुदाय घट के समान एक कैसे हो सकता है । जैसे लक्ष्णों से अपृथक् होने के कारण घट की एकता नहीं होती ऐसा कहाँ है । वैसे ही लक्ष्णों से अपृथक् रहने के कारण समूह की एकता सिद्ध नहीं होती । इस प्रकार घट के समान रूप के समूह की एकता सिद्ध नहीं ( ३३६ ) ।

जैसे महाभूतों में एकत्व नहीं होता क्योंकि उनके अतिरिक्त दूसरों का भी सद्भाव रहता है । इसी प्रकार भूतों से उत्पन्न होने वाले का भी अस्तित्व नहीं क्योंकि भूतों के बिना प्रहेतुकत्व का प्रसंग उपस्थित हो जायगा । चित्त के बिना चित्त से उत्पन्न होने वाले धर्म उत्पन्न नहीं होते और न चित्त से उत्पन्न होने वाले धर्मों के बिना चित्त होता है । वैसे ही आत्मादि लक्षणों के बिना रूपादिक लक्ष्य नहीं होता । और न लक्ष्य के बिना निराश्रय लक्षण होता है । इन प्रकार जब किसी भी एक पदार्थ की ही सिद्धि नहीं होती तब समुद्भूत पदार्थों की सिद्धि कहाँ संभव है ? ( ३४४ )

एकत्व, अन्वयत्व, उभय, नोभय इन एकत्वादि पक्षों में सत्, असत् आदि उपलब्धित दूषण नियोजनीय है । सत्कार्यवादी का पक्ष है कि कार्य और कारण दोनों में एकत्व है । उसके दर्शन में अपने कारण से व्यवस्थित सत्कार्य विपरि-

रूपी हो जाता है। क्योंकि असत्कार्य का किया जाना सम्भव नहीं। यदि कार्य असत् रूप से उत्पन्न होता तो सभी पदार्थों से सभी पदार्थ उत्पन्न हो जाते। परन्तु ऐसा होता नहीं। दूध आदि से निश्चित ( प्रतिनियत ) बर्षि आदि की ही उपलब्धि होती है। वादी के पक्ष में कार्यकारण में एकत्व मानने से सत् ही कार्य उत्पन्न होता है। यह एकत्वपक्ष है। उस एकत्वपक्ष में सत्कार्यवाद से नित्य दूषण आते हैं। जैसे कहा है—स्तम्भादीनामलङ्कारो गृहस्थार्थं निरर्थकः। जिसे सत्कार्यवाद ही स्वीकार है उसके घर के निमित्त स्तम्भादिकों का भ्रंशकार निरर्थक हो जाता है।

जिसके पूर्व उत्पत्ति की जाती है उसका अस्तित्व है ऐसा कहना युक्ति संगत नहीं। सत् का यदि जन्म होता तो उत्पन्न हुए का भी जन्म होता। धर्म ( पदार्थ ) यदि अद्भुतक है भी तो भी जप, तप और नियम व्यर्थ हो जाते हैं। अतएव कोई भी कार्य सत्कार्य से उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार विद्वानों को सत्कार्यवाद में कथित दूषण एकत्वपक्ष में प्रयुक्त करना चाहिए।

असत्कार्यवादी अन्यत्ववादी हैं जिनके मतानुसार कार्य और कारण में अन्यत्व है। वे मानते हैं कि सत् से उत्पत्ति निरर्थक होती है और असत् ही कार्य उत्पन्न होता है। उनके अन्यत्व पक्ष में भी पूर्वोक्त असत्कार्यवाद में उपलक्षित दूषण आ जाते हैं।

जो कार्य-करण में एकत्व और अन्यत्व दोनों को कल्पना करते हैं वे सदसत्कार्यवादी हैं। वे देवदत्तका आत्मत्व व्यवस्थित है और अव्यवस्थित है ऐसा मानते हैं। तथा मञ्जरो, केयूर आदियों का सुवर्णात्मत्व व्यवस्थित है और अव्यवस्थित है ऐसा प्रतिपादन करते हैं। उनके सदसत्कार्यवाद के खण्डन में एकत्व और अन्यत्व पक्ष में कथित दूषण उपस्थित किये जा सकते हैं।

जिनके दर्शन में घटादिकों के आभावसे अपने कारणोंके निमित्त अन्यत्व और एकत्वादि सद्हेतुक हैं उनका सद्वाद, असद्वाद के निराकरण द्वारा सत् भी नहीं हाता व असत् भी नहीं होता। दोनों के न होने पर नोभय ( सदसद्वाद ) नहीं होता। क्योंकि जब सद्वाद और असद्वाद दोनों की संभावना नहीं तब किसके निषेध से सदसद्वाद होगा। इस प्रकार क्रमशः सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद और सदसत्कार्यवाद तथा नोभय ( न सत्कार्यवाद न असत्कार्यवाद ) यह क्रम है। इसे विद्वद्गण एत्वादियों में नित्य प्रयोग करें।

सदसत् सदसत्चेति नोभयं चेति चक्रमः।

एष प्रयोज्यो विद्वद्भिरैकत्वादिषु नित्यशः ॥ ३४६ ॥

उनमें सत् का तात्पर्य आत्मा है और असत् का तात्पर्य अनात्मा है। सत् और असत् के अभाव से असत् है। इस प्रकार आत्मा भी है और आत्मा के अभाव से अनात्मा भी है। न सत् है और न असत् है। इसका तात्पर्य है— न आत्मा है न अनात्मा है। और नोभय। अथवा एकत्व, अनेकत्व, उभय और अनुभय।

उनमें पट और शुक्ल में एकत्व है ऐसा जिनका मत है वह सत् है। यह क्रम विषय से और काल के लक्षण में प्रयोज्य है। विषय से इस प्रकार है— यदि पट और शुक्ल में एकत्व है तो जहाँ जहाँ शुक्ल है वहाँ वहाँ पट होना चाहिए और जहाँ जहाँ पट है वहाँ वहाँ शुक्ल होना चाहिए। परन्तु जहाँ जहाँ शुक्ल है वहाँ वहाँ पट नहीं है और जहाँ जहाँ पट नहीं है वहाँ वहाँ शुक्ल है। तब इस स्थिति में पट और शुक्ल में अपेक्षित एकत्व नहीं मिल सकता। क्योंकि विषय का भेद है।

काल से क्रम इस प्रकार है। काल तीन प्रकार का है—अतीत, अनागत और वर्तमान। अतीत अवस्था में ही पहले उत्पन्न हुआ शुक्ल देखा गया। यदि पट और शुक्ल दोनों में एकत्व है तो यदि शुक्ल पूर्वजात है तब पट भी पूर्वजात होना चाहिए। यदि पट पश्चात् जात है तो शुक्ल भी पश्चाज्जात ( पीछे उत्पन्न हुआ ) होना चाहिये। यदि पूर्वजात शुक्ल में वर्तमान पट बाद में उत्पन्न होता है तो जो पूर्व जात है और जो पश्चाज्जात है उन दोनों में एकत्व नहीं होगा क्योंकि उनमें उत्पत्ति क्रम का भेद है। यदि पट और शुक्ल में एकत्व है तो शुक्ल शुक्ल में पट विलीन हो जाता और पट में भी शुक्ल विलीन हो जाता। जब शुक्ल शुक्ल में विलीन होता है पट नहीं और पट में भी पट ही विलीन होता है, शुक्ल नहीं। तब पट और शुक्ल में एकत्व नहीं हो सकता। विलय और विलयाभाव में भेद होता है।

यदि शुक्ल के योग से पट शुक्ल है ऐसा कहा जाय तो इसके उत्तर में आचार्य का यह कहना है कि यदि शुक्ल के योग से पट शुक्ल होता है तो यह पट शुक्ल के योग से शुक्ल लक्षण प्राप्त करता है अथवा नहीं। यदि शुक्ल लक्षण प्राप्त करता है तो पट शुक्ल ही होता और पट का पटत्व नष्ट हो जाता। यदि शुक्ल-स्वरूप प्राप्त नहीं होता तो योग होने पर भी पट शुक्ल नहीं होता। अतएव शुक्ल योग से पट शुक्ल है ऐसी मान्यता निर्दाष नहीं। पट जैसे शुक्ल नहीं होता वैसे ही पट के जो नील, पीत, रक्त, रक्त पीत, कपिल, कपोत, कृष्ण आदि वर्ण और दीर्घ, ह्रस्व, कोमल, बठिन इत्यादि विशेष हैं उनसे भी पट अन्य ही

है। इस प्रकार सभी का अभाव हो जायगा। और सभी का अभाव हो जाने पर पट का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जैसे पट नहीं होगा वैसे ही समस्त पदार्थ भी नहीं होंगे। क्योंकि गुण विशेष उनसे भिन्न ही हैं।

जिसका पक्ष नोभय है उनका भी प्रतिषेध मंशेपतः कहा जाता है। यदि पट और शुक्ल में न एकत्व है और न अन्यत्व है, इस प्रकार उभय लक्षणों का अभाव है तो शुक्ल भी शुक्ल ही नहीं होगा और अशुक्ल भी नहीं होगा। पट भी पट ही नहीं होगा, अपट (पटाभाव) भी नहीं होगा। अतएव शुक्ल में जब दोनों लक्षण प्राप्त हैं तब शुक्ल ही उसका नाम क्यों है, कृष्ण क्यों नहीं? बात यह है कि चूँकि उसका नाम शुक्ल है, कृष्ण नहीं, इसलिए शुक्ल ही है। उभय लक्षणाभाव वाले उस पटका 'पट' यह नाम क्यों है पट क्यों नहीं? चूँकि उस पट का 'पट' यह नाम है, अट नहीं, इसलिए पट ही है। इस प्रकार शुक्ल ही और पट ही मिट्ट होता है। अथवा उनमें एकत्व और अन्यत्व होना चाहिए। एकत्व होने पर फिर से भी एकत्व प्रतिषेध का क्रम ही कथनीय है। परन्तु अन्यत्व होने पर अन्यत्व प्रतिषेध का क्रम कथनीय है। इस प्रकार सभी पदार्थों का प्रतिषेध आर्यदेव ने प्रतीत्य समुत्पाद का तात्पर्य निःस्वभाव माना है और उसे स्वप्न सदृश शून्यतात्मक तथा अनात्मक कहा है।

प्रतीत्य भ्रमवो यस्य स स्वतन्त्रा न जायत ।

न स्वतन्त्रमिदं सर्वं स्वयं तेन न विद्यते ॥ ३४८ ॥

सभी संस्कृत पदार्थ प्रतीत्य समुत्पन्न होते हैं। इस प्रायः जिस पदार्थ का समुत्पाद कारण पूर्व होता है वह स्वतन्त्र नहीं क्योंकि उसकी उत्पाद हेतु और पत्थ्यों से होती है। इसलिए जिस पदार्थ का अविनति होता है वह स्वभावतः विद्यमान नहीं। अतएव प्रतीत्य समुत्पन्न पदार्थ का स्वरूप स्वतन्त्र न होने से पदार्थ शून्यतात्मक ही जाता है। परन्तु इसका तात्पर्य सभी पदार्थों का अभाव नहीं है। इसलिए प्रतीत्य समुत्पन्न वस्तु माया के समान है। निःस्वभाव होने से भाव दर्शन विपरीत हो जाता है। इसलिए भाव स्वभाव त्ववादियों के मत में प्रतीत्यसमुत्पादाभाव और शास्वताच्छेद दृष्टि ये दो दोष उदास्यत हो जाते हैं ( ३४६-५० )।

यदि संस्कृत का लक्षण अतिरिक्त होता तो विद्यमान संस्कृत पदार्थ का भी अस्तित्व न होता क्योंकि यह उत्पाद यदि संस्कृत पदार्थ को उत्पन्न करता है तो वह विद्यमान संस्कृत पदार्थ को उत्पन्न करता है या अविद्यमान संस्कृत

पदार्थ को ? जिसका पक्ष असत्कार्यवाद है उसका बीजा वस्था में अंकुर के न होने से हेतु-प्रत्यय सामग्री द्वारा बीज भण में ही अंकुर उत्पन्न हो जाता । इसलिए उस वादी का "असदन्ते जायते वेद" यह पक्ष है । परन्तु असत् पदार्थ की उत्पत्ति नहीं देखी जाती । अन्यथा खर-विषाण आदि की भी उत्पत्ति का प्रसंग उपस्थित हो जायगा । इसलिए "नेना राब्जायते कुतः" कहा है ।

असत्त्व कारण है । असत्त्व से असत् पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती । इस दोष के भय से सत्कार्यवाद के अनुसार सत् ही उत्पन्न माना जाता है । ऐसा स्वीकार करने पर प्रश्न उठता है । यदि सत् ही उत्पन्न होता तो वह कहीं से उत्पन्न होता ?

यदि उत्पत्ति के अत्यन्त पूर्व बीजावस्था में ही अंकुर की उत्पत्ति की कल्पना की जाती तो उत्पत्ति नहीं होती । क्योंकि सत् का सद्भाव ही ही । सत् की उत्पत्ति की परिकल्पना करने पर उत्पत्ति की अनवस्था का प्रसंग उपस्थित हो जायगा । अतएव सत् की उत्पत्ति नहीं होती ( ३५१ ) ।

चूँकि उत्पन्न हुए अंकुर से बीज रूप हेतु नष्ट हो जाता है । इसलिए असत् रूप से विद्यमान अंकुर बीज से उत्पन्न होता है ऐसी भी मान्यता युक्ति संगत नहीं । जैसे यव, गोधूम आदियों में अविद्यमान घान्याङ्कुर विकार से उत्पन्न नहीं होते उसी प्रकार अविद्यमान विकार से भी घान्याङ्कुर उत्पन्न नहीं होते । जैसे तिल रूप में परिणामन होने पर तिल नष्ट हो जाता है वैसे ही अंकुर के उत्पन्न होने पर उसका बीज नष्ट हो जाता है । अतएव असत् पदार्थ उत्पन्न नहीं होता । तथा सिद्ध ( उत्पन्न ) अंकुर पुनः सिद्ध ( उत्पन्न ) नहीं होता । इस प्रकार सत् का भी उत्पाद नहीं होता ( ३५२ ) ।

जब यह अंकुर आत्म भाव को प्राप्त हो जाता है तब इसका रूप सिद्ध हो जाता है । इस प्रकार इसको जाति ( जन्म ) नहीं होती । जब इसका रूप सिद्ध नहीं होता तब भी इसका जन्म युक्ति संगत नहीं । आसिद्ध रूप के असत्भाव आश्रित जन्म की सम्भावना नहीं रहती । इसलिए जन्म और किसी प्रकार भी संभव नहीं होता । कुछ सिद्ध होता है परन्तु कुछ सिद्ध नहीं होता । इस प्रकार दोनों पक्षों में उक्त दोष उपस्थित होने से अपनी और दूसरे की उत्पत्ति नहीं होती । इस प्रकार जब तीनों कालों में भी जन्म सम्भव नहीं दिखाई देता तो प्रकारान्तर यह कथ्य है कि जन्म कभी भी नहीं होता । जहाँ इसका उत्पाद होता है वह काल नहीं है ।

जातिस्त्वदा न भवति न जातिरन्यथापि च ।

तदान्यदा न चेज्जातिः कदा जाति भविष्यति ॥ ३५३ ॥

जिस प्रकार दुग्ध स्वभाव से अवस्थित दुग्ध की उत्पत्ति नहीं होती। उसी प्रकार दुग्ध से अन्य दधि पदार्थ की भी उत्पत्ति नहीं होती। दधि भूत दुग्ध में दुग्ध दधि है ऐसा नहीं माना जा सकता। जब दधि होगा तो उस समय वह दुग्ध नहीं होगा। और जब वह दुग्ध होगा तब वह दधि नहीं होगा। इस प्रकार दुग्ध दधि हो जाता है ऐसी मान्यता युक्ति संगत नहीं ॥ ३५४ ॥

उत्पत्ति के पूर्व संस्कृत पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। यदि यह माना जाय कि उत्पत्ति काल में उसने जन्म ग्रहण किया, स्थिति काल में ठहरा और मंगकाल में उसका भङ्ग हो गया तो भी युक्ति संगत नहीं। क्योंकि यहाँ उत्पत्तिकाल में स्थिति और मंग दोनों का अभाव होने में स्थिति और मंग से रहित संस्कृत का अभाव हो जाता है और इसलिए उत्पत्ति नहीं होती। तथा स्थिति काल में और मंग काल में दोनों का अभाव रहने से एक एक की प्रवृत्ति नहीं होती। उस प्रवृत्ति के न होने से संस्कृत नहीं होता ॥ ३५५ ॥

घटका स्वतः सिद्ध स्वरूप कपाल की अपेक्षा से नहीं है। कपाल का भी स्वतः सिद्ध स्वरूप शर्करा ( घूली, रेत ) की अपेक्षा से नहीं है। अतएव इस प्रकार अन्य पदार्थ के अभाव होने पर कपाल में घटका स्वभाव ( घटत्व ) नहीं है। उसी प्रकार कपाल स्वभाव के होने पर उन कपालों का घटकी अपेक्षा से अन्यत्व भी नहीं होता। इस प्रकार चूँकि स्वभाव के बिना किसी का भी अन्यत्व नहीं होता, इसलिए दोनों से उत्पत्ति नहीं होती। और स्वरूप के प्रसिद्ध होनेपर दूसरे से भी उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार उत्पत्ति नहीं होती ॥ ३५६ ॥

और भी। यह उत्पाद उत्पत्ति के पूर्व होता है या पश्चात् होता है अथवा युगपत् ( एक साथ ) होता है। यदि पूर्व होता है तो प्राश्रय का अभाव होने से मान्य नहीं है। यदि पश्चात् होता है तो अनुत्पन्न का असत्त्व होने से और उत्पत्ति की व्यर्थता होने से वह स्वीकार्य नहीं। यदि युगपत् पक्ष को स्वीकार किया जाय तो वह भी संभव नहीं क्योंकि दोनों के उपकार की अपेक्षा नहीं रहेगी। अतएव चूँकि उत्पत्ति और उत्पाद का क्रम निर्धारण करना संभव नहीं है इसलिए घटकी और जातिकी उत्पत्ति एक साथ नहीं हो सकती। जब सद्भाव ही नहीं है तो घट उत्पन्न हुआ यह कहना भी युक्तिसंगत नहीं ॥ ३५७ ॥

घट का जीर्ण स्वरूप उपलब्ध होने से घट का उत्पाद होता है यह कहना भी उपयुक्त नहीं। जीर्ण की ओ जीर्णता है वह यदि लोक में वस्तुके पूर्व उत्पन्न



हुई मानी जाय तो घटके पूर्व उत्पन्न हुई अवस्था का जीर्णत्व युक्ति युक्त नहीं । क्योंकि उस समय उसकी संज्ञा नूतन होगी अर्थात् ढ़डा उम समय नया होगा । पश्चात् उत्पन्न हुई अविकल अवस्था में बाद में उत्पन्न होने के कारण, नूतनना रहती है । फिर जीर्णता कहाँ होगी ? यदि पूर्व में उत्पन्न हुई वह जीर्णता इस समय रहती है ऐसा कहा जाय तो प्रश्न उठता है कि वह जीर्णता वही है अथवा अन्य है । यदि वह वही है । तो नवीन अवस्था का विनाश न होने से वह जीर्ण नहीं है । यदि वह जीर्णता अन्य है तो वह भी उसी के समान उत्पन्न हुई है । इस प्रकार वह नूतन ही है, जीर्ण नहीं । अतएव ऐसा होने पर जीर्णता के अभाव से उत्पाद नहीं देखा जा सकता ! ३५८ ॥

उत्पाद त्रिकाल में भी युक्ति संगत नहीं माना जा सकता । हेतु और फल का युगपत् सम्बन्ध न होने पर भी हेतुफल की अनुपपत्ति होती है । निरात्मक होने के कारण अनागत का सद्भाव नहीं । अतीत से भी इसकी उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि अतीतका भी सद्भाव नहीं रहता । इस प्रकार जब तीनों कालों में उत्पाद नहीं हाता तो स्वरूपतः उत्पाद नहीं है यह सिद्ध हुआ ॥ ३५९ ॥

अतएव निश्चय ही पदार्थ निःस्वभाव होना चाहिए । पदार्थ तो संश्लेषका कारण भूत कृतक रूप प्रतीत्य समुत्पन्न है । यह उमी प्रकार है जिस प्रकार माया द्वारा निर्मित हाथी, अश्व आदि हैं । अज्ञानी उसकी कल्पना स्वभावमय करत हैं । परन्तु प्रार्थ ( विद्वान् ) पदार्थ को माया मरीचिके समान निःस्वभाव ही जानते है । पारस्परिक विरोध होने से उत्पाद, स्थिति और भंग की उत्पत्ति न युगपत् होती है और न क्रमशः ।

संस्कृत रूप से उत्पाद आदि के स्वाकार किये जाने पर उत्पाद, स्थिति और भङ्ग में सभी वस्तुओं को पुनः उत्पत्ति हाती है । और पुनः उत्पत्ति होने पर उत्पत्ति के बाद उत्पत्ति होगी । जैसे उत्पत्ति के बाद उत्पत्ति होने न्यायोचित है वैसे ही भङ्ग ( विनाश ) होना भी न्यायोचित है । इसलिए भङ्ग का भी संस्कृतत्व होने के कारण उत्पाद, भङ्ग और स्थिति से सम्बन्ध है । अतएव भङ्ग का भी अन्य भङ्ग का सद्भाव होने से विनाश होगा । उस भङ्ग का भी विनाश होगा । उसके बाद होने वाले भङ्ग का भी विनाश होगा । इस प्रकार अनवस्था दोष हो जावेगा । और अनावस्था होने पर सभी पदार्थों की असिद्धि हो जावेगी । इसलिए स्वभावतः संस्कृत लक्षणों की सिद्धि नहीं हो सकती ।

उत्पादस्थिति भङ्गानां युगयन्नास्ति सम्भवः ।

क्रमशः सम्भवो नास्ति सम्भवो विद्यते कदा ॥ ३६१ ॥

उत्पादादिषु सर्वेषु सर्वेषां सम्भवः पुनः ।

तस्मादुत्पादवभङ्गो भङ्गवद् दृश्यते स्थितिः ॥ ३६० ॥

जैसे शीत, उष्ण, सुख दुःख आदि में एक एक का अभाव होने से ही दूसरे की स्थिति का आभास होता है उसी प्रकार लक्ष्य भी यदि लक्षण से भिन्न होगा तो उसमें अनित्यता कैसे रहेगी ? और संस्कृत के बिना अनित्यता होती नहीं । इसलिए लक्षण से लक्ष्य भिन्न नहीं स्वीकारा जा सकता । इस दोष से मुक्त होने की इच्छा से यदि लक्ष्य लक्षण में अनन्यत्व की कल्पना की जाय तो वह दूसरा दोष होगा । इसलिए चारों (लक्ष्य, लक्षण, भाव और अभाव) का सद्भाव स्पष्टतः नहीं है । यदि लक्षणत्रय ( उत्पाद, स्थिति और भङ्ग ) और लक्ष्य इन दोनों का एक ही स्वीकार किया जाय तो लक्षणत्रय और लक्ष्य ये चारों पदार्थ भी नहीं होंगे । क्योंकि यहाँ दोनों का एक मान लेने पर लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती । और लक्ष्य को भी लक्षण नहीं माना जा सकता । इस प्रकार चारों का भी सद्भाव नहीं होता । तब स्वरूप की अनिच्छि हानि से तत्त्व और अन्यत्व स्वीकार नहीं किये जाने चाहिए ।

भाव का तात्पर्य सिद्धरूप अक्षुर है । वह भाव अर्थात् अतिकृत बीज से उत्पन्न होता है यह कथन युक्ति संगत नहीं । क्योंकि अतिक्रयमाण बीज की उत्पत्ति सम्भव नहीं और न सिद्धाक्षुर रूप भाव का रूप भी पुनः उत्पन्न होता है । अभाव से भी भाव की उत्पत्ति नहीं होती । अभाव से अग्नि से जले हुए बीज में फल उत्पन्न करने की शक्ति का अभाव होता है । इसलिए उत्पन्न होने वाले पदार्थ की पुनः उत्पत्ति नहीं होती । "अभावान्न जायते का यही तात्पर्य है । अभाव से भी अभाव की उत्पत्ति उसी प्रकार नहीं होती जिस प्रकार बन्ध्या को पुत्रोत्पत्ति नहीं होती । भाव से भी अभाव की उत्पत्ति नहीं होती । उसमें भी उक्त दोष का प्रसंग आ जाता है । जब भाव से भाव और अभाव से अभाव उत्पन्न नहीं होता तब उत्पत्ति नहीं हो सकती । इसलिए हेतु प्रत्यय द्वारा किस पदार्थ का सद्भाव है ?

वस्तुतः भाव, अभाव और भङ्ग, तीनों को उत्पत्ति कल्पित है । भाव का तात्पर्य सद्भाव है । सद्भाववात् पदार्थ की पुनरुत्पत्ति नहीं होती । क्योंकि सत् पदार्थ की उत्पत्ति निरर्थक है । इसलिए "भावो नैव भवेद् भावः" कहा है । असत् पदार्थ की भी उत्पत्ति नहीं होती । अन्यथा बन्ध्या के भी पुत्रोत्पत्ति का प्रसंग उपस्थित हो जायगा । इस प्रकार सत् पदार्थ न सत् है और न असत् इसलिए उत्पाद सम्भव नहीं । इसका भङ्ग भी नहीं होता । क्योंकि असत्

कार विषाण के समान अभाव का अभाव नहीं होता। भाव पदार्थ का भी अभाव नहीं होता अन्यथा परस्पर विरोध उपस्थित होगा। अविद्यमान् पदार्थ के अभाव में भङ्ग नहीं हो सकता। और उत्पाद तथा भङ्ग के अभाव में संस्कृत नहीं यह सिद्ध हो जाता है। भगवान् बुद्ध ने जैसे कहा है कि संस्कृत, असंस्कृत सब कुछ छोड़कर उन स्त्रियों को कोई विकल्प नहीं। दृष्टि प्राप्त व्यक्तियों द्वारा सभी स्थितियों में असंस्कृत प्राप्त वस्तु सदैव छोड़ दी जाती है।

संस्कृत ऽसंस्कृत सर्व विविक्ता नास्ति विकल्पेन तेषमृषीणाम् ।  
सर्वं गतीषु असंस्कृतं प्राप्तं दृष्टिं गते ह सदैव विविक्ता ॥

जायमान पदार्थ की उत्पत्ति होती है “यह कथन भी युक्ति सगत नहीं। यदि कोई पदार्थ कुछ उत्पन्न हो और कुछ अनुत्पन्न हो तो ऐसी स्थिति में उसे जायमान् नहीं कहा जा सकता। जान और अजात इन दो स्थितियों के अतिरिक्त कोई तीसरी स्थिति सम्भव नहीं इसलिए असत् होने के कारण जायमान पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। यदि दानों रूपों को जायमान् स्वीकार किया जाय तो “किञ्चिज्जात” वाला रूप जातान्तर्गत होने के कारण उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि सत् पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती यह पहले कह दिया गया है। उसके द्वितीय रूप “यत्किञ्चिदजात” की भी उत्पत्ति नहीं होती। क्योंकि असत् पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती ॥ ३६४ ॥

फिर भी यदि जात और अजात (उत्पन्न और अनुत्पन्न) इन दोनों में जायमानत्व की कल्पना की जाय तो अजात और अजागत में भी जायमानत्व मानना पड़ेगा। इसीलिए “अथ वा जायमानत्व मवस्यैव प्रसज्यते” कहा है। जन्म रूप व्यापार जिसने प्राप्त कर लिया वह ‘जात’ कहलाता है। उसका असदभाव अतीत में ही होता है। अजात वस्तु अजागत होती है। इसीलिए यहाँ जायमान की जाति (उत्पत्ति) की कल्पना की गई। अथवा त्रिकाल में सभी को जायमान के अन्तर्गत रखा जा सकता है। अथवा दूसरे शब्दों में कहा जाय कि कोई भी वस्तु ‘जायमान’ नहीं होती ॥ ३६६ ॥

जो जायमान स्वभाव वाला है वह स्वयं द्वारा व्यवस्थित होने से कार्य कहा नहीं जा सकता। जो जायमानारम्भ कार्य है वह भी जायमान नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जायमान पदार्थ के स्वरूप का सदभाव नहीं है। जो जायमानारम्भ कार्य है वह भी अजायमान के समान जायमान नहीं होता और जायमान का अभाव होने पर जायमान पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती (३६७)।

जिस वादी के दर्शन (मत) में मध्य बिना अतीत व अनागत इन दोनों को उत्पत्ति सम्भव नहीं उसे जायमान नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उस जायमान पदार्थ का मध्य अपेक्षित है। जैसे जायमान पदार्थ के अन्तर्वर्ती अतीत व अनागत काल हैं। वैसे ही उस जायमान पदार्थ को जात-अजात इन दो रूपों के मध्य में होना चाहिये। इसी के आधार पर जात-अजात की व्यवस्था होती है। और जात अजात के मध्यवर्ती तृतीय जायमान पदार्थ की व्यवस्था कराने के लिए यह सम्भव नहीं। क्योंकि सर्वत्र ही जात-अजात इन दोनों के बीच 'जायमान' रूप कल्पना की अनवस्था का प्रसंग उपस्थित होगा (३६८)।

यह पदार्थ चूँकि 'जात' इस संज्ञा से अभिहित है इसलिए जायमान नहीं है। और जायमान के असम्भव होने पर 'जात' यह संज्ञा ही नहीं है जिसके उत्पन्न होने पर उसे 'जायमान' की कल्पना की जा सके। और फिर यदि उत्पन्न होने पर भी जायमान उसे कहा जाय तो उसकी उत्पत्ति असम्भव है जायमान होने के कारण। इसी का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है "जात उत्पद्यते कस्मा-जायमानो यदा तदा।" जब उत्पन्न हुआ पदार्थ ही 'जायमान' कहलाता है तो वह जायमान पदार्थ किससे उत्पन्न होता है? सिद्ध होने से इसकी उत्पत्ति की कल्पना युक्त नहीं। यही इसका तात्पर्य है। अतएव जायमान पदार्थ उत्पन्न होता है यह कथन युक्ति संगत नहीं ( ३७० )।

इसके अतिरिक्त निस्पन्न पदार्थ ही विद्यमान कहलाता है। अविद्यमान पदार्थ अतिस्पन्न अथवा अकृत माना जाता है। इन दोनों अवस्थाओं को छाड़कर जायमान पदार्थ यदि विद्यमान नहीं तो उसे क्या नाम दिया जायगा? इस प्रकार जब "यह पदार्थ है" ऐसा जायमान पदार्थ के विषय में नहीं कहा जा सकता तो स्वरूप के निर्धारण न होने के कारण उसे 'असत्' ही कहा जाना युक्ति संगत है (३७४)।

अतएव परीक्ष्यमाण पदार्थ स्वभावतः सिद्ध नहीं होते। माया के समस्त वे शून्य हैं यह सिद्ध है (३७५)।

### ७--शून्यता सिद्धि

शून्यता के वास्तविक अर्थ को निश्चित किये बिना परिग्रह ( भ्रासक्ति ) छोड़कर संसार में कोई भी ऐसा समर्थ व्यक्ति नहीं जो निर्वाण में स्पृहा उत्पन्न कर सके। और वह शून्यतार्थ जगत के लिए अस्थान्त भ्रासकर होने के कारण

कटु भाषण में निपुण पुरुष द्वारा राजा की प्रिय भार्या के मरणक्रम विषयक समाचार में सौमनस्य उत्पन्न करने के समान किमी भी युक्ति से विद्वानों को भ्रवतार्थ है। ग्रहकार ममत्व और स्नेह से विपर्यस्त संसार अनित्य वस्तु में ही क्षणभंगुरता न देखने से मात्र सस्कार के प्रवाह का स्पष्ट ज्ञान न होने से शून्यता दर्शन से विशेष सम्बन्धित नित्यता को निश्चित कर सम्मिलित रहता हुआ समार को असून्य ही स्वीकार कर रहा है। वक्ता भी माध्यमिक दर्शन में प्रतीत्य समुत्पन्न ( कारण पूर्वक उत्पन्न ) है और कर्ता के रूप में कहा गया है। वचन और वाच्य के कारण वक्ता जाना जाता है। यदि ऐसा है तो वक्ता का स्वभाव नहीं है। फलतः वाच्य और वचन दोनों का भी वक्तरूप नहीं है। जब पुरुष व्यर्थ ही है तो फिर वक्ता का स्वभाव प्रथवा रूप की भी सिद्धि नहीं होती। अतएव शून्य है। इसी प्रकार वाच्य भी वक्ता और वचन के कारण जाना जाता है। इसलिए उनका स्वभाव नहीं है। अतएव उन तीनों का भी स्वभाव तीनों में विद्यमान नहीं। इस प्रकार वक्तु, वाच्य और वचन इन तीनों की स्वभाव शून्यता सिद्ध है (३७५)।

यदि असून्य नामक कोई पदार्थ होता तो उसका प्रतिपक्षी शून्य पदार्थ भी होता। परन्तु असून्य पदार्थ वा तो अस्तित्व है नहीं। क्योंकि किस भी अहेतुक पदार्थ का आकाश कुसुम के समान सद्भाव असम्भव है। जब असून्य का सद्भाव असम्भव है तो उसका प्रतिपक्षी शून्य भी अपने प्रतिपक्षा के बिना अस्तित्वहीन है। याद कुक्कुर ( कुत्ता ) नहीं तो वह कपि ( बन्दर ) का प्रतिपक्षी नहीं हो सकता। अन्य विरुद्ध पदार्थ के बिना विरुद्ध पदार्थ कहीं भी संभव नहीं। और उस विरुद्धार्थ के बिना शून्य का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। इसीलिये कहा गया है कि समस्त दृष्टियों के निर्गमन का कारण शून्यतामयी दृष्टि है—

जैसे कोई काश्यप नामक पुरुष रोग हो जाय। उसके लिए वैद्य दवा दे। वह दवा उसके सभी दावों को दूर कर कोष्ठ से न निकले। तो काश्यप क्या मानते हो कि वह रोग पुरुष उस रोग से मुक्त हो जायगा? काश्यप ने उत्तर दिया। नहीं, भगवान। उस पुरुष का वह रोग अत्यन्त गाढ होगा। भगवान ने कहा— इसी प्रकार काश्यप, समस्त दृष्टियों को शून्यता निःसरण है। जिसकी शून्यतामयी दृष्टि है उसे मैं अचिन्त्य मानता हूँ ( ३८२ )

शून्यता सर्व दृष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनैः।

येषां तु शून्यता दृष्टिस्तानसाध्यान् बभाषिरे ॥ ३८३ ॥

“पदार्थ सत्त्व भावी है क्योंकि उनका विशेष रूप ‘उपलब्ध नहीं होता’ यह प्रश्न भी ठीक नहीं। क्योंकि इस दृष्टि में यदि अग्नि ही उष्ण है तो वह अनुष्ण को क्यों जलाती है ? इसलिए उसका नाम दहन भी नहीं क्योंकि दहन के बिना अग्नि का अस्तित्व ही नहीं। अतएव विशेषाभाव के कारण भाव का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता ॥ ३८४ ॥

यदि पदार्थ का सद्भाव होने से उसके अभाव का निवारण युक्ति संगत माना जा सकता है तो पदार्थ के अभाव की प्राप्ति होने से पदार्थ का कारण भी क्यों नहीं हो सकता ? इसी क्रम से सत्, असत्, सदसत् और न सदसत् यह पक्षक्रम विद्वानों द्वारा एकत्वादि में सदैव प्रयोजनीय है ॥ ३८५ ॥

परमाणु मात्र का भी जहाँ सत्य स्वरूप नहीं वहाँ भव कैसे उत्पन्न हो सकता है ? भावोत्पत्ति सर्वथा न होने पर उत्पादाभाव ही है। समस्त पदार्थों को यथावत् जानने वाले सूर्य की किरण समूह द्वारा अखिल अज्ञानरूपी अन्धकार को दूर करने वाले घोर अज्ञानान्धकार से व्याप्त रात्रि में निद्रा से विपर्यस्त संसार को उल्लास और उद्वोधन देने में तत्पर सम्यक अभिसम्बुद्ध बुद्धों का अभाव भी इसलिए युक्तियुक्त नहीं। इसी कारण से ही तत्त्वज्ञान की अपेक्षाकर कोई भी पदार्थ उपलब्ध नहीं होता। जैसा भाव के विषय में है वैसा अभाव भी स्वीकृत नहीं। अथवा स्वभाव से अज्ञात होने के कारण अभाव भी नहीं। इसलिए “अभावोऽपि अबुद्धानां” कहा है। आवकों, प्रत्येक बुद्धों और अनुत्तर सम्यक् सम्बुद्धों का अभाव भी युक्त नहीं ॥ ३८६ ॥

जहाँ अद्वैतवाद है वहाँ अज्ञात किस पदार्थ का सद्भाव होगा ? जो पदार्थ नित्य है उनका स्वरूपतः सद्भाव नहीं है। इस प्रकार सद्भाव व असद्भाव की कल्पना की परीक्षा नहीं की जा सकती। क्योंकि यह कल्पना पदार्थ की नित्यता पर आधारित है और पदार्थ नित्य है नहीं। जो पदार्थ उत्पन्न होने वाले हैं उनका भी स्वरूप नित्य नहीं। इसलिए स्वभाव लक्षण से प्रतिकूल लक्षण वाले पदार्थों के स्वभाव से सद्भाव व असद्भाव की कल्पना करना शक्य नहीं।

हेतु प्रत्यय से उत्पन्न होने के कारण स्वभावतः कृतकत्व प्राप्ति से पदार्थों का जो स्वभाव है वह निर्हेतुक ही है। निर्हेतुक सत्त्व उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार भाव के विप्रतिबंध होने के कारण भाव के अभाव होने से भाव का अभाव ही स्वभाव है। अतएव सभी का यह स्वभाव अभिन्न रूप वाला है। इस प्रकार सभी पदार्थ स्वभाव से अनुत्पन्न होने के कारण एकरूप

वाले हैं अथवा अभाव रूप स्वभाव वाले हैं। जैसे घट, गृह, क्षेत्र आदि के मिन्न होने पर भी सर्वत्र आवरण हीन होने के कारण सामान्यतः अरूप मात्र रूप वाला आकाश भिन्न स्वरूप वाला नहीं होता। और जैसे सभी संस्कृत पदार्थ अनित्य ही हैं, सभी आश्रय दुःखदायक ही है। उभी प्रकार जो सभी पदार्थों का दृष्टा है वह भी पदार्थों के भेद की व्यवस्था नहीं कर सकता। इसलिए एक पदार्थ का जो दृष्टा है वह सभी पदार्थों का दृष्टा मना गया है। एक पदार्थ की जो ही शून्यता होगी वही शून्यता सभी की होगी।

भाव स्यैकस्य यो दृष्टा दृष्टा सर्वस्य स समृतेः ।

एकस्य शून्यता यैव सैव सर्वस्य शून्यता ॥ ३८८ ॥

यदि सभी पदार्थों का अभाव रहने से परपक्ष का परिहार नहीं होता तो किसी भी युक्ति से शून्यता हेतु द्वारा निराकृत तुम्हारे स्वपक्ष की सिद्धि क्यों नहीं हांती ? असिद्धि भी नहीं कही जा सकती इसलिए यह नहीं है ॥ ३८९ ॥

ससार में जो यह कहा जाता है कि दूषक हेतु सुलभ है, ठीक नहीं। यदि दूषक हेतु हांता तो सुलभ होने से प्रतिपक्षी भी उस दूषण की उद्भावना करता। परन्तु उसे यह सम्भव नहीं अतएव दूषक सेतु सुलभ नहीं है ॥ ३९० ॥

सत् से यदि असत् ही होता है तो जो असत् है उससे सत् ही होगा। क्योंकि पदार्थ के नाम स्वभाव का अनुकरण नहीं करत। पदार्थ के वे नाम उसके स्वरूप अथवा काल से सम्प्रयुक्त नहीं होते। क्योंकि पहले या बाद में वे अभीष्ट होते हैं। इसी को और स्पष्ट करते हैं सुलोचन वाले के लिए काना ( काण ), अल्पायु वाले के लिए दीर्घायु वाला, तस्कर ( चोर ) के लिए देवरक्षित आदि प्रतिकूल अर्थ वाले नाम मिलते हैं। इसलिए 'सत्' ऐसा जो नाम दिया है उससे सत् ही होता है। यदि सत् सत् होता है इस नामकरण से पदार्थ सत् कहा जाय तो असत् होने के कारण असत् से असत् होता है इस नामकरण से सत्त्व का प्रतिषेध क्या निश्चित नहीं किया जाता ? इसकी सद्भाव की कल्पना के समान असद्भाव का ज्ञान भी युक्त है (३९२)।

यदि सत् पदार्थ का वह लौकिक स्वरूप सस्वभावत्व स्वरूप को स्पर्श नहीं करने वाले शब्दों द्वारा अभिधीयमान होता तो वह उसी स्वरूप से सद्भाव होने के कारण परमाधी ही होता, लौकिक नहीं। जब लौकिकत्व ही स्वभाव नहीं है

तो उस लौकिक का परमार्थत्व ही सिद्ध होता । और परमार्थ दर्शन से योमी संसार से मुक्त हो जाते हैं (३६३) ।

भाव का सद्भाव होने पर उसका निषेध होने से अभाववाद होता । जब उक्त न्याय से भाव ही उत्पन्न नहीं होता तब भाव के अभाव से अभावकी उत्पत्ति नहीं होगी क्योंकि भ.व के बिना अभाव कहाँ से सिद्ध होगा । (३६५) ।

हेतु के पूर्व शून्यता नहीं होती । यदि पश्चात् होती है ऐसा मानें तो शून्यता का कृतकत्व सिद्ध होगा । और कृतक माया की हाथी के प्रपञ्च के समान विसंवादक है । परन्तु शून्यता तो अक्षर सामान्य रूप है, विसंवादक नहीं । फलतः शून्यता को हेतु से साध्य नहीं माना जा सकता । यदि उसे ज्ञापक हेतु के अभिप्राय से कहा गया हो तो भी हेतु सिद्ध नहीं होता । क्योंकि “यहाँ हेतु है” यह किसी की प्रतिज्ञा का साधक वचन है । यदि उसकी प्रतिज्ञा का वह हेतु है तो उससे और होता । वैसा होने पर पक्षघर्म नहीं होता है । इस प्रकार प्रतिज्ञात अर्थ का अवगम नहीं होता । और हेतु की प्रतिज्ञा का अन्यत्व नहीं होता । जब अन्य नहीं होता तो अन्यत्व के अभाव से प्रतिज्ञा का स्वरूप के समान यह हेतु नहीं होता । इस प्रकार हेतु का विद्यमानता सिद्ध नहीं होती । अतएव पदार्थों का निःस्वभावत्व सिद्ध हो जाता है (३६७) ।

यदि दृष्टान्त की कल्पना की जाती है तो हेत्वर्थ से असम्बद्ध रूप में ही कल्पना की जाती है अथवा सम्बद्ध रूप में ? यदि सम्बद्ध रूप में की जाती है तो हेतु के दूषण द्वारा ही उसका निराकरण हो जाता है । और यदि असम्बद्ध रूप में की जाती है तो उन दोनों के प्रतिज्ञात अर्थ की सिद्धि में सामर्थ्य न होने से ही उसका कोई उपयोग नहीं । तो उस कल्पना से क्या तात्पर्य ?

यदि हेत्वर्थ से असम्बद्ध दृष्टान्त से अर्थ-सिद्धि मानी जाती है तो काक के कृष्ण दृष्टान्त से आत्मा भी कृष्ण हो जाता । परन्तु यह सम्भव नहीं । अतएव भाव के अभाव से दृष्टान्त का होना युक्त संगत नहीं (३६७) ।

शून्यता का उद्देश तत्त्व के प्रतिपादन के लिए होता है । और तत्त्व का स्वरूप स्वभाव है । यदि किसी पदार्थ का सद्भाव होता तो तत्त्व परमार्थ होता । इस प्रकार मोक्षार्थी उसी का दर्शन शुभकारी मानते, शून्यता का नहीं । तब वह गुण नहीं, प्रत्युत केवल अपवाद रूप प्रवृत्त होने के कारण दोष ही है । जब निःस्वभाव पदार्थों का विपर्यास होने के कारण सत्त्वभावत्व देखा जाता है तब लोक का अभिनिवेश हेतु होता है । पदार्थों का अध्यवसाय हेतुक कर्म-क्लेश से



बन्ध-उत्पत्ति होने से संसार में प्रवेश हो जाता है। तब निःस्वभाव पदार्थों के स्वभावत्व को प्रकाशित करने वाला यह शास्त्र आरोप व अपवाद के खण्डन। निःस्वभावत्व को प्रदर्शित करता है। लोक (संसार) भी पदार्थों के निःस्वभाव का अभ्यास कर प्रतिबिम्ब का निर्माण करने वाले मायादिक पदार्थों के सपदार्थ के अभिनिवेश में तद्धेतुक कर्म-क्लेश के क्षय से रागादिक समस्त बन्ध छेदन करने से विमुक्त हो जाता है। इस कारण से यह शास्त्र पदार्थों के निःस्वभावत्व मात्र को उपस्थित करता है।

को गुणः शून्यतादृष्ट्या स्याच्चेदभावः स्वभावतः ।

बन्धः कल्पनाया दृष्टेः सैवेह प्रतिषिध्यते ॥ ३६८ ॥

जैसा भगवान ने कहा है—निःस्वभाव योग से सभी पदार्थ शून्य होते अप्रतिष्ठान योग से सभी पदार्थ निःनिमित्त (कारणहीन) होते हैं। प्रज्ञापार्ष द्वारा सभी पदार्थ शुद्ध होते हैं—इसी प्रकार जो कारणों द्वारा उत्पन्न होते वह अज्ञात है क्योंकि उनकी उत्पत्ति स्वभावतः नहीं होती। जो कारणों (प्रत्यक्ष) के अधीन होता है वह शून्य कहा जाता है। जो शून्यता को जानता है अप्रमत्त कहा जाता है। अ. र. भी। यहां प्रतीत्यसमुत्पाद का हाना असम्भव न ऐसा कहा गया है कि कल्पना द्वारा दृष्टि का बन्ध होता है और उसी का प्रतिषेध किया जाता है। कल्पना अभूत स्वभाव वाले पदार्थों का आरोपण करती है। उससे पदार्थों का बन्ध होता है। संसार के दुःखों का नष्ट करने के लिए उस बन्ध को दूर करने के लिए प्राणियों के दुःखों से दुःखित महाकारुणिक तथागत बोधिमत्त्व प्रतीत्यसमुत्पाद के अविरुद्ध पदार्थों के निःस्वभावत्व मात्र दिखाते हैं।

जब लौकिक पदार्थ के विषय में कहने की इच्छा होती है तो बाह्य व आध्यात्मिक भेद से पञ्च स्कन्ध वाले पदार्थों को भी लौकिक मानना चाहिए परन्तु जब लोकोत्तर तत्त्व की व्याख्या की जाती है तो आर्यज्ञान की अपेक्षा पञ्च स्कन्ध वाला पदार्थों की भी व्याख्या स्वभाव-शून्य रूप से की जाने योग्य है। इनके अतिरिक्त यदि कहने की इच्छा होती है और जो बादी द्वारा नहीं स्वीकार किया जाता वह यथाथं अथवा लौकिक नहीं होता। इसलिए यह मानना है वह "यह सत् है" और "यह असत् है" ऐसा कहने का सामर्थ्य नहीं। यदि चित्तचैतन्यिक है तो षट् पटादिक भी हैं क्योंकि वे समस्त लोकप्रसिद्ध हैं। और यदि वे षट् पटादिक विचार में नहीं हैं तो चित्तचैतन्यिक नहीं है क्योंकि फल कोई युक्ति (तर्क) नहीं। ऐसा होने पर 'यह सत् है'। 'असत् है' ऐसा कहना सम्भव नहीं।

एकं सवसदेकं च नेदं तत्त्वं न लौकिकम् ।

तेनेदं सचिदमसद्वक्तुमेव न शक्यते ॥ ३६६ ॥

पक्ष का होने पर अन्यथा मिट्ट हो जाने के कारण चिरकाल से उसमें दूषण हो जाता है । परन्तु सत् और असत् दोनों पक्षों का खण्डन करने वाले को पक्ष का परिग्रह ही नहीं उसके लिए सत्-असत् दोनों पक्षों का खण्डन करने से चिरकाल पर्यन्त भी दूषण उपस्थित करना सम्भव नहीं । आकाश रूपी है नहीं और चिरकाल से उसका रूपी होना सम्भव भी नहीं रहा । इस प्रकार वादियों द्वारा भी उनके आश्रित तीनों पक्षों के असम्भव होने पर शून्यतावाद में दूषण उपस्थित करना सदैव से भी असम्भव रहा । क्योंकि पण्डितों द्वारा शून्यतावाद में दूषण लगाना आकाश में चित्र बनाना अथवा लोहे की प्रतिमा निर्मित करने के समान पीड़ा कारक समझना चाहिए । जैसे सूर्य की किरणों से निरस्त तिमिर ( अन्धकार ) द्वारा चिरकाल में भी आकाश काला नहीं किया जा सकता उसी प्रकार गम्भीर, उदार और अविन्द्य प्रतीत्यसमुदाय रूपी सूर्य किरण द्वारा समस्त वादियों के समय ( सिद्धान्त ) रूपी अन्धकार खण्डित हो गये ऐसा समझना चाहिए । और भी कहा गया है । जैसे यहाँ अनुमं सूर्य अत्यन्त घने अन्धकार समूह का उन्मूलन करता है उसी प्रकार यह शून्यतावाद रूपी सूर्य सत्-असत् आदि सिद्धान्त रूपी अन्धकार का उन्मूलन करता है ।

## ४-विज्ञानवाद

माध्यमिक सम्प्रदाय के शून्यवाद के विपरीत विज्ञानवाद का उत्थान हुआ । तदनुसार जगत् के समस्त पदार्थ शून्य अले ही हों पर शून्यात्मक प्रतीति के ज्ञापक विज्ञान को सत्य पदार्थ अथवा स्वीकार किया जाना चाहिए । चित्त, मन अथवा बुद्धि की इस अभूतपूर्व प्रतिष्ठा के कारण हो इसे विज्ञानवाद कहा गया है । वह उसका आध्यात्मिक नाम है । धार्मिक और व्यावहारिक दृष्टि से इसे योगाचार कहा गया है । इसमें शमथ और विपश्यना रूप योग-मार्ग का आचरण किया जाता है । मैत्रेयनाथ का अभिसमयालंकार तथा असग का योगाचार भूमिशास्त्र योगाचार के विशिष्ट प्रतिपादक ग्रन्थ हैं । तिग्मती परम्परानुसार सन्धि निर्मोचन, संकाशतार तथा घनब्यूह नामक ग्रन्थ भी इसी श्रेणी में आते हैं । ई० पू० प्रथम शताब्दी से ई० तृतीय शताब्दी तक इस सम्प्रदाय का प्रारम्भकाल, तृतीय से पंचम शताब्दी तक उत्थानकाल और उसके बाद विक्रमकाल कहा जाता

है। इन्हें क्रमशः सूत्रकाल, शास्त्रकाल तथा न्यायकाल की भी संज्ञा दी गई है।<sup>१</sup>

विज्ञानवाद को निरालम्बनवाद भी कहा गया है। उसकी सिद्धि आलम्बन के बिना भी की जाती है। शून्यवाद के विरोध में विज्ञानवादियों ने यह तर्क उपस्थित किया कि चूँकि ज्ञान के माध्यम से ही बाह्यार्थ सत्ता की प्रतीति होती है अतः विज्ञान ही परमार्थ माना जाना चाहिए। अरसंग ने इस परमार्थ के विषय में कहा है कि वह 'परमार्थ न सत् है, न असत्, न तथा है न अन्यथा; न इसका उदय होता है न व्यय, न इसकी हानि होती है न वृद्धि; यह विशुद्ध नहीं होता, पुनः विशुद्ध होता है। यही परमार्थ का लक्षण है।'<sup>२</sup> तथ्यता, निर्वीण, धर्मधातु आदि नाम इसके पर्यायार्थक हैं। विज्ञानवाद की दृष्टि में बाह्य दृश्य पदार्थ की सत्ता नहीं। मात्र चित्र ही विचित्र रूपों में दिखाई देता है। कभी वह देह के रूप में और कभी भोग के रूप में प्रतिष्ठित रहता है। विज्ञानवाद का यही अद्वयवाद है।

दृश्यते न विद्यते बाह्यं चित्तं चित्रं हि दृश्यते ।

देहभोग प्रतिष्ठानं चित्तमात्रं वदाम्यहम् ॥<sup>३</sup>

विज्ञानवाद में ब्राह्म-ब्राह्म-ब्रह्मण अथवा ज्ञेय-ज्ञाता-ज्ञान की सत्ता है। ये सभी विज्ञान चित्त के काल्पनिक परिणामन हैं, वास्तविक नहीं। वहाँ आत्म दृष्टि को भी भ्रम मात्र माना है। अवस्था भेद से विज्ञान आठ प्रकार का है—बभ्रु-विज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, घ्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान, कायविज्ञान, मनोविज्ञान, क्लिष्टमनोविज्ञान और आलयविज्ञान। प्रथम सात विज्ञानों को प्रवृत्ति-विज्ञान कहते हैं। आलयविज्ञान में उनका आविर्भाव होता है और उसी में वे विलीन हो जाते हैं।

आलय विज्ञान विज्ञानवाद का बहुचर्चित सिद्धान्त है। यह उसका एक ऐसा कवच है जिसके बल पर विज्ञानवादी आचार्यों ने अपने सिद्धान्तों का बचावकर संरक्षण किया है। बौद्धतर दार्शनिकों ने इसे अपनी कटु आलोचना का विषय बना लिया। स्थिरमार्त ने आलय का अर्थ क्लेशोत्पादक धर्मों के बीजों

१—बौद्ध-धर्म के विकास का इतिहास पृ० ४०१

२—बौद्धधर्म दर्शन, पृ० ३६०

३—संकाशतार, ३.२७

का स्थान, कार्य रूप से सम्बद्ध रहने के कारण समस्त धर्मों के लय होने का स्थान तथा कारण रूप से सब धर्मों में अनुस्यूत होने का स्थान किया है।<sup>१</sup>

भालयविज्ञान को मूलविज्ञान, कर्मस्वभाव और कारणस्वभाव भी कहा गया है। इस दृष्टि से उसे बौद्धेतर धर्मों में मात्र आत्मा का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। यह साश्रव और अनाश्रव कर्मों का बीज स्थान है। कुछ उसे प्रकृतस्थ मानते हैं और कुछ भावनामय मानते हैं। सृष्टि-परम्परा का वह एक विशेष कारण है। बीज भालयविज्ञान के आधार पर धर्म को उत्पन्न करते हैं और धर्म भालयविज्ञान के गर्भ में बीज का संग्रह करते हैं। यह भालय विज्ञान पाँच चैत धर्मों से सम्बद्ध है—स्पर्श, मनस्कार, वेदना, संज्ञा और चेतना। इनमें भालयविज्ञान उपेक्षा-वेदना से संप्रयुक्त है—उपेक्षा वेदना तत्र। वह अनिवृत्त-अव्याकृत है।

महायानी ग्रन्थों में भालय विज्ञान को सूक्ष्मस्वभावी बताया गया है। प्रवृत्ति निवृत्ति में वह कारण है। लंकावतार में इसे 'श्रोत्र' संज्ञा दी गई है। महासाधिक निकाय इसे 'मूल विज्ञान' कहता है। महीषामर्कों ने समार कोटि नियुस्कन्ध, स्वविरवादिषों ने भवांग विज्ञान तथा सर्वास्तिवादियों ने भालय नाम से उसे अभिहित किया है।<sup>२</sup>

### पदार्थ स्वरूप विचार

पदार्थ को धर्म अथवा भाव भी कहा गया है। ये दो प्रकार के हैं—संस्कृत और असंस्कृत। संस्कृत पदार्थ हेतुप्रत्ययजन्य होते हैं और असंस्कृत पदार्थ स्वतः सिद्ध होते हैं। संस्कृत धर्म ६४ हैं—रूप २१, चित्त ८, चैतसिक ५१ और चित्तवप्रयुक्त २४ तथा असंस्कृत धर्म ६ हैं—आकाश, प्रतिसंख्यानिरोध, अप्रति-मस्थाननिरोध, अचल, संज्ञावेदानिरोध तथा तथता। असंस्कृत धर्मों में अन्तिम तीन धर्म विशेष हैं। अचल का अर्थ है उपेक्षा। हममें योगा दुःखादि की उपेक्षा कर देता है। बाद में वह संज्ञा, वेदना आदि जैसे मानस धर्मों का आरम्भ कर लेता है और तदनन्तर योगी तथता (परमतत्त्व) को प्राप्त करता है। इस तथता को अविच्छिन्न, भूतकोटि, अनेमित्त, परमार्थ और धर्मधातु भी कहा गया है।

निःस्वभाववाद—विज्ञानवाद में सत्ता दो प्रकार की वर्णित है—पार-मार्थिक और व्यावहारिक। व्यावहारिक सत्ता का स्वभाव दो प्रकार का है—

१—त्रिशिका भाष्य, पृ० १८

२—बौद्धधर्मदर्शन, पृ० ३६१

परिकल्पित और परतन्त्र । विकल्प अथवा भ्रान्ति को परिकल्पित सत्ता कहा जाता है और प्रत्यय से उद्भूत परतन्त्र सत्ता है । पारमाधिक सत्ता परिनिष्पन्न स्वभाव वाली रहती है । इमी को तथता कहा जाता है । इनमें परिकल्पित स्वभाव प्रज्ञासिद्ध है, परतन्त्र स्वभाव प्रज्ञासिद्ध और वस्तुसत् है, तथा परिनिष्पन्न स्वभाव द्रव्यसत् है । ये तीनों स्वभाव परम्पर व्यतिरिक्त नहीं । स्वयं में निःस्वभावी होते हैं । उनमें क्रमशः लक्षणनिःस्वभावता, उत्पत्ति-निःस्वभावता तथा परमार्थनिःस्वभावता रहती है ।

संस्कृत धर्म उत्पत्ति, स्थिति, और समाहार का प्रतीक है । हीनयान में इन संस्कृत पदार्थों को स्वीकार किया गया था पर माध्यमिकों ने उसे नहीं माना । वे संस्कृत पदार्थों का उत्पादन न संस्कृत रूप से मानते हैं और न असंस्कृत रूप से । उनकी दृष्टि में ये उत्पादादि न व्यस्त रूप से पदार्थ के लक्षण होवे और न समस्त रूप से । किसी अन्य उत्पादादि से भी संस्कृत लक्षणाता की सिद्धि नहीं हो सकती, अन्यथा अपर्यवसानदोष की प्रसक्ति हो जायगी । इस प्रकार महायान में संस्कृत धर्मों की उत्पत्ति, स्थिति, और विनश को अस्वीकार करते हुए संस्कृत पदार्थों का निषेध करते हैं और उन्हें निःस्वभाव मानते हैं ।

विज्ञानवाद के उक्त सिद्धान्तों से स्पष्ट है कि उस न बाह्यार्थ के अस्तित्व को सर्वथा अस्वीकार किया गया और उनके दर्शन का मात्र वासनाजन्य मानकर कल्पना प्रसूत माना गया । परन्तु यह ठीक नहीं । न तो वासना के माध्यम से पदार्थ के अस्तित्व को अस्वीकार किया जा सकता है और न ज्ञान से पदार्थ की उत्पत्ति मानी जा सकती है । ज्ञान से तो पदार्थ के स्वरूप को परखा जाता है । और फिर जब पदार्थ ही नहीं होगा तो ज्ञान का क्या आधार रहेगा । आलस्य विज्ञान को नित्य मान कर भी यह समस्या सुलभती नहीं । इस सबके बावजूद विज्ञानवाद का योगदान अविस्मरणीय रहेगा । १

### आर्यदेव का चित्त विशुद्धि प्रकरण और योगाचार

शू-यवादी आर्यदेव का एक और महत्वपूर्ण ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है । वह है— चित्तावशुद्धिप्रकरण । इसे सर्वप्रथम महा० हर्प्रसाद शास्त्री ने J. A. S. B. ( पृ० १७५ ) में १८९८ में प्रकाशित किया था । इसके बाद प्रभुभाई भिखामाई

१—विशेष देखिये—बौद्ध-धर्म-दर्शन, बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, अभि-धर्म कोश आदि ग्रन्थ ।

पटेल ने दुनः इसका सम्पादन-संशोधन कर विश्व भारती से १९४६ में प्रकाशित कराया । श्री पटेल के अनुसार चित्तविशुद्धिप्रकरण का लेखक चतुःशतक के लेखक से भिन्न है । पर यह सही नहीं लगता । चतुःशतक के रचयिता प्रायः देव के काल में तान्त्रिक बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ चुका था । इसलिए चतुःशतक के रचयिता को चित्तविशुद्धिप्रकरण के रचयिता से पृथक् नहीं किया जा सकता ।

उत्तर काल में महायान बौद्धधर्म की दो शाखायें हुईं—गौर मत्तानय और मन्त्रनय । मन्त्रनय भी अनेक शाखाओं में विभक्त हुआ । चूँकि चित्तविशुद्धि-प्रकरण में भी योगाचार ( ५ ) शब्द आता है अतः समभवतः यह ग्रन्थ योग-तन्त्रयान से सम्बद्ध रहा होगा ।

वज्रयान के विकास में माध्यमिक और योगाचार की दार्शनिक भूमिका का विशिष्ट योगदान रहा है । योगाचार में तो चित्त ही सब कुछ है यह चित्त बोधचित्त का रूप है जो निर्वाण प्राप्ति का कारण होता है । भ्रायदेव ने इसी चित्त ( बोधचित्त ) का वर्णन किया है । बौद्धधर्म, विशेषतः महायान में चित्त का महत्त्वपूर्ण स्थान है । इसे मूलतः "मनाविल" और "प्रकृतिप्रभास्वरं" कहा गया है । माध्यमिक दर्शन का बोधचित्त महायान सिद्धान्तों का पालन करने पर क्रमशः प्राप्त हो सकता है । पर चित्त विशुद्ध रूप से मन पर आधारित है । महायान बौद्धधर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति बोधिसत्व भवस्था प्राप्त कर सकता है । वापना और कर्म के कारण उसकी मूल भवस्था भावुत है । जैन सिद्धान्त का यह स्पष्ट प्रभाव लक्ष्य होता है । इस विशुद्ध बोधचित्त से इसी जन्म में बुद्धत्व प्राप्त किया जा सकता है ( जन्मन्यत्रैव बुद्धत्वं प्राप्यते नात्र संशयः, चित्त० ८५ ) । वज्रयान में प्राञ्ज रहित प्रज्ञा और करुणामूलक उपाय का सुन्दर संमिश्रण तथा मन्त्र, साधना और धारणा का समन्वय बुद्धत्व प्राप्ति में कारण होता है ।

चित्तविशुद्धिप्रकरण के अनुसार विशुद्ध चित्त होने पर पाप पुण्य की व्यवस्था भी अनावश्यक हो जाती है—

तस्माद्दशय मूला हि पापपुण्यव्यवस्थितिः ।

इत्युक्तभागमे यस्मात्प्राप्तिः शुभचेतसाम् ॥१६॥

यहाँ यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार रजक मलीन द्रव्य से मलीन वस्त्रों को स्वच्छ करता है ( वही, ३८ ), विष का प्रकोप से विषसे दूर किया जाता है, ( वही ३६ ) तथा कर्णगत जल को कान में और जल डालकर समुचा जल

निकाला जाता है ( वही, ३७ ) उसी प्रकार राग और काम भी राग और काम से ही दूर किया जा सकता है, वशर्त कि साधक ज्ञानवादी हो ।

दुर्बिर्ज्ञः सेवितः कामः कामो भवति बन्धनम् ।

स एव सेवितो विज्ञैः कामो मोक्ष प्रसाधकः ॥ चित्त० ४२ ॥

यह चित्त पंकजात पद्म के समान पंक रूप राग, द्वेषादि से दूषित नहीं होता । वह तो संगमरमर पत्थर प्रथवा दर्पण के समान अलित रहता है ( वही, ११५, ११६ ) । इस ग्रन्थ में वैदिक यज्ञ-याज्ञ विधि आदि की तीव्र प्रालोचना की गई है ।<sup>१</sup> ग्रन्थ के विषय से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ब्रह्मयान के बीच योगाचार-काल में स्पष्ट रूप से सामने आने लगे थे ।

## बौद्ध न्याय

भारतीय दर्शनों को परम्परा से दो विचारधाराओं में विभक्त किया गया है—आस्तिक धारा और नास्तिकधारा । वैदिक संस्कृति में आस्तिक और नास्तिक शब्दों की व्याख्या वेद की स्थिति को स्वीकार और अस्वीकार करने पर आधारित है । इस दृष्टि से “वेदान्दको नास्तिकः” जैसा परिभाषण माहित्य जगत् में उन्मुक्त रूप से सामने आया । जैन-बौद्ध विचारधारार्यों प्रथवा श्रमण संस्कृति नास्तिक विचारधारा के अन्तर्गत रखी गयी । परन्तु इन शब्दों की यह व्याख्या युक्ति मंगत नहीं । वस्तुतः आस्तिक और नास्तिक शब्दों का सम्बन्ध आत्मा और लोक के अस्तित्व को स्वीकार करने और न करने पर निर्भर है । इस तथ्य के आधार पर चार्वाक को ही नास्तिक कहा जायगा और शेष विचारधारार्यों आस्तिक के रूप में मान्य होंगी ।

आत्मा और ज्ञान—वैदिक दर्शन में ब्रह्म ( आत्मा ) का विद्रूप मानकर ज्ञान को अतःकरण का धर्म स्वीकार किया गया है । तदनुसार ब्रह्म की विद्युद्ध प्रवस्था में ज्ञान प्रतभावित नहीं होता ।<sup>२</sup> साध्य के अनुसार ज्ञान पुरुष (चैतन्य) का धर्म न होकर प्रकृति का विकार है । नैयायिक-वैशेषिक ज्ञान को आत्मा का अयुतबिद्ध गुण मानते हैं । जैन दर्शन में आत्मा उदात्त, व्यग्र, और ध्रौव्य रूप से त्रयात्मक है, उद्योग और चैतन्य स्वरूप है । ज्ञान का आत्मा में नादात्म्य

१. विशेष देखिये, चित्तविशुद्धिप्रकरण—प्रभु भाई पटेल, भूमिका ।

२. अतःकरणकृत्यवच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाणं चैतन्यं—वेदान्तरिभाषा, पृ. १७

सम्बन्ध है। आत्मा की उस शक्ति का नाम ज्ञान है जिससे पदार्थ बना जाता है और उस शक्ति का नाम धर्म है जिससे तत्त्वजडान होता है।<sup>१</sup> परन्तु बौद्ध धर्म ज्ञान को शक्तिप्रवाह के रूप में स्वीकार करता है। वहाँ ज्ञान जड़ पदार्थों का धर्म नहीं है,<sup>२</sup> वह विज्ञानधारा, आत्मविज्ञान और प्रवृत्तिज्ञान के क्रम से ज्ञेयों का प्रतिभास करता है।

**प्रमाण-सञ्चय**—यही ज्ञान प्रमाण है “प्रतीयते येन तदप्रमाणम्”। तथा “प्रमाकरणं प्रमाणम्। प्रमा का करण क्या हो, यह विवाद का विषय है। न्याय-वैशेषिक मग्निकर्ष और ज्ञान को प्रमाण मानते हैं। सांख्य ह्यनियवृत्ति को प्रभाकर अनुभूति को और जैन ज्ञान को ही करण मानते हैं। पर बौद्ध परम्परा में अविश्वविज्ञान को ही प्रमाण स्वीकार किया गया है और सांख्य और योग्यता को करण माना गया है।<sup>३</sup> उसके अनुसार ज्ञान न मीमांसकों की तरह परोक्ष है, न नैयायिकों की तरह शान्तरवेद्य है और न सांख्यों की तरह प्रकृति का धर्म है। वह तो जैनों की तरह स्वसवेदिन धर्म से विभूषित है।<sup>४</sup> विज्ञानवाद में बाह्यार्थ की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया अतः वहाँ अविश्वविज्ञान और प्रामाण्य व्यवहारान्वित हैं। पर सौत्रातिक बाह्यार्थवादी हैं। अतः यह अविश्वविज्ञान स्वलक्षण पर आश्रित है।

**प्रमाण भेद**—प्रमाण के भेदों में बौद्ध और बौद्धतर दार्शनिक एकमत नहीं। चार्वाक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। सांख्य प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को प्रमाण स्वीकार करते हैं। नैयायिक उसमें अनुमान और जोड़ देते हैं। जैन इन सब प्रमाणों का प्रत्यक्ष और परोक्ष में गर्भित कर देते हैं। परन्तु बौद्ध-दृष्टि में प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही प्रमाण हैं। उनके अनुसार विषय स्वलक्षण-आत्मक और सामान्यलक्षण-आत्मक होते हैं। स्वलक्षण में वस्तु का स्वरूप शब्दादि के बिना ही ग्रहण किया जाता है। यह वस्तु-ग्रहण प्रत्यक्ष का विषय है। पर सामान्यलक्षण में अनेक वस्तुओं के साथ वस्तु का ग्रहण होता है। यह वस्तुग्रहण अनुमान का विषय होता है। बौद्धों के अनुसार आगम आदि प्रमाणों

१. नत्वार्थवार्तिक, भा. १, पृ०४; प्रवचनसार, प्रथम अधिकार।

२. सौन्दरानन्द, १६.२८.२६

३. प्रमाणभावसंवादी ज्ञानमर्थाक्रियास्थितिः।

अविश्वविज्ञानं शब्देभ्योभिप्रायानवेदनात् ॥ प्रमाणवा. २.१.

४. दार्शनिकाय, ब्रह्मजालमुक्तः तत्त्वसंग्रह, १३४४

मर्वाचित्तार्थज्ञानात्मात्मसंवेदनं स्वसवेदनम्—न्यायवि० १।११



का अन्तर्भाव अनुमान में ही हो जाता है क्योंकि शब्द आदि से सम्बद्ध परोक्ष अर्थ का बोध लौकिक होता है जो अनुमान का ही शब्दान्तर है। अर्थात्, स्मृति, अभाव, प्रत्यभिज्ञान, उपमान आदि प्रमाणांतरों को भी अनुमान में ही समित कर दिया जाता है। जैनों के अनुसार प्रमाण के दो ही भेद हैं—प्रत्यक्ष और परोक्ष। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान परोक्ष प्रमाण के ही भेद हैं।

प्रत्यक्ष प्रमाण—नाम, जाति आदि से संयुक्त, कल्पना विरहित और निर्भ्रान्त ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं—प्रत्यक्षां कल्पनापोढं नामजात्यादि संयुतम्। प्रत्यक्ष के चार भेद हैं—इन्द्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, स्वसंवेदना प्रत्यक्ष और योगिप्रत्यक्ष। इन्द्रिय प्रत्यक्ष स्वलक्षण को विषय करता है। दिङ्नाग का यही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। हीनयान ने आत्मा का निषेधकर प्रत्यक्ष को आन्तरिक बाह्य इन्द्रियों पर निर्भर कर दिया। महायान में माध्यमिकों ने शून्यवाद का अपनाया और विज्ञानवादियों ने 'आलय विज्ञान' का स्वीकार कर अनात्मवाद से उत्पन्न तर्कों को निरस्त करने का प्रयत्न किया। यही विज्ञानधारा आलयविज्ञान और प्रवृत्तिज्ञान के क्रम से पदार्थज्ञान करती है। पदार्थज्ञान में चार कारण माने गये हैं—आलम्बन, सहकारि, अधिपति, और समनन्तर। चक्षु आदि इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को समनन्तर प्रत्यय ( वस्तु को साक्षात्कार करने की शक्ति ) बनाकर जो मन उदरन्न होता है वह मानस प्रत्यक्ष है।<sup>१</sup> निर्विकल्पक ज्ञान को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहा जाता है ( स्वसंवेत्ति निर्विकल्पकम् ) और समाधि से उदरन्न प्रत्यक्ष को योगिप्रत्यक्ष कहते हैं। यह प्रत्यक्ष कल्पना विरहित, निर्भ्रान्त और अर्थक्रियानुसारी होती है।<sup>२</sup>

बाह्यार्थवादी सौत्रान्तिकों के अनुसार निर्विकल्पक प्रत्यक्ष क्षणिक परमाणु रूप स्वलक्षण से उत्पन्न होता है। इसमें स्वलक्षण पदार्थ आलम्बन कारण है, पूर्वज्ञान समनन्तर ( उपादान ) कारण, इन्द्रियां अधिपतिकारण, और प्रकाश आदि सहकारी कारण है। क्षणभंगुरता होने पर भी सन्तानमूलक एकत्वावस्थाय से अविस्मरण मान लिया जाता है। अनुमान में बाह्य विषय तो सामान्य लक्षण है, क्योंकि अज्ञानमाम्य ही उसका विषय है फिर भी प्राप्त स्वलक्षण ह्यंता है। अतः प्राप्य स्वलक्षण की अपेक्षा उभय प्रामाण्य है।<sup>३</sup> यहाँ अनुमान रूप

१—प्रमाणावातिक, ३.२४३

२—तत्त्वाथं वातिक, १, १२, श्या० कु० ख०, पृ० ४६; न्याय वि० पृ०, ११

३—प्रमाणावातिक २.५७-५८; सिद्धिबिन्दुय टीका; प्र० भाग, पृ० ६६-१००

सविकल्पक ज्ञान है। प्रत्यक्ष शब्द विशिष्ट अर्थ को ग्रहण नहीं करता। अर्थ और शब्द का तादात्म्य सम्बन्ध भी नहीं है। इस स्थिति में अर्थ से उत्पन्न होने वाले ज्ञान में ज्ञान को उत्पन्न न करने वाले शब्द के आकार का संसर्ग कैसे रह सकता है? और जब वह शब्द के आकार को धारण नहीं करता, तब वह शब्दग्राही कैसे हो सकता है? अतः जो ज्ञान अर्थ से संसृष्ट शब्द को वाचक रूप से ग्रहण करता है, वही सविकल्पक है, अन्य नहीं। यह बात प्रत्यक्ष ज्ञान में सम्भव नहीं है। अतः निविकल्पक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। जैन दर्शन में इस प्रकार के निविकल्पक प्रत्यक्ष को उपचार से प्रमाण माना है क्योंकि परम्परा से ये सभी ज्ञान सविकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति में कारण होते हैं।<sup>१</sup> सन्निकर्ष को भी यहाँ प्रमाण नहीं माना गया है।

बौद्धदर्शन की मुख्य भूमिका क्षणभंगुरवाद की है। अतः वस्तु के साथ इन्द्रियों का सम्पर्क होते ही वस्तु भ्रतीत हो जाती है और तदग्रज्य ज्ञान अर्थ के आकार का होता है। वह ज्ञान निराकार नहीं होता अन्यथा स्वरूप का प्रत्यक्ष, ज्ञानों में परस्पर भेद और नियतार्थ में प्रवृत्ति नहीं होगी। अतः ज्ञान अर्थकार होता है।

भिन्नकालं कथं ग्राह्यमिति चेद् ग्राह्यतां विदुः ।

हेतुत्वमेव युक्तिज्ञाः तदाकारार्पणक्षमम् ॥ प्रमाण १० ३.२४७

अर्थेन घटयत्येतां न हि मुक्त्यर्थरूपताम् ।

तस्मात् प्रमेयाधिगते प्रमाणं मेयरूपता ॥ वही, ३.३०५

अनुमान प्रमाण—साधन ( लिङ्ग ) से साध्य ( लिङ्गी ) के ज्ञान को अनुमान प्रमाण कहा जाता है।<sup>२</sup> जैसे धूम ( साधन ) से अग्नि ( साध्य ) का ज्ञान होना। साधन को हेतु भी कहा जाता है। हेतु का साधारणतः लक्षण है—सध्याविनाभावानिनिबोर्धकलक्षणं हेतु। 'अन्यथानुपपत्ति' 'अथवा' अविनाभाव' हेतु का लक्षण माना जाता है। बौद्ध दर्शन में साध्याविनाभाव को हेतु का लक्षण न मानकर उसके तीन लक्षण स्थापित किये गये हैं—पक्षधर्मत्व, सपक्षसत्व और विपक्ष असत्व। साध्य की सिद्धि के स्थान को पक्ष कहते हैं ( पर्वत )। जहाँ साधन के सद्भाव में साध्य का सद्भाव बताया जाय वह सपक्ष है ( पाकशाला )। और जहाँ साध्य के अभाव में साधन का भी अभाव

१—जैन न्याय, पृ० ६४-६५,

२—साधनात् साध्यविज्ञानमनुमानम् ।

दिखाया जाय वह विषय है ( सरोवर ) । जिसमें ये तीनों लक्षण मिले वही 'सम्बन्ध' हेतु है । जैसे इस पर्वत पर अग्नि नहीं होनी वहाँ घूम भी नहीं होता, जैसे सरोवर । हेतु का यह लक्षण असिद्ध, विरुद्ध और अनेकान्तिक दोषों से विरहित है । अतः त्रैलोक्य ही हेतु का निर्दोष स्वरूप है ।'

अनुमान के दो भेद हैं—स्वार्थानुमान और परार्थानुमान । स्वार्थानुमान वह ज्ञान है जो निश्चित साधन के द्वारा साध्य का ज्ञान कराये और परार्थानुमान वह ज्ञान है जो अविनाभावी साध्यसाधन के बचनों से साध्य का ज्ञान कराये । इस परिभाषा के आधार पर स्वार्थानुमान को ज्ञानात्मक और परार्थानुमान को शब्दात्मक कहा जा सकता है । स्वार्थानुमान के तीन अंग हैं—धर्मो, साध्य और साधन । धर्मो को पक्ष भी कहा जाता है ।

उपर्युक्त हेतु के स्वरूप को नैयायिक पञ्जरूप वाला मानते हैं—पक्षधर्मत्व, सपक्षसत्त्व, विपक्षव्यावृत्ति, अबाधित-विषयत्व और असत्प्रतिपक्षत्व । त्रैलोक्यवादी बौद्ध हेतु के इस पञ्जरूप में से अबाधित-विषयत्व और असत्प्रतिपक्षत्व को अनावश्यक मानते हैं । तथा अविनाभाव को तादात्म्य और तदुत्पत्ति से नियत बताते हैं । वहाँ हेतु के तीन भेद कहे गये हैं—स्वभाव हेतु, कार्य हेतु और अनुपलब्धि हेतु । प्रथम दो हेतु विधिमाधक है और अन्तिम हेतु प्रतिषेध साधक है । जैन दर्शन में हेतु के स्वभाव, व्यापक, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर भेद किये गये हैं । जैन दर्शन में अकसक ने हेतु के सामान्यतः दो भेद किये हैं—उपलब्धिरूप और अनुपलब्धिरूप । ये हेतु विधेयात्मक और प्रतिषेधात्मक होने हैं । उनमें प्रत्येक के ६ भेद हैं—स्वभाव, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर । बौद्धदर्शन में स्वभाव और कार्य ने दो ही भेद स्वीकार किये गये हैं । जैनदर्शन में हेतु का एक ही रूप माना गया है—अविनाभाव नियम । उसके दो भेद हैं—सहभाव नियम और क्रमभाव नियम ।

ध्याय दर्शन में परार्थानुमान के पाँच अवयव माने जाते हैं—प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन । इनमें जैन दर्शन में प्रतिज्ञा और हेतु को आवश्यक माना गया है । परन्तु बौद्ध दर्शन केवल हेतु के प्रयोग को ही आवश्यक मानता है । उनके अनुसार पक्ष का प्रयोग निःप्रयोजन है । मात्र हेतु के प्रयोग से ही सम्भूत पक्ष में साध्य का ज्ञान हो जाता है । साध्य और मीमांसक उक्त पाँच हेतुओं में उपनय और निगमन को आवश्यक नहीं मानता ।

१—ध्या० कु० च० पृ० ४३८, हेतुस्तिरूप. ध्यायप्रवक्ष, पृ० १, प्रमाण  
वा० ३.१४

**हेत्वामास**—हेतु के स्वरूप से विरहित होकर भी जो हेतु की तरह प्रसिद्धासित होता हो वह हेत्वामास कहलाता है। नैयायिक हेतु के पञ्च रूप के समान पाँच हेत्वामास मानते हैं—असिद्ध, विरुद्ध अर्नैकान्तिक, कालात्पापविष्ट और प्रकरणासम। बौद्ध त्रैलोक्य के रूप में तीन हेत्वामास मानते हैं—असिद्ध, विरुद्ध और अर्नैकान्तिक। जैन दर्शन में भी साधारणतः इन्हीं हेत्वामासों को स्वीकार किया गया है। पर अकलंक मात्र असिद्ध को हेत्वामास मानते हैं।

**वादविवाद**—वादविवाद की परम्परा भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन है। मिलिन्दपञ्च में वाद के दो रूपों का उल्लेख आया है—परिहृतवाद और राजवाद। परिहृतवाद में शैक्षणिक स्तर पर वादविवाद किया जाता है। पर राजवाद में कठोर अनुशासन बना रहता है। न्यायशास्त्र में इसके तीन भेद मिलते हैं—वाद, जल्प और वितण्डा। वीतरागकथा को वाद कहा जाता है। इसमें तत्त्वनिर्णय करना मुख्य उद्देश्य है। यहाँ छल, जाति आदि निग्रह स्थानों का प्रयोग नहीं किया जाता। परन्तु जल्प और वितण्डा में जय-पराजय की भावना होती है और उसमें छलादि निग्रह स्थानों का यथा-संभव प्रयोग किया जाता है। बौद्धदर्शन में उपायहृदय आदि ग्रन्थों में निग्रह-स्थानों का प्रयोग प्रचलित रहा है परन्तु धर्मकीर्ति ने उनका प्रयोग अनुचित बताया है। यहाँ अहिंसा का दृष्टिकोण प्रमुख रहा है। इसलिए धर्मकीर्ति ने असाधनांगवचन और अदोषोद्भावन नामक दो निग्रहस्थानों को स्वीकार किया है।

**शब्द अथवा आगमप्रमाण**—शब्द अथवा आगम प्रमाण भी विवादास्पद विषय है। वैशेषिक शब्द को अनुमान प्रमाण के अन्तर्गत रखते हैं। मीमांसक शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध बताते हैं तथा शब्द को नित्य मानकर उद्देश्य को अपौरुषेय मानते हैं। वैयाकरणों के अनुसार शब्द शक्ति होने से वे अर्थ-बोधक नहीं होते अतः वे स्फोट नामका एक अन्य नित्य तत्त्व मानते हैं तथा यह मत व्यक्त करते हैं कि संस्कृत शब्दों में ही अर्थबोधक शक्ति होती है। पालि-प्राकृत आदि देशी भाषाओं में उस शक्ति का अभाव है। जैन दार्शनिक शब्द या आगम प्रमाण को तीर्थङ्कर के वचनों से निबद्ध साक्षात् या प्रसीत ग्रन्थों तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि व्यवहार में संकेतादि से उत्पन्न ज्ञान को भी आगम प्रमाण में गणित कर लेते हैं। परन्तु बौद्ध शब्द को ही प्रमाण नहीं मानते क्योंकि शब्द का अर्थ के साथ उनकी दृष्टि में न सादात्म्य सम्बन्ध है और न तदुत्पत्ति। उनकी दृष्टि में शब्द विकल्प वासना से उत्पन्न होते हैं। अतः वे बाह्यार्थ का ग्रहण कराने में असमर्थ हैं। जैसे

‘धर्मयुति के अग्रभाग में ली हाथी है।’<sup>१</sup> इस प्रकार के तथ्यहीन वाक्यों के उच्चारण में व्यक्ति अथवा वक्ता दोषी नहीं। क्योंकि यदि वक्ता गुंथा हो तो वह इस प्रकार का असत्य ज्ञान नहीं करा सकता। इस प्रकार के ज्ञान उत्पन्न करने में तो शब्दों की ही महिमा मूल कारण है। अतः पुरुष भी यदि ये शब्द बोलेंगा तब भी असत्य ज्ञान होगा। अतः विकल्प वासना से शब्दों का जन्म होता है और शब्दों से विकल्पों का जन्म होता है। शब्द अर्थ का स्पर्श भी नहीं करता।

बौद्धदर्शन में श्रुत को अविश्ववादि नहीं माना है। उसका चिन्तन है कि जिस शब्द का प्रयोग सत् अर्थ में होता है वही शब्द अर्थ के अभाव में भी देखा जाता है। अतः शब्द विधि रूप से कथन नहीं करते। इसलिए अन्यापोह को ही शब्दार्थ मानना चाहिए। बौद्ध दृष्टि में शब्द और लिंग का विषय माना जाय तो वह बाह्य अर्थ न स्वलक्षण रूप हो सकता है और न सामान्य रूप ही सकता। सामान्य रूप में अर्थ भी शब्द का विषय इसलिए नहीं है कि वास्तविक सामान्य ही असम्भव है, अर्थ क्रियाकारी न होने के कारण। अपोह (निषेध) के दो पर्युदास और भेद हैं प्रसज्य। पर्युदास भी दो प्रकार का है—बुद्धिरूप और अर्थरूप। सविकल्पक ज्ञान में अर्थकार रूप से जो अर्थ का आभास होता है उसे अपोह कहा जाता है। जिसके द्वारा अर्थका अपोह (निषेध) किया जाय उसे अन्यापोह कहते हैं। वह अन्यापोह शब्द का मुख्य रूप से अभिधेय है। तात्पर्य यह है कि शब्दज्ञान में जो प्रतिभासित हों उसे ही शब्दार्थ मानना उचित है। शब्द ज्ञान में न तो प्रसज्यप्रतिषेध (तुच्छाभावरूप) का ही अग्रवसाय होता है और न स्वलक्षण का ही प्रतिभास होता है। किन्तु बाह्यार्थ की निश्चायक एक शाब्दी बुद्धि उत्पन्न होती है। अतः उसे ही शब्दार्थ मानना चाहिए। शब्द का अर्थ के साथ वाच्य-वाचक सम्बन्ध भी कार्य कारण भाव से मिन्य नहीं है क्योंकि बुद्धि में जो अर्थ का प्रतिबिम्ब होता है वह शब्द-जन्म है इसलिए उसे वाच्य कहते हैं और शब्द का जनक होने से वाचक कहते हैं।<sup>२</sup>

इस प्रकार बौद्ध धर्म ने दार्शनिक क्षेत्र में आकर चिन्तन की भूमिका को अग्रे बढ़ाया। प्राध्यात्मिक सिद्धान्तों को दार्शनिक रूपा देना और उस पर अपने ढंग से विचार प्रस्तुत करना बौद्ध दार्शनिकों का विशेषता है। दर्शन के क्षेत्र में यह उनका अविस्मरणीय योगदान कहा जा सकता है।

—: ० :—

१. प्रमाण वा. टी. १. पृ० २८८, जैन न्याय, पृ. १३६

२—जैन न्याय, पृष्ठ २४३-२४६

# परिवर्त | ६

## बौद्ध विनय

की

## उत्पत्ति और विकास

विनय का यहाँ विशेष रूप से सम्बन्ध उपासक—उपासिकाओं एवं भिक्षु-भिक्षुओं के लिए निर्धारित उन नियमों से है, जिनसे वे मुक्ति-मार्ग को प्रशस्त हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय के विशिष्ट नियम करते थे। परिव्राजक सम्भवतः एक सर्व सामान्य सन्यासी जीवन का काल्पनिक शब्द था। श्रमण परिव्राजक और ब्राह्मण परिव्राजक जैसे शब्दों का योग जैन तथा बौद्ध साहित्य में बहुत अधिक मिलता है। वैदिक साहित्य में तप, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, सन्यास आदि शब्दों का प्रचलन प्रचुरता से हुआ है। जैन एवं बौद्ध संस्कृति में अनगार अथवा भिक्षु शब्दों ने लोकप्रियता पायी सभी सम्प्रदायों में सांसारिक स्नेहजाल को मुक्ति प्राप्ति का प्रमुख बाधक स्वीकार किया गया है। इसी बाधक तत्व को समाप्त करने के लिए का आचरण किया जाता है। इसी सन्दर्भ में बौद्ध विनय पर हम चर्चा करेंगे।

### भिक्षु ( भिक्षु ) विनय

बौद्ध विनय की उत्पत्ति तथागत भगवान् बुद्ध से ही हुई है। सम्बोधि प्राप्ति पर बुद्ध ने सर्वप्रथम पञ्चवर्गीय भिक्षुओं को धर्मोपदेश दिया। उनमें इन्द्र को मध्यम मार्ग और क्षुरार्यसत्य का ज्ञान होने पर “जो कुछ उत्पन्न होता है वह नाशवान् है” यह विरज निर्मल धर्मोपदेश उत्पन्न हो गया। उसका आचरण करने पर इन्द्र, महानाम और अश्वजित को भी धर्मबन्धु प्राप्त हो। पञ्चवर्गीय भिक्षुओं ने भगवान् से प्रवृत्त्या और उपसम्पदा की याचना। भगवान् ने “एहि भिक्षु, त्वाकस्मातो धम्मो चरं ब्रह्मचरिणं इत्थं तस्स अन्त ऋरियाय” ( भिक्षुओ ! जाओ, धर्म सुव्याख्यात है, अच्छी तरह धर्म के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो, ) कहकर उन्हें अपने संब में प्रविष्ट किया।

भिक्षु संघ के निर्माण का यह श्रीगणेश था । बाद में नाराणसी के श्रेष्ठी पुत्र यश उसके मित्र विमल, सुबाहु, पूर्णजिन और यवाम्पति ने भी बुद्ध की प्रव्रज्या तथा उपसम्पदा ग्रहण की । उनकी उपसम्पदा को सुनकर पचास अन्य गृहपतियों ने भी आकर भगवान् से विरजबधु प्राप्त किये और दीक्षा ली ।

इस प्रकार बुद्ध के संघ में कुल एकसठ भिक्षु हो गये । अब भगवान् के मन में अपने धर्म के प्रचार-प्रसार की बात आयी । उन्होंने इन भिक्षुओं से कहा— “हम सभी दिव्य और मानुष बन्धनों से दूर हैं । भिक्षुओ ! बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, लोक पर अनुकम्पा करने के लिए, देवताओं और मनुष्यों के प्रयोजन के लिए, हित के लिए, सुख के लिए विचरण करो । एक साथ दो मत आओ । आदिकल्याणकारी, मध्यकल्याणकारी और अन्तकल्याणकारी इस धर्म का उपदेश करो । सार्थ, सब्यञ्जन, केवल परिपूर्ण और परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का प्रकाश करो । ये सांसारिक प्राणी अल्प दोषवान् हैं । धर्म का श्रवण न करने से उनकी हानि होगी और सुनने से वे धर्मज्ञ होंगे ।” इन भिक्षुओं को बुद्ध ने प्रव्रज्या और उपसम्पदा देने का अधिकार देकर नाना दिशाओं में धर्म-प्रचारार्थ भेज दिया । इस समय उपसम्पदा देने का प्रकार यह था—पहिले सिर दाढ़ी का बुण्डन कराया जाता, फिर काषाय वस्त्र पहनाया जाता, बाद में उसे एक कन्धे पर रखकर भिक्षुओं की पादबन्दना करायी जाती तथा उकड़ूँ बैठाकर अञ्जलि से प्रणाम कराकर तीन बार यह कहलाया जाता—बुद्धं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि, संघं सरणं गच्छामि । बौद्ध विनय के विकास का यह द्वितीय चरण था ।

इन भिक्षुओं को उपसम्पदा देने का अधिकार देकर बुद्ध स्वयं भी उरुवेला ( गया ) की ओर धर्म-प्रचार के उद्देश्य से ही चल पड़े । बीच में बनसण्ड में ध्यान करते समय भद्रवर्गीय तीस मित्र आये और उन्हें उपसम्पदा दी । उरुवेला पहुँचकर बुद्ध ने जटिल बन्धुओं ( उरुवेल, नदी और गया काश्यप ) को

---

१. सुसाहं, भिक्षुवे, सब्रपासेहि ये दिक्का ये च मानुसा । तुम्हे पि भिक्षुवे भुत्ता—वरथ भिक्षुवे चारिकं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानु-कम्पाय धन्नाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । मा एकेन द्वं अगमिन्व । देसेथ भिक्षुवे धम्मं आदिकल्याणं मज्जेकल्याणं परियोसानकल्याणं सान्धं सब्यञ्जनं केवलपरिपुणं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेथ । सन्ति सत्ता अप्परजकस जात्तिका अस्सवन्ता धम्मस्स परिहायन्ति भविस्सति धम्मस्स अञ्जातारो— महावग्ग. पृ. २३

ब्रह्म प्राप्तिहार्थ दिक्षाकर अपने संघ में दीक्षित किया। उनके साथ ही उनके एक सहस्र शिष्य भी भगवान् के अनुवायी हो गये। राजगृह में पहुँचने पर भगवान् श्रेष्ठिक विम्बिसार ने तपागत की शरण ली और भिक्षुसंघ के लिए वेणुवन नैट किया। २५० शिष्यों के साथ संजय से जी यहीं नैट हुई। संजय के शिष्य सारिपुत्र को बुद्ध के शिष्य अश्वजित ने संलाप के बीच अपने गुरु का नाम बताया और उनके मूल सिद्धान्त को उपस्थित किया—

ये चम्मा हेतुप्यभवा तेसं हेतुं तथागतो आह ।

तेसं च यो निरोधो एषं बादी महासम्मयो ॥

सारिपुत्र ( उपतिष्य ) को यह धर्मपर्याय बखिर लगा। उसका धिन्न मीद्गल्यायन ( कोलित ) भी प्रसन्न हुआ। फलतः संजय अपने शिष्य क्रिवार के साथ बुद्ध की शरण में आ गया। सारिपुत्र और मीद्गल्यायन बुद्ध के प्रभाव शिष्य हो गये। तथागत बुद्ध के संघ की यह वृद्धि विशेष फलदायी रही।

इस समय तक भगवान् बुद्ध के संघ में लगभग १५०० भिक्षु हो चुके थे। उपाध्याय के बिना वे अनुशासनहीन और प्रभावहीन दिखाई देते थे। संघ की यह कमी जानकर बुद्ध ने भिक्षुओं को उपाध्याय ग्रहण करने की अनुमति दी। इस प्रसंग में विनय पिटक ( महावग्ग ) में उपाध्याय और शिष्य के कर्तव्यों का आलेखन किया गया है। उनके गुणों और अवगुणों पर भी प्रकाश डाला गया है। तदनुसार शिष्य में ये पाँच गुण हीना चाहिए—उपाध्याय के प्रति अति-प्रेम हो, श्रद्धा हो, लजाशील हो, गौरव देनेवाला हो और ध्यानादि की अधिक भावना करता हो। इसी प्रकार उपाध्याय के भी शिष्य के प्रति कर्तव्य बताये गये हैं कि वह शिष्य को उपदेश दे, पात्र दे, चीवर दे और रोगग्रस्त हो जाने पर धरिचर्या करे। उत्तराध्ययन ( प्रथम अध्ययन ) में भी इसी प्रकार शिष्य और उपाध्याय के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। कल्याणमित्र ही सही अर्थ में उपाध्याय है। विनय के विकास का यह तृतीय चरण है।

इसके बाद कुछ परिस्थितियों के कारण तथागत ने उपसम्पदा के नियमों में परिवर्तन किया। अब ज्ञप्ति, अनुश्रावण और धारण के माध्यम से उपसम्पदा दी जाने लगी। उपसंपदा योग्य भिक्षु के लिए संघ को इस प्रकार ज्ञापित करना आवश्यक था।

१. ज्ञप्ति—मन्ते ! संघ बुद्धे तुने, अबुक्क वत्तक, अबुक्कनाम के आयुष्मान् का उपसंपदायेयी है। यदि संघ उचित समझे, तो संघ अबुक्क नामक को, अबुक्क नामक के उपाध्यायस्व वे उपसम्पन्न करे।



२. अनुप्रास-मन्त्रे ! संघ मुझे सुने, अमुक-नामक, अमुक नामके आयुष्मान् का उपसंघापित्री है । संघ अमुक नामक को अमुक नामक के उपाध्यायत्व में उपसम्पन्न करता है । जिस आयुष्मान् को अमुक नामक की उपसंपदा अमुक नामक के उपाध्यायत्व में स्वीकार है, वह चुप रहे, जिसको स्वीकार न हो, वह बोले । इस बात को संघ के समक्ष तीन बार कहा जाता ।

३. धारणा—संघ को स्वीकार है, इसलिए चुप है—ऐसा समझता है ।

भिक्षु जब तक स्वयं उपसम्पदा की याचना न करे, उसे उपसम्पन्न नहीं किया जाता । उपसम्पदा देते समय भिक्षु को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि उसे चार निश्रयों ( जीविका के साधनों ) का पालन करना होगा—(१) भिक्षा मांगना और पुण्याय करना । १०० भोज, उद्दिष्ट भोजन, मिमन्त्रण, घालाका भोजन, पाक्षिक भोजन आदि भी विहित हैं । (२) श्मशान आदि में पड़े चिथड़ों से कीचर सँवार करना । क्षीम, कापासिक, कौशेय, कम्बल आदि का वस्त्र भी विधेय है । (३) वृष के नीचे निवास करना । बिहार, आठ्य योग, प्रासाद, हर्म्य, गुहा आदि भी विहित हैं । (४) गोमूत्र की औषधि का ग्रहण करना । घी, मक्खन, तेल, मधु, खाँड़ अधिक लाभ में विधेय हैं । मूलतः ये चार निश्रय थे । इनमें अधिक लाभ को विधेय बाद में किया गया । बौद्ध विनय का यह चतुर्थ चरण है ।

धीरे-धीरे उपसम्पदा के निश्रयों-विधानों में भी अन्तर होता गया । हर नियम के पीछे किसी घटना विशेष का हाथ रहा है । अब उपसम्पदा का विधान हुआ कि उपसम्पदा दस या दस से अधिक पुरुष वाले गण द्वारा दी जाय तथा उपसम्पदा पानेवाला भिक्षु भी चतुर और जानकार हो और दस अथवा दस से अधिक वर्ष की अवस्था वाला हो । उपाध्याय के अभाव में आचार्य करने की भी अनुमति दी गई । आचार्य-शिष्य में पिता-पुत्रवत् संबंधों का निर्देशन मिला । उपाध्याय और आचार्य से शिष्यत्व ( निश्रय ) तभी विच्छिन्न माना जाता जब वे आश्रम छोड़कर चले गये हों, या विचार-परिवर्तन कर लिया हो, या काल-कबलित हो गये हों, या धर्मांतर ग्रहण कर लिया हो अथवा उसकी स्वीकृति दे दी हो । उपसम्पदा अथवा प्रव्रज्या ग्रहण करने के लिए यह आवश्यक था कि सावक सम्पूर्णतः शील सम्पन्न हो, समाधि सम्पन्न हो, प्रज्ञावान् हो, राग-द्वेषादि से विमुक्त हो, विभुक्ति-ज्ञान के साम्राट्कार-पुरुष से युक्त हो, श्रद्धालु हो, लज्जाशील, संकोची, उद्योती, स्मृति-सम्पन्न, दोषज्ञ, सेवामयी, कल्याणनिष्ठ और प्रसिद्धिहीन सम्पन्न हो । अन्य सम्प्रदाय में रहने वाले व्यक्ति के लिए चार माह का परिवास देखा जाता पर शाक्य जातीय,

४ ( कैम ) और बटिलक साधु इस परिवार के नियम से युक्त वे क्योंकि सवादी और क्रियावादी थे । प्रव्रज्या ग्रहण करने भी भी कुछ योग्यतायें विरत की गईं । निम्नलिखित व्यक्ति प्रव्रज्या के अयोग्य होते थे—कुछ, फोड़ा, ऐग, सूजन और मृगी बीमारियों से पीड़ित राजसैनिक, अश्वत्थ डानू, चोर, दण्ड प्रापक, ऋणी और दास । जाये उपसम्पदा पाने बलि की अवस्था तिस कर दिया गया और श्रामणेर की अवस्था को पन्द्रह निश्चित किया । एक मिथु एक अथवा जितने श्रामणेरों को अनुशासित कर सके, उतनी १ में श्रामणेर रख सकता था । श्रामणेर को दस शिक्षापदों का पालन करना शक बताया गया—पाशातिपात, अदिनादान, बुसावाद, सुरामेरयमञ्ज-वट्टान, विकालमोजन, नञ्जगीतवादित भिसूकदस्सन, मालागन्ध, क्लिपन गमण्डन, विसुसनट्टान, उवासयनमहासयन और धातरूपरजतपटिग्गहण से बुर १ ( बेरमण ) वे श्रामणेर दण्डनीय होते थे जो मिथुओं के अलाभ, अनर्थ, त्त, निन्दा और संघर्ष के जनक होते थे । दण्ड में उन श्रामणेरों को संचारान वासस्थल में प्रवेश नहीं करने दिया जाता । कुछ ऐसे कर्म भी होते उनके प्रतिफल स्वरूप श्रामणेर का निष्कासन भी कर दिया जाता, जैसे—हिंसा करना, चोरी करना, अरुह्यचारी होना, झूठ बोलना, मद्यपान करना, वर्म-संघ की निन्दा करना, मिथ्यादृष्टि सम्पन्न हो जाना और मिथुणी दूषक होना । बाद में उपसम्पदा के अयोग्य व्यक्तियों में कुछ और सम्मिलित कर गये । जैसे—पंडक ( नपुंसक ), अन्य तीर्थिकवामी, नाग ( जाति ? ), मातु-पितृहन्ता, अर्हहन्ता, स्त्री-पुरुष दोनों लिङ्गवाला, पात्ररहित, चीवर न, आदि । प्रव्रज्या के लिए भी अयोग्य व्यक्तियों की गणना की गई है ।—फटे हाथ-पैर -कान-नाक-अंगुलिवाला, पोर, फुबड़ा, बीना, लक्षणहत्, त्त, लिखितक, लूला, लंदा, पक्षाघाती, ईर्यापत्ररहित, जराभस्त, अन्धा, बहरा आदि । प्रव्रज्या के लिए भी साधक के माता-पिता की आज्ञा अनिवार्य हो गया । अन्त में उपसम्पदा ग्रहण करने के लिए निम्न निर्धारित हुईं, उदाहरणार्थ-साधक को किसी प्रकार का रोग न हो जैसे—गन्ध, किलाल, शोथ, मृगी । मनुष्य हो, पुरुष हो, स्वतन्त्र हो, ब्रह्मयुक्त हो, वैनिक न हो, माता-पिता से अनुमिप्त हो, बीस वर्ष का हो, पात्र-चीवर आदि क्त हों । उपसम्पदा के साथ उसका और उसके उपाध्याय का नाम भी पूछा । जन्ति, अनुभवन और धारणापूर्वक उपसम्पदा कर्म कर दिया जाता । विनय के विकास का यह पञ्चम चरण है । प्रत्येक चरण अनेक सोपान

के साथ स्थिर हो सका, यह ऋषियों से प्रभावित है ही। इसके बाद भी विकाससामक चरण स्थिर नहीं रहा।

**उपोसथ—उपोसथ का तात्पर्य है—**भिन्नु संघ एकत्रित होकर धर्मोपदेश करे। प्राचीनकाल में बौद्धतर मतावलम्बी, विशेषतः जैनधर्मानुयायी बहुदेवी, पूर्णमासी और अष्टमी को एकत्रित होकर धर्मोपदेश किया करते थे। वैश्विक विभिन्नता के कहने पर तथागत बुद्ध ने भी इस विधान को अपने संघ के लिए निर्धारित किया। प्रातिमोक्ष ( प्रातिमोक्ष ) भी इसी से सम्बद्ध है। प्रातिमोक्ष का अर्थ है, भिन्नु-जीवन के विभिन्न नियम। महावग्ग में प्रातिमोक्ष को कुसल धर्मों में प्रमुख बताया है ( आदिमेतं सुकमेतं पबुजमेतं कुसलानं धम्मामं )। उपोसथ के दिन भिन्नु एकत्रित होकर प्रातिमोक्ष की आवृत्ति किया करते हैं। उपोसथ के लिए सीमा-निर्धारण भी किया गया है। पर्वत, पाषाण, वन, वृक्ष, मार्ग, बल्मीक, नदी, उदक आदि चिन्ह निश्चित कर धिये जाते हैं, जिसकी सूचना संघ को दे दी जाती है। कोई बिहार, अटारी-आसनाद, हर्म्य, गुहा आदि उपोसथागार के रूप में निश्चित कर दिया जाता जहाँ सभी भिन्नु पूर्व सूचना पाकर स्वविर भिन्नु के पास उपोसथ के लिए एकत्रित होते हैं। उपोसथ के चार कर्म हैं—संघ के कुछ भागका धर्म विद्वद् उपोसथ कर्म करना, समग्र संघ का धर्म विद्वद् उपोसथ करना, भाग का धर्मानुकूल उपोसथ करना और समग्र का धर्मानुकूल उपोसथ करना। इनमें अन्तिम कर्म विधेय है।

**प्रातिमोक्ष—प्रातिमोक्ष और उपोसथ का अत्यन्त महत् सम्बन्ध है।** भिन्नु विषयों के निश्चित हो जाने पर उपोसथके दिन प्रातिमोक्ष किया जाने लगा। आवृत्ति के पांच क्रम निर्धारित हुए—(१) निदान का पाठ करना, (२) विधान और पाराजिकों का पाठ करना, निदान, पाराजिक और संघादिशेषों का पाठ करना, (४) विधान, पाराजिक, संघादिशेष और अनियत धर्मों का पाठ करना, और (५) विस्तार के साथ प्रातिमोक्ष का पाठ करना। आपत्ति काल में प्रातिमोक्ष का संक्षिप्त पाठ करना भी विशेष माना गया। ऐसी स्थिति में शेष प्रातिमोक्ष को स्मृति से कृत मान लिया जाता है। आपत्तिकाल ( अन्तराय ) वे हैं—राज, शेर, अग्नि, उदक, मनुष्य, अमनुष्य, हिंसक सरीसृप, जीवन्, और ब्रह्मचर्य। भिन्नु-संघ से स्वीकृति लेकर ही परस्पर में विषय बूझने की प्रक्रिया थी। और अक्षय्यकाल केकर दोषारोपण किया जाता था। नियम - विद्वद् काल यदि कोई भिन्नु करे तो चार-पाँच भिन्नु उसे धिक्कारें, दो-तीन भिन्नु उसे अभिष्यक्त करें और एक भिन्नु वह कहे कि मुझे यह

र नहीं। प्रातिमोक्ष का पाठ गृहस्थ-मुक्त परिषद् में निश्चित किया गया है। आवृत्ति चतुर और समर्थ भिक्षु के आश्रय में होनी चाहिए। भिक्षु यदि यात्रा के लिये जाये तो उसे भिक्षु संघ के (उपाध्याय) से अनुमति लेनी ए। आवास में यदि बहुश्रुत, आगमज्ञ, धर्मधर, विनयधर, मानिकावर भिक्षु तो उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि आवास में प्रातिमोक्ष को जानने वाला न हो तो ऐसे आवास में चला जाय जहाँ उपोसथ कर्म अथवा प्रातिमोक्ष-त जानकर भिक्षु रहते हों। उपोसथ या संघकर्म में सभी भिक्षुओं को मत होना आवश्यक है। यदि भिक्षु रोगी हो अथवा उसको उसके परिवारजन ना चाहें, उसे राजा, चोर, बदमाश पकड़ लें तो उससे अपनी परिशुद्धि त समझ भेज देनी चाहिए। यदि यह संभव न हो तो भिक्षु संघ के एक ते उपोसथ नहीं करना चाहिए। यदि कोई भिक्षु उत्मत्त हो गया हो तो उसके संघ उपोसथ करे ऐसा प्रस्ताव आना चाहिए। उपोसथ कर्म के लिए अपेक्षित चार बतायी गई है पर कदाचित् तीन अथवा दो भी हों तो उन्हें परस्पर शुद्धो अहं आबद्धो, परिशुद्धो तिमं चारेथ” यह वचन तीन बार कहना चाहिए। भिक्षु अकेला हो तो उसे उपोसथ करने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। यदि कुछ विरुद्ध कार्य हुए हों तो उनकी स्वीकृति पूर्वक उनका प्रतिकार होना चाहिए। किसी आवास में चार या अधिक आश्रमवासी भिक्षु हों तो उन्हें उपोसथ न एकत्रित हो प्रातिमोक्ष का पाठ करना चाहिए। अन्य आश्रमवासी भिक्षु उनकी संख्या से अधिक हों तो प्रातिमोक्ष का पाठ पुनः करना चाहिए, अन्यथा बतलानी चाहिए। सन्देह, संकोच, कट्टकितपूर्वक अथवा अनुपस्थिति को बिना किया गया उपोसथ सदोष माना गया है। इन दोषों को दूर करने गतिमोक्ष का पाठ पुनः होना आवश्यक है। उपोसथ की दो तिथियों में संख्या के आधार पर एक तिथि की स्वीकृति दी जाती है। आवासिकों तथा न्तुकों में उपोसथ पृथक् रूप से नहीं किया जाता प्रत्युत उनकी संख्या के र उसका निर्धारण होता है। उपोसथ के दिन आवास त्यागने के भी बनाये गये हैं। साधारणतः उस दिन आवास छोड़ा नहीं जाता। यदि विशिष्ट परिस्थितियों में छोड़ना भी पड़े तो भिक्षुको ऐसे आवास में जाना ए जहाँ सहघर्मी हों और जहाँ उसी दिन पहुँचा जा सके। प्रातिमोक्ष-ले लिए भी परिषद् के कुछ नियम हैं। यह परिषद् ऐसी होनी चाहिए निम्न प्रकार के व्यक्ति उपस्थित न हों—भिक्षुणी, शिक्षमाणा, भ्रामणोर, ऐरी, पाराजिक दोषी, पापविद्विग्त, तीर्थिकगत, मातृ-पितृ शातक, अहंद्, भिक्षुणी वृषक, पण्डक, संघभेदक आदि। इन नियमों के अतिरिक्त यह नियम बना कि उपोसथ की समूची प्रक्रिया उपोसथ के ही दिन पूरी होनी

प्राप्त हुए। उन्नीसव्य और प्रातिमौक्त का विधान ही बौद्ध विषम के विकास का पष्ठ धरंभ कहा जा सकता है।

**वर्षावास**—वर्षावास का विधान याता-यात की असुविधा तथा वर्षा के कारण उत्पन्न होने वाले जीवों के उपचात से बचने के लिए किया गया है। वैदिक तथा जैन संस्कृति में भी यह मान्य है। जैन भिक्षु वर्षावास करते थे और हरित तृणों पर विचरण करने से अपने आपको बचाते थे। परन्तु बौद्ध भिक्षु न वर्षावास करते थे और न हरित तृणों को बचाते थे। बुद्ध के समक्ष यह बात रखी गयी। फलतः उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए वर्षावास आवश्यक कर दिया।

वर्षावास आसाढ़ पूर्णिमा अथवा श्रावण पूर्णिमा के दूसरे दिन से प्रारम्भ होता है जिसमें तीन माह तक स्थान परिवर्तन करना निषिद्ध है। यदि निम्न लिखित व्यक्तियों का संदेश अथवा कार्य हो तो भिक्षु एक सप्ताह के लिए वर्षा-वास तोड़कर बाहर जा सकता है। भिक्षु, भिक्षुणी, शिक्षामाणा, आमणेर, आमणोरी, उपासक, और उपासिका। बिहारादि का दान तथा पुत्र-पुत्री आदि के विवाह में उपस्थित होना भी इसी के अन्तर्गत आ जाता है। विनय पिटक में कुछ ऐसी परिस्थितियों का भी वर्णन है जिनमें संदेश के बिना भी भिक्षु-भिक्षुणी एक सप्ताह के लिए बाहर जा सकते हैं। उदाहरणार्थ भिक्षु को यदि रोग, अनभिरति, कौकृत्य, मिध्यादृष्टि, गरुधर्म आदि उत्पन्न हो गये हों तो भिक्षु बिना संदेश पाने पर भी उनकी सहायता करने जा सकता है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में स्थान-त्याग की भी अनुमति दी गई है। जैसे वन्य पशु, सरीसृप, चोर, पिशाच, अग्नि, जल, आदि का भय, अनुकूल भोजनादि की प्राप्ति न होना, गणिका, स्थूल कुमारी, पडक, ज्ञातिजन, भूपति, चोर आदि का आह्वान, कोषागार का दर्शन, और संघ भेद को रोकना। वृक्ष-कोटर, वृक्ष-वाटिका, अध्याकास, अशयन, शवकुटिका, क्षत्रवास, चाटीवास, आदि में वर्षा-वास करना विधेय नहीं है।

**प्रवारणा**—वर्षावास के बाद भिक्षु संघ एकत्रित होकर अपने अपराधों का संदर्शन करता है। इसी को प्रवारणा कहा गया है। इसमें इष्ट, श्रुत और परिशुद्धित अपराधों का परिमार्जन किया जाता है और परस्पर में विनय का अनुमोदन होता है—

अनुष्णनाभि भिक्षुश्चै, वस्सं बुद्धानं भिक्षुं न तीहिं ठामैहि पकारेणु-  
दिहेन वा सुतेन वा परिसङ्काय वा । हां वो भविससति अज्जाअज्जाहु-  
सोमता आपत्तिबुद्धानता विनयपुरेक्खरता ।<sup>१</sup>

प्रवारणा की प्रक्रिया यह है कि सर्वप्रथम क्षत्र, समर्थ भिक्षु संघ को सूचित करे कि आज प्रवारणा है। बाद में स्वविर भिक्षु उत्तरासंग को एक कन्धे पर रखकर उकड़ बैठे तथा हाथ जोड़ कर संघ को यह सूचित करे कि मैं इष्ट, श्रुत और परिशक्ति अपराधों की प्रवारणा करता हूँ। संघ मेरे अपराधों को बसाये। मैं उनका प्रतिकार करूँगा। यह बात तीन बार दुहरायी जाती है। नवीन भिक्षु को भी प्रवारणा इसी प्रकार लेनी पड़ती है। उपोसथ में अपने अपराधों की पाक्षिक परिशुद्धि हो जाती है और प्रवारणा में वार्षिक परिशुद्धि हो जाती है। प्रवारणायें दो होती हैं—चतुर्वशी की और पञ्चवशी की। इसके चार कर्म होते हैं—धर्म विरुद्ध वर्ग का प्रवारणा कर्म, धर्म-विरुद्ध सम्पूर्ण संघ का प्रवारणा कर्म, धर्मानुसार वर्ग का प्रवारणा कर्म और धर्मानुसार सम्पूर्ण संघ का प्रवारणा कर्म। प्रवारणा कर्म में कम से कम पाँच भिक्षु रहना चाहिए। बाद में चार, तीन, दो और एक भिक्षु को भी प्रवारणा करने की अनुमति दे दी गई। प्रवारणा कर्म तीन बार दोहराया जाता है, पर विशिष्ट अवस्था में दो वचन और एक वचन की भी प्रवारणा विधेय मानी गई है। शबर भय, भिक्षु कलह, वर्षा, चोर, अग्नि, जल, मानव, अमानव, हिंसक जन्तु सरीसृप, मरण, शीलपतन आदि के भय की संभावना होने पर प्रवारणा को अधिक से अधिक संक्षिप्त किया जा सकता है। भिक्षुओं के कुछ दोष ऐसे होते हैं जबकि उनकी प्रवारणा को स्थगित कर दिया जाता है। जैसे—भिक्षुओं को अवकाश न करना, अथवा किसी की प्रवारणा को अनुचित रूप से स्थगित रखना। यदि कोई भिक्षु अपने दोष का निह्वान करे तो हठात् उसकी प्रवारणा करानी चाहिए। विशेष आवश्यकता होने पर प्रवारणा को संघ की स्वीकृति पूर्वक किसी अन्य समय में भी किया जा सकता है।<sup>२</sup> वर्षावास और प्रवारणा के विधान को बौद्ध विनय के विकास का सप्तम चरण कहा जा सकता है।

उपानह—विनय पिटक में भिक्षु को केवल एक तल्ले वाले ( एक पलासिक ) जूते पहनने का विधान मिलता है। इस प्रसंग में उस समय प्रचलित जूतों का सुन्दर आलेखन है। बुद्धकाल में नीली, पीली, काली, मणीय्या,

१. महावग्ग पृ० १६७

२. महावग्ग पवारणापखण्डक

महारंग, और महानाम से रंगी पत्ती वाले जूते पहने जाते थे। कस्तूरकन्द, पुटबद्ध, पाल्मिष्ठ, तूलपूर्णिक, तित्तिरपत्तिक, मेण्ड विसाणकदिक, विच्छिकालिक, मयूरपिच्छ-परिशिष्य, चित्रित सिंह, व्याघ्र, चीता, हरिण, ऊदकिलाव, मार्जार, कालक, उलूक आदि पशु-पक्षियों के चर्म के जूते बनते थे। ये जूते मिश्रु वर्ग के लिए असेबित थे। पुराने अनेक तस्लों के जूतों की भी स्वीकृति बाद में दे दी गई। आराम में भी उपानह, मसाल, दीपक और दण्ड रख सकते थे। काठ, ताड़पत्र, बांस, तृण, मूँज, बल्बज, हिताल, कमल, कम्बल आदि से पादुकायें निर्मित होती थीं तथा उनमें स्वर्ण, रजत, मणि, वैदूर्य, स्फटिक, कांस, काँच, रौंग, सीसा, ताँबा आदि भी लगाया जाता था। ऐसी पादुकाएँ मिश्रु के लिए निषिद्ध की गई हैं।

वाहन और आसन—साधारणतः मिश्रु को वाहन पर चलना मना है। परन्तु बाद में नरयान, और हस्तियान तथा शिविका और पालकी के उपयोग की भी स्वीकृति रोगी मिश्रु के लिये दे दी गई। आसंदी, पर्यङ्क, गोडक, चित्रक, पटिक ( गलीचा ), तूलिक, विकतिक, उद्दोमि, एकान्त लोमि, कटिस्स, कौशेय, कुत्तक, हृत्पत्वर ( हाथी का झूला ), अस्सत्वर, रथत्वर, मृगछाल, कदलीमृग-घम्या, सउत्तरच्छद, उभतोलीहितकूप जैसे उच्चशयनों और महाशयनों का प्रचलन था। पर उनका सेवन मिश्रु के लिए निषिद्ध था। सिंह, व्याघ्र, चीते आदि के चमड़े को भी उसे धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे प्राणिवध की श्रेष्ठा मिलती है। सीमान्त देशों में जाने पर मिश्रुओं के नियमों में कुछ और ढिंढाई कर दी गई। वहाँ विनयधर सहित पाँच मिश्रुओं के गण से उपसंपदा करने का विधान हुआ। गणवाले उपानहों को धारण करने, नित्य स्नान करने, चर्ममय आस्तरण रखने तथा शीघरपर्याय ( विकल्प ) करने की भी अनुमति मिली।<sup>१</sup>

शैषज्य—श्रीद्ध मिश्रु वर्ग के लिए भी, मक्खन, तेल, मधु, और शक्कर इन पाँच शैषज्यों का सेवन पूर्वाह्न—अपराह्न काल में भी विहित है। रोछ, मछली, तुसुका, सूकर, गर्दभ आदि की चर्बी से निर्मित शैषज्य, हस्दी, सिङ्गवेर, अदरक, बच्च, बच्चस्थ, अतीस, लस, भद्रमुका ( नागरमोषा ) आदि जड़वाली दवायें, नीम, कुटज, पटोल, तुलसी, कपासी आदि के पत्तों से निर्मित दवायें; बिडंग, पिप्ली, मिर्च, हर्षा, बहेरा, आँबला, गोष्ठफल आदि फल रूप दवायें, सामुद्रिक, काला, सेंधा, वानस्पतिक, बिलाल आदि नमक के प्रकारों से निर्मित दवायें, हींग,

हींगकी मोद, हींग की सिपाटिका, तक, तकपत्ती, तकपर्णी, सुकनुलस आदि बौध वाली दवायें, तथा कुजली, कोड़ा आदि के लिए बूबों की दवायें भी मिश्र ले सकता है। इस प्रसंग में अनेक रोग और उसकी दवायों का भी उल्लेख किया गया है। उष्णहरणार्थ—भूतमेत ( अकनुष्य ) के रोग में कण्ठा बहिर् और कण्ठा भ्रूण ग्रहण करना चाहिए। नेबरोन के लिए काला अन्नान, रस अन्नक, और अन्नक, शैक और काणक लगाये। सिर दर्द करने पर सिर में तेल की मालिश की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त नस, नस करनी, और घूमवरी का भी उपयोग हितकर होता है। बात रोग में तेल में सद्य बालकर उसे पकाकर पीना चाहिए तथा मालिश करना चाहिए। अधिक से अधिक स्वेद निकल जाने से भी बात रोग ठीक हो जाता है। सम्भार ( स्वेदक पत्तों के बीच सोना ), महास्वेद ( गहरे में अग्नि और पत्ते भरकर उस घर लेट जाना ), जंगोदक उबले पत्तों से स्वेद निकालना ), उष्ण कोष्ठक ( उष्ण जलसे स्वेद निकालना ) ये चार स्वेदकर्म की प्रक्रियायें हैं। रक्त बाहर निकाल देने से भी बात रोग का घामन हो जाता है। पैर में मालिश करने से बिवाई ( पैर फटना ) मिट जाती है। हस्तकर्म करने से फोड़ा मिटता है। घाव को पट्टी बांधकर ठीक किया जाता है। घाव में कुजलाहट होने पर सरसों के लोथे से उसे सहला दिया जाता है। मांस बढ़ जाने पर तमक की कंकरी से उसे काट दिया जाता है। सर्प के काटे जाने पर पुरीव ( मूत्र ), मूत्र, रस ( आरिक्त ) और मिट्टी के सेवन से घामन होता है। विष विकसिता के लिए भी पुरीव ( टट्टी ) का प्रयोग होता है। भूत-प्रेत की भाषा होवे पर आभिषोदक ( अनाथ जलाकर बनाया गया खीरा ) पिलाना जाता। पाण्डुरोग में गोमूत्र की हरे पिलायी जाती। क्विदोष होने पर नंधक का लेव कराया जाता। काय के अभिकल्प होने पर जुलाब दिया जाता। बौद्ध मिश्रणों के लिए ये सभी दवायें निश्चित नहीं कीं। ची, मक्खन, मधु और तेल को एक सप्ताह से अधिक रखते का उनके लिए विधान नहीं है। गुड़, मूत्र और छांछ भी लिया जा सकता है। वायुगोले की बीमारी में छांछ लाभकारी होती है। आराम के भीतर रसा, पकाभा, और स्नान बचाया भोजन करना निश्चित है। परन्तु दुर्निद्र में यह निश्चय निश्चित किया जा सकता है। कल्प्यकारक न होने पर अन्नबीज फल स्वीकार्य हैं। भोजनोपचयन आनीस भक्षण भी ग्रहणीय है। गुप्त स्थान के चारों ओर दो अंगुल तक घस्त्रकर्म अथवा वस्त्रकर्म नहीं करना चाहिए। बौद्ध विनय के अनुसार मिश्र के लिए मांस अन्नक ही निश्चित नहीं है। परन्तु मनुष्य, हाथी, अश्व, कुक्कुर, सर्प, व्याघ्र, भ्रूण और कर्पूर ( कल्पकण्ठा ) के मांस का भक्षण निश्चित बताया गया है। कर्पाणू ( खिचड़ी ) का भोजन भूद के समय लोकप्रिय रहा होगा। उसके भोजन करनेमें अन्न शुभ बताया गया है—



वर्ष, सुक, बल और प्रतिभा का विकास होता है, क्षुधा और पिपासा दूर होती है, वायु को अनुकूल होता है, पेट साफ हो जाता है और अपच की पक्काता है। यवाकू अनेक रोगों की अच्छी दवा है। रोगी को गुड़ और नीरोग को गुड़ का रस दिया जाता। जैसा पहले लिखा गया है, बौद्धधर्म में मांसभक्षण निषिद्ध नहीं था। शर्त यह थी कि वह मांस 'तिकोटिपरिसुद्ध' हो। भिक्षुओं के उद्देश्य से वह न बनाया गया हो। इसलिए अदृष्ट, अश्रुत और अपरिष्काृत मांस ही भक्षणीय की श्रेणी में रखा गया है।<sup>१</sup>

पांच गोरसों का विधान पहले ही हो चुका था। आगे महान कान्तार में जाते समय लण्डुल, नवनीत, गुड़, उड़द, मूग, तेल, धी के पाषेय रखने की भी अनुमति दे दी गई। आम्रपान, जम्बूपान, भोजपान, मधुपान, बुद्धिक पान (अगूर), सालुकपान, और फ़ारसकपान, तथा अनाज के फल के रस को छोड़कर सभी फलों के रस की, मात्र ढाक के रस को छोड़कर सभी पत्तों के रसकी, महुए के पुष्प रस को छोड़कर सभी पुष्परसों के पान की अनुज्ञा दे दी गई।<sup>२</sup> बौद्ध विनय के विकास का यह अष्टम चरण कहा जा सकता है।

कठिन चीवर—वर्षावास समाप्त होने पर कुछ पाठ्य्यक भिक्षु तथागत के दर्शन करने भीगते हुए आवस्ती पहुँचे। इसी घटना से कठिन चीवर का विधान हो गया। 'कठिन' चीवर वह है जो वर्षावास के बाद संघ की सम्मति से सम्मान प्रदर्शनार्थ किसी भिक्षु को दिया जाय। कठिन चीवर ग्रहीत भिक्षुओं को पांच बातें विहित हैं—बिना आमन्त्रण के विचरना (अनामन्त चारो), बिना तीनों चीवर लिए विचरना (असमादान चारो), गण भोजन, इच्छानुसार चीवर ग्रहण करना (यावदस्थ चीवर) तथा चीवर मिलते समय जो बर्हा होगा, वह चीवर उसीका हो जायगा। कठिन चीवर के लिए संघ के समस्त दृष्टि, अनुभावण और धारणा अवश्य होना चाहिए।

कठिन चीवर की उत्पत्ति में आठ कारण हैं—पक्कनन्तिका, निट्टानन्तिका, सन्नित्तानन्तिका, नासनन्तिका, सबनन्तिका, आसावच्छेदिका सीमातिकन्तिका और सहम्मारा। यहाँ भिक्षु इस कठिन चीवर का उद्धार कभी अनायास पूर्वक करता है कभी आधा पूर्वक करता है, कभी करणीय पूर्वक करता है, कभी अपविनय पूर्वक करता है और कभी फासु विहार पक्कक (सुख पूर्वक विहार वाला) पूर्वक करता है।<sup>३</sup>

१. विनय विटक, महावग्ग, पृ० २५३

२. " " " भेसज्जमहावक

३. " " कठिनवज्जवक

बीबरवस्त्रक के प्रारम्भ में राजगृह के अरुंग में बरिहका चरित दिया हुआ है। जीबक सालवती नथिका से उत्पन्न प्रसिद्ध चिकित्सक था, जिसे अर्धव राजकुमार ने शास्त्र-शिक्षा था। यहाँ अनेक रोगों की दवाओं का ज्ञान मिलता है, जिनका प्रयोग जीबक ने अपनी चिकित्सा पद्धति में किया था। विविध बड़ी बूटियों को भी में पकाकर नासिका रन्ध्रों में डालने से साकेत श्रेष्ठी की आर्धा का पुराना घिर दर्द दूर हो गया था। बिम्बिसार के भगन्दर रोग को एक ही लेप में ठीक कर दिया था। राजगृह के एक सेठ के घिर की शल्य चिकित्सा कर उसमें से एक बड़े जन्तु को निकाल दिया था, जो सेठ की मृत्यु का कारण बनने वाला था। जीबक ने वारम्भसी के एक श्रेष्ठी पुत्र की अस्ती में शल्य चिकित्सा द्वारा ही गैठ निकाली। प्रद्योत के पाण्डु रोग को कषाय वर्ण-रस र्गध से युक्त भी पिलाकर दूर किया। स्यागत के शरीर को भी बिरेकन से जीबक ने छुड़ किया तथा इसी के साथ प्रद्योत का दिया हुआ एक दुसाला जोड़ा भी बूढ़ को भेंट किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इसी प्रकार गृहपति द्वारा प्रदत्त कौशेय और कोजव ( कम्बल ) को स्वीकार कर लिया गया। बाद में तो भिक्षु के लिए छः प्रकार के बीबर धारण करने की अनुज्ञा मिल गयी—श्रीम, कपास, कौशेय, कम्बल ( ऊन ), साण ( सन ), और अंग ( मिश्रित )। इन नये बीबरों के साथ पशुकूल बीबर भी धारण करना पड़ता था। बौद्ध विनय के विकास का यह नवम् चरण माना जा सकता है।

संघकर्म—संघ का विकास इस समय पर्याप्त हो चुका था। बुद्ध की लोकप्रियता बढ़ गयी थी। इसलिए बीबरदान भी बहुत अधिक आना प्रारम्भ हो गया था। फलतः उनके विभाजन के लिए संघ के कर्मचारियों का चुनाव होना आवश्यक था। इसके लिए एक बीबर प्रतिग्राहक का चुनाव होता था। बीबर प्रतिग्राहक वह हो सकता था जो छन्दोगति ( स्वेच्छाचारिता ), दोष, मोह, भय और गुप्तामुप्त से दूर हो। इसी प्रकार इन्हीं गुणों से युक्त एक बीबर निदहक भण्डागारिक और बीबर भाजक भी चुना जाता था।

बीबर—संघ के इन सभी अधिकारियों के माध्यम से समागत बीबर भिक्षुओं को बांट दिये जाते थे। अयोग्य अथवा बुरे बीबरों को रस दिया जाता था। समागत बीबरों में उपार्ध ( दो तिहाई ) भाग श्रामणों को भी दिया जाता था। बीबर दुवर्ण होने पर मूल, स्कन्ध, लक, पत्र, पुष्प और फल के रंगों से रंग दिये जाते थे। रंगने के लिए नांद, बाल, कूड़ा, बड़ा, दोषी, आदि बर्तन रखने की भी अनुमति दे दी गई थी।

इसी स्कन्धक में चीवर बनाने की विधि भी दी हुई है। संजाटी, उता और अन्तर वासक को काटकर ( छिन्नक ) बनाया जाता। इनमें कुम्भ, अण्डक, अर्धअण्डक, त्रिबर्त, अनुत्रिबर्त, श्रैवेक, जंवेक और अण्डवस्त का रखा जाता। चीवर अधिक मिलने पर उन्हें परिमित कर दिया गया। विष्णु अधिक से अधिक तीन चीवर रख सकता था—दोहरी संजाटी, ए उतरसंग, और एकहटा अन्तरवासक। अतिरिक्त चीवर बाद में विक्रम में रखे जाने लगे। पुराने कपड़ों के चीवरों की संख्या इससे भी अधिक विद्वित कर दी गई। शृंगार जाता विज्ञान के कारण भिक्षुओं को वस्त्राटिका, नशागन्तुक भोजन, शमिक भोजन, रोषी भोजन, रोषी परिष्कारक अं रोषी भेषज्य और मवागू ग्रहण करने की तथा भिक्षुणियों को उदक साटी की भी अनुमति मिल गई। इसके अतिरिक्त प्रत्यस्तरण ( आसन की चाद प्रतिच्छादन ( कोपीन ), कुसपुञ्जल चोलक ( रुमाल ), और परिष्कारक ( बैला ) रखने का भी विधान हुआ। उपासकों द्वारा दान में दिये गये वस्त्र पर संघ का अधिकार होता था और उन चीवरों का वितरण भिक्षुओं में ही करता था। परिनिर्बृत भिक्षु अथवा श्रामणेर की सम्पत्ति संघ की स होती है। इसी प्रसंग में यह भी बताया गया है कि नग्नता तीर्थिकों का आ है। बौद्ध भिक्षुओं को उसका आचरण नहीं करना चाहिए। कुश चीर, अक्षिप, अर्कनाल, पोत्यक आदि चीवर भिक्षुओं के लिए ग्रहणीय नहीं। इसी सभी नीलक, पीतक, लोहितक, मंजिष्ठक, कृष्णक, हरितक, महानामक, कञ्जुक, तिरिटक, वेठन आदि प्रकार के चीवर को धारण करना नि के लिए अनुचित है।'

दण्ड-व्यवस्था—चपिय स्कन्धक में कर्मादि के प्रकार और सं गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है। भिक्षु का कर्तव्य है कि वह भिक्षु को उत्क्षिप्त न करे और यदि प्रमादवशा उत्क्षिप्त किया हो तो अपने अ को स्वीकार कर ले। कर्म साधारणतः छः प्रकार के हैं—अधर्म कर्म, वर्ग समग्र कर्म, धर्म प्रतिरूपक वर्ग कर्म, धर्म प्रतिरूपक समग्र कर्म, और धर्म कर्म। भिक्षुक संघ पाँच प्रकार का होता है—चार, पाँच, दस, बीस और अधिक भिक्षुओं का संघ। अनुवर्ग भिक्षु संघ उपसंपदा, प्रचारणा और आह्व छोड़कर धर्म समग्र होकर सभी कर्म कर सकता है। पञ्चम वर्ग भिक्षुसंघ और मध्यम जनपदों में उपसंपदा को छोड़ देता है। दशवर्ग भिक्षुसंघ आह्व छोड़ता है और विंशति वर्ग अथवा अतिरिक्त विंशतिवर्ग भिक्षुसंघ ध

हीकर सभी कर्म कर सकते हैं। संघ के बीच उन्मत्त, सीबिङ्गसं, मातृ-पितृ घातक आदि भिक्षुओं को प्रतिक्रोशन देना लाभदायक नहीं, पर प्रकृतितत्त्व साधु को प्रतिक्रोशन देना लाभदायक है। वहाँ संघ से निस्सारण और अवसरण के नियम भी दिये गये हैं। इसके बाद अधर्मकर्म, धर्म कर्म, तर्जनीय कर्म, नियस्त कर्म, प्रजाजनीय कर्म, प्रतिसारणीय कर्म और उत्क्षेपणीय कर्मों का आख्यान है तथा उनकी क्षमायाचना की प्रक्रिया भी दी हुई है।<sup>१</sup>

संघ-विवाद और दण्ड-व्यवस्था—कोशाम्बक स्कन्धक के प्रारम्भ में कोशाम्बीमें हुए भिक्षु संघ के विवाद का उल्लेख है। सम्भव है, यह भाग तथागत के परिनिर्वाण के उत्तरकाल का हो। इसी प्रसंग में अधर्मवादी और धर्मवादी के बिह्व दिये गये हैं। वैसे, अधर्मवादी वह है जो धर्म, अधर्म, विनय, अविनय, भाषित, अभाषित, आचरित, अनाचरित, अज्ञप्त, प्रज्ञप्त, आपत्ति, अनापत्ति, अवशेष, अनवशेष आदि को प्रतिरूप में स्वीकार करता है। और धर्मवादी इनको यथा रूप में स्वीकार करते हैं। संघ में कलह उत्पन्न होने पर सारा संघ एकत्रित होता है और जप्ति, अनुश्रावण और धारणा पूर्वक छन्द ( गोट ) के माध्यम से संघभेद का उपशमन करता है।<sup>२</sup> छन्द के समय भिक्षुणी, शिक्षमाणा, श्रामणेरे, श्रामणेरी आदि से भी बर्ग ( कोरम ) की पूर्ति कर ली जाती। कुछ कर्म जप्ति द्वितीय कहे जाते हैं और कुछ कर्म जप्ति चतुर्थ ( जप्ति के बाद तीन कर्म वाक्य कहना ) कहे जाते हैं। इन दोनों से विरहित कर्म विनय विरुद्ध माना जाता। वर्ग कर्म वह, जिसमें भिक्षु अथवा उनके छन्द एकत्रित न हुए हों। समग्र कर्म वह, जिसमें सभी भिक्षु उपस्थित रहते हों। वर्ग कर्म त्याज्य माना गया है। संघ सामग्री दो प्रकार की है—अर्थ विरहित, परन्तु व्यञ्जनयुक्त एवं अर्थ युक्त तथा व्यञ्जनयुक्त। प्रथम में संघ में विवाद होने पर वस्तु का निर्णय किये बिना ही संघ-सामग्री करता है परन्तु द्वितीय में वस्तु का निर्णय कर लिया जाता है।

चुल्लवग्ग—में संघभेद, विभिन्न कर्म और उनकी दण्डव्यवस्था के प्रसंग अधिक हैं। लगता है, भगवान् बुद्ध के जीवन समय में ही संघ भेद प्रारम्भ होगया था। देवदत्त, पंडुक, लोहितक आदि भिक्षुओंके प्रकरण इसके उदाहरण हैं। तर्जनीय कर्म—के आरम्भ की कथा भी ऐसी ही कलह से प्रारम्भ होती है। तथागत ने इस कर्म को दुर्भरता, दुस्पुरुषता, महेश्छुकता, असन्तोष, संगणिका और आलस्य की प्रवृत्ति का रूप कहकर उसकी निन्दा की है। तर्जनीय कर्म

१. विनय पिटक, बीषरस्कन्धक

२. वही, कोसम्बकस्कन्धक

की दण्ड विधि यह है। संघ पहले कर्त्तों को प्रेरित करे, फिर स्मरण कराकर अवराध कर आरोप करे, तदनन्तर कुरुर समर्थ भिक्षु संघ को सूचित करे और श्रद्धा, अनुयायन और धारणा पूर्वक तर्जनीय कर्म करे। तीन बातों से युक्त उपनीय कर्म, अधर्म कर्म, अविनयकर्म, और असंयादित कर्म कहे जाते हैं ( १ सम्मुख न किया गया हो। ( २ ) बिना पूछे किया गया हो, और ( ३ ) बिना प्रतिज्ञा ( स्वीकृति ) के किया गया हो। वहां बारह अधर्म कर्मों का वर्ण मिलता है। उनसे प्रतिकूल धर्म धर्म कर्म कहे गये हैं। तर्जनीय व्यक्ति वे हैं जो कलहकारी, दुश्शील, अनाचारी, निन्दक और मिथ्यादृष्टि सम्पन्न होते हैं दण्डित व्यक्ति के लिए उपसम्पदा, निश्चय, उपस्थान, उपदेश, कर्म निन्दा, प्रवारण आदि का स्थगन कर देना चाहिए। उस भिक्षु के तर्जनीय कर्म को क्षमा नहीं किया जाता जो उपसम्पदा देता हो, निश्चय देता हो, श्रामणोर से उपस्थान ( सेवा करता हो, भिक्षुणियों को उपदेश देता हो, कर्म ( निर्णय ) की निन्दा करता हो तथा उपोसथ अथवा प्रवारणा स्थगित करता हो। नियस्सकर्म की दण्ड-विधि आदि भी लगभग इसी प्रकार की है। प्रव्राजनीय कर्म ( संघ निष्कासन अश्वजित और पुनर्वसु भिक्षु के पापमयी अनाचारों से प्रारम्भ हुआ। अन प्रकार के कर्मों की आरम्भ कथा भी इसी प्रकार भिन्न भिन्न है तथा उनका दण्डविधि, कर्त्तव्य आदि भी लगभग समान है।

पारिवारिक दण्ड प्राप्त भिक्षु को भी उपसम्पदा निश्चय आदि नहीं दिया जाता, अदण्डित भिक्षु के साथ आवास आदि नहीं किया जाता। शुक त्याग में द रोज का मानत्व दण्ड दिया जाता। यदि भिक्षु एक पक्ष तक इस कर्म को छिपा तो उसे एक पक्ष का मानत्व दण्ड दिया जाता। संघादिसेस के दोष करने प तदनुसार शुद्धान्त परिवास दिया जाता। कुछ ऐसे दुष्कर्म होते कि भिक्षु व मूल से प्रतिकर्षण कर दिया जाता।

कुछ कर्म छः विनय में सम्मिलित कर दिये गये हैं। मूल होने पर स्मरण कर लेना स्मृति विनय है। इससे भिक्षु निर्दोष शुद्ध होकर धर्म से सम हो जाता है। उन्मत्त अवस्था दूर होने पर असूद्ध विनय दी जाती है। इस प्रकार प्रतिज्ञात करण ( स्वीकृति ), यद्भूयसिक ( बहुमत से उपशमन तत्पापीयसिक और तिण्णवत्थारक ( तृण जैसा आवृत कर देना ) विनय : प्रचलित थी।

अधिकरण—भिक्षु-भिक्षुणियों के बीच अनेक विषयों पर विवाद होने प तथागत ने चार अधिकरण बताये—विवाद अनुवाद आपत्ति और कृत्य। कुशल अकुशल कर्म विवाद अधिकरण के मूल हैं। इन्हीं कर्मों से भिक्षु अनुषद

अनुबल अथवा ( बड़ बेकर बोपारोपण करता ), कण, कणव अथवा मन के आपत्ति अधिकृत होता है और कृत्य अधिकरण का एक ब्रह्म है—संघ । वे सभी अधिकरण बुद्ध, अनुबल और अन्धाकृत के भेद से तीन-तीन प्रकार के होते हैं । इन अधिकरणों ( बुद्धियों ) के सम्मेलन की भी शक्तिपूर्वक निष्पत्ति की गई है । विवाद अधिकरण त्रिभु संघ के सम्मुख उपस्थित होकर तथा अक्षयसिक रीति से शान्त हो जाता । इसका विषय त्रिभुसंघ द्वारा अथवा उद्वाहिका ( बुद्धी क्षमिति ) के माध्यम से करता । ऐसे समय शल्यकार्यों का भी प्रयोग होता था । शल्यकार्य तीन प्रकार की होती थीं—गुह्यक, सुकर्णजल्पक और विद्वत्क । अनुवाद अधिकरण संभुल, अमूढ, स्मृति और सत्यापीयसिक विनय से शान्त किया जाता । आपत्ति अधिकरण संभुल, प्रतिज्ञात और तिष्णावस्थापक तथा कृत्य अधिकरण संभुल विनय से उपशमित होती थीं ।<sup>१</sup>

आभूषण और साज-सज्जा—सुशान्त ने स्वान्त आदि के भी निम्न निष्पत्ति किये । इनका समावेश धुद्रक वस्तुओं में किया गया । त्रिभु को स्वान्त यन्त्र हस्त अथवा पूर्ण आदि से नहीं करना चाहिए । बाली, लटकन, कर्णसूत्र, कटि-सूत्र केयूर, हस्ताभरण, अंगूठी यदि आभूषण धारण नहीं करना चाहिए । केश, कंधी, दर्पण, लेप, मालिश, नृत्य, गीत, लीला कन, आभरण, लियच्छेदन, महार्थ चन्दन पात्र रखना त्रिभु के लिए निषिद्ध था । हड्डी, दाँत, रींग, नल, बाँस, काष्ठ, लास, फल, लोह, फल, शंख का दण्ड सत्यक धारण किया जा सकता है । सत्यक ( कैंची ), नमत्तक ( बदनखण्ड ), सुई, नाली नालिकर, किण्व, और सिपाटिका ( गोंद ) के भी रखने की अनुमति थी । कठिन चीवर का प्रसारण, सिलार्ड, आबेसन बित्थक, कठिनशाल, स्वन्निक ( बँडी ) और परिलान्धन ( जलमाखन ) रखना विहित था । मरुत्तुटिक ( मरुहरी ), ओम्बरक, चक्रम, जन्ताघर में सोपान ( ईंट, पत्थर, लकड़ी ), किबाड़, पृष्ठसंपाट, जलुवाल, उत्तर पाक्षक, अर्गलवत्तिक, कपिपीसक, सूची, घटक, ताल, छिद्र का निर्माण; धूमनेत्र की रचना, कोष्ठक, उदपाव, चन्दनिका ( हीज ), उदकपुद्गल, और पांखड़े का उपयोग त्रिभु के लिए वर्जित नहीं है । घट, कसक, संमर्जती, पादधंसनि, बिभुपन, सौलवण्ट, छत्र, सिनका ( छीका ), दण्ड नखकाटना, केशकर्तन, कर्ण-मरुहरणी, अक्षनिदानी, रखना, विहित है । संधाटी, आयोगपट्ट, बुँडी, बस्नादि पहनने का ढंग भी यहाँ निषिद्ध है । बोझ डोना, दन्तबन करना और आभ-पथु से रक्षा करना भी विहित है । पस्सावबन, मालावच्छेदोपन, बर्तन, पलंग का उपयोग किया जा सकता है । लसुण ( लहसुण ) खादन विहित है ।

१. बुल्लवगा, समुच्चयकान्धक ।

तिरिच्छान विद्याओं का अध्ययन भी वर्जित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बुद्धवचनों को छन्द ( संस्कृत ) में करने की अनुमति बुद्ध ने नहीं दी। प्रत्युत यह कहा कि उन्हें अपनी भाषा ( भागधी ) में सीखें—न भिक्खवे बुद्धवचनं छन्दसो आरोपेतब्बं । वो आरोपेय्य, आपत्ति दुष्करस्स । अनुजानामि, भिक्खवे सक्काय निवसया बुद्धवचनं परिया पुशिट्ठु ।<sup>१</sup>

**बिहार निर्माण**—सेनासनकखन्धक में बिहार के निर्माण की प्रक्रिया दी गई है। मूलतः बौद्ध भिक्षुओं के लिए अरण्य, वृज, पर्वत, कन्दरा गिरिगुहा, श्मसान, वनप्रस्थ, मदान ( अज्जोकास ) का विधान था। परन्तु बाद में बुद्ध ने बिहार, अहङ्कयोग, प्रासाद, हर्म्य तथा गुहा को निवास स्थान के रूप में निश्चित किया। यहाँ द्वार, वातायन, शय्या, आसन, विस्तार आदि के विविध रूप दिये गये हैं। बिहार-विधान के प्रसंग में दीवाल की रंगाई, भित्ति-चित्र, सोपान, मञ्चपीठ आलिनन्द, उपस्थानशाला, पाठशाला, बिहार, परिवेण, आराम और प्रसाद आदि के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया गया है। अनाथ पिण्डक द्वारा जेतवन को कोटि सन्धारक हिरण्यों से खरीदकर उसे बुद्ध संघ को भेंट किये जाने का उल्लेख है। उसी जेतवन में बिहारादि बनाये गये। नये घर के निर्माण ( नवकर्म ) के समय भिक्षुओं को चीवर, पिण्डपात, शयनासन, और ग्लानप्रत्यय शैवज्यों से सल्लुत किया जाता। पूर्वं के उपसम्पन्न भिक्षु को पीछे का उपसंपन्न भिक्षु अबन्दनीय है। आराम, बिहार, चौपाई, चौकी, लोहकुम्भ आदि, तथा बल्ली, वेणु आदि वस्तुयें अदेय और अविभाज्य हैं। संघ के बारह कर्मचारियों की चुनाव पद्धति का भी यहाँ उल्लेख है—मत्त उद्देशक, शयनासन प्रज्ञापक, भाण्डागारिक, चीवर-प्रतिग्राहक, चीवर भाजक, यवागू भाजक, फलभाजक, खाद्य भाजक, अल्पमात्रविसर्जक, शाटिक ग्रहापक, आरामिक, प्रेषक और आमणोर प्रेषक ।<sup>२</sup>

**संघ-भेद**—संघभेदक खंडक में संघभेद का इतिहास दिया हुआ है। बौद्ध संघ के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि शाक्यवंशीय राजकुमारों से ही संघ भेद प्रारम्भ हुआ है। भद्रिय शाक्य राजा, अनुच्छ, आनन्द, शृगु, किम्बिल और देवदत्त शाक्य कुमार थे। उन्होंने एक साथ दीक्षा ली। उपालि कल्पक ( नाई ) भी सम्मिलित हो गया। देवदत्त का प्रारम्भ से ही बुद्ध से विरोध रहा है। लाभ-सत्कार की इच्छा से देवदत्त ने अज्ञात शत्रु को अपने दिव्य चमत्कारों से प्रभावित किया। फलतः देवदत्त के मन में भिक्षु संघ का नेता होने की कल्पना घर कर गई।

१. चुल्लवग्ग, छुद्धकत्थुक्खन्धक हिन्दी ।

२. चुल्लवग्ग, सेनकखन्धक ।

उसने बुद्ध से कहा भी कि आप जब जीर्ण-बुद्ध, महस्लक और अश्वगत हैं। अतः भिक्षु संघ बुद्धे दे दें। पर बुद्ध ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अधिक बात बढ़ने पर बुद्ध को यह भी कहना पड़ा कि देवदत्त द्वारा कृत कार्यों का उत्तरदायित्व संघ पर नहीं है। जो भी हो, देवदत्त निश्चित ही आकर्षक व्यक्तित्व रहा होगा। उसने अजातशत्रु को बहकाकर पिता से बिद्वीह कराया, बुद्ध की हत्या का प्रयत्न किया, बुद्ध पर पत्थर फेंके और उन पर नील मिरी हाथी को छुड़वाया। इन दुष्कृत्यों से देवदत्त का प्रभाव संघ तथा संघ के बाहर अवश्य निस्तेज हो गया। फिर वह संघ से पृथक् हो गया और पांच सौ बज्जिपुत्रक भिक्षुओं को साथ लेकर गया चला गया। सारिपुत्र और मीद्गल्यायन उसे समझाने गये। उनके उपदेश से सभी भिक्षु वापिस हो गये। यह देखकर कहा जाता है, देवदत्त के भुँह से गर्म रक्त प्रवाहित हो पड़ा। देवदत्त की इस अपायिक असह्यक बात को सुनकर उसके अयोग्य आठ कारण दिये हैं—लाभ, अलाभ, यश, अयश, सत्कार, असत्कार, पापेच्छता और पाप-मित्रता। यहाँ संघ की समग्रता पर चोट करना योग्योम नाशक बताया गया है।<sup>१</sup>

व्रतस्कन्धक—व्रतस्कन्धक में नवागन्तुक, आवासिक और गमिक भिक्षु के व्रतों का आख्यान मिलता है। भोजन के समय के नियम, भिक्षाचारी के व्रत, आरण्यक के व्रत, शयनवासन के व्रत, जन्ताथर के व्रत, बच्चकुटी का व्रत, तथा शिष्य-उपाध्याय और अन्तेवासी-आचार्य के कर्तव्यों का भी उल्लेख हुआ है। प्रातिमोक्ष-स्थापन स्कन्धक में किस भिक्षु के प्रातिमोक्ष को स्थगित करना चाहिए, यह बताया है। इसी प्रसंग में बुद्धधर्म की विशेषताओं के रूप में उसके आठ अद्भुत गुणों का उल्लेख किया गया है—( १ ) महासमुद्र जैसा क्रमशः गम्भीर, ( २ ) महासमुद्र जैसा स्थिर धर्मशील ( ३ ) आचार भ्रष्ट भिक्षु का निष्कासक, ( ४ ) प्रव्रजित होने पर पूर्व का नाम छोड़ देना, ( ५ ) अनुपधिषेय निर्वाण प्राप्ति, ( ६ ) धर्म विनय एक रस है, ( ७ ) धर्मविनय बहुरस वाला है ( ८ ) धर्म विनय महान् प्राणियों का निवास है। निर्मूलक शील-भ्रष्टता और आचार-भ्रष्टता के कारण प्रातिमोक्ष स्थगित करना नियम विरुद्ध है। पाराजिक दोषी, शिक्षाप्रत्यास्थानीक, धार्मिक सामग्री का प्रत्यादानक आदि ऐसे बन्धक हैं, जिनके कारण प्रातिमोक्ष नियमानुसार स्थगित कर दिया जाता था।

नारी-प्रवेश—भिक्षुणी स्कन्ध में महिलावर्ग को बौद्धधर्म में दीक्षित होने का विधान प्रस्तुत किया गया है। मूलतः बुद्ध महिलावर्ग को धर्म में दीक्षित



करने के पक्ष में नहीं थे। परन्तु महाप्रजापती गौतमी की इच्छा ने आनन्द को प्रेरित किया और आनन्द ने बुद्ध के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया। बुद्ध इस घर्ष पर नारी वर्ग को दीक्षा देने के लिए तैयार हुए कि वे निम्न लिखित आठ बुद्ध धर्मों को स्वीकार करें—(१) पुरानी उपसंपन्न भिक्षुणी को नये उपसंपन्न भिक्षु का भी अभिवादन और सत्कार करना चाहिए, (२) धर्मध्वनार्थ भिक्षु का उपयोग करना चाहिए। (३) प्रतिपक्ष भिक्षु संघ से उपोसथ की पर्येषणा करे (४) वर्षावास की समाप्ति होने पर भिक्षुणी को दोनों संघों में दृष्ट, श्रुत और परिशंकित स्थानों से प्रवार्णा करना चाहिए। (५) गुरुधर्म स्वीकृति संपन्न भिक्षुणी को दोनों संघों में पक्षमानता करनी चाहिए। (६) भिक्षुणी दोनों संघों से उपसंपदा ग्रहण करे। (७) किसी भी प्रकार भिक्षुणी भिक्षु को आक्रोशात्मक शब्द न कहे, और (८) आज से भिक्षुणियों का भिक्षुओं को कहने का मार्ग बन्द हुआ लेकिन भिक्षुओं का भिक्षुणियों को कहने का मार्ग खुला है। महाप्रजापति गौतमी ने इन आठ धर्मों को सहर्ष स्वीकार किया। उसी समय बुद्ध ने कहा—आनन्द ! यदि तथागत प्रवेक्षित धर्म-विनय ने नारीवर्ग प्रव्रज्या न पाता तो यह ब्रह्मचर्य चिरस्थायी होता, सद्धर्म सहस्र वर्ष तक ठहरता। लेकिन नून कि आनन्द ! नारी वर्ग प्रव्रजित हुआ अब ब्रह्मचर्य चिरस्थायी नहीं होगा। सद्धर्म पांच सौ वर्ष ही ठहर सकेगा।

न दानि आनन्द बह्वचरियं चिरद्धितिकं भविस्सति ।

पञ्चेवदानि आनन्द वस्स सदानि सद्धम्भो ठस्सति ॥

आठ गुरु धर्म ग्रहण करने पर ही भिक्षुणियों की उपसंपदा हो जाती है। भिक्षुणियां भिक्षुओं से प्रातिमोक्ष सीखतीं और दोष का प्रतिकार करतीं। इसी प्रकार संघकर्म, अधिकरण धामन और विनय वाचन भी भिक्षुणियों के लिए भिक्षु ही करते हैं। भिक्षु प्रातिमोक्ष का बिकास घटनाओं के साथ और भी होता गया। भिक्षु-भिक्षुणियाँ परस्पर में कीचड़ और पानी डालते थे, अपना नग्न शरीर दिखाकर कामेच्छाएँ प्रगट करते थे। यह सुनकर तथागत ने ऐसे अमद्ग कृत्यों पर रोक लगायी और तत्सम्बन्धित नियमों का निर्माण किया। उपदेश ध्वषण के भी नियम बनाये गये। मालिन्ध, शरीर सज्जा, लेप, चूर्ण, तथा नीले-पीले आदि चीवरों के रखने का निषेध किया गया। असन, बसन, उपसम्पदा, भोजन, प्रवार्णा, उपोसथ-स्थान, बाहन का विधान हुआ। भिक्षुणियों को अरण्यवास का निषेध किया गया। उनके लिए बिहारों का निर्माण हुआ। गर्मिणी प्रव्रजिता को सन्तान पालन करने का सीमित अधिकार मिला। मानत्व चारिणी को सहवास के लिए एक भिक्षुणी रखने का नियम बना। इसके अतिरिक्त पुनः उपसंपदा ग्रहण, शौच, स्नान आदि सम्बन्धी नियमों का भी विधान किया गया।

विनय पिटक के इस द्वितीय खन्धक ( महावग्ग और खुल्लवग्ग ) में सम्बोधि से लेकर द्वितीय संगीति तक के विनय का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। यहाँ प्रत्येक नियम और उपनियम की पृष्ठभूमि में घटनाओं का उपस्थापन हुआ है। अर्थात् बौद्ध विनय की उत्पत्ति और विकास घटनाओं के माध्यम से हुआ है। प्रत्येक घटना का विवरण बुद्ध के समय एक ही प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है और बुद्ध प्रायः एक ही प्रकार की शैली में नियम बनाते दिखाई देते हैं। इस भाग में उत्तरकालीन परम्पराएँ भी दिखायी हैं। अतः इसमें प्रसिप्तांश होना भी संभव है।

विनय पिटक का परिवार अथवा परिवार-पाठ निश्चित ही एक परिशिष्ट है। अतः उसे उत्तरकाल का होना चाहिए। इसमें शिक्षापद कहीं, कैसे और क्यों दिये गये, तत् सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तर शैली में उपस्थित किया गया है। विषयसूची देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें द्वितीय खन्धक के विषय को ही स्पष्ट तथा संक्षिप्त किया गया है। इस स्पष्टीकरण और संक्षिप्तीकरण में थोड़ा बहुत वैशिष्ट्य आना स्वामाविक ही है। कुल मिलाकर इसे हम व्याख्या ग्रन्थ कह सकते हैं।

खन्धक और परिवार के अतिरिक्त विनय पिटक का एक और भाग है जिसे सुत्त विभंग कहा गया है। इसमें भिक्षुपात्तिमोक्ख और भिक्षुणी पात्तिमोक्ख का विवरण है। बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के विनय की दृष्टि से यह एक सुन्दर संग्रह है। सामान्यतः इसमें निदान, पाराजिक, संधादिसेस, अनियत, निस्संगिय पाञ्चितिय, पाटिसेसनिय, सेलिय और अधिकरण समग्र नियमों का विवरण समाहित है। मास की प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को उस स्थान में रहने वाले सभी भिक्षु उपोसथानार में एकत्रित होकर इन प्रातिमोक्ष नियमों की आवृत्ति करते हैं।

भिक्षु पतिमोक्ख—निदान पतिमोक्ख की श्रुतिका जैसा है। पाराजिक अपराधों के करने से भिक्षु सदैव के लिए भिक्षुत्व अवस्था से दूर हो जाता है। ऐसे अपराधों में मैथुन, चोरी, मानव-हत्या और दिव्य शक्ति ( उत्तरि मनुष्यधर्म ) का दावा करना प्रधान हैं। संधादिसेस में संघ कुछ समय का परिवास देता है। ये अपराध तेरह हैं—वीर्यमोचन, स्त्री का अंग स्पर्श, कामवार्तालाप, मैथुनेच्छा व्यक्त करना, मैथुन के लिए दूत कार्य, कुटी निर्माण में प्रमाण का अतिक्रमण करना। कठिन स्थान में कुटी बनवाना, पाराजिक का निर्मूल दोष छगाना, ८-९ संघ में मतभेद पैदा करना, संघ में मतभेद करनेवालों का साध देना। शिक्षापदों को अनसुनी कर देना, और कुलों को दूषित करना।

कुछ ऐसे अपराध हैं जो पाराजिक संघाद्विसेस, और पाश्चित्तिय दोषों में किसी एक में नियत नहीं हो पाते। इसीलिए उन्हें अनियत कह जाता है। मैथुन सम्बन्धी ऐसे दो अपराधों का उल्लेख पातिमोक्ख में हुआ है। कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनका प्रतिकार संघ, अधिकांश भिक्षु अथवा एक भिक्षु के सामने स्वीकार कर छोड़ देने पर हो जाता है। ऐसे अपराध निस्सग्गिय-पाश्चित्तिय कहलाते हैं। इसमें कठिन चीवर और चीवर सम्बन्धी ग्यारह, आसन सम्बन्धी पाँच, स्वर्ण-रजत, पैसे आदि के व्यवहार सम्बन्धी दो, क्रय-विक्रय, पात्र सम्बन्धी दो, भैषज्य, चीवर सम्बन्धी ( ६ ) संघ लाभ को अपना बताना, ये २८ दोष गणित हैं। पाश्चित्तिय दोष ६२ हैं—भाषण सम्बन्धी चार, सहवास सम्बन्धी दो, धर्मोपदेश, दिव्यशक्ति प्रदर्शन, अपराध प्रकाशन, भूमि खोदना, वृक्ष काटना, संघ के पूछने पर झुप रहना, निन्दा करना, सांघिक वस्तुओं में असावधानी सम्बन्धी छः, बिना छूना पानी पीना, भिक्षुणियों को उपदेश देने आदि सम्बन्धी दस, भोजन सम्बन्धी दस, अचेलक सम्बन्धी दस, मद्यपान, उपहास सम्बन्धी चार, आग तापना, स्नान, चीवर पात्र सम्बन्धी तीन, प्राणातिपात सम्बन्धी दो, कलह करना, अपराध छिपाना, बीस वर्ष से कम व्यक्ति को उपसम्पन्न करना, चोर अथवा स्त्री के साथ यात्रा करना, मिथ्या दृष्टि सम्पन्न होना—३, धार्मिक बात को अस्वीकार करना, प्रातिमोक्ष सम्बन्धी दो, पीटना, भमकाना, संघाद्विसेस का दोषारोपण करना, भिक्षु को सन्देह उत्पन्न करना, छन्द सम्बन्धी—३, सांघिक लाभ में भाँजी मारना, राजप्रासाद में प्रवेश करना, बहुमूल्य वस्तु को अन्यत्र ले जाना, अपराह्न में गाँब जाना, सूचीघर, चौकी, शय्या, वस्त्र सम्बन्धी दोष—६। पाट्टिदेसनीय में भोजनग्रहण और भिक्षुणी सम्बन्धी चार दोष हैं। सेखिय ( शिक्षणीय ) नियम वे हैं जिन्हें लोग सीखते हैं। ऐसे नियम ७५ हैं—गृहस्थों के घरों में जाने, उठने, बैठने सम्बन्धी—२६, भिक्षान्न ग्रहण और भोजन सम्बन्धी—३०, कैसे व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए—१६, और मलमूत्र सम्बन्धी—३। अधिकरण समथ में विबाद क्षान्ति के सात उपाय बताये गये। इस प्रकार भिक्षुपातिमोक्ख के ४ + १३ + २ + ३० + १२ + ४ + ७५ + ७ = कुल २२७ नियम-अधिनियम हैं।

भिक्षुणो पातिमोक्ख-भिक्षुणी पातिमोक्ख भी लगभग भिक्षु पातिमोक्ख का अनुगामी है। यहाँ पाराजिक के ८ दोष हैं—मैथुन, चोरी, मानबहत्या, दिव्यशक्ति का प्रदर्शन, कामासक्ति के विविध कार्य, संघ से निष्कासित भिक्षु का अनुगमन तथा कामासक्ति से पुरुष का स्पर्श करना। संघाद्विसेस सम्बन्धी १७ दोष हैं—पुखों के साथ विहार करना, चोरनी या बध्या को भिक्षुणी बनाना, अकेले झूमना, संघ से निष्कासित भिक्षुणी का साथ करना, कामासक्ति

के कार्य, पाराशिक का दोषारोपण, धर्म का प्रत्याख्यान, भिक्षुणियों की निन्दा करना, दुराचारिणियों का सम्पर्क करना, संघ में मतभेद पैदा करना, सुनी बात को अनसुनी करना, और कुल्लूषित करना । तीव्र अपराध निस्सन्धिय पाचिसत्य सम्बन्धी हैं—पात्र-संचय, शीघर, वस्तुग्रहण, कठिन शीघर और शीघर, स्वर्ण, रजत पैसे आदि का व्यवहार, क्रय-विक्रय, पात्र बदलना, सैषण्य, शीघर, संघलाभ सम्बन्धी दोष । पाचिसत्य में १६६ दोषों का समाहार है । लहसुन भक्षण, कामासक्ति के कार्य, भिक्षु सेवा, कच्चा अनाज, मल-मूत्र विसर्जन, गृह-गान, पुरुष के साथ एकान्त में रहना, गृहस्थों के आवासों में जाना-बैठना, भिक्षुणी को सन्देहग्रस्त बना देना, अभिशाप देना, देहपीटकर क्रन्दन करना, स्नान, शीघर, दो भिक्षुणियों के साथ सोना, भिक्षुणी को संघ करना, रोगी शिष्या की सेवा न करना, उपाध्य देकर निष्कासित करना, बिचरना, तमाशा देखना, कुर्सी-मलंग का उपयोग करना, सूत काटना, गृहस्थों जैसे कार्यकलाप करना, विवाहशान्त न करना, स्वयं भोजन देना, आभय की वस्तुओं में असावधानी करना, तिरच्छीन विद्याओं का पढ़ना-पढ़ाना, भिक्षुवाले आराम में प्रवेश करना, निन्दा करना, तृप्ति के बाद भी खा लेना, गृहस्थों से डाह करना, भिक्षुओं रहित स्थान में वर्षावास करना, प्रवारणा, उपदेश-श्रवण और उपोसथ, गुह्यस्थान के गण्डक को भिक्षु से निकलवाना, भिक्षुणी बनाना, छाता, जूता, वाहन, आभूषण आदि का शृङ्गार, भिक्षु के समक्ष आसन पर बैठना, प्रश्न पूछना, कंचुक बिना गाँव में जाना, भाषण की अनियमता, उपसंपदाहीन भिक्षुणी के साथ सोना, पुरुषों को धर्मोपदेश देना, दिव्यशक्ति का प्रदर्शन, अपराध प्रकाशन, जमीन खोदना, वृक्ष काटना, संघ के पूछने पर चुप रहना, निन्दा करना, बिना छता पानी ग्रहण करना, भोजन सम्बन्धी दोष, सोना, मद्यपान, उपहास, आग तापना, स्नान, शीघर-पात्र, प्राणिहिंसा, कलहवृद्धि, यात्रा के साथ चलना, मिथ्यादृष्टि धारण करना, धार्मिक बातों को अस्वीकृत करना, प्रातिमोक्ष, मारना, धमकाना, संघादिसेस का दोषारोपण, छन्ददान, सूचीघर, चौकी, चारपाई, और बख सम्बन्धी दोष । पाटिदेसनीय दोष केवल चार हैं । इनमें भक्षणीय वस्तु को माँगकर रखना विशिष्ट है । सेखिय ७५ हैं ही । अधिकरण समय भी चार ही हैं । इस प्रकार भिक्षुनी पातिमोक्ष के कुल ८ + १७ + ३० + १६६ + ८ + ७५ + ७ = ३११ दोष-नियम बताये गये हैं ।

तुलना—भिक्षु पातिमोक्ष और भिक्षुणी पातिमोक्ष देखने से यह स्पष्ट है कि दोनों के विनय-नियमों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । जो भी अन्तर है, वह उनकी भर्त्यादा और स्थिति के कारण है । विनय पिटक के अध्ययन से

यह भी स्पष्ट ही जाता है कि प्रत्येक नियम किसी बटना विशेष की पृष्ठभूमि में स्थापित किया गया है। बटनाओं के आचार पर ही उनका उत्तरकाल में विकास हुआ है। कुछ नियम ऐसे भी हैं जो मात्र उसी समय के लिए थे। सायब इसीलिए स्थापित ने कहा था “इच्छा होने पर संघ मेरे बाद छोटे-मोटे ( बुद्रानु-बुद्ध ) शिक्षापदों को छोड़ दें।” विनय पिटक में द्वितीय संगीति तक का विकसित विनय तो मिलता ही है। तृतीय संगीति के काल की परिस्थितियाँ और उनसे उत्पन्न होनेवाले विनय नियमों की भी खुरेखा विनय पिटक में उपलब्ध है। पाणिनीय के विनय पिटक का संक्षिप्त संस्करण कहा जा सकता है अथवा उसे खम्बक के बाद का और परिवार के पूर्व का भी माना जा सकता है। बाद के निम्न सम्प्रदाय के लिए यही विनय पिटक प्रस्थानक ग्रन्थ बन गया। उत्तर कालीन सम्प्रदायों में भी हर नियम बुद्ध के बुद्ध से निर्धारित कराया गया है।

पालि विनय पिटक के अतिरिक्त चीनी भाषा में इसके छह संस्करण और मिलते हैं—१. जुजुरित्सु ( सर्वास्तिवादी विनय ), २. शिबुन-रित्सु ( धर्मगुप्तिक विनय ), ३. मकसोगि-रित्सु ( महासांघिक विनय ), ४. कोन-पोन-सेत्सु-इस्से-उबु ( सर्वास्तिवादी विनय ), ५. गोबुन-रित्सु ( महिसासक विनय ), और ६. विनि-मो-रोन् ( सामान्य )। चीनी भाषा में इनकी व्याख्यायें भी मिलती हैं—१. विनि-मो-रोन् ( विनय माता वण्णना ), २. मोत्ती-रोग-रोग् ( मातिका वण्णना ) ३. जेन्-केन्-रोन् ( पाकट वण्णना ), ४. सन्धत-रोन् ( विभाषा वण्णना ), और ५. म्यो-र्यो-रोन् ( पाकट वण्णना )। इनमें शिबुन-रित्सु ( धर्मगुप्तिक विनय ) चीनी और जापानी बौद्धधर्म विनय की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। आकार-प्रकार भी इसका बड़ा है। पालि विनय से इसी की तुलना की जा सकती है। शेष संस्करण तो अल्पकायिक हैं। इनके अतिरिक्त सर्वास्तिवादीयों के विनय का एक तिब्बती संस्करण ( सो-सोर-थर्-या ) भी उपलब्ध है। इन तीनों संस्करणों में उपलब्ध शिक्षापदों की तुलना इस प्रकार है—

शिक्षापद	पालि सं०	चीनी सं०	तिब्बती सं०
१. पाराजिका	४	४	४
२. संघादिसेसा	१३	१३	१३
३. अनियत घम्मा	२	२	२
४. निस्सगिया पाचिसिया घम्मा	३०	३०	३०
५. पाचिसिया घम्मा	६२	६०	६२

१. दीधनिकाय, महापरिनिव्वाण सुत्त ।

२. उपाध्याय, भरतसिंह, पालि साहित्य का इतिहास, पृ. ३४३-४४.

शिक्षापथ	पालि सं०	चीनी सं०	तिब्बती सं०
६. पटिषेसनिया धम्मा	४	४	४
७. सेखिया धम्मा	७५	१००	१०६
८. अधिकरणसमथो धम्मा	७	७	७
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	कुल २२७	२५०	२५८

इस तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि केवल शैक्य सम्बन्धी ( सेखिया धम्मा ), और पालयन्तिक ( पाचिस्तिया धम्मा ) विनय में तीनों संस्करणों में अन्तर है। इनमें सेखिया धम्मा तो मात्र बाह्य शिष्टाचारों से सम्बन्धित नियम हैं। उनमें विभेद होना स्वाभाविक है। अतः यह विभेद विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। महाव्युत्पत्ति में शार्यद इस्तीलिए इन नियमों को 'संबहुलाः शैक्यधर्माः' कहा गया है। इनका निर्माण देव, काल, और परिस्थितियों के अनुसार होता है। पाचिस्तिया धम्मा का विभेद अवश्य महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इतनी लंबी परम्परा में यह विभेद होना स्वाभाविक भी है। वैसे कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बौद्ध विनय में उनके विभिन्न सम्प्रदायों के बीच विशेष अन्तर नहीं है। जो अन्तर हैं भी वह समय, सीमा और परिस्थितियों के सन्दर्भ में अनपेक्षित नहीं कहा जा सकता। हाँ, वज्रयान आदि उत्तरकालीन क्लासिकुल बौद्ध सम्प्रदाय मूल विनय से अवश्य अधिक पतित हो गये थे।

सूत्रकृतांग की टीका व विवरण में बौद्ध धर्म व दर्शन की लगभग ६-१० वीं शती तक की गतिविधियों का परिचय उपलब्ध होता है। इन गतिविधियों को हम स्थूल रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—

### बौद्धान्तर और बौद्ध विचार

उत्तरकालीन बौद्ध सम्प्रदाय मूल बौद्ध धर्म के आचार-विचार से बहुत कुछ भिन्न हो गये थे। आवश्यकता पड़ने पर आचार शिथिलता को बुद्ध ने क्षम्य माना था। यही शिथिलता अग्रिम आचार शिथिलता की जननी रही और एक दिन बौद्ध सम्प्रदायों के परस्पर आचार-विचार में पूर्व-पश्चिम व उत्तर-दक्षिण जैसा भेद उत्पन्न हो गया। जैनाचार्य बौद्धों की इस शिथिलता के विरोधी प्रारम्भ से ही रहे हैं। सूत्रकृतांग में भी इसी विरोध के स्वर सुनाई पड़ते हैं।

सूत्रकृतांग में बौद्धों पर प्राणातिपात, अविभादान, भूषावांद, नैयुन व परिग्रह रखने का दोषारोपण किया गया है। इन दोषों का मुख्य कारण यह था कि बौद्ध अत्यन्त असंयत हो गये थे। उनका कहना था—सुख से सुख की प्राप्ति होती है, दुःख से सुख नहीं मिलता। अतः कुञ्चन आदि से श्रुति-प्राप्ति सम्भव नहीं। यह आचार धारणा बन जाने पर वे उक्त

पंच पात्रों में अभिरत हो जाते हैं।<sup>१</sup> जिनदास गणि और शीलकाचार्य ने इस मत को एकमत से बौद्धमत माना है। शीलक ने तो बौद्धों पर सावध अनुष्ठान करने तथा गो, महिष्यज, उष्ट्र, घन, धान्य, द्विपद, चतुष्पदादि परिग्रह रखने का दोषारोपण स्पष्ट रूप से किया है। आगे की गाथा में 'एवमेवे उपासत्वा' में आये हुए पासत्य शब्द का अर्थ पार्श्वस्थ किया गया है और इन पार्श्वस्थों में शीलक ने बौद्धों को भी सम्मिलित किया है। ये पार्श्वस्थ कुशील सेवक तथा स्त्री परिग्रह से पराजित बनाये गये हैं। इसलिए अनार्य कर्मकारी होने के कारण उन्हें अनार्य भी कह दिया गया। उनके अनुसार प्रियादर्शन सदैव बना रहे। उसके समक्ष अन्य दर्शनों की क्या आवश्यकता ! उसी सराग चित्त से निर्वाण प्राप्ति होती है।

प्रियादर्शन मेवास्तु किमन्यै दर्शनान्तरैः ।

प्राप्यते येन निर्वाणं, सरागेणापि चेतसा ॥<sup>२</sup>

आगे की गाथाओं में कहा गया है कि बौद्धों के अनुसार जैसे पके हुए फोड़े को फोड़ने पर राध, रुधिर निकालने से शुद्धतं मात्र में आराम हो जाता है वैसे ही विषय भोग की प्रार्थना करने वाली स्त्री के साथ सम्पर्क करने में कौनसा दोष है ? और भी अनेक उदाहरण दिए गये हैं। यथा—जैसे कंपिजल पक्षी आकाश में उड़ता हुआ जल-पान करता है, पर जल को कष्ट नहीं देता उसी प्रकार प्रार्थना करने वाली स्त्री से कामभोग सेवन करने में क्या दोष ! जैसे भेड़ अपने घुटनों को पानी में झुकाकर पानी को गन्दा किये बिना ही धीरे-धीरे स्थिरता पूर्वक पीता है उसी प्रकार राग रहित चित्त वाला मनुष्य अपने चित्त को दूषित किये बिना स्त्री के साथ संभोग करता है। इसमें कोई दोष नहीं। वृत्तिकार ने यह मत नीले बल्ल वाले बौद्ध विशेषों ( बौद्ध विशेषाः नील्पटादयो ) का माना है।<sup>३</sup> बौद्धों में कौनसा सम्प्रदाय नीले बल्ल पहनता था, अज्ञात है। सम्भव है कोई वज्रयानादि बौद्ध शाखा रही हो।

अन्यत्र कहा है कि वे शाक्यादिक सच्चित्त जलपान, ( अप्रासुक जल ) सच्चित्त वीजयक्षत्र तथा उद्दिष्ट भोजन कर आर्तध्यान करते हैं। वे धर्म अवेदक तथा

१. इह मेवे उ भासंति, सातं सातेण विञ्जती ।

जे तत्थ अरियं भग्गं, परमं च समाहिए (यं) ॥ ३. ४. ६.

पाणाइवाते बहंता, बुसावादे असंजता ।

अदिन्नादारणे बहंता, मेहुणे य परिग्गहे ॥ ३. ४. ८.

२. सूत्र. वृत्ति, पृ. ६७।१ (शीलाकाचार्य कृत विवरण सहित

आगमोदय समिति बम्बई द्वारा प्रकाशित, १९१७ )

३. वही, ३. ४. १०-१३ वृत्ति, पृ. ६७-६८; मिलाइये, चित्तविबुद्धिप्रकरण, ४७

साधिवन्त हैं ।<sup>१</sup> शीलोक ने लिखा है कि शाक्य भिक्षु मनोहर आहार, वसति, पासनादिक राग के कारणों का ध्यान करते हैं, उपयोग करते हैं । संज्ञान्तर आश्रमण के कारण वे इसे निर्दोष मानते हैं ।<sup>२</sup> जैसे ठंफ, कंक, कुल्ल, मंगु प्रादि पक्षी मत्स्य गन्धेषण के लिए क्लृप्तता युक्त ध्यान करते हैं वैसे ही वे ध्यादृष्टि बनार्य साधु दृष्ट ध्यान करते हैं ।<sup>३</sup>

‘सातं सातेण’ युक्ति का आधार लेकर बौद्ध मानते हैं कि जिस प्रकार शाक्य ऋ से शाल्यङ्कुर ही होता है, यवाङ्कुर नहीं, उसी प्रकार सुख से ही मुक्ति ल सकती है, दुख से नहीं । कहा है—मनोज्ञ भोजन कर मनोज्ञ धर्म्या पर कर तथा मनोज्ञ घर में रहकर मुनि ध्यान करता है—

मणुयणं भोयणं भोज्जा मणुयणं सयणसणं ।

मणुयणंसि अगारसी मणुयणं भायए सुखी ॥

यह उल्लेख किस ग्रन्थ से शीलकाचार्य ने किया है, अज्ञात है । यदि यह ही बौद्ध ग्रन्थ से उद्धृत किया गया है तो और भी महत्वपूर्ण है । यह असंभव नहीं । उत्तरकाल में बौद्धों ने भी अपना साहित्य प्राकृत भाषा में निबद्ध ज्ञा प्रारम्भ कर दिया था । प्राकृत धम्मपद इसका प्रमाण है ।

उक्त आलोचना जैसी आलोचना और भी की गई है कि बौद्ध भिक्षु अत्यन्त मल धर्म्या पर सोते हैं । प्रातःकाल उठकर दुग्धादि का पान करते, दोपहर भोजन करते, अपरान्ह में पुनः कोई पेय द्रव्य लेते तथा अर्धरात्रि में द्राक्षा गड और शर्करा लेते । इसी दिनचर्या से शाक्यपुत्र मुक्ति की प्राप्ति मानते हैं—

मृद्धी शय्या प्रातरुत्थाय पेया भक्तं मध्ये पानक चापरान्हे ।

द्राक्षाखण्ड शर्करा चार्द्ध रात्रे मौक्षश्चान्ते शाक्यपुत्रेण इष्टः ॥<sup>४</sup>

आगे इस सिद्धान्त का खण्डन किया गया है और सम्यक्ज्ञान पूर्वक कृत तस्या को मुक्ति का साधन माना गया है । परमार्थ चिन्तक महापुरुष के लिए ह कष्ट भी सुख का कारण है ।<sup>५</sup>

१. ते य बीभोदकं वेद तमुद्दिस्सा य जं कडं ।  
भोष्ठा क्षाणं क्षियायंति, अरवेयन्ना असमाहिया ॥ सूत्र. ११. २६
२. मणुणं भोयणं मुज्जे..... ।  
मंसनिवति काण्डं सेवइ दतिक गंति घगिमेया ।  
इय च चइउणारमं परववएसा कुणइ बालो । वही
३. वही, ११. २७. २८.
४. वही, १. ३. ४. ६. की वृत्ति पृ. ६६.
५. वही



तण संथारनिवण्णो वि मुनिवरो वड रागमय ओहो ।  
अं पावइ मुत्तिमुहं कत्तो तं चक्कवट्ठी वि ! ॥

तथा—

दुःखं दुष्कृत संघवाय महता क्षान्ते पदं वैरिण ।  
कायस्थाशुचिता विराग पदवी संवेग हेतुर्धरा ॥  
सर्वं त्याग महोत्सवाय मरणं जातिः सुदुःसंप्रीतये ।  
अपदिभः परिपूरितं जगदिदं स्थानं विपत्तोः कुतः ॥

बौद्ध भिक्षुओं की आचार-शिथिलता देखकर सूत्रकृतांग में उन्हें अनार्य भिक्ष्यादृष्टि कहा गया है तथा यह कहा गया है कि जिस प्रकार आत्यन्ध पुष्प छिद्र वाली नौका में चढ़कर जब समुद्र पार करने की इच्छा करता है तो समुद्र में ही डूब जाता है वैसे ही कितने ही भिक्ष्यादृष्टि अनार्य साधु कर्माश्रय की अधिकता से नरकादिक के दुःख प्राप्त करते हैं। वे मुक्ति पथ से विमुख हो जाते हैं।<sup>१</sup>

बौद्ध साधुओं का यह आचार निश्चय ही उत्तर कालीन बौद्ध भिक्षुओं का आचार रहा होगा जिसका उल्लेख श्रीलांकाचार्य ने विशेष रूप से किया है। यह नवीं-दसवीं शती के बौद्ध जीवन का अंशों देखा वर्णन होगा। उस समय बौद्ध धर्म व दर्शन विकृत हो गया था। अतः यह आचार शीथिल्य असंभव नहीं। बेरगाथा में भविष्य के भिक्षुओं की आस्था व दिनचर्या का वर्णन किया गया है जो उक्त वर्णन से मिलता-जुलता है। बेरगाथा के प्रणयन काल में बौद्ध भिक्षुओं में यह शिथिलता आ चुकी होगी जिसकी चरम परिणति का आभास यहाँ प्रस्तुत किया गया है। वहाँ कहा गया है कि पुरुषोत्तम बुद्ध के रहते भिक्षुओं की चर्या दूसरी थी पर अब कुछ और ही हो गई है। पहिले के भिक्षु अधिक नम्र और कर्माश्रय को दूर करने में दक्षचित्त रहते, पर अब ऐसे भिक्षु अत्यल्प हैं।<sup>२</sup>

१. जहा आसावणं नावं जाई अंधो दुक्कहिया ।  
इच्छई परमाणं तु अन्तराय विसीयं ॥  
एवं तु समणा एगे भिच्छादिट्ठी अणारिया ।  
सोयं कसिणभावन्त्ता आगंतारो महाव्ययं ॥ सू. १. ११. ३०-३१.
२. अञ्जथा लोपनाथमिह तिट्ठन्ते पुरिसुत्तमे ।  
इरियं असि भिक्खूनं अञ्जथा दानि विस्सति । बेरगाथा ६२१  
सन्नासवपरिक्खीणा महाभायी महाहिता ।  
निब्बुत्ता दानि ते थेरा परित्ता दानि तादिसा ॥ बेरगाथा ६२८

हीं यह धंका भी व्यक्त की गई है कि यदि ऐसी ही शिथिलता बनी रही। धासन बिनष्ट हो जायगा। वे पाप वासनाएँ उनके अन्दर उन्मत्त राक्षसों ल रही हैं। वासनाओं के बध में होकर वे सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति तत्र दौड़ लग्न रखे हैं। सद्बर्ण को छोड़कर असद्बर्ण को श्रेष्ठ मानते जा के लिए कुटुम्ब का आचरण करते हैं। वे सभी धित्य सीखते हैं और से अविकाधिक प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं। वे मित्रु औपध के विषय की तरह हैं, कामधाम में गृहस्थों की तरह हैं, विसूषण में शणिकार्यों हैं और प्रताप में क्षत्रियों की तरह हैं। वे घूर्त हैं, वाञ्छनिक हैं, उग्र असंयमी हैं तथा आभिष का उपभोग करने वाले हैं।<sup>१</sup> लोभ के वशीभूत धनसंग्रह करते, स्वार्थ के लिए धर्मोपदेश देते, संघ के भीतर संघर्ष करते गभ से जीविका करते हुए लज्जित नहीं होते।<sup>२</sup>

संभक्षण—सूत्रकृतांग में जिनदासगणि व शीलोक ने बौद्ध धर्म को दी अथवा कर्मवादी दर्शन माना है। उनके इस दर्शन की कर्म विषयक को दुःसस्कन्ध बर्धक माना है। कर्मनिश्चितायणट्टाणं संसारस्स ( २. १. २४ )। चूर्णिकार ने दुःसस्कन्ध का अर्थ कर्मसमूह माना कार ने आसातोद परम्परा। दोनों व्याख्याओं में कोई अन्तर नहीं है।

शुक्तिकार ने बताया कि परिजोपचित (मनोव्यापार) अविजोपचित ( शरीर ) ईर्ष्यापथ व स्वप्नान्तिक ये चतुर्विध कर्म उपचय को प्राप्त नहीं होते— 'कर्म नोपचीयते मित्रु समय।' इसी प्रसंग में उन्होंने बताया कि प्राणी, न, घातकचित, घातकक्रिया और प्राण वियोग ये पाँच कारण हिंसा के ऽ चतुर्विध कर्म में ये पाँच कारण नहीं होते। अतः हिंसा नहीं।

वे बीवाल पर फेंकी गई घूलि स्पर्श के बाद ही बिखर जाती है इसी तरह इव कर्म स्पर्श के बाद ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उन कर्मों का उपचय ता। कर्म बन्ध के तीन कारण हैं कृत, कारित व अनुभोदन। इनमें भाव-के कारण कर्म का उपचय नहीं होता। इसके समर्थन में एक उदाहरण या है कि जैसे राग द्वेष रहित कोई गृहस्थ पिता किसी बड़ी बिपत्ति के लके उद्धारार्थ आहार के लिए अपने पुत्र को मारकर उसका मांस भक्षण

. भिसज्जे सु यथा वेज्जा, किञ्चाकिञ्चे यथा गिही।

गणिका व विसुसायं इस्सरे क्षत्तिप्त यथा ॥

नेकतिका वञ्चनिका कूटसक्की अपाट्टका।

बहूहि परिकयेहि आमितं परिमुञ्चरे ॥ वही. ६३८.६

. वही, ६४०-६४२.

करता हुआ भी कर्मबन्ध को प्राप्त नहीं होता इसी प्रकार साधु भी मांस भक्षण करता हुआ भी कर्मबन्ध को प्राप्त नहीं होता—

पुत्रं पिया समारम्भ अहारेण असं जवे ।

भुञ्जमाणो य मेहावी कम्भणा नोवलिप्यई ॥<sup>१</sup>

संयुक्त निकाय में इस प्रकार की एक कथा मिलती है जहाँ शरीर सामर्थ्य बढ़ाने के उद्देश्य से एक पिता अपने पुत्र का वध कर उसका मांस भक्षण कर लेता है फिर भी बौद्ध धर्म की दृष्टि से पिता वधक (हिंसक) नहीं। यह आपासिक नियम है। नायाधम्मो कहाओ के सुसुमा अध्ययन में भी लगभग ऐसा ही उल्लेख आता है। सूत्रकृतांग केवल मनः प्रद्वेषो अपि अनवद्या कर्मोपचयाभाव” इस मत का स्पष्टन किया गया है।<sup>२</sup> कहा गया है कि उसके चित्त का विकल्प व्यापार हिंसा का कारण है। परव्यापादित पिशितमक्षणे पर” हस्ताकृष्टाङ्घ्रिदाहामावपन्न दोष’ यह मत भी ठीक नहीं क्योंकि परोक्ष अनुमति तो इसमें रहती ही है।

मानसिक संकल्प ही बौद्ध मत में हिंसा का कारण है। जैसे तिल अथवा सरसों की खली के पिण्ड को पुरुष मानकर कोई उसका नाश करे तो उसे हिंसा का दोष लगेगा इसके विपरीत पुरुष को खली समझकर अथवा कुमार को अलाबु समझकर उसका नाश करने वाला प्राणिबन्ध का दोषी नहीं होता। इतना ही नहीं इस प्रकार की बुद्धि से पकाया गया पुरुष अथवा कुमार का मांस बुद्धों के भोजन के लिए विहित माना गया है। इस प्रकार पकाए हुए मांस द्वारा जो उपासक अपने सम्प्रदाय के दो हजार भिक्षुओं को भोजन कराते हैं वे महान् पुण्यस्कन्ध का उपार्जन करते हैं और उसके द्वारा आरोग्य नामक देवबोनि में जन्म लेते हैं। बौद्ध मतावलम्बियों की इस मान्यता को आद्रक कुमार क्षण्डित करते हुए कहते हैं कि खली को पुरुष समझना अथवा अलाबु को कुमार समझना कैसे सम्भव है ? ऐसा समझने वाले भ्रज्जानी हैं। वे औद्देशिक मांस का भक्षण करने वाले हैं, जिह्वा के स्वाद में आसक्त हैं।<sup>३</sup>

सूत्रकृतांग के क्रियास्थान नामक द्वितीयाध्यान में विविध क्रियास्थानों का परिचय दिया गया है। क्रियास्थान का तात्पर्य है—प्रवृत्ति का निमित्त। विविध प्रवृत्तियों के विविध काम होते हैं। इन्हीं कारणों को क्रियास्थान कहा गया है। ये क्रियास्थान दो प्रकार के हैं—धर्मक्रिया स्थान और अधर्मक्रिया स्थान। अधर्मक्रिया के १२ व धर्मक्रिया का एक भेद है। इस प्रकार कुल भेद क्रियास्थान के १३ हैं।

१. सूत्र. प. २. २. २८ ।

२. वही, १. २. २. २९ वृत्ति भी देखिये ।

३. वही, २. ६. २. ४२ ।

त के अनुसार हिंसा ५ अवस्थाओं में संभावित है । अतएव अकस्मात्  
नर्ण दण्ड बगैरह को वहाँ हिंसा रूप नहीं गिना जा सकता ।

प्रकृतांग के इन बौद्धाचार सम्बन्धी उल्लेखों के देखने से स्पष्ट है कि उत्तर  
बौद्ध सम्प्रदाय अत्यधिक शिथिल हो गये थे । अपने धर्म के परिपालन में  
क्षण उनमें अधिक प्रचलित था । भले ही वह त्रिकोटिपरिवृद्ध रहा हो ।  
साहित्य में भी बौद्धों को मौस भक्षण करते हुए देखा गया है । सीह सेनापति  
उपासक हो जाने पर बुद्ध संघ के लिए मौस मिश्रित भोजन ( सीहसुत्त )  
जिसका तीव्र विरोध निगण्ठों ने किया इसका । मूल कारण यह है कि  
ओं में मौस-भक्षण अथवा अहिंसा की परिभाषा ही भिन्न रही है ।

इ विनय की शिथिलाचार वृत्ति के इतिहास-दर्शन से यह स्पष्ट है कि  
की विकास परम्परा महायान में एकाग्र नहीं आयी प्रत्युत उसके सूत्र  
से ही जुटते रहे । भिक्षुपातिभोक्ख और भिक्षुणी पातिभोक्ख की  
जिन घटनाओं के आधार पर हुई है उससे यह अनुमान लगाना सहज  
है कि बौद्ध संघ में आचारहीनता प्रारम्भ हो चुकी थी । वहाँ प्रायः  
य भिक्षु और सत्तरसवर्गीय भिक्षुओं तथा शुल्लनग्धा, सुन्दरीनग्धा और  
य भिक्षुणियों के माध्यम से विनयशैथिल्य के प्रसंग एकत्रित किये गये  
: येरगाथा के पारापरिय और फुत्स जैसे भिक्षुओं का भविष्य के बौद्ध  
के आचारदर्शन के प्रति अनुमान—कथन हमें यह कहने को बाध्य  
है कि तबतक संघ में पर्याप्त भ्रष्टाचार चल पड़ा था । वज्रयान आदि  
में उसी आचार का वृद्धिप्लुत रूप उपलब्ध होता है ।

शिवरवाद के बाद सर्वास्तिवाद भी एक प्रभावक बौद्ध सम्प्रदाय हुआ है ।  
उ उनका विनय ग्रन्थ माना जाता है ( पृ. ३ ) । परन्तु पूरे ग्रन्थ के  
से यह सही नहीं लगता । वह विनय नहीं बल्कि भगवान् बुद्ध की  
रवादी जीवनगाथा है । इसका लेखक और काल भी एक नहीं माना  
ता । इस महावस्तु ( पृ. १ ) में बोधिसत्व की चार प्रकार की चर्यायें  
यी हैं—प्रकृतिचर्या ( कुशलमूलों का अवरोपण ), प्रणिधानचर्या ( कुशलमूल  
न ), अनुलौमचर्या ( चक्रवर्तीसूत ) और अनिवर्तनचर्या ( तथागत होने  
ज्ञा ) । इसी प्रकार चार उपसम्पदाओं का भी उल्लेख है—स्वामी  
दा, एहिभिक्षुकाय उपसम्पदा, दशवर्गेन गणेन उपसम्पदा, और पञ्चवर्गेन  
उपसम्पदा ।

शिवरवाद की अपेक्षा मूलसर्वास्तिवाद में विनय-नियमों की संख्या अधिक है ।  
पिटक (हिन्दी अनुवाद) की श्रुमिका में श्री महा-राहुल सांक्रत्यायनने स्वशिव-  
र मूलसर्वास्तिवाद में आगत विनय नियमों की तुलना से भी यह स्पष्ट है ।

१. भिक्षु नियम	स्वविरवादा	मूलसंस्मृतिवादा
१. पाराजिक	४	४
२. संचादित्सेस	१३	१३
३. अनियत	२	२
४. निस्सग्गिय-पाचिस्सिय	३०	३०
५. पाचिस्सिय	६२	६०
६. पाटिक्खेसनिय	४	४
७. सेखिय	७५	११२
८. अधिकरण-समय	७	७
	<u>२२७</u>	<u>२६२</u>
२. भिक्षुणी नियम	स्वविरवादा	मूलसंस्मृतिवादा
१. पाराजिक	८	८
२. संचादित्सेस	१७	२०
३. निस्सग्गिय-पाचिस्सिय	३०	३३
४. पाचिस्सिय	१६६	१८०
५. पाटिक्खेसनिय	८	८
६. सेखिय	७५	११२
७. अधिकरण-समय	७	७
	<u>३११</u>	<u>३७१</u>

ऊक्त तुलना से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भिक्षुणी विनय में भिक्षुविनय की अपेक्षा नियमों की संख्या अधिक है। स्वविरवादा भिक्षुणी विनय में पाराजिक चार, संचादित्सेस चार, पाचिस्सिय चोहत्तर, और फ़ट्ठियेसनीय चार, नियम अधिक हैं। अनियत नियम भिक्षुणी विनय में हैं ही नहीं। निस्सग्गिय-पाचिस्सिय, सेखिय और अधिकरणसमय दोनों में समान हैं। मूलसंस्मृतिवादी विनय में नियमों की यह संख्या और अधिक हो गई है। क्याता है, भिक्षुणियों के स्वतन्त्रता देने के बावजूद उन पर प्रतिबन्ध अपेक्षाकृत अधिक थे। निष्पक्ष रूप से यदि विचार किया जाय तो भगवान् बुद्ध भी नारी वर्ग के प्रति अधिक उदार नहीं हो सके। पार्श्वनाथ और महावीर भी नहीं हुए। इसका कारण समझ बही रहा हो कि नारी की जन्मजात कमजोरियों से ये महापुरुष प्रपञ्चित नहीं थे।

बौद्ध विनय के अधिकंशा विनय जैन विनय से प्रभावित जान सकते हैं। बर्बादास आदि के नियम स्पष्ट रूप से जैन नियमों को देखकर बनाये गये हैं। निसीधसूत्र और पातिमोक्ख की भाषा, शैली और विषय की समानता इस सन्दर्भ में अपेक्षणीय नहीं है। अग्रवचनकत्त यह है कि जैन और बौद्ध विनय का तुलनात्मक अध्ययन किया जाया चाहिए। अग्रम संस्कृति के निकटान् के समान होने ऐसा प्रयत्न किया है।

## १. उपासक विनय

बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी विनय के साथ बौद्ध उपासक विनय के सन्दर्भ में भी विचार करना आवश्यक है। अनेक भारतीय एवं विदेशी विद्वानों का मत है कि बौद्धधर्म में उपासक का कोई स्थान नहीं। तथागत की धर्मोपदेशना तो मात्र सन्यस्तों के लिए ही रही। परन्तु बौद्ध साहित्य के देखने से यह विचारणा पूर्णतया भ्रान्तिकारी सिद्ध हो जाती है। गृहस्थ का कर्तव्य क्या है और उसके जीवन की उन्नति किन उपायों से हो सकती है, इन प्रश्नों का उत्तर भगवान् बुद्ध ने अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण से बड़ी सरल शैली में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है।

उपासक का महत्त्व—कोई भी धर्म केवल भिक्षु-भिक्षुणियों पर जीवित नहीं रह सकता। उसके जीवन के लिए उपासक का दायित्व कहीं अधिक गुरुतर है। संघ, विहार आदि की व्यवस्था का सम्पूर्ण भार उपासक अथवा श्रावक पर ही अवलम्बित रहता है। बुद्ध ने अनाथपिण्डक से कहा कि आर्य श्रावक को यशो-लाभ व स्वर्ग की प्राप्ति होती है क्योंकि वह भिक्षुसंघ का चीवरदान, पिण्डदान ( भोजनदान ), शयनासन तथा औषधिदान से परिपालन करता है—

गिहिसामीच्चिपटिपद्दं पटिपक्कन्ति पश्चिद्धता ।  
 छम्मगते लीलवन्ते चीवरेण उपाद्धता ॥  
 पिण्डपातसयनेन गिलानप्पक्कचेन च ।  
 तेस दिवा च रत्तो च सदा पुज्जं पवडदति ॥  
 सग्गं च कम्मतिट्ठानं कम्मं कत्तवान् भइक्कं ॥<sup>१</sup>

भिक्षु की आचारिक व वैचारिक शिथिलता को दूर करने का भी दायित्व उपासक के कर्तव्यों पर है। वर्षाकाल में भिक्षुओं द्वारा तृणस्कन्ध के कुचले जानों पर प्राणातिपात होता था। उनके इस दुष्कृत्य की आलोचना कर उपासकों ने उन्हें हिंसा से बचाया। और भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जहाँ उपासकों ने भिक्षु व संघ को सन्मार्ग दिखाया<sup>२</sup>। इसीलिए शायद यह विधान किया गया है कि भिक्षु गृहस्थों के प्रति क्रोधित न हो और यदि क्रोधित हो जाये तो वह प्रतिसारणीय कर्म करे तथा गृहस्थ से क्षमायाचना करे<sup>३</sup>।

१. गिहिसामीच्चिसुत्त, अंगुत्तर निकाय ।

२. धर्मोपनायिका स्कन्धक, विजयवित्ठक ।

३. सुत्तसम्बन्ध, विनयवित्ठक ।

कुछ शिलालेखों में बौद्धगोठी<sup>१</sup> और सीहगोठी<sup>२</sup> ( सिंहगोष्ठी ) के आते हैं । ऐसी गोष्ठियों के अध्यक्ष व सदस्यों के नाम भी प्राप्त होते हैं<sup>३</sup> । बोट्टिच लेखों में ( द्वितीय-प्रथम शती ई० पू० ) बोधगोठी<sup>४</sup> तथा विदिश में बरुलमिसानगोठी<sup>५</sup> का भी उल्लेख मिलता है । डॉ० ब्रूलर के अनु-गोष्ठियाँ बिहारों आदि की व्यवस्था किया करती थीं<sup>६</sup> । डॉ० अजयमित्र का मत है कि इन बौद्ध गोष्ठियों में एक भिक्षु भी सदस्य के रूप में र जो विहारादि धार्मिक संस्थानों की व्यवस्था में सहयोग देता था<sup>७</sup> । यह भी है इसलिए कि एक भिक्षु अपने धर्मागतनों की जितनी अच्छी व्यवस्था सकता है, उतनी अच्छी व्यवस्था और कोई दूसरा नहीं कर सकता । अ उद्धरणों<sup>८</sup> से यह स्पष्ट है कि संघ के लिए उपासक की उपयोगिता कम न

तथागत के अधिकांश उपदेश भिक्षुओं को सम्बोधित कर दिये गये हैं भी चूँकि सभी जन घर-परिवार नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्हें धर्मदेशना गृहस्थों के लिए भी दी है । बौद्ध गृहस्थों की यह धर्मदेशना गृहस्थों के लिए निर्धारित जैसी सुव्यवस्थित आचार-विचार देशना नहीं है भिक्षु के निमित्त दिया गया उपदेश तो गृहस्थों के लिए भी कार्यकारी । परन्तु यहाँ हम उन्हीं कुछ विचारों को रखेंगे जो विशेष रूप से एक र व्यक्ति के उत्थान से सम्बद्ध रहे हैं । इस दृष्टि से सिंगालोवाद आदि सुप्त महत्त्वपूर्ण हैं । सुत्तनिपात में भी गृहस्थ धर्म का वर्णन मिलता है ।

**बौद्ध उपासक के कर्तव्य**—बौद्ध उपासक का प्रमुख कर्तव्य य वह निम्नलिखित चार प्रकार के पाप कर्मों से विमुक्त रहे<sup>९</sup>—

१. एपिग्राफिया इन्डिका, भाग २, पृ. २२६ ।
२. पगणि निगमपुतानं राजपासुखो ष इषपुतो कुबिरको राजा सिंहा पासुखो [ । ] तेषं अन्नं तज्जसं फालिगषमुगो च पषाणषमुगो च पृ. २२८ ।
३. गोठि हिरव्वधवा बुडालको काल्हो विसको.....उपोसथपुत्त कारहपुत्तो, वही पृ. ३२८ ।
४. वही, पृ. ६६-१०० । ५. वही, पृ. १०२ ।
६. डॉ० अजयमित्र शास्त्री, Early Buddhism, पृ. १२६ ।
७. वही, १२७ । ८. वही, पृ. १२६-१२७ ।
९. पाञ्चात्तिपातो अपिन्नादानं सुसावाधो च बुक्कसि । परदारगमनञ्चेव चप्पसंसन्ति पण्डिता ॥ सिंगालोवादसुत्त, टी. ८ ।

१. पञ्चातिपात ( हिंसा करना ) ।
२. अदिन्नादान ( चोरी करना ) ।
३. कामेसु मिच्छाचार ( स्त्री सम्बन्धी दुराचार करना ) ।
४. मुसावाद ( असत्य बोलना ) ।

जैनधर्म में श्रावक के लिए पञ्चाणुवत पालने का विधान किया गया है । इस विधान में उक्त चार पापकर्मों के साथ परिग्रह से भी विरत रहना सम्मिलित है । तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 'कामेसु मिच्छाचार' के स्थान पर 'परिग्रह' की गणना की थी जिसमें मिथ्याचार भी गणित था । इसे चातुर्वर्गिण कहा गया है । बौद्ध साहित्य में इसके पर्याप्त उल्लेख मिलते हैं । बुद्ध ने अशुद्ध तपस्या की बताते हुए शुद्ध तपस्या का व्याख्यान किया और वास्तविक तपस्या में श्रद्धा भावनाओं का परिपालन प्रशंसनीय माना । इन चारों भावनाओं को 'चातुर्वर्गिण संवर' कहा गया है । इसके अनुसार तपस्वी प्राणातिपात, अदिन्नादान, मृषावाद तथा कुक्षील ( कामगुणों में मिथ्याचार ) से कृत, कारित व अनुबोद्धम पूर्वक दूर रहता है<sup>१</sup> ।

उक्त चारों पापकर्म हिंसा में अन्तर्भूत हो जाते हैं अतः स्वच्छ रूप से हिंसा का त्याग करना उपासक का मुख्य कर्तव्य है । सुत्तनिपात में प्राणिमात्र के प्रति प्रेम करने का उपदेश दिया गया है । वहाँ कहा गया है कि शान्त पद ( निर्वाण ) की प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह योग्य तथा अत्यन्त सरल बने । उसकी बात मृदु, सुन्दर और विनम्रता से जाए हो । वह सन्तोषी हो, अल्पकृत्य व अल्पवृत्तिवान् हो, इन्द्रियसंयमी व अप्रकल्प हो । सबैव निर्दोष रहने का प्रयत्न करे । उसकी यह प्रयत्नमय भावना रहे कि सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो और सभी सुखपूर्वक रहें, ( सुखिनो वा श्रेयिनो होन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिनत्ता ) जंगम या स्थावर, दीर्घ या महान्, मध्यम वा सूक्ष्म, अणु वा स्थूल, दृष्ट या अदृष्ट, दूरस्थ या निकटस्थ, उत्पन्न वा उत्पत्त्यमान् किये भी प्रणयी हूँ, सभी सुखपूर्वक रहें<sup>२</sup> । एक दूसरे की प्रबन्धना न करे, अपमान न करे, वैमनस्य के कारण परस्पर में दुःख देने की भावना न करे । शान्ता

१. उदम्बरिकसीहनाद सुत्त, दीर्घनिकाय ।

विशेष देखिये, मेरा प्रबन्ध—Jainism in Buddhist Literature.

२. ये केचि पाणमृतत्वित्ता वा यावरा वा अनवसेसा ।

दीघा वा ये महन्ता वा मज्झिमा एस्सकाणुककुळा ॥

दिट्ठा वा श्लेषाच्चिष्णु ये वा दूरे वसन्ति अचिदूरे ।

सूता वा संशयेसी वा ज्ञाने सत्ता ववन्ति सुखिसत्ता ॥ अत्तसुत्त, ४-५



जिस प्रकार स्वयं की चिन्ता न कर अपने इकलौते पुत्र का संरक्षण करती उसी प्रकार का असीम प्रेम व्यक्ति प्राणिमात्र के प्रति करे<sup>१</sup>। शत्रुता को खंड कर अखिल संसार के प्रति असीम प्रेम बढ़ाये। लड़े रहते, चलते, बैठते, संव जावृत रहते समय इसी प्रकार की स्मृति सजग रखनी चाहिए। य महाविहार है। ऐसा प्रेमभावी व्यक्ति विधुद शीलवान् हो पुनर्जन्म से मुक्त जाता है<sup>२</sup>।

कितना विधुद व सात्विक प्रेम बनाये रखने के लिए निर्देशन दिया है ! संयुक्तनिकाय में "प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा" से मिलते जुट विचार उपलब्ध होते हैं। वहाँ कहा गया है कि जो शरीर, मन व बचन हिंसा नहीं करता व पर को नहीं सताता वही अहिंसक है<sup>३</sup>। अहिंसक की परिभाषा बड़ी व्यापक व मानवता से भरपूर है। चतुःशतक ( १२.२३ ) कहा है—'धर्मो समासतोऽहिंसा वर्णयन्ति तथागता ।'

भगवान् बुद्ध ने यज्ञ व बलिर्कर्म का घोर विरोध किया था। उनके अनुसार अश्वमेध, पुरुषमेध, वाजपेय्य आदि महारम्भी यज्ञ महाफलदायी नहीं होते ऐसे यज्ञों में गायों, बकरी-भेड़ों आदि पशुओं की घनघोर हिंसा होती है। प्रकार के यज्ञों में सम्यग्मार्गगामी महर्षिजन नहीं जाते। यज्ञ ऐसे हों जि किसी भी प्रकार की हिंसा न हो। दानपुण्य करना सबसे बड़ा यज्ञ है। व प्रशंसनीय है। बुद्ध ने ऐसे ही यज्ञ को करणीय माना है<sup>४</sup>। संयुक्तनिकाय यम्बसुत्त में भी इसी प्रकार के विचार अभिव्यक्त किये गये हैं।

हिंसा, चौर्य, असत्यभाषण, मिथ्याचार तथा सुरा, मेरय, मद्य आदि नशी चीजों से बिरत रहना—ये उपासकों के पञ्चशील माने गये है। इन्हीं पञ्चशिक्षापद भी कहा गया है। इन पंचशिक्षापदों की पृष्ठभूमि में दस उद्देश्य निहित हैं—१. संघ की मलाई, २. संघ की सुविधा, ३. दुष्ट व्यक्तियों निग्रह, ४. शीलवान् भिक्षुओं का सुखपूर्वक विहार, ५. आश्रमों का संयम ५. श्रद्धावानों में अधिक श्रद्धा की जाप्रति, ७. अश्रद्धावानों में अधिक श्र सम्पन्नता, ८. भावी जन्मों के आश्रमों का प्रतिपात, ९. सद्धर्म की स्थिति ९ १०. विनय पर अनुग्रह। इन दस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रातिमोक्ष के नियम बनाये गये हैं<sup>५</sup>।

१. माता यथा नियं पुत्रं आयुसा एकपुत्रमनुरक्खे ।

एवं पि सब्भूतेसु मानसं भावये अपरियाणं ॥ वही, ७

२. मेत्तसेत्त, सुत्तनिपाठ, १-१० ।

३. अहिंसक सुत्त ।

५. दसमनिपाठ, उपालिसुत्त, अंगुत्तरनिकाय । ४. चतुःशतकनिपाठ, अंगुत्तरनिकाय

पंचविक्षापदों के माध्यम से पंच शैश्याबल की प्राप्ति होती है—बद्धाबल, लज्जाबल, पापनीस्ताबल, धीर्भवल और प्रज्ञाबल । इन पाँचों बलों से कुशल कर्मों में दृढ़ भावना हो जाती है । काम भोगों के प्रति लालसा समाप्त हो जाती है । चार आर्यसत्य, भावना, चार स्मृति प्रस्थान भावना, चार सम्यग्प्रधान भावना, चार श्रद्धिपाद भावना, पंचेन्द्रिय भावना, सप्तबोध्दय भावना, आर्य अष्टाङ्गिकमार्ग भावना, अष्ट विमोक्ष भावना, अष्ट अभिभू आयसन भावना, दस कृत्सनायसन भावना एव चार ध्यान भावना का अभ्यास उपासक करने लगता है । इस अभ्यास से उपासक का चित्त अत्यन्त निर्मल और श्रेष्ठ हो जाता है<sup>१</sup> । श्रावक इन भावनाओं को भाकर चार प्रत्यक्ष सुखानुभव स्वरूप चैतसिक ध्यानों को प्राप्त करता है तथा बुद्ध, बुद्धधर्म, बुद्धसंघ में निश्चल श्रद्धा कर श्रेष्ठ शीलों से युक्त हो जाता है ।

भगवान् बुद्ध का प्रथम उपासक वाराणसी का यक्ष गृहपति था जिसे उन्होंने दान, शील, स्वर्गकथा, काम वासनाओं का दुष्परिणाम, निष्कामना का माहात्म्य तथा चार आर्य सत्य का उपदेश दिया था । वत्सगोत्र परिव्राजक को दस कुशल और दस अकुशल धर्मों का व्याख्यान दिया । प्राणातिपात, अदत्तादान, मिथ्याचार मृषावाद, पिशुनवचन, परुषवचन, संप्रलाप अभिध्या ( लोभ ), व्यापाद व मिथ्यादृष्टि—ये अकुशल धर्म हैं और इनके विपरीत धर्म कुशल धर्म कहे गये हैं । उपासकों को अकुशल धर्मों का परित्यागकर कुशल धर्मों को धारण करना चाहिए । इसी प्रसंग में यहाँ यह भी कहा गया है कि बुद्ध के मिश्र, मिश्रुणियाँ, ब्रह्मचारी उपासक, सुब्रह्मचारिणी उपासिकायें, कामभोगी उपासक, कामभोगिनी उपासिकायें आदि सभी आराधक हैं । इसलिए बौद्धधर्म अपने आप में परिपूर्ण है<sup>२</sup> ।

कौसलवासियों के बीच एक बार बुद्ध ने उपदेश देते हुए कहा था कि अधर्माचरण से दुर्गति प्राप्त होती है और धर्माचरण से सद्गति मिलती है । इस धर्माचरण व अधर्माचरण के मुख्य तीन भेद हैं—कायिक, वाचिक और मानसिक । प्राणातिपात, अदत्तादान व मिथ्याचार ये तीन भेद कायिक अधर्माचरण के हैं । मिथ्यावाद, पैशुन्य, परुषभाषण, एवं प्रलाप ये चार वाचिक अधर्माचरण हैं । अभिध्या ( लोभ ), व्यापन्नचित्त, मिथ्यादर्शन ये तीन मानसिक अधर्माचरण हैं । इस अधर्माचरण के कारण प्राणी नरकगामी होते हैं । इनसे

१. महासकुलदायिसुत्त, मज्झिमनिकाय ।

२. महाबच्छगोत्तसुत्त, मज्झिमनिकाय ।

विपन्न होकर जीवन बाधन करने से स्वर्ग प्राप्ति होती है। बुद्ध के बुद्ध से इस प्रकार उपदेश सुनने के बाद सभी गृहस्थ उनके उपासक बन गये<sup>१</sup>।

बुद्ध ने प्रज्ञा की वृद्धि के चार कारण दिये हैं—सत्युत्थों की सेवा, सद्धर्म का अध्ययन, तथा योग्य विचार और धर्मानुसार आचरण। ये चार बातें सर्वसाधारण के लिए भी अत्यन्त उपकारी हैं। साथ ही यह भी आवश्यक है कि कोई अदृष्ट को दृष्ट न कहे, अभुत को श्रुत न कहे। अनाघ्रात, अनास्वादित व असृष्ट को आघ्रात, आस्वादित तथा सृष्ट न कहे व अज्ञात को ज्ञात न कहे<sup>२</sup>। उसका चित्त किसी से वैर करने वाला न हो, अक्रोधी हो, असंक्लिष्ट हो और शुद्ध हो। इससे आर्य श्रावक को सद्गति, सुख-साधन, पाप कर्मों से विदूरता तथा हर दृष्टि से विशुद्धि प्राप्त होती है। कालाम यही उपदेश सुनकर बुद्ध का उपासक बन गया था<sup>३</sup>। बुद्ध ने जीवन की अवर्तित के कारणों में साधारणतः तीन प्रकार के मद माने हैं—यौवनमद, आरोग्यमद और जीवनमद। तीनों मद दुर्गति, पतन और नरक के कारण हैं<sup>४</sup>।

भगवान् बुद्ध ने सदैव संयम पर बल दिया है। मागान्दिय परिव्राजक को उन्होंने स्वयं भुक्त भोगों का आख्यान करते हुए काम, तृष्णा आदि से दूर रहने का उपदेश दिया। यह प्राणी विषय सुखों में निमग्न रहकर उनमें सुख है ऐसी विपरीत धारणा रखता है। परन्तु यह वस्तुतः संसार-भ्रमण का कारण है। कामगुणों का सुख वास्तविक सुख नहीं। वह तो मात्र सुखाभास है। इस मार्मिक और तथ्ययुक्त उपदेश को ध्वजकर मागान्दिय गद्गद हो गया और तत्काल बुद्ध का शिष्य बन गया<sup>५</sup>।

भगवान् बुद्ध व्यावहारिक दृष्टिकोण से अधिक चिन्तन करते थे। यही कारण था कि जनता को उनकी बात रुचिकर हुआ करती थी। कौसलवासियों को अपर्णक (द्विविधारहित) धर्म के सन्दर्भ में बताते हुए उन्होंने मुख्य रूप से अन्य तीर्थचक्रों के दो मतों का उल्लेख किया। प्रथम वह जिसमें सत्य भाषण आदि पुण्य क्रियाओं में पुण्यबन्ध नहीं माना गया और द्वितीय वह जिसके अनुसार दान, यज्ञ आदि की मान्यता सही है। प्रथम मत में सत्कर्मों के स्थान पर असत्कर्मों का बाहुल्य है और द्वितीय मत उसके प्रतिकूल है। द्वितीय मत

१. सालेय्यक सुत्त, मज्झिमनिकाय।
२. आपत्तिभयवग्ग, अतुक्कनिपात, अंगुत्तरनिकाय।
३. तिकनिपात, अंगुत्तरनिकाय।
४. तिकनिपात (अंगुत्तरनिकाय)।
५. मागान्दिय सुत्त, मज्झिमनिकाय।

। दोषक बुद्ध स्वयं है। उन्होंने परलोक की अपेक्षा इहलोक को सुधारने पर अधिक जोर दिया है। तदर्थ अष्टाङ्गिक मार्ग का उपदेश वर्तमान जीवन को अधिकाधिक सक्षम और कुशल कर्मयुक्त बनाने के निमित्त एक सफल व्यास है। ऐहिक जीवन में सुधार हो जाने से पारिलौकिक जीवन स्वतः सुधार जाता है<sup>१</sup>।

अंगुत्तर निकाय में चार चक्र बताये गये हैं, जिनसे देव व मनुष्यों का जीवनल्प समय में ही भोग्य पदार्थों से आपूर हो जाता है। ये चार चक्र हैं— अनुकूल देशवास, सत्पुरुष आश्रय, वित्त की स्थिरता तथा पूर्वजन्मकृत पुण्य। इसी संग में बुद्ध ने लोकसंग्रह की भावनाओं का भी उल्लेख किया है और यह निर्देशन दिया है कि उपासक व भिक्षु को दान, प्रियवचन, उपकार तथा समानता व व्यवहार करना चाहिए। ये चारों लोकसंग्रहमयी भावना पुत्र, माता-पिता आदि परिजनों के साथ मधुर सम्बन्ध बनाये रखने में कारणमूल रहती हैं।

दानं च पेय्यवज्जञ्ज अत्यचरियाय च या इत्थ ।

समानता च धम्मेषु सत्य सत्य यथा रह ॥

एते खो सङ्गहा लोके रथस्सानीव यायते ।<sup>२</sup>

महानाम शाक्य ने भगवान् से पूछा कि उपासक का प्रधान कर्तव्य क्या ? भगवान् ने उत्तर दिया कि बुद्ध, धर्म तथा संघ की धारण ग्रहण करना उपासक का प्राथमिक कर्तव्य है। उसके उपरान्त उसे प्राणातिपातादि से बिरत होना चाहिए। उसका यह भी दायित्व है कि वह स्वयं प्रज्ञा, श्रद्धा, शील, माधि, त्याग आदि भावनाओं को स्वयं धारण करे तथा दूसरे को भी धारण कराये। आत्महित तथा परहित दोनों में उसे रहना चाहिए<sup>३</sup>। उपासक व भिक्षु सर्वोत्तम दर्शन, श्रवण, लाभ, शिक्षा, परिचर्या और अनुभूति का अभ्यास करे। बुद्ध, धर्म, संघ, शील, त्याग तथा देवता की अनुस्मृति करे। अनित्य ज्ञा का, अनित्य के प्रति दुःख संज्ञा का, दुःख के प्रति अनात्म संज्ञा का, हाण संज्ञा का, वैराग्य संज्ञा का तथा निरोध संज्ञा का अभ्यास करे। इस अभ्यास से राग, द्वेष, मोह, क्रीध, मान, मात्सर्य आदि दोष परिक्षीण हो जाते<sup>४</sup>। जीवन की सफलता के लिए मेधावी व्यक्ति को बुद्धानुशासन का ध्यान व धर्मदर्शी बनना चाहिए।

१. अपण्णक सुत्त, मज्झिमनिकाय ।
२. चतुत्थ निपात, अंगुत्तर निकाय ।
३. गहपतिवग्ग, अंगुत्तरनिकाय ।
४. रागपेव्याल, वही ।

यस्य सदा तथावते अचला मुष्पतिद्विता ।  
 शीलञ्च यस्य कर्ष्याणं अरियकन्तं पर्वसितं ।  
 सधे पलादो यस्यसत्थि उजुमूतञ्च दस्सन ।  
 अदसिदो ति त आहु अमोच तस्य जीवितं ॥  
 तस्मा सद्दञ्च शीलञ्च पलाठं धम्मदस्सन ।  
 अनुयुञ्जेथ मेधावि सर बुद्धानसासन ॥<sup>१</sup>

भगवान् बुद्ध विविध प्रकार से जनसमुदाय को सद्धर्म की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते थे । अनाथपिण्डक से उसके पूछने पर बुद्ध ने कहा कि संसार में चार वस्तुएँ दूर्लभ हैं—१. धर्मानुसार योग्य वस्तुओं की प्राप्ति २. यज्ञ प्राप्ति, ३. दीर्घायु तथा ४. सद्गति । इन चारों श्रेय वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, शील, त्याग और प्रज्ञा सम्पत्ति से युक्त होना चाहिए । प्रज्ञा सम्पत्ति से करणीय-अकरणीय का भेद स्पष्ट हो जाता है । वह विषयलोभ धीनमिद्ध ( आलस्य ) व चित्त के उपक्लेशों से दूर रहता है । स्वयं अज्ञि सम्पत्ति से परिवारादि का मध्यपरिपालन करता, आत्मरक्षा करता, पञ्चबलिक करता, क्षमाशील होता और परसेवा करता<sup>२</sup> । भिक्षु और उपासक के साधन भी प्रायः उक्त सम्पत्तियों से मिलते-जुलते हैं । सात धन ये हैं—श्रद्धा, शील, लज्जा, पापभीरुता, श्रुति, त्याग तथा प्रज्ञा<sup>३</sup> । दुःखशीलता, ईर्ष्या, मात्सर्य ये तीनों दुर्गुण नरक तुल्य हैं<sup>४</sup> ।

तृष्णा जन्म मरण को बढ़ाने वाली है । उसके होने से वस्तुओं की खोज प्राप्ति की जाती है । प्राप्ति होने से तृष्णा का निश्चय होता है । निश्चय होने से आसक्ति, आसक्ति से ममत्व, ममत्व से मात्सर्य, मात्सर्य से सुरक्षा, सुरक्षित वस्तु के लिए खींचतान, दण्डादण्डी, शस्त्रप्रयोग, कलह, विवाद, पैशून्य तथा असत्य भावण जैसे दोष पैदा हो जाते हैं<sup>५</sup> ।

अवनति के कारण—भगवान् ने व्यक्ति की अवनति के कारणों पर अत्यन्त व्यावहारिक बुद्धि में विचार किया है । उन्होंने कहा है कि कार्यबहुलता, बचन-बहुलता, निद्रा-बहुलता, मण्डली-बाहुल्य ( अत्यधिक सामाजिक होना, दुर्बलनीबता व कुसंगति ये छः कारण हैं जिनसे व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पाती (छक्क निपात, अंगुत्तर निकाय) । इसी प्रकार भिक्षुओं का दर्शन छोड़ना, सद्धर्म में प्रमाद करना, पंचशीलों का अभ्यास न करना, अश्रद्धावान् होना, भिक्षुओं व

- 
१. चतुक्कनिपात, बही ।      ३. सत्तकनिपात, धनबग्गा, बही ।  
 २. चतुक्कनिपात, बही ।      ४. तिकनिपात, बही ।  
 ५. नवमनिपात, तण्हामूलकसुत्त, बही ।

निन्दा करना, छिद्रान्वेषी हीना एव बीखेतर साधुओं को दान देना ये सात अवनति के कारण हैं ( सप्तक निपात, अंगुस्तर निकाय ) । दरिद्रता, ऋण, मूढ, दोषारोपण आदि भी जीवन के लिए अत्यन्त दुःखदायी होते हैं ( एकक निपात, अंगुस्तर निकाय ) । मिथुओं को हानि पहुँचाना, उनका अहित करने का प्रयास करना, निवास स्थान से हटाना, अशिष्ट शब्द कहना, परस्पर में वैमनस्य पैदा करना, धर्म की निन्दा करना तथा संघ की निन्दा करना ये आठ दुर्गुण जिस उपासक में होते हैं, उसकी अवनति अवश्यम्भावी है,, ( अट्टकनिपात, अंगुस्तरनिकाय ) ।

श्रावस्ती में भगवान् ने व्यक्ति की अवनति के और भी कारण प्रदर्शित किए हैं जिनमें प्रमुख हैं—१. धर्मद्वेष, २. असत्यरूप प्रियता, ३. निद्रा, अधिक सम्पर्क, अनुद्योग, क्रोध, ४. वृद्ध माता-पिता की अशुश्रूषा, ५. मिथ्या भाषण, ६. मात्र स्वादिष्ट भोजन, ७. जाति, धन तथा गोत्र का गर्व व बन्धुओं का अपमान ८. मिथ्याचार व मद्यपान, ९. पर-स्त्री संसर्ग, १०. अनमेल विवाह, ११. लालची भृत्य तथा १२. अल्पसाधन सम्पन्न पर महालालची पुरुष द्वारा राज्य की इच्छा । ये पराभव के कारण ऐसे हैं, जिन्हें कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता<sup>१</sup> ।

धर्म व कर्तव्य में सुप्रतिष्ठित रहने के लिए व्यक्ति बड़ों का आदर करे, ईर्ष्यालु न हो, सम्मान के साथ धर्मकथा सुने, घृष्टता को दूर कर विनम्र भाव से गुरुजनों के पास पहुँचे और अर्थ, धर्म, संयम तथा ब्रह्मचर्य का स्मरण कर उनका आचरण करे, धर्मोपदेश को सुस्थिर हो श्रवण व मनन करे, अट्टहास, बिलाप, कपट, लोलुपता, अभिमान, मोह आदि दुर्गुणों से दूर रह कर स्थिरचित्त हो विचरण करे, ज्ञान और श्रुति की वृद्धि करे<sup>२</sup> ।

इन व्यक्तियों के अतिरिक्त बुद्ध ने प्रतिदिन के जीवन में उपस्थित होने वाली बातों पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है । उदाहरणार्थ, समागत अतिथि का प्रसन्न मन से उठकर स्वागत करना, अभिवादन करना, बैठने के लिए आसन देना, किसी रस्ती हुई वस्तु को नहीं छिपाना, बहुत रहने पर जोड़ी नहीं देना, प्रणीत ( उल्लस कोटि का ) पदार्थ रहने पर भी रूखा ( षट्पिडा ) न देना, जो भी दे बाहरपूर्वक देना । जिस गृहस्थ कुल में ये सात बातें न हों वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए<sup>३</sup> ।

- 
१. बसल सुत्त, सुत्तनिपात ।
  २. किसील सुत्त, सुत्तनिपात ।
  ३. सप्तक, अंगुस्तर निकाय ।

उपासक दो प्रकार के बताये गये हैं—बाण्डाल उपासक और मल्लि उपासक । बाण्डाल, मल्लि अथवा निहृष्ट उपासक वह है जो अभद्रावान् हो, दुष्शील हो, भले-बुरे शक्तियों में विश्वास करने वाला हो, भले-बुरे शक्तियों की ओर देखता रहता हो तथा दक्षिणा के पात्रों को बौद्धेतर दर्शनों में खोजता हो । जिस उपासक में ये पाँच बातें नहीं रहतीं, वह उपासकरत्न कहलाता है । उपासकरत्न के लिए पाँच प्रकार के व्यापार बर्जित हैं—अन्न-शर्करा का व्यापार, मांस का व्यापार, मद्य का व्यापार तथा बिष का व्यापार । ऐसा उपासक संयतेन्द्रिय होता है तथा चैतसिक ध्यानों को प्राप्त करता है<sup>१</sup> । उपोसथ प्रकारों में से उसे भगवान् द्वारा निर्दिष्ट आर्य उपोसथ का पालन करना चाहिए जिससे उसका मलीन चित्त निर्मल हो सके ।<sup>२</sup> इसके पाणातिपात वेरमण आदि आठ अंग होते हैं ।<sup>३</sup>

चार प्रकार के सहवास—मथुरा व बरेंजा के किनारे चलते समय भगवान् से कुछ गृहपतियों-गृहपत्नियों की भेंट हुई । भगवान् ने उन्हें चार प्रकार के सहवास बताए—

१. दोनों पति-पत्नी दुष्शील होते हैं, कृपण होते हैं व कृपण ब्राह्मणों को मल्ल-मुषा कहने वाले होते हैं । इसे लास-लास के साथ रहने वाला दम्पति वर्ण कहा है ।

२. पति दुष्शील होता है और पत्नी सदाचारिणी । इसे पत्नी का पतिरूपी लास के साथ रहना कहा है ।

३. पति शीलवान् होता है और पत्नी दुराचारिणी । इसे स्वयं लास रूप होकर देवता पति के साथ रहना कहा है । और

४. दोनों पति-पत्नी श्रद्धावान्, उदार व संयत होते हैं । धर्मानुसार आचरण करने वाले व प्रियभाषी होते हैं ।

इनमें दुष्शील व्यक्ति पंच पापों का कर्ता, मिथ्यादृष्टि तथा मात्सर्य आदि दोषों से संयुक्त रहता है और सदाचारी इन दोषों से विमुक्त रहता है । उक्त चार प्रकार के सहवासों में स्पष्टतः अन्तिम सहवास सर्वोत्तम है । परस्पर सुखी व समृद्ध होने का उपाय यही है कि दम्पति समान श्रद्धावान् हो, शीलवान् हो, स्यामी हो व प्रज्ञावान् हो ।<sup>३</sup>

१. पंचकनिपात, वही ।

२. अंगुत्तर, तिकनिपात ।

३. वही, चतुक्कनिपात ( हिन्दी अनुवाद ) ।

उसो च होन्ति दुस्वीक्षा कदरिया परिभासका ।  
 वे होन्ति आनिपतयो इवसंवासमागता ॥  
 कामिको होति दुस्वीको कदरियो परिभासको ।  
 भरिया खोलावती होति वदन्तु वीरमच्छुरा ॥  
 सापि देवी संवसति ह्यनेन पतिना सह ॥<sup>१</sup> इत्यादि

सात प्रकार की भार्यायें—अनाथ पिण्डक से भगवान् ने पूछा—हे त्ति ! तुम्हारे घर में इतना अधिक शोरगुल क्यों हो रहा है मानों मछुबे लियों के लिए संघर्ष कर रहे हों ? गृहपति ने कहा—भन्ते ! वह सुजाता वधू घनी घर की है । न वह सास का आदर करती है और न स्वसुर का, वामी का आदर करती है और न भगवान् का । तब भगवान् ने सुजाता को बोध दिया और उसे भार्याओं के सात प्रकार बताये—

१. प्रथम प्रकार की भार्या दूषित चित्तवाली होती है, अहित चाहने वाली है, पति की उपेक्षा कर अन्यो के प्रति अनुरक्त रहती है, धन द्वारा क्रीत के लिए उत्सुक रहती है । पुरुष की इस प्रकार की भार्या बधक जैसी भार्या शती है । ( वधा च भरिया )

२. दूसरे प्रकार की भार्या वह है जो शिल्प, वाणिज्य व कृषि से प्राप्त धनी के धन में से कुछ नहीं छोड़ती । पुरुष की इमी प्रकार की भार्या रणी जैसी भार्या कहलाती है । ( चोरीया भरिया )

३. निकम्मी रहने वाली, आलसी, अधिक खाने-पीने वाली, कठोर स्वभाव की, प्रचण्ड अपशब्द बोलने वाली तथा पति के उत्साह को दबाने वाली भार्या शकन जैसी भार्या है । ( अप्या च भरिया )

४. जो सर्वत्र हित चाहने वाली होती है, जो पति की इस प्रकार देखभाल ती है जैसे माता पुत्र की, जो पति के कमाये हुए धन का संरक्षण करती है । ( ताता च भरिया )

५. जो छोटी या बड़ी बहिन के समान अपने स्वामी के प्रति गौरव का भाव ती है, लज्जशील होती है, पति की आज्ञा में रहने वाली होती है । पुरुष की प्रकार की भार्या बह्व जैसी भार्या ( भगिनी च भरिया ) कहलाती है ।

६. जैसे चिरकाल के अन्तर सखा की देखकर कोई सखी प्रसन्न होती है, १ प्रकार जो कुलीन, शीलकन्ध पतिव्रता नारी अपने पति को देखकर प्रसुदिश ती है । पुरुष की इस प्रकार की भार्या सखी जैसी भार्या ( सखी च भरिया ) कहलाती है ।



७. जो भारने-पीटने का डर दिखाये जाने पर भी क्रोधित न होने शान्त रहने वाली, निर्दोष चित्त से पति की हर बात को सहन करती। क्रोध नहीं आता, जो स्वामी के बग में रहने वाली है—पुरुष की इस प्रभार्या दासी जैसी भार्या कहलाती है ( दासी व भरिया )।

इनमें प्रथम तीन प्रकार की भार्यायें भाषा में दुस्शील व कठोर स्वभाव होती हैं। वे पति का आदर नहीं करतीं। ऐसी भार्यायें नरकगामिनी ही श्रेष्ठ प्रकार की भार्यायें शीलवती होती हैं व दीर्घकाल तक संयत जीवन करने के कारण स्वर्गगामिनी होती हैं।<sup>१</sup>

उग्राह ने भगवान् से यह निवेदन किया कि मेरी ये लड़कियाँ पति जाएँगी। भगवान् इन्हें ऐसा उपदेश दें जो दीर्घकाल तक इनके हित का कारण हो। भगवान् ने कहा—कुमारिओ! माता-पिता तुम्हें जित भी पति को सौंपे, उसके सोकर उठने से पूर्व उठो, उसके सोने के बाद आज्ञाकारिणी रहो, अनुकूल व्यवहार करो तथा प्रियवादिनी बनो। गौरव भाजन जनों—माता-पिता, श्रमणों ब्राह्मणों—का सत्कार करो। स्व जो भी शिल्पकार्य हो, चाहे ऊन का हो या कपास का हो, उसमें पूरा प्रयत्न करो, अप्रमादी होकर उसकी व्यवस्था करने में यथोचित सहयोग स्वामी के भृत्यगणों के कार्य की पूर्ण जानकारी रखो। रोगियों की सेवा-सुश्रूषा करो। स्वामी के धन-धान्य आदि का यथाशक्य संरक्षण ऐसी नारी धर्मस्थिता, सत्यवादिनी, शीलवती कहलाती है।

योन भरति सव्वदा निच्चं आतापि उत्सुको ।  
 सव्वकामहरं पोसं भञ्जारं नातिमञ्जति ॥  
 न खापि सोत्थि भचार इच्छाचारेण रोसवे ।  
 भत्तु च गरुनो सव्वे परिपूजेति पथिञ्जता ॥  
 उट्ठाहिका अल्लसा संगहीत परिञ्जना ।  
 भत्तु मनाया चरति सम्भतं अनुरक्खति ॥  
 या एवं वत्तती नारी भत्तु कुन्दवसानुगा ।  
 मनाया नाम ते देवा मत्थ सा उप्वज्जति ।<sup>२</sup>

नकुल के पिता का अन्तिम समय आ जाने पर नकुल की माता उससे हो जाने को कहती है। इस सन्दर्भ में गृहपत्नियों के विशेष रूप से पति कवलित हो जाने पर क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसकी अच्छी झाँकी जिं

१. वही. सत्तकनिपात ।

२. वही, पंचक-अट्टकनिपात ।

१. गृहपत्नियों कपास कातने में कुशल हों व भेड़ के बालों की बेड़ियाँ बनाने में दक्ष हों, ताकि पति के न रहने पर वे बच्चों का पालन-पोषण कर सकें ।
२. द्वितीय विवाह न करे ।
३. बुद्ध तथा संघ का दर्शन करे ।
४. शीलों का परिपालन करे ।
५. धान्तचित्त हो ।
६. धर्मविनय में प्रवेश करे ।

जिस प्रकार भगवान् ने यहाँ पत्नियों के लिए कर्त्तव्य बोध दिया उसी प्रकार सन्तान के लिए भी माता-पिता के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, इसका अनेक बार स्पष्टीकरण किया है । भगवान् ने कहा है कि वह कुल सन्नद्धकुल है जिसमें माता-पिता का आदर-सम्मान होता है क्योंकि उन्होंने सन्तान पर बड़ा उपकार किया है । सन्तान के लिए माता-पिता ही ब्रह्मा हैं, माता-पिता ही पूर्वचार्य हैं और माता-पिता ही पूज्य हैं । इसलिए बुद्धि सम्पन्न सन्तान को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करे, उनका सत्कार करे । अन्न, पान, वस्त्र, धयनासन, मालिवा, स्नान पादप्रक्षालन आदि क्रियाओं से उनकी सेवा करे । जो पण्डित परिचर्या से माता-पिता को सन्तुष्ट करता है, उसकी यहाँ भी प्रशंसा होती है और मृत्यु होने पर वह स्वर्ग में भी आनन्दित रहता है ।

ब्रह्मा ति माता-पितरो पुञ्चाचर्या ति बुद्धरे ।  
 अहुषोप्या च पुत्तानं पजाय चानुकम्पका ॥  
 तस्मा हि ते नमस्सेय्य सककरेयथाय पण्डितो ।  
 अग्नेन अथ पानेन वत्येन सयनेन च ॥  
 उच्छ्वादेन न्हापनेन पादानं चोषनेन च ।  
 नायं नं परिचरिवाय माता पितृषु पण्डिता ॥  
 इधेव न पसंसन्ति पेच्च सग्गे पयोदति ॥<sup>१</sup>

दो व्यक्तियों का प्रत्युपकार करना सहज नहीं—माता का और पिता का । भगवान् ने कहा है कि सी बर्ष तक एक-एक कन्धे पर माता को ढोए तथा एक-एक कन्धे पर पिता को ढोए और उनकी उबटन, मर्दन, स्नान आदि से सेवा करे, और वे भी उसके कन्धे पर ही मल-मूत्र करें तो भी उसके माता-पिता का व कोई उपकार होता है और न कोई प्रत्युपकार । इसके अतिरिक्त जो कोई

ब्रह्मदेवान् माता-पिता को ब्रह्मा में प्रतिष्ठित करता है, दुष्प्राचारी माता-पिता को कृपाचारी बनाता है, कृपण माता-पिता को त्यागमार्ग में प्रतिष्ठित करता है, दुष्प्रज्ञ माता-पिता को प्रज्ञावान् बनाता है, यही यथार्थ में उसका उपकार व प्रत्युपकार है। अर्थात् माता-पिता को सम्यक्मार्ग पर आरूढ़ करना पुत्र या सन्तान का मुख्य कर्त्तव्य है। तथा उनके प्रति अनुचित व्यवहार करने वाला मूर्ख, अव्यक्त, असत्पुरुष वा भ्रवगुणी, सद्योब, निन्दनीय और अपुण्य का हेतु होता है।<sup>१</sup>

ऐश्वर्य प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य—ऐश्वर्य प्राप्ति संसार को बढ़ाने वाली है। और वह ऐहिक सुख प्रदान करने का एक साधन है। भगवान् ने अनाथपिण्डक को उस ऐश्वर्य-प्राप्ति के मुख्य उद्देश्य बताया—अपने व अपने परिवार को सुखी बनाना, मित्रों को सुखी बनाना, आत्मरक्षा करना, पंचबलिकर्म ( ज्ञानबलि, अतिथिबलि, पूर्वप्रेतबलि, राजबलि तथा देवता बलि ) करना व सत्पात्र में दान देना। वह ऐश्वर्य सम्पत्ति अपने ही पुत्रवार्थ से धार्मिक निधि पूर्णक अर्जित की जानी चाहिए।

मुक्ता भोगा भता भवा वितिष्णा आपदासु मे ।

उदग्गा दन्विष्णा दिना अथो पंचवलीकता ॥

उपट्टिता लीलवन्तो ह्यभता ब्रह्मचारवो ।

यदस्य भोगं इच्छेप्य पथिडता भरमावसं ॥ इत्यादि<sup>२</sup>

व्यापारी के सफल होने के उपाय—भगवान् ने व्यापारी को भी व्यापार में सफलता प्राप्ति के साधन बताए हैं। उनके अनुसार व्यापारी में तीन बातें होनी आवश्यक हैं—चक्षुमत्ता, विधुरता और आश्रययुक्तता। चक्षुमत्ता से तात्पर्य है कि व्यापारी को इस बात का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि वस्तु किस भाव आयी है और उसे किस भाव बेचने से लाभ होगा। विधुरता का अर्थ है कि व्यापारी वस्तु के सरीदने-बेचने में अत्यन्त दक्ष हो। तथा आश्रययुक्तता का यह आशय है कि व्यापारी अपने लेन-देन अधिक स्पष्ट रखे। वह दूसरे को ऐसा विश्वास पैदा कर सके कि वह सव्याज पैसा बापिस करने में समर्थ है।<sup>३</sup>

सम्पत्ति के विनाश के कारण—गृहस्थ की सम्पत्ति के विनाश के कुछ कारण भगवान् ने इस प्रकार दिये हैं :—

२. वही, तिकनिपात ।

१. वही, पंचकनिपात, मुण्डराजवर्ग ।

२. वही, तिकनिपात ।

ले पदाथों का सेवन—नशीले पदाथों के सेवन से अनेक दुष्परिणाम  
 लक्ष सम्पत्ति की हानि, आ. कलह-वृद्धि, इ. रोग-वृद्धि,  
 १, उ. लज्जा निवारक तथा, ऊ. प्रज्ञानाशक ।

स्ते की सैर—विकाल में गृहपति को चौरस्ते की सैर नहीं करनी  
 उनके छह दुष्परिणाम हो सकते हैं—१. स्वयं अरक्षित होना ।  
 प्रादि परिवार जनों का अरक्षित होना, ३. धन सम्पत्ति का संरक्षण  
 भुरी बातों की शंकाएँ होना, ५. मिथ्यारोपण की सम्भावना  
 क्षदायी अन्य कारणों का उपस्थित हो जाना ।

ज्यामिचरण ( नृत्य, तमाशा )—नृत्य, तमाशा आदि देखने में छह  
 १ नृत्य है ? कहाँ गीत है ? कहाँ बाद्य है ? कहाँ आस्थान है ?  
 र है ? कहाँ कुम्भघूण है ? इसकी चिन्ता दर्शक को बनी रहती है ।  
 —ब्रतकीड़ा को प्रत्येक धर्म में बजित माना गया है । भगवान्  
 छह दोष दिये हैं—१. जय होने पर वीर की उत्पत्ति होती है, २.  
 पर हारे धन का शोक होता है, ३. तत्काल सम्पत्ति की हानि,  
 अविश्वस्तता, ५. मित्रों व अमान्यों द्वारा तिरस्कार, ६. कन्या  
 प्यारें ।

की मित्रता—दुष्ट प्रकृति वाले मित्र के साथ मित्रता रखने में छह  
 घूर्त, शोण्ड, पियककड़, कृतघ्न, बंचक और गुण्डे ( साहसिक, बूनी )  
 इसके मित्र होते हैं । ( सिंगालोवादसुत्त, दीघनिकाय )

श्रय्य—आलसी व्यक्ति में निम्नलिखित दोष उत्पन्न हो जाते हैं—  
 १. बहुत ठण्डा है, सोचकर वह काम नहीं करता, २. बहुत गर्म है,  
 १ नहीं करता, ३. बहुत शाम हो गई, सोचकर काम नहीं करता,  
 ह है, ५. बहुत भूखा है, ६. बहुत भोजन किया है, इत्यादि प्रकार  
 णीय कार्यों को उपेक्षित कर देता है प्रमादी व्यक्ति । इससे अनुत्पन्न  
 व नहीं होती और उत्पन्न सम्पदा नष्ट हो जाती है ।

पौर अमित्र—भगवान् ने शृगाल गृहपति को बताया कि निम्नलिखित  
 के व्यक्ति यदि मित्र हों तो उनकी मित्रता शत्रुता के रूप में समझना  
 . परधनहारक, २. केवल बात बनाने वाला, ३. सदा प्रिय बचनवादी  
 ११ ), ५. हानिकारक कृत्यों में सहायता करने वाला । परधनहारक  
 सम्पत्ति द्वारा बहुत अधिक सम्पत्ति पाना चाहता है, भय (विपत्ति)  
 र्व करता है तथा स्वार्थ के लिए परसेवा करता है । बाबूक व्यक्ति  
 वेष्य में सम्भावित वस्तु की प्रशंसा करता है और उसकी यह प्रशंसा  
 हती है । इसके अतिरिक्त उसके कारण वर्तमान कार्यों में विपत्तियों

के आने की भी सम्भावना बनी रहती है। चादुकारिका से व्यक्ति बुरे कार्यों में भी अनुमति प्रदान करता है, अच्छे कार्यों में अनुमति देता है, सामने प्रशंसा के पुल बाँधता है और पीछे निन्दा करता है। जो मन्त्रान, असमय भ्रमण, समज्याभिचरण व चतुःक्रीड़ा करते हैं, वे सम्पत्ति के विनाश का कारण उपस्थित करते हैं।

निम्नलिखित चार प्रकार के मित्रों को सच्चा मित्र समझना चाहिए—  
 उपकारी, समान सुख-दुःखभागी, अर्थ प्राप्ति में सहायक व अनुकम्पक। जो व्यक्ति प्रमत्त ( भूल करने वाले ) की रक्षा करता है, उसकी सम्पत्ति की रक्षा करता है, भयभीत का रक्षक होता है और समय आने पर दुःखना लाभ उत्पन्न करवाता है। समान सुख-दुःखी वह है जो गोप्य बात बतलाये। गोप्य बात को छिपाकर रखे, आपत्काल में उसे न छोड़े तथा यथावसर प्राण निष्कावर करने के लिए भी तैयार रहे। जो पाप का निवारण करे व पुण्य मार्ग में ले जाये तथा अश्रुत व श्रुत को स्वर्ग का मार्ग दिखाये, वह हितवादी है। अनुकम्पक मित्र वह है जो मित्र की घन-सम्पत्ति होने पर प्रसन्न नहीं होता, मित्र की निन्दा करने वाले को सहता नहीं तथा मित्र की प्रशंसा करने पर प्रशंसा करता है।

अंगुत्तरनिकाय में कहा है जो प्रिय हो, अनुकूल हो, गौरव-भाजन हो, पूज्य हो, वक्ता हो, वचनक्षम हो, गम्भीर बात करने वाला हो तथा अनुचित मार्ग से दूर करने वाला हो, उसकी संगति करनी चाहिए।

पियो गुरु भावनीयो वक्ता च वचनक्षयो ।  
 गम्भीर च कथ क्त्वा नो चट्टाने नियोजको ॥  
 यमिह एतानि ठानाति, सविद्वन्तीथ पुग्गले ।  
 सो मत्तो मित्ताकामेन, भञ्जितब्बो तथाविधो ॥<sup>१</sup>

सेवा करना—उपासक का कर्तव्य है कि वह माता-पिता, आचार्य, पत्नी, मित्र, सेवक तथा साधु की सेवा करे। माता-पिता ने हमारा भरण-पोषण किया, काम किया, कुल परम्परा बनाये रखी, दायज ( विरासत ) दी, आदर दान दिया, यह सोचकर उपासक उक्त सभी कार्य माता-पिता के प्रति करे क्योंकि माता-पिता पुत्र को पाप से विवारित करते हैं, पुण्य पथ पर आरूढ़ करते हैं, शिल्प शिक्षण देते हैं, योग्य विवाह सम्बन्ध करते हैं, दायज निष्पादन करते हैं।

आचार्य की सेवा के सन्दर्भ में उत्थान ( तत्परता ) उपस्थान ( उपस्थिति ), सुश्रूषा, परिचर्या व सत्कारपूर्वक शिल्प प्रशिक्षण अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। आचार्य

शिष्य को विनीत बनाता, सुन्दर शिक्षा देता, सभी प्रकार शिष्य शिक्षाया, मित्र का सुप्रतिपादन करता व दिशा की सुरक्षा करता ।

पत्नी की सेवा उसके सम्मान से, अपमान न करने से, मिथ्याचार न करने से, ऐश्वर्य प्रदान करने से तथा अलंकार प्रदान करने से करनी चाहिए । क्योंकि भार्या द्वारा कर्मन्त भले प्रकार के होते हैं, परिजन वश में रहते हैं, वह स्वयं जनाचारिणी नहीं होती, अर्जित सम्पत्ति आदि की रक्षा करती है तथा सभी कार्यों में निरालस और द्रष्टा होती है ।

मित्रों की सेवा दान, प्रिय बचन, अर्थबर्बा, समानता तथा विश्वास प्रदान करने से होनी चाहिए । क्योंकि वे प्रमाद कर देने पर रक्षा कर देते हैं, भय के समय शरण देने वाले होते हैं, प्रमत्त की सम्पत्ति की रक्षा करते हैं, आपत्काल में नहीं छोड़ते तथा दूसरे लोग भी ऐसे मित्र का सम्मान करते हैं ।

सेवक की सेवा करके उसके बल के अनुसार कार्य देने से, भोजन-वैसन प्रदान करने से, भोगि-सुश्रूषा से, उत्तम संरक्षक पदार्थ देने से, और समय पर अबकाश ( वीसग ) देने से करनी चाहिए । सेवक स्वामी से पूर्व विस्तर से उठ जाने वाले होते हैं, प्रदत्त वस्तु को ही ग्रहण करने वाले होते हैं, सुव्यवस्थित कार्य करने वाले होते हैं तथा कीर्तिविस्तारक होते हैं ।

साधु-ब्राह्मण की सेवा मंत्री भावयुक्त कार्यात्मक, वाचिक व मानसिक कर्म से, उनके लिए द्वार खुला रखने से, खाद्य वस्तु प्रदान करने से होनी चाहिए । ये श्रमण-ब्राह्मण गृहस्थों को पाप कार्यों से दूर रखते हैं, कल्याण-पथ दिखाते हैं, कल्याण प्रदान करते हैं, विद्यादान देते हैं तथा स्वर्ग का पथ-दर्शन कराते हैं ।

पुण्य का मूल—उपासक के लिए पुण्य का मूल स्रोत यह है कि वह सर्वप्रथम बुद्धधर्म और संघ की शरण जाय तथा पाँच प्रकार का दान करे क्योंकि श्रावक के दान पर ही भिक्षु-संघ आधारित है—अतिथि को दान देना, पथिक को दान देना, रोगी व दरिद्र को दान देना तथा नई उपज व नये फल शीलवानों को भेंट करना ।<sup>२</sup> दान देने से बहुजनप्रिय, सत्संगति, वंशवृद्धि, गृहस्थधर्म का परिपालन तथा सुगति प्राप्त होती है । ( बही ) । दाता दायक के लिए आयु, वर्ग, सुख, बल और प्रतिभा का दान करता है—

आयुदो बलदो धीरो बयणदो पटिभाणो ।  
सुखस्स दाता मेधावी सुखे सो अचिगच्छति ॥  
आयु इत्था बलं बयणं सुखं च पटिभाणकं ।  
दीघायु वसवा होति बस्य वस्तुप पण्णसि ॥<sup>१</sup>

१. बही, पंचक निपात । २. पंचक निपात, अंगुत्तर ।

मांगलिक बातें—बौद्ध साहित्य के हर पृष्ठ में मांगलिक बातें भरी हुई हैं। परन्तु मैं यहाँ सुत्तनिपात का महामङ्गलसुत्त ही उद्धृत कर रहा हूँ जिसमें भगवान् बुद्ध ने 'उत्तम मंगल क्या है?' इस प्रश्न का उत्तर दिया है।

मूर्खों की संगति न करना, पण्डितों की संगति करना और पूज्यों की पूजा करना, यह उत्तम मंगल है। अनुकूल स्थानों में निवास करना, पूर्व जन्म का संचित पुण्य होना, स्वयं को सन्मार्ग पर लगाना, बहुश्रुत होना, शिल्प सीखना, विद्वान् होना, सुशिक्षित होना, मिष्टभाषी होना, माता-पिता की सेवा करना, स्त्री-पुरुष का पालन करना, निराकुल होकर कार्य करना, दान देना, धर्माश्रयण करना, बन्धु-बान्धवों का आदर-सत्कार करना, निर्दोष कार्य करना, मन, वचन व काय से पापकृत्यों को त्यागना, मद्यपान न करना, धार्मिक कार्यों में तत्पर रहना, विनम्र रहना, सन्तुष्ट रहना, कृतज्ञ होना, यथावसर धर्मश्रवण करना, क्षमाशील होना, आज्ञाकारी होना, श्रमणों का दर्शन करना, धार्मिक चर्चा करना, तप, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आर्यसत्त्वों का दर्शन और निर्वाण का साक्षात्कार ये उत्तम मंगल हैं। प्रत्येक जीवन के उत्थान की दृष्टि से ये मांगलिक बातें यथार्थ में अत्यन्त कल्याणकारी हैं।

असेवना च बालासं परियडतान च सेवना ।

पूजा च पूजनीयान तं मंगलमुत्तमं ॥

पटिरूपदेसवासो च, पुब्बे च कतपुञ्जता ।

अन्तसम्मा पणिचि च एतं मङ्गलमुत्तमं ॥

बाहुल्लञ्च च सिप्प च, विनयो च सुसिन्धितो ।

सुभाषिता च या वाचा एत मंगलमुत्तमं ॥ इत्यादि

उपासक इन सब बातों का पालन कर श्रोतापत्ति, सकदागामि, अनागामि और अर्हत् अवस्था प्राप्त कर लेता है। भगवान् के उपदेशों का मनन-चिन्तन कर उस पर दृढ़ आस्थावान् होना श्रोतापत्ति का प्रमुख साधन है। इससे प्राणातिपातादि पंच पापों से निवृत्ति हो जाती है तथा नरकगमन, तिर्यञ्चयोनि प्रेतयोनि में जन्मग्रहण करना क्षीण हो जाता है।<sup>१</sup> श्रोतापत्ति अवस्था का परिणाम यह होता है कि वह सद्धर्म में स्थिर हो जाता है, पतनोन्मुक्त नहीं होता, मर्यादित जीवन होने से दुःख को प्राप्त नहीं होता, तथा प्रतीत्यसमुत्पाद धर्म का ज्ञान हो जाता है।<sup>२</sup>

१. दशमसुत्त, अंगुत्तरनिकाय ।

२. वही, छल्लनिपात, जमिसंसवग्ग ।

लोभ, राग और मोह हम दोषों के दूर हो जाने पर सकदागामि अवस्था प्राप्त हो जाती है। इससे जीव को एक बार जन्म-ग्रहण करने के बाद निर्वाण प्राप्ति हो जाती है। अनागामि अवस्था में यह जन्म-ग्रहण भी दूर हो जाता है। अथवा, निर्लज्जता, वाप कार्यों में निर्भयता, आलस्य, मूढस्मृति तथा दुष्प्रज्ञता को छोड़ना अनागामि अवस्था प्राप्त करने के लिए अपेक्षित है।

उक्त तीन श्रेणियों को पार करने पर व्यक्ति भ्रमण बनता है और बाद में अर्हत्व अवस्था उसे प्राप्त हो जाती है। तब उसे मुक्ती, आलस्य, उद्वेग, कौटुक्य, अवरुद्ध तथा प्रभाव को छोड़ना पड़ता है। साथ ही मान, हीनमान, ( ओमान ), अतिमान, अधिमान, स्वम्बता तथा अतिनिपात ( स्वयं को तुच्छ समझना ) से दूर रहना भी अत्यावश्यक है।

इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि बौद्धधर्म में उपासक की दैनन्दिनी उसके साधारण जीवन के उत्थान से अधिक सम्बद्ध है। बौद्धधर्म के अनुसार धर्म तब तक सांस्कृतिक है इसीलिए मगवान् ने व्यक्ति के ऐहिक जीवन को सुधारने की ओर ध्यान अधिक दिया है। उपासिकार्थों के लिए भी इन्हीं धर्मों और कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है।



## बौद्ध योग-साधना की उत्पत्ति और विकास स्थविटवादी अथवा हीनयानी साधना

### १—(क) योग का स्वरूप

विनय और योग-साधना का सम्बन्ध अन्योन्याश्रित रूप से जुड़ा हुआ है। भारतीय सांस्कृतिक साधना में योग का विशेष महत्त्व है। वैसे योग शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में मिलता है पर प्रस्तुत सन्दर्भ में योग वह साधना है जो मोक्ष की प्राप्ति का कारण हो। जैन, बौद्ध एवं वैदिक सम्प्रदाय में इस प्रकार की योग-साधना प्रचलित रही है। ऋग्वेदकाल में योग को सम्भवतः मोक्षप्रापक नहीं माना गया। उत्तरकाल में जो योग-प्रक्रिया मिलती है वह मूलतः श्रमण संस्कृति की मूल शाखा जैन साधना से अधिक प्रभावित दिखाई देती है। अतएव योग को पूर्ववैदिक और आर्येतरजन्य माना जाना चाहिए। मोहिजोददो और हड़प्पा के उत्खननों में प्राप्त योगियों और साधकों का अंकन और चित्रण योग परम्परा के अस्तित्व को ईसा पूर्व के लगभग तीन हजार वर्ष पूर्व सिद्ध कर देते हैं। ऋग्वेद (१०. १३६; २-३) का “मुनियो वातरक्षनाः पिशंगा वसते मला” और भागवतपुराण (५, ३, २०) का “वातरक्षनानां श्रमणानां श्छपीनाम्” उल्लेख इसी का सूचक है।

बौद्ध धर्म में योग शब्द का प्रयोग चित्त चेतसिक क्रियाओं को केन्द्रित करने के अर्थ में हुआ है। मूलतः पालि त्रिपिटक में इस शब्द का उपयोग इस अर्थ में नहीं हुआ। अरियपरियेसेन सुत्त (म. २६) में आलारकालाम और उह्करामपुत्त की योग साधना का वर्णन अवश्य हुआ है पर बुद्ध ने उसे अनुपयोगी मानकर छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त जैन सञ्चक के माध्यम से जैनयोग साधना का भी उल्लेख हुआ है, जहाँ कामभावना और चित्तभावना को विवाद का विषय बनाया गया है। बौद्ध ध्यान का उद्देश्य सम्मासमाधि की प्राप्ति करना है। यह सम्मासमाधि अष्टाङ्गिक भागों की उपलब्धि से होती है जो चम्मचकपवत्तन के नाम से भी प्रचलित है। इसे “मज्झिम पटिपदा भी कहा गया है। सील, समाधि और पम्मा में इसके आठों अंग विभक्त हैं। “तिथिवा सिन्धवा” की

इसे कहा गया है। समाधि और विपस्सना के आधार पर विकसित होनेवाला बौद्धयोग जीवनधर्म के समान मानसिक और चारित्रिक बुद्धि पर आधारित है।

बौद्ध योग के सन्दर्भ में अनेक पारिभाषिक शब्द पाणि वाङ्मय में प्रयुक्त हुए हैं। उनमें कुछ प्रमुख ये हैं—

१. समाधि—सम् + आ + धा एकत्रित करने के अर्थ में। धम्मविद्या और विसाखा के बीच हुए संवाद में इसका स्पष्ट रूप मिलता है। धम्मविद्या ने यहाँ “चित्तस्य एकगता” समाधि का स्वरूप दिया है।<sup>१</sup> धम्मसंगधि (१०) में इसका स्वरूप इस प्रकार मिलता है—ये चित्तस्स ठित्ति, स्थिति, अबद्धित्ति, अबिसाहारो, अबिक्खेणो, अबिसाहटभनसता, समथो, समाधिन्द्रियं, समाधिबलं सम्मा समाधि। अट्टसालिनी (११८) में बुद्धशेष ने इसकी व्याख्या में चित्तस्स एकगभावो लिखा है।
२. चित्तोकगता—‘समाधिस्स एतन्नामं’ भी इसका समानार्थक है। विसुद्धिमग्ग में उन्होंने ‘कुबल’ शब्द देकर और अधिक स्पष्टता ला दी है—“कुसल चित्तोकगता समाधि”। अट्टसालिनी में इसे ‘सम्मासमाधि’ लिखा है। इससे स्पष्ट है कि बौद्धसाधना में मन की पवित्रता को प्रमुख स्थान दिया गया है। यह समाधिभावना सम्मावायाम और सम्मासति पूर्वक मिलती है। समाधि विपस्सना का पूर्व रूप है। यह विपस्सना चित्त की एकाग्रता का क्रमिक अन्तिम विकास है।
३. चेतोसमाधि—( दी-१, १३ ) इसमें पुब्बेनिवासानुसृति आ जाती है। अतः यह सम्मासमाधि के बाद की स्थिति है। चेतो विसुत्ति अथवा फलसमाधि समाधि की अन्तिम स्थिति है। महाल्लसुत्त ( दी. २-२६५ ) में इसे अर्हत के चित्त से सम्बद्ध किया गया है। चेतो समथ ( दी-३, २७३, म. १, ४६४ ), चित्तभावना, चित्तविसुद्धि और अधिचित्त संज्ञाओं का प्रयोग भी इस सन्दर्भ में हुआ है। विपस्सना ( विविध प्रकार से देखना ) पञ्चा, आण-दस्सन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अनिक्क, दुक्क और अनत्ता को दूर करने पर इसकी प्राप्ति होती है।
४. ज्ञान—इस शब्द का प्रयोग ध्यान अर्थ में आया है। बाद में यह पञ्चनीकधम्मं ज्ञायेतीति ज्ञानं ( ध्यान की प्रतिकूल अवस्थाओं को भस्म करने ) के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह ज्ञान दो प्रकार का है—आरम्भण-उप-निज्ज्ञान और लक्खण उप-निज्ज्ञान। आरम्भण में चार रूप और चार अक्षय की स्थितियाँ आती हैं। इन्हें समापत्ति और उपचार भी कहा गया है। लक्खण तीन प्रकार का है—विपस्सना, मग्ग और फल।

१. बुद्धिस्ट मेडीटेसन, पृ. १७-३४

३. भावना—ज्ञान के अर्थ में आया है—कुसुमं चित्तं भावेति, ज्ञानं भावेति, समाधिं भावेति। बुद्धबोध ने भावेति शब्द को सू धातु से निष्पादितकर उसका अर्थ उत्पादन और बद्धन किया है। मज्झिमनिकाय के महासकुल्लयायीसुत्त में भी इसी अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। संयुक्त की अट्टकथा में पुनप्युत्तं जनेति के अर्थ में 'भावेति' का प्रयोग मिलता है। वस्तुतः भावना का अर्थ सद्भाव अथवा सद्गुणों से आया है जो समाधि के लिए आवश्यक है।

६. योग—त्रिपिटक में योग शब्द का प्रयोग जोड़ने के अर्थ में आया है—पटिसल्लानयोग। बाद में योग का प्रयोग ध्यान के सन्दर्भ में प्रयत्न करने के अर्थ में किया गया है। योगा वे जायति झूरि, अयोगा झूरि संख्ययो ( धम्मपद, २८२ ) में योग से ज्ञानप्राप्ति बतायी है। इसकी अट्टकथा में इसका सम्बन्ध ३८ प्रकार के कर्मस्थानों से किया गया है ( धम्म. अट्ट. ३४२१ )। योगी और योगाचार शब्दों का प्रयोग अट्टकथा में ध्यान करने वाले के अर्थ में आया है।

७. पघान—मज्झिमनिकाय में विशिष्ट आध्यात्मिक प्रयत्न के अर्थ में इसका प्रयोग मिलता है। बुद्धवंस में इसका प्रयोग ध्यान के अर्थ में हुआ है। इसके अतिरिक्त कम्मट्ठाण, आरम्मण, निमित्त, अभिञ्जा, समापत्ति, विमोक्ख, अभिभायतन आदि शब्दों का भी प्रयोग हुआ है।

जैन संस्कृति में भी योग, भावना, समाधि, चित्सेकगता, ध्यान, भावना आदि जैसे शब्दों का प्रयोग ध्यान के प्रसंग में आता है। उमास्वामी ने मन, बचन और काय की प्रवृत्ति को योग कहा है। यह योग शुभ रूप और अशुभ रूप होता है। प्रवचनसार में अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग ये तीन भेद किये गये हैं। भुक्ति प्राप्त करने के लिए श्रमण त्रिषु को शुद्धोपयोगी होना आवश्यक है।<sup>१</sup>

ध्यान और समाधि—ज्ञान का अर्थ ध्यान करना और बाधायें दूर करना ( ज्ञानेति ) है। सामञ्जस्यसुत्त में वितक्क, विचार, पीत्ति, सुख और एकगता ये ५ अंगियाँ ध्यान की हैं। सांसारिक व्यामोह के कारण मन एकाग्रक केन्द्रित नहीं किया जा सकता। अतः सर्वप्रथम आवश्यक है कि योगी पञ्चभूतियों को दूर करे। वितक्क ( सम्मासंकप्प, विभंग, २५७ ) सम्यक् संकल्प के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। विचार अनुवेकनता ( बारम्बार परीक्षण अथवा चिन्तन ) के अर्थ में आया है। इससे साधक संदेहविमुक्त हो जाता है और प्रीति ( वस्तु

१. विस्तार से देखिये, लेखक का निबन्ध—जैन योग साधना, जैन मिलन १९७१।

के प्रति कषि ) प्राप्त हो जाती है । बिमुद्धिमम्भ में इसके पाँच भेद किये गये हैं—बुद्धकापीति, क्षत्रिकापीति, अबैककंठिकापीति, उब्बेगापीति एवं फरजापीति । सुख को “सुखिनो चित्तं समाधिपति” ( दी. १७५ ) कहा गया है । इस प्रकार नीवरणों को दूर कर एकगता प्राप्त होती है ।

पञ्चनीवरणों और वितक आदि को दूर करने पर प्रथम ध्यान की प्राप्ति होती है । इस स्थिति में साधक रूपावचर ( ब्रह्मलोक ) में उत्पन्न होता है । निकार्यों में प्रथम ध्यान में एकगता की प्राप्ति नहीं बतायी, परन्तु विजय ( पृ. २५७ ) में स्पष्टतः पाँचों अंगों का होना बताया है । सारिपुत्त और महाकोट्टित ( मज्झिम. २६४ ) के बीच हुए संवाद में भी यही श्लोक मिलती है ।

प्रथम ध्यान की प्राप्ति के बाद ध्यान के विषय ( कसिण ) पर चिन्तन का अभ्यास ज्ञायी ( ध्यानी ) करता है । इसे वसिता कहते हैं । यह पाँच प्रकार का है—आवज्जना ( प्रतिबिम्ब ), समापज्जना ( प्रवेश ), अधिद्वान ( प्रस्थापना ), बुद्वान ( उत्थान ) और पञ्चबेक्खना ( अनुवीक्षण ) । चित्त की एकाग्रता की प्राप्ति के लिए वितक और विचार जब बाधक लगते हैं तब द्वितीय ध्यान की प्राप्ति होती है । ‘एकोदिभाव’ से वितक, विचार दोनों नष्ट हो जाते हैं और एकगता स्थायी हो जाती है । इससे भी आगे बढ़ने पर तृतीय ध्यान प्राप्त होने पर ज्ञायी सुखविहारी हो जाता है । चतुर्थ ध्यान पाने पर चेतोबिभुत्ति प्राप्त होती है और इससे ध्याता तटस्थ हो जाता है तथा दुःख और प्रसन्नता का भाव समाप्त हो जाता है । संयुत्तनिकाय ( ४-२१७ ) के अनुसार ज्ञायी प्रथम ध्यान में बचन से दूर होता, द्वितीय ध्यान में वितक-विचार से दूर होता ( बचीसंखार ) तृतीय ध्यान में सांसारिक मोह से दूर होता और चतुर्थ ध्यान में अस्सासपस्सास से दूर होता । इसे कामसंखार कहा गया है । इसके बाद ज्ञायी अत्तनि धम्मं सम्पस्समानो विहरति ( अ. ५.२०६ ) हो जाता है । इस चतुर्थ ध्यान को अट्टकथाओं में ‘पादक’ कहा गया है । इस स्थिति में आसक्तों से विमुक्ति होती है ।

अभिघम्म में वितक और विचार को पृथक् कर देने पर पाँच ध्यान हो जाते हैं । बुद्ध ने यहाँ तीन प्रकार की समाधि बतायी है—( १ ) वितक विचारयुक्त समाधि, ( २ ) वितक रहित और विचारयुक्त समाधि, और ( ३ ) वितक विचार रहित समाधि । इनमें प्रथम और तृतीय समाधि का समाहार चार ध्यानों में हो जाता है, द्वितीय का नहीं । यह अरूपध्यान है, जहाँ विचार तो रहता है, पर वितक नहीं । अभिघम्म में ध्यान का विकास हुआ । वहाँ पाँच ध्यान वितक और विचार से युक्त होकर १५ ध्यान रूपावचर में और ४० ध्यान लोकुत्तर में हो जाते हैं ( अभिघम्मत्वसंगह, पृ. ३-४ ) । बाद में

चार प्रकार का अस्माद्वार ध्यान प्राप्त होता है। इस प्रकार आठ प्रकार का भी ध्यान ही जाता है।

जैन संस्कृति—में ध्यान के चार प्रकार हैं—आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। बौद्ध साधना में पञ्चनीवरणों से दूर होने पर प्रथम ध्यान प्राप्त होता है, पर जैन साधना ने पञ्चनीवरणों की प्राप्ति के प्रयत्नों में ही प्रथम दो ध्यानों को लगा दिया—आर्त और रौद्र ध्यान। इसलिए यहाँ दोनों में कोई समानता नहीं दिखती। धर्मध्यान सर्व प्राणियों के प्रति कृष्णभाव, पंचेन्द्रियक विषयों से दूर, उपशान्त भाव, बन्ध और मोक्ष, गमन और आगमन के हेतुओं पर विचार, पञ्चमहाव्रतों का ग्रहण आदि धर्मध्यान है। यह चार प्रकार का है—आज्ञाविषय ( जिज्ञासा के गुणों का चिन्तन ), अपायविषय ( रागद्वेषादिजन्य दोषों की पर्यालोचना करना ), विपाकविषय ( कर्मफल का चिन्तन करना ), और संस्थानविषय ( जीवलोक आदि के संस्थान पर विचार करना )। शुक्ल ध्यान के चार लक्षण हैं—विवेक, व्युत्सर्ग, अब्यथा और असंमोह। यह ध्यान चार प्रकार का है—पृथक्त्ववितर्कसविचारी, एकत्ववितर्क अविचारी, सूक्ष्मक्रिया अनिवृत्ति, और समुच्छिन्नक्रिया अप्रतिपाती। धर्म और शुक्लध्यान को ध्यानतप कहा गया है।

बौद्धधर्म में ध्यान के फल की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। उसकी सूक्ष्मता पर उतना गहन चिन्तन नहीं किया गया जो जैनधर्म में मिलता है। जैनधर्म में ध्यान के प्रकार, लक्षण, अवलंबन और अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से ध्यान का सुन्दर और गम्भीर विश्लेषण उपलब्ध होता है। वितर्क शब्द दोनों में भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रयुक्त हुआ है। कुल मिलाकर धर्मध्यान को प्रीति के समकक्ष रखा जा सकता है और शुक्लध्यान के अन्तर्गत बौद्धधर्म के शेष ध्यान समाहित हो जाते हैं। जैनधर्म में अन्तिम दो ध्यान तप के अंग हैं परन्तु बौद्धधर्म में चारों ध्यान तप के अंग माने गये हैं।

निकायों में समाधि की परिभाषा “चित्तस्स एकगता” की गई है। अभिषम्भ में जब इसका विकास हुआ तो इसका प्रयोग पंचेन्द्रियजन्य विषय जोगी को मन से दूर करने के अर्थ में होने लगा। व्याख्यात्मक भागों में एकगता के साथ कुशल और अकुशल शब्दों का उपयोग हुआ—कुशलचित्तैकगता और अकुशलचित्तैकगता। समाधि हमेशा अनुचिन्तन से प्राप्त होती है—योनिसो मनसिकारा। इसके अभ्यासकाल में बोधिपक्षीय धर्मों का अभ्यास करना अपेक्षित है। समाधि का समुचित अर्थ है—सद् + आ + धान अर्थात् मन को एक पदार्थ पर केन्द्रित करना।

समाधि के दो भेद हैं—उपचार और अर्पण। अर्पण और ध्यान लगभग समानार्थक हैं। धम्मसंगणि में अर्पण और चित्तर्क को समानार्थक माना गया है। समाधि के अन्य दो भेद भी मिलते हैं—लोकिय और लोकुत्तर। लोकुत्तर का सम्बन्ध निर्वाण से है। समाधि प्रीति से उत्पन्न होती है। सम्पीतिक और निष्पीतिक भेद भी समाधि के किये गये हैं। इसके चार, पाँच आदि भेदों का भी वर्णन विसुद्धिमग्ग आदि ग्रन्थों में मिलता है।

जैनधर्म में समाधि शब्द का उपयोग चित्त की चंचलता पर संयमन करने के अर्थ में हुआ है। नायायम्मकहाओ ( ८.६६ ) की अभयदेवटीका में समाधि का अर्थ चित्तस्वास्थ्य किया गया है। दसवैकालिक ( ६.४.७—९ ) में समाधि के दो भेद मिलते हैं—तपसमाधि और आचारसमाधि। कर्मक्षय के लिए किया गया तप तपसमाधि है, और कर्मक्षय के लिए ही किया गया आचार का पालन आचारसमाधि है। ये भेद बौद्धधर्म में प्राप्त समाधि के अर्थ से भिन्न नहीं। चित्त की एकान्तता से दोनों संस्कृतियों का सम्बन्ध है। बोधिपक्षीय धर्मों का पालन जैनधर्म के आचार—तपसमाधि की समकक्षता में आता है। तप के माध्यम से ही उपचार—अर्पणात्मक स्थिति जैनधर्म में बताई गई है।

### (ख) समाधि के विषय और प्रणालियाँ

१. समाधि का विषय—समाधि का मूल आधार चित्त की विसुद्धि है जो विचारों पर आधारित रहती है। विचारों के विषय ( आरम्भण ) जैसे होंगे, चित्त की प्रकृति भी वही होगी। अतः समाधिस्थ व्यक्ति के लिए यह निरान्त आवश्यक है कि उसका लक्ष्य और लक्ष्य-प्राप्ति का मार्ग पूर्णतः शुद्ध हो। बौद्ध साहित्य में इस पर विविध दृष्टियों से विचार किया गया है। यह वैविध्य हम पालि निकाय, अभिधम्म, विसुद्धिमग्ग और परवर्ती ग्रन्थों के माध्यम से देखने का प्रयत्न करेंगे।<sup>१</sup>

१. निकाय—निकायों में दो प्रकार से विचार किया गया है—प्रथमतः व्यक्तिगत रूप से समाधि के विषय और उसकी उपलब्धि की प्रणालियों का निर्देशन है और द्वितीयतः सर्वसाधारण व्यक्तित्व की दृष्टि से इस पर विचार किया गया है। ये दोनों दृष्टियाँ कहीं पृथक् और कहीं समन्वित रूप में उपस्थित की गई हैं। अंगुत्तर निकाय का एककनिपात इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वहाँ निकायों में उपलब्ध समाधि के विषयों का उल्लेख किया गया है—

१. चार ध्यान—योगी चित्तर्क-विचार, प्रीति, बुद्ध और समाधि को प्राप्त करता है।

२. चार ब्रह्मबिहार—मेता, कल्पा, बुद्धिता और उपेक्षा ।

३. चार सतिपट्टान—कायानुपस्सना, वेदानुपस्सना, चित्तानुपस्सना और धम्मनुपस्सना ।

४. चार सम्मप्यधान ।

५. चार इद्धिपाद—छन्द, विरिय, सति और वीमंसा ।

६. पाँच इन्द्रियाँ—सद्धा, विरिय, सति, समाधि और पञ्चा ।

७. पाँच बल—सद्धा, विरिय, सति, समाधि और पञ्चा ।

८. सात बोज्झंग—सतिसंबोज्झंग, धम्मविचयसंबोज्झंग, विरियसं. पीतिसं. पस्सद्विसं. और समाधिसंबोज्झंग ।

९. अरिय अट्ठङ्गिकमग—सम्मादिट्ठि, संकप्प, वाचा, कम्मन्त, आजीव, वायाम, सति, और समाधि ।

चार ध्यान और चार ब्रह्मबिहार को छोड़कर शेष सभी धर्म बोधिपक्सिय धम्म कहे जाते हैं—आनापानसति ।

१०. आठ विमोक्ख ।

११. आठ अभिभायतन ।

१२. दस कसिण—पडवी, अप, तेजो, वायो, नील, पीत, लोहित, ओदात, आकास, विञ्जान ।

१३. बीस सञ्जा—असुभ, आलोक, आहारे पटिक्कूल, सम्बलोके अनभिरत, अग्निच्च, अनिच्चे दुक्ख, दुक्खे अनत्त, पहाण, विराग और निरोधसञ्जा । ये संज्ञायें बाह्य विषय हैं जिन पर योगी ध्यान करता है । अनिच्च, अनत्त, मरण, आहारे पटिक्कूल, सम्बलोके अनभिरत, अट्टिक, पुल्लक, विनीलक, विच्छिद्धक, और उद्धमातक संज्ञायें हैं—जिन पर योगी चिन्तन करता है ।

१४. छः अनुस्सति और चार सति बुद्ध, धम्म, संघ, सील, चाग और देवतानुस्सति, तथा अनायात मरण, कायगत, और उपसमानुस्सति इन्हें छः स्मृतियों का ध्यान करना ।

निकायों में योगी के लिए यत्र तत्र १०१ विषयों पर मनन करने को कहा गया है । महासकुलदायी सुत्त ( मज्झिमनिकाय ) में एक वृहत् सूची दी गई है जिसमें ७५ विषयों को उन्नीस भागों में बर्गीकृत किया गया है । ये विषय ध्यान की प्रणालियों से सम्बद्ध हैं—सैतीस बोधिपाक्षिक धर्म, आठ विमोक्ख, आठ अभिभायतन, दस कसिणायतन, चार ध्यान, विपस्सना, पञ्च अभिञ्जा, असवक्खयमाण, और चैतोविमुत्तिवाण ।

१. विपस्सना ज्ञान—अभिज्ञानिकाय के रथविनीत सुत में पुष्प की सात प्रकार से विसुद्धि ( निर्वाण ) प्राप्त करने का मार्ग बताया है—सील, चित्त, चिट्ठि, कंसावितरण, भगामभावाणदस्सन, पटिपदाजाणदस्सन, और भाणदस्सन विसुद्धि । विसुद्धिमग्न और अभिज्जमत्तसंगह में भी इसका वर्णन आया है ।

२. अभिषम्भ साहित्य—अभिषम्भ साहित्य में चित्त के आधार पर समाधि के विषयों एवं प्रणालियों पर विवेचन किया गया है—आठ कसिण, आठ अभिभायतन, विमोक्ख ( प्रथम तीन ), चार ब्रह्मविहार, दस असुभ—उदभातक, विनीलक, विपुब्बक, विच्छिद्दक, विक्खावितक, विविक्खसक, हेतुविक्खसक, लोहितक, पुल्लक, और अट्टिक तथा चार अरूप ध्यान ( शेष विमोक्ख ) । इनमें दस कसिण के स्थान पर 'आठ कसिण का उल्लेख आया है । इसलिए कि अन्तिम दो कसिण अरूप से सम्बन्धित हैं । दस असुभों का उल्लेख भी यहाँ है जो निकाय की सूची में नहीं दिखते । उनमें पाँच असुभ पाँच संज्ञाओं ( १६-२० ) के समानान्तर हैं । महासत्तियट्ठानसुत्त में भी शब्द के सन्दर्भ में विविध रूप से चिन्तन करने का निर्देशन मिलता है । इस तरह इस विषय सूची में ध्यान के ३७ विषय, रूप ध्यान के ३३ विषय और अरूप ध्यान के चार विषयों का आख्यान है ।

३. विसुद्धिमग्न—विसुद्धिमग्न में बुद्धघोष ने कम्मट्ठान के रूप में चालीस विषयों का निर्धारण किया है—दस कसिण, दस असुभ, दस अनुस्मृतियाँ, चार ब्रह्मविहार, चार अरूपआकास, विञ्जाण, आकिञ्चन, और नेवसञ्जा नासञ्जायतन, आहारे पटिककूल सञ्जा एवं चतुष्पातुववत्थान । यहाँ बुद्धघोष ने दस कसिणों में विज्ञान कसिण के स्थान पर आलोक कसिण को रखा है और आकास कसिण के स्थान पर परिच्छिन्नाकास शब्द का उपयोग किया है । चतुष्पातुववत्थान का वर्णन महाहत्थियपदोपम धातु विभंग आदि जैसे सुत्तों में उपलब्ध होता है । विमोक्ख और अभिभायतनों को बुद्धघोष ने पृथक् स्थान नहीं दिया । विपस्सना के विकास के सन्दर्भ में पञ्चाभावना के प्रकरण में पाँच विसुद्धियों का विवेचन किया है । पटिपदा भाणदस्सना नामक छठी विसुद्धि में नव प्रकार का अन्तर्ज्ञान होता है—उदय वसानुस्सना, संगानुपस्सना, भयतुपट्टान, आदीनवानुपस्सना, निब्बदानुपस्सना, भुञ्चितुकम्यतावाण, पटिसंज्ञानुपस्सना, संसास्येक्खा एवं अनुलोमवाण । पटिसंभिवामग्न में दस प्रकार का ज्ञान बताया गया है । वहाँ भाणदस्सनविसुद्धि का स्थान पृथक् वर्णित है ।

बुद्धघोष ने अट्ठसालिणी ( १६८ ) में ३८ प्रकार के कर्मस्थान बताये हैं । बैरवाद परम्परा में ४० कर्मस्थानों का वर्णन आता है जो समाधि-प्राप्ति के लिए



उदात्तक होते हैं। धम्मसंगणि में अन्तिम दो कक्षिणों को स्थान नहीं दिया गया। शायद इसीलिए बुद्धबोध ने ३८ कर्मस्थान कहे हैं। अन्तिममन्त्र संमह में अनुसुद्ध ने भी प्रायः विसुद्धिमन्त्र का ही अनुसरण किया है।

४. उत्तरवर्ती साहित्य—सिंहली भाषा में लिखे गये विवर्त्तनापोल नामक उत्तरवर्ती ग्रन्थ में विसुद्धिमन्त्र का ही अनुकरण दिखाई देता है पर विषय विभाजन में कुछ अन्तर है पारिभाषिक शब्दावली भी कुछ भिन्न है। वसकसिण, ( प्रथम चार वृत्तकसिण और श्लेष वण्ण कसिण ), वस अनुम, कायगतासति ( ३२ प्रकार ), वस अनुस्सति, चार अरूप, चार इहाविहार। इन १८ प्रकारों में आनापानसति को प्रथम स्थान दिया गया, कायगतासति को ३२ प्रकारों में सम्मिलित कर दिया गया तथा आहारपतिककुल्लसंवा और चतुष्पातुषवत्थान को अनुस्सति के रूप में स्वीकार किया गया।

## २. शीलविसुद्धि

शील अथवा चारित्रिक विसुद्धि बौद्धधर्म की आधारशिला है। संयुक्तनिकाय में इसी को पूर्ण विसुद्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसकी दो प्रमुख विशेषतायें हैं (१) समाधान—चित्त को केन्द्रित करना और (२) उपधारण—श्रेष्ठ गुणों को धारण करना। विधेयात्मक प्रवृत्तियों का पालन करना और निषेधात्मक प्रवृत्तियों को दूर करना योगी का विशिष्ट कर्तव्य है। शील का प्रारम्भ भी यहीं से होता है।

अमण को सर्वप्रथम शील विसुद्धि, इन्द्रिय संवरण, सति संप्रज्ञा, और सन्तुष्टि का अभ्यास करना चाहिए। निकायों का वर्णन विशेषतः इन्हीं गुणों पर आधारित है। विसुद्धिमन्त्र में इन्हीं को पातिमोक्खसंवरण, इन्द्रियसंवरण, आजीवपरिसुद्धि, और पञ्चयसन्निसित के नाम से व्याख्यायित किया गया है।

१. पातिमोक्ख—जैसा हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं, अमण भिक्षु के लिए निर्धारित नियम पातिमोक्ख कहलाते हैं। इनकी संख्या २२७ है। इनका सम्बन्ध, शब्दों, कृत्यों और विचारों की पवित्रता से है। आचार-मोक्षर की सम्पन्नता भिक्षु की विशेषता है।

२. इन्द्रिय संवरण—निर्धारित नियमों में छुट्टि प्राप्त करने के बाद भिक्षु का कर्तव्य है कि वह चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय और मन रूप द्वारों के क्रमशः रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श और धर्म रूप आत्मवर्णों पर संयमन करे।

३. आजीवपरिसुद्धि—पातिमोक्ख नियमों का पालन करते हुए जो भिक्षु इन्द्रिय संयमन करता है उसकी आजीव-भरण-मोषण विषयक परिसुद्धि

आवश्यक है। इस दृष्टि से भिक्षु को पार्याप्तिक (बलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन), संचाविशेष (स्त्री-पुरुष के बीच वृत्तकार्य करना), पुस्तकबन्ध (अर्हत् न होने पर भी अर्हत् बताना), पाचिस्तिथ (अस्वस्थ का बहाना कर उत्तम कोटि का भोजन ग्रहण करना), पाटियेसनीय, और दुक्कट दीर्घों से विभिष्टुंक्त रहना चाहिए। कुहन (प्रवञ्चना), लयन (बाहुकारिता), रैभित्तिका (किसी का बहाना लेकर कहना), निप्येसिका (अवज्ञा करना), और निविगिसनता (आमिष से आमिष की खोज करना—छान से छान खोजना) छान, सत्कार आदि की प्राप्ति के लिए ही प्रायः किये जाते हैं। इन कारणों से स्वयं को दूर रखना बौद्ध भिक्षु का कर्तव्य है। उल्लाहना, उक्काचना, अक्कोसना, सम्पापना आदि दोष भी इन्हीं कारणों के अन्तर्गत आते हैं।

४. पञ्चय सन्निस्सित सील—बीबर आदि पर विचार करना। भिक्षु यह विचार करे कि वह बीबर का उपयोग मात्र इसलिए करता है कि उससे गीत, डांस, मञ्चझड़ आदि से अपने को बचाया जा सके तथा मुसांगों को डांका जा सके। इसी प्रकार पिण्डपात का उपयोग द्रव (श्रीड़ा), मद, मग्गन, वेसूषण के लिए नहीं प्रत्युत रूपकाय की स्थिति के लिए, माषन और हुमुसा-शान्ति के लिए किया जाता है। शयनासन का प्रयोग श्वेतु-परिधम को बंगलित करने तथा गिलानपञ्चयभेसज्जपरिक्कार का उपयोग रोग की शान्ति के लिए किया जाता है।

इस प्रकार बौद्धधर्म में भिक्षु अपने जीवन को अधिक से अधिक छुट और मालम्बनविहीन बनाने का प्रयत्न करता है। बीबर, पिण्डपात, शयनासन तथा शैषण्य का ग्रहण उसे वर्जित नहीं।

बीबर—प्राचीन काल में वैदिक भिक्षु बल्कल पहनते और जैन भिक्षु म्मन रहते। बुद्ध ने इन दोनों प्रकारों को अस्वीकार किया और बौद्ध भिक्षु के लिए पांशुकूल धारण करने का नियम निर्धारित किया। बाद में इस नियम में ढीलझा किया गया। बुद्ध ने चिथड़ों से निर्मित काषाय अथवा नेरुय बज्ज तारण करने को कहा। इन बज्जों में दो अघर बज्ज (उत्तरासंग और अन्तरासक) और एक संघाटी सम्मिलित है। इन्हें कसाब कहा जाता है। भिक्षु के पास कुल आठ बीबें होनी चाहिए—तीन बज्ज, क्मरबन्ध, पिण्डपात्र, रेजर, [ई, और जलपात्र। यही उनकी सम्पत्ति है। अपवाद की स्थिति में यष्टिका, ल्प्यल, चटाई, छतरी भी वे धारण कर सकते हैं। परन्तु इन सभी का उपयोग बसज्ञानपूर्वक होना चाहिए।

पिण्डपात—भोजन अथवा आहार ग्रहण करने का उद्देश्य जीवन की स्थिति और प्रवाह को बनाये रखना है। इस दृष्टि से पिण्डपात की महती

उपयोमिता है। रोग की शान्ति, जीवन यथा की सुसंभति, निर्दोष प्राणुविहार, और ईश्वरपथ को अनुकूल बनाना पिण्डपात ग्रहण का लक्ष्य है।

ध्यान और आसन ऋतु-परिष्कम को दूर करने तथा चित्त को एकाग्र करने के लिए (उतुपरिस्सयविनोदनपटिसल्लानारामत्य) उपयुक्त होता है। परिष्कय (उपसर्ग) दो प्रकार के होते हैं—प्रगट परिष्कय और प्रतिच्छन्न परिष्कय। प्रगट परिष्कय सिंह, व्याघ्र आदि द्वारा कृत उपसर्ग है और प्रतिच्छन्न परिष्कय में राम, ब्रूष आदि भावों द्वारा उत्पन्न विघ्न आते हैं। उत्पत्तिजन्य या व्याधिजन्य (घातु प्रकोप से उत्पन्न होने वाले रोग) एवं वेदनाजन्य दुःखों से मुक्त होने के लिए ग्लान, प्रत्यय और शैषज्य सेवन से भिक्षु परिरक्षित होता है।

इस प्रकार चीवर, पिण्डपात आदि का उपयोग प्रज्ञापूर्वक निरासक्त भाव से किया जाना चाहिए। जिस प्रकार टिटहरी अपने अण्डे की, चमरी अपने पूंछ की, माता अपने एकलौते प्रिय पुत्र की और एक नेत्रबिहीन अपनी अकेली शेष एक आँख की मनोयोग पूर्वक रक्षा करती है उसी प्रकार शील की अलीभांति रक्षा करते हुए भिक्षु को सदैव कोमल, प्रेम और गौरववादा होना चाहिए—

किर्की व अरुडं चमरीव बालेधि, पिपं व पुर्ण नयनं व एककं ।

तथैव शीलं भवनुरक्लमानका सुपेतसा होथ सदा सगारवा ॥

प्रातिभोज-संवर-शील की प्रपूर्ति एवं संरक्षण की दृष्टि से अच्छा उसे बिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से शील का परिपालन किया जाना चाहिए। एतदर्थ इन्द्रियों का संयमन उसी प्रकार उपयोगी है, जिस प्रकार गोपुरों के कुसंबुल हो जाने से नगरवासी संरक्षित हो जाते हैं।

कुछ नियमों में विनयधर और सूत्रधर अथवा विनयपिटक और सूत्रपिटक के बीच मतभेद भी दिखाई देते हैं। उदाहरणतः प्रत्यय, निमित्त, अवभास अथवा परिकथा के माध्यम से प्राप्त शैषज्य आदि को ग्रहण करना विनयधरों की दृष्टि से अनुचित नहीं। परन्तु सूत्रान्तिक इसे स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार अपेक्षित सामग्री को इन माध्यमों से एकत्रित करने में आजीव की परिच्छुद्धि नहीं होती। उन्हें मृत्यु प्राप्त करना स्वीकार है परन्तु आजीव को निन्दित करने का कार्य स्वीकार्य नहीं—

बन्धी विष्मसि विष्कारा उप्पन्नं भुषुपासं ।

सथे सुत्तो भवेप्याहं साजीवो गरहितो मम ॥

बदिपि ये अन्तगुणं निक्खमित्वा बहि चरे ।

नेव निन्देप्यभाजीवं न च जमानोपि जीवितं ॥<sup>१</sup>

परिश्रम चार प्रकार का होता है—स्तेय, ब्रह्म, दायद और स्वामी परिश्रम। इनका परिश्रम करते समय भिक्षु को प्रत्यवेक्षण करना अपरिहार्य है। प्रत्यवेक्षण के साथ ही उसे चार बुद्धियों का भी ध्यान रखना चाहिए—वेद्याभ्युद्धि, पर्येष्टिबुद्धि, संवरबुद्धि और प्रत्यवेक्षणबुद्धि। इनके अतिरिक्त अपर्यन्तबुद्धि और प्रतिप्रशब्धिपारिबुद्धि का भी उल्लेख है। प्रतिप्रशब्धि-पारिबुद्धि की प्राप्ति के लिए पञ्चशीलों का अनुकरण, पञ्चनीवरणों से दूरीकरण चतुर्ध्यान की प्राप्ति आदि आवश्यक है। इस प्रकार के शील का परिपालन पश्चात्तापकारी नहीं होता। उससे तो वस्तुतः प्रमोद, प्रीति, प्रशब्धि, सौमनस्य, ध्यानाभ्यास, भावना, आधिक्य, अलंकार, परिष्कार, परिवार, परिपूर्ति, एकान्त निर्बेद, विराघ, निरोध, उपशमन, अभिज्ञा, ज्ञात और निर्वाण की प्राप्ति होती है।

जिस प्रकार जैनाचार में ब्रह्मों के अतिचार गिनाये जाते हैं, उसी प्रकार बौद्धाचार में ऐसे अतिचारों की गणना की गई है जिनसे व्रत क्षणित हो जाते हैं। इसे 'संकलेस' शब्द कहा गया है। लाभ, यश अथवा सप्तप्रकार के संयुक्त भोग से शील क्षणित हो जाता है। शील के क्षणन से भिक्षु को अश्रम, निन्दा, पश्चात्ताप, दुर्वर्ण, संताप, जन्म-मरण की परम्परा, नरक गमन आदि से उत्पन्न दुःखों को भोगना पड़ता है।

### ३. विघ्न-निवृत्ति

शील परिबुद्धि के बाद योगी का यह प्रयत्न हो कि लक्ष्यप्राप्ति में सधुपस्थित विघ्न ( पल्लिबोध ) उसे किसी भी प्रकार विचलित न कर सकें। पालि साहित्य में ऐसे दस प्रकार के विघ्नों का उल्लेख आया है—आवास, कुल, लाभ, गण, कम्म, अज्ञान, आति, आबाध, गल्प, और इद्धि।<sup>१</sup>

आवास—का तात्पर्य है गृह, परिवेण अथवा संचाराम। सांसारिक पदार्थों के इच्छुक योगी के लिए यह आवास एक विघ्न ही है। योगी के लिए एकान्तवास अपेक्षित है, जो इस प्रकार के आवास में सम्भव नहीं। ब्रह्मचर्य की पूर्ति भी यहाँ नहीं हो पाती। अतः योगी आवास को छोड़कर परिव्राजक बन जाता है। बुद्धवंस ( ३२-३४ ) में गृहावास के आठ दुष्गुण बताये गये हैं—निर्माण, पुनर्नवीनीकरण, आतिष्य, सुकुमारता, असुभकर्मग्रहणता, ममत्वबुद्धि, दुःखदायित्व और सामाजिकता। इन दोषों के कारण योगी केषादि मुझकर एकान्त में वृक्ष के नीचे रह कर ध्यान करता है। चातक अट्टकथा ( पृ. ६-१० ) में वृक्ष के नीचे रहने के दस गुण प्रस्तुत किये गये हैं—सुलभता, सहजता,

१. अवासो च कुलं लाभो गणो कम्मञ्च पञ्चमं ।

अज्ञानं आति आबाधो गन्धो इद्धीति ते दस ॥ विसुद्धिमग्न, पृ. ६१

निर्वाणता, अकुशल कर्मों की असंभाविता, धरणप्राप्ति, निर्धर्मत्व, असंरक्षण, संतोष एवं निःशङ्कत्व । योगी के लिए शान्त और निश्चिन्त अपेक्षित है जो निस्परिग्रही होने के कारण उसे यहाँ उपलब्ध हो जाता

कालान्तर में बिहारों का निर्माण होने लम्बे । बुद्ध ने विविध बिहार बनाने की अनुमति दी । यह शायद इसलिए कि एकएक यूहाबाब जाने वालों को कठिनाई न हो । बिहार-निर्माण से निर्वाण की प्राप्ति में एवं भिक्षुणियों को भिक्षुओं से शिक्षा लाभ होता है । इसके आवश्यक को ही प्राधान्य दिया गया है ।<sup>१</sup>

कुल—का तात्पर्य सम्बन्धियों से है । सम्बन्धियों के सुख-दुःख में सुख-दुःख बंधा रहता है । जब कभी उसे बुद्धोपदेश सुनने का भ्रम नहीं मिल पाता । इसके लिए बुद्ध ने रथविनीत ( मज्झिम. १-३-१ ( सुत्त. ३-११ ), तुषटक ( सुत्त. ४-१४ ) और महाबंबंध ( अंगु. ४-३ उपदेश दिया है । फलस्वरूप योगी का भ्रमत्व निःशेष हो जाता । प्रकार लाभ-सामाजिक संसर्ग भिक्षुत्व अवस्था में लक्ष्य-प्राप्ति के निबन्धा रहता है । गण से तात्पर्य है उन श्रमण भिक्षुओं से जो सुत्त आदि की शिक्षा-ग्रहण करने आये । उनको पढ़ाने में स्वभावतः बर लिए समय कम मिल सकेगा । बिहार आदि के सुधारने का काम, दीक्षा लिए की गई यात्रा, रोगग्रस्त होने वाले ज्ञातिजन, रोग, ग्रन्थ-स्वाध्याय आदिर्था श्रमण भावना की प्राप्ति में विघ्नकारी होती हैं । अतः योग यह आवश्यक है कि वह ये सभी परिबोध दूर करने का प्रयत्न करता

### ४. कल्याण मित्र की खोज

योगी परिबोधों से दूर रहकर कर्मस्थान को देने वाले कल्याण पर्यवेक्षण करता है । कल्याण मित्र वह है जो प्रिय, गौरवनीय, ब्रह्मा, बचन सहने वाला, गम्भीर उपदेश देने वाला और अनुचित का करने वाला हो ।

पियो गह भावनीयो वत्ता च वचनसुखमो ।<sup>१</sup>

गभीरञ्च कथं कत्ता नो च्छाने नियोचये ॥

अगवान् बुद्ध ने स्वयं अपने आपको कल्याण मित्र माना है ।<sup>२</sup> में कल्याण मित्र की प्राप्ति, चित्तविक्षुद्धि, निर्वाण-प्राप्ति में सहायक व

१. मिल्लिन्यपम्ह, ३-१२

२. अंगुत्तर, ४-३२; विष्णुत्ति पृ. ६१

असहिष्कार निवृत्ति, और अन्वहृष्टि—के छः साधन योगी के सिद्ध लक्षण-प्राप्ति में साधक बताये गये हैं ।<sup>१</sup> प्रथम साधन के प्राप्त होने पर सेव साधक इच्छतः उपलब्ध हो जाते हैं । एतन्वर्ष मोहमर्दि दूर करने के सिद्ध अनुष्ठान, श्रेयसा, आत्मव्यसक्ति और अनिच्छसंख्या की भावना करनी चाहिए । विष्णुलिख्य में कुछ को सर्वज्ञ कल्याण मित्र के रूप में स्वीकार किया गया है । इसके बाद क्रमशः अस्ती महाभावक, क्षीणभावप्राप्त व्यक्ति, जनानानी, सकलामारी, सोदात्मक, ज्ञान प्रसन्न पृथक्कर्म त्रिपिटकधारी, द्विपिटकधारी, एकपिटकधारी, स्वनिर्णयधारी अतिशर, और स्वर्गलक्ष्मी परम्परामालक आचार्य को सर्वज्ञ कल्याणमित्र प्राप्तमाना चाहिए । उस कल्याण मित्र के पास आकर कर्मस्थान ग्रहण करना चाहिए । उसके बाद उसे व्रत-प्रतिव्रत करना चाहिए ।<sup>२</sup>

चरित भेद—व्यक्ति के छः प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं—उपचरित, द्वेषचरित, मोहचरित, अज्ञाचरित, बुद्धिचरित और निरकर्णचरित । ये चरित प्रकार पूर्वकर्म पर आधारित रहते हैं । इसके साथ ही निम्नलिखित विधेयताओं के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को पहचाना जाता है<sup>३</sup>—

- (१) चलना, खड़े होना, बैठना और सोना जैसी क्रियायें ।
- (२) शारीरिक क्रियायें—स्वच्छ करना, झाड़ना मजबूत बल धारण करना ।
- (३) भोजन का चुनाव और भोजन करने की प्रक्रिया ।
- (४) दर्शन प्रकार—प्रशंसा, निन्दा आदि ।
- (५) मानसिक क्रियायें—श्लेष, ईर्ष्या, राग, भर्त्सनापदेशमवण ।

इन सभी चरित प्रकारों के विशिष्ट लक्षणों का भी उल्लेख मिलता है जिनसे वे पहचाने जा सकते हैं ।<sup>४</sup>

### (ग) कर्मस्थान का चुनाव

कर्मस्थान दो प्रकार के होते हैं—अभिप्रेत और परिहरणीय । निवृत्त के प्रति मैत्री और मरुत्सृष्टि आदि प्रथम वर्ग में आते हैं तथा वर्षनीय कार्य द्वितीय वर्ग में आते हैं । विष्णुलिख्य में इस सम्बन्ध में सुन्दर विवेचन प्राप्त होता है । वहाँ कर्मस्थान का विनिश्चय इस प्रकार से बताया गया है—इत्या, उपचार

१. अनुष्ठान, निष्काय, ४. ३५४-३५८

२. विष्णुलिख्य, पृ. ६६-६७

३. उपर्युक्त सूचनी, माणन्दिमसुख ।

इरियापनतो किष्ण्य भावना इत्यनार्थितो ।

प्रथमव्यवहितो मेव अरियामो निष्कायने । विष्णुलिख्य, पृ. ७१

४. विष्णुलिख्य पृ. ७१-७४

अर्पणा ध्यान ( समाधि ), ध्यान, समतिक्रमण, परिवर्धनपरिहीन, आलम्बन, बुद्धि, ब्रह्म, अत्यन्त एवं चर्चा ।

१. संख्या के निर्देश से वालीस कर्मस्थानों को सात भागों में विभाजित किया गया है—

(१) दस कसिण—पृथ्वी, अप, तेज, वायु, नील, पीत, लोहित, अवदात आलोक और परिच्छिन्नकण्ड ।

(२) दस अष्टुम—ऊर्ध्वनाटक, विनीलक, विपुष्पक, विच्छिन्नक, विक्लायितक, विक्षिप्तक, ह्रस-विक्षिप्तक, लोहितक, पुष्पक, एवं अस्थिक ।

(३) दस अनुस्मृतियाँ—बुद्ध, धर्म, शंभ, शील, त्याग, देवता भरण, कायगता, आनापान और उपहन ।

(४) चार ब्रह्मविहार—मैत्री, करुणा, बुद्धि और उपेक्षा ।

(५) चार आरुम्य—आकाश, विज्ञान, आकिञ्चन्य, और नैवसंज्ञानासंज्ञा ।

(६) एक संज्ञा—आहार में प्रतिकूलता, एवं

(७) एक व्यवस्थान—चारों घातुओं का व्यवस्थान ।

२. उपचार अर्पणा ध्यान ( समाधि )—कर्मस्थान के विषय दो प्रकार के हैं—उपचार समाधि से सम्बन्धित और उपचार तथा अर्पणा समाधि से सम्बन्धित । उक्त ४० विषयों में दस उपचार से सम्बन्धित हैं—कायगता और आनापान स्मृति को छोड़कर शेष आठ स्मृतियाँ तथा आहार में प्रतिकूलता की संज्ञा और चारों घातुओं का व्यवस्थान । शेष ३० कर्मस्थान अर्पणा से सम्बन्धित हैं ।

३. ध्यान—अनापान स्मृति के साथ दस कसिण, चार ध्यान वाले होते हैं । कायगता स्मृति के साथ दस अष्टुम विषय प्रथम ध्यान से सम्बन्धित हैं । प्रथम तीन ब्रह्मविहार (मैत्री, करुणा एवं बुद्धि) तृतीय ध्यान से सम्बन्धित हैं । चतुर्थ ब्रह्मविहार तथा चारों आरुम्य चतुर्थ ध्यान से सम्बन्धित हैं ।

४. समतिक्रमण—समतिक्रमण दो प्रकार का होता है—अङ्ग का समतिक्रमण और आलम्बन का समतिक्रमण । उनमें सन्नी तीसरे चौथे ध्यान वाले कर्मस्थानों में अङ्ग का समतिक्रमण होता है । चारों आरुम्यों में आलम्बन का समतिक्रमण होता है ।

५. परिवर्धन-परिहीन—में दस कसिणों का परिवर्धन करना चाहिए और कायगता स्मृति तथा अष्टुम को नहीं बढ़ाना चाहिए । दस कसिण, दस अष्टुम, अनापान स्मृति, कायगता स्मृति ये बाईस प्रतिभाग निमित्त वाले आलम्बन हैं । इसी प्रकार अन्य निर्देशों के विषय में विवेचन मिलता है ।<sup>१</sup>

उक्त प्रकार के शील का परिपालन करने वाले शौरी के लिए यह आवश्यक है कि वह अल्पेन्द्रा, सन्तोष, संकेत, प्रविवेक, अल्पेन्द्रा, उद्योग, सुन्दरता आदि गुणों से मण्डित हो। शील की परिशुद्धि के लिए उसे लोकाधिक ( काम-सत्कार आदि ) का परित्याग, शरीर और जीवन के प्रति निर्ममत्व तथा विप्रेक्षणा आदिना की प्राप्ति भी अपेक्षित है। इसकी प्रप्ति के लिए बौद्धधर्म में तेरह कुशलों का पालन करना उपयोगी बताया गया है।<sup>१</sup>

१. पांसुकुलिकाङ्ग—वसनात्मिक, पार्थिविक, रक्ष्यबोध, संकारबोध स्वस्तिबन्ध, स्थानबन्ध, लौकिकबन्ध, यत्प्रत्यागमनं, आग्निदग्ध, पौमंक्षितं, शौमकभक्षित भवजाहृतं तथा स्तूपगतं च शौं को लेकर उन्हें पञ्चोक्ति फोड़कर अपना शीघ्र बनानी चाहिए। यह शीघ्र तीन प्रकार का होता है—उत्कृष्ट, मध्यम और मृदु। पांसुकुलिक शीघ्र धारण करने से स्वतन्त्रता, निर्भयता, दुष्प्राभाय, अल्पेन्द्रा, सन्तोष आदि गुणों की उपलब्धि होती है। काम की दग्ध करने के लिये उसे कथ्य माना गया है।<sup>२</sup>

२. चोवरिकाङ्ग—संभाटी, उत्तरासन और अन्तरवासक, ये शीघ्र के तीन अङ्ग हैं। इन्हें धारण करना चाहिए। इससे लोभादि दोषों का विनाश होता है।

३. पिण्डपातिकाङ्ग—भिक्षाभूति के माध्यम से उदर-पूर्ति करना। इसके भी कुछ नियम हैं। बौद्ध भिक्षु के लिए उद्देश्य भोजन, निमग्नं, शलाका भोजन, पाक्षिक भोजन, उषोसच भोजन, प्रसिंदा भोजन, आगन्तुक भोजन, पमिक भोजन, स्थान भोजन, स्थान सेवक भोजन, विहार भोजन, गृह भोजन, एवं क्रमिक भोजन के विरक्त रहना चाहिए। इससे प्रमाद, दुष्प्रा, अनुवृत्ति, मान आदि दोषों का नाश होता है।

४. सापदानचारिकाङ्ग—बिना अन्तर दिये प्रत्येक घर से भिक्षाग्रहण करना तथा विभाषि पर विचार न करना। इससे सगान अनुकम्पा, कुटुम्ब के उत्पन्न दोषों का नशान, सन्तोष आदि गुणों की प्राप्ति होती है।

५. एकासनिकाङ्ग—पचासो एक आसन पर बैठकर भोजन करना। इससे निरोग, स्मृति, बल, रसास्वादन की दुष्प्रा का नशान आदि गुण उत्पन्न होते हैं।

१. विदुडिबन्ध, कुशलनिर्दिष्ट

२. शीघ्रविधाताय पंसुकुलिको शीघ्र ।

उत्कृष्ट कथ्यो मुक्तं शीघ्रविधिना शीघ्रि ॥ विदुडिबन्धः सू. ७७



६. पात्रविण्डिकांग—दूसरे प्राईस को छोड़कर एक ही पात्र में किन्ने गये जीवन को ग्रहण करना ।

७. बहुरूपकामिकांग—वैतिरिक्त जीवन को त्याग करना । इसके अधिक जाने की वृत्ति दूर हो जाती है ।

८. आरम्यकांग—जीव के उपनासन को त्यागकर आरम्यवास करना । आरम्य का आरम्भ कहीं से जानना चाहिए, इस विषय में अनेक मत हैं । साधारणतः जीव के बाहर आरम्य का आरम्भ मानते हैं । एकान्तचिन्तन में जीव, संसर्ग रहित निष्कृ पित्त को ब्रह्म में करने के योग्य हो जाता है ।

९. बुद्धशुद्धिकांग—सदल अथवा प्रासाद को छोड़कर बुद्ध के नीचे आवास ग्रहण करना । अनित्यता का चिन्तन एवं तृप्या का उच्छेद इसका फल है ।

१०. अन्वयकाशिकांग—छाये हुए बुद्ध को त्यागकर उन्मुक्त आकाश में रहना । कर्षा आदि का काल इस व्रत का अयवादा है । आवास की बाधाओं का उच्छेद तथा मानसिक और शारीरिक आलस्य से विनिमुक्ति इस व्रत के फल हैं ।

११. समझानिकांग—समझान में वास करना । मरण का ध्यान बना रहना, अप्रमाद के साथ विहार करना, अशुभ निमित्त का लान, कामराग का दूरीकरण, शरीर-स्वभाव का चिन्तन, संवेग का आधिक्य, जातीयता आदि मर्दों का त्याग, भय और भयानकता की सहनशीलता, मनुष्यवर्गों के धीरवनीय होना, अल्पेन्द्र वृत्ति आदि गुणों का विकास होता है ।

१२. अयसंस्कारिकांग—अवनासन का त्यागकर जो उपलब्ध हो उसमें लक्ष्मण होना । हीन-उत्तम, अनुरोध-विरोध आदि भावों से निरपेक्ष हो जाना इस व्रत का उपयोग है ।

१३. नैषद्यकांग—अवनासन को त्यागकर बैठने के आसन की स्वीकार करना । अम्यासुक्त, निद्रासुक्त, आदि सुखों से असक्ति का अभाव होना इसका फल है ।

पुताङ्ग का तात्पर्य है—क्लेशावरण को दूर करने की ओर के जाने वाला मार्ग ( क्लेशसञ्चनता वा धृत ) । राग और मोह परित्त वालों के राग, मोह आदि को दूर करने की दृष्टि से इनका उपयोग निविष्ट है । इन तेरह पुताङ्गों का समावेश चार आर्यवंध में हो जाता है—जीवर से सम्पन्न, पिण्डमात से सम्पन्न, अवनासन सन्तोष, और नाशक, प्रकृत । दीर्घनिकांग, संशुद्धाधिकार एवं विनिमुक्ति में इसका विशेष अर्थ उल्लेख होता है ।

## (४) बोधिप्राप्तिक मार्गः

समस्तव्यक्त व्यक्तिके लिए विषयज्ञान-आदि की इन्द्रिय से कुछ विशेष मार्गगतियों का अनुग्रह करना चाहिए। इन्हीं विविध मार्गगतियों को बोधिप्राप्तिक मार्ग कहा जाता है। इनकी संख्या सैंतीस है। महासमुत्पत्तिसुत्र ( अष्टास. ७७ ) में उन्हें योगी के अस्मात्-योग्य विषयों में विभाया गया है और महासमुत्त ( संतुलनिकाय ) में पृथक् रूप से उनकी गणना की गई है। 'बोधिप्राप्तिक धम्म' शब्द इस अर्थ में विपिठक में नहीं मिलता। विमंग ( पृ. २४४ ) में 'बोधिप्राप्तियानं भावमानुपुत्ती विहरति' के रूप में इस शब्द का प्रयोग व्यवहृत हुआ है परन्तु वह सात बोध्यों के लिए जाया है। वस्तुतः समुत्ता बीजपर्यं सैंतीस बोधिप्राप्तिक भावना के संस्तरगत भा जाता है। उपकारक होने के कारण उनको बोधिप्राप्तिक कहा जाता है—पहले जवत्ता ति उपकार भावे तितता। बोधिप्राप्तिक धर्म इस प्रकार है—

१. चार स्मृति प्रस्थान—( सतिपट्टण )—काय, वेदना, चित्त और धर्मों में अणुन, दुःख, अनित्य और अनात्म रूप तत्त्वों पर चिन्तन करना।

२ चार सम्यक् प्रधान—( सम्मापधान )—बौद्ध प्रयत्न होने के कारण सम्यक् प्रधान कहा जाता है। यह प्रयत्न चार प्रकार का है—उत्पन्न और अनुत्पन्न अकुशलों को दूर करना, तथा उत्पन्न न होने देने के इत्थ और अनुत्पन्न एवं उत्पन्न कुशलों को उत्पन्न करने और बनाये रखने के इत्थ को सिद्ध करना। इन्हें 'समाधिपारिष्कार' भी कहा गया है। योगी को राज, द्वेष आदि से दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए।

३. चार ऋद्धिपाद—( इद्धिपाद )—ऋद्धि प्राप्त होने के आचारद्वय कारण होने से इन्हें ऋद्धिपाद कहा गया है। वे चार हैं—इन्द्र, वीर्य, चित्त और भीमासा। इनको प्रधान रूप से मानकर चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

४. पांच इन्द्रिया—अज्ञा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा।

५. पांच बल—अज्ञा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा।

६. सात बोध्यंग—( सप्त बोध्यङ्ग )—स्मृति, सर्वविकल्प, वीर्य, प्रीति, प्रवृत्ति, समाधि और ज्ञेया।

७. आर्याष्टांगिक मार्ग—( आर्यो अष्टाङ्गिको मार्गो )—सम्मासिद्धि, सम्मा संकल्प, सम्मा ज्ञाना, सम्मा कम्मण, सम्मा आशीव, सम्मत्त धायान, सम्मा सति और सम्मत्त समाधि।

सम्प्राप्त्यर्थीय प्राप्ति करने के लिए, इन बोधिपात्रिक धर्मों का अनुसरण आवश्यक है। अभिधम्माय संपह में अन्य प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है—स्मृति, धीर्न, स्रग्, त्रिख, प्रज्ञा, स्रग्, सम्प्राप्ति, प्रीति, प्रकम्पि, उदेजा, संकम्प, सम्पत्, धार्मी, सम्पत्, कर्मात्, और सम्पत् अजीविका से स्रग्ह प्रकार हैं। भाग दो से सात प्रकार के हैं—स्मृति प्रदान, सम्पत् प्रदान, स्रग्प्राप्त, स्रग्प्राप्त, बोधोत्थ, बोधोत्थ और स्रग्। प्रमेय से बोधिपात्रिकधर्म सैतीस प्रकार के हैं।

### (च) सम्प्राप्ति का समय और भासन

सम्प्राप्ति का सर्वोत्तम समय ब्रह्मसुहृत् याना गया है। उसके बाद योगी को श्रोत्रहर तथा सार्यकाल का समय भी सम्प्राप्ति के लिए देना चाहिए। चित्त को एकाग्र करने की दृष्टि से ये समय अधिक उपयोगी हैं। इसके लिए योगी बुद्धासन अथवा वष्पासन का उपयोग करे। वीथनिकाद ( भाग १, पृ. ७१ ) में कहा है—पल्लकं आमुभित्वा उजुं कायं पश्चिमाय परिपुञ्जं सति उपट्टमेत्वा। पल्लकं को हम पद्मासन कह सकते हैं। अट्टकथा में उसकी व्याख्या पर्यङ्कासन के रूप में की गई है।

### (छ) कसिण भावना

कसिण का अर्थ है—कृत्स्न अर्थात् समस्त। सम्प्राप्ति के सन्दर्भ में उसका उपयोग विशेषण और संज्ञा के रूप में हुआ है। उदाहरणार्थ—असिणायतन, पृथ्वीकसिण आदि। पृथ्वी, बल, अग्नि आदि के लिए भी प्रतीकत्वाक रूप में उसका प्रयोग किया गया है। अट्टकथाओं में 'सकम्पट्टेण कसिणं' कहा है जिसका अर्थ है कि प्रतीक पूर्ण प्रतिनिधित्व करने लगा है। इसका अर्थ मण्डल, निमित्त और ध्यान भी है।

कसिण शब्द आयतन के साथ आया है। सुसिद्धिणं अर्थात् आयतन का अर्थ है ( क्षेत्र ) जिसका सम्बन्ध चित्त और विचारों से है। इसका उपयोग कारण, आवरण आदि के अर्थ में भी हुआ है। उनकी संख्या दस है। सम्प्राप्त्यर्थी ( २०२ ) के अनुसार रूप ध्यान में आठ कसिण स्थापन हैं, अन्तिम आकाश और विज्ञानायतन नहीं। विबुद्धिमग्ग ने इन दस कसिणों के स्थान में आलोक और परिच्छिन्नाकाश शब्द आये हैं। मण्डल वृत्ताकार को कहते हैं।

आरम्भण का अर्थ है—आरम्भण अथवा निमित्त। अभिधम्मायसंपह में निमित्त को तीन भागों में विभाजित किया गया है—परिक्रम, उपाह्व और प्रतिज्ञाव। कम्महात के निमित्त को परिक्रम्य निमित्त कहा गया है। उपाह्व निमित्त को चित्त में बसु का अधिष्ठान कहना सत्य है। यहाँ कसिण बोध— ( नीला, पीला, लाल, श्वेत ) विद्यमान रहते हैं। पटिग्गह निमित्त में चार-आठ

निमित्त ग्रहण कर ध्यान कठो से जीवस्व दूर हो जाते हैं और उनकार समाधि से चित्त एकाग्र हो जाता है। वह परिपुष्ट निमित्त की प्राप्ति पटिग्राम निमित्त नहीं जाती है। विदुष्टिमन्त्र के अनुसार बसकीर्ण कर्ण स्वर्णों- (समाधि के विषयों) में से नतीस विषय पटिग्राम निमित्त बन जाते हैं—सप्त कश्चिन्, सप्त क्षुब्ध, आनापावसति और कायगता सति। अटुकम्पारों में प्रथम चार कश्चिन् को सूतकश्चिन्, और उसके बाद के चार को मन्त्रकश्चिन् कहा है। अङ्गुत्तरनिष्ठाव में सप्त कश्चिन् क्षयग्राम, विषयग्राम, अग्निग्राम एवं निर्दोष की उत्पत्ति करने वाले कहे गये हैं।

विदुष्टिमन्त्र में कश्चिन् श्रावणा की कुम्हार श्रावणा की गई है। उसके आधार पर वह विवेचन प्रस्तुत है—

पृथ्वी—(पठवि) कश्चिन्—साधक कर्षस्वान को बनाकर आचार्य की अनुमति पूर्वक योग्य बिहार में वास करे। योग्य बिहार वे हैं जो योग्य से न बहुत दूर हों और न पास हों, क्षयनासन प्रादि उपलब्ध हों, मच्छङ्ग प्रादि की बाधाएँ न हों। अठारह दोषों से युक्त बिहार अयोग्य होते हैं—महाबिहार, महाबिहार, पुराना बिहार, मार्गवर्ती, प्याऊ के पास बाका, पत्ती, पुष्प, फल्युक्त, पूजनीय स्थान, नगरवाला, दाकावाला, बेलों से बिटा, अनधिक व्यक्तियों वाला, बन्दरगाह और स्टेसन, निर्जन प्रदेश, राज्यसीमा, अननुकूल स्थान और कल्याणमिथ का अभाव।

अनुकूल बिहार पाने के बाद योगी केश और नख काटे, भोजन के बाद भोजन से उत्पन्न परिष्वम को दूरकर एकान्त स्थान में आराम के साथ बैठ गोक बनाये हुए या नहीं बनाये हुए पृथ्वी के निमित्त को ग्रहण करे। अक्षय रंग की मिट्टी से कश्चिन् को निमित्त करे। आकार में वह गोल हो। उसे झूँटों को गाड़कर लताओं से बाँधकर स्थापित करे। उससे हाई हाथ की दूरी पर स्थित चौकी पर स्वयं बैठे और चिन्तन करे। चिन्तन करते समय वह पृथ्वी प्रादि छद्मों का उच्चारण करे। प्रतिभाव निमित्त तक पशुच कर योगी उपचार समाधि से चित्त एकाग्र करे। इसके लिए वह आवास, पोषण, वार्ताकाय, व्यक्ति, भोजन, शब्द एवं ईर्ष्यापत्र इन सात क्रियरीत बातों का त्याग करे। अङ्गुत्तर अर्पणा समाधि (अपक्षणीय समाधि) को वह प्राप्त करेगा। कदाचित् वह प्राप्त न हो तो साधक अर्पणा की कुसलता को इस प्रकार से प्राप्त करे—

(१) वस्तुओं को स्वच्छ करना, (२) पञ्चेन्द्रियोंको एक समाधि करना, (३) निमित्त की कुशलता, (४) चित्त को वषासमय कष्ट में करना, (५) चित्त को वषासमय बदामा, (६) चित्त को वषासमय हर्षित करना, (७) वषासमय

अज्ञान करना, (८) सर्वक चित्तवान् व्यक्ति का त्याग करना, (९) एकाग्रचित्त वाले व्यक्ति की संगति करना, और (१०) समाधि में चित्त लगावे रखना ।

वीर्य—सम्बोधयंग की उत्पत्ति निम्न प्रकार से होती है—अपाय भावि के अथ का सम्बन्ध विचार करना, लौकिक एवं लोकोत्तर विविष्ट गुणों को प्राप्त करना, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मार्ग को देखना, विद्या का उत्कार करना, छास्ता के महत्व पर विचार करना, उत्तराधिकार के महत्व को समझना, प्रमाद दूर करना, बालसी व्यक्ति का मनन, योगाभ्यासी की संगति करना, सम्बन्ध प्रदान को भली प्रकार देखना, वीर्य में चित्तसंगति करना ।

प्रीति सम्बोधयंग प्राप्ति का मार्ग—बुद्ध, चर्म, संघ, शील, त्याग, देवता और उपयुक्त अनुस्मृतियों का पालन, निर्दयी व्यक्ति का त्यज्ज, दिग्गन्ध व्यक्ति का साहचर्य, हर्षोत्पादक वृत्तों का भ्रवण, और प्रीति में चित्त का विष्फलयन । इन भावनाओं से चित्त एकाग्र कर लिया जाता है ।

प्रश्नविधि सम्बोधयंग की उत्पत्ति के मूल कारण हैं—उत्तम भोजनग्रहण, ऋतु-सुख-सेवन, ईर्ष्यापक्षसुखसेवन, नियोग, परितप्त चित्तवान् व्यक्ति का त्याग, शान्तकाय व्यक्ति का साहचर्य, प्रश्नविधि ( शान्ति ) में चित्त की अनुरक्ति । समाधि बोधयंग की उत्पत्ति ग्यारह कारणों से होती है—वस्तु की पवित्रता, निमित्त की कुशलता, इन्द्रियों का क्लीकरण, चित्त को अथासमय बन्ध में करना, उसे पकड़ना, उसे श्रद्धा, संवेग युक्त करना, उपेक्षा करना, विविध चित्तवान् का त्याग, एकाग्र चित्तवान् का साहचर्य, ध्यान और विमोक्ष का दर्शन तथा समाधि में चित्त को एकाग्र किये रखना । उपेक्षा सम्बोधयंग की प्राप्ति के मूल कारण ये हैं—समस्त प्राणियों के प्रति तटस्थ भाव रखना, समत्ववान् व्यक्ति का त्याग, तटस्थ चित्तवान् व्यक्ति का साहचर्य, और उपेक्षा में चित्त को झुकाना ।

माठ कारण ऐसे हैं जिनसे संवेग उत्पन्न होता है—क्रोध, जरा, रोग, मृत्यु, अपाय दुःख, भूतकालीन जन्म-मरण दुःख, भविष्यकालीन जन्म-मरण दुःख, एवं वर्तमान में आहार अन्वेषणज दुःख ।

इन विधियों की ओर मनको केन्द्रित कर, भवाङ्गचित्त को काटकर, पृथ्वी कसिप का आलम्बन करे । इसमें रूप और अरूप में भवाङ्ग का परिमाण नहीं है । इसके बाद एक चित्तक्षणवाली अर्पणा, भवाङ्गपात, आन्वीन और ध्यान का प्रत्यवेक्षण किया जाता है । तदनन्तर साधक क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पञ्चम ध्यान प्राप्त करता है ।

इसके उपरान्त साधक अथ, वैश्व, वायु, नील, पीत, लोहित, अश्वत्थ, आलोक, परिच्छिन्नाकाश, और प्रकीर्णक कर्मस्थानों का आचार केकर की ध्यान करता है ।

## बौद्धधर्म में ध्यान का स्वरूप

बौद्धधर्म के समान बौद्धधर्म में भी ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। साधना ध्यान से बिल्कुल होकर नहीं की जा सकती। बौद्ध साधना में ध्यान के साथ ही समाधि विद्युत्ति, समथ, भावना, विबुद्धि, विपस्सना, अविचिन्त, शीघ्र, कम्मट्टान, पचान, निमित्त, आरम्भण आदि शब्दों का भी उपयोग और विशेषण किया गया है। इनमें ध्यान और समाधि प्रधान पारिभाषिक शब्द माने गये हैं। बस्तुतः ध्यान का क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत है कि उसमें समाधि का विषय भी अन्तर्भूत हो जाता है।

ध्यान का अर्थ—ध्यान (पालि-ज्ञान) का अर्थ है—चिन्तन करण। बुद्धघोष ने इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है—ज्ञायति उपनिज्जायतीति ज्ञानं अथवा हमिना योगिनो ज्ञायन्तीति ज्ञानं अर्थात् किसी विषय पर चिन्तन करना। इसका दूसरा अर्थ भी किया गया है—पञ्चनीकवम्मे ज्ञायतीति ज्ञानं अथवा “पञ्चनीकवम्मे दहति, गोचरं वा चिन्तेतीति अत्वे।” यहाँ ध्यान का अर्थ अकुशल कर्मों का दहन करना (ज्ञापन करना) भी किया गया है।<sup>१</sup>

समाधि (सम् + आ + धा) शब्द का प्रयोग चित्त की एकाग्रता (चित्तस्व एकगता) के सन्दर्भ में किया गया है।<sup>२</sup> बुद्धघोष ने इस परिभाषा में कुशल शब्द और जोड़ दिया है—कुशलचित्तैकगता। यहाँ “सम्मा समाधीति अथा समाधि, कुशलसमाधि”<sup>३</sup> कहकर बुद्धघोष ने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि समाधि का सम्बन्ध शुभ भावों को एकाग्र करने से है।

ध्यान और समाधि की उक्त व्याख्या से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जहाँ समाधि मात्र कुशल (शुभ) कर्मों से ही सम्बन्ध है वहाँ ध्यान कुशल और अकुशल (शुभ और अशुभ) दोनों प्रकार के भावों को ग्रहण करता है। अतः समाधि की अपेक्षा ध्यान का क्षेत्र बड़ा है।

ध्यान के भेद और उनकी व्याख्या—बौद्धधर्म में ध्यान के मूलतः दो भेद किये गये हैं—आरम्भण उपनिज्ज्ञान (आलम्बन पर चिन्तन करने वाला) और लक्खण उपनिज्ज्ञान (लक्ष्णों पर चिन्तन करने वाला)<sup>४</sup> आरम्भण उपनिज्ज्ञान आठ प्रकार का है—चार रूपावचर और चार अरूपावचर।

१. समन्तपासादिका, पृ. १४५-६

२. धम्मसंगधि, पृ. १०

३. विबुद्धिमग्ग,

४. धीरविक्रम, ३. पृ. २७३; मज्झिम, १, पृ. ४६७; संयुत, पृ. ३६० इत्यादि।

इन्हें समाधि भी कहा जाता है। उपर्युक्त समाधि की शारंगिक धूमिका है और शेष उसकी विकसित अवस्थाएँ हैं।

सम्राज्य उपनिष्ठाण के तीन भेद हैं—विपस्सना, भग्ग और फल। विपस्सना में प्रज्ञा, ज्ञान और दर्शन होता है। साधारणतः विपिटक में विपस्सना का प्रयोग समर्थ के साथ मिलता है—समथो च विपस्सना।<sup>१</sup> इसमें विषय-वस्तु के लक्षणों पर विचार किया जाता है, मार्ग में उसका कार्य पूर्ण होता है और उसकी विष्पत्ति फल में होती है। इसी को लोकोत्तर ध्यान कहते हैं जो निर्वाण का विशिष्ट रूप माना गया है। विपस्सना में सात प्रकार की विभुद्धि पायी जाती है—शीलविभुद्धि, चित्त विभुद्धि, दृष्टि विभुद्धि, कारुणावतरण विभुद्धि, मार्गमार्ग ज्ञान दर्शन विभुद्धि, पतिपद्याज्ञान दर्शन विभुद्धि तथा ज्ञान दर्शन विभुद्धि।<sup>२</sup>

ध्यान का भेद-भेदाङ्ग विचार का विषय रहा है। सुत पिटक में ध्यान के चार भेद मिलते हैं, जबकि अभिषम्म पिटक में उसे पाँच भागों में विभाजित किया गया है। कपालम्बन पर चित्त की ये विभिन्न अवस्थाएँ हैं जिन्हें वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और समाधि कहा गया है।

वितर्क का अर्थ है—तर्क-वितर्क करना, चित्त का अनिनिरोपण करना तथा अस्मृत् संकल्प करना। आरम्मण में चित्त का आरोपण करना इसका मुख्य विषय है। ध्यान में इसका उसी प्रकार का उपयोग है जिस प्रकार नृपति के पास पहुँचने के लिए उसके किसी निकट सम्बन्धी का उपयोग होता है।<sup>३</sup>

आलम्बन के विषय में विचार करना विचार है। चित्त बार-बार विचार करता हुआ विषय के पास अनुमन्त्रण करता रहता है और वितर्क के द्वारा आलम्ब सम्प्रयुक्त वस्तुओं को आलम्बन के समीप रखकर उसी के पास धूमता रहता है।<sup>४</sup> अर्थात् आलम्बन में चित्त का संयुक्त हो जाना वितर्क है और उसका वहीं बना रहना विचार है। वितर्क का जन्म विचार के पूर्व होता है और वह विचार की अपेक्षा स्थूल भी है। विचार का स्वभाव भ्रमण करना है, सूक्ष्म होने के कारण। उदाहरणार्थ-पत्नी का आकाश में उड़ना वितर्क है तथा आकाश में पंख फँका देना विचार है।

१. सद्धम्मपकासिनी, पृ. १२६

२. अभिषम्मत्थ संग्रह, कम्मट्टान संग्रह।

३. धम्मसंगणि, पृ. १८, अट्टसाळिनी, पृ. २४

४. अट्टसाळिनी, पृ. २४

‘ प्रीति का अर्थ अनुत्पन्न होता है ।’ प्रीति होने पर चित्त विकल्पित कर्मक की तरह प्रकृत हो जाता है ; वह प्रीति पूर्ण प्रकार की है—सुखीय प्रीति, शक्तिय प्रीति, भावजनितका प्रीति, उच्चैय प्रीति, और स्फुरण प्रीति ।<sup>२</sup>

सुख ही एक मानसिक आनन्द की अनुभूति का नाम है । उच्चैय कभी प्रकार की मानसिक और धारीरिक शक्तयें दूर हो जाती हैं । इस चित्त की उपलब्धि से सद्युत्पन्न वृत्ति से प्रीति होती है और उस प्रीति से उत्पन्न सुख होता है ।

कुशल चित्त की एकाग्रता समाधि है । इसे एकाग्रता, समाधि अथवा उभेता भी कहा जाता है । यहाँ कुशल चित्त का सम्बन्ध समावन्तर, अक्षयान्तर एवं छोकुत्तर चित्तों से ही है । कुशल चित्त के आत्ममग्न की कम्मद्वान् भी कहा गया है । कम्मद्वानों ( कर्त्तव्यानी ) की संख्या बीडमर्र में बालीय कही गयी है—दस कक्षिण ( इत्थण ), दस अशुभ, दस अनुत्पत्ति, चार महाविहार, एक संज्ञा, एक व्यवस्थान तथा चार आरुम्य हैं । इनकी प्राप्ति में बावक तत्त्व हैं पाँच—कामच्छन्द, व्यापाद, धीमिड, उच्चच्च, कुम्कुच्च एवं विचिकच्छा ।<sup>३</sup> इनका उपशम क्रमशः समाधि, प्रीति, चित्तर्, सुख और विचार से होता है ।<sup>४</sup>

नीवरणों के उपशमन और ध्यान की प्रवृत्ति में साधक चित्त को एक निश्चित आरम्भ में केन्द्रित करता है । उस विषय को परिकम्म निमित्त कहा गया है और उस अभ्यास को परिकम्म समाधि कहा जाता है । अभ्यास के बल पर परिकम्म निमित्त के बिना भी मात्र अन्तर्मान में प्रतिस्थापित उसकी प्रतिकृति पर चित्त एकाग्र किया जाता है । इस अवस्था को उग्गह निमित्त कहा गया है । निमित्त का अनुचिन्तन—अनुमनन करने पर नीवरणों और क्लेशों का उपशमन होने लगता है तथा उपचार समाधि से चित्त एकाग्र होने लगता है । तब प्रतिभाग निमित्त उत्पन्न होता है । उग्गह निमित्त और प्रतिभाग निमित्त

१. धम्मसंगणि, पृ. २२

२. अट्टसालिनी, पृ. ६५

३. अभिधम्मत्थ संगह, नवनीत टीका

४. नीवरणानि हि क्षान्णपञ्चनीकानि तेसं क्षान्णं नेप पटिपल्लवानि । विद्वंसकानि विधातकानी ति कुत्तं होति । तस्मिंह समाधि कम्मच्छन्दसस पक्खिणको, प्रीति व्यापकस, चित्तको कम्मिद्वानस कुत्तं उच्चच्चकुम्कुच्चस विचारो विचिकच्छासं कि केशो कुत्तं, विमुत्तिवण, पृ. ६५



में उपचार संभू है कि ऊपर विहित में कसिम का बोध बना रहता है जबकि अतिमायनिमित्त दर्पण के समान सुपरिमुक्त होता है ।

बीडधर्म में समाधि के दो भेद हैं—उपचार समाधि और अर्पणा समाधि । हमें चित्त को एकाग्र करने के दो साधन भी माने जा सकते हैं । उपचार में नीबरणों का प्रहाण ही जाता है और अर्पणा में ध्यान प्राप्ति ही जाती है । उपचार ध्यान में चित्त कभी निमित्त का आलम्बन करता है और कभी अर्पण में उतर जाता है परन्तु अर्पणा ( ध्यान ) में यह स्थिति दूर हो जाती है । कसकी प्राप्ति होने पर चित्त की एकाग्रता में स्थिरता आ जाती है । इसके लिए साधक को आवास, मोचर, संलाप ( भस्त्रं ), व्यक्ति, भोजन, शयु और ईर्ष्यापण इन सात विपरीत बातों का त्याग करना चाहिए ।

आवासो मोचरो भस्त्रं पुण्यलो भोजनं उदु ।

इरिवासवो ति सरोते असप्याये विवञ्चये ॥<sup>१</sup>

अर्पणा ( ध्यान ) का संस्कार करने वाला परिकर्म ( परिकरोति अप्यनं भगिसंखरोति ति परिकम्मनं ) होता है । परिकर्म हो जाने पर हमारा चित्त ध्यान की ओर प्रवृत्त हो जाता है । अर्पणा के बाद उपचार, अनुलोम और मोचयु होता है । इसके बाद चित्त एकाग्र हो जाता है ।

## १. रूपावचर ध्यान

प्रथम ध्यान—चित्त जब रूप का ध्यान करता है, तब उसे रूपावचर चित्त कहा जाता है । इस अवस्था में ध्यान के साधक तत्त्व नीबरणों का प्रहाण ही करता है और विचार, प्रीति, सुख और उमेसा ये ध्यान के पार्श्वों अंग चित्त को अपने आलम्बन पर स्थिर बनाये रखते हैं । इसी को द्वितीय ध्यान कहा जाता है ( विविञ्चये कामेहि विविञ्च अणुश्लेहि वस्मेहि सचित्तकं सविचारं विवेकं पीतिपुखं पठमं ज्ञानं उपसंपज्जं विहरति )<sup>२</sup> । नीबरणों और अनुसक्त धर्मों से दूर चित्त विचार के माध्यम से रूपालम्बन पर अपने को स्थिर किये रहता है । विचार से वह अनुसंवरण करता है । प्रीति से सुख और सुख से हर्षात्मिक पैदा करता है । इन सभी के माध्यम से वह अपने को चञ्चलता से दूर किये रहता है । यहीं यह चित्त कायप्रबन्धि और चित्त बन्धि को पूर्ण करता है तथा क्षणिक समाधि, उपचार समाधि और अर्पणा

१. विपुट्टिमन्थ, पृथ्वीकसिम निर्देश

२. विपुट्टिमन्थ, पृथ्वीकसिम निर्देश; विवञ्च विचार पीतिपुखेकज्जता सहितं पठमज्जानिं पुण्यसिचिं, अतिवञ्चमन्थसंज्ञो, पृ. १५

को व्यक्त करता है। सामक ध्यान की इस प्रकृत अवस्था में पाँच के सभी का सम्बन्ध करता है—आचरण, शब्द, कविज्ञान, अनुमान और व। सामक इन पाँचों अर्थों से चित्त को ध्यान के पूर्वांक पाँचों अर्थों पर समाने रखने की शक्ति एकत्रित कर देता है।

तीस्र अध्याय—प्रथम कर्मावधार ध्यान की प्राप्ति के बाद साधक पर संशय से मुक्त होकर ध्यानांगों का प्रत्यक्षेण करता है। उक्त विचार स्पष्ट ज्ञान पकने लगते हैं और प्रीति, तुल्य और एकाग्रता भी प्रतीत होती हैं। इस अवस्था में पृथ्वी कतिन गर अनुचिन्तन के शक्ति को काटकर मनोद्वारावर्जन उत्पन्न हो जाता है। उन्नी पृथ्वीकतिन-पाँच जवन उत्पन्न होते हैं। केवल अन्तितन प्रकृत कर्मावधार का है। कर्मावधार के होते हैं। ध्यान की इस द्वितीय अवस्था में कितने चारों का उपसम हो जाता है। इसी को चित्तक और विचारों के उपसम आन्तरिक, प्रसाद, चित्त की एकाग्रता से मुक्त समाधि से उत्पन्न ल वाला द्वितीय ध्यान कहा जाता है। इसके प्रमुख तीन अंग प्रीति, तुल्य और एकाग्रता। इस ध्यान को सम्पसादन अर्थात् अज्ञ और एक तथा एकोविभाव कहा गया है—चित्तकविचारानं यूपसमा अज्ञानं । केतसो एकोविभावं अचित्तकं अविचारं समाधिर्वा पीतिसुखं दुर्तिकं पसम्पन्नं विहारति।<sup>१</sup> चित्तक और विचार का समाधि हो जाने से होने वाला सम्पसादन और एकोविभावं इस ध्यान की विशेषता है।

चौथ अध्याय—साधक की ध्यान अवस्था जब विदुद्धतर हो जाती से द्वितीय ध्यान भी दोषरहित प्रतीत होने लगता है। चित्तक विचार दो ध्यानों में शान्त हो जाते हैं। और प्रीति पूर्ण रूप से उत्पन्न होता है। उसे भी छोड़ दिया जाता है। प्रीति यहाँ स्पष्ट होती है और शान्ता सुख होती है। प्रीति रूप स्पष्ट अंग के प्रहाण के लिए मोक्ष सिद्ध का पुनः पुनः चिन्तन करता है और उन्नी आत्मज्ञान में चार का लन दीड़ते हैं जिनके अन्त में एक कर्मावधार तृतीय ध्यान वाला और कर्मावधार ध्यान होते हैं। इस ध्यान में प्रीति तो होती नहीं, मात्र तुल्य शान्ता शब्द रह जाती है। उन्नी स्मृति और अज्ञान्य इसके परिष्कार तितया व विरामा उपेक्षाको व विहरति, सती व सम्पन्नापी सुखं च पटित्तवेदितं, वं वं अरिथा धार्येणान्ति, अनेकाकी संतिना सुकविहारी तिर्यं ज्ञानं उपसम्पन्नं विहरति। सामक इस ध्यान की प्राप्ति

१. विदुद्धतर : दी, वि, ३, ५, ३३-३४ ।

के ही जाने पर उपासना भाव धारण करने वाला होता है, समनोनी ही जाता है। यह उपासना इस प्रकार की है—वर्णोपासना, ब्रह्मविहारोपासना, बौध्मोपासना, संस्कारोपासना, वेदोपासना, विषयोपासना, तन्मयाध्यस्तोपासना, ध्यानापासना और परिशुद्धमुपासना ।

धीरान्त्य मिथु मयका साधक की वृत्ति उदासीन नहीं होती । यह स्मृति और सन्मज्जय युक्त होकर उपासक हो जाता है । सर्व प्रथम छः इन्द्रियों के विषय-अभिषि आसंस्वनों के प्रति परिशुद्ध रूप से उपासना भाव रखता है ; यह वर्णोपासना है । प्राणियों के प्रति मध्यस्थ भाव रखना ब्रह्मविहारोपासना है । अपने साथ संशुद्ध धर्मों के प्रति मध्यस्थ भाव रखना बौध्मोपासना है । अत्यधिक और विधिवत् भाव से विरहित उपासनासदन वीर्य ( प्रयत्न ) उपासना है । नीचरजों के ग्रहण हो जाने पर संस्कारों के ग्रहण करने से उपासना संस्कारोपासना है । यह संस्कारोपासना समाधि से उत्पन्न होने वाली जाठ ( चार ध्यान और चार अक्षय्य ) तथा विषयवशा से उत्पन्न होने वाली दस ( चार मार्ग, चार फल, शून्यताविहार और जनिमित्तकविहार ) प्रकार की है । दुःख और सुख की उपासना वेदोपासना है । पंचस्कन्धों आदि के विषय में उपासना विषयोपासना है । छन्द, अधिमोक्ष आदि योक्तव्य धर्मों में उपासना वृत्ति तन्मयाध्यस्तोपासना है । तृतीय ध्यान में जब सुख में उपासना भाव ध्यानापासना है । नीचरज, वितर्क आदि विषय धर्मों के उपासना के प्रति भी उपासना भाव परिशुद्धमुपासना है ।

इस उपासना के प्रकारों में वर्णोपासना ब्रह्मविहारोपासना, बौध्मोपासना, मध्यस्तोपासना, ध्यानापासना और परिशुद्धमुपासना अर्थात् एक है, भाव अक्षय्याओं का वेद है । संस्कारोपासना और विषयोपासना भी ऐसी ही हैं । वर्णोपासना अधिक अभिप्रेत है ।

चतुर्थ ध्यान—ध्याता की चतुर्थ अवस्था में तृतीय ध्यान की लक्ष्य विचार देने लगता है ; इसमें भी पाँच प्रकार से वशी का अभ्यास किया जाता है । उस समय साधक विचारता है कि तृतीय ज्ञान का सुख स्फुट है, भाव भाग दुर्लभ है और चतुर्थ स्वल्प धर्मातिशयी है, उपासना, वेदना तथा निराश्रयता एकत्रता साहित्यिक है । यह विचारकर स्फुट धर्मों का ग्रहण और साधक धर्मों की प्रवृत्ति के लिए मूर्खीकृतिक का अनुचितकृतक उसे आसम्भन बलाकर मन्तोद्धारकर्मन उत्पन्न करता है । तत्पश्चात् उसी आसम्भन में चर कर पाँच ज्ञान शीघ्रो है, जिनके साथ में एक कर्मवचन चतुर्थध्यान का रहस्य है ।

चतुर्थध्यान में चतुर्थ ज्ञान का लक्षण इस प्रकार मिलता है—सुखान्त च महान्त दुःखान्त च महान्त सुखेन सोमयससोमयसदान् अत्यन्तान् अनुभवयुक्तं उपासनासतिपारिशुद्धि चतुर्थं ज्ञानं उपर्युक्तं सिद्धंति । चतुर्थं ज्ञानं कीं प्रति

के पूर्व ही कायिक सुख—दुःख गह्र हो जाता है, हीनमत्त्व-हीनमत्त्व समाप्त हीं जाता है। हीनमत्त्व अतुर्ब ध्यान के उपचार के क्षण में प्रहीन होता है और दुःख, हीनमत्त्व, सुख प्रथम उपचार के क्षण में।

विचित्र आच्छादनों में प्रथम ध्यान के उपचार में क्षान्त हुई बुद्धेन्द्रियों की उत्पत्ति अंश मच्छन्न आदि के काटने से हो सकती है, पर अर्पणा से नहीं होती। द्वितीय ध्यान के उपचार क्षण में यद्यपि चैतसिक दुःख का प्रहाय होता है तथापि वितर्क और विचार के कारण चित्त का उपवास हो सकता है, पर अर्पणा में वितर्क और विचार के अभाव से इसकी कोई सम्भावना नहीं है। इसी प्रकार यद्यपि तृतीय ध्यान के उपचार-क्षण में कायिक सुख का निरोध होता है, तथापि सुख के प्रत्यय रूप प्रीति के रहने से कायिक सुख की उत्पत्ति संभव है। पर अर्पणा में प्रीति के अत्यन्त निरोध से इसकी संभावना नहीं रह जाती। इसी तरह अतुर्ब ध्यान के उपचार क्षण में अर्पणा प्राप्त उपेक्षा के अभाव तथा मलीर्भाति चैतसिक सुख का अतिक्रम न होने से चैतसिक सुख की उत्पत्ति संभव है पर अर्पणा में इसकी संभावना नहीं है।<sup>१</sup>

यह अतुर्ब ध्यान अदुःख और असुख रूप है। उपेक्षा भी इसे कहा जा सकता है। इसी उपेक्षा से स्मृति में परिशुद्धि आती है। यद्यपि प्रथम तीनों ध्यानों में भी यह उपेक्षा रहती है, पर परिशुद्ध अवस्था में नहीं रहती।

इस प्रकार प्रथम ध्यान में सुप्तपरम्परा की दृष्टि से चित्तर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता ये पाँचों अंग विद्यमान रहते हैं। द्वितीय ध्यान में वितर्क और विचार समाप्त हो जाते हैं। तृतीय ध्यान में प्रीति नहीं रहती और अतुर्ब में सुख का अभाव होकर मात्र एकाग्रता शेष रह जाती है।

ध्यान भेद की एक अन्य परम्परा—बौद्ध साहित्य में ध्यान के भेदों को एक अन्य परम्परा भी मिलती है। अभिषर्ष के अनुसार ध्यान के पाँच भेद होते हैं। उसका प्रथम भेद ध्यान के अतुर्ब भेद की परम्परा से मृषक् नहीं है। अतुर्ब ध्यान परम्परा का द्वितीय ध्यान पञ्चक ध्यान परम्परा में द्वितीय और तृतीय भेद में विभक्त हो जाता है। इस तरह अतुर्ब ध्यान का तृतीय और अतुर्ब ध्यान पञ्चक ध्यान का अतुर्ब और पञ्चक ध्यान है।

## २. अरुण ध्यान

रूपोपचार ध्यान की अतुर्ब अथवा पञ्चक ध्यान की अवस्था के बाद यद्यपि निर्वाण का साक्षात्कार सम्भव हो जाता है, फिर भी साधक निर्वाण और

१- बौद्धदर्शन दर्शन, पृ. ७४; विशुद्धिभारव ( हिन्दी ), भाग १, पृ. १४६

किरावपर आकाशम पर क्वात करता है यही अस्मावपर क्वात है। इसकी चार अवस्थाएँ होती हैं। प्रथम अवस्था में साधक अन्त आकाश पर विचार करता है। द्वितीय अवस्था में अन्त आकाश को स्थूल प्रतीत होने लगता है और विज्ञान सूक्ष्म करने लगता है। तृतीय अवस्था में अन्त आकाश की विज्ञानायतन रूप यह द्वितीय अवस्था है। चतुर्थ अवस्था में अन्त आकाशम पर ध्यान किया जाता है। साधक यहाँ क्रमशः पूर्वोक्त आकाशम को स्थूल और पश्चात्त आकाशम को सूक्ष्म मानता चला जाता है।

### ३. लोकोत्तर ध्यान

उपरोक्त रीति से रूपध्यान और अरूपध्यान के माध्यम से साधक परिशुद्ध समाधि को प्राप्त करता है। इसके निर्वाण रूप कल को लोकोत्तर ध्यान से रूपरूप किया जाता है। इसी सन्दर्भ में लोकोत्तर भूमि अथवा अपरिचापन का कथन किया गया है।

रूपध्यान और अरूपध्यान ध्यान में संयोजन के बीजों का सद्भाव संभावित रहता है जो लोकोत्तर ध्यान में उसका प्रहास कर दिया जाता है। सत्काय इष्टि, विचिकित्सा शीलवतपरामर्श, कामच्छन्द, प्रतिष, रूपराग, अरूपराग, मान, मोहत्व एवं अविद्या ये ब्रह्म संयोजन है। यद्यपि उनका प्रहास नीवरण के रूप में हो जाता है फिर भी जो बीज खेव रह जाते हैं उनका विनाश लोकोत्तर ध्यान से हो जाता है। लोकोत्तर ध्यान में ही क्रमशः लोतापत्ति सकृदागामि, अनानामि और अर्हत् अवस्था प्राप्त होती है। लोकोत्तर भूमि में चित्त की आठ अवस्थाओं में प्रत्येक अवस्था में पाँच प्रकार के रूप ध्यान का अभ्यास साधक करता है। इस प्रकार लोकोत्तर चित्त के आठोस भेद हो जाते हैं। लोकोत्तर ध्यान ही परिशुद्ध ध्यान कहा जाता है।

जैन एवं बौद्धमतों के ध्यान-स्वरूप की तुलना—बौद्धधर्म में वर्णित उक्त ध्यान के स्वरूप पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि बौद्धधर्म में ध्यान को मात्र निर्वाण साधक माना है। जैनधर्म में भी ब्रह्मि ध्यान के चार भेद किये गये हैं—आर्त, रोद्र, धर्म और शुक्लध्यान, पर ये संसार और निर्वाण दोनों के साधक हैं। प्रथम दो ध्यान, संसार के परिवर्धक हैं और अन्तिम दो ध्यान निर्वाण के साधक हैं। धर्मध्यान शुक्लध्यान है और शुक्ल ध्यान शुद्ध ध्यान है।

शुक्लध्यान के चार भेद हैं—शुक्लव्य वितर्क, एकत्व वितर्क, शुक्लक्रिया प्रतिपत्ति और शुक्लप्रतिक्रियावितर्क। शुक्लव्यवितर्क व्यक्त मन, लयन और

हैं और अरण्यालम्बन की स्मृति उत्पन्न हो जाती है। जिस योगी को इतना पर्याप्त नहीं होता वह षष्क, संपत्ति, उपसंहरण, शरीर, आयु, अनिमित्त, रिच्छेद एवं अणुस्वरूपता के आचार पर मरण का अनुस्मरण करता है। प्रकार से उपसंहरण ( दूसरे के साथ अपने चरण को देखता ) करते हुए का अनुस्मरण होता है—यथा, पुण्य, स्थान, शक्ति, प्रज्ञा, प्रत्येकबुद्ध एवं ह् सम्बुद्ध। अनिमित्त के अन्तर्गत जीवन, व्याधि, काल, शरीरत्याग, और आते हैं।

तदनन्तर योगी कायगता स्मृति करता है। वह केश, लोम, नख, दांत, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा, वृक्क, हृदय, यकृत, क्लोमक, प्लीहा, फुफ्फुस, उदरस्थ वस्तुएं, मल-मूत्र, मस्तिष्क, पित्त, कफ, पीब, लोह, स्वेद, मंद, वसा, धूक, खासिका, आदि पर विचार करता है।

आनापानस्मृति में अरण्य में वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर श्वासोच्छ्वास और ध्यान करना वर्णित है। इसमें योगी चित्त की स्मृति रूप आलम्बन पर उसे रूपालम्बन से हटाकर काब संस्कार को शान्त करता है। उग्गह, श्वा, उपट्टान, अप्पना और लम्बणा रूप पांच कर्मस्थानों का है। त्रिरत्न का शुभानुस्मरण कर आनापानस्मृति कर्मस्थान का मनसिकार है तथा गणता, अनुबन्धना, स्पर्धा, स्थापन, संलक्षण, विवर्तन, पारिशुद्धि उनका प्रत्यवेक्षण करता है।

आनापानस्मृति के पश्चात् साधक समस्त दुखों के उपशमस्वरूप निवर्ण के का अनुस्मरण करता है। संस्कृत अबबा असंस्कृत धर्मों के प्रति विराग (गण) मद को विनष्ट करने वाला होता है, तृष्णा को बुझाने वाला और एवं संबारवक्र का उपच्छेद करने वाला होता है। उपशमानुस्मृति में सुख पूर्वक विहार करता है तथा शान्त इन्द्रिय और शान्त मन वाला है।

### (अ) ब्रह्मविहार निर्देश

अनुस्मृति के उपरान्त विभ्र दूरकर, कर्मस्थान ग्रहणकर, भोजनकर, ब्रह्मण ठकर प्रारम्भ में हर्ष में अबगुणों और शान्ति में शुणों का प्रत्यवेक्षण करे ब्रह्मविहार की भावना करे। ब्रह्मविहार चार हैं—मैत्री, करुणा, मुक्तिता उपाया। शरीर कल्प सुखी, कल्याणप्राप्त हों, एवं सुखी चित्तवाले हों— जो वा केकिलो होन्तु, सन्ने सत्ता भवन्तु सुखितरता, वह भेत्ता की मूल है। वैश्वर्ष में—की "सन्ने भवन्तु सुखिनः सन्ने सन्तु निरामयः" कहा गया

है। क्षमा ( क्षन्तिबल ) इसका आधार है। 'क्षमामि सम्बन्धीवार्थं सर्वे जीवाः क्षमन्तु मे' जैन संस्कृति का भी अभिवचन है। क्रोध से मुक्त होने के लिए जीव यह विचार करे कि वह कर्मस्वक है, कर्मदायाद, कर्मयोगिन्, कर्मबन्धु, और कर्मप्रसिद्ध है। शान्त व्यक्ति एकाग्रता जल्दी प्राप्त करता है। मंत्री के गुणों का स्मरण करते हुए धातु का विभाजन कर उसे दान का संविभाग करना चाहिए।

करुणा की भावना की इच्छावाले को करुणा रहित होने के दोष और करुणा के आनुशंस का प्रत्यवेक्षण करके करुणा भावना का आरम्भ करना चाहिए। विसुद्धिमग्न में करुणा के पात्र क्रमशः ये हैं—सुखी, प्रिय, मध्यस्थ, और शत्रु। अंगुस्तर अट्टकथा में यह क्रम दूसरा है—वैरी, निर्धन, प्रिय और स्वयं। इसी प्रकार घृणिता और उपेक्षा भावनाओं की प्राप्ति भी साधक करें।

### (ट) आरूप निर्देश

ब्रह्मबिहारों के बाद चार आरूप्यों में प्रथम आकाशानन्त्यायतन की भावना करे। रूप ( दण्ड, अस्त्र आदि ) दोष कारक है, अतः साधक उनके प्रति निर्वेदी होकर उनके समतिक्रमण के लिए परिच्छिन्न आकाश-कसिण को छोड़कर नव पृथ्वी-कसिण आदि में से किसी एक में चतुर्थ ध्यान को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार विज्ञानान्त्यायन में विज्ञान की अनन्ता पर, आकिञ्चन्यायतन में वस्तु की अनित्यता एवं शून्यता पर, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन में संज्ञा-असंज्ञा के दोषों पर वह योगी विचार करता है।

### (ठ) समाधि निर्देश

आहार में प्रतिकूल-संज्ञा—समाधिस्थ व्यक्त के लिए यह आवश्यक है कि वह लालच आदि दोषकारक दुर्गुणों से दूर रहे। आहार इन दुर्गुणों का उत्पादक है अतः योगी को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार का अर्थ है आहरण करनेवाला। वह आहार चार प्रकार का है—कवलीकाराहार, ( प्राप्त करके खाने योग्य आहार ), स्पर्शाहार, मनोसञ्चेतनाहार, और विज्ञानाहार। इनमें मुख्य है कवलीकाराहार जिसमें निम्न दस प्रकार से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिए—गमन, पर्येषण, परिभोग, आशय, निधान, अपरिपक्व, परिपक्व, फल, निव्यन्द और संभक्षण।

योगी कर्मस्थान का ग्रहणकर, अरण्य-वन को छोड़कर कर्मस्थान को ग्रहणकर आहार के लिए गाँव में प्रवेश करे। कपाल को हाथ में लिखे चर की परिपाटी से गाँव की गलियों में भ्रमण करे। आहार का पर्येषण कर गाँव के बाहर उचित स्थान पर बैठकर उसे ग्रहण करे। इन सभी के प्रतिकूल होने का

काय, इन तीन योगों के धारी आठवें गुणस्थान से ग्यारहवें गुणस्थान तक के जीवों के होता है। द्वितीय एकत्व वितर्कध्यान तीनों में से किसी एक योग के धारी बारहवें गुणस्थानवर्ती जीव के होता है। तृतीय सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यान मानव काय योग के धारण करने वाले तेरहवें गुणस्थान के अन्तिम भाग में होता है। और चतुर्थ व्युपरतक्रियानिबन्धितध्यान योग रहित (अयोगी) जीवों के चौदहवें गुणस्थान में होता है।

तत्त्वार्थसूत्रकार आचार्य उमास्वामि ने वितर्क को श्रुतज्ञान कहा है<sup>१</sup> और अर्थ व्यञ्जन और योग का बदलना विचार बताया है।<sup>२</sup> प्रथम पृथक्त्ववितर्क शुक्लध्यान वितर्क-विचार युक्त होता है और द्वितीय एकत्ववितर्क विचार रहित और वितर्क सहित मणि की तरह अच्छल है। प्रथम भेद शुक्लध्यान प्रतिपाति और अप्रतिपाति, दोनों होता है। बौद्धधर्म में वितर्क की अपेक्षा विचार का विषय सूक्ष्म माना गया है। उसकी श्रुति भी शान्त मानी गई है। प्रथम शुक्लध्यान में वितर्क और विचार दोनों का ध्यान किया गया है। द्वितीय शुक्लध्यान में विचार नहीं है। बौद्धधर्म में सभी ध्यान प्रतिपाति कहे गये हैं। जबकि जैनधर्म में प्रथमध्यान ही प्रतिपाति और अप्रतिपाति, दोनों हैं।

इस प्रकार श्रमण संस्कृति की जैन एवं बौद्धधर्म इन दोनों शाखाओं में ध्यान को साधना के क्षेत्र में पर्याप्त महत्त्व दिया गया है। जैनधर्म में ध्यान को संसार तथा निर्वाण, इन दोनों के क्षेत्र में नियोजित किया गया है पर बौद्धधर्म में उसे निर्वाण प्राप्ति तक ही सीमित रखा है। इसके बावजूद दोनों साधनाओं में ध्यान की परिपूर्ण उपयोगिता और उसका विहङ्गलक्षण किया गया है।

### (ज) अशुभ कर्मस्थान

संसारी जीव संसार से जन्म-मरण के चक्र में घूमता रहता है। राग, द्वेष, मोह आदि दोषों के बन्ध से उसका चित्त और कलुषित होता रहता है। चित्त की उस कलुषता को दूर करने के लिए अशुभ वस्तुओं पर तात्त्विक ध्यान किया जाता है। विनय पिटक के अनुसार अशुभ कर्मस्थानों की भावना पर प्रारम्भ से ही ध्यान किया गया है। धम्मसंगणि में इसके १० भेद बताये गये हैं—उद्धमात्तक, विनीलक, विपुब्बक, विच्छिद्दक, विविस्सत्तक, हत्तविस्सत्तक, लोहितक, पुलवक, एवं अट्टिक। ये श्रुत एवं जीवित शरीर की स्थिति के विषय में विविध रूप से चिन्तन प्रस्तुत करते हैं। उदाहरणार्थ—यह काय दुर्गन्धित है, अपवित्र है,

१. वितर्कः श्रुतम्, तत्त्वार्थसूत्र, ६-४३

२. वीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः, वही, ६-४४



मलगूह के समान है, प्रजावानों से निन्दित है, आद्र चर्माच्छादित है, नवद्वारों से महावण वाला यह काय चारों ओर से दुर्गन्ध प्रवाहित करता है—

दुग्गन्धो, अनुचि कायो कुणयो उक्ककूपमो ।  
निन्दितो चकलूमतेहि क्कायो बाल्हाभिनन्दितो ॥  
अल्लचभमपटिच्छन्नो नवद्वारो महावणो ।  
समन्ततो पग्घरति अमुच्च पूति गन्धियो ॥<sup>१</sup>

### (५) अनुस्मृति भावना

साधक अशुभ कर्मस्थानों की अनुस्मृति के पश्चात् पूर्व निर्दिष्ट बुद्ध, धर्म, संघ, शील, त्याग, देवता, मरण, कायगता, आनापान एवं उपवास के विषय में बार-बार चिन्तन करता है। यही अनुस्मृति है। जैनधर्म में इसे अनुप्रेक्षा शब्द दिया गया है।

बुद्धानुस्मृति—मे अहंत्, सुगत, लोकचित्, अनुत्तर, पुरुषदम्यसारपी, शास्ता, बुद्ध, भगवान्, सम्मासम्बुद्ध, विज्जाचरण सम्पन्न, सुगत, तथागत, आदि शब्दों पर विशेष चिन्तन किया जाता है। विसुद्धिमग्ग ( परिच्छेद ६ ) में इन शब्दों के भिन्न-भिन्न अर्थ किये गये हैं। इसी प्रसंग में लोक की जो परिकल्पना बौद्ध दृष्टि से की गई है वह जैन गणना से मिलती-जुलती है। योजन आदि शब्दों का भी यहाँ उपयोग मिलता है।

भगवान् का धर्म स्वाख्यात ( आरम्भ, मध्य एवं अन्त में कल्याण कारक ) है, सान्दृष्टिक ( तत्कालफलदायक ) है, समयानन्तर में नहीं, यही दिखाई देनेवाला है, निर्वाण तक पहुँचाने वाला है, और विज्ञों द्वारा स्वतः जानने योग्य है—स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको एहिपत्सिको ओपनेप्यको पच्चसे नेदितम्बो विञ्जूही ति। इसी प्रकार अन्य स्मृतियों के विषय में भी साधक चिन्तन करता है।

इसके बाद योगी मरण पर अनुचिन्तन करता है। जीवितेन्द्रिय का उपच्छेद मरण है। भवचक्र का निरोध समुच्छेद मरण है। संस्कारों का क्षणमंगुर हो जाना क्षणिकमरण है। बुझ मर गया आदि में संवृत्तिमरण है। पुण्य अथवा आयु का क्षय होना कालमरण है तथा चित्तप्रवाह अथवा कर्मच्छेदजन्य मरण अकालमरण है। मृतक व्यक्ति को देखकर योबी स्मृति, श्रवण, और ज्ञानपूर्वक 'मरण होगा' यह विशेष विचार करता है। ऐसा करने से उसके नीवरण दब

ध्यान को अचित्तक-विचार मात्र कहते हैं। चार की परिगणना के द्वितीय ध्यान में और पाँच की परिगणना में तृतीय ध्यान में वितर्क और विचार दोनों का अतिक्रम होता है। पाँच की परिगणना के चतुर्थ ध्यान में और चार की परिगणना के तृतीय ध्यान में प्रीति का अतिक्रम होता है, केवल सुख और समाधि अवशिष्ट रह जाती है। दोनों प्रकार के अन्तिम ध्यान में सुख का अतिक्रम होता है। अन्तिम ध्यान की समाधि उपेक्षा-सहगत होती है।<sup>१</sup>

बिसुद्धिमग्ग में प्रज्ञा को विपस्सना के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। वहाँ कुशलचित्त से युक्त विपश्यना-ज्ञान को प्रज्ञा कहा है। आलम्बन को जानना मात्र संज्ञा है। उसके लक्षण को जानना विज्ञान है तथा मार्ग का ज्ञान होना प्रज्ञा है। प्रज्ञा चरम उपलब्धि है। इसके स्वरूप को हेरञ्जिक (सराफ) के उदाहरण से समझाया गया है। एक अबोध बालक कार्पाण के चित्र-विचित्र रूप को ही जानता है, पर ग्रामीण उसे उपभोग-परिभोग के साधन के रूप में भी समझता है। इन दोनों से भी अधिक ज्ञान हेरञ्जिक को है जिसे कार्पाण के उक्त दोनों रूपों के साथ ही उसके चोखे, खोटे होने का भी सम्यग्ज्ञान है। प्रज्ञा की भी यही स्थिति है। वह आलम्बन के आकार और लक्षण का ज्ञाता होने के साथ ही मार्ग का भी ज्ञाता होता है। इसीलिए प्रज्ञा का प्रयोग प्रब्रानन के अर्थ में हुआ है।

प्रज्ञा के भेद अनेक प्रकार से किये गये हैं। प्रज्ञा स्वतः एक प्रकार की है। लौकिक और लोकोत्तर के भेद से दो प्रकार की है। चिन्ता, श्रुत और भावना के भेद से उसके तीन प्रकार हैं तथा चार आर्यसत्यों के ज्ञान और चार प्रतिसम्भवा से वह चार प्रकार की है। स्कन्ध, घातु, आयतन, इन्द्रिय, सत्य, प्रतीत्यसमुत्पाद आदि के समुचित ज्ञान से प्रज्ञा का विकास होता है। प्रज्ञा के इस विकसित रूप से आश्रमों का क्षय होता है।

विपस्सना प्राप्ति के लिए तथा कर्मस्थान के अभ्यास के लिए यह आवश्यक है कि साधक पदार्थ के स्वरूप को भलीभाँति समझे। बौद्धधर्म की दृष्टि से प्रत्येक पदार्थ अनित्य, दुःख और अनात्मक है—यदनिक्खं तं दुक्खं, यं दुक्खं तदनत्ता, यदनत्ता, तन्न मम यथा भूतं।

१. अनित्य का लक्षण—पदार्थ अनित्य है। पञ्चस्कन्ध भी अनित्य हैं। पञ्चस्कन्ध रूप पदार्थ में उत्पाद, व्यय, और परिवर्तन दिखाई देते हैं। उसे सत्त, पुगल अथवा जीव कहा जा सकता है।

१. बौद्ध-धर्म-दर्शन, पृ. ४१-४५, देखिये पीछे "बौद्धधर्म में ध्यान का स्वरूप" प्रकरण।

२. अनित्य का लक्षण—उपादीन स्कन्ध दुःख रूप माने गये हैं। रूप वेदना, संज्ञा संस्कार एवं विज्ञान ये पाञ्चस्कन्ध हैं। रूप निष्पन्न और अनिष्पन्न दो प्रकार का है। निष्पन्न रूप अठारह हैं—चार भूत रूप ( पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ), पाँच प्रसाद रूप ( चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय ), चार विषय ( रूप, शब्द, गन्ध, रस ), दो भाव ( स्त्रीत्व और पुरुषत्व ), एक हृदय, एक जीवितेन्द्रिय और एक कर्वालङ्काराहार, और अनिष्पन्न रूप दस हैं—एक परिच्छेद ( आकाशघातु ), दो विज्ञप्ति रूप ( काय और बची विज्ञप्ति ), तीन विकार रूप ( लघुता, मृदुता, कर्मण्यता ), चार लक्षण रूप ( उपचय, सन्तति, चरता, अनित्यता )।

विज्ञान जानने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। विज्ञान, चित्त मन ये इसके समानार्थक शब्द हैं। कुशल, अकुशल और अब्याकृत ये वेदना के तीन भेद हैं। कुशलभूमि के चार भेद हैं—कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर और लोकोत्तर। अकुशल तीन प्रकार का है—लौभ, द्वेष और-मूल। अब्याकृत के दो भेद हैं—विपाक और क्रिया। कुल मिलाकर २१ कुशल, १२ अकुशल, ३६ विपाक, और २० क्रिया—सभी नवासी विज्ञान होते हैं। ये प्रतिसन्धि, भवाङ्ग, आवर्जन आदि चौदह प्रकार स प्रवर्तित होते हैं।

वेदना अनुभवात्मक होती है। उसके सुख, दुःख, सीमनस्य, दोर्मनस्य और उपेक्षा ये पाँच भेद हैं। संज्ञा पहचानने रूप होती है। वह कुशल, अकुशल और अब्याकृत के भेद से तीन प्रकार की है। संस्कार राशि रूप है। उसके ३६ प्रकार हैं—स्पर्श, चेतना, वितर्क, विचार, प्रीति, वीर्य, जीवित, समाधि, श्रद्धा, स्मृति, ह्री, अत्रपा, अलोभ, अद्वेष, अमोह कार्यप्रअन्धि, चित्तप्रअन्धि, कायलघुता, चित्तलघुता, कायमृदुता, कायकर्मण्यता, चित्तकर्मण्यता, कायप्रागुण्यता, चित्तप्रागुण्यता, एवं कायशुद्धता, ये २७ संस्कार स्वरूपतः आये हुए, छन्द, अधिमोक्ष, नमस्कार, सत्रमध्यस्थता ये चार संस्कार येनापनक, करुणा, मृदुता, काय-वाक्-मिथ्या-आजीव से विरति, ये ५ अनियत संस्कार संस्कार को अभिषम्भ में संचेतना तथा चेतना कहा गया है।

३. अनन्त का लक्षण—आत्मा ( अनन्त ) नाम का कोई पदार्थ नहीं। उसकी प्रतीति भ्रम मात्र है। अधिानप्पदीपिका में अन्त शब्द के चार अर्थ दिये हैं—चित्त, काय, स्वभाव, और परमन्त चित्त कये स्वभावे च सो अत्ता परमत्तानि। सम्भव है, यहाँ अनन्त शब्द का अर्थ मेरा नहीं अथवा क्षणमंगुर रहा हो।

विपस्सना की प्राप्ति के लिए साधक को आयतन, घातु तथा इन्द्रियों का भी समुचित ज्ञान होना चाहिए। आयतन १२ हैं—चक्षु, रूप, श्रोत्र, शब्द, घ्राण, गन्ध, जिह्वा, रस, काय, स्पर्श, मन और धर्म। घातु १४ हैं—चक्षु,

अत्यवेषण करे । अन्न, पेय, स्नादनीय, भोजन एक द्वार से प्रवेश कर नव द्वारों से निकलता है ।<sup>१</sup> “आहार में प्रतिकूल संज्ञा” में संलम्ब सिद्धु का चित्त रस-वृष्णा से विमुक्त हो जाता है । उसके पाँच काम-गुण सम्बन्धी राग दूर हो जाता है । फलतः योगी सिद्धु रूपस्कन्ध का परिज्ञानकर कायगता स्मृति की भावना में परिपक्वता प्राप्त करता है । इसके बाद वह चातुर्धातु के स्वभाव पर विचार करता है । इस विचार से उसे ज्ञान्यता का ज्ञान हो जाता है । सत्त्व की अस्तित्वहीनता का भान होने से अय, अरति, रति, वेद, इष्ट, अनिष्ट, हर्ष आदि को सहने की शक्ति उसमें बढ़ जाती है । सुगति प्राप्ति का यही मार्ग है । इस प्रकार समाधि की भावना भाने से उपचार और अर्पणा, दोनों समाधिर्मा प्राप्त हो जाती हैं ।

### ( ६ ) विपस्सना भावना

बौद्ध साधना में समाधि भावना ( चित्त की एकाग्रता ) और विपस्सना भावना ( अन्तर्ज्ञान ) का विशेष महत्त्व है । विपस्सना का तात्पर्य है वह विविष्ट ज्ञान और दर्शन जिनके द्वारा धर्मों की अनित्यता, दुःखता और अनात्मता प्रगट होती है—अनिश्चादिवसेन विविधाकारेण पस्सतीति विपस्सना ( अभिषम्मत्थसंगह टीका ) । विपस्सना सङ्खारपरिग्गाहकत्राणं ( अंगुत्तरनिकायट्टकथा, बालवग्ग, मुत्त ३ ) । विसुद्धिमग्ग में भी कहा है—सङ्खारे अनिश्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति ।

भुक्ति प्राप्ति के दो यान हैं—शमथयान और विपस्सनायान । इनका सम्बन्ध दो प्रकार के व्यक्तियों से है—तण्हाचरित और दिट्ठिचरित । तण्हाचरित वाले शमथपूर्वक विपस्सना के माध्यम से अर्हत् की प्राप्ति करते हैं और दिट्ठिचरितवाले विपस्सना पूर्वक शमथ के माध्यम से अर्हत् की प्राप्ति करते हैं । यहाँ श्रद्धा और प्रज्ञा तत्त्व का महत्त्व है । श्रद्धा तत्त्व के माध्यम से समाधि की प्राप्ति होती है । ऐसा साधक कर्मस्थान का अभ्यास करते हुए, श्रद्धियों की प्राप्ति पूर्वक विपस्सना मार्ग की उपलब्धि करता है और प्रज्ञा प्राप्ति कर अर्हत् बनता है । प्रज्ञाप्रधान साधक विपस्सना मार्ग का अभ्यास करता है और अन्त में प्रज्ञा-प्राप्त कर अर्हत् प्राप्ति करता है । इससे स्पष्ट है कि विपस्सना का सीधा सम्बन्ध अर्हत्प्राप्ति एवं निर्वाणप्राप्ति से है । समाधि का उनसे सीधा सम्बन्ध नहीं । शमथ

१. अन्नं पानं स्नादनीयं भोजनञ्च महारहं ।

एकद्वारेण पचिसत्त्वा नबहि द्वारेहि सन्धति ॥ विसुद्धिमग्ग, परिच्छेद ११.

से रहित बीमिष में प्रतिपन्न विषयनाज्ञान मार्ग है, ऐसे मार्ग और अमार्ग का निरूपण करता है ।

६. प्रतिपदाज्ञानदर्शनविशुद्धि—उपक्लेश से रहित, विधि में लगे हुए विषयना वाले उचय-व्यय, भङ्ग, भयतोपस्थान, आदीभव, निर्घेद, धुम्बिलुकम्पता, प्रतिसंख्या और संस्कारोपेक्षा, इन आठ ज्ञानों का जानकार योगी को अवश्य होना चाहिए । इनके अतिरिक्त सत्य का अनुलोमात्मक नवां ज्ञान भी उसे होना चाहिए । यह ज्ञान होने पर योगी अनिमित्त, अप्रतिहित और शून्यता इन तीन विमोक्षसुख को प्राप्त करता है ।

७. ज्ञानदर्शनविशुद्धि—स्रोतापत्ति, सकदागामी, अनागामी और अर्हत्, इन चार मार्गों का ज्ञान ज्ञानदर्शन विशुद्धि है । इसके लिए बोधिपक्षिकधर्मों का परिपूर्ण होना, उत्थान और बल का समायोग, प्रहातव्यधर्म और उनका प्रहाण ( संयोजन, क्लेश, मिथ्यात्व, लोकधर्म, मात्सर्य, विपर्यास, ग्रन्थ, अगति, आश्रव, बोध, योग, नीवरण, परामर्श, उपादान, अनुशय, मल, अकुशल कर्मपथ, अकुशल चित्तोत्पाद ), तथा परिज्ञा आदि कृत्य की परिपूर्ण जानकारी होनी चाहिए ।

विषयना प्राप्त योगी के सात सोपान हैं—भ्रष्टाविमुक्त, कायसाक्षी, उमतोभागविमुक्त, धर्मानुसार ही, दृष्टि प्राप्त और प्रज्ञाविमुक्त । उनका विभाजन संस्कारोपेक्षा ज्ञान पर आधारित है ।

### (ख) पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति

सप्त विशुद्धियों की प्राप्ति से योगी का ज्ञान विशुद्ध हो जाता है और उसके समस्त आश्रवों का क्षय हो जाता है । विषयना का यही परिपाक है । चतुर्ष्व ध्यान की प्राप्ति हो जाने पर साधक श्रद्धाविष, दिव्यश्रोत्र, चेतोपर्यज्ञान, पूर्वनिवासानुस्मृतिज्ञान, तथा सत्त्वों की च्युति-उत्पत्तिज्ञान का अनुभव करता है ।

श्रद्धाप्राप्ति—विसुद्धिमग्न में दस श्रद्धियों का उल्लेख है—अधिष्ठान, विक्रुर्बण, मनोमय, ज्ञानविस्फार, समाधिबिस्फार, आर्य, कर्मविपाकज, पुण्य, विद्यामय, और सम्यग्रयोग । पटिसम्भ्रदामग्न में भी इनका वर्णन आया है । छन्द, वीर्य, चित्त और भीमांसा, ये श्रद्धि के चार पाद विचाररता की प्राप्ति की दिशा में योगी को आगे बढ़ाते हैं । आलस्य, औदत्य, राग, द्वेष, निम्नय, प्रतिबन्ध, कामराग, क्लेश आदि सोलह कारणों में चित्त प्रकम्पित हो जाता है । अतः ऐसे कारणों को दूर रखना चाहिए और उनपर विजय प्राप्त करना चाहिए ।

त्रिपिटक, अट्टकथाओं तथा विसुद्धिमग्न आदि ग्रन्थों में विभिन्न श्रद्धियों का वर्णन किया गया है—एक से अनेक होना, प्रवट और अन्तर्ध्यान होना, दीवाल, प्राकार, गृह, बिहार, पर्वत आदि के पार जाना, वृक्षी में सोता लगाना,

रूप, अक्षु विज्ञान, श्रोत्र, शब्द, श्रोत्रविज्ञान, घ्राण, गन्ध, घ्राणविज्ञान, जिह्वा, रस, जिह्वाविज्ञान, काम, स्पर्श, कामविज्ञान, मन, धर्म, और मनोविज्ञान । इन्द्रियाँ २२ हैं—अक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, मन, क्री, पुरुष, जीवित, सुख, दुःख सीमनस्य, दीर्घनस्य, उपेक्षा, अज्ञा, धीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा अनज्ञात, आज्ञा और आज्ञात ।

योगी को चार शब्दों का ज्ञान भी अपेक्षित है । चतुरार्यसत्य बौद्धधर्म की आधारशिला है । दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध और दुःखनिरोधगामिनीप्रतिपदा ये चार आर्यसत्य हैं । जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दीर्घनस्य, उपायास, अप्रिय का सम्प्रयोग, प्रिय का वियोग इत्यादि दुःख हैं । तृष्णा, अविद्या आदि के कारण दुःख की उत्पत्ति होती है । दुःख की उत्पत्ति के कारणों का निरोध होने से दुःखनिरोध होता है । इस दुःखनिरोध का उपाय है सम्यक् दृष्टि-संकल्प-वचन-कर्मान्त-आजीव-ध्यायाम-स्मृति-समाधि रूप आष्टाङ्गिक मार्ग का पालन ।

इसी सन्दर्भ में प्रतीत्यसमुत्पाद का ज्ञान भी आवश्यक है । इसका समावेश चतुरार्यसत्य में हो जाता है । परन्तु इसका विशेष महत्त्व होने के कारण पृथक् वर्णन ही प्रायः किया गया है । प्रतीत्यसमुत्पाद का तात्पर्य है कारण पूर्वक उत्पत्ति होना और निरोध होना । अविद्या के प्रत्यय से संस्कार, संस्कारों के प्रत्यय से विज्ञान, विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप, नामरूप के प्रत्यय से षडायतन, षडायतनों के प्रत्यय से स्पर्श, स्पर्श के प्रत्यय से वेदना, वेदना के प्रत्यय से तृष्णा, तृष्णा के प्रत्यय से उपादान, उपादान के प्रत्यय से भव, भव के प्रत्यय से जाति ( जन्म ), जाति के प्रत्यय से जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दीर्घनस्य, उपायास उत्पन्न होते हैं । यह दुःखसमुदय का अनुल्लोमात्मक ज्ञान है । इसी प्रकार दुःख निरोध का भी ज्ञान होना चाहिए । प्रत्ययों की संख्या २४ बतायी गई है—हेतु, आलम्बन, अधिपति, अनन्तर, समानन्तर, सहजात, अन्थोन्य, निश्रय, उपनिश्रय, पुरेजात, पश्चात्जात, आसेवन, कर्म, विपाक, आहार, इन्द्रिय, ध्यान, मार्ग, सम्प्रयुक्त, बिप्रयुक्त, अस्ति, नास्ति, विगत और अविगत । प्रतीत्यसमुत्पाद बौद्धधर्म का कर्म सिद्धान्त है । उसका सम्यग्ज्ञान होने पर निर्वाण सच्च-प्राप्त हो जाता है ।

### (६) विषुसना और सत्तविमुद्धि

विमुद्धिमग्न के अनुसार चित्त और ज्ञान की परम विमुद्धि निर्वाण-प्राप्ति का मूल कारण है । रथविनीतसुत्त ( मज्झिम निकाय ) में निम्न सात प्रकार की परिमुद्धियाँ निर्दिष्ट हैं जिनके पालने से 'अनुपादा परिनिर्वाण' की प्राप्ति होती है—सीलविमुद्धि, चित्तविमुद्धि, विद्विबिमुद्धि, कांक्षाविरणविमुद्धि,

समागत बोधिसत्व उसके परिमण्डल में बैठ जाते हैं। उसके कार्यों से उत्थित महारथियों से साधक बोधिसत्व का अभिषेक होता है। तदनन्तर वह महाज्ञान से परिपूर्ण होकर धर्मचक्रवर्ती बन जाता है और संसारियों का उद्धार करना प्रारम्भ कर देता है। उक्त भूमियों में क्रमशः दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, उपाय कौशल, प्रणिधान, बल और ज्ञान पारमितायें प्रधान रहती हैं। इन भूमियों को जैन परिभाषा में गुणस्थान कहा जा सकता है।

महायानी साधक का तृतीय रूप है, त्रिकायवाद। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद बुद्ध अवैगिक आदि धर्मों से परिमण्डित हो जाते हैं और संसारियों के उद्धार करने का कार्य बुद्धकाय के माध्यम से प्रारम्भ कर देते हैं। बुद्धकाय अचित्ता एवं शून्यता धर्मों का एकाकार रूप है। कायभेद से उसके तीन भेद हैं—स्वभावकाय, सम्भोगकाय, और निर्माणकाय। स्वभावकाय बुद्धकी विशुद्धकाय का पर्यायार्थक है।<sup>१</sup> ज्ञान की सत्ता को स्वभावकाय से पृथक् मानकर काय के चतुर्थ भेद का भी उल्लेख मिलता है। इस भेद को ज्ञान धर्मकाय कहा गया है। इसका फल है—मार्गज्ञता, सर्वज्ञता और सर्वाकारज्ञता की प्राप्ति। स्वभावकाय और ज्ञानधर्मकायके संयुक्तरूप को ही धर्मकाय की संज्ञा दी गई है। सम्भोगकाय के माध्यम से बुद्ध विभिन्न क्षेत्रों में देशना देते हैं, अतः उनकी संख्या अनन्तानन्त भी हो सकती है। निर्माणकाय के द्वारा इहलोक में जन्म लिया जाता है।<sup>२</sup> बुद्ध इन त्रिकायों द्वारा परमार्थकार्य करते हैं—

करोति येन चित्राणि हितानि जगतः समम् ।

आभवाद् सोऽनुपच्छिन्नः कायो निर्माणको घुनेः ॥<sup>३</sup>

## तन्त्रिक साधना—

साधारणतः तान्त्रिक साधना के बीज त्रिपिटककालीन बौद्धधर्म में मिलने लगते हैं पर उसका व्यवस्थित रूप ईसा पूर्व लगभग द्वितीय शताब्दी से उपलब्ध होने लगता है। गुह्यसमाज आदि तन्त्रों का अस्तित्व इसका प्रमाण है। सुचन्द्र, इन्द्रभूमि, राहुलभद्र, मीमेयनाथ, नागार्जुन, आर्यदेव आदि अचार्यों की परम्परा बौद्ध तान्त्रिक साधना से जुड़ी हुई है। श्रीधान्यकूट, श्रीपर्वतः, श्रीमलयपर्वत आदि इसी साधना से सम्बद्ध हैं।

१. Tibetan Yoga, लेखक—W. Y. Evans. Wentz,

Buddhism in Tibet, लेखक—सुशील सुष आदि ग्रन्थ ।

२. Japani Buddhism Essays in Zen Buddhism आदि ग्रन्थ ।

जल पर चलना, आकाश से जाना, चन्द्र सूर्य का स्पर्श करना, ब्रह्मलोकव्ययन, दूर को पास करना, बहुत को थोड़ा करना, थोड़े को बहुत करना, प्रभृति । इनमें कुछ विकुम्भन और कुछ मनोमय श्रद्धियाँ हैं ।

**अभिज्ञानप्राप्ति**—अभिज्ञान की प्राप्ति ज्ञान की पूर्णता का प्रतीक माना जाता है । बौध्दिकान्त में यह अभिज्ञानों का वर्णन मिलता है । त्रिपिटक में विविध प्रसंगों पर इनका विविध रूप से निर्देश हुआ है । विशेष रूप से अभिज्ञान की वहाँ दो सूचियाँ मिलती हैं । प्रथम को प्रज्ञा कहा है जो समाधि से सम्बन्धित है । वे ५ हैं जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है । ये बोधिसत्त्वों और साधारण श्रद्धियों द्वारा भी प्राप्य हैं । दूसरी विषय सूची में यह अभिज्ञान हैं । जो विषयना से सम्बन्धित हैं उनकी प्राप्ति आश्रवणजन्य है । इसे अर्हत् साधना भी कहा है । इन अभिज्ञानों को साक्षात्कार ( सच्छिक्कातब्ब ) किया जाता है । प्रथमा श्रद्धि अथवा अभिज्ञान श्रद्धिविध का वर्णन ऊपर किया जा चुका है । इनके अतिरिक्त २. दिम्बसोतघातु, ३. चेतोपरिञ्चान, और ४. पुब्बेनिवासानु-स्सतिञ्चान हैं । चतुर्थ ज्ञान के अन्तर्गत संबत और विवर्त का परिज्ञान भी सम्मिलित है । संबर्तकल्प में प्रलय और बुद्धभोत्रों का ज्ञान तथा विवर्तकल्प में सृष्टि का ज्ञान अन्तर्भूत है । पञ्चम अभिज्ञान सत्त्वों की व्युत्पत्ति और उत्पत्ति का ज्ञान ( सत्तानं चतुत्पपातञ्चान ) है । इसमें यथाकर्मोपगज्ञान और अनागतवञ्चान ज्ञान गणित है ।

### (त) समापत्ति और निर्वाण

विषयना की प्राप्ति और अभिज्ञान की उपलब्धि के उपरान्त योगी समापत्ति-सुख का अधिकारी होता है । ध्यान समापत्ति, फलसमापत्ति, एवं निरोध समापत्ति के बाद योगी निर्वाण प्राप्त करता है । शरीर के रहने पर वह सोपधिषेव और शरीर नष्ट हो जाने पर निरूपधिषेव कहा जाता है ।

निर्वाण ( पालि निब्बान ) भौतिक इच्छाओं की समाप्ति का सूचक है । यह निर्वाण का निषेधात्मक रूप है । उसका निषेधात्मक रूप मोक्ष, निरोध, सन्त, सच्च, सिद्ध, अमत्, ध्रुव शरण, परायण, अकन्त, वेम, केवल, पद, पणीत्, अच्युत्, मुत्ति, विमुत्ति, सन्ति, बिसुत्ति, निम्बुत्ति आदि शब्दों में व्यक्त होता है ।

निर्वाण की प्राप्ति योगी की चरम उपलब्धि है और समस्त क्लेशों का उपशमन उसका साथ है । साधनार्थे उसके साधन हैं ।

स्थविरसादी योग साधना का यह रूप हीनयान सम्प्रदाय में भी हीनाधिक रूप से प्रचलित रहा है । सिद्धान्तों और साधनाओं के विकास में स्थविरवाद के अतिरिक्त हीनयान के जम्ब सम्प्रदायों में विकास के सोपान इष्टम् हैं । उनकी चरम परिणति महायानी साधना में दिक्ताई देती है ।



## २. महायानी साधना

स्वविरवादी ( हीनयानी ) साधना में साधक आत्मकेन्द्रित रहता है पर महायानी साधना इस सीमा को स्वीकार नहीं करती । उसमें तो साधक बहुमुखी व्यक्तित्व सम्पन्न और लोकपरायण हो जाता है । बौद्ध साधना का यह आध्यात्मिक क्रान्तिकारी दर्शन निःसन्देह आकर्षक, सुखदायक और अनुभूतिजनक था । उसकी लोकप्रियता का प्रधान कारण भी यही है ।

महायानी विचारधारा के साथ ही उसकी साधना का उदय हुआ । यह समय ई० पू० की लगभग तृतीय शताब्दी निर्दिष्ट किया जा सकता है । अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता महायानी साधना का सम्भवतः आद्यग्रन्थ होगा । उसके बाद तो महावस्तु, दिव्यावदान, अवदानशतक, बोधिचर्यावतार, शिक्षासमुच्चय आदि अनक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का सृजन हुआ । विज्ञानवाद और शून्यवाद नाम की दो शाखाओं में उसका विभाजन किया गया । इन दोनों शाखाओं में नागाजुंन, आर्यदेव सत्रेयनाथ, असंग, वसुबन्धु, दिङ्नाग, धर्मकीर्ति, अर्चट और शान्तरक्षित प्रधान हैं ।

महायानी साधना के प्रमुखतः तीन भेद हैं—बोधिचित्त के द्वारा पारमिताओं की प्राप्ति, दशभूमिया तथा त्रिकायवाद । महायानी साधना को बोधिसत्त्वसाधना भी कहा गया है ।

बोधिसत्त्व—साधना में बोधिसत्त्व समस्त विश्व का परोपकार और परित्राण करने का प्रणिधान करता है । यह प्रणिधान उसे अचित्तता अथवा परार्थचित्तता की स्थिति में लाकर सड़ा कर देता है । अचित्तता के अन्तर्गत महाकरुणा और महाप्रज्ञा का समन्वित रूप विद्यमान रहता है । बुद्धत्व की प्राप्ति का यह आधार स्तम्भ है । अचित्तता का सामान्यतः अर्थ पदार्थ के अस्तित्व को अस्वीकार करना अथवा उसे शून्य मानना है या यही शून्यतामयी दृष्टि सहायान की विशेषता है । उपायकीशल तथा पुण्यसंभार और ज्ञानसंभार से से इस दृष्टि में अधिक विद्युद्धि जाती है । पुण्यसंभार की प्राप्ति कुशलकर्माँ की विषेयता तथा अकुशल कर्माँ की निषेधता अथवा प्रहाणता पर निर्भर है । दृढ़ अभ्यवसाय और दृढ़ आशय इसके लिए अपेक्षित हैं । ज्ञानसंभार की उपलब्धि असंगता, निःस्वभावता एवं नैरात्म्य चिन्तन पर अधारित है । प्रज्ञापारमिता - ज्ञानसंभार है और ध्यान, शील, क्षान्ति, वीर्य एवं ध्यान पारमितायें पुण्य संभार

तन्त्र साधना का अशुभ लक्ष्य देवी शक्तियों को बंध में करके बुद्धत्व प्राप्ति करना है। इसमें प्रायः किसी शक्ति विशेष की उपासना की जाती है और उसे अत्यन्त गोपनीय रखा जाता है। इससे अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। आटानाटीयसुत में इस प्रकार के अलौकिक प्रदर्शन दिखाई देते हैं। जैसे मूढ बौद्धधर्म में मन्त्र, जप अथवा प्रतिष्ठा का कोई भी उल्लेख नहीं है पर वहाँ बुद्ध की चार शक्तियाँ अवश्य बताई गई हैं। छन्द ( इच्छा ), वीर्य ( प्रयत्न ), चिन्त ( विचार ) तथा वीमंसा ( परीक्षा )। इसके अतिरिक्त प्राण एवं चित्त के साधन भी बताये गये हैं। इन्हीं भावनाओं एवं विकसित अवस्थाओं को यहाँ विभिन्न नाम दे दिये गये हैं। उनमें तन्त्रयान, वज्रयान, मन्त्रयान, सहजयान प्रमुख हैं।

तान्त्रिक साधना के अनुसार दुष्कर और तीव्रतप की साधना करनेवाला सिद्धि नहीं पाता। सिद्धि वही पाता है जो यथेष्ट कामोपभोगों के साथ साधना भी करे। यही उसका योग है। साधना की दृष्टि से तन्त्रों के चार भेद हैं - क्रिया, चर्चा, योग और अनुत्तर योग। क्रियातन्त्र कर्मप्रधान साधना है। इसमें धारणी तन्त्रों का समावेश हो जाता है। यहाँ बाह्य धारीरिक क्रियाओं का विशेष महत्त्व है। चर्चातन्त्र समाधि से सम्बन्धित है। वैरोचन अभिसम्बोधि नामक ग्रन्थ में इस साधना का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। सनैमित्तिक एवं अनैमित्तिक योग इसके विशिष्ट प्रकार हैं। योगतन्त्र में महाभुद्रा, धर्मभुद्रा, समयभुद्रा और कर्मभुद्रा योग अधिक प्रचलित हैं। अनुत्तरतन्त्र वज्रसत्त्वसमाधि का दूसरा नाम है। साधना की दृष्टि से इसके दो भेद हैं—मातृतन्त्र और पितृतन्त्र। इन तन्त्रों की विधियों में प्रधान हैं - विबुद्धयोग, धर्मयोग, मन्त्रयोग और संस्थानयोग। इनको वज्रयोग भी कहा जाता है।

### तिब्बत और चीन में प्रचलित बौद्ध साधना

बौद्ध तान्त्रिक साधना भारत के बाहर अधिक लोकप्रिय हुई। तिब्बत, चीन और जापान ऐसे देश हैं जिनमें महायानी साधना का विकास अधिक हुआ है। तिब्बत में ईसा की सप्तम शताब्दी में सम्राट् स्रोक्चन गम्पो के राज्यकाल में बौद्धधर्म का प्रवेश हुआ। थोनमी सम्भोट आदि अनेक तन्त्र

१. दुष्करैर्नियमस्तीत्रैः सेव्यमानो न सिद्धयति

सर्वकामोपभोगेस्तु सेवयंत्राशु सिद्धयति ।

सर्वकामोपभोगैश्च सेव्यमानै यथेच्छतः

अनेन सहयोगेन लघु बुद्धत्वमोगतः ॥

तिब्बत से भारत आये और आचार्य विमलमित्र आदि अनेक विद्वान भारत से तिब्बत पहुँचे। यहीं से तिब्बत में भाषा, लिपि, धर्म और साधना का प्रचार प्रारम्भ होता है। सम्राट् खोङ्जन स्वयं प्रथम धर्मज्ञ और तन्त्रज्ञ थे। उन्हीं के काल में 'भगिकानुम' नामक तिब्बती साधना का ग्रन्थ लिखा गया।<sup>१</sup>

तिब्बती साधना की दो प्रणालियाँ हैं—पारमितानय और तान्त्रिकनय। पारमितानय में कल्याण और प्रज्ञा का आधार होता है तथा तान्त्रिकनय में महाकल्याण का ही आधार होता है। इन साधनाओं से तिब्बती साधकों का मुख्य उद्देश्य वज्रपद प्राप्त करना बताया गया है। कुछ और भी साधनाएँ हैं। महामुद्रायोग, हठयोग, पञ्चाङ्गयोग, षष्ठयोग, सहजयोग, उत्पत्ति-क्रमयोग, प्रत्याहारयोग आदि। लोकेश्वर, अक्षोभ्य, कालचक्र, लामार्ई नलजोर आदि नाम की साधनाएँ भी प्रचलित हैं।

### जापान में प्रचलित बौद्ध साधना

सामान्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा की सप्तम शताब्दी में ही बौद्धधर्म जापान में सम्भवतः कोरिया से पहुँचा। वहाँ सम्राट् शोतोकु ने उसे अशोक के समान संरक्षण प्रदान किया। कालान्तर में जापान में बौद्धधर्म का पर्याप्त विकास हुआ और फलतः स्यारट् सम्प्रदाय खड़े हो गये—कुश (अभिधार्मिक) और जोजित्सु (अभिधार्मिक) थेरवादाश्रयी हैं तथा सनरान (शून्यतावादी) होस्सो (आदर्शवादी), केगोन (प्रत्येक बुद्धानुसारी), तेण्डई (प्रत्येक बुद्धानुसारी), जेन (प्रत्येक बुद्धानुसारी), जोडो (सुखावती व्यूहानुसारी), शिशु (सुखावतीव्यूहानुसारी और निचिरेन (सद्धर्मपुण्डरीकानुसारी)। इन में शिगोन, जेन और निचिरेन सम्प्रदाय साधना की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हैं। ये सभी साधनाएँ भारत में प्रचलित बौद्ध साधना के समानान्तर अथवा किञ्चित् विकसित रूपान्तर लिये हुए हैं।<sup>२</sup>

बौद्ध योगसाधना के उक्त समग्ररूप<sup>३</sup> को देखने से यह स्पष्ट है कि वह मूल बौद्धधर्म की भित्ति पर प्रस्थापित एक योग प्रक्रिया है। उसका विकसित रूप उत्तरवैश्वीय संस्कृति और सभ्यता के तत्वों पर आधारित रहा है। भारतीय बौद्धेतर संस्कृतियों में स्वीकृत योगसाधना से भी बौद्धयोग साधना का आदान-प्रदान हुआ है। इसकी परिधि और विस्तारण अभी शेष है। इस दृष्टि से पातिमोक्ष की सभी परम्पराओं का विशेष अध्ययन अपेक्षित है।

१. तिब्बतज्ज योग, बुद्धिज्ज इन तिब्बते आदि ग्रन्थ देखिये।

२. *Japanese Buddhism Essays in Zen Buddhism*

३. बौद्ध साधना का विकास, पृ. २३-७३

पातिमोक्ष की विभिन्न परम्परायें—पातिमोक्ष के नियमों की विभिन्न परम्परायें साहित्य में उल्लेख होती हैं।<sup>१</sup>

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	कुल
सर्वातिवादियु	४	१३	२	१३	६०	४	११३	७	२६३
संस्कृत	"	"	"	"	"	"	"	"	२६३
विनय निदान सूत्र	"	"	"	"	"	"	"	"	२६३
सर्वास्तिवाद विनय	"	"	"	"	"	"	१०७	"	२५७
सर्वास्तिवाद विनय विभाषा	"	"	"	"	"	"	६१	"	२४१
मूल सर्वास्तिवादियु और व्याख्या	"	"	"	"	"	"	६८	"	२४८
तिल्लतल	"	"	"	"	"	"	१०८	"	२५८
महाभ्युत्पत्ति	"	"	"	"	"	"	१०५	"	२५५
धर्मगुण और टीका	"	"	"	"	"	"	११०	"	२५०
महाशासक और व्याख्या	"	"	"	"	६१	"	१००	"	२५१
क्रासपणिय	"	"	"	"	६०	"	६६	"	२४६
उपाधि परिपृच्छा	"	"	(२)	"	६२	"	७२	(७)	(२२४)
सूत्र	"	"	...	"	"	"	...	...	२१५
पाणि	"	"	२	"	"	"	७५	७	२२७
महासाधिक	"	"	"	"	"	"	६६	"	२१८

१. A comparative study of the pratimoksa, pichow' Ph. D., शारदाभिक्षा, १९५५।

रचना काल—प्रातिमोक्ष के इन नियमों की संख्या से यह स्पष्ट है कि सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय में भिक्षु नियमों की संख्या सर्वाधिक थी—२६३ और महासाधिकों में सबसे कम थी—२१८। बुद्ध के समय में इनमें से कितने नियम प्रचलित थे, कहना कठिन है। इनके सन्दर्भ में सुत्तविभाग में जो कथायें दी गई हैं वे प्रायः कल्पनात्मक मानी गई हैं। पर उनमें तथ्यांश तो अवश्य होना चाहिए। पालि प्रातिमोक्ष से सम्बद्ध घटनाओं ने ही प्रातिमोक्ष का निर्माण किया है। अतः इसकी रचना में एक नहीं, अनेक भिक्षुओं का हाथ है। अशोक के समय तक प्रातिमोक्ष स्थिर हो चुका होगा क्योंकि मात्र शिलालेख में जिन सात ग्रन्थों का उल्लेख है, उनमें विनय समुत्तस का प्रथम स्थान है। इसका सम्बन्ध प्रातिमोक्ष से ही होना चाहिए। अतः प्रातिमोक्ष की रचना की ऊपरी सीमा ५०० ई. पू. और निचली सीमा २५० ई. पू. मानी जा सकती है।

प्रातिमोक्ष का उद्भव और विकास—प्रातिमोक्ष का उद्भव परम्परानुसार विपस्ती से माना जा सकता है। उनके कथन को ही आगे के बुद्धों ने दुहराया है। पञ्चति कथा में पूछा गया है कि विपस्ती आदि तथागतों के समक्ष ब्रह्मचर्य चिरकाल तक क्यों नहीं ठहरा? भगवान् बुद्ध ने इसका उत्तर दिया कि उन लोगों ने श्रावकों को विस्तार से उपदेश दिया, संक्षेप से नहीं। अतः तथागतों के अन्तर्धान हो जाने पर वह सब विस्मृत हो जाता था। प्रातिमोक्ष भी नहीं बताया जाता था। तब सारिपुत्त ने भगवान् से संक्षेप में शिक्षापदों एवं प्रातिमोक्ष सूत्रों को बताने का आग्रह किया। प्रस्तुत पालि प्रातिमोक्ष उसी परम्परा पर आधारित है। वैसे इसका प्रादुर्भाव विपस्ती की निम्न गाथाओं में खोजा जा सकता है।

खन्ति परमं तपो तितिक्षा

निब्बानं परमं वरन्ति बुद्धा ।

सन्ना पापस्स अकरणं कुसलस्स उपसंपदा ।

सच्चित्त परियोधपनं एतं बुद्धान सासनं ॥

प्रातिमोक्ष का विकास संगीतियों के माध्यम से हुआ है। भाषा और संस्कृति की विभिन्नता भी इसमें एक बड़ा कारण रहा होगा। इसी सन्दर्भ में स्वर्ण आदि रखने के १० नियमों की कहानी भी जुड़ी है। रजत और स्वर्ण का विधान यक्ष ने संगीति में उठाया था जो मान्य कर लिया गया था। यह निःसर्गिक—मात्यन्तिक का १८ वां नियम है। महासाधिकों के शेष ९ नियमों का कोई विशेष परिचय नहीं मिलता। सम्भव है वे ९ नियम उत्तरकालीन रहे हों।

द्वितीय संकीर्ण में महादेव के सिद्धान्त भी इसी प्रकार के विघटन के कारण बने। अतः लयता है, आचार की अपेक्षा विचार वैभिन्य संघर्ष का मूल कारण रहा होगा। श्लोकोत्तरवाद, सर्वास्तिवाद, चिन्तानवाद, आदि सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव भी विचारों की विविधता की पृष्ठभूमि में ही हुआ है।

पातिमोक्ष का संकल्प क्रमिक रूप से नहीं हुआ बल्कि अपराधों की गम्भीरता के आधार पर हुआ है। सबसे बड़ा अपराध पाराजिक है जिसके कारण शिषु संघ से निष्कासित कर दिया जाता है। इसी प्रकार उससे कम गम्भीर अपराध क्रमशः संघादिशेष, अनियत, निःसंगिक—पाल्यन्तिक, प्रातिदेसनीय, शैश और अधिकरणसमथ। पर यह निष्कर्ष भी सही नहीं क्योंकि अनियत, शैश और अधिकरणसमथ नियम परिस्थितियों आदि पर निर्भर करते हैं। ध्यायद यही कारण है कि अन्य सम्प्रदायों में पातिमोक्ष के नियमों का यही क्रम नहीं रखा गया।

वर्ग विभाजन—पातिमोक्ष के नियमों को वर्गों में भी विभाजित कर दिया गया है। भिक्खु पातिमोक्ष का वर्ग विभाजन इस प्रकार है। पाराजिक, संघादिशेष और अनियत में कोई वर्ग नहीं। निस्संगिय—पाचित्तिय में ३ वर्ग हैं—

१. चीवरवग्ग (१०), २. कोसियवग्ग (१०), और ३. पत्तवग्ग (१०)। पाचित्तिय में ६ वर्ग हैं—१. सुसावादवग्ग (१०), २. भूतगामवग्ग (१०), ३. भिक्खुनोबादवग्ग (१०), ४. भोजनवग्ग (१०), ५. अचेलकवग्ग (१०), ६. सुरापानवग्ग (१०), ७. सप्पाणकवग्ग (१०), ८. सहर्षम्मकवग्ग (१२), और ९. रतनवग्ग (१०)। पाटिदेसनीय में कोई वर्ग नहीं। सेत्थिय में ७ वर्ग हैं—१. परिमंढलवग्ग (१०), २. उज्जग्घिकवग्ग (१०), ३. खम्भकवग्ग (१०), ४. सक्कच्चवग्ग (१०), ५. कवलवग्ग (१०), ६. गुरुसुखवग्ग (१०), और ७. पादुकावग्ग (१५)। अधिकरणसमथ में कोई वर्ग नहीं।

भिक्खुनी पातिमोक्ष—में पाराजिक और संघादिशेष में वर्ग विभाजन नहीं है। निस्संगिय—पाचित्तिय में ३ वर्ग हैं—१. पत्तवग्ग (१०), २. चीवरवग्ग (१०), और जातरूपवग्ग (१०)। पाचित्तिय में १६ वर्ग हैं—१. लसुनवग्ग (१०), २. रसन्यकारवग्ग (१०), ३. नग्गवग्ग (१०), ४. तुक्कट्टवग्ग (१०), ५. चित्तागारवग्ग (१०), ६. आरामवग्ग (१०), ७. गान्धिनीवग्ग (१०), ८. कुमारिभूतवग्ग (१३), ९. छत्तवग्ग (१३), १०. सुसावादवग्ग (१०), ११. भूतगामवग्ग (१०), १२. भोजनवग्ग (१०), १३. चरित्तवग्ग (१०), १४. जोतिवग्ग (६), १५. विट्ठिवग्ग (११), और १६. मम्मिकवग्ग (१०)।

इन दोनों प्रातिमोक्षगत नियमों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नियमों के विधानक्रम में एकरूपता अथवा समान क्रम नहीं रखा गया है। मूलसर्वास्तिवाद सम्प्रदाय में यह विभाजन अधिक वैज्ञानिक है। अन्य सम्प्रदायों में भी क्रमवैभिन्न्य है। यह ठीक भी है, क्योंकि उत्तरकाल में हर सम्प्रदाय के अपने-अपने केन्द्र बन चुके थे। जैसे सर्वास्तिवाद कश्मीर में, महासांघिक पाटलिपुत्र में, स्थविरवाद राजगृह में। विशेष रूप से शैक्ष घर्मों में विभिन्नता आना स्वाभाविक थी। इसका कारण था, जैसा ऊपर कह दिया गया है, उस समय स्थविर नियमों के अर्थों में और परम्पराओं में परिवर्तन कर रहे थे। भाषा और संस्कृति की विविधता भी इसमें कारण थी। विनीतदेव ( ८ वीं शती ) ने लिखा है कि सर्वास्तिवादी संस्कृत महासांघिक प्राकृत, सम्मितीय अपभ्रंश और स्थविरवादी सम्प्रदाय पंचाची का उपयोग किया करते थे। शैक्षघर्म कभी भी नियतसंबन्धक नहीं रहे। उनमें यथासमय लोकव्यवहार की दृष्टि से परिवर्धन होता रहा है। सामान्यतः भिक्षुशीलनिर्देश से प्रातिमोक्ष का विकास मानने पर उपोसथ आदि का विकासक्रम भी संगत बन जाता है।

अन्य विनय नियमों का प्रभाव—बौद्ध विनय पर जैन और वैदिक विनय का पर्याप्त प्रभाव रहा है। प्रातिपक्ष विनयपाठ जीवन की शुद्धि के लिए किया जाता था। इसके लिए भिक्षु—भिक्षुणी को संघ के समक्ष जाना आवश्यक था पर कुछ ऐसे भी उद्धरण मिलते हैं जहाँ अपवित्र अथवा पापकृत भिक्षु को संघ में इस निमित्त प्रवेश नहीं दिया गया।<sup>१</sup> जैनविनय में प्रायश्चित्त आदि की विधि इस सन्दर्भ में स्मरणीय है।

पंचशील बौद्धों में बहुत प्रचलित है। पर वह केवल उसी की सम्पत्ति नहीं। जैन और वैदिक सम्प्रदाय में भी लगभग उसी प्रकार के आचार का विधान है। जैनधर्म के पाँचव्रत तो बिलकुल वैसे ही हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। बुद्ध बहुत भी पूर्व उनका विधान जैन धर्म में हो चुका था।<sup>२</sup> वर्षावास का विधान जैन भिक्षुओं में स्वीकृत विधान के आधार पर हुआ ही था। खान-पान आदि सम्बन्धी विधान भी इसी प्रकार हैं जो जैन विनय से भावित रहे हैं। संघ विधान भी मिलता-जुलता सा है। इसका विशेष अध्ययन आग प्रस्तुत किया जायगा।

१. महापदान सुत्त, ३-२८

२. देखिए लेखक का प्रबन्ध—Jainism in Buddhist Literature.

## बौद्ध विनय सम्बन्धी प्राचीन साहित्य

बौद्ध विनय ( प्रातिमोक्ष ) पर पालि, संस्कृत आदि प्राचीन भाषाओं में बहुत साहित्य लिखा गया है। उसका किञ्चित् विवरण निम्न प्रकार है—

स्यविरवाद ( पालि ) विनयपिटक—सं० Oldenberg, ५ भाग, P. T. S., लन्धन आदि १८७६-१८७३। अंग्रेजी में अनुवादित—I. B. Hoerner, ६ भाग, P. T. S., १९३८-५२। नागरी संस्करण—सं० भिक्षु जगदीश कश्यप, १९५६, हिन्दी अनु. राहुल सांकृत्यायन, सर्वास्तिवादी विनय पिटक—(संस्कृत) प्रातिमोक्ष, सं० Finot, JA., १९१३, Waldschmidt भिक्षुप्रातिमोक्ष, Leipzig, १९२६, Rosen ( विनयविभाग ), Berlin, १९५६, Hartel (विनयवस्तु: कर्मवाचना), Berlin, १९५६, Ridding, (विनयवस्तु, भिक्षुणी कर्मवाचना), JA. १९३८, Rouren ने विनयोत्तरग्रन्थ की उपाधिपरिपृच्छा को भी सम्मिलित किया है। सर्वास्तिवादिन्—( चीनी ) T. १४३५, T. १४३६, T. १४३७ और T. १४४१। मूलसर्वास्तिवादिन—( संस्कृत )—प्रातिमोक्षसूत्र—सं० बनर्जी, I. H. Q. १९५३, विनयविभाग—सं० Rosen; विनयवस्तु—सं० दत्त ( गिलगिट मेन्सफ़र्ट्स ), कलकत्ता, १९४२-५०, चतुष्परिषत्सूत्र—सं० Tucci। तिब्बतन्—Rockhill द्वारा The life of the Buddha में अनुदित। चीनी—T. १९४२-५१, और १४५४-५, धर्मगुप्तक ( संस्कृत )—Ritsuzo no kenkyu में कुछ भाग Hirakawa द्वारा उल्लिखित। चीनी—T. १४२८-३१। महीसांसक ( चीनी ) T. १४२१-४। काश्यपीय ( हैमवत, चीनी, केवल विनयमात्रिका ) T. १४६३, महासांघिक ( चीनी ) T. १४२५-७, सारिपुत्रपरिपृच्छा, T. १४६५। लोकोत्तरवादिन्—( संस्कृत )—प्रातिमोक्षसूत्र—सं० Pa-chow और मिश्र, इलाहाबाद, १९५६. महावस्तु—सं० Senart, पेरिस, १८८२-९७। अनु. Jones P.T.S. १९४९-५६ (तीन भाग)। टीकार्ये—अनुकथा—समन्तपासादिका ( बुद्धचोप ), सं०—Takakusu आदि, ७ भाग, P. T. S. १९२४-४७. भूमिका भाग का अनुवादन Jayawickrama ने Inception of Discipline के नाम से किया है, P. T. S. १९६२। टीका—पोराण ( वज्रबुद्ध ) सं० Rangoon, १९४९-२१. नया संस्करण, १९६१ छद्दुसंगायन। सारत्वदीपनी ( सारिपुत्त ), ४ भाग, १९०२—

---

T. का तात्पर्य है Taisho. ( Hobogirin, इन्वेक्स ) संस्करण, महायान त्रिपिटक भी देखिए।



२४. वैवरिक्खत्त और मैधंकर द्वारा अपूर्ण टीका, कोलम्बो, १९१४-१९३३ । विप्रतिबिन्दनी ( काव्यप )—सं० Rangoon, २ भाग, १९१३, धम्मावर-  
त्तिस द्वारा १ भाग, कोलम्बो १९३५ । अट्टयोजना ( नानकिरि ), Bangkok  
१९२७-८ । विनयत्थमञ्जूसा ( बुद्धनाग ), सं० एकनायक, कोलम्बो, १९१२ ।

बुद्धकसिक्खा ( धर्मश्री ), सं० Muller J. P. T. S. १८८३ । पोरण  
( धर्मश्री )—अप्रकाशित । नव ( संघरक्खित्त ), अप्रकाशित । मुसंगलप्पसादनी  
( वचिस्सार ), अप्रकाशित । मूलसिक्खा ( धर्मश्री ), सं० Muller, J. P.  
T. S. १८८३ पोरण ( विमलसार ), अप्रकाशित । अभिनव ( वचिस्सार ),  
अप्रकाशित, विनयविनिच्छय ( बुद्धदत्त ), सं० बुद्धदत्त, P. T. S. १९२८  
और उत्तर विनिच्छय ( बुद्धदत्त )—सं० बुद्धदत्त, P. T. S. १९२८ । पोरण  
( उपत्तिस ), अप्रकाशित । विनयसंघ ( सारिपुत्त ), अप्रकाशित । विनय  
समुद्धानदीपनी ( सद्धम्मजातिपाल ), अप्रकाशित । पातिमोक्खविसोधनी ( सद्धम्म-  
जोतिपाल ) अप्रकाशित । विनयविभंगपदव्याख्यान ( विनीतदेव ) तिब्बतन ।  
विनयवस्तुटीका ( कल्याणमित्र ), तिब्बतन । विनयसंग्रह ( विशेषमित्र ),  
धामेणेरकारिका ( शाक्यसुभ ) आदि टीकायें प्रातिमोक्षसूत्र पर तिब्बती भाषा में  
उपलब्ध हैं । समन्तपासादिका ( बुद्धघोष ), सारत्यदीपनी, निदान कथा आदि  
ग्रन्थ भी प्रसिद्ध हैं । विनयसूत्र ( गुणप्रभ ) विनयसूत्रटीका ( धर्ममिश्र ) आदि  
महायानी विनय के ग्रन्थ हैं ।

ये सभी विनय ग्रन्थ मूलतः पालि विनयपिटक के अन्तर्गत पातिमोक्ख पर  
आधारित हैं । उत्तरकालीन सम्प्रदायों का विनय स्वभावतः उत्तरकालीन  
साहित्य में प्रतिबिम्बित होगा ही । उपर्युक्त विनय साहित्य में भी बौद्ध सम्प्रदाय  
के लगभग सभी प्रमुख सम्प्रदायों का आचार विधान उल्लिखित है । सांस्कृतिक  
बातावरण की पृष्ठभूमि में उनकी उत्पत्ति और विकास हुआ है । इस दृष्टि से  
पातिमोक्ख ( प्रातिमोक्षसूत्र ) विशेष महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ कहा जा सकता है ।  
प्रस्तुत संस्करण—

## अहिंसा के प्राचीन सन्दर्भ

अहिंसा धर्म-संस्कृति की आधारशिला है। उसका प्रत्येक सिद्धान्त अहिंसात्मक भावना से अनुप्राणित है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, और माध्यस्थ भावों का अनुवर्तन, समता और अपरिग्रह का अनुचिन्तन, नय और अनेकान्त का अनुग्रहण तथा संयम और सच्चरित्र का अनुसाधन अहिंसा के प्रधान स्तम्भ हैं। धर्म-संस्कृति का समूचा साहित्य अहिंसा की साधना से आपूर है। उसकी पुनीत पृष्ठभूमि अहिंसा से अनुरजित है।

अहिंसा और धर्म—अहिंसा और धर्म ये दोनों शब्द पर्यायार्थक कहे जा सकते हैं। वे परस्पर सम्मिलित और अवलम्बित हैं। धर्म का स्वरूप विविध आचार्यों ने विविध प्रकार से किया है। शार्यद इसीलिये किसी विवेचक ने उसकी भिन्नता को स्वीकारते हुए उसे रहस्यमय बताया और महापुरुष द्वारा अपनाये गये मार्ग को ही धर्म माना।

श्रुतिविभिन्नाः स्मृतिविभिन्नाः नैको धुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् ।

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्था ॥

धर्म तत्त्व विवादग्रस्त भले ही बना रहें पर उसकी सभी व्याख्याएँ अहिंसा एवं सर्वधर्मसमभाव के आसपास मड़राती हैं। ऋग्वेद में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच और इन्द्रियनिग्रह के सामासिक रूप को धर्म कहा है।<sup>१</sup>

धर्मं रतः सत्पुरुषैः समेतास्तेजस्विनो दानगुणप्रधानाः ।

अहिंसा वीतमलाश्च लोके भवन्ति पूज्याः धुनयः प्रधानाः ॥<sup>२</sup>

धर्म और सत्य की एकाकारता भी आचार्यों ने प्रदर्शित की है। “यो वै स धर्मः, सत्यं वै तत्” ( मनुस्मृति १-४-१४ ) “सत्याद्धर्मो दमश्चैव सर्वं सत्ये

१. अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

एतत् सामासिको धर्मं चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मुनिः ।

यन्मूलमस्या गतिं मित्रस्य यामां पथा

अस्य प्रियस्य शर्मण्यहिंसानस्य सश्चरे ॥ ऋग्वेद ५-६४-३.

२. वाल्मीकि रामायण ३६-१०६.

प्रतिष्ठातृ" ( महाभारत, शान्तिपर्व ) आदि जैसे कथन इस एकाकारता के ही प्रीषक हैं । भगवान् महावीर और बुद्ध ने धर्म को और अधिक सार्वभौमिक बनाया । महावीर ने धर्म को सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्र, इन तीनों तत्त्वों का समन्वित रूप माना है<sup>१</sup> और इसी को संसार को पवित्र करने वाला बताया है ।<sup>२</sup> दान, सत्य, तप, शौच, कारुण्य आदि मानवीय गुण व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होते हैं ।<sup>३</sup> अथोक का सातवाँ स्तम्भ-लेख भी इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, जहाँ उसने दया, दान, सत्य, शौच, मार्दव, साधन आदि गुणों की प्राप्ति के साधन निर्दिष्ट किये हैं । ये साधन मुख्यतः धर्मनियम और धर्ममनन ( धम्मनिज्जति ) हैं । 'अभिहिंसाभूतानां, अनारम्भप्राणानां' का उद्बोध यहाँ किया गया है । आचार्य उमास्वामी ने भी "उत्तमक्षमामार्दवार्जवसत्यशौचसंयमतपत्यागाकिञ्चन्यङ्गहृत्पर्याणि धर्मः"<sup>४</sup> लिखकर इसी उदार कथन का समर्थन किया है ।

भगवान् बुद्ध ने 'धम्मचक्रपवत्तन' कर विश्व नियम ( Universal truth ) को स्पष्ट किया है । भिक्षुओं को 'धम्मदायाद' का आदेश दिया है और इसके निमित्त सम्पत्ति, अंग, जीवन आदि सब कुछ छोड़ देने का निर्देश दिया है ।

धनं चजे अंगवरस्य हेतु अंगं चजे जीवितं रक्खमाणि ।

अंगं धनं जीवितचापि सच्चं चजे नरो धम्ममनुस्सरन्तो ॥<sup>५</sup>

धर्म के इस प्रकार के सम्बन्ध से ही सभी सम्पर्क उत्तरदायित्वपूर्ण तथा स्नेहमय बने रहते हैं । अन्यथा पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वधक हो जाता है । सभी सामाजिक नियमों को सुव्यवस्थित बनाये रखने के लिये धर्म ( अन्तःकरणप्रसूत मानवता ) का आश्रय नितान्त आवश्यक है । सामाजिकता की स्वीकृति का भी यह आश्रयस्थल है ।

१. सदृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः—रत्नकरण्ड, समन्तभद्र

२. पवित्री क्रियते येन येनैवोद्घियते जगत् ।

नमस्तस्मै दयादाय धर्मकल्पाङ्घ्रियाय वै ॥ वही.

३. नित्यं दानं तथा दारुण्यमार्जनं चैव नित्यदा ।

उत्साहोऽपानहंकारः परमं सौहृदं क्षमा ॥

सत्यं दान तपः शौचं कारुण्यं वागनिष्ठुरा ।

मित्रेषु चानभिद्रोहः सन्तिष्वभवत् प्रभौ ॥ महा० शान्तिपर्व

४. तत्वार्यसूत्र, ६-६

५. जातकट्ठकथा, विसुद्धिमग्ग, सीलनिद्दिस में उद्धृत ।

धर्म की जल व्याख्या के साथ ही उसका एक सार्जनिक रूप भी उपलब्ध होता है, जिसमें वस्तु ( पदार्थ ) के स्वभाव पर गम्भीरता से विचार एवं चिन्तन किया गया है । धर्म का यह सार्जनिक रूप है ।

धम्मो वस्तुसहाजो क्षमादि भावो दसविहो धम्मो ।

रयणत्तयं व धम्मो जीवाणं रक्खयं धम्मो ॥<sup>१</sup>

इस परिभाषा में धर्म की चार विशेषताएँ प्रस्तुत की गई हैं—१. वस्तु स्वभाव धर्म है, २. क्षमादिक दस गुण धर्म है, ३. सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य रूप तलत्रय का पालन धर्म है, और ४. जीवों का संरक्षण धर्म है । वस्तु का स्वभाव अपरिवर्तनीय रहता है । जल का शीतत्व व अग्नि का उष्णत्व कभी बदला नहीं जा सकता । जितने समय के लिए उसमें विकार भाव आता है, वह किसी बाह्य वस्तु के संसर्ग का परिणाम है । इसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव मनुष्यता है । अहिंसक होना है । उसमें हिंसा के भाव जाग्रत होना राग, मोह, द्वेष, लोभ आदि परिणामों का विकार है जो आत्मा का मूल रूप नहीं है । आत्मा का मूल रूप तो है समभाव होना व स्वरूप में रमण करना ( चारित्तं ) । यही मोह-क्षोभ से विरहित आत्मा का परिणाम है ।

चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिद्धिट्ठो ।

मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो हू समो ॥

चरणं ह्वइ सधम्मो धम्मो सी ह्यइ अप्पसमभावो ।

सो रागदोसरहिओ जीवस्स अणण्ण परिणामो ॥<sup>२</sup>

मोक्खपाहुइ, गा, ५०

बुद्ध ने भी 'सब्बे धम्मा अनिच्चा' कहकर धर्म का अर्थ पदार्थ छिया है । "ये धम्मो हेतुप्पभवो" मे धर्म का अर्थ स्वभाव, अवस्था, गुण, कर्तव्य, विचार आदि किया गया है । बौद्धधर्म में धर्म को त्रिरत्नों में परिगणित किया है । बाद में बुद्ध और उनके धर्म में तादात्म्य स्थापित किया गया—“यो धम्मं पस्सति सो मम पस्सति, यो मम पस्सति सो धम्मं पस्सति ।” महायान सम्प्रदाय में धर्मकाय की स्थापना कर बुद्ध और धर्म को और भी अधिक एकाकार कर दिया गया । आचार्य बुद्धघोष ने धर्म के चार अर्थ किये हैं—१. परिणति या सिद्धान्त, २. हेतु ३. गुण और ४. निस्सत्त-निज्जीवता ( विसुद्धिमग्ग ) ।

इस प्रकार धर्म वस्तुतः आत्मा का एक स्पन्दन है जिसमे कारण्य, सहाय्यसृष्टि, सहिष्णुता, परोपकार वृत्ति आदि जैसे गुण विद्यमान रहते हैं । वह किसी जाति

१. कस्सिगेयाणुवेक्खा, गाथा ४७६.

२. प्रवचनसार १-७. तुल्यार्थ देखिये ।

या सम्प्रदाय से सम्बद्ध नहीं। उसका स्वरूप तो सार्वात्मिक, सार्वात्मिक और लोकमातृलिक है। व्यक्ति समाज व राष्ट्र का अभ्युत्थान ऐसे ही धर्म की परिचीमा में सम्भव है।

**अहिंसा का स्वरूप—**धर्म और अहिंसा में शब्दभेद है, गुणभेद नहीं। धर्म अहिंसा है और अहिंसा धर्म है। जेज उसका व्यापक है। अहिंसा एक विशेषार्थक शब्द है। यह अधिक संभव है कि वह विधिपरक हिंसा के अनन्तर प्रयुक्त हुआ होगा। इसलिए संयम, तप, दया, आदि जैसे मानवीय शब्दों का प्रयोग पूर्वतर रहा होगा। क्योंकि विधेयावस्था के बाद ही विशेषावस्था का उदय होता है।

हिंसा का मूल कारण है प्रमाद अथवा कषाय। इसी के बशीभूत होकर जीव के मन, वचन, काय मे क्रोधादि एवं रागादि भाव प्रकट होते हैं, जिनसे स्वयं के शुद्धोपयोग रूप भावप्राणों का हनन होता है। कषायादिक की तीव्रता के फलस्वरूप उसके आत्मवात रूप द्रव्य प्राणों का भी हनन संभव है। इसके अतिरिक्त दूसरे को मरान्तक वेदनादान अथवा परद्रव्यव्यपरोपण भी इन्हीं भावों का कारण है।<sup>१</sup> इस प्रकार हिंसा के चार भेद हो जाते हैं।—स्वभाव-हिंसा, स्वद्रव्यहिंसा, परभावहिंसा और परद्रव्यहिंसा। आचार्य उमास्वामी इसी को संक्षेप में 'प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा' कहते हैं<sup>२</sup> इसलिये भिक्षुओं को कैसे चलना फिरना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि उसे बलपूर्वक-अप्रमत्त होकर उठना बैठना चाहिए, यत्नपूर्वक भोजन-माषण करना चाहिए।

कहं चरे ? कहं चिट्ठे ? कहमासे कहं सए ?

कथं मुञ्चन्तो भासन्तो ? पावं कम्मं न बंधई ?

जयं चरे जयं चिट्ठे जयमासे जयं सए ।

जयं मुञ्चन्तो भासन्तो पावं कम्मं न बंधई ॥<sup>३</sup>

१. यत्खलु कषाययोगात् प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम् ।

व्यपरोपणस्य करणं सुनिम्बिता भवति सा हिंसा ॥ पुरूषार्थसिद्धयुपाय, ४३

२. तत्त्वार्थ सूत्र, ७.६, तुलनार्थं देखिये

हिंसायामविरमणं हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा ।

तस्मात्प्रमत्तयोगे प्राणव्यपरोपणं नित्यम् ॥ पुरूषार्थसिद्धयुपाय, ४८

३. दशवैकालिक ४.७-८

गीता में इस प्रश्न की भाषा है ।

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव ।

स्थितधीः किं प्रभाषेत् किमासीत् ब्रजेत् किम् ॥२५४॥

इतिवृत्तक (१२) में इस प्रश्न का उत्तर दशवैकालिक से मिलता-जुलता दिखाई देता है—

यतं चरे यतं तिष्ठे यतं अच्छे यतं सये ।

यतं सम्मिज्जये भिक्खू यतमेनं पसादए ॥

हिंसा का प्रमुख कारण रागादिक भाव है ।<sup>१</sup> उनके दूर हो जाने पर स्वभावतः अहिंसा भाव जाग्रत हो जाता है । दूसरे शब्दों में समस्त प्राणियों के प्रति संयम भाव ही अहिंसा है—“अहिंसा निज्णं विट्ठा सब्बद्वयेसु संजमो ।”<sup>२</sup> जगत् का हर प्राणी अधिकाधिक सुख प्राप्ति के साधन जुटाता है । उसे मरने की आकांक्षा नहीं होती ।<sup>३</sup> उसके ये सुख प्राप्ति के साधन अहिंसा व संयम की पृष्ठभूमि में जुटाये जाने चाहिये । व्यक्ति, समाज व राष्ट्र के अस्तित्वात्न के लिए यह आवश्यक है कि वे परस्पर एकात्मक कल्याण मार्ग से आबद्ध रहें । उसमें सौहार्द, आत्मोत्थान, स्थायी शान्ति, सुख और समृद्धि के पवित्र साधनों का उपयोग होता रहे । यही यथार्थ में उत्कृष्ट मंगल है ।

धम्मो मंगलभुक्किट्ठं अहिंसा संजमो तवो ।

देवावितं तमंसंति जस्स धम्म सया मणो ॥<sup>४</sup>

अहिंसा के एक देश का पाळन गृहस्थ वर्ग करता है और सब देश का पाळन मुनि वर्ग करता है । उसी को जैन शास्त्रीय परिभाषा में क्रमशः अणुव्रत और महाव्रत कहा गया है । सकलचारित्र और विकलचारित्र इसी के पर्यायाधिक शब्द हैं । गृहस्थ वर्ग संकल्पी, आरम्भी, उद्योगी और विरोधी रूप स्थूल हिंसा का स्वागी नहीं रहता जबकि मुनिवर्ग सूक्ष्म और स्थूल, दोनों प्रकार की हिंसा से दूर रहता है ।

मन, बचन और काय से संयमी व्यक्ति स्व-पर का रक्षक तथा मानवीय गुणों का आगार होता है । शील-संयमादि गुणों से आपूर व्यक्ति ही सत्पुरुष

१. अप्रादुर्भावः स्रष्टु रागादीनां भवत्याहिंसेति ।

तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संज्ञेयः ॥ पुरुषार्थः, ४४

२. दशवैकालिक, ६.८

३. वही, ६.१०, संयुक्तिकाय, १.३.८

४. वही, १.१, देसिए, धम्मपव, १६.६

है। जिसका चित्त मलीन व पापों से दूषित रहता है वह अहिंसा का पुजारी कभी नहीं हो सकता। जिस प्रकार घिसना, छेदना, तपाना और ताड़ना इन चार उपायों से सुवर्ण की परीक्षा की जाती है उसी प्रकार श्रुत, शील, तप और दयारूप गुणों के द्वारा धर्म एवं व्यक्ति की परीक्षा की जाती है।

संचयु सीछु सञ्चयु तवु जसु सूरि हि गुरु सोई ।

दाह छेदक सघायकयु उत्तयु कंचणु होई ॥<sup>१</sup>

जीवन का सर्वाङ्गीण विकास करना संयम का परम उद्देश्य रहता है। सूत्रकृतांग में इस उद्देश्य को एक रूपक के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया गया है। वहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार कछुआ निर्भय स्थान पर निर्भीक होकर चलता-फिरता है किन्तु भय की आशंका होने पर शीघ्र ही अपने अंग-प्रत्यंग प्रच्छन्न कर लेता है और भय विमुक्त हो जाने पर पुनः अंग-प्रत्यंग फैलाकर चलना-फिरना प्रारम्भ कर देता है उसी प्रकार संवमी व्यक्ति अपने साधनामार्ग पर बड़ी सतर्कतापूर्वक चलता है। संयम की विराधना का भय उपस्थित हो जाने पर पंचेन्द्रियों व मन को आत्मज्ञान-अंतर में ही गोपन कर लेता है।<sup>२</sup>

बुद्ध ने सुत्तनिपात में प्राणिमात्र के प्रति प्रेम करने का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि शान्तपद ( निर्वाण ) के इच्छुक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह योग्य तथा अत्यन्त सरल बने। उसकी बात मृदु, सुन्दर और विनम्रता से भरपूर हो। वह सन्तोषी व इन्द्रियसंयमी हो। उसकी यह सप्रयत्न भावना रहे कि सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो और सभी शुभपूर्वक रहें ( सुखिनो वा खेमिनो होन्तु सन्ने सत्ता भवन्तु सुखितता )<sup>३</sup> संयुत्तनिकाय में कहा है कि जो शरीर, मन और वचन से हिंसा नहीं करता और पर को नहीं सताता, वही अहिंसक है।<sup>४</sup> अहिंसक की यह परिभाषा बड़ी व्यापक व मानवता से आपूर है। हिंसामय यज्ञों का विरोध कर दान-पुण्य

१. भावपाहुड, गाथा १४३ की टीका

२. जहा कुम्भे सअंगाई सए देहे समाहरे ।

गअं पावाइं मेहावी अज्झप्येण समाहरे ॥ सू. १.८-१६

३. ये केचि पाणसूतत्थि तसा वा थावरा वा अनवसेसा ।

दीना वा ये महान्ता वा मज्झिमा रस्मकाणुकभूला ॥

विट्ठा वा येव अदिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे ।

भूता वा संभवेसी वा सन्ने सत्ता भवन्ति सुखितता ॥ मेत्तसुत्त ४-५

४. अहिंसक सुत्त ।

कर्म को ही सबसे बड़ा यज्ञ उन्हेंनि बताया ।<sup>१</sup> अंगुत्तरनिकाय में यह कहत श्रुती है कि व्यक्ति को तीन प्रकार की शुचिता प्राप्त करनी चाहिए ।<sup>२</sup>

१. शरीर शुचिता—प्राणिहिंसा, चोरी, मिथ्याचार से विरति ।

२. वाणी शुचिता—मृषावाद, पैशुन्य, कठोर वचन तथा व्यर्थ वचन से विरति ।

३. मानसिक शुचिता—क्रोध, लोभ, मिथ्यादृष्टि, आलस्य, औद्धत्य, कौटुम्ब, विश्विकित्सा आदि से विरति ।

संयमी व्यक्ति सदैव इस बात का प्रयत्न करता है कि दूसरे के प्रति वह ऐसा व्यवहार करे जो स्वयं को अनुकूल रहता हो ।<sup>३</sup> तदर्थं इसे मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य भावना का पोषक होना चाहिए । सभी सुखी और निरोग रहें, किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, ऐसा प्रयत्न करे ।

सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सन्तु सर्वे निरामयः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात् ॥

मा कार्षीत् कोऽपि पापानि मा च भूत कोऽपि दुःखितः ।

मुच्यतां जगदप्येषा मतिर्मैत्री निगद्यते ॥<sup>४</sup>

विशिष्ट ज्ञानी और तपस्वियों के धाम, दम, धैर्य, गांभीर्य आदि गुणों में पक्षपात करना अर्थात् विनय, वन्दना, स्तुति आदि द्वारा आन्तरिक हर्ष व्यक्त करना प्रमोद भावना है ।<sup>५</sup> इस भावना का मूल साधन विनय है । जिस प्रकार मूल के बिना स्कन्ध, शाखायें, प्रशाखायें, पत्ते, पुष्प, फल आदि नहीं हो सकती उसी प्रकार विनय के बिना धर्म व प्रमोद भावना में स्वैर्य नहीं रह सकता ।<sup>६</sup> इसी प्रकार मज्झिमनिकाय में भी आर्य विनय का उपदेश दिया गया है ।<sup>७</sup>

कारुण्य अहिंसा भावना का प्रधान केन्द्र है । उसके बिना अहिंसा जीवित नहीं रह सकती । समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करना इसकी मूल भावना है ।

१. चतुक्कनिपात, अंगुत्तर निकाय । २. तिकनिपात, अंगुत्तर निकाय ।

३. जं इच्छसि अप्पणत्तो जं च न इच्छसि अप्पणत्तो ।

तं इच्छ परस्स वि मा वा एत्तियगं जिणसासणयं ॥ बृहत्कल्पभाष्य

४. यशस्तिलकचम्पू, उत्तरार्ध ।

५. अपास्तशेषदोषाणां वस्तुतत्त्वावलोकितानाम् ।

श्रुतेषु पक्षपातो यः सः प्रमोदः प्रकीर्तितः ॥ योगशास्त्र, ४.११.

६. एस चम्मस्स विज्जो मूलं परमो से सुवसो, दशवैकालिक, ३-७.

७. पोतळियसुत्त ।



द्वैवीप्राप्तिय ज्ञान से सून्य दीन पुरुषों पर, विविध सांसारिक दुःखों से वीक्षित पुरुषों पर, स्वयं के जीवन-याचक जीव-जन्तुओं पर, अपराधियों पर, अनाथ, बाल, वृद्ध, सेवक आदि पर तथा दुःख-पीडित प्राणियों पर प्रसीकात्मक बुद्धि से उनके उद्धार की भावना ही कारुण्य भावना है। यह योगशास्त्र का कथन है। आर्यदेव ने समासतः अहिंसा को ही धर्म स्वीकार किया है।<sup>१</sup>

माध्यस्थ्य भावना के पीछे तटस्थ बुद्धि निहित है। निःशंक होकर क्रूर कर्मकारियों पर, देव, धर्म व गुरु के निन्दकों पर तथा आत्मप्रशंसकों पर उपेक्षा भाव रखने को माध्यस्थ्य भावना कहा गया है।<sup>२</sup>

इसी को समभाव भी कहा है। समभावी व्यक्ति निर्मोही, निरहंकारी, निष्परिग्रही, बस—स्वावर जीवों का संरक्षक तथा लाभ-अलाभ में, सुख-दुःख में, जीवन-मरण में, निन्दा-प्रशंसा में, मान-अपमान में विशुद्ध हृदय से समदृष्टा होता है। समभावी व्यक्ति ही मर्यादाओं व नियमों का प्रतिष्ठापक होता है। वही उसकी समाचारिता है।<sup>३</sup> बौद्ध दर्शन में मैत्री, करुणा, बुद्धिता और उपेक्षा इन चार भावनाओं को ब्रह्मबिहार कहा है।<sup>४</sup> जैन दर्शन में वर्णित चार, भावनाओं और इन ब्रह्मबिहारों में कोई विशेष अन्तर नहीं।<sup>५</sup>

जैन दर्शन ने पाँच महाव्रतों को स्वीकारा है—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मबिहार और अपरिग्रह। अन्य व्रतों का अन्तर्भाव इन्हीं पाँचों में किया जा सकता है। बौद्ध दर्शन में भी लगभग ऐसे ही व्रत स्वीकार किये गये हैं—प्राश्चात्तिपात वेरमण, अदिन्नादान वेरमण, कामेसु मिच्छाचार वेरमण, मुसावाद वेरमण, सुरामेरयमज्जप्पमादट्टानादिवेरमण।

श्रमण-संस्कृति की निगण्ठ ( जैन ), सक्क ( बौद्ध ) तावस, गेरुय और आजीव-ये ५ प्रधान शास्त्रायें मानी जाती है।<sup>६</sup> इनमें से आज प्रथम दो शास्त्रायें वीक्षित हैं। इन पाँच शास्त्राओं में जैनधर्म प्राचीनतम है, इसमें कोई सन्देह नहीं। पालि साहित्य उपलब्ध श्रमण साहित्य में प्राचीनतम साहित्य है। अतः अहिंसा के प्राचीन सन्दर्भ उसमें दृष्टव्य हैं।

१. धर्मः समासतोऽहिंसां वर्णयन्ति तथागतः, चतुःशतक, २६८।

२. योगशास्त्र ४. १२१, ३. दशवै.५-१३, मूला. १२३, ४. मज्झिम २-५-६।

३. दशवैकालिक ५. १३ ५. मूलाचार, गाथा १२३.

४. सुत्र सुत्तन्त, मज्झिमनिकाय २.५.६.

५. मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यभावाः सत्त्वगुणाधिकविलम्बयमान

बिनयेषु, तत्त्वार्थसूत्र, ७-११।

६. ठाण्णं, पृ० ६४६

सामञ्जसकण्डसुत्त में पार्श्वनाथ के वातुर्यास संवर का उल्लेख है पर जो निगण्ठनातपुत्त के नाम पर बार उद्धारत है :—

१. सम्बवारि कश्चिओ, २. सम्बवारि बुत्तो, ३. सम्बवारि बुत्तो,  
४. सम्बवारि बुत्तो ।

यह उल्लेख निःसन्देह अग्रपूर्व है । सामञ्जसकण्डसुत्त के विभिन्न रूप मिलते हैं । तिब्बती दुग्पा में निगण्ठ नातपुत्त के अनुसार कर्मों की निर्णय कैंसी हूँगी चाहिए इसका उल्लेख है, जब कि चीनी साहित्य के एक पाठ में ( ४१२-२३ A. D. ) निगण्ठनातपुत्त अपने सर्वज्ञत्व को सिद्ध करने में ऊने शिक्षाई देते हैं और दूसरे पाठ में ( ३८१-३६५ A. D. ) उन्हें कर्म सिद्धांत से सम्बद्ध बताया गया है ।

वस्तुतः पार्श्वनाथ के वातुर्यास निम्न प्रकार से थे—

१. सर्वप्राणातिपाति विरति, २. सर्वमृषावाद विरति, ३. सर्वाहसादान-  
विरति, ४. सर्वबाहिडादान विरति ।<sup>१</sup>

यहाँ अन्तिम व्रत में मीथुन और परिग्रह, दोनों से विरत रहना सम्मिलित था । किन्तु शिथिलतावश उसे मात्र सम्पत्ति आदि से सम्बद्ध कर दिया गया । महावीर ने इस शिथिलता को दूर करने के लिए अनुग्रहमें से से ब्रह्मचर्यव्रत पृथक् कर दिया और इस प्रकार पंच महाव्रतों का निर्देश किया जाने लगा ।

पालि साहित्य इन पाँच महाव्रतों से भी परिचित है । अस्तिबन्धक पुत्त गामिनी ने बुद्ध को निगण्ठ नातपुत्त के अनुसार पापों को कर्माश्रय के रूप में बताया है । वहाँ कामेसु मिच्छाचार भी नियोजित है । इससे स्पष्ट है कि महावीर द्वारा किये गये परिवर्तन से पालि साहित्य अपरिचित नहीं ।<sup>२</sup> अंगुत्तरनिकाय में भी लगभग ऐसा ही उल्लेख मिलता है ।<sup>३</sup> यहाँ भी परिग्रह का उल्लेख नहीं । उसके स्थान पर सुरा, मद्य, मांस आदि का उल्लेख है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पालि साहित्य पार्श्वनाथ और महावीर दोनों महापुरुषों की परम्पराओं से परिचित रहा है । बुद्ध ने भी इसे स्वीकारा है । उन्होंने अशुद्ध तपस्या को बताते हुए शुद्ध तपस्या का व्याख्यान किया और वास्तविक तपस्या में बार भावनाओं के परिपालन को प्रशंसनीय माना ।<sup>४</sup>

अनेकान्तवाद—किसी पदार्थ अथवा व्यक्ति के विषय में अग्रमस्थ धीम परिपूर्ण रूप से वही ज्ञान संख्या । चिन्तक अपने-अपने दृष्टिकोण से उसके विषय

१. टाणां, पृ. ४.१. टीका । २. संकुत्त. (रो.) ३, पृ. ३१७ ।

३. अंगुत्तर. ( रोमन संस्करण ) भाग ३, पृ. २७६-७.

४. देखिये केवलक का प्रबन्ध—Jainism in Buddhist Literature.

में संशयते हैं। विचारों में विश्वास होने पर विचार-संघर्ष अंग्य होता है जो अनेक नये संघर्षों का जन्मदाता सिद्ध होता है। इन्हीं संघर्षों को दूर करने के लिए स्याद्वाद ( भाषायत ) और अनेकान्तवाद ( विचारयत ) की प्रस्थापना की गई है। इसमें प्रत्येक दृष्टिकोण का समावेश है। हठ और कदाग्रह इससे दूर है। वाकि साहित्य में इसके बीच उपलब्ध होते हैं।<sup>१</sup> सूत्रकृतांग में इसे 'विभ्रज्जव्याकरणवीच' कहा गया है।<sup>२</sup> बुद्ध ने भी अतुष्कोटिक ग्रन्थों में एक शैली 'विभ्रज्जव्याकरणवीच' की रखी है।<sup>३</sup> यह स्याद्वाद और अनेकान्तवाद का पालन अहिंसा की साधना के लिए अत्यावश्यक है।

इन चारों भावनाओं को वहाँ चातुर्थासंवर कहा गया है। उसके अनुसार तपस्वी प्राश्नातिपात, अविज्ञादान, मृषावाद तथा कामगुणों में मिथ्याचार के लिए कृत, कारित व अनुमोदनपूर्वक दूर रहता है।

सापेक्ष दृष्टि से विचारों को स्वीकारते हुए किसी का आदर करने पर संशय स्वयमेव दूर हो जाता है। इस सिद्धान्त में संशयवाद को कोई स्थान नहीं। हर दृष्टि अपनी सीमा तक निश्चित है।

अपरिग्रह और समाजवाद—जैनधर्म की यह अत्यन्त विशेषता है कि उसमें अपरिग्रह को व्रत के रूप में स्वीकार किया गया है। अपरिग्रह का तात्पर्य है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। पदार्थ विशेष में आसक्ति रखना परिग्रह है।<sup>४</sup> इच्छा, प्रार्थना, कार्याभिलाषा, आकांक्षा, गृद्धि, मूर्च्छा ये सभी शब्द एकार्थक हैं।<sup>५</sup> किसी भी पदार्थ से ममत्व न रखे, यही अपरिग्रह है।<sup>६</sup> यहाँ दीन-दुःखी जीवों के प्रति काश्यप जाग्रत करना और उनके प्रति कर्तव्य बोध कराना मुख्य उद्देश्य है। समाजवाद का भी यही सिद्धान्त है कि सम्पत्ति किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष में केन्द्रित न होकर समान रूप से हर चटक में विभाजित हो। यह समाजवाद जैनाचार्यों ने २५०० वर्ष पहले लाने का प्रयत्न किया था। समन्तभद्र ने इसी को "सर्वात्मवाद

१. उच्चमरिच सीहनाद सुत्त, दीपनिकयव। विशेष देखिए, इस प्रकरण के लिए मेरा निबन्ध—The Rudiments of Anekantavada in Early Pali Literature—Nagpur University Journal.

२. विभ्रज्जवायं व विद्यामरैज्ज, १. ४. २२.

३. अंगुत्तर निकाय ( रोमन संस्करण ) भाग २. पृष्ठ ४६.

४. मूर्च्छा परिग्रहः—तत्त्वार्थसूत्र, ७. १७। ५. तत्त्वार्थ ७. १९ भाष्य

६. अष्टावक्रिका ४. १५

स्वयं सर्वोभयं तीर्थीश्वरं तस्यै" कहेकर सर्वोदयवादि की स्वांपत्ता की भक्त बौद्धधर्म में श्री यह अपरिग्रह और समाजवाद था।

शाश्वत—समकाल-संस्कृति में भावों की प्रधानता पर और विंध्य जिसके परिणाम हिंसात्मक हो गये हैं वह हिंसा भर्त्से ही न कर प का भावी अवश्य होगा और जिसके हिंसा के भाव न हों किन्तु त्सी करणवत्त हिंसा हो गई हो तो वही हिंसा के फल का भोगी होगा।

अनिचयस्यापि हि हिंसा हिंसाफलभाजनं भवत्येकः ।

कृत्वाप्यपरो हिंसा हिंसाफलभाजनं न स्यात् ॥<sup>१</sup>

मनिक्रम्य मे निवृण्णालुप्त के सिद्धान्त 'दण्ड-दण्ड' पर आधारित इसमें कायदण्ड ( कायिक-हिंसा ) सर्वाधिक पापोत्पादक है ।<sup>२</sup> इस व्याख्या यद्यपि वहाँ प्रमोत्पादक है पर उसका वास्तविक तात्पर्य भावपूर्वक शरीर से हिंसा करना घोर पाप का कारण है।

संसार जीवों से आपूर है। कोई कितना भी अहिंसक हो, इन सूक्ष्म हिंसा से विरत नहीं हो सकता। इस स्थिति में भावों की प्रधानता अहिंसक की विभेदक—रेखा मानी जाती है।

विष्वग्धीवधितो लोकैश्च चरन् कोप्य मोक्षयत् ।

भावैकसङ्घी बन्धमोक्षी चेन्न भविष्यताम् ॥<sup>३</sup>

कौ प्रधानता को यदि स्वीकार न किया जाय तो एक ही व्यक्ति ॥ और दुहिता के साथ की गई चुम्बन-क्रिया में कोई अन्तर नहीं मतः हमारी सभी क्रियायें शुभ-अशुभ अथवा कुशल अकुशल कर्मों पर आधारित हैं ।<sup>४</sup>

॥ पर विचार करते समय एक और प्रश्न लड़ा होता है। वह यह में युद्ध जब आवश्यक हो जाता है तो उस समय अहिंसा का साधक म अपनावेगा? यदि युद्ध नहीं करता तो आत्मरक्षा और राष्ट्ररक्षा में ही जाती है और यदि युद्ध करता है तो अहिंसक कैसा? इस प्रश्न

---

सुवार्थ० ५१. २. मञ्जुसं० (रोमन संस्करण) भाग १, पृ० ३७२

महाइए—अले जन्तुः थले जन्तुराकाशे जन्तुरेव च ।

जन्तुमाकाशुले लोके कर्म भिक्षुराहिंसकः ॥

वचस्पृष्टिर्ननुप्यायां विज्ञेया सर्वैकश्रुतु ।

अथवा चुम्बन-क्रिया 'कान्ता' भावेन दुहिताश्रवणां ॥ चुम्बितवावकी, पृ. ४६३

आश्रवणी, सं१३.

का भी समाचार आचार्यों ने किया है और कहा है कि आत्मरक्षा और राष्ट्ररक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। चन्द्रगुप्त, चन्द्रगुप्तराय, सारथेय, बाण्डि जैसे युरावर जैन अधिपति योद्धाओं ने क्षत्रियों के कृताधिक बार धोत कष्ट किये हैं। जैन-बौद्ध साहित्य में जैन-बौद्ध राजाओं की युद्धकथा पर बहुत कुछ लिखा मिलता है। बाद में जहाँ राजाओं को वैराग्य लेते हुए भी प्रदर्शित किया गया है। अतः यह सिद्ध है कि रक्षणात्मक हिंसा पद्म का कारण नहीं। ऐसी हिंसा को तो वीरता कहा गया है।

यः क्षत्रवृत्तिः समरे त्रिपुः स्वाह्व यः कण्टको वा निजमण्डलस्य ।

तस्मैव अस्मानि नृपाः क्षिप्रान्ति न दीनकामीनकदाशयेषु ॥ यशस्तिलकचम्पू

इस प्रकार अथ-संस्कृति की अहिंसा मानवता की आचार-शिक्षा है। इस पर अनेक अथ आचार्यों ने लिखे हैं। समूचा जैन और बौद्ध धर्म अहिंसा पर ही आधारित है। इनमें भी अहिंसा की जितनी अधिक गहराई तक जैनाचार्य पहुँचे हैं, उतने बौद्धाचार्य नहीं। जैनों ने मद्य, मांस, मद्य, पंचोदम्बरफल, राजिमोक्ष आदि का भी पंच पापों के साथ-साथ त्याग करने का निर्देश दिया है, जबकि बौद्ध धर्म इतना अधिक सीमाबद्ध नहीं। बौद्ध धर्म में मांस-भक्षण आदि की सीमायें काफी अधिक शिथिल कर दी गईं, पर जैनधर्म में यह शिथिलता नहीं मिलती। जैनाचार्यों ने तो अत्येक अस की भावनाओं तथा उनके अतिचारों का भी सांगोपांग सुन्दर विवेचन किया है। वस्तुतः जैनाचार्यों ने अहिंसा को परम धर्म मानकर शेष धर्मों-धर्मों को उसी के प्रकार के रूप में स्वीकार किया है<sup>१</sup> और उनका परिपालन करने के लिए विविध मार्गों को भी सुझाया है। इन मार्गों पर चलने से निःसन्देह विश्वशान्ति स्थापित हो सकती है और अधिकांश विश्व समस्याओं का समाधान भी संभव है।

इस सन्दर्भ में यह आवश्यक है कि साधक धर्म श्रेष्ठ शैक्षणीय हृदयकथा न बनाकर उसे आध्यात्मिक साधन का एक केन्द्रबिन्दु माने। अहिंसा का सही साधक यह है जिसकी समूची साधना मानवता पर आधारित हो और मानवता के कल्याण के लिए उसका मूलमूल उपयोग हो। अक्षय्य बुद्ध अस्तित्व, विशाल दृष्टिकोण, सनधर्म समभाव और सहिष्णुता अपेक्षित है। अथ-संस्कृति की मूल आत्मा ऐसे ही पुनीत मानवीय धर्मों से सिञ्चित है और उसकी अहिंसा कन्दलीय तथा विश्व कल्याणकारी है।

१. अहिंसा परमो धर्मो, मङ्गल्यस्मि एतन्नेव अर्थविवेकानि-अथस्व  
धूमि-दशवीकालिकः एक समीक्षात्मक अ ध्यान में अनुसूत, पृ. ७२

# परिवर्त | ९

## अभिधर्म दर्शन

अभिधर्म दर्शन बौद्ध चिन्तन का प्रधान स्तम्भ है। कर्म उसका धरातल है। आचार और तत्त्वज्ञान उसकी समन्वित साधना से निर्मित एक प्रासाद है जिसकी मनोरम कलात्मक शिखरों में अभिधर्म, कोश, व्याकरण, व्याख्याग्रन्थ, न्याय आदि के हृदयस्पर्शी मणि जटित हैं। उन मणियों का प्रकाश व्यक्ति के व्यक्तित्व की विविध दिशाओं को प्रारम्भ से ही आलोकित करता रहा है।

अभिधर्म की उत्पत्ति—परम्परानुसार प्रस्तुत अभिधर्म बुद्धकालीन है। इसे यदि समीक्षात्मक दृष्टि से विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है अभिधर्म दर्शन की भूमिका भगवान् बुद्ध के काल में बन चुकी थी। यह सही भी है क्योंकि सुत्तपिटक और विनयपिटक में, विशेष रूप से सुत्तपिटक में अभिधर्म के प्रारम्भिक स्तर मिलते ही हैं। इस दृष्टि से यह सम्भावना अधिक बढ़ जाती है कि तथागत का ध्यान अभिधर्म पर अवश्य था। और फिर तो अभिधर्म आज का मनोविज्ञान है जिस पर बुद्ध की देशना का प्रकार निर्भर रहा है। तथागत बुद्ध व्यक्ति के अध्याशय, अनुशय और अधिर्वात्त आदि का पूर्णरूप से समझकर ही धर्मदेशना दिया करते थे।

उसी भूमिका पर उत्तरकाल में अभिधर्म पर चिन्तन बढ़ता गया और तृतीय संगीति तक आते-आते उसका एक सुचिन्तित रूप हमारे सामने आ गया। इसका उदाहरण है समूचा अभिधर्म पिटक। उसमें सात ग्रन्थ हैं—धम्मसंगणि, विमंग, घातुकथा, पुग्गळपञ्चत्ति, कथावत्थु यमक तथा पट्टान। इन सभी ग्रन्थों का रचनाकाल एक नहीं है, फिर भी साधारणतः हम यह कह सकते हैं कि अभिधम्म पिटक सुत्त और विनय का उत्तरवर्ती है। बुद्ध के उपदेशों के आधार पर उत्तरकालीन बौद्ध आचार्यों ने उसे विकसित किया है। अतएव वर्तमान में उल्लब्ध अभिधम्म को बुद्धवचन नहीं कहा जा सकता।

अभिधम्म पिटक पर बुद्धचोप ने कुछ अट्टकथायें लिखी हैं। धम्मसंगणि की अट्टकथा अट्टसाळिमी, विमंग की अट्टकथा संमोहविमोघनी, और शेष

पाँच ग्रन्थों ( वातुकथा, कथावस्तु, पुत्रालपञ्चति, यमक और पट्टाम ) की अट्ठकथाओं का संयुक्त नाम “पञ्चव्यकरणट्ठकथा” है। धम्मसंगणि पर ज्ञानन्द की लीनत्ववर्णना अथवा अभिघर्ममूळटीका और धम्मपाल की अनुटीका भी प्रसिद्ध हैं।

अभिघर्म की आचार्य-परम्परा—आचार्य बुद्धघोष ने अभिघर्म के विषय में उठनेवाले प्रश्नों का समाधान उपस्थित किया है। अट्ठसालिनी में ऐसे प्रश्न और उनके उत्तर दर्शनीय हैं। वहाँ कहा गया है कि अभिघम्म भगवान् बुद्ध का वचन है ( भगवतो वचनं अरहतो सम्मा संबुद्धस्स )। उन्होंने सर्वप्रथम त्रायस्त्रिंशत् स्वर्ग में अपनी माता को उसका उपदेश दिया। तदनन्तर उसे धम्म सेनापति सारिपुत्त के समक्ष अनोत्तम सरोवर पर दुहराया। सारिपुत्त ने बाद में उसी अभिघम्म को अपने ५०० शिष्यों को सिखाया। तृतीय संगीति तक सारिपुत्त, भद्दिज्जि, सोमिन्ध, पियजालि, पियपाल, पियवत्सि, कोसियपुत्त, सिग्गव, सन्धेह, मोग्गल्लिपुत्त, विसुदत्त, धम्मिय, दासक, सोणक, रेवत्त आदि स्थविरों ने अभिघम्म का अध्ययन-अध्यायन कराया। इसके बाद इन आचार्यों की शिष्य-परम्परा ने अभिघर्म के अध्ययन को आगे बढ़ाया। कहा जाता है कि महिन्द भारत से श्रीलंका में अभिघम्म पिटक भी ले गये थे। उन्हीं के अनुकरण पर इन्द्रिय, उत्तिय, भद्दनाम, और सम्बल ने उसके अध्ययन को लोकप्रिय बनाया। तभी से वर्तमान में उपलब्ध अभिघम्म यथावत् है। बुद्धघोष का यह कथन किसी सीमा तक सही हो सकता है। बट्टगामणि अभय के राज्यकाल में २९ ई-पू. में सम्पूर्ण त्रिपिटक श्रीलंका में लिपिबद्ध हो गया। लगभग प्रथम शताब्दी ई-पू. के मिलिन्दपञ्च में उक्त सातों ग्रन्थों के नामों का भी उल्लेख मिलता है। अतः अभिघम्म पिटक का वर्तमान रूप लगभग प्रथम शताब्दी ई. पू. तक स्थिर हो चुका था।

अभिघर्म का अर्थ—अभिघम्म में अभि उपसर्ग विशेष अर्थ का सूचक है ( अतिरेक विशेषतया दीपको हि एत्थ अभिसद्दो )।<sup>१</sup> सुत्तपिटक से अभिघर्म पिटक में यह विशेषता है कि अभिघम्म पिटक में कुवाल, अकुवाल, अव्याकृत आदि धर्मों का प्रतिपादन विविध विभाजनों एवं नयों से किया गया है। आर्य असंग ने अभिघर्म शब्द की व्युत्पत्ति के सन्दर्भ में यह बताया कि अभिघर्म निर्वाण का अभिधुक्खी है। धर्म के विविध वर्गीकरणों को प्रस्तुत करता है, विरोधी मतों का खण्डन करता है तथा सुत्तपिटक का अनुगमन करता है।<sup>२</sup>

१. अट्ठसालिनी, पृ. १

२. अभिधुक्खतोऽथानीसण्वाद्धभिभवत्तितोऽभिघर्मः, महा. सूत्रा. ११'३.

अर्थ विनिश्चय सूत्र के अनुसार अभिधर्म पिटक पुथक् पिटक नहीं, अपितु उसका अन्तर्भाव सूत्र पिटक में हो जाता है।<sup>१</sup>

**अभिधर्म साहित्य**—अभिधम्म पिटक में बौद्ध मनोविज्ञान का दर्शन अधिक क्रमबद्ध नहीं हो पाया। अतः उत्तरकालीन आचार्यों ने उसे अपने अध्ययन का विषय बनाया। फल स्वरूप अभिधम्म पर पालि और संस्कृत में कतिपय टीकायें और मौलिक ग्रन्थ लिखे गये।

१ पालि अभिधम्म साहित्य—सर्वप्रथम अभिधर्म ( पालि ) साहित्य पर बुद्धदत्त ने अभिधम्मावतार और रूपारूपविभाग नामक ग्रन्थ लिखे। अभिधम्मावतार मूलतः पंचबद्ध है, यद्यपि यत्र-तत्र व्याख्या के रूप में शब्द का भी वहाँ प्रयोग किया गया है। डा० भरतसिंह उपाध्याय के अनुसार बुद्धशेष की अभिधम्म सम्बन्धी अट्ठकथाओं के आधार पर इसका प्रणयन हुआ है।<sup>२</sup> परन्तु उनका कथन अधिक उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। क्योंकि बुद्धशेषसुप्पत्ति के अनुसार उस समय बुद्धदत्त अपनी अन्तिम अवस्था में पहुँच चुके थे। दूसरी ओर बुद्धशेष युक्त थे। श्रीलंका में पहुँचकर अध्ययन करना और फिर उतने गम्भीर ग्रन्थों का प्रणयन करना समय सापेक्ष है। अतः यह अधिक सम्भावित है कि बुद्धदत्त बुद्धशेष के ग्रन्थों को इच्छा होते हुए भी नहीं देख सके होंगे। फलतः बुद्धदत्त ने श्रीलंका के अध्ययन के आधार पर अभिधम्म पिटक के विषय को ही संक्षेप में अभिधम्मावतार में निबद्ध कर दिया होगा। रूपारूप विभाग भी इसी प्रकार का ग्रन्थ है। बुद्धशेष के ग्रन्थों को अपेक्षा बुद्धदत्त के ग्रन्थों की भाषा अधिक प्रसादमयी और सरल है। इस दृष्टि से बुद्धदत्त का योगदान अविस्मरणीय है।

२. अभिधम्म पिटक के आधार पर पालि में अभिधम्म साहित्य की सर्जना का विशेष श्रेय आचार्य बुद्धशेष को दिया जा सकता है। उन्होंने अट्ठसालिनी ( धम्मसंगणि की अट्ठकथा ), संमोहविनोदिनी ( विभंग की अट्ठकथा ), और पंचप्पकरणट्ठकथा ( शेष ५ अभिधम्म ग्रन्थों पर अट्ठकथा ) लिखी हैं। इनके अतिरिक्त विसुद्धिमग्ग को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके लेखन का आधार बौद्ध दर्शन का एक मूलभूत प्रश्न है। श्रावस्ती में बिहार करते समय रात्रि में किसी देवपुरुष ने आकर भगवान् बुद्ध से अपना सन्देह दूर करने के लिए प्रश्न पूछा कि अन्तर और बाहर, चारों ओर व्यक्ति अपनी और परायी

१. अभिधर्मकोश व्याख्या, १-४, पृ. १३ ( Lave ) अर्थ वि. पृ. २८।

२. पालि साहित्य का इतिहास, पृ. ५३५।



बल्लुर्षी की तृष्णा ( जटा ) में बौस की शाखा—जाल ( जटा ) के समान जकड़ा हुआ है। इसलिए हे गौतम ! मैं आपसे यह पूछता हूँ कि इस तृष्णा को कौन काट सकता है ?

जन्तो जटा वहि जटा, जटाय जटिता पत्ता ।

तं तं गौतम ! पुञ्छामि, को इमं विजटये जटं ॥<sup>१</sup>

भगवान् बुद्ध ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि जो व्यक्ति प्रज्ञावान् है, धीर्यवान् है, पण्डित है, निष्ठु ( संसार से भयभीत होनेवाला ) है, वह शील पर प्रतिष्ठित होकर चित्त ( समाधि ) और प्रज्ञा की भावना करते हुए इस जटा ( तृष्णा ) को काट सकता है—

सीले पत्तिट्ठाय नरो सपञ्जो, जित्तं पञ्चञ्च भावयं ।

आतापी निपको भिक्खू, सो इयं विजय्ये जटं ॥<sup>२</sup>

बुद्धदत्त और बुद्धबोध के बाद और भी अनेक आचार्य हुए जिन्होंने पालि भाषा में अभिघम्म दर्शन को समझाने का अथक प्रयत्न किया है। उनमें प्रमुख ग्रन्थ और ग्रन्थकार इस प्रकार हैं—

३. आनन्द ( ८-९ वीं शती )—मूल टीका अथवा अभिघम्म मूल टीका ( लीनत्ववर्णना )
४. अनिरुद्ध ( १०-११ वीं शती )—(i) परमत्य विनिदच्चय, (ii) नामरूपपरिच्छेद और (iii) अभिघम्मत्थसंगहूपकरण ।
५. महाकास्सप ( १२वीं शती )—(i) पोरान् टीका, (ii) पठमपरमत्थप्पकासिनी अट्ठसाळिनी ( धम्मसंग्घि की अट्ठकथा टीका ), (iii) दुतिय परमत्थप्पकासिनी—सम्मोहविनोदनी ( विभंगणट्ठकथा ), (iv) ततिय परमत्थप्पकासिनी—पञ्चव्यकरणट्ठकथा ( घातुकथा, पुग्गलपञ्चत्ति, कथावत्थु, यमक और पट्ठान की अट्ठकथा ) ।
६. वाचिस्तर ( १२ वीं शती )—(i) नामरूपपरिच्छेदटीका, (ii) अभिघम्माव-तारटीका ।
७. सुमंगल ( १२ वीं शती )—(i) अभिघम्मत्थविभाविनी, (ii) अभिघम्मत्थ-विकासिनी ।

८. क्षपद ( १२ वीं शती )—( ) मातिकत्यदीपिनी, (ii) पट्टान गणनाय, (ii) नामचारदीप अथवा नाम-चार-दीपनी, अभिधम्म-त्यसंगहसंक्षेपटीका ।
९. अरियवंश ( १५ वीं शती )—(i) मणिसारमञ्जुसा ( अभिधम्मत्यविभावनी की टीका, (ii) मणिदीप ( अट्ठसालिनी की टीका ) (iii) अभिधम्म अनुटीका ।
१०. सद्धम्मालंकार ( १६ वीं शती )—पट्टानसारदीपकी ।
११. महानाम ( १६ वीं शती )—अभिधम्ममूल टीका की अनुटीका ।
१२. प्रोम ( १७ वीं शती )—वीसतिवण्णना ( अट्ठ. की प्रारम्भिक २० गाथाओं की टीका ) ।
१३. तिलोकगुरु ( १७ वीं शती )—(i) धातुकथा टीका वण्णना (ii) धातुकथा अनुटीका वण्णना (iii) यमक वण्णना, और पट्टान वण्णना ।
१४. सारदस्सी ( १७ वीं शती )—(i) गूलहृत्यदीपनी, (ii) विसुद्धिमग्गमण्ठपदत्व ।
१५. महाकस्सप ( १७ वीं शती )—अभिधम्मत्य गण्ठपद ।
१६. सारदस्सी ( १८ वीं शती ) धातुकथा योजना ।
१७. लेदि सहदाव ( १९ वीं शती )—परमत्यदीपनी टीका ।
१८. धर्मानन्द कोसम्बी ( २० वीं शती )—(i) विसुद्धिमग्गदीपिका (ii) नवनील टीका ( अभिधम्मत्यसंगह पर ) ।

इनके अतिरिक्त गन्धवंश ( १९ वीं शती ) में कुछ ग्रन्थ और ग्रन्थकारों का और भी उल्लेख मिलता है—

१९. नवमोग्गलान	अभिधानपदीपिकं ।
२०. वाचिस्सरो	रूपारूपविभाग ।
२१. नवविमलबुद्धि	अभिधम्मपण्णरसट्टान ।
२२. ?	विसुद्धिमग्गगन्धि ।
२३. ?	अभिधम्मगन्धि ।
२४. ?	विसुद्धिमग्गवृत्तनव टीका ।

### आचार्य अनिरुद्ध और उनका अभिधर्म दर्शन

पालि भाषा में अभिधर्म पर लिखने वाले इन दार्शनिक आचार्यों में आचार्य अनिरुद्ध का स्थान मूर्धन्य है । उनकी प्रकाण्ड विद्वत्ता और शुम्भकीय व्यक्तित्व का दर्शन उनके ग्रन्थों में उपलब्ध है । दक्षिण भारत का यह स्वविरवादी आचार्य किस शताब्दी में हुआ, यह अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है । ५ वीं शताब्दी से लेकर ११-१२ वीं शताब्दी तक का समय अनिरुद्ध के लिए

दिया जा रहा है। विद्वानों की धारणा है कि ये इसी समय के बीच हुए हैं। यह एक लम्बी सीमा है। मेरा मत है कि आचार्य अनिरुद्ध १०-११ वीं शती के होना चाहिए। उन्होंने आचार्य बुद्धघोष का विसुद्धिमग्ग, वसुबन्धु का अभिषर्म्म कोश, तथा आनन्द की अभिषम्म मूलटीका आदि ग्रन्थों का भलीभाँति पारायण किया होगा। अभिषम्म पिटक का स्वरूप तबतक स्थिर हो ही चुका था। इन सभी के आधार पर उन्होंने अभिषम्मत्थ संग्रह की रचना की है। भाषा, शैली तथा विषय के आधार पर उन्हें ४-५ वीं शताब्दी का नहीं माना जा सकता, जैसा कि सर्व श्री भदन्तरेवतघम्म और रामशंकर त्रिपाठी ने निश्चित किया है।<sup>१</sup> उन्हें बुद्धदत्त का 'कनिष्ठभ्राता' कहा गया है यह परम्परा भी इससे प्राचीन नहीं।

इसा शताब्दी के प्रारम्भिक काल में ही पालि साहित्य के अध्ययन के लिए श्रीलंका ने अपना विशेष स्थान बना लिया था। और भारत में पालि साहित्य के स्थान को बौद्ध संस्कृत साहित्य ने ले लिया था। यही कारण है कि समय-समय पर भारत से बुद्धदत्त, बुद्धघोष जैसे प्रकाण्ड आचार्य पालि के अध्ययन के लिए श्रीलंका पहुँचे। परमत्थविनिच्छय के निगमन वाक्य के आधार पर यहाँ कहा जा सकता है कि अनिरुद्ध दक्षिण भारत के काञ्ची राज्य के अन्तर्गत कावेरी नगर के निवासी थे। उन दिनों कावेरी स्थविरवादी बौद्धधर्म का एक अच्छा केन्द्र था। बुद्धदत्त भी यहीं के निवासी थे और बुद्धघोष ने भी यहाँ अपना कुछ अमूल्य समय व्यतीत किया था। अनिरुद्ध भी उसी परम्परा में आते हैं। ये भी श्रीलंका विशेष अध्ययन के लिए गये थे। उन्होंने अपने अभिषम्मत्थसंग्रह की रचना श्रीलंका के अनुराधपुर के मूलसोम नामक महाबिहार में की थी।

चारित्तसोमितविसालकुलोदयेन

सद्धाभिबुद्धपरिसुद्धगुणोदयेन ।

नम्बह्वयेन पणिषाय परानुकम्पं

यं पत्थितं पकरणं परिनिर्त्तं तं ॥

पुञ्जेन तेन विपुलेन तु मूलसोमं

धञ्जाधिवासमुदितोद्धितमायुगन्तं ।

पञ्जावदातगुणसोमितलज्जिभिक्षू

मञ्जन्तु पुञ्जविमवोदयमङ्गलाय ॥<sup>२</sup>

१. अभिषम्मत्थसंग्रह, हिन्दी अनुवाद, भा. १, प्रस्तावना, पृ. ३३ ।

२. अभिषम्मत्थसंग्रह, निगमन वाक्य ।

अनिरुद्ध के अभिधर्म सम्बन्धी तीन ग्रन्थ मिलते हैं— परमत्य विनिच्छय  
य परिच्छेद और अभिधर्मसंग्रह । उनमें अभिधर्मसंग्रह अधिक  
गुण हुआ है । बर्मा में तो यह गीता के समान घर-घर में पढ़ा जाता है ।  
इसका एक और ग्रन्थ मिलता है अनिरुद्ध सतक ।

अनिरुद्ध के इन ग्रन्थों में अभिधर्मसंग्रह पर सर्वाधिक टीकायें लिखी  
। बर्मा और सिंहली भाषाओं के अतिरिक्त पालि में निम्नलिखित लगभग  
नायें मिलती हैं ।

अभिधर्मसंग्रहटीका	नवविमलधेर	१२-१३वीं शती
अभिधर्मसंग्रह विभावनी टीका	सुमंगल	१२वीं शती
अभिधर्मसंग्रह टीका	धम्मकेतु ( छपद )	१२वीं शती
परमत्यदीपनी टीका	लेदी सयाडो	१६वीं शती
रंकरु टीका	विमल सयाडो	१६वीं शती
वनीत टीका	धर्मानन्द कोसम्बी	१६४१ ई०

### संस्कृत अभिधर्म साहित्य

अभिधर्म पर संस्कृत में भी बहुत साहित्य लिखा गया है । टायसो में प्रमुख  
इस प्रकार उल्लिखित हैं—

धर्मस्कन्ध	सर्वास्तिवादी	Taisho	१५३०
धातुकाय	”	”	१५४०
विज्ञानकाय	”	”	१५३६
संगीतिपर्याय	”	”	१५३६
सारिपुत्राभिधर्मशास्त्र	”	”	१५४८
ज्ञानप्रस्थान ( कात्यायनीपुत्र )	”	”	१५४३
प्रज्ञप्तिशास्त्रपाद	”	”	१५३८
प्रज्ञप्तिपाद ( वस्तुमित्र )	”	”	१५४१
अभिधर्मसार ( धर्मश्री )	”	”	१५५०
संयुक्ताभिधर्मसार	”	”	१५५२
अभिधर्मसार व्याख्या ( उपशान्त )	”	”	१५५२
अभिधर्ममृतसार शास्त्र ( घोषक )	”	”	१५५३
अभिधर्मवितार ( स्कन्धिल )	”	”	१५५४
सारसमुच्चय			

१५.	न्यायानुसार ( संघभद्र )	सर्वास्तिवादी	Taisho	१५६२
१६.	समयप्रदीपिका ( संघभद्र )	”	”	१५६३
१७.	अभिधर्मदीप और विभाषाप्रभावृत्ति ( विमलमित्र )			
१८.	अभिधर्मकोष ( वसुबन्धु )	सोत्रान्तवादी	”	१५५८
१९.	अभिधर्म कोश भाष्य	”	”	
२०.	सूत्रानुरूपवृत्ति ( विनीतभद्र )	”	”	
२१.	स्फुटार्थ व्याख्या ( यशोमित्र )	”	”	
२२.	लक्षणानुसारी टीका ( पूर्णवर्धन )	”	”	
२३.	उपयिका टीका ( समथदेव )	”	”	
२४.	मर्मप्रदीपवृत्ति ( दिङ्नाग ? )	”	”	
२५.	तत्त्वार्थ भाष्य टीका ( स्थिरमति )	”	”	
२६.	लक्षणानुसार ( गोमती )	”	”	
२६.	क्रमसिद्धि प्रकरण ( वसुबन्धु )	”	”	
२८.	क्रमसिद्धि टीका ( सुमतिशील )	”	”	
२९.	सत्यसिद्धि शास्त्र	बहुश्रुतीय		
३०.	अभिधर्म समुच्चय ( नागार्जुन )			
३१.	योगाचारभूमिशास्त्र ( असंग )			
३२.	अभिसमयालंकार ( मैत्रेय )	माध्यमिक		
३३.	अभिसमयालंकार टीका			
३४.	अभिधर्म समुच्चय ( असंग )—	विज्ञानवादी		
३५.	माध्यन्तविभंग और टीका			
३६.	धर्माधर्मविभंग			
३७.	अभिधर्म समुच्चय ( स्थिरमति )			
३८.	अभिधर्म समुच्चय टीका ( जिनपुत्र )			
३९.	अर्थविनिश्चय सूत्र और टीका			
४०.	अभिधर्म समयालंकारालोक ( हरिभद्र )			

### अभिधर्म दर्शन

उक्त अभिधर्म साहित्य मे आचार्य अनिरुद्ध का अभिधर्ममत्स्यसंग्रह ग्रन्थ सबधिक महत्त्वपूर्ण है। उसमें ९ परिच्छेद हैं जिनमें स्वयिखादी अभिधर्म की लगभग सभी परम्पराओं का समावेश किया गया है। यहाँ हम उसी के आधार पर अभिधर्म दर्शन के सन्दर्भ में विचार करेंगे।

## १. चित्त संग्रह

अभिधर्म दर्शन में मूलतः चार अर्थ निर्दिष्ट हैं—चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण। उन्हें परमार्थ भी कहा गया है क्योंकि उनका अपछाप नहीं किया जा सकता। चित्त स्पर्शादिक चैतसिकों द्वारा आलम्बनों का ज्ञान करता है। चैतसिक चित्त में उत्पन्न होने वाले धर्म हैं। रूप सीत, उष्ण आदि विरोधात्मक तत्वों से विकार ग्रस्त हो जाने वाला तत्व है तथा निर्वाण तृष्णा का उपशमन है। चित्त ४ प्रकार का होता है - कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर और लोकोत्तर।

१. कामावचर चित्त—प्रायः कामभूमि में उत्पन्न होने के कारण ये चित्त कामावचर चित्त कहे जाते हैं। कामभूमि में विकार भावों के मूलकारण तीन हैं—लोभ, द्वेष और मोह। इसलिये इन्हें हेतुक चित्त अथवा अकुशल चित्त कहा जाता है। इनकी संख्या १२ है।

## १. कामावचर चित्त—५४

## १. अकुशल चित्त ( १२ )

## १. लोभमूल चित्त--४

क. सोमनस्सा सहगत दिट्ठिगतमप्रयुक्त	सहकारिक
ख. " "	सहकारिक
ग. सोमनस्स सहगत दिट्ठिगत विप्रयुक्त	असहकारिक
घ. " "	सहकारिक
ङ. उपेक्खा सहगत दिट्ठिगत सम्प्रयुक्त	असहकारिक
च. " "	सहकारिक
छ. उपेक्खा सहगत दिट्ठिगत विप्रयुक्त	असहकारिक
ज. " "	सहकारिक

## २. द्वेषमूल चित्त ८

ट. दोमनस्ससहगतपटिषसंपयुक्त	असहकारिक
ठ. " "	सहकारिक

## ३. मोहमूल चित्त-- २

क. उपेक्खा सहगतविचिकिच्छसंपयुक्त
ख. उपेक्खासहगत उद्वच्च सम्पयुक्त

जिनमें लोभ, द्वेष और मोह कारण नहीं होते वे कुशलचित्त अथवा अहेतुकचित्त कहे जाते हैं। अहेतुकचित्तों की संख्या १८ है—

२. अहेतुकचित्त ( १८ )

१. अकुशल विपाकचित्त— ७

- अ. उपेक्षासहगत चक्षुर्विज्ञान
- आ. „ „ श्रोत्रविज्ञान
- इ. „ „ घ्राण विज्ञान
- ई. „ „ जिह्वा विज्ञान
- उ. दुःख सहगत कायविज्ञान
- ऊ. उपेक्षासहगत सम्प्रतिच्छन्न चित्त
- ए. „ „ सन्तीरण चित्त

२. अहेतुक कुशलविपाक— ८

- प. उपेक्षासहगत कुशलविपाक चक्षुर्विज्ञान
- फ. „ „ „ श्रोत्रविज्ञान
- ब. „ „ „ घ्राण विज्ञान
- भ. „ „ „ जिह्वा विज्ञान
- म. सुखसहगत काम विज्ञान
- य. उपेक्षासहगतसंप्रतिच्छन्न चित्त
- र. सौमनस्ससहगत सन्तीरण चित्त

३. अहेतुकक्रियचित्त - ३

- ट. उपेक्षासहगत पञ्चद्वारावर्जनचित्त
- ठ. मनोद्वारावर्जन चित्त
- ड. सौमनस्स सहगत हसितोत्पाद चित्त

३. शोभनचित्त— ५९

शोभनचित्त का तात्पर्य है विद्युद्ध चित्त। ऐसा चित्त अलोभादि गुणों से संप्रयुक्त हो जाता है। अभिचर्मप्रदीप में शोभन चित्तों का सम्बन्ध चित्त से न कर चैतसिक से किया गया है। पर यह उपयुक्त नहीं क्योंकि चैतसिक का दोष अथवा अदोष चित्त की अशुद्धि अथवा विद्युद्धि पर अवलम्बित है। इन शोभनचित्तों की संख्या ५९ है।

## २. कामावचर शोभन चित्त २४

## १. कामावचर कुशलचित्त ८

य. सीमनस्ससहगत ज्ञान सम्प्रयुक्त	असंस्कारिक
र. " " "	ससंस्कारिक
ल. " ज्ञान विप्रयुक्त	असंस्कारिक
व. " " "	ससंस्कारिक
स. उपेक्षा सहगत ज्ञान संप्रयुक्त	असंस्कारिक
ष. " ज्ञान विप्रयुक्त	ससंस्कारिक
षा. " " "	असंस्कारिक
ह. उपेक्षा सहगत ज्ञान विप्रयुक्त	ससंस्कारिक

विभावनी टीका में कुशलचित्तों की उत्पत्ति श्रद्धा, प्रज्ञा आदि से बतायी गई है। उसकी संख्या अतीत आदि भेद से भिन्न 'करके असङ्ख्य तक निर्दिष्ट है।

कम्मेन पुञ्जवन्धूहि गोचराधिपतीहि च ।

कम्महीनादितो चैव गण्येय्य नयकोविदो ॥

## २. सहेतुक कामावचर विपाकचित्त ( ८ )

१. सीमनस्य सहगत ज्ञान संप्रयुक्त	असंस्कारिक
२. " " "	ससंस्कारिक
३. " ज्ञानविप्रयुक्त	असंस्कारिक
४. " " "	ससंस्कारिक
५. उपेक्षा सहगत ज्ञानसंप्रयुक्त	असंस्कारिक
६. " " "	ससंस्कारिक
७. " ज्ञान विप्रयुक्त	असंस्कारिक
८. " " "	ससंस्कारिक

सामान्य व्यक्ति के समान अहंन्त भी दानादिक पुण्य कार्य करते हैं परन्तु उनका फल न होने से उनके कर्म कुशलकर्म नहीं होते, क्रियाभात्र होते हैं। ये सहेतुक कामावचर विपाकचित्त आठ कामावचर कुशल चित्तों के विपाक ( फल ) हैं। वे लोभादि हेतुओं से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए उन्हें सहेतुक कहा गया है।



### ३. सहेतुक कामावचर क्रियाचित्त ( ८ )

पूर्वोक्त सीमनस्य वेदना सहगत आदि के भेदों के समान सहेतुक कामावचर क्रियाचित्त भी ८ प्रकार के होते हैं। अहंन्तों में अविद्या, तृष्णा आदि अनुषयों के अभाव से ये क्रियाचित्त मात्र क्रियात्मक रहते हैं, फलोत्पादक नहीं होते।

इस प्रकार १२ अकुशल चित्तों तथा १८ अहेतुक चित्तों को छोड़कर केव ५६ चित्त शोभनचित्त कहलाते हैं। उक्त ५४ कामावचर शोभन चित्तों ( अकुशल १२, अहेतुक १८, शोभन २४ ), में विपाक २३ ( कुशल ७, अहेतुक कुशल ८, महाविपाक ८ ), कुशल-अकुशल २० ( अकुशल १२, महाकुशल ८, ) तथा क्रियाचित्त ११ ( अहेतुक ३, महाक्रियाचित्त ८ ) होते हैं।

#### २ रूपावचर शोभन चित्त ( १५ )

रूपावचर का तात्पर्य है रूप अर्थात् आकार का आवलम्बन कर चित्त में एकाग्रता लाना। एकाग्रता का अर्थ है ध्यान। ये ५ हैं वितर्क, विचार, प्रीति, सुख तथा एकाग्रता। ध्यान के इन पाँच अंगों के आधार पर रूपावचर कुशलचित्त ५ प्रकार के हैं। इसी प्रकार रूपावचर विपाक चित्त के ५ और रूपावचर क्रियाचित्त के भी ५ भेद होते हैं। कुल मिलाकर रूपावचर शोभनचित्त के १५ भेद हुए।

#### ३. अरूपावचर शोभन चित्त ( १२ )

अरूपावचर शोभनचित्त चित्त की वह अवस्था है जिसमें चित्त आकारहीन विषयों पर एकाग्र होने लगता है। यह चित्त भी एक विशुद्ध अवस्था का प्रतीक है। अरूपावचर कुशल चित्त में चित्त आकाश, विज्ञान, आकिञ्चन्य एवं नैव-संज्ञानासंज्ञायतन, इन चार निराकार आलम्बनों पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। इसी प्रकार अरूपावचर विपाक चित्त और अरूपावचर क्रियाचित्त भी चार-चार प्रकार के होते हैं। इस प्रकार अरूपावचर शोभनचित्त के १२ भेद हुए हैं। ये चित्त आलम्बन के भेद से ४ प्रकार के होते हैं और कुशल, विपाक एवं क्रिया के भेद से १२ प्रकार के होते हैं।

#### ४. लोकोत्तर शोभनचित्त ( ८ )

अरूपावचर चित्त - चित्त के शुद्ध रूप का प्रतीक है। फिर भी उसमें चंचलता बनी रहती है। उस चंचलता को दूर करने के लिए १० संयोजनों का समूह बिनाश होन चाहिए। ऐसा ही चित्त निर्वाण का साम्रात्कार करने वाला होता है। श्रोतापत्ति, सकदागामी, अनागामी और अर्हत्, ये चार मार्गचित्त लोकोत्तर कुशलचित्त के चार भेद हैं। इसी प्रकार लोकोत्तर विपाक चित्त के भी चार भेद हैं।

इस प्रकार अकुशल, कुशल एवं अव्याकृत जाति के आधार पर चित्तों की कुल संख्या ८६ होती है।

अकुशल			१२		
कुशल	{	कामावचर	८	}	२१
		रूपावचर	५		
		अरूपावचर	४		
		लोकोत्तर	४		
		विपाक			
अव्याकृत	{	अकुशल विपाक	७	}	३६
		अहेतुक कामावचर कुशल विपाक	८		
		सहेतुक कामावचर कुशल विपाक	८		
		रूपावचर विपाक	५		
		अरूपावचर विपाक	४		
		लोकोत्तर विपाक	४		
		क्रिया			
अव्याकृत	{	अहेतुक	३	}	२०
		कामावचर	८		
		रूपावचर	५		
		अरूपावचर	४		

चित्त की कुल संख्या ८६

भूमियों के अनुसार चित्तों की संख्या इस प्रकार है—

भूमि	चित्त
कामभूमि	५४
रूप भूमि	१५
अरूप भूमि	१२
लोकोत्तर भूमि	८

कुल ८६

ये ८६ प्रकार के चित्त १२१ भी हो जाते हैं। लोतापत्ति, सकृदागामी, अनागामी और अर्हंतमार्ग चित्त के ध्यान के पांच भेदों से  $५ \times ४ = २०$  भेद होते हैं। फलचित्त भी इसी प्रकार २० भेद वाला हो जाता है। इस प्रकार लोकोत्तर चित्त के ४० भेद हुए। इस प्रकार पुण्यचित्त ३७ और विपाक चित्त ५२ हुए अथवा कुशलचित्त ३७, अकुशल चित्त १२, विपाकचित्त ५२ तथा क्रियाचित्त २० ( ३७ + १२ + ५२ + २० )। इस प्रकार कुल १२१ भेद कुशल चित्त के हुए।

## २. चैतसिक संग्रह

चैतसिकों के चार लक्षण होते हैं— ( १ ) एकोत्पाद ( जिन धर्मों का सम्बन्ध आलम्बन आदि प्रत्ययों से चित्त के साथ उत्पाद होता है ) । ( २ ) एकनिरोध ( जो चित्त के साथ निरुद्ध होते हैं ) ( ३ ) एकालम्बन ( जो चित्त का आलम्बन होता है ), और ( ४ ) अवस्तुक ( जो पञ्चबोकारभूमि ( पञ्चस्कन्ध ) में चित्त के साथ रहता है ) । इस प्रकार चैतसिक वह है जिसकी एक साथ ही उत्पत्ति एवं निरोध होता है तथा जिसका एक ही आलम्बन एवं वस्तु होती है ।

एकुत्पाद निरोधा च एकालम्बनवस्तुका ।

चेतोयुक्ता द्विपञ्चास धम्मा चैतसिका मता ॥

इन चैतसिकों की संख्या ५२ है । अनिरुद्ध ने इसके तीन भेद किये हैं— अन्यसमान, अकुशल और शोभन स्पर्श, वेदना, संज्ञा, चेतना, एकाग्रता, जीवितेन्द्रिय एवं मनसिकार, ये ७ चैतसिक सर्वचित्तसाधारण ( सभी चित्तों के साथ सम्प्रयुक्त होने वाले ) कहे जाते हैं । वितर्क, विचार, अधिमोक्ष, वीर्य, प्रीति एवं छन्द, ये ६ प्रकार के चैतसिक प्रकीर्णक हैं । इस प्रकार अन्यसमान चैतसिक ( अन्य प्रकार के चैतसिकों के समान ) के १३ भेद होते हैं— मोह, आह्लीक्य, अनपत्राप्य, औदत्य, लोभ, दृष्टि, मान, द्वेष, ईर्ष्या, मात्सर्य, कौकृत्य, स्त्यान, मिद्ध एवं विचिकित्सा, ये १४ चैतसिक अकुशल हैं । धृदा, स्मृति आदि, ह्री आदि १९ चैतसिक शोभन साधारण हैं ।

सम्यग् वाक्, सम्यक् कर्मान्त, एवं सम्यग् आजीव ये तीन विरतियां हैं । करुणा एवं मुदिता नामक दो चैतसिक अप्रामाण्य ( प्रमाणाभाव वाले ) हैं । तथा प्रज्ञेन्द्रिय को मिलाकर २५ चैतसिक ( १९ + ३ + २ + १ ) शोभन चैतसिक कहे जाते हैं । इस प्रकार चैतसिकों की कुल संख्या ५२ हो जाती है—

अन्यसमान चैतसिक	१३	} ५२
अकुशल चैतसिक	१४	
शोभन चैतसिक	२५	

( १ ) सर्वचित्त साधारण चैतसिक सभी ८९ अथवा १२१ चित्तों में सम्प्रयुक्त होते हैं ।

( २ ) प्रकीर्णक ( शोभन-अशोभन, दोनों में सम्प्रयुक्त होने वाले ) चैतसिकों से सम्प्रयुक्त एवं विप्रयुक्त चित्तों की संख्या इस प्रकार है—

चैतसिक	विप्रयुक्तचित्त	सम्प्रयुक्तचित्त
१. चित्तक	६६	५५
२. चिन्तार	५५	६६
३. अविमोक्ष	११	७८
४. वीर्य	१६	७३
५. प्रीति	७०	५१
६. छन्द	२०	६६

(३) १४ अकुशल चैतसिक १२ अकुशलचित्तों में सम्प्रयुक्त होते हैं ।

(४) अदा, स्मृति आदि, १६ क्षोभन साधारण चैतसिक सभी ५६ क्षोभनचित्तों में, ३ विरति चैतसिक १६ चित्तों में, २ अप्रमाण्य चैतसिक २८ चित्तों में, तथा प्रज्ञा ४७ चित्तों में सम्प्रयुक्त होती है । इनमें सम्प्रयुक्तचित्त के उत्पन्न होने पर जो चैतसिक चित्त के साथ उत्पन्न होते हैं वे नियतयोगी हैं और जो चित्त के साथ कभी उत्पन्न होते हैं और कभी उत्पन्न नहीं होते वे अनियत योगी हैं । नय दो प्रकार के होते हैं—सम्प्रयोगनय और संग्रहनय । सम्प्रयोगनय में चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होने वाले चित्तों को बताया जाता है और संग्रहनय में चित्तों से सम्प्रयुक्त होने वाले चैतसिकों को कहा जाता है । संग्रहनय की दृष्टि से चित्त दो प्रकार के होते हैं—सहेतुक और अहेतुक । उनमें चैतसिक इस प्रकार होते हैं—

सहेतुक	{	अनुत्तर ( लोकोत्तर ) चित्तों में	३६ चैतसिक
		महम्मत् ( रूपावचर-अरूपावचर ) चित्तों में	३५ चैतसिक
		कामावचर क्षोभनचित्तों में	३८ चैतसिक
		अकुशल चित्तों में	२७ चैतसिक
अहेतुक	{	अहेतुक चित्त में	१२ चैतसिक

(५) लोकोत्तर चित्तों में चैतसिक इस प्रकार से होते हैं—

१. प्रथम ध्यान मार्ग चित्त से सम्प्रयुक्त	चैतसिक	३६
२. द्वितीय ध्यान मार्ग चित्त से सम्प्रयुक्त	चैतसिक	३४
३. तृतीय ध्यान मार्ग चित्त से सम्प्रयुक्त	चैतसिक	३४
४. चतुर्थ ध्यान मार्ग चित्त से सम्प्रयुक्त	चैतसिक	३३
५. पंचम ध्यान मार्ग चित्त से सम्प्रयुक्त	चैतसिक	३३

(६) महम्मत् चित्तों में चैतसिक इस प्रकार से होते हैं—

१. महम्मत्	प्रथम ध्यान	में	सम्प्रयुक्त	चैतसिक	३५
२. "	द्वितीय	"	"	"	३४
३. "	तृतीय	"	"	"	३३
४. "	चतुर्थ	"	"	"	३२
५. "	पंचम	"	"	"	३०

## (७) कामाक्ष्यर घौमनचित्त में चैतसिक ।

	कुशल	क्रिया	विपाक
प्रथम द्विक	३८	३५	३३
द्वितीय द्विक	३७	३४	३२
तृतीय द्विक	३७	३४	३२
चतुर्थ द्विक	३६	३३	३१

## (८) अकुशल चित्त में चैतसिक ।

	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम
असंस्कारिक	१६	१६	१८	१८	२०
संस्कारिक	२२	२१	२०	२०	२२

## (९) अहेतुक चित्तों में चैतसिक ।

१. हसितोत्पाद से सम्प्रयुक्त					१२
२. बौद्धपन	}	से सम्प्रयुक्त			११
३. सन्तीरण					
४. मनोघातुत्रय एवं प्रतिसन्धियुगल से सम्प्रयुक्त					१०
५. द्विपञ्चविज्ञान से सम्प्रयुक्त					७

## ३. प्रकीर्ण संग्रह

प्रकीर्णक संग्रह में अनिरुद्ध ने स्वभावभूत ५३ ( चित्त १ + चैतसिक + ५२ = ५३ ) वर्णों का ६ प्रकार से संग्रह बताया है—वेदनासंग्रह, हेतुसंग्रह, कृत्यसंग्रह, द्वारसंग्रह, आलम्बनसंग्रह और वस्तुसंग्रह । ये सभी संग्रह परस्पर सम्बद्ध हैं । वीथियों का सम्यग्ज्ञान प्रकीर्णक संग्रह के ज्ञान के बिना सम्भव नहीं । चित्त और चैतसिकों का यहाँ संयुक्त वर्णन किये जाने के कारण इसे प्रकीर्णकसंग्रह कहा गया है ।

## १. वेदना के साथ चित्त चैतसिकों का सम्प्रयोग ।

		सम्प्रयुक्तचित्त	चैतसिक	
इन्द्रियों के भेद से	} १. मुखवेदना २. दुःखावेदना ३. उपेक्षावेदना ४. सौमनस्य वेदना ५. दीर्घमनस्यवेदना	आलम्बन	१	६
		के भेद से	१	६
			५५	४६
			६२	४६
			२	२१

२. मूल हेतु दो प्रकार के हैं—अकुशल हेतु और कुशल हेतु । अकुशल हेतु ३ हैं—लोक, द्वेष और मोह, तथा कुशल एवं अभ्याकृत हेतु ३ हैं—अलोक,

अद्वैत एवं मोह । वे सहेतुक और अहेतुक दो प्रकार के हैं । इन हेतुओं के साथ चित्तचैतसिकों का सम्प्रयोग इस प्रकार होता है—

	चित्त	चैतसिक
अहेतुक	१८	१३
एकहेतुक	२	२०
द्विहेतुक	२२	४८
त्रिहेतुक	४७	३५

३. कृत्य संग्रह में चित्त-चैतसिकों को प्रतिसन्धि आदि १४ कृत्यों के द्वारा संग्रहीत किया गया है । कृत्य का तात्पर्य है—एक भव से दूसरे भव में जन्मग्रहण आदि करना । कृत्य के १४ प्रकार ये हैं—प्रति-सन्धि, भवङ्ग, आवर्जन, दर्शन, श्रवण, घ्राण, आस्वादन, स्पर्शन, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, बोद्धपन, जवन, तदालम्बन, एवं च्युति । स्थान के भेद से ये कृत्य १० प्रकार के हैं—प्रतिसन्धि, भवङ्ग, आवर्जन, पंचविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, बोद्धपन, जवन, तदालम्बन एवं च्युति । स्थान का तात्पर्य है—किन्हीं तीन बीधिचित्तों के मध्यवर्ती चित्त से अविच्छिन्न काल ।

४. द्वार ६ हैं—चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय एवं मन । बीधिचित्तों के प्रमुख उत्पत्ति के कारण होने से ही इन्हें 'द्वार' कहा जाता है । चक्षुद्वार में ४६ चित्त उत्पन्न होते हैं और पाँचों द्वारों में ५४ चित्त होते हैं । प्रतिसन्धि, भवङ्ग एवं च्युति कृत्य करने वाले १९ चित्त 'द्वारविमुक्त' कहलाते हैं तथा द्विपञ्चविज्ञानचित्त १०, महग्गत एवं लोकोत्तर जवन २६, इस प्रकार ३६ चित्त 'एकद्वारिक' हैं ।

५. आलम्बन संग्रह में चित्त चैतसिकों का संग्रह आलम्बन के माध्यम से किया जाता है । ये आलम्बन ६ प्रकार के हैं—रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्शुष्य एवं धर्म । चित्त चैतसिक धर्मों के लिए ये 'रमण स्थान' कहे गये हैं । आलम्बन के चार विभाग हैं—काम, महग्गत, लोकोत्तर एवं प्रज्ञप्ति । उनमें २५ चित्त कामालम्बन, ६ चित्त महग्गतालम्बन, २१ चित्त प्रज्ञप्ति आलम्बन तथा ८ लोकोत्तर चित्त निर्वाणालम्बन करते हैं । वे किसी एक विभाग का हा आलम्बन करने वाले होते हैं । अतः उन्हें 'एकान्तालम्बन चित्त' कहा जाता है । कुछ ऐसे भी चित्त होते हैं जो दो या तीन विभागों का आलम्बन करने वाले होते हैं । उन्हें 'अनेकान्तालम्बनचित्त' कहा जाता है ।

६ वस्तु संग्रह में चित्तचैतसिकों का विभाग वस्तु भेद के आधार पर किया गया है । चक्षु, श्रोत्र आदि सभी धर्मों को चित्तचैतसिक धर्मों के आधार

होने के कारण 'वस्तु' कहा गया है। वस्तुएँ ६ प्रकार की हैं—चक्षुः, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काम एवं हृदय।

### ४. बीधिसंग्रह

बीधि का तात्पर्य है "द्वारप्पन्नता चित्तप्पवत्तियो"। अर्थात् नियमानुसार होनेवाली चित्त की प्रवृत्ति को 'बीधि' कहा जाता है। बीधि का अर्थ मार्ग है। अतः यहाँ उन द्वारों अथवा मार्गों का संग्रह किया गया है जिनकी अपेक्षा चित्तसन्तति उत्पन्न होती है। इस बीधिसंग्रह में ६ षट्कों का निर्देश है—६ वस्तुएँ, ६ द्वार, ६ आलम्बन, ६ विज्ञान, ६ बीधियाँ, एवं ६ प्रकार की विषय-प्रवृत्तियाँ। वस्तुएँ, द्वार आदि के भेद पूर्वोक्त अनुसार ही है। अतिमहद् आलम्बन, महद् आलम्बन, परीत आलम्बन, एवं अतिपरीत आलम्बन, ये पञ्चद्वार में, विभूत आलम्बन एवं अविभूत आलम्बन, दो मनोद्वार में, इस प्रकार कुल ६ प्रकार से विषयों में प्रवृत्तियाँ होती हैं।

ये बीधियाँ चित्त की स्थितियों का सूक्ष्मतम विश्लेषण प्रस्तुत करती हैं। मानव चित्त के व्यापार को जानने के लिए उनका ज्ञान होना अत्यावश्यक है। मुख्यतया ये बीधियाँ दो प्रकार की होती हैं—पञ्चद्वारबीधि और मनोद्वारबीधि। पञ्चद्वारबीधि द्वारा पाँच इन्द्रियों के आलम्बन से विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है और मनोद्वारबीधि द्वारा मन के माध्यम से विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है।

पञ्चद्वारबीधि—में ज्ञात विषयों को देखते ही "यह अयुक्तवस्तु है" यह ज्ञान चक्षु आदि पंचेन्द्रियों एवं मन की प्रवृत्ति का फल है। यह ज्ञान होने के पूर्व उसे निष्कलित एन्द्रियक और मानसिक क्रियायें करनी पड़ती हैं—(१) भवङ्ग—रूपालम्बन के दृष्टिगत होने से पूर्व की मानसिक दशा, (२) भवङ्गचलन—रूपालम्बन का प्रादुर्भाव हो जाने पर उत्पन्न चित्तप्रवाह, (३) भवङ्गविच्छेद—चित्तप्रवाह की पूर्व अवस्था की समाप्ति, (४) पञ्चद्वारावर्जन—विषय प्रवृत्ति के लिए पाँचों इन्द्रियों का सजग हो जाना, (५) चक्षुर्विज्ञान—चक्षु द्वारा रूप का दर्शन, (६) सम्पटिच्छन—रूप का सम्यग्रहण, (७) सन्तीरण—दृष्ट विषय पर सम्यग् विचार, (८) वोट्ठपन—इष्ट विषय पर निर्धारण अथवा व्यवस्थापन, (९) जवन—इष्ट विषय के परिभोग अथवा त्याग की ओर वेग पूर्वक गया चित्तप्रवाह, तथा (१०) तद्धारमण—इष्ट विषय की अनुभूतियों में लय जाना। वस्तु के जानने की यह प्रक्रिया जैनदर्शन में अबग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इन चार मार्गों से बतायी गयी है।

**मनोद्वारवीथि**—द्वारा, प्रसाद, सूक्ष्म, रूप, चित्त, शैलसिक, निर्वाण तथा प्रकृति रूप विषयों का ज्ञान होता है। यहाँ मन पूर्वज्ञान और सुपरिचित विषयों की ओर ही प्रवृत्ति करता है। अतः इसमें भवंग, भवंगचलन, भवंग-विच्छेद, मनोद्वारावर्जन, जवन तथा तदारमण नामक ६ अवस्थायें होती हैं। मनोद्वारवीथि में दो प्रकार के आलम्बन होते हैं—विभूत ( स्पष्ट ) और अविभूत ( अस्पष्ट )। मन में इन आलम्बनों की प्रवृत्ति के निम्न कारण हैं—इष्ट, श्रुत, उभयसम्बद्ध, श्रद्धा, रुचि, आकारपरिवर्तक, दृष्टिनिध्यानक्षान्ति, श्चद्विबल, धातुक्षोभ, अनुबोध आदि। यह कामजवनकार मनोद्वारवीथि है। अर्पणाजवन मनोद्वारवीथि में अर्पणा ( वितर्क ) सम्प्रयुक्त चित्त को आलम्बन में अभिनिरोपित करता है। अनिरुद्ध ने इन दोनों वीथियों के अतिरिक्त और भी वीथियों के नाम दिये हैं—स्वप्नवीथि, मरणासन्नवीथि, ध्यानवीथि, अवज्ञावीथि, निरोध समापत्तिवीथि, मार्गवीथि, फलवीथि आदि। इन सभी के जवन नियम और तदारमण नियम भी दिये गये हैं।

किस पुद्गल की सन्तान में कौन वीथिचित्त उपलब्ध होते हैं, इसका वर्णन 'पुद्गलभेद' में किया गया है। ये पुद्गल १२ प्रकार के होते हैं—४ पृथक्जन—दुर्गति—अहेतुक, सुगति—अहेतुक, द्विहेतुक, और त्रिहेतुक, तथा ८ आर्यपुद्गल—स्रोतापत्तिमार्गस्थ, सकृदागामि, मार्गस्थ, अनागामिमार्गस्थ, एवं अर्हत्मार्गस्थ तथा स्रोतापत्तिफलस्थ, सकृदागामिफलस्थ, अनागामिफलस्थ एवं अर्हत्फलस्थ। उनमें कौन-कौन वीथिचित्त प्रादुर्भूत होते हैं, इसके ज्ञान के लिए अभिधम्मस्थ संग्रह में पुद्गलभेद का तथा किस भूमि में कौन-कौन वीथियाँ होती हैं और उनमें कितने चित्त होते हैं, इसकी जानकारी के लिए भूमिविभाग का प्रतिपादन किया गया है।

मनोविज्ञान की दृष्टि से यह अध्याय विशेष उपयोगी है। इसमें व्यक्ति की प्रवृत्तियों का परिज्ञान होता है। साथ ही क्षणिकवाद में ये सब किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, इसका ज्ञान भी वीथियों के माध्यम से हो जाता है।

## ५ वीथिभूक्त संग्रह

प्रतिसन्धि, भवङ्ग और च्युति ये वीथिवाह्य चित्त कहे गये हैं। वीथिभूक्त संग्रह में इन चित्तों की उत्पत्ति का क्रम वर्णित है। इसे चार चतुष्कों में नियोजित किया गया है—भूमिचतुष्क, प्रतिसन्धिचतुष्क, कर्मचतुष्क और मरणोत्पत्ति चतुष्क।

१. भूमिचतुष्क—प्राणी जहाँ उत्पन्न होते हैं वहाँ भूमि कहलाती है। ये भूमियाँ चार प्रकार की हैं—अपाय, कामसुगति, रूपावचर और अरूपावचर।



१. अपाय का अर्थ है—अय (सुख) से विरहित । यह भूमि चतुर्विध है—निरय, निरस्त्रीनयोनि, पैत्रविषय एवं असुर । निरय ( नरक ) आठ प्रकार के होते हैं—  
 १. सञ्जीव (खण्ड-खण्ड किये जाने पर भी पुनः जीवित हो जाने वाला ),  
 २. कालमुक्त ( जहाँ शरीर छिन्न-भिन्न किया जाता है ), ३. संघात ( जहाँ सख्यों को पीसा जाता है ), ४. धूमरीरव ( जहाँ नव द्वारों से धूम का प्रकोप होता है ), ५. तापन ( आग में सन्तप्त होना ), ६. पतापन ( तीक्ष्ण अस्त्रों पर जहाँ गिराया जाता है ), ७. अवीचि ( जहाँ अविराम दुःख होता है ), और  
 ८. उस्सद निरय ( सर्वाधिक जहाँ दुःख दिया जाता है ) ।

कामसुगत भूमि—वह है जहाँ काम-तृष्णा के कारण सुख-भोग की सामग्री उपलब्ध होती है । यह भूमि सात प्रकार की है—१. मनुष्य भूमि, २. चातुर्महाराजिक भूमि ( धृतराष्ट्र, विस्कहक, विष्णाक्ष एवं कुबेर, इन चार देवराजों की निवास भूमि ), ३. त्रायस्त्रिसभूमि ( ३३ माणवकों का उत्पत्ति स्थान, सुमेरु पर्वत के समीपस्थ ), ४. यामाभूमि ( दिव्य सुखी देवों का स्थान ), ५. तुसिता ( संतुष्ट देवों का स्थान ), ६. निमणरति ( अधिकाधिक सुख प्राप्ति का उद्योग और ७. परनिमित्तवशवर्ती । पूर्वोक्त चार अपायभूमि एवं सात काम सुगति भूमि को मिलाकर ११ कामावचर भूमि कहलाती हैं ।

रूपावचर भूमि में ३ प्रथम ध्यान भूमि ( ब्रह्मपरिवक्षा, ब्रह्मपुरोहिता और महाब्रह्मा ), ३. द्वितीय ध्यान भूमि ( परिस्ताभा, अप्रमाणाभा, एवं आभास्वरा ), तृतीय ध्यान भूमि ( परित्तुभा, अप्रमाणसुभा, और शुभाकीर्णा ), और ४. चतुर्थ ध्यान भूमि ( बृहत्फला, असंज्ञिसत्त्वा एवं शुद्धावासा ), इस प्रकार रूपावचर भूमि १६ प्रकार की होती हैं । इनमें रहने वाले रूपो ब्रह्माजों को लौकिक कामगुणों के प्रति अनुराग नहीं होता ।

इन रूपी ब्रह्माजों के ऊपर ४ अरूपी भूमिका होती है—आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायन, अकिञ्चन्यायतन एवं नैवसीज्ञानासंज्ञानायतनभूमि । इन भूमियों में आकाशानन्त्यायन विपाक आदि चित्त चैतसिकों से प्रतिसन्धि होती है ।

२. प्रतिसन्धि चतुष्क—प्रतिसन्धि का तात्पर्य है नवीन भवों में चित्त, चैतसिक एवं कर्मज रूपों की उत्पत्ति अर्थात् जन्म ग्रहण करना । प्रतिसन्धि ४ प्रकार की होती है—अपाय प्रतिसन्धि, कामसुगति प्रतिसन्धि, रूपावचर प्रतिसन्धि एवं अरूपावचर प्रतिसन्धि । अपाय भूमि में चूँकि दुर्गति अहेतुक पुद्गल एक अकुशल कर्म विपाक ही होता है अतः प्रतिसन्धि भी यहाँ एक ही है । काम सुगति भूमि में मनुष्यों और असुरों की प्रतिसन्धियों पर विचार किया गया है ।

यहाँ सभी का परम्परागत आयुप्रमाण भी दिया गया है। रूपावचर भूमि में ब्रह्माओं-महाब्रह्माओं की प्रतिसन्धि और आयु आदि का वर्णन है असंख्यात कल्पों और महाकल्पों की गणना में। अरूप भूमियों में उत्पन्न होना आरूप प्रति सन्धि है।

३. कर्म चतुष्क—कर्म चार प्रकार के होते हैं। जनक, उपष्टम्भक, उपपीडक और उपघातक। जनक कर्म कुशल-अकुशल चेतना से उत्पन्न वे कर्म हैं जो जन्म ग्रहण के कारण होते हैं। उपष्टम्भककर्म जनक कर्मों की फलदायक शक्ति को प्रबल बनाता है। उपपीडक कर्म जनक कर्म की फलदायक शक्ति को कुशल कर्मों से कम करता है और उपघातक कर्म उस शक्ति को समूल नष्ट कर देता है। गुरुक, आनन्तर्य, आसन्न मरणावस्था में कृत), आचिण्ण (बुद्धिगत), औरकटत्ताकर्म ये चार कर्म विपाक दान की दृष्टि से होते हैं। इष्ट धर्म वेदनीय, उपपद्यवेदनीय, अपर पर्यायवेदनीय और अहोसिकर्म ( फल देने से बचे हुए कर्म ), ये ४ कर्म पाक काल की दृष्टि से हैं। इसी प्रकार अकुशल कर्म, कामावचर कुशल कर्म, रूपावचर कुशल कर्म एवं अरूपावचर कुशल कर्म—ये ४ कर्म भेद विपाक स्थान के आधार पर हैं। अकुशल कर्म के ३ भेद हैं— १. कायकर्म ( प्राणतिपात, अदिनादान, कामेसुमिच्छाचार ), २. वाक्कर्म ( मृषावाद, पिशुनवाक्, पुरुषवाक्, सम्प्रलाप ), और मनोकर्म ( अभिघ्यालोभ व्यापाद, एव मिथ्यादृष्टि )। इसी प्रकार कामावचर कुशल कर्म भी ३ प्रकार के हैं। उनके १० भेद भी मिलते हैं दान, शील, भावना, अपचायन ( सम्मान करना ), वैयावृत्य, पात्तदान ( प्राप्त वस्तुका दान करना ), प्राप्तानुमोदन धर्मश्रवण, धर्मदेशना एवं दृष्टि ऋजुकर्म। रूपावचर कुशल कर्म केवल मनः कर्म ही होते हैं। भावनामय होने से ध्यानांगों के आधार पर वे ५ प्रकार के होते हैं। अरूपावचर कुशल कर्म भी मनःकर्म ही होता है। आलम्बन के भेद से वे कर्म ४ प्रकार के होते हैं।

४. मरणोत्पत्ति चतुष्क—मरण के ४ कारणों की अपेक्षा से इसके ४ भेद हैं। ये चार कारण हैं—आयुक्षय, कर्मक्षय, आयु-कर्मक्षय, एवं उपच्छेदक ( उपघातक ) कर्म। इन चारों प्रकारों में से किसी एक प्रकार से ही प्राणियों का मरण सम्भव है।

## ६ रूपसंग्रह

यहाँ रूपों के विविध प्रकार से भेद-प्रभेद किये गये हैं। अभिधर्म दर्शन में साधारणतः चार प्रकार से इनका संग्रह किया गया है—सषुद्धे, विभाग, समुत्थान, कलाप एवं प्रवृत्तिक्रम।

रूप समुद्देश—पृथ्वी, अप, तेजस् और वायु, इन४ महाभूत तथा इनसे उत्पन्न रूपों का विभाग ११ प्रकार से किया गया है—

### १. निष्पन्न रूप ( १८ )

१. भूत रूप ( ४ )—पृथ्वी, अप् तेजो और वायु
२. प्रसाद रूप ( ५ )—चक्षुष् स्रोत, घ्राण, जिह्वा एवं काय
३. गोचर रूप ( ४ )—रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा अप् धातुवर्जित सूतत्रय
४. भाव रूप, ( २ )—स्त्रीत्व और पुरुषत्व
५. हृदयरूप ( १ )—हृदयवस्तु
६. जीवित रूप ( १ )—जीवितेन्द्रिय
७. आहाररूप ( १ )—कबलीकार आहार

ये १८ रूप स्वभावरूप, सलक्षण ( अनित्यता, दुःखता, अनात्मता से युक्त ) रूप, निष्पन्न ( जिनका उत्पादन किया जाता है ) रूप, रूपरूप ( विकार-जन्य ), और सम्मसन ( योगियों द्वारा विपस्सन ज्ञान से स्पृष्टव्य रूप भी कहे जाते हैं ।

### २. अनिष्पन्न रूप ( १० )

८. परिच्छेद रूप ( १ )—आकाश
  ९. विज्ञप्ति रूप ( २ )—काय विज्ञप्ति और वाग्विज्ञप्ति
  १०. विकार रूप ( ३ )—रूप की लघुता, मृदुता, कर्मण्यता एवं विज्ञप्तिद्वय
  ११. लक्षण रूप ( ४ )—रूप का उपचय, सन्तति, जरता एवं अनित्यता ।
- इस प्रकार कुल मिलाकर रूपों के २८ ( १८ + २८ ) प्रकार होते हैं ।

२. रूप विभाग—यह रूप अहेतुक, सप्रत्यय, साश्रव, लौकिक, कामाश्रवः अनालम्बन एवं अप्रहातव्य ही है । अप्रत्यय, अनाश्रव आदि नहीं । और भ्रं अनेक प्रकार से इनके भेद किये गये हैं—

१. आध्यात्मिक रूप — आत्मा के रूप में व्यवहृत होने वाले पञ्चस्कन्ध रूप पाँच प्रसाद रूप । शेष २३ रूप बाह्य रूप हैं ।
२. वस्तु रूप—पाँच प्रसाद और एक हृदय रूप ।
३. द्वार रूप—५ प्रसाद और २ विज्ञप्ति ।
४. इन्द्रिय रूप—५ प्रसाद, २ भाव, १ जीवित ।

५. औदारिक रूप—५ प्रसाद एवं रूपालम्बन आदि विषयगत १२ रूप औदारिक रूप, सन्निके रूप एवं सप्रतिघरूप हैं ।
६. उपादिष्ण रूप—तृष्णा, दृष्टि आदि द्वारा उपादकत रूप ।
७. सनिवस्सन रूप—रूपायन सनिदर्शन रूप है ।
८. गोचर ग्राहक रूप—चक्षुष, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, एवं काय नामक ५ प्रसादरूप आलम्बन का ग्रहण करने वाला ।
९. अबिनिर्भोग रूप—वर्ण, गन्ध, रस, ओजस, एवं भूतचतुष्क ।

३. रूप समुट्ठान - रूप समुट्ठान में रूप धर्मों की उत्पत्ति के कारण बताये गये हैं । ये कारण ४ हैं—कर्म, चित्त श्चतु, एवं आहार । इनमें कर्म-समुट्ठान रूपों को २५ प्रकार के कुशल अकुशल कर्म और चित्त समुट्ठान रूपों को ७५ प्रकार के चित्त उत्पन्न करते हैं । श्चतु और आहार यथा समय स्थिति-क्षणको प्राप्त करने पर रूपों को उत्पन्न करते हैं ।

४. रूपकलाप विभाग—अवयव धर्मों के कलाप ( समूह ) को रूपकलाप कहा जाता है । रूप की उत्पत्ति अन्योन्याश्रित है । यहां एक शब्द 'एक साथ' तथा 'एक' अर्थ में आया है । अर्थात् इन रूप कलापों की उत्पत्ति, स्थिति और निरोध एक साथ होता है तथा एक रूप कलाप में एक ही उत्पाद स्थिति और भङ्ग होते हैं । ये रूप कलाप २१ प्रकार के होते हैं ।

रूपों के उक्त २८ प्रकारों की उत्पत्ति यथायोग्य कामलोक में होती है । प्राणि चार प्रकार के होते हैं—संस्वेदज ( पसीने से उत्पन्न होनेवाले ) औपपातिक ( पूर्व भव से वर्तमान भव में उत्पन्न होने वाले, जैसे देव, नारकी आदि ), और गर्भेशयक के दो भेद हैं अण्डज और जरायुज । अण्डज में पक्षी वगैरह आते हैं । और जरायुज में मनुष्य, हाथी, घोड़ा, आदि आते हैं ।

सरव परम्परा में प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण से लेकर कर्मज रूप उत्पन्न होते हैं । उसके बाद भवङ्ग चित्त उत्पन्न होता है । उनमें प्रथम भवङ्गचित्त को द्वितीय चित्त कहा गया है । द्वितीय चित्त के उपादान से चित्तरूपकलाप उत्पन्न होते हैं । उन रूपकलापों में तेजो धातु होती है । उससे श्चतुज रूपकलाप उत्पन्न होते हैं । बाह्य श्चतुज ( हवा आदि ) से संपर्क होने पर बाह्य श्चतुज रूप उत्पन्न होते हैं और ओस्जफरण के उपादान से आहार रूप उत्पन्न होते हैं । यह क्रम उसी प्रकार से बना रहता है जिस प्रकार से दीपक की लौ अथवा नदी के प्रवाह में अविच्छिन्नता देखी जाती है ।

कर्मज रूपों का निरोध होने पर मरण होता है। मरण काल में च्युति चित्त से पूर्व १७ वें चित्त के स्थिति-काल से कर्मज रूप उत्पन्न नहीं होते। स्थिति-काल से पूर्व उत्पन्न कर्मज रूप च्युति चित्त के समकाल ही प्रवृत्त होकर निरुद्ध हो जाते हैं। तदनन्तर चित्तज और आहारज रूप भी समाप्त हो जाते हैं। इन तीन प्रकारों से उत्पन्न होने वाले रूपों के निरुद्ध हो जाने पर शरीर मृत मान लिया जाता है। इस प्रकार काम भूमि में २८ असंबन्धित रूप भूमि में २३ एवं असंज्ञि भूमि में १७ रूप होते हैं तथा अरूप भूमि में कुछ भी रूप नहीं होते।

अन्त में अनिरुद्ध ने निर्वाण के विषय में कहा है कि वान का अर्थ है—तृष्णा। तृष्णा के विनष्ट हो जाने पर निर्वाण प्राप्त हो जाता है ( वानतो निवसन्तं ति निव्वानं )। वस्त्र अथवा घागे के समान ताना-बाना बुनने के कारण भी तृष्णा को वान कहा गया है। उसके दूर होने पर निर्वाण मिलता है। निर्वाण को अमृत, असंस्कृत एवं परमसुख कहा है। इसके दो भेद हैं—सोपधिशेष और निरुपधिशेष। सोपधिशेष निर्वाण मार्ग द्वारा क्लेशों का सर्वथा प्रहाण हो जाने पर होता है। अर्हन्तों के पञ्चस्कन्ध ही उपाधिशेष हैं। जब परिनिर्वाण हो जाता है तब यह विपाक विज्ञान और कर्मज रूप समाप्त हो जाता है। इसी को निरुपधिशेष निर्वाण कहा गया है। आकार भेद से इस निर्वाण को तीन प्रकार का भी माना गया है—शून्यता निर्माण (राग, द्वेषादि के साथ रूपस्कन्ध का समाप्त हो जाना), अनिमलि निर्वाण (निराकार) और अप्राणहित निर्वाण (तृष्णा से विरहित)। निर्वाण के स्वरूप के विषय में बौद्धधर्म में अनेक कल्पनायें हैं जिन पर आचार्यों ने समुक्तिक मन्थन किया है।

## ७ समुच्चय संग्रह

अनिरुद्ध ने इस संग्रह में रूपों का स्वभावानुसार संग्रह कर दिया है। यहाँ चित्त १, चैतसिक ५२, निष्पन्न रूप १८ एवं निर्वाण १, इन ७२ रूप धर्मों को वस्तुधर्म कहा गया है। इसे उन्होंने अकुशल, मिश्रक, बोधिपक्षीय और सर्व संग्रह के आधार पर चार भागों में विभाजित किया है।

१. अकुशल संग्रह—अकुशल कर्मों की उत्पत्ति में मुख्य रूप से लोभ, द्वेष और मोह कारण होते हैं। इन्हीं को आस्रव कहा गया है। ये चार प्रकार के हैं—कामास्रव, भवास्रव, इष्टि आस्रव एवं अविद्यास्रव। ऐसे ही ४ ओघ होते हैं जो सत्त्व को भवों में घुमाते रहते हैं। इन्हीं को योग भी कहा गया है जो सत्त्वों को संसार दुःखों में जूटाते हैं। इसी संदर्भ में ४ ग्रन्थों का भी उल्लेख

आया है—अभिध्या, व्यापाद, शीलगत परामर्श ( मिथ्या धारणा ) और इदं सत्त्वाभिनिवेश ( यही सत्य है इस प्रकार का सिद्धान्त ) । इन्हीं को चार उपादानों के रूप में भी स्मरण किया जाता है । नीवरण ६ हैं—कामच्छन्द व्यापाद, स्थानमिद्व, औद्धत्य-कौकृत्य, विचिकित्सा, एवं अविद्या । ये कुशल धर्मों का निवारण करने वाले धर्म हैं । ७ अनुशय हैं—कामराग, भवराग, प्रतिष, मान, दृष्टि, विचिकित्सा और अविद्या । ये बलेशोत्पादक होते हैं । १० संयोजन हैं जो संसार चक्र में बांधने वाले होते हैं कामराग, रूपराग, अरूपराग, प्रतिष, मानस, दृष्टि, शीलव्रतपरामर्श, विचिकित्सा, औद्धत्य एवं अविद्या । १० क्लेश हैं—लोभ, द्वेष, मोह, मान, दृष्टि, विचिकित्सा, स्थान, औद्धत्य, आह्लीक्य, एवं अनपत्राप्य ।

२ मिश्रक संग्रह—यहां कुशल, अकुशल एवं अव्याकृत धर्मों का मिश्रित रूप में संग्रह किया गया है । इसमें ६ हेतु हैं—लोभ, द्वेष, मोह, अलोभ, अद्वेष, ध्यान, अमोह । ध्यानाङ्गके ७ अवयव हैं—वितर्क, विचार, प्रीति, एकाग्रता, सोमनस्य, दीर्घनस्य एवं उपेक्षा । मार्गाङ्ग ( मार्ग के अङ्ग १२ हैं—सम्यग्दृष्टि-संकल्प-वाक्-कर्मान्त-आजीव-व्याम-स्मृति-समाधि, मिथ्यादृष्टि, संकल्प, व्यायाम और समाधि । इन्द्रियां २२ हैं, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण जिह्वा, काय, स्त्री, पुरुष, जीवित, मन, श्रद्धा, सुख, दुःख, सोमनस्य, दीर्घनस्य, उपेक्षा, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, अनाज्ञातमाज्ञास्यामि, आज्ञा, तथा आज्ञात । ६ बल हैं—श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि प्रज्ञा, स्त्री, अपत्राप्य, आह्लीक्य और अनपत्राप्य । अधिपति (संबद्ध धर्मों के स्वामी ) ४ हैं—छन्द, वीर्य, चित्त एवं मीमांसा । आहार ( विपाक धर्मों के उपकारक ) ४ हैं—कबलीकार, स्पर्श, मनः सञ्चेतना तथा विज्ञान ।

३. बोधिपक्षीय संग्रह—बोधि पक्षीय ( आर्यसत्त्वों का ज्ञान कराने वाला मार्ग ) धर्म ३७ हैं—४ स्मृति प्रस्थान ( काय वेदना, चित्त और धर्मा नुपश्यना ), ४ सम्यक् प्रधान, ४ श्रद्धिपाद ( छन्द, वीर्य, चित्त तथा मीमांसा । ५ इन्द्रियां और ५ बल हैं—श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि तथा प्रज्ञा । ७ बोध्यंग—स्मृति, धर्मविचय, वीर्य, प्रीति, प्रश्रब्धि, समाधि तथा उपेक्षा । ८ मार्गाङ्ग—सम्यग्दृष्टि आदि । ये धर्म प्रायः लोकोत्तर चित्त में होते हैं ।

४. सर्वसंग्रह—इसमें चित्त और चैतसिक, रूप, एवं निर्वाण, इन चारों परमार्थ धर्मोंका संग्रह किया गया है । इस संग्रह में ५ स्कन्ध ( राशि ) हैं—रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान । उपादान स्कन्ध ( धर्मों के आलम्बन ) ५ हैं—रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान । आयतन (असाधारण कारण ) १२ हैं—चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, मन रूप, शब्द, गन्ध, रस एप्रवृष्य, तथा

धर्म । धातु (अपने स्वभाव को धारण करने वाले धर्म, १८ हैं—चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, रूप शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, चक्षुर्विज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, घ्राणविज्ञान, जिह्वा विज्ञान, कायविज्ञान, मनोधातु, मनोविज्ञान धातु, एवं धर्म धातु ।

आर्य सत्य ४ हैं— दुःख, दुःख सधुदय, दुःखनिरोध और दुःखनिरोध गामिनी प्रतिपदा । इस प्रकार यहाँ ७२ वस्तुसत् धर्मों का विभाजन किया गया है ।

## ८. पञ्चम संग्रह

प्रत्यय (पञ्चम) का अर्थ है कारण, जितने संस्कृत धर्म होते हैं, सभी प्रत्यय पूर्वक उत्पन्न होते हैं । कर्म, चित्त, ऋतु, आहार, एवं आलम्बन आदि कारण रूप धर्मों द्वारा अभिसंस्कृत किये जाने वाले चित्त, चैतन्य एवं रूप धर्मों को संस्कृत कहा जाता है । इस संग्रह में दो प्रकार के प्रत्ययों का संग्रह किया गया है— प्रतीत्यसमुत्पादनय और पट्टाननय । प्रतीत्य समुत्पादनय में प्रत्यय (कारण) और प्रत्ययोत्पन्न (कार्य) ये दो धर्म हैं । अतः जो कारण सामग्री की अपेक्षा करके प्रत्ययोत्पन्न धर्मों को उत्पन्न करता है वह प्रतीत्यसमुत्पादनय है । पट्टाननय में प्रत्यय और प्रत्ययोत्पन्न के अतिरिक्त प्रत्यय शक्ति का विशेष सम्बन्ध है (पट्टाननयो पन आह्वयपञ्चयद्वित्तिमारम्भ पबुञ्चति) ।

प्रतीत्य समुत्पादनय—में अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा-मरण शोक-परिदेव-दुःख-दीर्घमनस्य-उपायास, ये १२ परस्पर कारण होते हैं जिनसे दुःखस्कन्ध की उत्पत्ति होती है । अविद्या की उत्पत्ति में आस्रव कारण होते हैं और आस्रव की उत्पत्ति तृष्णा, उपादान और कर्म भवों से होती है । इनमें अविद्या और तृष्णा प्रधान है । इन दोनों में भी अविद्या प्रधान है क्योंकि अविद्या से आच्छन्न होकर तृष्णा की उत्पत्ति होती है ।

इस प्रतीत्यसमुत्पादनय में तीन अर्ध (अतीत-अविद्या और संस्कार, अनागत-जाति और जरामरण, तथा मध्य-विज्ञान, नामरूप आदि ८ धर्म), अविद्या आदि १२ अंग, २० आकार (अतीत और प्रत्युत्पन्न भव में ५ फल और ५ हेतु, ३ सन्धियाँ (आदि, मध्य और अन्त, और ३ वर्त (क्लेश, कर्म एवं विपाक) होते हैं । इन सभी में अविद्या और तृष्णा ये सम्पूर्ण प्रतीत्यसमुत्पादनय के मूल हैं ।

पट्टाननय में—२४ प्रत्यय हैं—हेतु, आलम्बन, अधिपति, अनन्तर, समनन्तर, सहजात, अन्योन्य, निश्चय, उपनिश्चय, पञ्चाज्जात, पुरोजात, आसेवन.

कर्म, विपाक, आहार, इन्द्रिय, ध्यान, मार्ग, सम्प्रयुक्त, विप्रयुक्त, अस्ति, नास्ति, विगत और अविगत । इन सभी प्रत्ययों का अन्तर्भाव आलम्बन, उपनिश्रय, कर्म एवं अस्ति में हो जाता है ।

## ६. कम्मट्ठान संग्रह

कर्मस्थान का अर्थ है भावना आदि कर्म का आधारभूत आलम्बन । यह कर्म स्थान दो प्रकार का होता है—शमथ एवं विपश्यना । शमथ कर्मस्थान कामच्छन्द आदि नीवरण क्लेशों को शमन (विनाश) करता है । यहाँ समाधि की प्रचानता है । महाकुशल एवं रूप कुशल प्रथमध्यान में सम्प्रयुक्त 'समाधि चैतसिक' ही शमथ है । महाकुशल एवं महाक्रिया चित्तों में सम्प्रयुक्त प्रज्ञा विशेष ही विपश्यना है । शमथ और विपश्यना की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना 'भावना' है ।

शमथ कर्म स्थान में १० कसिण, १० अबुभ, १० अनुस्मृतियाँ, ४ अप्रमाण्य, १ रंजा, १ व्यवस्थान, एवं ४ आरूप्य होते हैं । ६ चरित (राग, द्वेष, स्नेह, श्रद्धा, बुद्धि एवं वितर्क), ३ भावनायें ( परिकर्म, उपचार एवं अर्पणा ), ३ निमित्त ( परिकर्म, उद्ग्रह एवं प्रतिभाग ) होते हैं । विपश्यना कर्मस्थान में शील, चित्त, दृष्टि, काङ्क्षावितरण, मार्गमार्गज्ञानदर्शन, प्रतिपदाज्ञानदर्शन, एवं ज्ञान दर्शन, इन सात विद्युद्धियों का वर्णन है । इनके अतिरिक्त ३ लक्षण ( अनित्य, दुःख एवं अनात्म ), ३ अनुपश्यना ( अनित्य, दुःख और अनात्म ), १० विपश्यना ज्ञान ( सम्मर्शन, उदय, व्यय, भङ्ग, भय, आदीनव, निविदा, मोक्तुकाम्यता, प्रतिसंख्या, संस्कारोपेक्षा, एवं अनुलोमज्ञान ) को भी साधक के लिए जानना चाहिए । इन सभी का विस्तार से वर्णन योग साधना के सन्दर्भ में किया जा चुका है ।

## अभिधर्म का तुलनात्मक अध्ययन

बौद्ध धर्म में दो ही ऐसे सम्प्रदाय हैं जिन्होंने अभिधर्म पर सूक्ष्म दृष्टि से चिन्तन किया है । वे हैं थेर वाद और सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय । थेरवादियों के मत को प्रकट करने वाला अभिधर्म का मुख्य ग्रंथ है—'अभिधम्मत्थ संगहो, जो संक्षेपतः अभिधर्म में आए हुए धर्मों का वर्णन प्रस्तुत करता है । सर्वास्तिवादियों का अभिधर्म विषयक सर्वोत्तम ग्रंथ आचार्य वसुबन्धु ( ५ वी शती ) द्वारा रचित 'अभिधर्म कोश' है । 'अभिधर्म कोश' बौद्धधर्म का विख्याततम एवं सर्वाधिक उपयोगी ग्रंथ है । इसमें आठ कोश स्थान और ६०० कारिकाएँ हैं । आचार्य वसुबन्धु ने स्वयं इन कारिकाओं पर 'भाष्य' भी लिखा है । आचार्य यशोमित्र ने अभिधर्म 'भाष्य' पर व्याख्या ग्रंथ भी लिखा है ।



जहाँ 'अभिधम्मत्वजंगहो' का विषय चित्ता, चैतासक, रूप और नि है वहीं 'अभिधर्म कोश' धातु, इन्द्रिय, लोक, कर्म, अनुशय, आर्य पुद्गल, एवं ध्यान पर विशद प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त वात्सीयपुरि के पुद्गलवाद के खण्डन के लिए पृथक् कोशस्थान ( ७ वां कोशस्थान ) 'पुद्ग विनिश्चय' नाम सं परिशिष्ट के रूप में अन्त में दिया गया है। 'अभिधम्म संगहो' अपनी विषय वस्तु के अन्तर्गत ही धातु, इन्द्रिय इत्यादि का विवे प्रस्तुत करता है जबकि 'अभिधर्म कोश' इन सबका पृथक्-पृथक् व करता है।

बौद्धधर्म में धर्म की कल्पना उसकी अपनी विशेषता है। धर्म यद्यपि कई में प्रयुक्त होता है जैसे-सत्य, कर्तव्य, नियम और धर्म विशेष इत्यादि, परन्तु बौद्ध एवं दर्शन में धर्म शब्द की कल्पना अन्तिमवस्तु के रूप में की गई है। विशेष से अभिधर्म में धर्मों की गणना की ओर ही अधिक झुकाव है। धर्मों विभाजन पर ही विभज्यवादी जैसे अनेक सम्प्रदाय खड़े हो गए हैं।

थेरवादी परम्परा धर्मों को मुख्यतः दो विभागों में विभाजित क है—संस्कृत एवं असंस्कृत। पुनः थेरवादी संस्कृत धर्मों के तीन विभाग : असंस्कृत धर्मों का एक ही विभाग करते हैं। वे संस्कृत में—चित्त, चैता और रूप की गणना करते हैं तथा असंस्कृत में निर्वाण मात्र मानते हैं।

सर्वास्तिवादी परम्परा भी थेरवाद की तरह ही धर्मों के मुख्य दो : करती है। संस्कृत में चार प्रकार के धर्म मानते हैं और असंस्कृत में तीन : को प्रधानता देते हैं। चित्त, रूप, चित्ता सम्प्रयुक्त संस्कृत संस्कार एवं विप्रयुक्त संस्कृत संस्कार ये ४ संस्कृत धर्म हैं। अभाव, प्रतिसंख्या निरोध : अप्रतिसंख्या निरोध ये तीन असंस्कृत धर्म हैं।

धर्मों की कुल गणना में थेरवादी १७० और सर्वास्तिवादी ७५ धर्म मा हैं जैसे—

धर्म	थेरवाद में	सर्वास्तिवाद में
१. असंस्कृत-निर्वाण	१	३
२. संस्कृत चित्त	८६	१
चित्तसिक	५२	४६ ( चित्तासंप्रयुक्त संस्का
रूप	२८	११
चित्ताविप्रयुक्तसंस्कार	×	१४
कुल १७०		७५

उपरोक्त मानचित्र से यह स्पष्ट है कि जहां थेरवादी असंस्कृत निर्वाण को एकविध ही मानते हैं वहां सर्वास्तिवादी असंस्कृतधर्म त्रिविध—आकाश, प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्याननिरोध, बतलाते हैं। थेरवाद में आकाश परिच्छेद रूप माना गया है। अतः यहां यह संस्कृत है। यहां एक और बात ध्यान देने योग्य है। वह है—अभिधम्मत्वसंगहोकार आचार्य अनुसुद्ध ने निर्वाण को एक रूप मानकर भी दो प्रकार का बतलाया है—सोपधि शेष निर्वाण और निरूपधिशेष निर्वाण। सर्वास्तिवाद में प्रतिसंख्याननिरोध और अप्रतिसंख्याननिरोध उपरोक्त विविध निर्वाण के समकक्ष बैठते हैं। प्रतिसंख्या प्रज्ञा विशेष है। प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध दोनों ही जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त की अवस्था विशेष हैं।

जहां सर्वास्तिवादी चित्त को एकविध ही मानते हैं वहां थेरवादी चित्त के ८६ भेद करते हैं। ये सभी चित्त चार भूमियों पर अवलम्बित हैं—कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर और लोकोत्तर चित्त भूमि। कामावचर चित्त अकुशल, कुशल, अहेतुक, विपाक और क्रिया रूप ५४ प्रकार के होते हैं। रूपावचर और अरूपावचर कुशल चित्त हैं। ये कुशलविपाक और क्रिया की अपेक्षा क्रमशः १५ और १२ प्रकार के होते हैं। लोकोत्तर चित्त ८ ही हैं। ये कुशल और विपाक रूप होते हैं। क्रिया रूप नहीं होते हैं। ये ही जब पांच ध्यानों की अपेक्षा से होते हैं तब ४० प्रकार के हो जाते हैं। ४० लोकोत्तर चित्तों को मिलाने पर चित्तों की संख्या १२१ हो जाती है।

थेरवादी चैतसिकों की संख्या ५२ मानते हैं और सर्वास्तिवादी ४६। ५२ चैतसिक में साधारण चैतसिक ७, प्रकीर्ण चैतसिक ६, अकुशल १४, कुशल २५, जिनमें साधारण कुशल १६, विरति ३, और अप्रामाण्य ३ आते हैं। ४६ चित्त सम्प्रयुक्त संस्कारों में चित्त महाभूमिक धर्म १० हैं—वेदना, संज्ञा, चेतना, स्पर्श, छन्द, प्रज्ञा, स्मृति, मनसिकार, अधिमोक्ष एवं समाधि और कुशल महाभूमिक धर्म १०, हैं—श्रद्धा, वीर्य, उपेक्षा, ह्ली, अप्रव्रपा, अलोभ, अदोष, अहिंसा, प्रप्रब्धि एवं अप्रमाद। क्लेश महाभूमिक धर्म ६ हैं, मोह, प्रमाद, कौमीद्य, अश्रद्धा, स्त्यान और औद्धत्य। अकुशल महाभूमिक धर्म २ हैं, अही और अपव्रपा। उपक्लेशभूमिकधर्म १० हैं—क्रोध, अक्ष, मात्सर्य, इर्ष्या, प्रदास, विहिंसा, उपनाह, माया, शाक्य एवं मद। अनियतभूमिक धर्म ८ हैं—कौकृत्य, मृद्धि, वितर्क, विचार, राग, द्वेष, मान एवं विचिकित्सा। यहां हम देखते हैं कि दोनों में चैतसिकों के ६ विभाग किये गये हैं। उनके नामों में कुछ विभिन्नता है, किन्तु विभागों में बर्गीकृत चैतसिक

प्रायः समान हैं। जहां धेरवाद साधारण कुशल चैतसिकों की संख्या १९ है वहां सर्वास्तिवाद में १० कुशल चैतसिक हैं। सर्वास्तिवाद में जहां कायचित्त की लक्षुता, मृदुता, कर्मण्यता, प्रागुण्य और ऋजुता रू १० धर्म हैं वहां कुञ्ज नये चैतसिक जैसे वीर्य, अहिंसा, और अप्रमाद मिलते हैं। सर्वास्तिवादी चित्त—संप्रयुक्त संस्कारों में धेरवादी त्रिरतित्रय और अप्रामाण्य आदि तीन चैतसिक बिल्कुल ही नहीं मिलते।

सर्वास्तिवादी ११ प्रकार का रूप मानते हैं—५ इन्द्रिय, ५ इन्द्रिय विषय और अविज्ञप्ति। अविज्ञप्ति को कल्पना इनकी सर्वथा अपनी मौलिक देन है जो धेरवाद में नहीं मिलती, धेरवाद परम्परा रूप को ११ प्रकार की मानती है। पुनः वहां इन्हें निष्पन्न रूप १८ प्रकार और अनिष्पन्न रूप १० प्रकार, इस तरह कुल २८ प्रकार स्वीकार किया गया है। ग्यारह भेदों में भूत रूप ४, प्रसादरूप ५, गोचर रूप ४, भाव रूप २ जीवितेन्द्रिय १, हृदयवस्तु १, आहार १, परिच्छेद रूप १, विज्ञप्तिरूप २, विकार रूप ३, और लक्षण रूप ४, कुल २८ रूप गिनाये गये हैं। यहां सर्वास्तिवाद में ५ इन्द्रिय प्रसाद रूप और ५ विषय गोचररूप में गृहीत हैं। इस तरह सर्वास्तिवादी पुरुष इन्द्रिय, आकाश आदि धर्मों को रूप के अन्तर्गत नहीं मानते। धेरवादियों के २८ धर्मों में से कुछ धर्मों को सर्वास्तिवादियों ने अपने चित्त विप्रयुक्त संस्कार विभाग के अन्तर्गत स्वीकार किया है जैसे जीवितेन्द्रिय आदि।

चित्त विप्रयुक्त संस्कार सर्वास्तिवादियों की निजी कल्पना है जो धेरवादियों में नहीं पायी जाती। सर्वास्तिवादियों के १४ चित्त विप्रयुक्त संस्कार हैं - प्राप्ति, अप्राप्ति, आसंज्ञिक, निरोधसमापत्ति, जाति, जरा, स्थिति, अनित्यता, नाम-काय, पदकाय, व्यञ्जनकाय, आसंज्ञिक समापत्ति सभागता, और जीवितेन्द्रिय। ये धर्म चित्त से नितरां असम्प्रयुक्त हैं तथा रूप स्वभाव भी नहीं हैं। इसी से ये चित्त विप्रयुक्त संस्कार कहलाते हैं।

इस प्रकार धेरवादी और सर्वास्तिवादी अभिधर्म दर्शन का सिंहावलोकन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि जहां दोनों संप्रदायों के अभिधर्म में धर्मों को लेकर काफ़ी मतभेद है वहां उनके वर्गीकरण में किञ्चित् अन्तर को छोड़कर अधिकाधिक समानता ही दृष्टिगोचर होती है। जहां कहीं दोनों की धर्म विषयक वृद्धि और न्यूनता दिखाई देती है वह केवलमात्र अभिधर्म के विकास का ही चोतक है।

अभिधर्म के समूचे रूप को उक्त पृष्ठभूमि में देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध आचार्यों ने इस विषय को संसार और संसार से मुक्त होने की वास्तविक स्थिति को समझने-समझाने के साथ सम्बद्ध किया है। संसरण का मूल कारण है—मन अथवा भावों में विकार आ जाना। मन एक ऐसा कर्म-स्थल है जहां से कुशल और अकुशल आदि सभी प्रकार के कार्य प्रस्फुटित होते हैं। मृग-भरीचिका तृष्णा का जन्म मूलतः मानसिक स्थिति पर ही आधारित रहता है। इसी तरह विरात की स्थिति भी मन के माध्यम से होती है। यही कारण है कि प्रायः प्रत्येक दर्शन प्रणाली में मन पर पर्याप्त विचार-विमर्श किया गया है।

बौद्ध परम्परा में, जैन परम्परा के समान, मन के सन्दर्भ में गहन चिन्तन किया गया है। 'मनोपुब्बंगमा धम्मा' और 'फन्दनं चपलं चित्तं' जैसे वाक्य मन के स्वरूप को भली-भांति स्पष्ट कर देते हैं। मन की वृत्ति चपला के समान चंचल बता देने से आधुनिक मनोविज्ञान की परिभाषा के समकक्ष अभिधर्म खड़ा हो जाता है। अभिधर्म के मन को चित्त एवं चैतसिकों का समन्वित रूप कहा जा सकता है।

यहां मन का सन्दर्भ दृष्टि से भी सम्बद्ध है। सत्-असत् कर्मों की उत्पत्ति का कारण यही दृष्टि अथवा भाव है। इसी दृष्टि अथवा भाव से समस्त मानसिक क्रियायें उत्पन्न होती हैं जिनका अध्ययन आज की परिभाषा में हम मनोविज्ञान के अन्तर्गत करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का क्षेत्र अपेक्षाकृत बढ़ गया है। उसमें संवेदन, स्मृति, कल्पना आदि प्रवृत्तियों का अध्ययन लौकिक सोपान पर खड़े होकर किया जाता है पर बौद्ध मनोविज्ञान का सम्बन्ध विशेष रूप से आध्यात्मिक है। उसमें अकुशल भावों से कुशल भावों की ओर बढ़ने पर विशेष ध्यान दिया गया है। चित्त-चैतसिक भेदों की गणना उसी पर खड़ी की गई है। प्रतिसन्धि से मरण तक यह क्रम बना रहता है। इस दृष्टि से बौद्ध मनोविज्ञान का अपना महत्त्व है जैन मनोविज्ञान में बौद्ध मनोविज्ञान की अपेक्षा गम्भीरता और स्पष्टता अधिक है। उसमें ई० पू० द्वितीय शताब्दी से ही कर्म पर षट्खण्डागम जैसे विशाल काय ग्रन्थों का निर्माण होने लग गया था। इस विषय में और भी अनेक ग्रन्थों में यत्र तत्र विस्तार से चर्चा की गई है। कर्म के सम्बन्ध में जैन और बौद्धों की मान्यता समान-सी प्रतीत होती है। मात्र उनके भेद-प्रभेदों में शब्दों तथा विश्लेषण पद्धति का अन्तर माना जा सकता है।

( १५६ )

जैन और बौद्ध साहित्य के अध्ययन से यह अधिक सम्भव लगता है कि बौद्ध मनोविज्ञान जैन मनोविज्ञान से अधिक प्रभावित रहा होगा। अभी अध्ययन का यह क्षेत्र अधूरा है। विद्वानों को इस पर चिन्तन कर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना चाहिए।



## बौद्धधर्म का प्रचार-प्रसार और कला

### १. भारत में बौद्धधर्म का प्रचार-प्रसार

भगवान् बुद्ध ने अपना धर्मचक्र प्रवर्तन ऋषिपत्तन ( सारनाथ—मृगशाव ) से प्रारम्भ किया जहां उन्होंने अरुन्धात कौंडक्य, भद्विय, वप्प, महानाम एवं अस्सजि नामक पुराने पञ्चशास्त्रण साथियों को चतुरार्यसत्त्वों का उपदेश दिया । महावस्तु के अनुसार पूर्ण नालक और सभिय ने भी कुछ समय बाद यही दीक्षा ली थी । श्रेष्ठिपुत्र यक्ष भी अपने मित्र-परिवार सहित बौद्धधर्म की शरण में पहुँचा । अब तक बुद्ध का शिष्य कुल ५९ की संख्या तक पहुँच चुका था ।

ऋषिपत्तन से भगवान् बुद्ध ने उरुवेल्ला की ओर बिहार किया । बीच में ही कापासियवन ( सासाराम के समीप ) में भद्रवर्गीय क्षत्रियों को धर्मोपदेश देकर दीक्षित किया । उरुवेल्ला में उरुवेल्लाकाश्यप, नदी काश्यप और जटा काश्यप अपने लगभग ८०० शिष्यों सहित यज्ञक्रिया में संलग्न थे । बुद्ध ने वहाँ पहुँचकर अपनी अलौकिक चमत्कृति के बल पर काश्यप बन्धुओं को पराजित किया और सशिष्य उनको अपना अनुयायी बना लिया । इस अद्वितीय शक्ति का उल्लेखन साँची स्तूप के तोरण में भी दृष्टव्य है ।

बुद्ध इस समय तक एक प्रभावक व्यक्तित्व के रूप में सामने आ चुके थे । राजगृह पहुँचने पर राजा बिम्बिसार भी उनके प्रभाव से बच नहीं सके । उन्होंने भी बुद्ध का शिष्य होना स्वीकार किया और बेणुवन दान में समर्पित किया । यहीं राजगृह में संजयबेलट्टिपुत्र भी अपने धर्म और दर्शन के प्रचार में संलग्न थे । उनके प्रधान शिष्य दो थे—सारिपुत्र और मौद्गल्यायन । बुद्ध के शिष्य अश्वजित् ( अस्सजि ) से भिषाटन काल में सारिपुत्र की भेंट हुई और उससे निम्नलिखित गाथा सुनकर बुद्ध से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि वह अपने मित्र मौद्गल्यायन के साथ बौद्धधर्म में दीक्षित हो गया । कालान्तर में ये दोनों व्यक्तित्व बुद्ध और बौद्धधर्म के प्रधान स्तम्भ बन गये । गाथा इस प्रकार है—

ये धम्मा हेतुप्पमचा तेसं हेतुं त्थागतो भाह ।

तेसञ्च यो निरोधो एवं वादी महासमणो ॥

अनन्तर कुछ समय बाद बुद्ध ने नालान्दा की ओर बिहार किया । बीच में ही बहुपुत्रक चैत्य में महाकाश्यप ( काश्यप अग्निदत्त, पालि—पिप्पल्लि माणव ) से भेंट हुई । वह उस क्षेत्र का एक प्रभावशाली ब्राह्मण था । वार्तालाप के बीच बुद्ध ने सम्यक् प्रहाण का चतुःसूत्री उपदेश दिया—(१) वर्तमान पाप वासनाओं का क्षय करना, (२) भविष्य में उनकी वृद्धि को रोकना, (३) वर्तमान पुण्यों की सुरक्षा करना, और (४) यथाशक्ति उनकी वृद्धि करना । यह उपदेश सुनकर महाकाश्यप का सारा सन्देह समाप्त हो गया और वह बुद्ध का अनुचर बन गया । बौद्ध साहित्य में महाकाश्यप को बहुत सम्मान दिया गया है । बुद्धधर्म में उनका स्थान सारिपुत्र और मौद्गल्यायन के बाद ही आता है । भगवान् बुद्ध के लिए ये तीनों व्यक्ति अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए ।

राजा शुद्धोदन उदायी, छन्दक आदि राजपुरुषों के माध्यम से बुद्ध के पास अपना स्नेह निमन्त्रण राजगृह में ही पहुँचा चुके थे । बुद्ध ने इसे सहर्ष स्वीकार भी कर लिया था । राजगृह से ६० दिन में लगभग १६० मील पदयात्रा करते हुए वे कपिलवस्तु में पहुँचे । वहाँ पूरे नगरवासियों ने उनका स्नेहिल स्वागत किया और उनके पद-चिह्नों पर अपनी आँखें विछा दीं । बुद्ध के उपदेशों को सुनकर राजा शुद्धोदन और महारानी महाप्रजापति ने उनका धर्म-ग्रहण किया । इनके अतिरिक्त यशोधरा, आनन्द, अनुरुद्ध, भद्रिय, नन्द, देवदत्त, उपालि, छन्दक, और राहुल ने भी बुद्धधर्म की दीक्षा को स्वीकार किया ।

भगवान् कपिलवस्तु से लौटे और राजगृह के पास सीतावन चैत्य में श्रावस्तीवासी अनाथापिण्डक से भेंट हुई । सृष्टि, आत्मा, कर्म आदि के विषय में बुद्ध के विचार सुनकर अनाथपिण्डक का मन सहसा उनकी ओर आकर्षित हो गया और श्रावस्ती आने का निमन्त्रण देने के साथ ही वहाँ बुद्धबिहार निर्माण कराने की भी इच्छा व्यक्त की । सारिपुत्र श्रावस्ती गये । और स्थल के चुनाव में उन्हें राजकुमार जेत का वन उपयुक्त दिखाई दिया । राजकुमार जेत की दृष्टि में उस वन की भूमि का कण-कण स्वर्णमुद्राओं के समकक्ष था । अनाथपिण्डक ने इसे सहर्ष स्वीकार किया । इस प्रकार जेतवन बौद्धधर्म का प्रधान स्थल हो गया । प्राचीन मुद्राओं में भी इसका अंकन हुआ है ।

श्रावस्ती पहुँचने पर राजा प्रसेनजित ने बुद्ध का अथक हार्दिक स्वागत किया । बुद्ध ने उसे सांसारिक अनित्यता तथा यज्ञादि की अनुपयोगिता पर सुन्दर विवेचन किया । यहाँ शालियों और कोलियों के बीच उत्पन्न संघर्ष को शान्त करने का भी अवसर उन्हें मिला । पिता के अन्तिम दर्शन करने के लिए बुद्ध को एक

दुःखः कपिलवस्तु जाना पड़ा । वहाँ से फिर वैशाली आये और  
। में आनन्द के आग्रह से महाप्रजापति के नेतृत्व में भिक्षुणी संघ का  
। किया ।

।स प्रकार बुद्ध ने ४५ वर्ष तक उत्तर प्रदेश और बिहार में परिभ्रमण  
।ने धर्म का प्रचार-प्रसार किया । इस बीच उक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त  
।अकपुत्त गामणी, महाकात्यायन, ज्योतिस्क, जीवक, अभयराजकुमार,  
।, उपालि, पंचशिख, विशाखा, सोणदण्ड, अंगुलिमाल, महाराल, सीह,  
।, सुनक्खत्त, देवदत्त आदि अनेक और भी व्यक्तियों से उनका सम्पर्क  
। और जो बाद में उनके शिष्य बने वैशाली से मंडगाम, हत्थिगाम,  
।म, भोगनगर आदि नगरों में भ्रमण करते हुए पावा पहुँचे । यहाँ तक  
।-पहुँचते बुद्ध का शरीर जर्जरित हो गया था । और चुन्द द्वारा दिये गये  
।मद्द' से उनका काल और निकट आ गया । उसे वे पचा नहीं सके  
।हीं वे कालकवलित हो गये । इस महामानव की यही अन्तिम यात्रा थी ।  
।श्रपिटक के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध ने उत्तरप्रदेश और  
।, विशेष रूप से, मगध एवं कोशल तक ही अपनी चारित्र्या सीमिन रखी  
।विनय पिटक में इस प्रदेश को 'मज्झिमाजनपदा' कहा गया है और  
।रीमावर्ती प्रदेश को पच्चन्तिम जनपदा ( अबन्ति आदि ) कहा गया है ।

।द्ध के परिनिर्वाण के बाद ही संघभेद प्रारम्भ हो गया । फलतः  
।धारण के लिए राजगृह में एक सम्मेलन बुलाया गया जो प्रथम संगति  
। से विभ्रत है । लगभग सौ वर्ष बाद दस वस्तुओं की विवेयात्मकता  
।चार करने के लिए वैशाली में द्वितीय संगति का आयोजन किया

।इस समय तक थेरवादी ( परम्परावादी ) और महाराधिक ( सुधारवादी )  
।दी निकाय के रूप में सामने आ चुके थे । इन्हें पाचेय्यक और पाँचमक भी  
।या है । इनके वैशाली, अबन्ती, कौशाम्बी और मथुरा प्रान्त केन्द्र  
।बौद्धधर्म इन प्रादेशिक केन्द्रों के माध्यम से विस्तार पाने लगा । फलस्वरूप  
।क भेद भी उभरने लगे । कौशाम्बी से अबन्ति-दक्षिणापथ की ओर  
।वादी, मथुरा से उत्तरापथ की ओर सर्वास्तिवादी और मगध से आन्ध्रपथ  
।र महाराधिक सम्प्रदाय अपने विचारों के प्रचार-प्रसार में प्रवृत्त हो  
।महासंघ से ही उत्तरकाल में महायान की उत्पत्ति हुई । चौथी पाँचवीं  
।री तक उत्तर भारत में महायान बहुत लोकप्रिय हो गया । लगभग  
।शती में महायान से वज्रयान जैसी अनेक शाखायें-प्रशाखायें निकलीं  
।तान्त्रिक बौद्धधर्म कहा गया । यही तान्त्रिक बौद्धधर्म बौद्धधर्म की अवन्ति  
।कारण बना ।



अशोक के समय ( ई० पू० २७४-२३२ ) तक स्थविरवादी सम्प्रदाय में ही अठारह भेद हो गये थे । अशोक स्वयं बौद्ध था या नहीं इसमें मतभेद हो सकता है पर उसने बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार में जिन विविध उपायों का अवलम्बन लिया, उससे अशोक की बौद्धधर्म के प्रति अभिव्यक्त अभिरुचि तो सर्वमान्य है ही । पाटलिपुत्र में आहूत तृतीय संगति इसका प्रमाण कहा जा सकता है । बौद्ध परम्परानुसार अशोक ने ८४,००० स्तूपों का भी निर्माण कराया । प्रस्तरकला के क्षेत्र में बौद्धधर्म का योगदान यहीं से प्रारम्भ होता है । अशोक के स्तम्भों में भी धर्मचक्र आदि अनेक बौद्ध प्रतीक उत्कीर्ण हैं । इसी समय बिहारों का भी सुव्यवस्थित निर्माण प्रारम्भ हो गया था ।

तृतीय संगति का महत्व बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से विशेष है । मोग्गलिपुत्र तिस्स ने प्रत्यन्त जनपदों में बौद्ध धर्म को किस प्रकार व्यापक बनाया जाय, इस दृष्टि से एक योजना बनायी जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भिक्षुओं को यह दायित्व सौंपा गया । मध्यान्तिक स्थविर को कश्मीर और गन्धार, महादेव को महिसकमण्डल, रक्षित को वनवासी, योतक धर्मरक्षित को अपरान्त, महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र, महारक्षित को योनक ( ग्रीकराज्य ), मध्यम ( मज्झिम ) को हिमवन्त, सोढाक तथा उत्तर को सुवर्ण भूमि तथा महेन्द्र स्थाविर को इट्टिय उत्तिय, सम्बल और भट्टिय स्थविरों के साथ ताम्रपर्णी ( श्रीलंका ) द्वीप भेजा गया । इन देशों में बौद्ध प्रचारकों को सफलता भी मिली ।

अशोक के समय में ही बौद्धसंघ की एकता समाप्तप्राय हो चुकी थी । उसको विकास और विस्तार का मूल कारण कहा जा सकता है । पुष्यमित्र शुङ्ग बौद्धों का घनघोर शत्रु था । फिर भी जन साधारण ने बौद्ध धर्म की लोक-प्रियता कम नहीं हुई । भारद्वाज स्तूप, काले की गुफायें, सांची का स्तूप, पवनी के स्तूप आदि इसके प्रमाण हैं । इतना ही नहीं, ब्रह्मने मिलिन्द ( Menander ) जैसे ग्रीक राजाओं को भी आकर्षित किया । इसीसे सम्बद्ध प्राचीन अनेक युद्धों भी मिलती हैं । मोग्गलिपुत्र तिस्स ने तो यवन देश जाकर वहाँ एक ग्रीक को दीक्षित किया जिसका नाम धर्मरक्षित रखा गया । धर्मरक्षित ने अपरान्तक देश में बौद्धधर्म का कुशलतापूर्वक बहुत प्रचार किया । ग्रीकों ने भारत में बौद्ध कला के क्षेत्र में एक नयी शैली दी जिसका विकास पंजाब और उत्तर पश्चिमी भारत में हुआ ।

अशोक के राज्यकाल में बौद्धधर्म लगभग १८ सम्प्रदायों में विभक्त हो गया । इनमें से बहुत से भेद तो प्रादेशिक स्तर पर रहे । द्वितीय संगति के

फलस्वरूप महासांघिक सम्प्रदाय का जन्म हुआ जिसने उत्तरकाल में महायान के रूप में विकास किया। महासांघिकों के अष्टनिकायों में एक व्यवहारिक, लोकोत्तरवाद, अपरशैल और उत्तरशैल विशेष प्रभावक रहे। स्थविरवाद से सर्वास्तिवाद (हैमावत) ये दो संघ पृथक् हुए। महासांघिकों की उत्पत्ति वैशाली में हुई पर उसका दक्षिण में, विशेष रूप से धान्यकटक पर्वत के आसपास के प्रदेश में, अधिक हुआ। सातवाहनकाल इस दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण है। स्थविरवाद की अन्य शाखायें शुङ्ग काल से कुषाण काल तक अर्थात् लगभग ई. पू. २०० से ई. २००-३०० तक विकसित होती रहीं हैं। सर्वास्तिवाद ने मथुरा से नगरहर और तक्षशिला (गन्धार) से कश्मीर तक अपना प्रभाव जमाया तथा महीषासक और सम्मतीय ने दक्षिण भारत, लाट, और सिन्ध में लोकप्रियता प्राप्त की। धर्मगुप्त श्रीलंका भी गया पर वहाँ स्थविरवाद की प्रतिद्वन्द्विता में उसे पीछे हटना पड़ा। जैत्यवादी निकाय ने धान्यकटक (आन्ध्र) में पैर जमाये। पूर्वशैलीय, अपरशैलीय, सिद्धार्थक और राजगिरिक सम्प्रदाय इसी से अविभूत हुए हैं। महायान का विकास भी इन्हीं सम्प्रदायों से हुआ है।

कनिष्ककाल भी बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है। उसका साम्राज्य काबुल, गन्धार, सिन्ध, उत्तर-पश्चिम भारत, कश्मीर और मध्यदेश तक फैला हुआ था। मूलतः वह ईरानी था। बाद में उसने बौद्धधर्म स्वीकार कर लिया। चतुर्थ संगति कनिष्क के धर्म-प्रेम का ही फल था। सर्वास्तिवाद की दृष्टि से इस संगीति का विशेष महत्त्व रहा है।

गुप्तकाल में राज्याश्रय न मिलने के बावजूद बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार में कमी नहीं हुई। गुप्तवंशीय राजा यद्यपि भागवत धर्म के विशेष अनुयायी रहे हैं पर उनकी दृष्टि बौद्धधर्म के प्रतिकूल नहीं रहा। कौशाम्बी, सांची, बोधगया, मथुरा आदि स्थानों पर प्राप्त उत्कीर्ण लेख इसके प्रतीक हैं कि उन्हें राज्य से पर्याप्त अनुदान मिला करता था। मथुरा, सारनाथ, नालन्दा, अजन्ता आदि को कलाओं ने गुप्तकाल के गौरव को दिग्दिगन्त तक फैला दिया है। नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी समय हुई थी।

फाहियान ने गुप्तकाल में ही भारत की यात्रा की थी। उस समय चन्द्रगुप्त द्वितीय का राज्य था। फाहियान मध्य-एशिया में बौद्ध संस्कृति के प्रचार और प्रभाव को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। लोप-नगर का दक्षिणी प्रदेश और कड़ा शहर हीनयानी सम्प्रदाय के गढ़ थे जहाँ हजारों की संख्या में भिक्षु रहते थे। खोतान और काशगर में भी उसने बौद्धधर्म के विभिन्न सम्प्रदायों की स्थिति

को सन्तोषप्रद बताया। बलोरतक्ष पर्वत मालाओं के पास से सिन्धु नदी को पारकर फाहियान भारत आया जहाँ उसने बौद्धधर्म का अच्छा प्रभाव पाया। उच्चान, गन्धार, तक्षशिला, पेशावर, नगरहार, अफगानिस्तान, पञ्जाब, मथुरा, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, वाराणसी, चम्पा, दाम्बल्लिषि आदि देशों-प्रदेशों में फाहियान घूमा जहाँ उसने हीनयान और महायान के विभिन्न सम्प्रदायों को निकट से देखा। इस बीच उसे बौद्धधर्म फलता-फूलता हुआ नजर आया। गुप्तकाल की दृष्टि से फाहियान का यात्रा विवरण बहुत उपयोगी है।

सप्तम शताब्दी में हर्ष का साम्राज्य था। राजा हर्षवर्धन अपने जीवन के उत्तरकाल में बौद्ध बन गये थे। इसी समय युआन-च्वांग और ईत्सिग ने भारत यात्रायें की। युआन-च्वांग ने सप्तम शताब्दी के तृतीय-चतुर्थ दशक में भारत का भ्रमण किया। नगरहार (जलालाबाद) में उसने ६३० ई० में प्रवेश किया। गन्धार, प्रवरपुर (श्रीनगर), साकल (स्थालकोट), उत्तर-मध्यभारत, कन्नौज, प्रयाग आदि प्रदेशों में भ्रमण किया। श्रीहर्ष भी उसकी भेंट हुई। इस समय भी बौद्धधर्म की स्थिति अच्छी थी। ईत्सिग ने सप्तम शताब्दी के सप्तम-अष्टमदशक में भारत यात्रा की। इस समय भी भारत में हीनयान और महायान सम्प्रदायों की स्थिति अच्छी थी। नालन्दा, बलभी आदि स्थानों पर बौद्धधर्म के विशाल ज्ञानकेन्द्र थे।

हर्ष के बाद बौद्धधर्म भारत में अधिक नहीं पनप सका। धीरे-धीरे उसका प्रभाव कम होता गया। बौद्धों में प्रचलित तात्कालिक साधना क्षेत्र शिक्षाचार का गढ़ बन गया था। इसी मनोवृत्ति की पृष्ठभूमि में बौद्धधर्म का पतन भारत से प्रारम्भ हो गया। यद्यपि पालवंश का राज्याश्रय पाकर बौद्धधर्म अपनी स्थिति पुनः मजबूत बना सकता था पर ऐसा हो नहीं सका। यद्यपि नालन्दा के अतिरिक्त विक्रमशिला, ओदन्तपुरी और सोनपुरा जैसे शिक्षाकेन्द्र बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार में लगे थे पर लगभग १२ वीं शताब्दी के बाद वे बौद्धधर्म को भारत में अपनी पुरानी स्थिति में नहीं ला सके।

लगभग १२ वीं शताब्दी के बाद बौद्धधर्म प्रायः भारत में अपनी साधना से दूर हो गया। फिर भी उसका प्रभाव बौद्धेतर सम्प्रदायों पर बना रहा। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र के सन्तों को लिया जा सकता है जिन पर बौद्धधर्म की असुष्ण छाप है। ज्ञानेश्वर, एकनाथ आदि सन्तों ने अपने अधिकांश सिद्धान्त बौद्ध सिद्धान्त की पृष्ठभूमि में रचे हैं, भले ही वहाँ उनके नामों में परिवर्तन कर दिया गया हो। उड़ीसा आदि प्रदेशों में भी इसी स्थिति को देखा जा सकता है।

## २. विदेशों में बौद्धधर्म का प्रचार-प्रसार'

लगभग १२ वीं शती के बाद बौद्धधर्म यद्यपि अपनी मातृभूमि से कुछ प्राय हो गया, पर इसके पूर्व ही उसने अपना महत्त्वपूर्ण स्थान विदेशों में जमा किया था। इस विश्वा में अशोक का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। तृतीय संगीति का फल यह हुआ कि बौद्धधर्म ने भारत की सीमा का उल्लंघन किया। उसने श्रीलंका, बर्मा, थाईलैण्ड, कम्बोडिया आदि दक्षिण देशों और नेपाल, तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान आदि उत्तरदेशों की जनता में अपना अमिट स्थान बना लिया। आज भी बौद्धधर्म की ज्योति इन देशों में फैली हुई है जो करोड़ों व्यक्तियों को आध्यात्मिक शान्ति का मार्ग प्रशस्त करती है।

### श्रीलंका में बौद्धधर्म

श्रीलंका और भारत के बीच अतीत काल से ही सांस्कृतिक और राजनीतिक सम्बन्ध रहे हैं। अशोक के शिलालेखों में श्रीलंका का उल्लेख ताम्रपत्रों की नाम से मिलता है। परम्परानुसार बुद्ध-परिनिर्वाण के ही वर्ष में लाट (गुजरात) देश से विजय सिंह अपने मित्र परिवार सहित वहां पहुँचा। इसलिए उसका नाम सिंहल अधिक प्रचलित और ऐतिहासिक है। विजय सिंह ने ताम्रपत्रों की प्रतिकृति किया और वहां की संस्कृति को भारतीय संस्कृति, विशेष रूप से लाटदेशीय संस्कृति से, ओतप्रोत कर दिया। बौद्धधर्म के पूर्व श्रीलंका में जैन धर्म भी प्रचलित था। महावंश से यह स्पष्ट ज्ञात होता है।

विजय के पहुँचने के बाद लगभग २०० वर्ष तक श्रीलंका वासी बौद्धधर्म से अपरिचित रहे। अशोक के पुत्र महेन्द्र और पुत्री संबमित्रा ने वहाँ जाकर सिंहलवासियों के मन में बौद्धधर्म के प्रति आकर्षण पैदा किया। संबमित्रा ने बोधिवृक्ष का आरोपण अनुराधापुर में करके यह कार्य और अधिक प्रभावक बना दिया। देवानंपिय तिस्स ( २४७-२०७ ई० पू० ) ने इस पुण्य कार्य में अपना सभी प्रकार का सहयोग दिया। स्तूपों, चैत्यों और महार्हाबहारों का निर्माण भी प्रारम्भ हो गया। महेन्द्र और संबमित्रा ने श्रीलंका में लगभग अड़तालीस वर्ष तक धर्म प्रचार किया। और वही उन्होंने सांसारिक शरीर छोड़ा। श्रीलंका के इतिहास में श्री लंका में बोधिवृक्ष का आरोपण और बुद्धदन्त का आनयन, ये दो घटनायें बड़ी महत्त्वपूर्ण रही हैं।

---

१. यह भाग स्व० महापंडित राहुल सांकृत्यायन की 'बौद्धसंस्कृति' (इलाहाबाद)

पर विशेष आधारित है। लेखक तदर्थ उनका आभारी है।

सिंहल और बौद्धधर्म के इतिहास में राजा बट्टगाम्पती ई. पू. २९-१७) का समय बहुत महत्वपूर्ण है। द्रविणों के आक्रमणों को निष्फल करते हुए उसने बौद्धधर्म को सक्रिय बने रहने में पर्याप्त योगदान दिया। श्रुति परम्परा से चले आये त्रिपिटक को इसी ने लेखबद्ध कराया। यह कार्य चूँकि महाबिहार में एकत्रित होकर भिक्षुसंघ ने किया था इसलिए सिंहल के बौद्धधर्म को महाबिहार निकाय संज्ञा दे दी गई। कालान्तर में इस निकाय में संघभेद हुआ और वज्जीपुत्रीय आचार्य धर्मस्वचि की शिक्षाओं के आधार पर अभयगिरि निकाय को स्थापना हुई। वैपुल्य पिटक को उसने स्वीकार किया। बाद में इसी में से सागलीय नामकी शाखा का जन्म हुआ। अभयगिरि और सागलीय निकाय अधिक समय तक प्रभावक नहीं बने रह सके। ५९८ ई. में उन दोनों निकायों ने महाबिहार निकाय को स्वीकार कर लिया। इस समय तक भारत में वज्जयान फैल चुका था। श्रीलंका भी उसके प्रभाव से बच नहीं सका। रत्नकूट आदि सूत्रों के साथ मन्त्र-तन्त्र का प्रचार उसी प्रभाव का परिणाम है। मध्यकाल में द्रविड़ आक्रमण अधिक तेज हुए। उसके बावजूद बौद्ध धर्म और साहित्य विकसित होता ही गया। उत्तर काल में बौद्धधर्म का उत्थान और पतन, दोनों देखे जा सकते हैं। सोलहवीं शताब्दी से पोर्तुगीज और डच, के आक्रमण होने लगे। बौद्धधर्म के विकास पर उन आक्रमणों का बुरा प्रभाव पड़ा। १८ वीं शताब्दी के मध्यदशकों में श्रामणेर मिंगे सुवत्त गुणानन्द ने ईसाइयों से दार्शनिक लोहा लोकर बौद्धधर्म को पुनरुज्जीवित किया। तदनन्तर महास्थविर धर्माराम, सुमंगल और अनागारिक धर्मपाल जैसे विद्वानों ने श्रीलंका में बौद्धधर्म को अधिक पुष्पित और सुव्यवस्थित कर दिया। आज श्रीलंका बौद्ध देशों में अग्रणी माना जाता है।

श्री लंका की संस्कृति, भाषा और कला को भारतीय संस्कृति, भाषा और कला से प्रभावित होना स्वाभाविक है। उसकी लिपि भी भारतीय लिपि से उद्भूत है। श्रीलंका के बौद्धधर्म का प्रभाव वर्मा, कम्बोडिया, थाइलैण्ड आदि देशों पर भी पड़ा जहाँ आज भी बौद्धधर्म अपनी प्रभावक स्थिति में है।

### स्वर्णभूमि में बौद्धधर्म

मलाया वर्मा से लेकर जावा, सुमात्रा, बोर्नियो द्वीप समूह तक प्राचीन स्वर्णभूमि के अन्तर्गत आता था। महावंस ( १२.४४-५५ ) के अनुसार तृतीय संगीति के फलस्वरूप देवानंभिय अशोक ने सोण और उत्तर को ३५३ ई. पू. में स्वर्णभूमि में बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार के लिए भेजा था। सार्ची में प्राप्त अभिलेख से भी यह प्रमाणित हो जाता है।

## वर्मा

दक्षिण वर्मा में ५-६ वीं शती से बौद्धधर्म के अस्तित्व के प्रमाण मिलना प्रारम्भ हो जाते हैं। प्यु जाति की प्राचीन राजधानी श्रीक्षेत्र के समीप मौङ्गान और ह्यावजा में उपलब्ध स्वर्णपत्रों पर ये धम्मा हेतुप्यमवा जैसे प्रसिद्ध बुद्धचचन उत्कीर्ण मिलते हैं। थेरवाद परम्परा ही इस समय यहाँ प्रचलित रही होगी। तलैङ्, अम्म आदि वर्मी जातियों में भी बौद्धधर्म लोकप्रिय हो गया था।

वर्मा में ग्यारहवीं शताब्दी में महायानी साधना का भी प्रचार बढ़ा। दीपंकर का १०५४ ई० में देहावसान होने पर शिन् अहंन् ने राजा अनुरुद्ध के सहयोग से बौद्धधर्म की तान्त्रिक शाखा का प्रसार किया। राजा अनुरुद्ध ने धातोन के राजा मनोहर ( मनुहा ) पर आक्रमण कर त्रिपिटक हस्तगत किया। उसे नयी वर्णमाला में लेखबद्ध किया गया। तलैङ् भिक्षुओं से बर्मी जनता ने हीनयान की दीक्षा ली। तब से यहाँ स्वविरवाद प्रचलित है। सिंहल राजा ( १०६५-११२० ई० ) के समय अनुरुद्ध ने श्रीलंका को सैन्य सहायता दी और बदले में उससे बुद्ध की दन्तधातु ग्रहण की। इसी दन्तधातु पर स्वेजिगान महास्तूप का निर्माण हुआ। बाद में त्रिपिटक को भी मंगाकर उसका एक शुद्ध संस्करण तैयार किया गया। पगान में अभी भी बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है। अनिरुद्ध के पुत्र केन्जित्था ( १०८४-१११२ ई० ) ने भी अपने पिता की भाँति बौद्धधर्म का पर्याप्त संरक्षण किया। बोध गया के मन्दिर का उद्धार, बिहार निर्माण, तथा प्रदीप-रत्नदान का श्रेय केन्जित्था को ही है।

शिन् अहंन् की मृत्यु ( १११५ ई० ) के बाद पंगू संघाधिपति हुए। वे राजा नरत्थ के विरोध में सिंहल चले गये। वहाँ से ११७३ ई० में वापिस आये। उनके बाद उत्तरजीव संघराज हुए। उत्तरजीव संघ सिंहल की यात्रा पर गये। साथ में चपटा भ्रामणोर भी था। सिंहल भिक्षुओं ने चपटा को सिंहलनिकाय में दीक्षित किया। चपटा भिक्षु अपने कुछ साथियों के साथ सिंहल में ही रहे। ११८१-८२ ई० में पगान वापिस पहुँचने पर वर्मा में सिंहल संघ और अम्मसंघ नाम के दो संघों की स्थापना हो गई। प्रथम महाबिहार निकाय का सदस्य था तो द्वितीय सोण और उत्तर की परम्परा का अनुयायी था। चपटा के साथ राहुल, आनन्द, सीवली और तामलिनद भिक्षु भी थे। उनमें राहुल ने भिक्षु अवस्था छोड़कर गृहस्थावस्था को स्वीकार कर लिया। शेष भिक्षु सिंहल निकाय का प्रचार करते रहे। सिन्धु राजा के बाद हतिलो-मितेळ,

क्यासबा और नरसिंहपते ने राजगद्दी ग्रहण की। किन्तु उस समय तक बर्हा पर मुसलमानों के आक्रमण प्रारम्भ हो गये थे। १२८७ ई० में कुबले खान की सेना ने पगान पर अधिकार भी कर लिया था।

झम्म और तैलङ् परस्पर विरोधी थे। उन दोनों को एक बर्बर घुमन्तु जाति खान ने पराजित किया। उनमें से धीहयू ने बौद्धधर्म स्वीकार किया। आगे चलकर बौद्धधर्म का प्रचार बढ़ा। उस समय भिक्षु धम्मचेति ( १४७२-७६ ई० ) ने गृहस्थावस्था स्वीकारकर शिन्-सा-बू की सुपुत्री से विवाह कर राज्यशासन सूत्र सम्हाला। बौद्धधर्म का प्रभाव धम्मचेति के समय और अधिक बढ़ा। १४७२ ई० में उसने बोधगया जैसा मन्दिर बनवाने की घोषणा की। भिक्षु संघ में व्याप्त आचार-दोषित्य को दूर करने के लिए उसने २२ भिक्षुओं को सिंहल भेजा। वहाँ से वे उपसंपदा लेकर १४७६ ई० में वापिस आये। और उन्होंने नये भिक्षुओं को उपसम्पन्न किया। झम्म संघ सिंहल संघ के समीप आता गया। धम्मचेति ने उसी को मान्यता दी।

धम्मचेति के समय तक बर्मा अनेक राज्यों में विभाजित हो गया था। इसी समय १५२७ ई० में थोहन्-व्या नामक राजा आवा का अधिकारी हुआ। उसने बौद्धधर्म पर घनघोर अत्याचार किये। उसके विरोध में १५४३ ई० में भिन्-कियानोङ् ने उसकी हत्या कर अत्याचार को समाप्त किया। वपिनीङ् ( १५५१-८१ ) ने तलैङ् का विद्रोह शान्तकर बर्मा को एक सूत्र में बाँधने में सफलता पाई। उसने अनेक स्तूप और बिहारों का भी निर्माण कराया। वपनीङ् के बाद झम्म और तैलङ्गों में पुनः संघर्ष प्रारम्भ हो गया। १७४०-४५ ई० में तलैङ्गों ने झम्म ह्ता बुद्धकेति के नेतृत्व में पेरू में अपना अधिकार जमाया। अलौङ्-पया ( १७५६-५७ ) ने बाद में इन्हें बर्मा से निकाल बाहर किया। बर्मा को एकसूत्र में बाँधने के लिए उसे बहुत कोमत चुकानी पड़ी।

धम्मचेति के प्रभाव से बर्मा में साधारणतः एक ही संघ रह गया था। उसमें भी मतभेद पैदा हो गया। मतभेद का मूल कारण था चीवर। लगभग १७०० ई० में गुणाभिलंकार भिक्षु ने एकांस चीवर पहिनने की रीति चलाई। इसके पूर्व पारुपण ( प्रारोपण ) प्रथा थी। जिसमें चीवर से दोनों कंधे ढके जाते थे। एकंसिक चीवर प्रथा का अन्त बोदाब्या ( १७८२-१८१६ ई० ) ने कराया। मूल त्रिपिटक भी पारुपण प्रथा का पोषक है। फिर भी एकंसिक प्रथा सिंहल की स्थामनिकाय में अभी भी प्रचलित है।

कीर्तिश्री राज सिंह ( १७४८-७८ ई० ) ने उच्चकुलीन भिक्षुओं को ही सिंहल में उपसम्पदा के योग्य बताया। फलतः १८०० ई० में कुछ भिक्षु बर्मा

गये जहाँ उन्होंने अमरपुर में ज्ञानामिवंश से दीक्षा ली। सिंहल देश में वापिस जाने पर अमरपुर-निकाय स्थापना हो गई। ये उभयासी थे। इसी प्रकार सिंहल में एक और भी रामकृष्णनिकाय नाम का सम्प्रदाय है जो उभयासी है। बाद में मिन-दोन-मिन ( १८५२-७७ ई० ) ने संगमरमर की ७२६ पट्टियों पर त्रिपिटक को उत्कीर्ण कराया।

१८८५ ई० में बर्मा पर अंग्रेजों ने अधिकार किया। १९४८ ई० में स्वतन्त्र होते ही बौद्धधर्म बर्मा का राजधर्म बन गया। यहाँ बर्मी संस्कृति का रग-रग बौद्ध संस्कृति से प्रभावित देखा जाता है। महाबोधि सभा को इसका विशेष श्रेय है।

### मलयदीप

सोण और उत्तर का प्रभाव मलयद्वीप पर भी पड़ा। यहाँ के जन-जीवन में बौद्ध संस्कृति का प्रभाव बहुत अधिक है। केदा के समीप ४-५ वीं शती का बौद्धमन्दिर प्रसिद्ध है। यहाँ एक शिलालेख भी उपलब्ध हुआ है। इसी समय यहाँ महायान बौद्धधर्म का प्रवेश हुआ। लगभग ८ वीं शती तक यहाँ बौद्धधर्म अच्छी स्थिति में रहा।

### सुमात्रा

गुप्तकाल में सुमात्रा भी बौद्धधर्म का प्रधान केन्द्र बन गया था। ६८४ ई० में जयनाग श्रीविजय का शासक था। श्रीविजय हिन्दू-द्वीपसमूह में संस्कृति और शिक्षा का आकर्षक स्थान था। यहाँ महायान का विशेष प्रचार था। कहा जाता है कि सुवर्णद्वीप के प्रकाण्ड पण्डित धर्मकीर्ति के पास आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान ( ६८१-१०५४ ई ) बारह बर्ष तक पढ़ते रहे। ७ वीं से ११ वीं शती तक स्वर्णद्वीप ( इण्डोनेशिया ) का बहुत अधिक महत्त्व था। महायानी साधना का भी यहाँ प्रभाव रहा है।

### जावा

जावा का भी भारत से सांस्कृतिक सम्बन्ध रहा है। जावा का प्रथम राजा अजि-अका ( प्रथम शताब्दी ) भारतीय ही था। पाँचवीं शताब्दी में गुणवर्मा ने बौद्धधर्म का यहाँ अच्छा प्रचार किया। जावा की संस्कृति पर दक्षिण भारतीय कला और संस्कृति का विशेष प्रभाव है। पल्लवों के पूर्व और सातवाहनों के बाद के धान्यकटक और श्रीपर्वत ( नागार्जुनीकोण्डा ) में प्राप्त शिलालेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी तृतीय शताब्दी में सिंहल, चीन,



और किरात ( चित्तार, मलय ) तक बौद्धधर्म का प्रचार था। पल्लव लिपि और जावा-हिन्दचीन लिपियों में साम्य दिखाई देता है। श्रीविजय का शैलेन्द्र राजवंश महायानी तथा तान्त्रिक बौद्धधर्म का अनुयायी था। उस समय सातवीं शताब्दी में मगध और नालन्दा तन्त्रयान के प्रमुख केन्द्र थे। शैलेन्द्र वंशीय राजाओं ने दिग्विजयें भी कीं। १२६४ ई० के बाद उनका पतन होने लगा। शैलेन्द्र राजवंशों ने वास्तुकला पर विशेष ध्यान दिया। बरोबुद्धर का महाचैत्य, चण्डीसरी, चण्डीसेवू, चण्डी मेन्द्रुत् और चण्डीपवान मन्दिर बौद्धकला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। हिन्दू संस्कृति का प्रसार भी यहाँ कम नहीं रहा।

### बालीद्वीप

बालीद्वीप और जावा के बीच केवल डेढ़ मील की खाड़ी है। चीनी इतिहास से ज्ञात होता है कि छठी शताब्दी में यहाँ बौद्धधर्म बहुत लोकप्रिय था। यहाँ बौद्धधर्म चीन से नहीं आया। प्रत्युत भारत से पहुँचा था। उससेन भारतीय राजा था जिसने नवीं शताब्दी में वस्ती पर शासन किया। ११ वीं शताब्दी में बाली पर जावा का शासन हुआ पर कादिरी राज्य का पतन होने पर बाली पुनः स्वतन्त्र हो गया। बाद में मुसलमानों और डचों के आक्रमणों से बाली भी नहीं बच सका। फिर भी यहाँ शैवधर्म के साथ-साथ बौद्धधर्म पल्लवित होता रहा। यहाँ प्रायः शिव और बुद्ध को एक माना जाता है। ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्व की कोई वास्तुकला यहाँ उपलब्ध नहीं हुई। उत्तर कालीन मन्दिर अवश्य मिलते हैं।

### बोनियो

बोनियो भी बौद्ध दृष्टि से महत्त्वपूर्ण द्वीप है। यह जावा से अठगुना बड़ा है। यहाँ के इतिहास से ज्ञात होता है कि लगभग तीसरी-चौथी शताब्दी में बोनियो में ब्राह्मण संस्कृति का पर्याप्त प्रचार हो चुका था। पश्चिम बोनियो में प्राप्त अभिलेखों से स्पष्ट है कि लगभग १० वीं शताब्दी में यहाँ बौद्धधर्म का भलीभाँति प्रचार हो गया था। दक्षिण-पूर्वी बोनियो मत्सुपुर जिले में गुनुङ्-कूपाङ् के बीच उत्खनन में बोधिसत्व मञ्जुश्री की पाषाणमूर्ति मिली है। कुछ बुद्ध मूर्तियाँ कोम्बेङ् में भी प्राप्त हुई हैं। इनकी कला भारतीय है। बोनियो में प्राप्त पीतल की एक बुद्ध मूर्ति भी कला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। फिळिपीन और सेलीबीज में भी बौद्धकला के निदर्शन प्राप्त हुए हैं। इन सभी स्थानों पर मुसलमानों के आक्रमण हुए जिनसे बौद्धधर्म और कला की विशेष हानि हुई। इन सभी के बावजूद इण्डोनेशिया की

मात्राद्वीप समूह) की संस्कृति पर बौद्धधर्म की अमिट छाप पड़ी हुई है। म ( थाइलैण्ड ), कम्बुज ( कम्बोडिया ), और चम्पा ( वियतनाम ) भी के अभिन्न अंग हैं।

## हिन्दचीन में बौद्धधर्म

बर्मा, जावा, सुमात्रा आदि देशों से आगे चलकर बौद्धधर्म ने हिन्दचीन की ओर भी गयी। चीनी इतिहासकारों के अनुसार चम्पा राज्य की स्थापना १६२ में हुई थी। पर बौद्धधर्म का प्रभाव नीची शताब्दी से प्रारम्भ हुआ। समय इन्द्रवर्मा द्वितीय ने लक्ष्मीन्द्र लोकेश्वर नामक महाबिहार का निर्माण था। ६०२ ई० में यहीं स्वबिर नागपुण्य ने 'प्रसूदित लोकेश्वर बिहार' पित किया। यहाँ पर उत्कीर्ण प्रशस्ति से यह ज्ञात होता है कि चम्पा में एक बौद्धधर्म का प्रचार अधिक था। १३ वीं शती तक बौद्धधर्म यहाँ रहा शैव धर्म अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय था।

चम्पा के पश्चिम में एक प्रदेश था, जिसे चीनी इतिहासकारों ने फोनन् है। यहाँ का कौडिण्य राजा सोमवंशी कहा गया है। उसके बाद फान्-मन् ( २२५ ई० ) ने अपना राज्य मलाया तक विस्तृत किया। २४०-४५ में फूनान् से पाटलिपुत्र दूत भेजे गये। इसी समय उनका परिचय बौद्धधर्म का। इस समय तक फोनन् भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हो गया था। ८ ई० में मिथु नागसेन किसी प्रकार फोनन् पहुँचे। राजा जयवर्मा ने ४ ई० में नागसेन को चीन भेजा एक आवेदनपत्र के साथ। उस पत्र में चीन चलित बौद्धधर्म की प्रशंसा की गई थी। फोनन् में उपलब्ध शिलालेखों से स्पष्ट है कि इस समय तक वहाँ बौद्धधर्म का विस्तार हो चुका था। जयवर्मा गल में अवलोकितेश्वर बुद्ध और वज्रपाणि की प्रतिमार्थें बन चुकी थी।

कम्बुज चम्पा के समान भारतीय नाम कम्बोज के अनुकरण पर रखा गया। यहाँ मूलतः शैवधर्म प्रचलित था। फूनान् पर भववर्मा ने अपना कार किया। उसके बाद महेन्द्रवर्मा, ईशानवर्मा, जयवर्मा प्रथम आदि ज्यों ने कम्बुज पर शासन किया। यहाँ सर्वप्रथम जयवर्मा प्रथम ( ६६५ ) के शिलालेखों में ही बौद्धधर्म का उल्लेख मिलता है। उसके बाद लगभग शताब्दी तक कम्बुज शैलेन्द्र राजाओं के अधिकार में रहा। उसके बाद ज्यों द्वितीय ( ८०२ ई० ) सिंहासन पर बैठे। कुछ बौद्ध मन्दिरों का निर्माण कराया। जयवर्मा तृतीय ( ८६६-८७७ ई० ) के काल में पल्लव शिल्प का अनुकरण दिखाई पड़ता है। यशोवर्मा के बाद सूर्यवर्मा

( १००२-४९ ई० ) के राज्यकाल में बौद्धधर्म का उत्कर्ष बड़ने लगा । आज यहाँ स्थाविरवादी बौद्धधर्म प्रचलित है ।

थाई वासियों का मूल स्थान युन-नन् ( चीन ) था । इसी ओर शिन्धीन, इरावदी, तालविन, मेकाङ्ग, प्रदेश लाल नदी के तट पर अवस्थित थे । इसी प्रदेश को उन्होंने गन्धार कहा है । परम्परानुसार इस प्रदेश को अशोक ने स्थापित किया था । थाई ने प्रारम्भ से ही अपनी स्वतन्त्रता के लिए चीन से संघर्ष किया । थाई में बहुत नाम भारतीय नामों का अनुकरण करनेवाले रहे गये । १४ वीं शती तक अयोध्या उनकी राजधानी रही । इस बीच बौद्धधर्म का प्रचार-प्रसार बढ़ता ही गया । आज भी थाई में बौद्धधर्म बहुत लोकप्रिय है ।

### अफगानिस्तान और मध्यएशिया में बौद्धधर्म

अफगानिस्तान और भारत का सम्बन्ध प्रागैतिहासिककाल से रहा है । बुद्ध के समय अफगानिस्तान दारयोबहु के साम्राज्य का अंग था और गन्धार के नाम से पुकारा जाता था । वर्तमान में वहाँ कन्धार और पेशावर ( पुरुषपुर ) प्रमुख नगर हैं । बुद्ध के जीवन काल में ही उनका धर्म-सन्देश गन्धार तक पहुँच चुका था । परम्परानुसार अशोक ने ८४ हजार स्तूप बनवाये थे । उनमें एक तक्षशिला में था । तृतीय संगीति के फलस्वरूप मध्यान्तक को कश्मीर-गन्धार में बौद्धधर्म के प्रचार के लिए भी भेजा गया था । मौर्यवंश के बाद कश्मीर और गन्धार बौद्धधर्म के केन्द्रस्थल हो गये । गन्धार की मूर्तिकला प्रसिद्ध ही है । असंग और वसुबन्धु जैसे प्रकाण्ड बौद्ध दार्शनिक भी गन्धार से ही मिले । कपिशा ( कोहदमन ) भी भारतीय साहित्य में बहुचर्चित नगरी रही है । मध्यएशिया के यातायात के लिए गन्धार ( अफगानिस्तान ) ही एक सरल और सीधा रास्ता था । लगभग दशवीं शताब्दी तक बौद्धधर्म यहाँ रहा है । हर विदेशी को उसने बौद्धधर्म का पाठ दिया है । आज भी यहाँ बौद्धकला अपनी जीवित अवस्था में विद्यती है ।

चीनी तुकिस्तान और सोवियत तुकिस्तान को मिलाकर मध्यएशिया कहा जाता है । पश्चिमी मध्यएशिया का प्रसिद्ध नगर बुखारा बौद्धधर्म का स्मरण दिखता है । मंगोलियन आज भी बिहार के लिए बुखारा कहा करते हैं । इस्लाम के पूर्व यहाँ बौद्ध-बिहार था । गन्धारकला की मूर्तियों में बौद्ध मूर्तियाँ ही अधिक मिलती हैं । यधु नदी के दोनों ओर हिन्दुकुश और दरबन्द की पहाड़ियों के बीच बुखारा देश था । वर्तमान में उजबेक जाति के लोग यहाँ और रहते हैं । उत्तरी भाग सोवियत में है और दक्षिणी भाग अफगानिस्तान में ।

दक्षिणी मध्य-एशिया की जरफशा नदी का प्राचीन नाम सोग्द ( सुग्द ) है। समरकन्द और बुखारा इसी के किनारे बसे हुए हैं। सोग्दी भाषा और संस्कृति भारतीय भाषा और संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित है। सोग्दी भाषा में कुछ बौद्ध ग्रन्थ भी मिले हैं। मानी के धार्मिक सिद्धान्तों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव अधिक था। २१६ ई० में मेसोपोतामिया में जन्मा मानी ईसाई, जधुस्ती और बौद्ध, इन तीन धर्मों का समन्वित रूप जनता के समक्ष रखना चाहता था। पर ईसाइयों ने उसे शैतान का रूप मानकर समाप्त करा दिया। इसके बावजूब मध्यएशिया की संस्कृति पर बौद्धधर्म का प्रभाव अमिट रहा है।

खोतान ( संस्कृत कुस्तन ) का प्राचीन नगर तरिम के दक्षिण भाग में है। ५७-७५ ई० में खोतान में कई बार विद्रोह हुआ। फलतः द्वितीय शती में खोतान राज्य की स्थापना हुई। तृतीय शती में बिजय सम्भव के राज्य में यहाँ बौद्धधर्म आया। राजगुरु आर्यबिरोचन ने खोतानी भाषा के लिए एक लिपि बनाई जिसका मूलाधार ब्राह्मी लिपि था। तभी से संस्कृत नामों का प्रारम्भ हो गया। बिजय सम्भव की आठवीं पीढ़ी के राजा बिजयवीर्य के गुरु भारतीय बौद्ध भिक्षु थे। इसने अनेक बिहारों और स्तूपों का भी निर्माण कराया। बिजयवीर्य के पुत्र भी बौद्धधर्म में दीक्षित हुए। बिजयवीर्य के पुत्र बिजयधर्म और पौत्र बिजयसिंह ने बौद्धधर्म की अपूर्व सेवा की। खोतान पर उत्तरकाल में विदेशियों ने अनेक बार आक्रमण किया। इस कारण यहाँ के बौद्धबिहार और स्तूप नष्ट-भ्रष्ट हो गये। सप्तम शताब्दी के चतुर्थ दशक में तुकी\* राज्य खोतान से समाप्त हुआ और बिजयसिंह का राज्याधिकार आया। इसी समय आचार्य धर्मपाल वहाँ पहुँचे। बाद में तो खोतान चीन का अंग हो गया। और चार चीनी छावनियों में अन्यतम माना जाने लगा। आठवीं शताब्दी तक चीन का प्रभाव खोतान पर रहा। इसके बाद भोट का अधिकार हुआ। लगभग २०० वर्षों बाद पुनः चीन से सम्पर्क हुआ पर १० शताब्दी में मुसलिम आक्रमणों के कारण खोतान परतन्त्र हो गया और बौद्धधर्म समाप्त-प्राय हो गया। तत्कालीन साहित्य से ज्ञात होता है कि खोतान में महायानी साधना का प्रचार अधिक था। वहाँ बुद्ध की मूर्ति-पूजा बड़े उत्साह के साथ की जाती थी। ह्वैन-सांग भारत से लौटते समय भी यहाँ रुका। और वहाँ के बौद्धधर्म तथा साहित्य की स्थिति से अवगत कराया।

खरोष्ठी लिपि का प्रयोग गंधार में होता था। पश्चिमोत्तर प्रदेश के मनसहरा और शाहवाज गढ़ी में अशोक के लेख इसी लिपि में उत्कीर्ण मिलते हैं। ये लेख प्राकृत भाषा में लिखे गये हैं। देशी और विदेशी नामों का एक साथ प्रयोग मिलता है। धम्मपद की भाषा और उन प्राकृत अभिलेखों की भाषा में साम्य

दिखाई देता है। पूर्वी मध्य एशिया के दक्षिणी भाग में शकजाथा का प्रचलन था। संस्कृत में उपलब्ध बौद्ध संस्कृत साहित्य का अनुबाध इस भाषा में हुआ है।

काश्गर और खोस्तान पर कनिष्क का भी अधिकार रहा है। उस समय बौद्धधर्म वहाँ अवश्य था। विशेष रूप से सर्वास्तिवाद का प्रचार था। चीन से पश्चिम की ओर कूचा भी बौद्धधर्म का केन्द्र था। सम्भव है कूचा और कुषाणों एक ही हो। सूत्रालंकार के अनुसार कनिष्क को कुषा जाति का बताया गया है। तृतीय शताब्दी में कूचा बौद्धधर्म का प्रमुख केन्द्र था। यहाँ से चीनी सेना कुमारजीव को हटात् चीन ले गयी, जहाँ कुमारजीव ने बौद्ध ग्रन्थों का अनुबाध चीनी भाषा में किया। सातवीं शताब्दी तक कूचा बौद्धधर्म का केन्द्र रहा है। हीनयान और महायान दोनों साधनायें समान रूप से प्रचलित रही हैं। ह्वेनसांग ने यहाँ के बौद्धधर्म की स्थिति बहुत सन्तोषप्रद बताया है। कूची भाषा और साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। प्रतीत्यसमुत्पाद, स्मृत्युपस्थान, शक्रप्रश्न, महापरिनिर्वाण, उदानवर्ग, उदानालंकार, अवदान, कल्याणपुण्डरीक, आदि ग्रन्थ कूची भाषा में उपलब्ध हुए हैं। तुसारी भाषा में इसी प्रकार जातक आदि अनेक ग्रन्थ मिलते हैं।

कूचा के पूर्व तूर्फान एक मरुद्वीप है। यहाँ लगभग ८ वीं शताब्दी तक बौद्धधर्म अपनी समृद्ध अवस्था में रहा। यहाँ अनेक हस्तलेख भी मिलते हैं। रूसी और जर्मनी विद्वानों ने उन हस्तलेखों को पढ़ने का अथक परिश्रम किया। तूर्फान के उत्खनन में बौद्ध मूर्तियाँ, बौद्धचित्र, चीनी-ईरानी सिक्के, बोधिसत्त्वों के मुण्ड आदि विविध प्राचीन सामग्री उपलब्ध हुई। स्तूपों के नीचे मानो ग्रन्थ भी मिले। कूचा के पूर्व में तुन-ह्वान्ड है, जो चीन की सीमा के समीकट है। यहाँ कभी चीन का राज्य रहा तो कभी तिब्बत का। फिर भी बौद्धधर्म का प्रचार-प्रसार बना रहा। यहाँ उपलब्ध बौद्ध गुफाएँ चतुर्थ शताब्दी की हैं। सम्भव है, यह प्रभाव समुद्रगुप्त का रहा हो। क्योंकि चीन में बौद्धधर्म पाचवीं शताब्दी में पहुँचा। बाद में चीन का भी प्रभाव बढ़ा। मिति चित्र और बौद्धमूर्तियों पर गन्धारकला का प्रभाव स्पष्टतः दिखाई देता है। सहस्रबुद्ध गुहाबिहार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जो चित्र उपलब्ध हुए हैं उनमें कुछ बोधिसत्त्वों अर्हन्तों और बुद्धमूर्तियों के हैं और कुछ सांसारिक जीवन के सन्दर्भ बताते हैं। उन चित्रों में चीनी और नेपाली कला विशेष रूप से दिखाई देती है। प्रायः सभी चित्र महायान से सम्बद्ध हैं। वे अधिकांश चित्र नवीं शताब्दी के हैं। स्ट्राइन को नीया के ध्वंसावशेषों में खरोठी लिपि और प्राकृत अक्षरों की क्षताधिक पट्टियाँ प्राप्त हुईं। एक तावी साधु बड्-ताऊ को वहाँ का बड़ा मारी युक्तक मण्डार भिजा जिसे डेलियो नामक क्रिन्ध विद्वान ने १९७६-७

ई० में स्वयं देखा। उन्होंने उसकी सूची भी बनाई। हस्तलिखित ग्रन्थों की प्रतिलिपि की दृष्टि से यह अक्षर विशेष महत्वपूर्ण है। जापानी विद्वान काउटर जोतानी ने भी १६०२ में कुछ मूल्यवान् सामग्री प्राप्त की।

तुर्की भाषा में बौद्ध साहित्य मिलता है। इसका प्राचीन साहित्य उद्दग-साहित्य के रूप में उपलब्ध होता है। तुर्कों के अन्तिम समय में कब्रों की, तुर्की भाषा प्रदेशों में बौद्धधर्म फैला गया था। उद्दगुर पश्चिमोत्तर मंगोलिया के निवासी थे। उद्दगुर लिपि से ही मंगोल और मंचु लिपियाँ निकलीं। उद्दगुरों में बौद्धधर्म का प्रचार ई० पू० प्रथम शताब्दी के पूर्व ही हो गया था। उद्दगुर साहित्य में उपलब्ध बौद्धग्रन्थ तोखारी, सफ, चीनी और तिब्बती से अनुवाचित हुए हैं। यहाँ सर्वास्तिवाद और महायान बौद्धधर्म का विशेष प्रचार था। बाद में कुसलमार्गी के कारण लगभग १२ वीं शताब्दी में बौद्धधर्म को बड़ा आघात लगा। पर सोवियत रूस अब उद्दगुर साहित्य को समृद्ध कर रहा है।

### चीन में बौद्धधर्म

जनसंख्या की दृष्टि से चीन विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र है। संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से भी उसे बहुत प्राचीन कहा जाता है। शायद हिमयुग से ही उसका मानव इतिहास प्रारम्भ हो जाता है। सही इतिहास २२१ ई० पू० से प्रारम्भ होता है जब छिन् राजवंश की स्थापना हुई। चीनी लिपि का प्रभाव कोरिया, अनाम, जापान, उद्दगुर, मंगोल और मंचु लिपियों पर भी पड़ा।

ई० पू० ५ वीं-६ वीं शताब्दी में बुद्ध और महावीर के समान चीन में भी विचार क्रान्ति करने वाले कन्फूसी, मो-टी, और छाउज् हुए जिन्होंने चीन के जन जीवन में आदर्शवाद और रहस्यवाद की शिक्षा दी। २२१-२०७ ई० पू० में चाउवंश के बाद छिन् वंश की प्रभुसत्ता हुई। वेङ्, वहाँ का प्रथम सम्राट् बना। इस काल में चीनी भाषा और साहित्य का विकास उल्लेखनीय रहा। चीनी बीमार का निर्माण भी इसी के राज्यकाल में हुआ। तुर्कों के आक्रमणों से बचने के लिए यह १५०० मील लम्बी अश्वेय दीवार बनावी गई थी। उसकी मृत्यु के बाद चीन से उसके वंश की प्रभुसत्ता समाप्त हो गई। चीन पुनः अनेकता में फँस गया।

छिन् वंश के अन्तिम पश्चिमी हान् ( २०२ ई० पू०-९ ई० ) वंश आया। पर उन्ने तुर्कों से कठोर संघर्ष करना पड़ा। अन्त में ऊ-टी ने तुर्कों पर विजय पा ली। उसने चाङ्-न्याङ् को भी तुर्कों से छोड़ा लेने देखा था पर तुर्कों ने

उत्ते दस साल तक बन्दी रखा। बाद में वह चीन गया ई० १२८ में। उसने बताया कि चीनी बस्तुएं जेजुजान तथा मुन् नन् के मार्ग से भारत पहुँचती हैं। इसी मार्ग से बाद में फा-सि-यान् ह्वेनसाङ्, ई-बिङ्, बर्गरह यानी भी भारत में आये।

पूबीं हानवंश ने २५-२२० ई० तक शासन किया। इसी वंश के राजा मिङ्-ती ने बौद्धधर्म ग्रहण किया। ई० ६ में पश्चिमी हानवंश लुप्तप्राय हो गया। सम्राट् ऊ-टी ने फरमाना तक अपना सम्राज्य विस्तृत किया। फ्याङ्-कमाङ् के अनुसार इस सम्राट् के पास एक बुद्ध मूर्ति थी। चीन में सर्वप्रथम बौद्धधर्म प्रचारक ६७ ई० में पहुँचा।

कहा जाता है, पूबीं हानवंश के सम्राट् मिङ्-ती ( ५८-७५ ई० ) ने स्वप्न में एक स्वर्णिम महापुरुष देखा जिसे बुद्ध कहा गया। सम्राट् ने बाङ्-त्सुन् के नेतृत्व में १७ व्यक्तियों के दल को बुद्ध के धर्म की खोज में भेजा। यह दल काश्यप मातङ् तथा शान्तिभिद्यु ( धर्मरत्न ) और धार्मिक ग्रन्थों के साथ राजधानी वापिस आया। काश्यप मातङ् तक्षशिला के आचार्य थे। उन्होंने सर्वप्रथम चीनी भाषा में 'द्वैतत्वारिंशत् सूत्र' का अनुवाद किया। शान्तिभिद्यु ने भी कुछ बौद्ध साहित्य का सृजन किया। इसके अतिरिक्त मिङ्-ती ने ह्वेताइव बिहार बनवाकर बौद्धधर्म के अस्तित्व को और भी सशक्त बना दिया। मातङ् के बाद भी अनुवाद-परम्परा अक्षुण्ण बनी रहती है। इस परम्परा में पाचिया लोगों ने अपना बौद्धधर्म-प्रेम प्रदर्शित किया। सोकाउ उनमें प्रमुख थे। उन्होंने लगभग ६५ बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। कुछेक वर्ष बाद लोकक्षम् हुए जिन्होंने २३ ग्रन्थों का अनुवाद किया चीनी भाषा में। कुछ और भी अनुवादक थे। इन हानवंशीय विद्वान अनुवादकों ने ४३४ ग्रन्थों का अनुवाद किया। बौद्धधर्म की दृष्टि से हानवंश का राज्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस काल में बौद्ध साहित्य और कला का पर्याप्त विकास हुआ है।

हानवंश के बाद चीन की एकसूत्रता नष्टप्राय हो गई। उसे झू ( २२१-६४ ई० ), वेई ( २२०-६५ ई० ) और ऊ ( २२९-८० ई० ) राजवर्षों ने विभाजित कर लिया। फिर भी बौद्धधर्म की प्रगति में यह विभाजन व्यवधान नहीं बन सका। ह्वेताइव बिहार अभी भी धर्म प्रचार का केन्द्र बना हुआ था। वेई काल में धर्मपाल, संघवर्मा, धर्मसत्य, पो-यङ् और धर्मभद्र प्रमुख अनुवादक थे। उनके सुसावलीयूड् आदि अनुवादित ग्रन्थ मिलते हैं। ऊवंश में मू-जू नामक विद्वान ( १७० ई० ) ने बौद्ध दार्शनिक परम्परा प्रारम्भ की। कुछ उल्लेखनीय अनुवादक भी हुए जिनमें ची-चियेन् अधिक प्रसिद्ध

हुआ। ची-य्येन् ( २२३-२५३ ई० ) ने १२७ ग्रन्थों का अनुवादन किया। अथर्वानुक्त, आतपोसूत्र, ब्रह्मजालसूत्र, वाससूत्र जिनमें प्रमुख हैं। विष्णु ( २२४ ई० ) और कृष्ण-वेन् ने धम्मपद आदि का अनुवाद किया। शाक्य-सेङ्-हो के संयुक्त-अदान आदि १४ ग्रन्थ अनुवादित हैं। कहा जाता है, इसी समय किसी बौद्ध भिक्षु ने चाय का आविष्कार किया। चीनी सिद्धी के वर्सन और चीनांगुक पहले से ही प्रसिद्ध थे।

चतुर्थ शताब्दी में उत्तरी चीन पर हूणों का अधिकार हो गया। वे हूण मंगोलों से सम्बद्ध अव्यार थे। उस समय बौद्धधर्म की प्रतिद्वन्दिता ने ताड़-बाव जड़ा हुआ था। फिर भी वह बौद्धधर्म का प्रचार नहीं रोक सका। चतुर्थ शताब्दी के उत्तरार्ध में बौद्धधर्म कोरिया पहुँच गया। चीनी लिपि से भी वे परिचित हो गये। लगभग १५० वर्ष बाद कोरिया से ही बौद्धधर्म जापान गया। कोरिया में ताड़-आन के शिष्य हूह-भुवन को सुखावती, पुण्डरीक अथवा अमितान सम्प्रदाय ( ३१४-३८५ ई० ) का प्रतिष्ठापक माना जाता है। यही कुमारजीव ( ३४४-४१३ ई० ) के शिष्य चू-ताह-सेङ् ( ३६७-४३४ ई० ) भिक्षु ने ध्यान सम्प्रदाय ( जापानी जेन ) की स्थापना की। उसी समय बौद्ध सम्प्रदाय में चिकित्सा के द्वारा जनसेवा करना भी श्रेयस्कर माना जाने लगा। भिक्षु धर्मरत्न, जीवक, यू-चा, यू-स-चा-साई आदि चिकित्सक उल्लेखनीय हैं।

चीन में २८४ ई० . ४५० ई० के बीच बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद बहुत अधिक हुआ। पश्चिमी छिद्वंश ( २१५-३१६ ई० ) के राज्यकाल में इन अनुवादकों में ३६ भाषाओं के ज्ञाता धर्मरत्न ( २८४-३१३ ई० ) प्रमुख हैं। कहा जाता है, उन्होंने २११ ग्रन्थों का अनुवाद किया था। प्रज्ञापारमिता, दशभूमिकसूत्र, सद्बोधमपुण्डरीक, छलितविस्तर जैसे ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं। धर्मरत्न ने अवलोकितेश्वर के नाम पर अवलोकित सम्प्रदाय की भी स्थापना की थी। अन-फा-किङ् तथा चू-यो: हिङ् भी कुशल अनुवादक थे। पूर्वी छिद्वंश ( ३१७-४२० ई० ) में प्रायः सभी राजा बौद्धधर्मावलम्बी थे। इस समय धर्मरत्न ने ११० संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद किया जिनमें अधिकांश सूत्रपिटक के ग्रन्थ सम्मिलित थे। मिलिन्द प्रश्न का भी रूपान्तरण इसी समय हुआ। कुमारबोधि, धर्मनन्दि, संबदेव और संबसूति भी प्रधान अनुवादक रहे हैं जिन्होंने सुतपिटक और सार्वस्तिवादी अभिधर्मपिटक के अनुवाद प्रस्तुत किये। अनुवाद कार्य पूरा करने के लिए सम्राट् चू-की-येन ने कठोर संघर्ष के बाद भी कृपावासी भिक्षु कुमारजीव को लाने का उपक्रम किया। किन्तु याङ्-आन द्वारा बीच में ही हत्या किये जाने के कारण कुमारजीव को प्राप्त छिद्वंश ( ३५ -६४ ई० ) के संस्थापक याङ्-आन् के पास रुकना पड़ा। यह याङ्-आन् सर्वमान्य



बीदध सम्राट् था । उसके युग में बीदधधर्म और साहित्य का बहुत प्रचार हुआ । कुमारजीव और कुमारजीव के गुरु बुद्धयश ने उसी के काल में अनुवाद कार्य का सम्पादन किया । बुद्धयश कश्मीरी ब्राह्मण थे । हीनयान और महायान ग्रन्थों के गंभीर विद्वान् थे । दीर्घायम आदि ग्रन्थों का उन्होंने अनुवाद किया । पाचवीं शताब्दी में विनय ग्रन्थों का अनुवाद प्रारम्भ हुआ । बुद्धमद्र और फा-सि-यान् ने महासांघिक विनय का अनुवाद किया । पुष्पतर ने सर्वांस्तवादी विनय, कुमारजीव ने महायानी विनय, और बुद्धयश ने धर्मगुप्तोप ने विनय का अनुवाद किया ।

कुमारजीव ( ३३२-४१३ ई० ) के पिता कुमारायन भारतीय भिक्षु थे । उन्होंने कूचा की राजकुमारा जीवा से विवाह कर लिया । कुमारजीव के होने पर उसकी माँ उसे उच्च शिक्षा देने के लिए कश्मीर ले आई । कुमारजीव ने लगभग बीस वर्ष की अवस्था तक अध्ययन किया और फिर माँ के साथ कूचा वापिस हो गये । कुमारजीव ने तीस वर्ष तक महायान का प्रचार किया । उनकी कीर्ति चीन तक पहुँची । बाद में चीनी सम्राट् उन्हें चीन ले गये । कुमारजीव का संस्कृत, तुसारी, और चीनी भाषा पर असाधारण अधिकार था । उन्होंने अन्य भिक्षुओं को सहयोग देकर १०६ ग्रन्थों का अनुवाद किया । काशगर में कुमारजीव का परिचय भिक्षु सूर्यसोम से हुआ । उनके ही कारण कुमारजीव महायानी बन गये । कुमारजीव ने नागाजु'न-आर्यदेव के माध्यमिक शून्यवाद का अनुकरण-अभ्यास किया था । इसलिए प्रज्ञापारमिता से सम्बद्ध ग्रन्थों ( पञ्चविंशति-साहस्रिका, दशसाहस्रिका, वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता, प्रज्ञापारमिताहृदय, प्रज्ञापारमितासूत्र ) का अनुवाद किया । इन माध्यमिक ग्रन्थों के अतिरिक्त उन्होंने नागाजु'न की माध्यमिककारिका और उस पर आर्यदेव की टीका तथा आर्यदेव के शतसाहस्र का भी अनुवाद किया । हरिवर्मा का सत्यसिद्धिशास्त्र तथा कुछ अन्य ग्रन्थों—विमलकीर्ति निर्देश, सद्धर्मपुण्डरीक, सुज्ञावतीव्यूह आदि का भी अनुवाद कुमारजीव ने किया । इस प्रकार कुमारजीव का साठ जीवन भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार में ही व्यतीत हुआ ।

उत्तरी चीन में ४२०-४८९ ई० के बीच में अनेक अनुवादक हुए । तोपा बंध ( ३८६-४३५ ई० ) के राजाओं ने पाँच गुफाएँ बनवाईं जिनमें बुद्ध मूर्तियाँ उकेरी गईं । सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति ७० फीट ऊँची है । तोपा काल में छह विद्वानों ने अनुवाद का काम किया—धर्म रुचि, रत्नवति, बोधरुचि, बुद्धशान्त, बोधिधर्म और कौ-क्या-ये । इनमें अधिकतम भारतीय भिक्षु थे । धर्म रुचि के तीन ग्रन्थ मिलते हैं । रत्न रुचि ने योगाचार दर्शन के महायानोत्तर काल का भी अनुवाद किया । बोधि रुचि ने ३९ ग्रन्थों का अनुवाद किया जिनमें

ता, कथामुक्तिक मयकक्षीर्ष, लंकावतार, मर्षसंगीति प्रमुख हैं। बुद्धशान्ति न समप्रतिग्रहशास्त्र आदि ६ ग्रन्थों का अनुवाद किया। बोधिधर्म व्यान के सत्पापक के की-क्या-ये के पांच अनुवादित ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं युक्त-रत्नमिटक और महंशान परम्पर प्रमुख हैं। महायान परम्परामें कुछाने भिक्षुसंघों के प्रधान आचार्यों की परम्परा इस प्रकार दी हुई है—

महाकाश्यप, २. आनन्द, ३. शार्णवास, ४. उपगुप्त ( ई० पू० २५० ),  
 ५. मेचक, ७. वसुमित्र, ८. बुद्धनंदी. ९. बुद्धमित्र, १०. पाण्डु  
 पंगश, १२. अश्वघोष ( प्रथम शती ई० ), १३. वीर, १४. नागार्जुन  
 दी ई० ), १५. कानदेव ( आर्यदेव ), १६. राहुल, १७. संबनन्दी,  
 १८. कुमारलात, १९. जयंत, २०. वसुवन्धु, २१. मो-मो-खो,  
 ले-हो, २४. सिंह, २५. क-सि-या-सि-ता, २६. पू-तो-मो-मि-तो, २७. प्रजा-  
 बोधिधर्म, २९. हुई के ( ४८६-५६३ ई० ) ३०. सेङ्ग-चम, ३१. ताऊ-  
 २. हुङ्-जिन ( ६०५-७५ ), और हुई-नेङ् ( ६३१-७१३ )। इनमें  
 बाद के ६ नाम चीन परम्परा के स्वविरो के हैं।

परी वेई। लोयाङ् ( ३८६-५३५ ई० ) के राज्यकाल में वाराणसी  
 गौतम प्रज्ञारुचि ने २३ ग्रन्थों का अनुवाद किया, जिनमें सद्धर्म स्मृति  
 ; मध्यन्तानुगम और एकलोकशास्त्र प्रमुख ग्रन्थ हैं। यह युग बौद्ध  
 लिए स्वर्णयुग कहा गया है। लियाङ् सम्राट ऊ ( ५०२-५४९ ई० ) ने  
 र्म के प्रचार में जो योगदान दिया, उसे दृष्टिपथ में रखते हुए उसको  
 कहना अतिरञ्जित नहीं होगा। ४३४ ई० में चीनी महिलाओं को संघ में  
 बनने का अवसर मिला। इस समय की कला भी प्रगति पर थी। उस  
 शिला पेशावर और मथुरा की कला का प्रभाव दिखाई देता है। संगीत  
 गीतराग समन्वित था। इसी समय आत्म बलिदान और तीर्थ यात्रायें  
 भी प्रारम्भ हुआ। धी-चे-मोङ् ( ४०४-५३ ), धी-फा-शेङ्, बुद्धवर्मा,  
 आदि प्रसिद्ध आचार्य और अनुवादक भी इसी काल में हुए। बुद्ध  
 सुवर्णप्रभाससूत्र, आदि ग्रन्थों के उन्होंने अनुवाद किये।

क्षिणी चीन में ल्यू-मुङ् के राज्यकाल ( ४२०-६९ ई० ) में बौद्ध धर्म  
 लभ-शुद्ध। भारत की अनेक तीर्थ यात्रायें की गईं। बुद्ध जीव, गुगवर्मा  
 ६, संघभद्र, उपगुन्य, परनार्थ आदि अनेक आचार्यों ने बौद्ध ग्रन्थों का  
 भाषा में अनुवाद किया। क्षिणी चीन का सम्राट् युवान् मो ( ५५२-  
 ० ) स्वयं विद्वान् था। उसका स्वयं का बहुत बड़ा ग्रन्थालय था। पर  
 बशात् उसके ग्रन्थालय को उसके शत्रुओं ने ध्वस्त कर दिया। कंगम

‘वेद साक्षात् पुस्तकों अग्नि में होकर ही गईं’। यही कारण है कि अनेक ग्रन्थों का मूल जलैख मिलता है। इसी प्रवेश में ऊजैनवासी परमार्थ ( ४६८-४६६ ई० ) ने अपना साहित्यिक योगदान किया। उन्होंने लगभग ७० ग्रन्थों को अनुदित किया। सद्ब्रह्मसूत्रियास्त्र, और स्वयंप्रभाससूत्र इन ग्रन्थों में अधिक लोकप्रिय हुए। परमार्थ ने भूतलक्षता और आलयविज्ञान का भी यहाँ प्रचार किया, ज्योतिषाचार या महायानबौद्धोत्पाद नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ।

पूर्वी बेई वंश के बाद ५३० ई० में उत्तरी ची वंश की स्थापना हुई। इसके प्रथम सम्राट् बेन-कुवेन् ( ५५०-५८ ई० ) ने ताववादियों के प्रतिपक्ष में बौद्धों का पक्ष ग्रहण किया। इसी समय भारतीय भिक्षु नरेन्द्र यश ( ५१८-८६ ई० ) यहाँ आये और उन्होंने सात ग्रन्थों का अनुवाद किया। ५७७ ई० में बौद्धधर्म पर पुनः उत्पत्त किया गया। लगभग १०० वर्ष बाद के युवान् ने उत्तरी च्यु ( ५५७-८१ ई० ) के नाम से एक राजवंश की स्थापना की। इस राज्यकाल में ज्ञानभद्र, जिनयश, जिनगुप्त और यशोगुप्त नामक भारतीय भिक्षुओं ने बौद्धधर्म का प्रचार-प्रसार दिया।

सुई वंश ( ५८१-६१८ ई० ) ने चीन को पुनः एकसूत्रबद्ध करने का प्रयत्न किया और बौद्धकला साहित्य को नष्ट नष्ट होने से बचाया। इस वंश के काल में यौतम धर्मज्ञान, विनीतरुचि, नरेन्द्रयश, जिनगुप्त बोधिज्ञान, धर्मगुप्त, किन्चिङ्ग, ची-ई और पाउ-कोई विद्वानों ने अनुवाद के माध्यम से बौद्ध साहित्य और संस्कृति को आगे बढ़ाया।

थाङ्ग वंश ( ६१८-९०७ ई० ) को चीन का गुप्तकाल कहा जा सकता है। इस वंश ने तुकों पर विजय प्राप्त की तथा तिब्बत और भारत से सम्बन्ध स्थापित किया। यहीं से बौद्धधर्म पर ८४२-८४५ ई० में अत्याचार प्रारम्भ हुआ ली-शी मिन नाइ-चुङ्ग के काल में भिक्षु-भिक्षुणियों पर प्रतिबन्ध लगाये गये। नवीन बिहार, मूर्तियों और ग्रन्थों का निर्माण एक अपराध माना गया। इसके बाद बौद्धधर्म लोकप्रिय होने से नहीं बचाया जा सका। थाङ्ग-वंश ६२९-६४५ ई० तथा ह्वीत्संग ६७१-६० ई० इन अत्याचारों को देखकर भारत की यात्रा पर आये। लीट्कर उन्होंने भी बौद्धधर्म का प्रचार किया। भारतीय ज्योतिष और चिकित्साशास्त्र ने इसमें और भी सहयोग दिया। इस वंश के राज्य-काल में प्रजाकर मित्र, अतिगुप्त, यामभद्र, बिबाकर, बुद्धपाल, बोधिर्चि, अमेघवज्र, अजितसेन आदि भारतीय अनुवादकों ने अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया। थाङ्ग-वंश ने योगाचार, अभिषेक, प्रजापारमिता और सर्वास्तिवादी अभिषेक का अनुवाद किया। योगाचार, विज्ञानवाद की चीन में स्थापना भी उन्हीं की। ह्वीत्संग ने भारत में विजय का संग्रह किया। उन्होंने मूल सर्वास्तिवादी पितृ

चीनी अनुवाद भी किया। मासुचेट के अष्टमर्षासक के भी अनुवादक के रूप, उनका नाम है। दशम-शतक और ईस्वी के बीच ( ६४५-७१ ई० ) छायावत भिक्षुओं ने भारत को यात्रा की। शुभकर तिह ( ७१६ ई० ), पो० भीमिष् ( ७७-१२ ई० ), बज्जबोधि ( ६००-७३२ ई० ), अमोघवज्ज ( ६६८-७३२ ई० ), दि भिक्षुओं ने अनेक ग्रन्थों का अनुवाद किया। ८६८ ई० में सर्वप्रथम बुद्ध धर्म प्रारम्भ हुआ। बज्जबोधि का सबसे पहले छापा गया। चीन का बहुत बड़ा योगदान था। हाङ्-बंग का पतन हो रहा था। साथ ही इधर के बिहार, स्तूप, मन्दिर आदि भी बिनष्ट किये जा रहे थे। पर चीन ही हाङ्-बाऊ के राजाओं ने विपिटक के कुछ भाग पत्थरों पर उत्कीर्ण कराये र बिहार, स्तूप, मन्दिर आदि भी बनवाये।

सुकाल ( ६६०-१२१६ ई० ) में बौद्धधर्म और कन्नूती दर्शनों का निवृत्त रूप उभरने लगा। इस काल में ३१ विद्वान भारत से चीन पहुँके र, संस्कृत ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। धर्मदेव ( ७३-१००१ ई० ) नाळन्दा बिहार के स्नातक थे। इस समय तक बज्जवान विकास ही चुका था। धर्मदेव इसलिए चारणियों और मन्त्रों के अभिपति । उन्होंने ११८ ग्रन्थों का अनुवाद किया। ति-यान्-सि चइ ( ६८० ई० ) भीर के भिक्षु थे। उन्होंने मञ्जुश्रीमूलसन्त्र आदि १८ ग्रन्थों का अनुवाद या। दानपाल ने छोटे-बड़े १११ ग्रन्थों का अनुवाद किया। धर्मरक्ष ( १००४ ई० ) बिहार के भिक्षु थे। उन्होंने बोधिसत्त्वपिटक, अचिन्त्यगुणनिर्देश, चिन्त्यवितार ( महायानसंघीत बोधिसत्त्व विद्या ), और प्रज्ञप्तिवाद का अनुवाद या। वेह-चिञ्च और सूर्ययश ने क्रमशः माध्यमिकारिका पर स्थिरमति की ता तथा अवबोध के कुछ ग्रन्थों का अनुवाद किया। इनके अतिरिक्त ज्ञानधी, ( १०५३ ई० ) सुवर्णवारी ( ११५३ ई० ) और मैत्रेयभद्र ने भी अनेक ग्रन्थों के ावाद किये। मुसलिम आक्रमणों के कारण बौद्धधर्म की स्थिति भारत में षोषप्रद नहीं थी।

मंगोल ( १२६०-१३६८ ई० ) बांसियों ने कठोर संघर्ष के उपरान्त अपने ध्य की स्थापना कर पाई। उन्हें खितान, तंगुत और चुङ्गेन राज्यों से अधिक हा लेना पड़ा। हुगवंशज मंगोलियों ने खिगोस जाल आदि हुमन्तू कबीलों के ायोग से चीन पर अधिकार किया। मंगोलों के ऊपर १३ वीं शताब्दी तक ढधर्म का प्रभाव नहीं था। तिब्बती फस-वा के कारण साधुवादियों में ढधर्म का प्रचार हुआ। बौद्धभिक्षु यु-बाङ्-बाङ् ( १३२८-६८ ई० ) ने ३५६ ई० में मंगोल राज्य को समाप्त कर नानकिङ्क पर अधिकार किया और ङ्-बंग ( १३६८-१६४४ ई० ) का शासन स्थापित किया। पर बौद्धधर्म

उल्लेखित-सा ही रहा। मिट्टे के बाद मंजू वंश ( १६४४-१६९१ ई० ) ने चीन पर शासन किया। बाद में मंजू चीनी बन गये। बौद्धधर्म की स्थिति वंश काल में साधारणतः अच्छी रही है।

### कोरिया में बौद्धधर्म

३७२ ई० में बौद्धधर्म चीन से कोरिया पहुँचा। वहाँ चीनी संकेत लिपि का ही प्रचार अधिक है। अतः अनुवाद की समस्या उत्पन्न अधिक नहीं थी। कोरिया के जन जीवन में बौद्धधर्म का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। प्रारम्भ से ही वहाँ बौद्ध विहारों और मन्दिरों का निर्माण होने लगा। पर काष्ठ का उपयोग अधिक होने के कारण उनका विनाश भी अपेक्षाकृत जल्दी हुआ। इसके बावजूद फू-झून विहार और सुखावती मन्दिर जैसे प्राचीन बौद्ध स्थल मिल जाते हैं। कोरिया तीन राज्यों में विभक्त है—सिला ( ६६८-९१८ ई० ), कोरये ( ९१८-१३९२ ई० ), और जीजेन ( १३९२-१९१० ई० )। कोरिया में १२ वीं शताब्दी के बाद बौद्धधर्म का प्लात प्रारम्भ हो गया परन्तु १६१० ई० में जापान द्वारा पराजित किये जाने पर पुनः बौद्धधर्म पनपने लगा।

### जापान

कोरिया और जापान का सांस्कृतिक सम्बन्ध बहुत पुराना है। हानवंश ( २०८ ई० पू०-२२० ई० ) के काल में दोनों देश इन्हीं सम्बन्धों से निकट जाये थे। जापान में एन्सू, मलय और यमातो जातियाँ प्रमुख हैं। दक्षिण कोरिया के कुदारा राज्य ने ५३८ ई० में यमातो राजा के पास कुछ बौद्धग्रन्थ, बुद्ध मूर्तियाँ तथा एक पत्र भेजा। यमातो के बिकटवर्ती सोमावंश ने उसका विरोध किया फिर भी बौद्धधर्म का प्रभाव बढ़ चला। इसके पूर्व जापान में ३२२ ई० में सिबातचित्ता नामक एक चीनी बौद्ध पूर्वी तट से जापान आ पहुँचा था। उसने भी बौद्धसंस्कृति और बौद्धकला का प्रचार किया। जापान के राजा सुयुन और उनकी पत्नी बौद्धधर्म से प्रभावित थे। सोमावंश का विरोध तीव्रतर हो रहा था। शायद उसी का फल था कि सुयुन का बन्ध कर दिया गया और उसके पुत्र शोतोकु को राज्य न देकर उसे अनराजा बना दिया गया। ५६२ ई० में शोतोकु ने मुद्राकर राज्य आप्त ले लिया। और बौद्धधर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। शोतोकु माध्यमिक दर्शन का जन्मेता था। उसने बौद्धधर्म के अध्ययन-अभ्यास के लिए एक ओर वहाँ छात्रों को कोरिया और जापान भेजा वहीं दूसरी ओर वह व्यवस्था जापान में भी करवा दी। फलतः बौद्धधर्म बहुत लोकप्रिय हो गया। ६०४ ई० में उन्होंने बौद्धधर्म से आप्तकथित

संविधान भी बनाया जो आज भी एक गौरव वस्तु मानी जाती है। राजकुमार शोतोकु ने सद्धर्मपुण्डरीक, विमलकीर्तिनिर्देश, और मालादेवी सिंहास पर व्याख्यान भी लिखे हैं। ६२१ ई० में शोतोकु का देहावसान हो गया। वह जापान में सर्वाधिक लोकप्रिय राजा हुआ। देश के विकास में उसने सर्वस्व लगा दिया। शोतोकु ने ५८७ ई० में जापान में हार्थी जी का मन्दिर बनवाया। यह प्राचीनतम मन्दिर काष्ठ किल्प से समलंकित है। यही वह स्थान है जहाँ के जापान ने सभ्यता, कला, विज्ञान और धर्म की शिक्षा ग्रहण की।

शोतोकु के बाद सम्राट् शोम् ( ७२४-४९ ई० ) दूसरे बौद्धधर्मावलम्बी राजा थे। उन्होंने अपनी राजधानी नारा में संगठित की। यहाँ सम्राट् ने ७५२ ई० में विश्व की प्राचीनतम और उच्चतम पीसल की बुद्ध मूर्ति दाईबुत्सु ( महाबुद्ध ) को प्रतिष्ठित किया। उसके अतिरिक्त अनेक और भी बौद्धविहार और मन्दिर हैं जिनका निर्माण यथासमय बौद्ध सम्राट् कराते रहे हैं।

जैसा पहले कहा जा चुका है, जापान को अनुवाद की समस्या का समाधान नहीं खोजना पड़ा। फिर भी अग्रिम अध्ययन के लिए दो-शो ( ६२९-७०० ई० ) जैसे कुछ विद्वान चीन पहुँचे। वहाँ उन्होंने ह्वैन-शांग से शिक्षा प्राप्त की। ७३६ में भारद्वाजगोत्रीय बौद्धसैन जापान गये। ८ वीं शताब्दी तक जापान में बौद्धधर्म पूरी तरह से फैल गया। फलस्वरूप जापान में लगभग ११ सम्प्रदाय खड़े हो गये—होत्सो ( ३२९-७०० ), केगोन ( ७४२ ई० ), रित्सु ( ७५४ ई० ), तेन्दई ( ७८८ ई० ), जेन् ( ११४०-१२१५ ई० ) जोदो ( ११७४-६१११ ई० ), शिन्-शू ( ११७३-१२४२ ई० ), निचिरैन् ( १२२२-८६ ई० ), और जिशू ( १२३६-६२ ई० )। उनमें प्रमुख सम्प्रदायों का वर्णन इस प्रकार है—

१. केगोन सम्प्रदाय—इसकी स्थापना तू-फा-शुन ने की थी। यह सम्प्रदाय योगाचार का एक अङ्ग है। अवतंसक ( केगोन ) सूत्र इस सम्प्रदाय का मूलग्रन्थ है। इसका मुख्य सिद्धान्त है—एकविसान्तर्गतधर्मलोकः अर्थात् एक ही चित्त के परिणाम स्वरूप यह समूचा विश्व स्रष्टा हुआ है। इसी चित्त का नाम धर्मकाय है।

२. तेन्दई सम्प्रदाय—इस मत के संस्थापक हैं—देक्षियो। इसका मूल ग्रन्थ है सद्धर्मपुण्डरीक। कालक्रम के अनुसार इस सम्प्रदाय ने बुद्ध की शिक्षाओं को पाँच भागों में विभक्त किया है—अवतंसक सूत्र, आगमसूत्र, अंपुल्य सूत्र, प्रज्ञापारमितासूत्र, और सद्धर्मपुण्डरीक तथा महानिर्वाणसूत्र। व्यावहारिक वर्गीकरण चार प्रकार का है—आर्कास्मक, क्रमिक, गुप्त, और अनिर्बन्धीय। तथा सिद्धान्तानुसारी वर्गीकरण भी चार प्रकार का है—त्रिपिटक, सामान्याधिभा,

बिच्छिद्यविक्षा और पूर्णविक्षा । इसके सम्प्रदाय के अनुसार व्यवहार और परमार्थ सत्य परस्पर पूरक हैं । माध्यमिक सम्प्रदाय की ओर तेन्दई सम्प्रदाय का मुकाब अधिक है ।

३. शिवायोन सम्प्रदाय—यह सम्प्रदाय बौद्धधर्म के मन्त्र सम्प्रदाय से सम्बद्ध है । इसके संस्थापक क्ल-कइ अथवा को-बो-वा-इ-सी ( ७७४-८३५ ) प्रतिमा के धनी थे । उन्होंने महावैरोचनसूत्र, वज्रशेखरसूत्र आदि ग्रन्थों का अध्ययन कर मन्त्र सम्प्रदाय का अनुकरण किया । ८०४ ई. में वे अध्ययनार्थ चीन गये और ८०६ ई. में वापिस आ गये । ८२२ ई. में उन्होंने 'रहस्यनिधि-कुञ्चिका' नामक ग्रन्थ भी लिखा । मत्स्यायान के प्रधान देवता बुद्ध वैरोचन का चित्रण जापान और तिब्बत में कलाकारों ने भरसक किया है ।

४. जैन सम्प्रदाय—इसे ध्यान सम्प्रदाय कहा जा सकता है । इसके संस्थापक येइ-साइ ( ११४१-१२१५ ई. ) थे । इस सम्प्रदाय का मूल ग्रन्थ है—लंकावतारसूत्र । इस सम्प्रदाय के अनुयायी अपने को महाकाश्यप के अनुयायी मानते हैं । ध्यान और आत्मसंयम को ये प्रधानता देते हैं । जापान का मध्यवर्ती पर्वत पद्मजीयोमा इस सम्प्रदाय का तीर्थस्थल है । बोधिसत्व मञ्जुश्री और उनकी शक्ति अचला की पूजा इस सम्प्रदाय में जाती है । चाय इस सम्प्रदाय का धार्मिक पेय है ।

५. जोदो सम्प्रदाय—इस सम्प्रदाय के प्रधान तीन आचार्य हैं—क्यू बोनिन ( ६०२-६७२ ई. ) होनेन बोनिन ( ११३३-१२१२ ई. ) और शिन-रान् ( ११७७-१२६२ ई. ) । जोदो सम्प्रदाय मुख्यतः भक्ति पर आधारित है । उसकी दृष्टि से आत्मसमर्पण कर अमिताभ की प्रार्थना करने से ही उद्देय की पूर्ति हो जाती है । इस सम्प्रदाय के मूल दो ग्रन्थ हुए हैं—सुखावती गूहसूत्र और अमितायुध्यानसूत्र ।

६. निचिरेन सम्प्रदाय—इस सम्प्रदाय के संस्थापक हैं—निचिरेन-बोनिन ( १२२२-१२८२ ई. ) । सद्धर्मपुण्डरीक इसका आधार ग्रन्थ है । इसके अनुसार बुद्ध सर्वव्यापक हैं । तेन्दई सम्प्रदाय का इसे व्यावहारिक प्रयोग माना जा सकता है ।

### तिब्बत में बौद्धधर्म

तिब्बत में जन्मा झोङ्-गचन्-ग्वाग्-पो ( ६१५-६५० ई. ) सप्तम शताब्दी का विश्वविजेता माना जा सकता है । उसने आसाम से कश्मीर और चीन के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था । फलस्वरूप चीन के राजा चिंत्सुङ् लुन्तसान ने अपनी सुपुत्री कोङ्-जो और नेपाल के राजा अङ्गुवर्मे ने अपनी





( हरिभद्र ), अष्टांगहृदयसंहिता ( नाभाशुन ), चतुर्विपर्ययकथा ( मानुचेट ), सप्तगुणपरिवर्जनकथा ( वसुबन्धु ) आदि ग्रन्थों के अनुवाद किये । इसी शताब्दी ( १०४२ ई. ) में विक्रमखिला के प्राचार्य दीपंकर श्रीज्ञान तिब्बत आमन्त्रित किये गये । वहाँ उन्होंने बौद्धधर्म को सुव्यवस्थित किया, बोधिपथप्रदीप, आदि अनेक ग्रन्थ लिखे और कालचक्र, मध्यमकरलप्रदीप आदि ग्रन्थों की टीकायें एवं अनुवाद भी किये । दीपंकर के बाद सोमनाथ ( १०२७ ई. ), गयाधर ( १०७४ ई. ), स्मृति ज्ञानकीर्ति ( १२०४ ई. ) शान्तिप्रभ, ज्ञानो-लो-च-न और प-छब्-पा ( १०५५ ई. ) ने बौद्ध ग्रन्थों के अनुवाद कर भोट भाषा और साहित्य को समृद्ध कर दिया । प-छब्-पा ने चतुःशतकशास्त्र ( आर्यदेव ) माध्यमिकावतारभाष्य ( चन्द्रकीर्ति ), अभिधर्मकोशटीका, आदि ग्रन्थों का सफलतापूर्वक अनुवाद किया । इसके बाद शाक्यश्रीभद्र ( ११२६-१२२५ ई. ), संघराज ( १०५१-८० ई. ) आदि अनेक आचार्य हुए जिन्होंने साहित्य क्षेत्र में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया ।

१३ वीं शताब्दी के अन्त तक बौद्धधर्म भारत से लुप्त-सा हो गया । इसी समय तिब्बत में रिन्-छेन्-गुब् ( १२६०-१३६४ ई० ) ने उपलब्ध ग्रन्थों का क्रमानुसार संग्रह किया । इस संग्रह को दो भागों में विभाजित किया गया । स्क्-म्युर ( कन्जुर ) अर्थात् बुद्धवचन और स्तन्-ज्युर् ( तन्जुर ) अर्थात् बुद्धवचन से भिन्न दर्शन, काव्य, ज्योतिष तथा अनुवाद आदि ग्रन्थ । रिन्-छेन्-गुब् ( बुस्तोन् ) के बाद जोङ्ग-ख-प ( १३५७-१४१६ ई० ), सुखस्-न्-गु ( १३८५-१४३८ ई० ), वनरत्न ( १३८४-१४६८ ई० ), धर्मपालभद्र ( १५२७ जन्म ), लामा तारानाथ ( १३७५ ई० जन्म ) आदि विद्वानों ने बौद्धधर्म की बहुत सेवा की । परन्तु इनका समय शान्ति का समय नहीं था । तिब्बत अब विरोध और संघर्ष का स्थल बन चुका था ।

तिब्बती समाज में सुर्-न-बक्-सि के देहावसान ( १२८२ ई० ) के बाद अवतारवाद की प्रथा थल पड़ी । अब दलाई लामा ( ग्यल्-ब-रिन्-पो-छे ) तथा थोती लामा ( पण्-छेन्-रिन्-पो-छे ) के चुनावों में इसी अवतारवाद को अपनाया जाने लगा । ये पद वस्तुक सम्पत्ति जैसी हो गई । कुछ दलाईलामा मंगोल जाति के थे । इसलिए अपने धर्मप्रचार में उन्होंने मङ्गोलियों से बहुत सहायता मिली । अनेक युद्ध भी इसके लिए हुए ।

इस प्रकार तिब्बत देश की संस्कृति, साहित्य और कला भारतीय संस्कृति, साहित्य और कला पर आधारित रही है । यदि भारतीय साहित्य तिब्बत में सुरक्षित न होता तो हमारे बहुत से ग्रन्थ अनुपलब्ध बने रहते ।

## संगोलिया में बौद्धधर्म

मञ्जोलिया को हूणों की बन्धनशक्ति के रूप में इतिहासकार स्मरण करते हैं। मञ्जोलियों के बीच बौद्धधर्म तरिम-उपत्यका के निवासियों द्वारा ई. पू. प्रथम शताब्दी में पहुँचा दिया गया था। इसके बाद तुर्कों, अवारों, उइगरोँ आदि जातियों में भी बौद्धधर्म ने प्रवेश किया। मञ्जोल ( १२६०-१३६८ ई. ) वासियों ने बड़े संघर्ष के बाद अपने राज्य की स्थापना कर पायी। उन्हें खितान ( ६०७-११२१ ), तंगुत और जुर्जेन ( किन् ) ( १११५-१२१४ ई. ) से कठोर संघर्ष करना पड़ा। इन तीनों राज्यों में बौद्धधर्म की स्थिति अच्छी थी। मञ्जोल का पुराना नाम तातार था। वे हूणों के दंशज थे। उन्होंने द्वितीय-जान आदि धुमन्तू कबीलों के सहयोग से चीन को अनेक बार पराजित किया। मञ्जोलों के ऊपर तेरहवीं शती तक बौद्धधर्म का प्रभाव नहीं था। ताववादियों से उनके बाद-विवाद हुए और उनमें वे सफल सिद्ध हुए। फलतः कुछ ताववादी बौद्ध बन गये और २३७ बिहार बौद्धों को वापिस कर दिये गये। १२६० ई. में शास्त्रार्थकर्ता फक्स-पा को कुबिले ने राजगुरु बनाया। भारत की अपेक्षा अब तिब्बत ने बौद्धधर्म के प्रचार का बीड़ा उठाया। फक्स-पा ने मञ्जोल भाषा के लिए एक लिपि तैयार की। इसी काल में अनेक ग्रन्थों का अनुवाद किया गया, पर वे तिब्बती अनुवादों से ही अनुवादित हैं।

१३३८ में चीन से मञ्जोल शासन समाप्त हो गया, पर बौद्धधर्म वहाँ का राष्ट्रधर्म बना रहा। बाद में मञ्जोल में भी बौद्धधर्म को राष्ट्रधर्म के रूप में स्वीकार कर लिया गया। बौद्धमिश्र यु-आन-वाङ्ग ( १३२८-६८ ई. ) ने १३५६ ई. में मञ्जोल राज्य को समाप्त कर नानकिङ्ग पर अधिकार किया और मिङ्ग्श का शासन स्थापित किया। चोङ्ग-खा-पा सुमतिकीति ( १३५७-१४१४ ई. ) और उसके शिष्यों द्वारा स्थापित तिब्बती महाविद्यालयों में मञ्जोलिया के छात्र अध्ययन करने आने लगे। फलतः बौद्धधर्म का प्रचार-प्रसार बढ़ने लगा। तृतीय और चतुर्थ दलाईलामा मञ्जोलिया के ही थे। पंचम दलाईलामा के समय मञ्जोलियन सेना ने बौद्ध भिक्षुओं पर हुए अत्याचार को समाप्त कर दिया था। इससे स्पष्ट है कि मञ्जोलिया में बौद्धधर्म बहुत लोकप्रिय रहा है।

कनजोर और सनजोर के लगभग ३०८ ग्रन्थ थे। उनमें कनजोर के १०३ ग्रन्थों का अनुवाद १२१३ ई. में कागान्-लेग-दम्-ऊ-नुक्त्त ( १६०३-३४ ई. ) के शासन काल में हुआ। और सनजोर के २३५ ग्रन्थों का अनुवाद चियेन

शुङ्ग ( १७३६-६५ ई. ) ने कराया। यह अनुवाद कन्-स्वया-रोल-यद्-दो-जै और ब्लो-बषाक-वत्सन-यद्-जिमा नामक विद्वानों के साक्षिभ्य में सम्पन्न हुआ। उन्होंने एक तिब्बती-मञ्जोल कोश तथा व्याकरण भी तैयार की। यह कार्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण था।

## नेपाल में बौद्धधर्म

नेपाल बौद्धधर्म का सबसे अधिक पवित्र तीर्थ स्थल कहा जा सकता है। भगवान् बुद्ध का जन्म वहाँ के लुम्बिनी कपिलवस्तु नामक ग्राम में हुआ था। बौद्धिप्राप्ति के बाद भी वे एक बार लुम्बिनी वापिस गये थे, जहाँ उनका पुत्र राहुल बुद्धधर्म में दीक्षित हुआ था। अद्योक्त ने नेपाल की राजनीतिक स्थिति को ध्यान कर लुम्बिनी की यात्रा भी की थी। इस यात्रा की स्मृति के स्वरूप वहाँ एक शिलालेख भी उत्कीर्ण कराया था। इस प्रकार नेपाल भगवान् बुद्ध के प्रारम्भिक काल से ही बौद्धधर्म का स्थान बना हुआ है।

नेपाल के बौद्धधर्म के इतिहास में राजा अंशुवर्मन ( ७ वीं शती ) का विशेष स्थान है। वह कट्टर बौद्ध शासक था। उसने तिब्बत के राजा श्रोङ्ग-वत्सन-सुगम-पो से अपनी पुत्री का विवाह सम्बन्ध किया था। शीलमञ्जु पण्डित उसी के राज्यालय में थे जिन्होंने संस्कृत बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद किया कराया है। धान्तरक्षित के समय यह सम्बन्ध और भी दृढतर हुआ। बुसलमानों के आक्रमणों से बिहार-बंगाल के बौद्ध भिक्षुओं को नेपाल में ही शरण मिल सकी थी। उन भिक्षुओं के साथ अनेक ग्रन्थ भी थे, जो नेपाल और तिब्बत में आज भी सुरक्षित हैं।

लगभग १२ वीं शती के बाद वहाँ हिन्दूधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। फलतः जातिभेद का विरोध वहाँ कम हो गया। आजकल वहाँ बौद्धधर्म के चार सम्प्रदाय प्रबुद्ध रूप में हैं—स्वामाधिक, ईश्वरिक, कामिक और याज्ञिक। नेपाल भारत और तिब्बत के बीच एक अजस्र कड़ी रही है, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध जोड़े गये हैं। आज भी नेपाल में बौद्धधर्म अच्छी स्थिति में है।

इस प्रकार बौद्धधर्म प्रारम्भ से ही भारतेतर देशों के लिए भी आध्यात्मिक प्रेरणा और शान्ति का सन्देशवाहक रहा है। उसने आध्यात्मिक क्रान्ति ही नहीं, राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्रान्ति भी की है। इस दृष्टि से विदेशों में बौद्धधर्म के प्रसार-प्रसार का महत्त्व और भी बढ़ जाता है।

## बौद्ध कला

कला जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक साधना का जीवन्त क्षेत्र है जो प्रतीकात्मक पद्धति पर अवलम्बित है। बौद्ध कला के साधकों ने भी स्वान्तः सुखाम उसी सुरम्य प्राङ्गण को उज्योतिष किया है। स्तूप, चैत्य, चक्र, गुहा आदि सभी उपकरणों में भावनायें अंकित हुई हैं। यहीं कला और धर्म तथा जीवन और साधना का समन्वय होता है। बौद्धाचार्यों ने इस समन्वित रूप की भलीभांति सुरक्षित रखा है।

पालि त्रिपिटक में यत्र तत्र कला की सामग्री बिखरी पड़ी है। दीर्घ निकाय में शिल्पियों की एक लम्बी सूची दी गई है। ब्रह्मजालमुत्त विद्याओं के प्रकरङ्ग में वास्तु विद्या का उल्लेख है। विनयपिटक के सेनासनकसम्बन्ध में बिहार के निर्माण की प्रक्रिया दी गई है। सम्भव है, यह प्रक्रिया उत्तरकालीन रही हो। मूलतः बौद्ध भिक्षुओं के लिए अरण्य, वृक्ष, पर्वत, कन्दरा, गिरिगुहा, समझान, वनप्रस्थ और अघ्याकाश ( प्राङ्गण ) में रहने का विधान था। परन्तु बाद में भगवान् बुद्ध ने बिहार, अड्ड योग, प्रासाद, हर्म्य तथा गुहा को निवास स्थान के लिए चुना। इसी प्रसंग में बिहार आदि बनाने की प्रक्रिया भी दी गई है। जातक और दिव्यावदान में भी एतत्सम्बन्धी सामग्री प्रचुरमात्रा में मिलती है।

बौद्धकला का प्रारम्भ भगवान् बुद्ध के धातु-विभाजन से हुआ लगता है। ये धातुएँ में तीन प्रकार की हैं—शारीरिक, आर्द्वैधिक और पारिभोगिक। शारीरिक धातुयें वे हैं जिनका सीधा सम्बन्ध भगवान् बुद्ध के अंगोपांगों से है। महापरिनिम्बान सुत्त के अनुसार बुद्ध के परिनिर्बृत हो जाने पर उनके दग्ध शव में से अवशिष्ट धातुओं का विभाजन कुसीनगर के मल्ल, राजगृह के अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवि, कपिलवस्तु के शक्य अल्लकप्प के बुलि, पावा के मल्ल, रामग्राम के कोलिय, और वेठदीपदक ब्राह्मण, इन आठ लोगों के बीच हो गया और उन्होंने क्रमशः कुसीनगर, राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप्प, पावा रामग्राम और वेठदीप में उन धातुओं पर स्तूप बनवाये। इसी प्रकार बुद्ध की शक्त धातु का भी उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त अर्हतों द्वारा प्रयुक्त चक्र, पात्र, कुल आदि की भी पूजा का विधान हुआ है।

इन धातुओं को पृथ्वी के भीतर किसी बर्तन आदि में रखकर ऊपर से मिट्टी का सुन्दर कलात्मक ढेर लगा दिया जाता था। स्मारक का यह प्राथमिक रूप रहा होगा। उसके संरक्षण के लिए वेदिका का निर्माण, सौन्दर्य वर्धन के लिए हर्मिका और छत्र का विधान क्षत्रियों के रूप में होता रहा होगा। चैत्य भी लगभग इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। यहां स्तूप आदि में

किसी बातु विशेष का निधान आवश्यक नहीं। उसके बिना भी अर्चना के प्रतीकत्त्वक रूप में स्तूप बना दिया जाता था।

शैबुनाग-नन्द-युग ( छठी शती ई० पू० से चौथी शती ई० पू० )—प्राक्-ग्रीक काल की कला में पिपरहवा बौद्ध स्तूप और उसमें प्राप्त बातु गर्भ मञ्जूषा उल्लेखनीय है। पिपरहवा नेपाल की सीमा पर बस्ती जिले में कापिलवस्तु से ११ मील दूर पर स्थित है। सम्भवतः यह प्राचीनतम स्तूप है। इसे शाक्य के सम्बन्धियों ने बनवाया था ( इयं सलिल निघने बुधस भयवते सकियानं )। यह स्तूप ईंटों से निर्मित अण्डाकार का था। इसकी ऊँचाई २१६ फुट और व्यासमूल की चौड़ाई ११६' है। स्तूप के गर्भ में प्राप्त मञ्जूषा में बुद्ध की शरीर-बाहु के अतिरिक्त असाधारण कलात्मक वस्तुयें उपलब्ध हुई हैं।

मौर्यकाल ( ३२५-१८४ ई० पू० )—३२३ ई० पू० में चन्द्रगुप्त मौर्य के सिंहासनाख्य होने पर भारत की राजनीतिक स्थिति दृढतर हो गई। उसके बाद उसके पुत्र बिन्दुसार ( २६८-२७२ ई० पू० ) और पौत्र अशोक ( २७२-२३२ ई० पू० ) ने राज्य में और भी शान्ति स्थापित की। अशोक का तो अध्यात्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों का समन्वय अनुकरणीय रहा है। कला के क्षेत्र में भी अशोक की यही विशेषता रही है। उसने स्तम्भों और स्तूपों का कलात्मक वृद्धन कराया था। बुद्ध के जन्मस्थान की यात्रा के स्मरणार्थ पाटलिपुत्र, लौरि-यानन्दन गढ़, लौरिया अरराज, बल्लिरा और छुम्बिनी में स्तम्भ बनवाये। इसी प्रकार सारनाथ और बोधगया में भी स्तम्भों का निर्माण कराया। ये स्तम्भ एक ही पत्थर से बनाये गये हैं। उनपर लगाये गये पशु शीर्षक अधिक आकर्षक हैं। उसकी कला की यह मौलिकता है। कुछ विद्वानों ने उसकी कला पर ईरानी कला का प्रभाव बताया है। यह सही भी हो, पर उसकी मौलिकता पर आघात नहीं किया जा सकता।

अशोक के स्तम्भों की विशेषता है—एकत्मकता और उनपर पशुओं की आकृतियाँ। सारनाथ में उपलब्ध वेदिका एक ही पत्थर की बनी हुई है। वह अशोकसिंह स्तूप की हनिका का एक अंश थी। अशोकसिंह पालिषा इसकी विशेषता है। अभी तक अशोक के १४ स्तम्भ मिले हैं। उनमें सारनाथ, साँची, कौशांबी, छुम्बिनी और लौरिया अरराज के स्तम्भ विशेष उल्लेखनीय हैं। इन स्तम्भों के साधारणतः तीन भाग हैं—मूल भाग कमल के आकार का है, मध्यभाग की पट्टिका पर हंस, अश्व आदि उकेरे गये हैं और शिरोभाग में सिंह, गज आदि की मूर्ति बनायी गई है। सारनाथ का स्तम्भ इस दृष्टि से असाधारण है। इसके नीचे का भाग पद्माकार है। मध्यभाग की मूर्तु

पट्टिका के बीच धर्मचक्र और अन्तराल में चार महाभ्राह्मणेय पशु अंकित हैं तथा शीर्ष भाग में चार सिंह पीठ सटाये लड़े हुए हैं। उनके ऊपर एक धर्मचक्र भी दृश्य है जिसका आध्यात्मिक महत्त्व है। यह प्रतीकात्मक है। इसे कालचक्र अथवा धर्मचक्र का सूचक समझा जाना चाहिए। सांची का भी सिंह स्तम्भ सारनाथ से मिलता-जुलता है। सिंह, गज आदि बुद्ध के प्रतीक हैं। पद्म विद्युद्धि का प्रतीक है। कला की दृष्टि से अशोक के ये स्तम्भ आज भी अशुतपूर्व हैं। कहा जाता है कि अशोक ने ८४ हजार स्तूप बनवाये थे।

शुंग काल ( १८४-७२ ई० पू० )—शुंग काल पुष्यमित्र के राज्याभिषेक से प्रारम्भ होता है। पुष्यमित्र कट्टर बौद्ध विरोधी माना गया है पर उसके युग में बौद्ध कला का विनाश नहीं हो पाया। सच तो यह है कि उसके विरोध के बावजूद बौद्धकला का उत्थान ही हुआ है। भरहुत और सांची के स्तूप इस के निदर्शन हैं। पाषाण का अधिकाधिक प्रयोग, उसमें विविध नक्काशी और अलंकरण, मूर्ति शिल्प में लालित्य, केश विन्यास, दिव्य सौन्दर्य, इस युग की कला की विशेषतायें हैं। शुंग काल में स्तूप, बिहार, स्तम्भ, शैत्य, देवमन्दिर और चतुःशालवेदिका युक्त तोरण का विशेष निर्माण हुआ है।

भारहुत स्तूप—स्तूप और शैत्य प्रायः समानार्थक हैं। स्तूप की संवित मिट्टीको ईंटों से आच्छादित कर दिया जाता था और उसपर छूने से लेप कर दिया जाता था भारहुत (नागोद) स्तूप का तो थोड़ा-सा ही भाग बेष रहा है पर सांची का स्तूप प्रायः वैसा का वैसा ही है। इस पर निर्मित शिलापट्ट शुंग काल की देन है। इसके बाद वेदिका और अलंकृत तोरण भी निर्मित होने लगे। तोरण द्वार चारों दिशाओं में चार होते थे। भारहुत स्तूप का व्यास ६७ फुट ८<sup>१</sup>/<sub>२</sub> इंच था। कनिष्ठम को फूसका थोड़ा-सा उसका भाग हाथ लग पाया। स्तूप पक्की ईंटों से बना था इसकी नींव भी मजबूत थी। इसमें बखलेप युक्त प्रवक्षिणा पथ भी था। तोरण द्वार मगर मच्छ भी आकृतियों से सुशोभित थे। प्रत्येक तोरण द्वार दो बड़े स्तम्भों से निर्मित था। यह ज्ञातव्य है कि भारहुत में बुद्ध की मूर्ति उपलब्ध नहीं हुईं। उसके स्थान पर स्तूप, धर्मचक्र, बोधिवृक्ष, त्रिरत्न, उष्णीस, चूड़ा, चरणपादुका आदि प्रतीक अवश्य मिले हैं। भारहुत शिल्प में अनेक जातक कथाओं का अंकन हुआ है, इस स्तूप का मूलतः निर्माण अशोक के काल में हुआ था पर शुंग काल में उसमें ईंट के स्थान पर पत्थर की वेदिका और तोरणों का निर्माण कर दिया गया था।

सांची स्तूप—सांची स्तूप बिबिधम से लगभग ५<sup>१</sup>/<sub>२</sub> मील दूर स्थित है। प्रारम्भ से ही अशोक और बिबिधम का अनेक सम्बन्ध रहा है। सांची के स्तूप

की महाचैत्यगिरि कहा गया है। इसके आसपास लगभग ११ स्तूप हैं—८ सोनरी में, ५ सतपारा में, ३ अंबेर में, ३७ बीजपुर में और ८ सांची में। इनमें सांची के सर्वाधिक महत्व पूर्ण स्तूप हैं—सं० १-२-और ३। ये स्तूप अशोक काल में ईंटों से बनाये गये थे पर बुंग काल में वे खिलान्छाहित कर दिये गये। तोरण द्वार और अलंकृत वेदिका का निर्माण भी इसी काल में हुआ। आगे चलकर वासिष्ठपुत्र सार्वकर्णी ने इसे आगे बढ़ाया और बुध काल में फिर इसका विशेष विकास हुआ। अशोक कालीन स्तूप के ब्यास को भी दुगुना कर दिया गया अतः इसे महास्तूप कहा जाने लगा। तोरण द्वारों में एक वैशिष्ट्य है जो विदिशा के दन्तकारों का स्मरण कराता है। स्तूप नं० ३ में सारिपुत्र और महाभोद्य-त्वायन की अस्थियाँ रखी गई हैं। महास्तूप में भगवान् बुद्ध की और नं० २ में अन्य प्रमुख पत्थारकों की अस्थियाँ नियोजित की गई हैं। स्तूपों के अतिरिक्त अशोक स्तम्भ और चैत्यगृह भी मिले हुए हैं।

बोधगया में अशोक ने भगवान् बुद्ध द्वारा महाबोधि प्राप्ति के उपलक्ष्य में महाबोधि संभाराम बनाया। उसके समक्ष चार अर्घस्तम्भ थे और पीछे बोधिवृक्ष या पीपल का ऊँचा तना था। धर्मचक्र और त्रिरत्न के चिन्ह भी स्तम्भों पर मिलते हैं। सपक्ष सिंह, अश्व, हस्ती, मृग आदि का अंकन बोधगया की विशेषता है। इस बोधगया मन्दिर का अनेक बार विकास हुआ है।

बुंग काल की कला का दर्शन भुवनेश्वर से ५ मीलदूर खण्डगिरि और उदयगिरि की सुरम्भ पर्वत श्रृङ्खलाओं में उत्कीर्ण हीनयानी गुफाओं में भी होता है। अशोक ने बिहार की बराबर पर्वत श्रेणी में गुफायें उत्कीर्ण कराने की परम्परा को स्थापित किया था जिसे उसके पात्र दशरथ ने भी अनुकृत किया था। इसी समय देवतक पर्वत, सूपरिक, भाजा, कालें, कन्हूरी जैसी गुफाओं का उत्कीर्णन भी मिलता है। यहाँ विशाल चैत्य मन्दिर और बिहार भी बनाये गये थे। ये चैत्य मन्दिर आयताकार थे, चतुरावलि हार्मिका और वेदिका तथा प्रदक्षिणापथ से अलंकृत थे। सामने लगे उदुंग कीविस्तम्भ भी मिलते हैं। चैत्यगृहों की भित्तियाँ वेदिकाओं से अलंकृत थीं। कला की यह शैली ३ री शती ई० पु० से होकर ८ वीं शती तक मगध से कर्लिन तक और सौराष्ट्र से दक्षिण में महाबलीपुरम तक लोकप्रिय हुई है। यहाँ कुछ हीनयानी गुफायें हैं जिनका निर्माण ३ री शती ई० पु० से २ री शती ई० तक हुआ और कुछ महायानी गुफायें हैं जिनका निर्माण ५वीं शती ई० से १०वीं शती तक हुआ। इनमें दो रूप मिलते हैं चैत्यगृह और बिहार हीनयानी चैत्यागृह भाजा, कीण्डाने, पीठल जोरा, अजन्टा (गुहा सं० १-१०), नासिक और कालें। चैत्यगृहों में मण्डप, प्रदक्षिणापथ, स्तम्भ, गर्भगृह, और स्तूप रखा करते थे।

ए में एक अण्डप (आसन), तीन या चार जोर चौकोर गर्भ छात्रयें (कमरे), ने प्रवेश द्वार और उसके सामने स्तम्भों पर बना हुआ मुख्यअण्डप (बराबदा) था। इन बिहारों में बौद्ध मिथु रहा करते थे। वे चैत्यगृह और पहले काष्ठ के बना करते थे पर इस काल में पाषाण के बनने लगे पत्थरों का कौशल यहां बर्धनीय है।

भारत के पश्चिमी भाग में बने चैत्यगृहों और बिहारों में भाजा, जयन्ता, स्वच्छ भी महत्वपूर्ण हैं। भाजा जन्मे सम्भवतः प्राचीनतम रहा होगा। बिहार, चैत्यगृह और स्तूप बनाये गये थे। बिहारों में बनी प्रत्येक कोठरी मिथु को सोने के लिए पत्थर की लीकी बनी हुई है। रजिकाओं में सुन्दर-मूर्तियां उकेरी गई हैं। भाजा का चैत्यगृह ५५ फुट लम्बा और २६ फुट चौड़ा है। प्रवक्षिणापथ और स्तूप वेदिका से अलंकृत हैं। वहां मूर्ति तो नहीं। पर त्रिरत्न, नन्दपद, धावत्स आदि मांगलिक चिन्ह अवश्य प्राप्त होते हैं। यहां में १४ स्तूप भी मिले हैं।

काले से १० मील दूर पर कोण्डाने का चैत्यगृह और बिहार है जो काष्ठ का अनुकरजमात्र है। पीतलखीरा (ओरंगाबाद के समीप) के चैत्यगृह की रचना है—स्तूप के गर्भ में स्फटिक की मञ्जूषायें और एक सोपान मार्ग। स्तूप के चैत्यगृह और बिहार हीनयानी और महायानी, दोनों हैं। इसका लंबाई द्वितीय शती ई० पू० से सप्तम शती ई० तक होता रहा है। यहां २६ गुफाएँ हैं। इनमें अनेक प्रकार के रमणीय चित्रों का भी अंकन हुआ है। नासिक ७ गुफायें हैं। यहां जो चैत्यगृह है वह प्रारम्भिक गुहा के निर्माण के बाद बना होगा। इस चैत्यगृह में काष्ठ शिल्प का प्रयोग बिलकुल नहीं किया गया। एर (पूना से ४८ मील दूर), काले (बम्बई से ७८ मील दूर) और ति (बम्बई से १६ मील दूर) की गुफायें चैत्यगृह और स्तम्भ की शैली में बराबर हैं। कला की यहां जीवन्त साधना हुई है।

पबनी (अण्डारा जिला, महाराष्ट्र) ग्राम में (१६६१-७० ई.) के उत्खनन फलकाक के दो विशाल स्तूपों के अवशेष उपलब्ध हुए हैं। वे अवशेष पथ टेकड़ी और सुलेमान टेकड़ी के अधोभाग से निकाले गये हैं। इन दो स्तूपों में एक का तो आकार-व्यास सर्वांगी के प्रमुख स्तूप से भी अधिक है। वे बुद्ध-सातवाहन काल के हैं। मूलतः इनका निर्माण मौर्यकाल में हुआ था बुद्ध-सातवाहन काल में इसके रूप-विन्यास में कुछ परिवर्तन किये। अरस्तु की भांति इसके स्तूप की वेदिका और तोरण के भाग भी बौद्धधर्म के अनुसार उकेरे गये शिल्प से अलंकृत थे। इनके कुछ अवशेष भी उपलब्ध हुए हैं।



**कुषाणकाल—**कुषाणकाल में मथुरा कला का सर्वमान्य केन्द्र था। यहाँ के कुषाण राजा कनिष्क, हविष्क और वासुदेव ने अपने संरक्षण में कला का उत्कर्ष किया। मथुरा के कारीगरों ने भरहुत और सींची की कला को और आगे बढ़ाया। बाह्य आकृति और भावों के उभार में सभन्वयात्मक वृत्ति उनकी विशेषता थी। प्राकृतिक चित्रणों को भी इसमें सन्बुधित स्थान दिया गया है। बौद्धों के यहाँ दो स्तूप मिले हैं—एक कचहरी के पास हविष्क का बनवाया हुआ है और दूसरा सूतेद्वर टीले की मूर्ति पर निर्मित है। ये स्तूप प्रायः ध्वस्त हो गये हैं फिर भी अवशेष उपलब्ध होने से उन्हें ई. पू. प्रथम शती के आसपास का माना जा सकता है। कुषाणकाल के शिल्पियों ने वेदिका के अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया है। स्तम्भों पर नये-नये दृश्य और शालभञ्जिकायें भी उकेरी गई हैं।

बुद्धमूर्ति बनाने का श्रेय कुषाणकालीन मथुरा को है। सम्भव है गन्धार का भी उसमें योगदान रहा हो। अभी तक बुद्ध की पूजा मात्र प्रतीकों पर आधारित थी। इस समय तक भक्ति आन्दोलन काफी विकसित हो चुका था। प्रतीक पूजा मथुराकला में दिखाई देती है। पर उसके साथ ही बौद्धों के सम्प्रदायों से प्रभावित होकर बौद्धधर्म में भी बुद्ध मूर्ति की पूजा होना प्रारम्भ हो गयी। बुद्ध और बोधिसत्व की अनेक सुन्दर मूर्तियाँ मथुरा में उपलब्ध हुई हैं। कनिष्क के काल में मुद्राओं पर भी बुद्ध मूर्ति का अंगन होने लगा था। सारनाथ की बोधिसत्व की मूर्ति कनिष्क के राज्यकाल के तृतीय वर्ष में बनी हुई है। उसका निर्माण परस्मैपद के रूप पर आधारित है। बोधिसत्व की दूसरी मूर्ति कौशाम्बी में प्राप्त हुई है जो कनिष्क के राज्यकाल के द्वितीयवर्ष की है। वासिष्क, हविष्क और वासुदेव ने भी अनेक मूर्तियों का निर्माण कराया था। महायानी आचार्यों की प्रेरणा कनिष्क के लिए बुद्ध मूर्ति के निर्माण में मूल कारण रही। उत्तरकाल में धीरे-धीरे प्रतीक परम्परा समाप्त होती गई और मात्र मूर्ति बनायी जाने लगी। ३२ महापुरुष लक्षणों से उसे अनुरञ्जित किया गया। प्रथम शती ई. की यह विशेषता रही है। कुषाणकालीन बुद्ध मूर्तियों में कुछ झड़ी हुई हैं और कुछ बँठी हुई हैं। आजानवाह, उष्णीस, चक्रचिन्हित हस्तपाद, नासाग्रदृष्टि, लम्बकर्ण आदि जैसी विशेषताओं से बुद्ध मूर्ति अलंकृत की जाने लगी। मस्तक के पीछे प्रभा—मण्डल भी रहा करता था। मथुरा और गन्धार में निर्मित बुद्धमूर्तियों की संरचना में सम्भवतः सर्वास्तिवादी आचार्यों का विशेष योगदान रहा होगा।

**गन्धारकला—**सखशिला और पुष्कलावती का क्षेत्र गन्धार अथवा गान्धार प्रदेश माना जाता था। इसके प्रमुख सात केन्द्र थे—सखशिला, पुष्कलावती,

नगरहार, स्वातपाटी या उड्डीयान, कापिशी, वामियाँ और बाहलीक अथवा बैकिट्टया। इन केन्द्रों में यूनानी शिल्प को बौद्ध आदर्शों में प्रतिबिम्बित किया गया। इस कला की उत्पत्ति का समय ई. पू. प्रथम शती अथवा ई. प्रथम शती है। तक्षशिला के समीपवर्ती सिरधुख, मोहरा मोरारु, पिप्पल, और जीलियाँ में बौद्ध बिहार औररूप तूप मिले हैं। यहाँ अनेक बुद्ध बोधिसत्व की मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। डॉ० वासुदेवशरण अथवाल के अनुसार प्रतिमाशास्त्र की दृष्टि से गन्दार कला की ये विशेषतायें हैं—बुद्ध के जीवन की घटनायें, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियाँ, जातक कथायें, यूनानी देव-देवी और गाथाओं के दृश्य, भारतीय देवता और देवियाँ वास्तु, सम्बन्धी विदेशी विन्यास, भारतीय अलंकरण, एवं यूनानी, ईरानी, और भारतीय अभिप्राय एवं अलंकरण।<sup>१</sup> इन विशेषताओं से समलंकृत बुद्ध की मूर्ति में सजीवता और शाश्वतता झलकती है। यहाँ के शिल्पियों ने मथुरा और मध्यप्रदेश की कला से अनेक अभिप्राय लिये जो बौद्धधर्म की दृष्टि से अनुरूप थे।

आन्ध्र-सातवाहनयुग—सातवाहनों को पुराणों में 'आन्ध्रमृत्य' कहा गया है। इनका साम्राज्य आन्ध्र में लगभग २०० ई. पू. से २०० ई. तक रहा है। उसके बाद यहाँ इक्ष्वाकू राजाओं का आधिपत्य हुआ, जिनके साम्राज्य में नागार्जुनीकोण्डा जैसे स्तूपों का निर्माण हुआ है। अशोक के प्रताप से आन्ध्र प्रदेश में बौद्धधर्म ने लगभग द्वितीय शती ई. पू. में पदार्पण किया। तबसे आन्ध्र बौद्धधर्म का केन्द्र बना रहा। विभिन्न निकाय वहाँ पुष्पित-फलित हुए हैं। उदाहरणार्थ अमरावती में चैत्यक निकाय, नागार्जुनकोण्डा और अल्लूरु में पूर्वशैलीय निकाय, पेड्डवेगी और घण्टशाल में अपरशैलीय निकाय। राजगिरी और सिद्धार्थक निकायों का भी अस्तित्व यहाँ रहा है। बौद्ध स्तूपों का निर्माण इन सभी निकायों की प्रेरणा से हुआ है।

अशोक की कला का प्रभाव यहाँ के स्तूपों आदि में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस दृष्टि से गुटपल्ले और संकाराम के स्तूप उदाहरणीय हैं। गुटपल्ले का स्तूप तृतीय शती ई. पू. के मध्य में और संकाराम का स्तूप द्वितीय शती ई. पू. में बनाया गया है। यहाँ शंखगुहा की शैली का आधार लिया गया है। यहीं चैत्यगृह भी मिले हैं। बिहारों के मण्डप, भिक्षुनिवास के रूप में गर्भशालायें, बुद्धमण्डप में द्वार और वातायन आदि सारी उसी शैली में बनाये गये हैं। अधिक सम्भावना यह है कि ये प्रारम्भिक काल के होंगे। कलाशिल्प की अनुकृति भी यहाँ मिलती है। गुटपल्ले का शिल्प निर्मित

चैत्यगृह सुदामा, बुद्धार और कोण्डीचिटे के चैत्यों से समानता लिए यहाँ जो सुन्दर स्तूप भी मिले हुए हैं जिनमें चाँची का अनुकरण विश्व है। संकाराम में भी चैत्य, बिहार और स्तूप मिले हैं। वे कभी १ में ईंटों से बने हुए हैं। इसी प्रकार गोळी (गुफ्फर जिला), मण्टसाल और जगदियपेट के महास्तूप भी आकार में बहुत बड़े हैं। निर्माण प्रायः द्वितीय घाटी ई. पू. से लेकर पञ्चम घाटी ई. (पञ्चम रा लक) होता रहा है। इनमें प्रदक्षिणापथ और महावेदिकार्यों भी बनाये गये आम्न-सातवाहन युग की कला में अमरावती स्तूप का विशेष स्थ इसका नाम महाचैतिय था जिसका निर्माण चैत्यक निकाय की प्रेरणा था। इस स्तूप का निर्माण धान्यकटक में हुआ था। इसके खिला घटाधिक दानलेख उद्घृतित हैं, जिनसे यहाँ की जनता की भावनाओं का कला है। स्तूपों के साथ ही प्रदक्षिणापथ, महावेदिकार्यों, तोरणद्वार, आदि भी बनाये गये हैं जिनपर बोधिवृक्ष, धर्मचक्र जैसे प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। यहाँ उपलब्ध मूर्तियों की संख्या भी कम नहीं है। स्तूप मूर्तियों की कला में अमरावती की कला का इतिहास झलकता है। ५ वीं शताब्दी तक यहाँ विकास होता हुआ दिखाई देता है। प्रारम्भ में बुद्ध के प्रतीक भाव मिलते हैं। द्वितीय काल में प्रतीक के साथ और दृश्यों का भी विन्यास हुआ है। तृतीय काल में यहाँ का वात क्षिप्र और अधिक विकसित हो गया था। इस समय अमरावती का निष्कार और अधिक जा गया। चतुर्थ काल में विविध आभूषण और गुफकाल में प्राप्त आभूषणों और अलंकरणों का स्मरण कराते हैं।

नागार्जुनिकोण्ड (गुफ्फर जिला) का महास्तूप अमरावती से ६० मील दूर है। यहाँ अनेक बिहार, स्तूप, वातुमन्त्रुषार्यों, और मूर्ति मिले हैं। इनके सम्मों पर जो लेख प्राप्त हुए हैं उनसे इक्ष्वाकुवंशीय का इतिहास ज्ञात होता है। नागार्जुनिकोण्ड में महीसासक और बहुश्रुतीय शाका का प्रभाव अधिक था। यहाँ का महाचैतिय ल पूजा के लिए निर्मित किया गया था। मूलतः यह स्तूप अश्वेसासक उत्तरकाल में इसे महेसासक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ४ मूर्ति क्षिप्र भी समृद्ध है। नागार्जुनिकोण्डा की कला में सूक्ष्म भावों के और मुद्राओं के विभिन्न विन्यास बनाने की विशेषतायें निहित हैं।

गुप्तकाल—गुप्तकाल भारतीयकला, विशेषतः बौद्धकला, की दृष्टि से कहा जाता है। मथुरा, और सारनाथ गुप्तकालीन कला के प्रसिद्ध हैं। इस युग की कांस्य मूर्तियों के समान ही सोह्य है। गुप्तकाल की

में प्रभावशाली, सावर्त केश, कुम्भलाकार भवन और शान्त मुद्राकृति विशेष रूप से दृश्य है। इन मूर्तियों में बीवर का अंकन दो तरह से हुआ है। कुछ मूर्तियों में बीवर का विषान प्राग्निदेश से होता था और कुछ में महीन रेखाओं के माध्यम से उसे उकेरा जाता था। सारनाथ और मथुरा की मूर्तियाँ इस दृष्टि से दृश्य हैं। अजन्ता की कला भी गुप्तकला की विशेषतायें संजोये हुए हैं। यहाँ भी बुद्ध और बोधिसत्व के जीवन चित्रों का आलेखन हुआ है। एलोरा का भी इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्थान गुप्तकालीन चित्रकला की दृष्टि से उदाहरणोत्तम हैं।

गुप्तकाल के बाद बौद्धधर्म की स्थिति भारत में बहुत डाँवाडोल हो गयी थी। जन स्याधारण पर उसका प्रभाव समाप्त हो चुका था। इस स्थिति में साहित्य और कला के क्षेत्र में बौद्धधर्म का विशिष्ट योगदान पीछे पड़ गया। इसका तात्पर्य यह नहीं कि बौद्ध कला अपने क्षेत्र से बिलकुल बाहर हो गई। तब तो यह है कि उसने अपना पग भारत को छोड़कर विदेशों की संस्कृति को आत्मसात करने के क्षेत्र में आगे बढ़ा दिया। सम्भव है, इसी प्रभाव ने बौद्धकला को भारत में भी किसी तरह जीवित रखा। गुप्त काल की काँसे की बनी बुद्ध मूर्तियाँ पाषाण की मूर्तियों से कम कला पूर्ण नहीं थीं। बिहार ( सुलतान गंज ) में प्राप्त बुद्ध मूर्ति ( पाचवीं शती ) ऐसी ही हैं। आठवीं ई. तक धातु मूर्तियों का निर्माण अच्छी तरह होने लगा था। पालवंश ( ८-१२ वीं शती तक ) की धातु मूर्तियाँ आध्यात्मिक सौन्दर्य की दृष्टि से महत्व पूर्ण हैं। ये मूर्तियाँ नाळन्दा और कुकिहारा से उपलब्ध हुई हैं। बौद्ध काँस्य मूर्तियाँ दक्षिण में विशेष रूप से तंजौर जिले में, प्राप्त हुईं। उनका समय लगभग ६ वीं शताब्दी से १५ वीं शताब्दी तक माना जा सकता है।

बौद्ध कला भारतीय कला का अंग न होकर विश्वकला का अंग बन गई थी। लंका, बर्मा, थाइलैण्ड, नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान देशों में बौद्ध कला का पर्याप्त विकास हुआ है। अशोक का सम्बन्ध विदेशी राजाओं से रहा ही है। उसके स्तम्भों पर मारसी प्रभाव कदाचित् रहा भी, फिर भी भारतीय कला ने भी अन्य कला को प्रभावित किया ही है। यही कारण है कि मथुरा के क्षत्रियों के समय में और कुषाण काल में देशी-विदेशी कलाओं का संमिश्रण होने लगा था। गन्धार कला का अल्प इसी संमिश्रण से हुआ है। अफगानिस्तान ( बेगरोम ) में प्राप्त मूर्तियाँ भी इसी तरह हैं। ग्रीक-रोमन का प्रभाव गन्धार कला पर अवश्य पड़ा है। जिसका प्रभाव बुद्ध की आदमकत मानवीय प्राचीन मूर्तियाँ हैं। अपोजो ग्रीक देवता के धारीरिक सौन्दर्य ने बुद्ध के धारीरिक सौन्दर्य को आकर्षित किया है। अफगानिस्तान ( अफगानिस्तान ) की दो बुद्ध मूर्तियाँ गन्धार कला की दृष्टि से

महत्वपूर्ण हैं। अफगानिस्तान ( फोन्दु किस्तान ) में ही उत्तर काशीन गन्धार कला की बुद्ध और बोधिसत्त्वों की मूर्तियाँ मिलती हैं।

नेपाल और तिब्बत की बौद्धकला पर पालवंशी बौद्धकला का प्रभाव है। वहाँ ध्यानी, मानुषी, भैषज्य, मंत्रेय, आदि बुद्ध और बोधिसत्त्वों के साथ ही सारा, लोकपाल, भारीचि आदि देवी देवताओं का अंकन हुआ है। नेपाल में मूर्तियों के अतिरिक्त धम्मनाथ और बोधिनाथ के स्तूप विशेष आकर्षक रहे हैं। श्रीलंका-तुकिस्तान में भी बौद्ध कला का अच्छा प्रभाव रहा है।

जावा की बौद्धकला में आठवीं से १०० वीं शती तक पाल और चोल वंश का प्रभाव रहा है। चण्डी मेन्दुत मंदिर बुद्ध बोधिसत्त्वों से परिवृत है। बोरोबुदुर का स्तूप भी अत्यन्त आकर्षक है। सिंगसारी ( जावा ) में प्राय १२-१३ वीं शती की प्रज्ञापारमिता की मूर्ति तो विश्व प्रसिद्ध है।

श्रीलंका में बौद्धकला की दृष्टि से अनुराधपुर, पोलोन्नरुवा, और सिरिगिरिय विशेष महत्वपूर्ण हैं। अनुराधपुर की ध्यानावस्थित मूर्ति तो बहुत प्राचीन है। वैसे ११-१२ वीं शती की कला अधिक मिलती है। स्तूप और दगोबा भी अनेक हैं। वर्मा की कला में दसवीं शती का पैगन का गम्बे नदीन स्तूप उदाहरणीय है। यहाँ सारनाथ और नागाजुनीकोण्डा का अधिक प्रभाव दिखता है।

बौद्धकला का विकास उन स्थानों पर अधिक रहा है जिनका विशेष सम्बन्ध बौद्धधर्म से रहा है। ऐसे स्थानों में मुख्य स्थान उत्तरी भारत में लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, कुशी नगर ( परिनिर्वाण भूमि ), आबस्ती ( सहेतमहेत ), संकाश्व ( संकिसा, फरूखाबाद ), राजगृह, वैशाली, सांची, तक्षशिला, कौशाम्बी और नालन्दा हैं, पश्चिमी भारत में गिरनार, धांक ( खूनागढ़ ), सिद्धसर ( जूनागढ़ ), तलाजा ( भावनगर ), सान्हा ( भावनगर ), बलभी ( भावनगर ), काम्पिल्य ( गुजरात, नवसारी ), भज, कोण्डारो, पितल खोरा, अजन्ता, वेदसा, नासिक, जुन्नर, कार्ले, कान्हेरी, गोआ, और कर्नाटक हैं, दक्षिण भारत में पवनी, ( भण्डारा, महाराष्ट्र ), अमरावती, नागाजुनीकोण्डा ( गुन्टर ), अट्टिप्रोडु, जगम्यपेटा, गुसिवाडा, बण्टिग्राल ( कृष्णा जिला ), नागपट्टन ( मद्रास ), श्री भूलबासम्, और काञ्ची। इन सभी स्थानों का सम्बन्ध बौद्धसंस्कृति के साथ अनिच्छतम रहा है। इसलिये यहाँ पर बौद्ध कला का विकास हुआ है।

इस प्रकार बौद्धकला ने अपनी मातृभूमि से बाहर जाकर विशेष विकास किया है। विदेशी कला से वह प्रभावित तो हुई ही है पर उसका भी विदेशी कला पर प्रभाव कम नहीं रहा। इस दृष्टि से भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्र में बौद्धकला का अत्यन्त गौरव पूर्ण स्थान है।

## बौद्ध संस्कृति का योगदान और उसके पतन के कारण

### १. बौद्ध संस्कृति का योगदान

बौद्ध संस्कृति के उक्त विवेचन से आसर्वस्व स्पष्ट है कि वह अपने उत्पत्ति काल से ही जनसाधारण की आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना को जगृत करने का विशिष्ट वायास करती रही है जिसमें उसे सफलता भी उपलब्ध हुई है। इस दृष्टि से उसका विभिन्न क्षेत्रों में प्रबल योगदान दृष्टव्य है। हम यहाँ उक्त विवेचन प्रस्तुत करते हैं।

वैदिक क्रियाकाण्ड का विरोध—बुद्ध से बहुत पूर्व भारत में वैदिक संस्कृति का प्रचार-प्रसार था। छठी शती में तो उसकी चरम परिणति मानी जा सकती है। उस समय वैदिक यज्ञ और तत्सम्बन्धी कर्मकाण्ड इतनी अधिक मात्रा में प्रचलित हो गये थे कि किसी का अन्य क्षेत्रों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं था। एक वर्ग विशेष इसी कर्मकाण्ड की कष्टदायी शृङ्खलाओं में समाज को जीवन्त रूप से जकड़ता जा रहा था। यद्यपि प्रारम्भिक अवस्था में याज्ञिक कर्म उतना अधिक अटिक नहीं था पर सोमयाग के विकसित रूप ने बाद में उसे कठोर और बहुस्यवादी बना दिया। यहाँ तक कि मानवता का बचा चुका रूप भी पशुमैव और मर्त्यैव कैशे निर्द्वैवी मर्जो की खूनी बलिबेदी पर चढ़ा दिया गया।

महाकल्याणविल म० बुद्ध ने इस सामाजिक और आध्यात्मिक भ्रष्टाचार की निकट से देखा। वास्तविक स्थिति से परिचित हो जाने पर उन्होंने इस दानवता का धनवीर विरोध किया। विरोध करने का ढंग भी उनका अनोखा था। उन्होंने प्रचलित सारी धार्मिक परिभाषाओं को मीढ़ दिया। 'यज्ञ, दान और धर्म तथा

ब्राह्मण जैसे शब्दों का अर्थ बदला जाने लगा। महाभारतः संयमित जीवन ही सबसे बड़ा धर्म है और सत्य में अन्तर्द्वेष को उपलब्ध करना सबसे बड़ा पुण्य है। राग, द्वेष, और मोह से विमुक्त पुण्य ही सही धान का पात्र है। इस दृष्टि से वैदिक क्रियाकाण्ड निरर्थक हैं। उससे आत्मशान्ति की प्राप्ति संभव नहीं। कर्मकाण्डकों ने उसकी मूल भावना को स्वार्थ की भांग में बल्य कर दिया। अतएव उससे दूर रहना ही अर्थस्कर है। महावीर से भी पूर्व पादर्वनाथ आदि जैन-तीर्थङ्करों ने इस बात को बुद्ध से भी पहले प्रचारित किया था। छठी शती ई० पूर्व तक आते आते कुछ कारणावधि यह विरोध दब-सा गया। बुद्ध और महावीर ने पुनः अपने ढंग से उस वैदिक क्रियाकाण्ड का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया।

२ जातिवाद का विरोध—वैदिक संस्कृति का मूल आधार जातिवाद है। उसकी व्यवस्था में ब्राह्मण सम्प्रदाय को ही सारी आध्यात्मिक उपासना और मोक्षप्राप्ति की रजिस्ट्री कर दी गई है। समाज को जिन चार वर्गों (ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) में विभाजित किया गया, उस विभाजनमें ब्राह्मण का सही एकमात्र उत्तराधिकारी ब्राह्मण ही हैं। शेष वर्ग उसका अनुचर माना गया है। मनुस्मृति ने तो इसी सिद्धान्त के आधार पर समाज के उपेक्षित तथा कथित शूद्र वर्ग को और भी कठोर धक्का दे दिया। यही कारण था कि डा० जम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर अपना विरोध व्यक्त किया था।

महावीर आदि जैन तीर्थङ्करों के समान बुद्ध ने भी इस कठोर जातिवाद का तीव्रतम विरोध किया और अपने धर्म के प्राज्ञण को सभी वर्गों के लिए उन्मुक्त आकाश सा खोल दिया। मानवता की इस मूल को उन्होंने अपने चिन्तन से परिपुष्ट किया। फलतः उनकी दृष्टि में किसी वर्ग विशेष में मात्र उत्पत्ति ही उसकी श्रेष्ठता का आधार नहीं है बल्कि उसकी श्रेष्ठता का आधार उसके विचार और कर्म हैं। इसलिए उन्होंने कहा है—कम्मदावाचो जव। तदनुसार सत्कर्म करने वाला तथाकथित शूद्र वर्ग भी कम्बनीय है और दुष्कर्म करने वाला ब्राह्मण वर्ग त्याज्य और निकृष्ट है। वे विचार-उत्त समय बड़े क्रान्तिकारी थे। समाज को उनकी आवश्यकता थी। बौद्धधर्म को लोकप्रिय होने का एक यह भी कारण है।

३ मध्यम मार्ग—बुद्ध काल में एक ओर जहां यज्ञवाद का प्रचार था वहीं दूसरी ओर भीतिवाद भी कब नहीं था। अस्तिकल्पयथानुसोय और कामसुख-

सिद्धकालुष्योपयोग इसके निवर्तन हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से ये दोनों सिद्धान्त अपुष्टे हैं। ब० बुद्ध ने उक्त चेतना को समझा और कहा कि ये दोनों अतिमां निरर्थक हैं। हमें बीच के मार्ग को अपनाना चाहिए। शरीर को न अधिक दुःख पहुँचाना और न अधिक विषय भोगों में रमण करना इस प्रकार का मध्यम-मार्ग अधिक समुचित है। आचार के क्षेत्र में जन्मे इस मध्यम मार्ग ने काकान्तर में विचार क्षेत्र में भी अपना प्रभाव दिखाया।

४ ईश्वरवाद का विरोध—बैदिक संस्कृति के अनुसार जगत् का कर्ता, धर्ता और हर्ता कोई ईश्वर विशेष है। सुख दुःख देने का कार्य भी उसी के कर्माँ पर है। उसकी इच्छा विशेष हमारी सद्गति और असद्गति के कारण है। जगत् का वह नियन्ता है। जैन-तीर्थङ्करों के पक्षिन्होंने पर बुद्ध ने भी इस मत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का ईश्वर अकल्पित और अन्वयेणी के समान है। ईश्वर जैसा व्यक्तित्व कोई नहीं है। तीर्थङ्कर, बुद्ध और महापुरुष जो भी हैं, वे हमारी उच्चकोटि के ही विविध रूप हैं। बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर कर्म को स्थान दिया और आत्मशक्ति बाधत करने का बीड़ा उठाया। बैदिक ईश्वर में पक्षपात और नैष्कर्मण्य देखा जाता है। अतः यह ईश्वरवाद ध्यर्ष है। बुद्ध ने यह स्थान कर्म और प्रतीत्यसमुत्पाद को दिया। यह हम पहले लिखा चुके हैं। इस दृष्टि से बुद्ध शासन में प्रसाद, कृपा, पूजा और अर्चना का मूलतः कोई स्थान विशेष नहीं है। उनका स्थान सम्यग्प्रयत्न और सम्यक-ज्ञान ने ले लिया।

५ अनात्मवाद—आत्मा और ईश्वर ये दो ऐसे विषय हैं जिनके सन्बन्ध में द्वारम्भ से ही वाद-विवाद होता आ रहा है। बुद्ध ने इसीलिए कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर न देना ही अयस्कर समझा। यह ठीक भी था, किसी चींथा तक। अन्वया बुद्ध शाश्वतवाद अथवा उच्छेदवाद की ओर झुक गये होते। ऐसे प्रश्नों को उन्होंने अव्याकृत कोटि में रख दिया। आत्मवाद भी लगभग ऐसा ही प्रश्न था। उन्होंने उसे भोड़कर पदार्थ में अनात्म भाव बाधत करने का उपदेश दिया। बोधे समय बाद ही यही सिद्धान्त प्रकारान्तर से अनात्मवाद अथवा निरात्मवाद की संज्ञा से व्यवहृत होने लगा। राम, दूँब, मोह दूर करने का यह उत्तम साधन सिद्ध हुआ।

६ साहित्य सृजन—बीदों ने प्रारम्भ से ही साहित्य सृजन की ओर ध्यान रखा है। पाकि और संस्कृत में बीद साहित्य किसी अन्य साहित्य से कम नहीं है। बुद्धयोग, जसंग, वसुवन्दु, विष्णुनाय, धर्मकीर्ति, गाणापुंग,



अभयद्विज, और शास्त्ररक्षित जैसे गुरुन्वर विद्वान् बौद्ध धर्म में ही हुए हैं। इन विद्वानों के दर्शन और चिन्तन ने अन्य धर्मों को काफी प्रभावित किया है। सम्राज्य आदि के क्षेत्र में बौद्ध जाचार्यों का विशेष योगदान रहा है।

७ जनभाषा का उपयोग—बुद्ध और महावीर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने समय में जनभाषा का उपयोग किया था। बुद्ध ने विहार और उसके आसपास प्रचलित मागधी, जिसे बाद में पालि कहा जाने लगा, बोली में अपना उपदेश किया। कालान्तर में इसी का प्रयोग अशोक ने अपने स्तूपशिलों में किया। बौद्ध धर्म का जैसे-जैसे प्रचार होता गया, पालि की लोकप्रियता उसी ही बढ़ती गई। दूसरी ओर संस्कृत एक वर्ग विशेष की भाषा थी। उसका रूप जन साधारण तक नहीं था पाया था। इस दृष्टि से आधुनिक भाषा विज्ञान का क्षेत्र संस्कृत की अपेक्षा पालि-प्राकृत में अधिक है।

८ बौद्ध कला—इतिहास की तरह कला का क्षेत्र भी बौद्ध धर्मसे अविर-चित नहीं था। कला के प्रसंग में जैसा पहले लिखा था मुद्रा है, स्तूप, शम्भोला, कृत्तिशिल्प, चित्रकला, सभी क्षेत्रों में बौद्धकला का एक विशिष्ट योगदान रहा है। बुद्धान और चोम के प्रभाव से एक नयी कला का जन्म हुआ, जिसे गान्धार कला कहा गया है। कलाकारों ने इस कला से अधिक प्रभावित रही हैं।

## २. हिन्दु धर्म के कारण

बौद्ध संस्कृति ने भारतीय संस्कृति के प्राकृत्य को अपने कर्मठ योगदान से दृढ़ बना दिया है। उसका यह धर्म लगभग १० वीं शताब्दी तक चलता रहा। बाद में भारत भूमि से उसका ह्रास और पतन होने लगा। इस ह्रास और पतन के अनेक कारण इतिहास में आये जा सकते हैं। उनमें प्रमुख इस प्रकार हैं—

१. ब्राह्मण विरोध—बौद्ध धर्म का आविर्भाव ही बहुत कुछ वैदिक संस्कृति के विरोध की पृष्ठभूमि में हुआ था। जिसका प्रतिकार कालान्तर में पुण्यभिनव और बौद्ध धर्मों और मन्दिरों का विनाश करके किया। हर्ष के ( १०८९-११२९ ई० ) समय भी बौद्ध धर्म की अपूरणीय क्षति हुई है। उस समय बड़े-बड़े बौद्ध मन्दिर नष्ट भ्रष्ट कर दिये गये और उनकी सम्पत्ति लूट ली गई। कुमारिल और अंकराचार्य जैसे धर्मविद्वानों ने आधुनिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म-अर्थन का अध्ययन करना आरम्भ कर दिया। आधुनिक और आधुनिक के, मायावाद सिद्धान्त को अंकराचार्य ने अचलाकर, व्यापक-वैदिक-वैदिक बहुराज्यीय धर्मों के विरोध में उसका

मीन लिखा, किन्तु कारण वे 'प्रच्छन्न बौद्ध' कहे जाने लगे । पर इसका अर्थ प्रकृत हुआ कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता कम होने लगी । अतएव वे वि की शक्ति कम से-कारण लगे ।

२ देशद्रोह—सप्तम अष्टम शताब्दी में बौद्धधर्म की स्थिति सिन्ध में अत्यन्त ही । यहाँ बौद्ध धर्मों की संख्या भी अच्छी थी । परन्तु अरबों के आक्रमणों समय वे बौद्ध धर्म का बुरा और देशद्रोही सिद्ध हुए । इसी प्रकार तेन बंध के तय भी श्लेच्छों ने कुछ बौद्ध भिक्षुओं की सहायता से ही मगध पर जय भी प्राप्त की थी तथा बिहारों को नष्ट-भ्रष्ट किया था । फलतः ब्राह्मण्य यहाँ से तिब्बत, नेपाल आदि देशों में भाग गये और मगध और माल में बौद्ध धर्म समाप्त-प्राय हो गया । इसी प्रकार और भी अनेक उदाहरण इतिहास में मिलते हैं, जहाँ बौद्ध धर्मों ने विदेशी आक्रमणकारियों सहायता देकर अपने देशद्रोह का परिचय दिया था ।

३ भ्रष्टाचार—बौद्ध धर्म के ह्रास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण है बौद्ध भिक्षुओं का पतित आचार । तान्त्रिक साधना के आ जाने से इस विधिविचार 'बुद्ध' का और भी प्रबल सम्बल मिला । स्वान्-चवांग ने भी इस भ्रष्टाचार उल्लेख किया है । जो उसने सिन्धवासा बौद्ध भिक्षुओं में देखा था । क्षीर के बौद्ध बिहार भी इस भ्रष्टाचार में अप्रणी थे । कल्हण ने सपत्नीक बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख किया है और छेमेन्द्र ने अनेक स्थल पर इसी प्रकार न पर व्यंग्यात्मक प्रहार किये हैं । राष्ट्रपालपरिपुच्छा, और सूत्रकृतांग टीका भी इसी प्रकार अनेक उदाहरण मिलते हैं, जहाँ बौद्ध धर्मों की विषया-क्ति पर कट्यास किये गये हैं । आचारहीनता के कारण ज्ञान का क्षेत्र भी न्य हो गया । पतन में यह भी एक बड़ा कारण था ।

४ मुस्लिम आक्रमण—बौद्ध धर्म के ह्रास में मुस्लिम आक्रमण भी प्रधान कारणों में अन्यतम है । अरबों ने यद्यपि समय समय पर बौद्ध धर्म के प्रति सहि-गुना का भी प्रदर्शन किया है, परन्तु वह स्थायी नहीं रहा । सिन्ध में बच का आई 'बन्दर' सम्भवत बौद्ध धर्म था । उसके पुत्र की ७०२ ई० में मुहम्मद बिन कासिम ने हत्याकर राज्य हथिया लिया । बौद्धधर्म पर भी इसका असर होना स्वाभाविक था । लगभग ११ वी शती में अल्बेकनी को उत्तर-पश्चिम भारत में बौद्धधर्म लुप्त-प्राय स्थिति में मिला । कश्मीर में भी बौद्धधर्म के विनाश में मुस्लिम सम्प्रदाय ही प्रधान कारण रहा है ।

इसके अतिरिक्त और भी अनेक कारण बौद्धधर्म के पतन में प्रियगमे जाते हैं। वैदिक-भारतों का विशेष स्थान न होना, सामंजस्य उभेजा, ब्राह्मण्य और वैश्व धर्म की लोकप्रियता, बौद्ध संस्कृति के सर्वों का वैदिक संस्कृति कृष्ण आत्मसात किया जाना आदि। ये सभी कारण समवेत रूप में एकत्रित होकर बौद्ध धर्म के पतन में कारण हुए हैं।

### आधुनिक स्थिति

बहु प्रसन्नता की बात है कि इस बीसवीं शताब्दी के षष्ठ दशक में बौद्धधर्म का पुनः अपनी जीवनत स्थिति में आने का प्रयत्न कर रहा है। स्व० बाबा डा० डॉ० अम्बेडकर १९५६ ई० में नागपुर ( दीक्षाभूमि ) में छात्रों व्यक्तियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। इसमें अधिकांश जनता तथाकथित शूद्र वर्ग की थी। डॉ० अम्बेडकर की दूरदक्षिणा, प्रकाण्ड पाण्डित्य, राष्ट्रप्रेम, और समाज सेवा उनके बुम्बकीय व्यक्तित्व में भरी हुई थी। यही कारण है कि आज भी उनके अनुयायी उन्हें ईश्वर जैसा मानकर अपनी जुड़ा व्यक्त करते हैं। भारत में बौद्ध धर्मावलम्बियों की संख्या में द.वर्षिक संख्या इन्हीं की है।

श्री लंका, बर्मा, थाइलैण्ड, कोरिया, जापान, मंगोलिया, चीन, तिब्बत, नेपाल, रूस आदि देशों में भी बौद्ध धर्म काफी लोकप्रिय है। इस दृष्टि से उसे राजनीतिक परिवेश भी मिल गया है। भारत सरकार भी बौद्ध धर्म की ओर विशेषतः राजनीतिक सम्बन्धों की दृष्टि से विशेष ध्यान दिये हुए है। अतः सम्भव है, बौद्धधर्म अपनी मातृभूमि में पुनः अपना प्राचीन महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर के और विश्वधार्मिक को प्रस्थापित करने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे।



## शब्द-सूची

र	४५, ५६	अनुशासन	१११
रि	३८६	अनुराधापुर	१६३
र,	६७, १०७	अनुशय ( ७ ),	१४१
रवाह	३, ४, ५, ६,	अनेकान्तवाद	३२१
रविच	३३७	अप्रतिबंधमानिरोध	१२६
र संग्रह	३४८	अपरिग्रह	१२१
र, वासुदेव धरण	३६३	अपाय	४३४
र	१६६,	अकमानिस्तान	३७०
र	३३१	असयगिरि निकाया	३६४
रवाद	११७	अभिषर्भ, उत्पत्ति	३२५
रकेस कम्बलि	५,	तुलनात्मक अध्ययन	३५१,
रवाद	४, ८, १०,	अभिर्भकोश	५६, ३५१, १५४
र साहित्य	५१	अभिषर्भ महाभिभाषा	६५,
रण	२२४	अभिषर्भसमवप्रवीण	५७
रण समय	२३०,	अभिषम्भत्व संग्रह	३३०,
राह प्रतिषेध	१७४	टीकायें,	३३१
र	२६६	अभिषम्भपिटक	४४,
रवाद	८८	अष्टकषायें	३२५,
रिपिटक	३५८	आचार्य परम्परा	३२६, अर्थ ३२६,
र	२६५-६,	पाकि साहित्य	३२६,
रत्ववाद	१६०	ग्रन्थकार और ग्रन्थ	३२८,
र	२३०	संस्कृत साहित्य	३३१,
र	३२६, ३५३,	अभिषम्भ साहित्य	२६७
रकार्यें	५२	अमरपुर निकाय	३६७
रटक	५०	अमरावती	३६४
रति भाषणा	२६०	अमराविष्टशेषवाद	६

अभिधात सम्प्रदाय	३७५	आत्मप्रतिषेध	१४४
अग्नेषवन्	३७६	आन्ध्र-सायनाह्न काण्ड	३६३
अवतारवाद	३८४	आहुषधे, सायबसज्जा	२२५
अवलोकित सम्प्रदाय	३७५	आयतन	१२५
अर्कट	६७	आयतन	३३९
अर्थक्रिया कारित्व	१३२,	आरम्भण	२७८
अरुणाय चरध्यान	२७७	आरुण्य निर्देश	२६३
अव्याकृततावाद	८३	आर्यदेव ६६-७३, ६८, १३७, १६६	
अवदान साहित्य	६२	आर्यसत्त्व	८५, २५०
असंग	६३	आलिम्बनसंग्रह	३४९
असंस्कृत अर्थ	३५२	आलयविज्ञान	८५, १६४
असत्कार्यवाद	१७६	आलार कालाम	१६
असम्बोध	६१	आवास	२७१
अशुभ कर्मस्थान	२८९	आवैजिक धर्म	१२२
अशौक	३६०, ३७०	आहार	३४६
अशौक स्तम्भ	३८८	इक्षिपाद	२६६
अव्याकृतचित्त	३३७	इन्द्रिया	८७, २६६, ३४६
असंस्कृत धर्म	१२६	इन्द्रियार्थ प्रतिषेध	१६८
असंस्कार्यवाद	१६०	इन्द्रिय संवरण	२६८
असिबन्धकपुल गामभि	७	इत्तिंग	३६२, ३७८
अष्टाङ्गिकमार्ग	८७, २६९,	ईश्वरकल्पना	१२,
अष्टादशानिकाय	३३	ईश्वरसेन	६६
अहिंसा १६७,	धर्म ३१३,	उद्गुर लिपि,	३७३, वासौ ३७६
स्वरूप	३१६,	उग्रसेन	३६८
अर्हसुकविला	३३४	उच्छिदेवाध	३
अक्रिय	६०, १२६, १३८,	उत्तराध्ययन	५०
अंगम	५६	उद्देक रामपुत्र	१६
अजीव परिच्छिदि	२६७	उदयगिरि	३६०
अजीविक	५	उपवीहक कर्म	३५५
आंटीनादीय सुत	७७	उपसम्पदा	२१३
आत्मा और ज्ञान	१६८	उपवर्त्मक कर्म	२४५

जयानह	११६	कर्मकमुष्क	३४५
जयानकौशल	५६	कर्मवाद	१०१, ११४-५
ज्योसभ	२१४, २१५	कर्मस्थान	२६७, २७३, श्रुताव प्रकार,
ज्ञादि प्राप्ति	३०१	संख्या, २७४, ध्यान	२७४,
ज्ञादिपाद	८७	समाप्तिक्रमण-परिवर्तन-परिहीन	
ज्ञाविपत्तन	७७		२७४, ३५१,
कमलकील	७५, ३८३	कालें	३६१
कम्बुज	३६६	कुवाणकाल	३६३
कम्मद्वान संग्रह	३५१	काळ-सेक-ही.	३७५
कल्याणमित्र	२७२	काण्डगिरि	३६०
कल्याणरक्षित	६७	कुद्कनिकाम	४२
कथावस्तु	३१, ४६	कीर्तन	३७१
कठिन चीवर	२२०	कणिकवाद	१३१
कमिष्क	५६, ६२, ३६१, ३६२	गन्धारकला	३७०, ३६३
कसिन	२६६	ग्रन्थकूट	७७
कसिन भावना	२७८	कुण्टपल्ले	३६३
कामसुगतभूमि	३४४	गुप्तकाल	३६१, ३६५
कामावचरधिरा	३३३	गृहावास दुर्गुण	२७१
काळ	१६८	गीतन प्रज्ञावधि	३७७
कालचक्रयान	३७, ७८	कमुःसन्निकर्षत्व	१६८
काव्य	५३	चातुर्वाम	२६७, ३२१
काव्यय मातङ्	३७४	चतुरार्यसत्य	२०५
क्रियावाद	६	चतु.घटक	७२, १३७
क्रियावादी	२१६	चन्द्रकीर्ति	६६-७२, ७८
कीर्तिभी राजसिंह	३६६	चम्पा	३६६
कुमार जीव	३७२, ३७५-६	चपटा मिश्र	३६५
कुमारलम्ब	५३	चरित प्रकार	२७३
कुल	२७३	चित्त	१२८, ३३३, ३५३,
कुशलचित्त	३३७	चित्तमहाभूमिक धर्म	१२८
कुस्यसंग्रह	३४१	चित्तविप्रयुक्त	१२८
केनोप सम्प्रदाय	३८१	चित्तविद्युद्धि प्रकरण	७३
कीध	५४	चित्तसंग्रह	३३३

बी-फ्लेम	२७५	तारामाष	२६,५५,७४
पीन, ३७३, छिनबंस जीर हानबंस		ताववादी	४८५
३७४, घू, बेई, ऊ, ३७४, पाऊ		तीर्थङ्कर, बुद्ध-समकालीन	३
	३७८,	तैलङ्	३६६
बीवर	२२१, २६६	तर्जनीय कर्म	२२३
बुल्लवग्ग	२३३	तिग्गत	३८२-४
बैत्ये	३८७	तुफी भाषा	६३
बैत्यगूह	३६०	तृष्णा	८६
बैतसिक	८०, ३३२, ३५३	तेन्दई सम्प्रदाय	३८१
बैतसिक संग्रह	३३८	विध्यावदान	३८७
भक्ति	२११	दण्ड व्यवस्था	२२२-३
ज्ञान प्रस्थानशास्त्र	५५	दलाई लामा	३८४
अयवर्मन्	३६६	दीपंकर श्रीज्ञान	३८३
आस्थान्तर	१४७	दो-बो	३८१
आतिस्मरण	१४७	दीधनिकाय	६
आपान	२८०	दीपंकर	३६७
आवा	५६७	दृष्टिप्रतिषेध	१६४
जिनेन्द्र बुद्धि	५७	दार्शनिक साहित्य	६३
जुन्नार	३६१	दिङ् नाग	६६
जैतवन	३५८	द्वेजेन्द्र बुद्धि	६७
जेन	४८२	द्वार संग्रह	३४१
जोषी	२८५	दानपाल	३७६
टीका साहित्य	५२	धरमचेरि	३६६
त्रिकायवाद	११६, ३०४,	धरमपद	५०
अपकाय, स्वभावकाय, धर्मकाय		धर्मपाल	५२
निर्माणकाय	३०४	धरमसंगणि	४५
त्रिपिटक, विकास	४७, ६८७	धर्मकाय	११६
त्रियान	१२१	धर्मकीर्ति	५६, ३६७
उत्तरछिला	३६६	धर्मत्रात	१२४
उत्तरत्लाबली	२७	धर्मचक्र	३८६
उत्तरसंग्रह	७५	धर्मचक्रप्रवर्तन	७७
उत्तरजोर	३८५	धर्मदेव	३७६
तान्त्रिक बीज साहित्य	७६	धर्मदेशना	१६

( ४०७ )

धर्मपाल	६६	महायान में अन्तर १०२,	
धर्मरत्न	१७५	१४२, १६७, १४८, सोपधि-	
धर्मरत्न	३७५	शेष ३४८, निष्पत्तिशेष	
धर्मसिद्धि	३७६	३४८, ३४८, ३५३, ३३३	
धर्मोत्तर	६८	निष्पन्न रूप	३४६
धातु	१२६, ३५०	नीवरण ( ६ ),	३४६
धातुकथा	४६	नेपाल में बौद्धधर्म	३८६
धान्यकटक	७७, ३६१	नैरात्म्यवाद	८१, १०७
धारणा	२१२	पञ्चकण्ठवाचन	५
धारणी पिटक	७७	पञ्चद्वारवीथि	३४२
ध्यान सम्प्रदाय	३७५	पञ्चमहाव्रत (७)	३२१
धुताङ्ग ( १३ ),	२७५	पञ्चय संग्रह	३५०
ध्यान, अर्थ २८१, भेद और		पञ्चस्कन्धवाद	६१
व्याख्या	२८१,	पट्टान	४६
ध्यानांग	३२६	पट्टानलय	३५०
नमक	१६७	पदार्थ स्वरूप	१६५
नागाजु'नीकोण्डा	३६४	परब्रह्म पक्ष	३६२
नरेन्द्रदेव	१०६	परमत्यबिनिच्छय	३३०
नरेन्द्रयश	३७८	परमाणुवाद	१२९
नागसेन	३६६	परमाणु	१४०
नागाजु'न ६८, ६२, १४०, ११०,		परमार्थ	३७८
११६, १ ५,		पराक्रमवाद	५२
नारीप्रवेश	२२७	परिभोग	२७१
निगृह्य नातपुत्र	६	पबनी	३६१
निचिरेन	३८५	पाचिलिय	२३०
नित्यार्थ प्रतिषेध	१३७	पाटिसेसनीय	२३०
नियस्स कर्म	२२४	पाण्डेय, गोविन्द चन्द्र	३४, ९४
निरात्मवाद	८८	पोद्दुपाद	८९
निसम्मिद-धाचिचित्तिय	२३०	पोराणचरिया	५१
निःस्वभाववाद	१६५	प्रकीर्णक संग्रह	३४०
निष्कासन	२१३	प्रज्ञाकर गुप्त	६७
निर्वाण १०५, ११, हीनयान-		प्रज्ञाकरमति	७५



प्रज्ञापादमिता ग्रन्थ	३७६	बोधिधर्म	३७७
प्रतिसन्धि क्लृप्ता	३४४	बोधिपाक्षिकधर्म	८५
प्रतिशब्धानिरोध	१२९	बोधिपाक्षिकभावना (३७)	२७७,
प्रसीत्य समुत्पाद्य ९१, ६२, ६३-१००,		बोधिपक्षीय संग्रह	३४६
११६, २६७, ३५०,		बोधिसन्धि	३७६
प्रत्यय	९५, ५०	बोधिवृत्त	३६३
प्रत्याज लक्षण १६९, भेद १९९,		बोधिसत्त्व	३०२
प्रत्यक्ष २००, अनुमान २०१,		बोधिसत्त्व चर्या	१२१
शब्द ( आगम )	२०३,	बोधिसेन	३८१
प्रवारणा	२१६	बोध्याग	८७
प्रवज्या	२१३	बोन्नियो	३६८
प्रज्ञावनीय कर्म	२२४	बौद्धकला	३८७
प्राधि भेद	३४७	बौद्धधर्म, भारत में	३१८-६२,
प्रातिमोक्ष	२७४	बिदेशों में	३६३
प्रासङ्गिक शाखा	७३	बौद्ध न्याय	१९८
फाहियान	३६१	बौद्ध विन्य	२०५
मल	८७, २६६	तुलना	२३१
माळी द्वीप	३६८	बौद्धसाहित्य	६५
बुद्ध, जीवन वृत्तान्त १०, जन्म-		ब्रह्मविहार (४)	२६६
वीचर १, लिपि शिक्षा,		ब्रह्मविहार निर्देश	३६१
१२, धर्मदेवता १९, संघ-		भक्ति आन्दोलन	३६२
निर्माण २०, नर्वावास ३१,		भट्टाचार्य, बिजुसेखर	७२
परिनिर्वाणकाल	२३	भरहुत स्तूप	३८९
बुद्धबोध	३६, ५१ ३६७	भव्य	३३, ४७
बुद्धदत्त	३२७	भावा	३९१
बुद्धमद्र	३७६	भावप्राधान्य	३२३
बुद्धमूर्ति ३६५, ३७१, ३७६, ३८१, ३६२,		भिवक्षुणी विनय	२३०-१
बुद्धमत्त	३७६	भैरव्य	२१८
बुद्धरक्षित	५३	भिक्षु विनय	२०५-२३०
बुद्धशान्त	३७७	भूमियां	(१०, १११, ३०१)
बिहार निर्माण	३२६	भंगोलिया	३८५
बौद्धधर्म	२६६	भक्तिक्रि श्लोसाळ	४
बोध भवा	३६६, ३९०	भक्तिम पटिका	८५, १००

शिक्षा	३७०	मीदयव्यायन	३५७
रबीमि	३४३	नीर्यकाल	३८८
ज्ञान	३५५	अभ्य	३३६
य	१९७	यमक	४६
त्यतिबनुष्क	३४५	यसो गुप्त	३७८
द्वीप	३६७	यान	७९
रक्ष्यप	३३८	योगाचार	६३, ८३, १९३
तिय	३९४	रत्नरश्मि	३६६
यगिरि	३९०	रामञ्जनिकाय	३६७
रिनिम्बाणसुत्त	२७, ३=७	राजगृह	२६
ान	३७, ३७३	रायज डेविट्स	४८
ानी साधना	३०२,	रूप	१२६, ३३३
ानी साहित्य	५६	रूपकलाप	३४७
स्तु	५७	रूपकाय	११६
हार निकाय	३६४	रूपविभाग	३४६
ीर	८३	रूपसंग्रह	३४५
गुत्पति	६१	रूपसमुद्धान	३४७
'ब	३५	रूपसमुद्देश	३४६
धिक	११९	रूपावचर	२८४
कुलदायीसुत्त	२६६	रूपावचर भूमि	३४४
तूप	१९०, ३९४	ला, विमला चरण	४८
भक्षण	२३७	लोकक्षय	३७४
इट	३७८	लोकोत्तर ध्यान	२८८
मिक	८१	व्याकरण	५०
मिक साहित्य	६८	व्रतस्कन्धक	२२७
प्र सन्निकर्षत्व	१७३	वंस	५३
िङ्ग	३४९	विष्णु निवृत्ति	२७१
गदृष्टि (६२)	८, १६३	वज्रघर	१००
मेक	२७	वज्रबोधि	३७६
कन्द	३६०	वज्रयान	७७
कन्दपाह , ५०,	३२६	वट्ट गामधि	३६, ३६४
क संग्रह	३४९	वस्तु संग्रह	३४१
रनाच	६३	वात्सी पुत्रीय	३६, १०८

( ४१० )

अभ्यास	३७	संगीति, ३५८, प्रथम २६, द्वितीय २८,	
अध्यात्म	५६, ६५, ३७०	३५६ तृतीय २६, ३६० अन्य	
अर्थ	३६५	संमीतियां	३०, ३६१,
अर्थशास्त्र	२१६	संग्रह	५३
आहृत्यधर्म	१६७	संघप्रकार	३०
आहन और आसन	२१८	संघमद्र	५७
वाद विवाद	२०३	संघभेद	३१६
विकासक्रम	७९	सांघविवाद	५२३
विज्ञान	१२०	संघादिशेष	२२६
विज्ञानवाद	६१, ६७, १६३	संजयबेल्लट्टिपुत	८, ५७
विज्ञानवादी	१६१	संयोगकाय	७३
विनयपिटक	४३, ३८७	संयुक्तिकाय	४२
विनय साहित्य	६२	संस्कृत	१८५
विपस्सना	३५१	संस्कृतार्थ प्रतिषेध	१८२
विपस्सना आबना	२६३	संस्कृत धर्म	१२१, ३५२
विपस्सना ज्ञान	२६७	सञ्ज्ञा	२६६
विपस्सना और सत्तविमुद्धि	२६७	सत्तिपट्टान	२६६
विभज्यवाद	३२२	सत्कार्यवाद	१६०, १७९
विभाषा	४५	सत्पसिद्धिशास्त्र	५६
विमोक्ष	२६६	सदसत्कार्यवाद	१७९
विसुद्धिमन्त्र	३१, २६७, ३२७	सन्ततिवाद	९१, १०७
विष्णुद्धि ( ७ )	२६७	समाजवाद	३२२
वीथि संग्रह	३४२	समायलि और निर्वाण	३०१
वेदना संग्रह	३४०	समाधि, समय-आसन	२७८
वैतुल्यक	११६	समाधि, निर्देश	२९३
वैनयिकवाद	१०	समुच्चय संग्रह	३४८
वैपुलससूत्र	६१	सम्प्रदाय	३१
वैभासिक, ५६, १०८, १०३,	१०३,	सम्प्रदायान	२६६
१५७, १६०,	१२४-३०	सम्यक् प्रचान	८७
वैश्वानरविज्ञान	७५	सहज्यान	३७, ७८
संकाराम	३६३	सांस्कृत्यायन राष्ट्रक	३८, ४९
संक्रान्तिवाद	५६,	सातवाहन	६६

साधना, तान्त्रिक ३०४ तिब्बत	३२०	धमय	३२०
३०४, चीन ३०४, जापान ३०५,		शान्तभद्र	६८
सामञ्जसफलसुत	४१	शान्तरक्षित	७५ ११८, ३८३
सारनाथ स्तम्भ	३८८	शान्तिदेव	७४
सारिपुत्र	३५७	शान्ति मिश्र	३७४
सांची स्तूप	३८६	शिक्षापद	२१३
सिवातचिन्ता	२८०	शिगोन	३८२
सुतपिटक	४०	शिक्षा समुच्चय	६०, ७५
सुभद्र	२७	शीलमञ्जु	३८६
सुमाना	३६७	शीलविसुद्धि	२३४, २६८,
सुमति कीर्ति	३८५	शुंगकाल	३८९
सूत्रकृताङ्ग	२३३	शुभकरसिंह	३७६
सूत्रग्रन्थ	६०	शुचिता	१८७
सूर्य यथा	३७६	शून्यतावाद	११७, ३६०, १३५-१६८
सौत्रान्तिक १०३.१-८, ३३०-४,		शैशुनाग-नन्द युग	३८८
	१६१	शोतोमु	३८०
सर्वे संग्रह	३४६	शोभनचित्त	३७४
सर्वास्तिवाद ५५, ३६, ६७, १०२,		श्रीहर्ष	७४
३७३, १५७, ३५४,		श्रमण, अर्थ १, प्राचीनता २,	
स्कन्ध	१२५, ३४९	प्रकार,	२
स्तूप	३८८	श्रावस्ती	३५८
स्तम्भ	३८८	श्रावपत्तन	३५७
स्थविरवाद	३६	श्रीपर्वत	३६७
स्मारक	३८७	श्रीलंका	३६३
स्वभाव शून्यता	१६७	श्री मित्र	३७६
स्मृतिप्रस्थान	८६	षट्पाद शास्त्र	५५
स्वातन्त्रिकशास्त्रा	७३	हस्तवाल प्रकरण	७२
स्वर्णभूमि	३६४	हरिभद्र	६८
द्वान-द्वान्क	१८, ३६२, ३७२	द्वित्यचीन	३९६
द्वंद्वस्वामी	६६	हेतु	३४० ३४९
द्वंद्वरानन्द	६७	दृष्य	३८५
द्वन्द्व सन्निकर्षत्व	१७३	हेरवाभास	२०३



